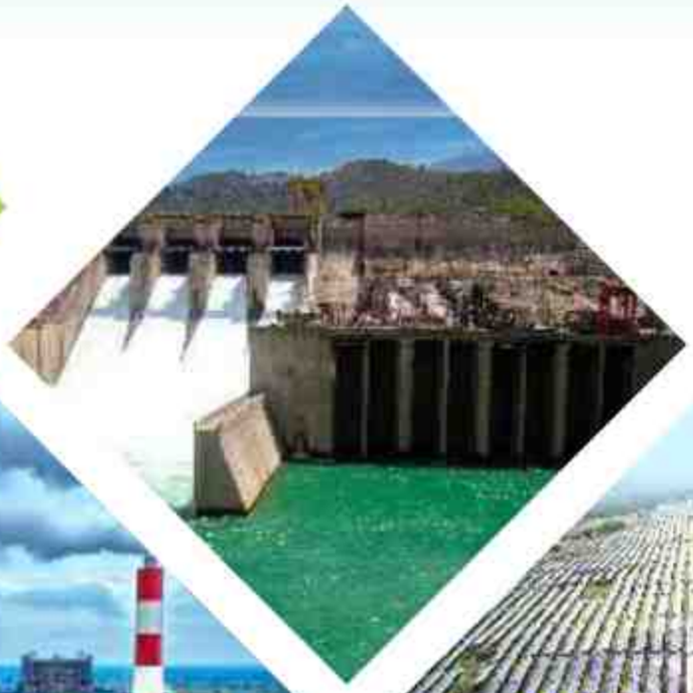
37वीं वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25









विद्युत उत्पादन हमारी कटिबद्धता
समाज का विकास हमारी प्रतिबद्धता...

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

विजन VISION

- एक एकीकृत वैश्विक ऊर्जा संगठन जो भारत की शुद्ध–शून्य (नेट–जीरो) आकाँक्षाओं की अभिप्राप्ति के लिए सतत समाधान प्रदान करे।
- An integrated global energy delivering sustainable solutions meet India's net-zero ambitions.

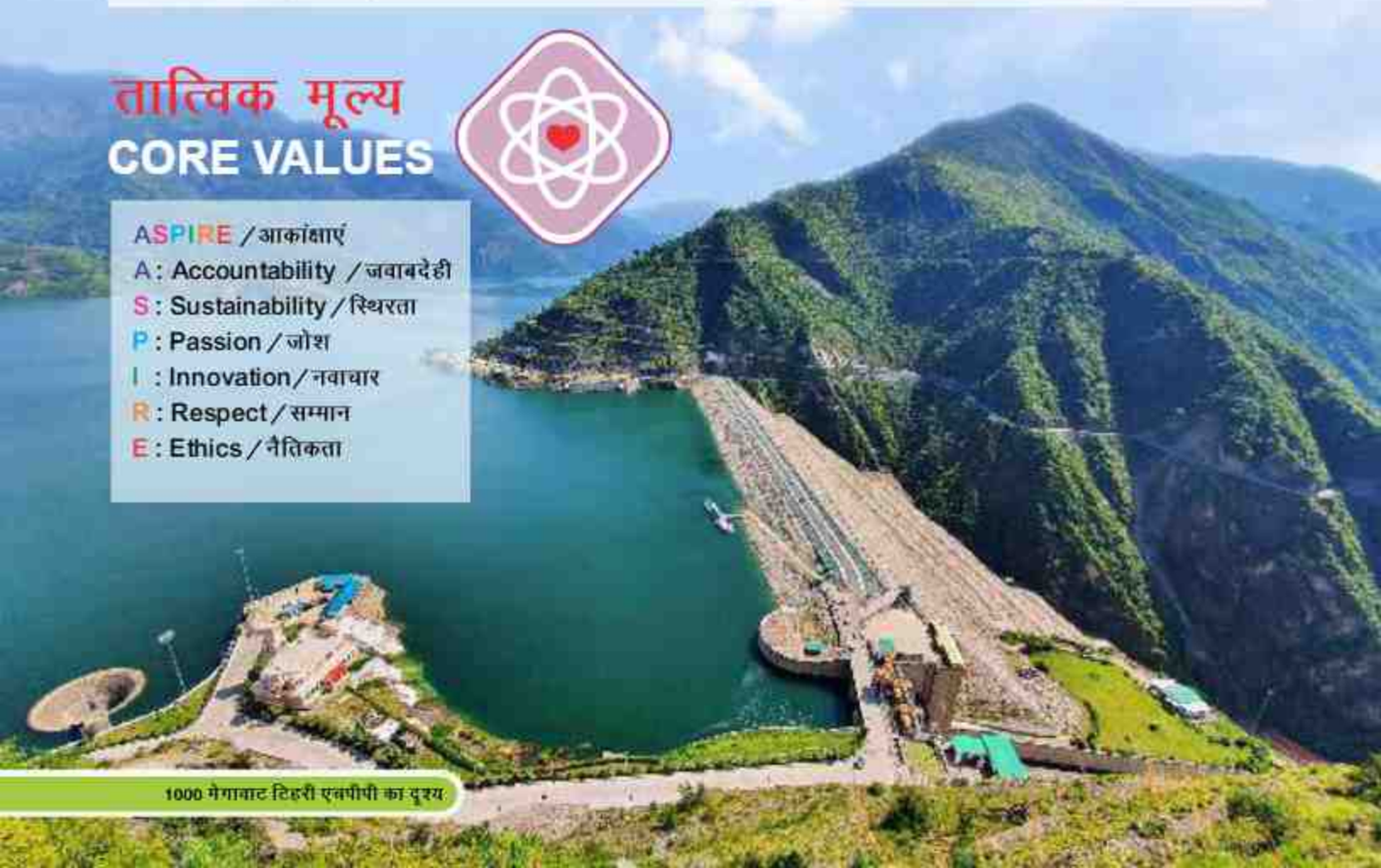
मिशन MISSION

- विविध स्रोतों से स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराना।
- उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की खोज करना एवं सुचारु परिवर्तन को सक्रिय करने के लिए गुणवत्तापरक स्थायी समाधान प्रदान करना।
- व्यक्तियों को सक्षम एवं विकसित करते हुए परिवर्तन को अंगीकार करने हेतु संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण करना।
- व्यावसायिक गतिविधियों में उच्चतम नैतिक मानकों एवं सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना।
- सामाजिक रूप से उत्तरदायी रहकर कार्य करना एवं पर्यावरण एवं व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करना।
- उच्च उत्पादकता और दक्षता को हासिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करना।
- संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना।

- Making available clean and affordable energy from diverse sources.
- Explore emerging energy technologies and deliver sustainable solutions of scale to enable smooth transition.
- Building organizational capabilities to embrace change through enablement and development of people.
- Conforming to the highest ethical standards and integrity in business activities.
- Acting in a socially responsible manner, committed to the cause of environment and people.
- Adopting best practices and state-of-the-art technology for higher productivity and efficiency.
- Promoting creativity and innovation for optimal utilization of resources.

तात्विक मूल्य
CORE VALUES

ASPIRE / आकांक्षाएं
A : Accountability / जवाबदेही
S : Sustainability / स्थिरता
P : Passion / जोश
I : Innovation / नवाचार
R : Respect / सम्मान
E : Ethics / नैतिकता



1000 मेगावाट टिहरी एचपीपी का दृश्य



माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी 30 मई, 2025 को टीएचडीसीआईएल की
पहली ताप विद्युत परियोजना, 1320 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी की पहली इकाई (660 मेगावाट) राष्ट्र को समर्पित करते हुए



1320 मेगावाट का सुपर खुर्जा थर्मल पावर प्लांट



माननीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री (भारत सरकार), श्री मनोहर लाल 4 जून 2025 को
1000 मेगावाट क्षमता की टिहरी विद्युत परियोजना की इकाई–1 (250 मेगावाट) की सीओडी का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए।



1000 मेगावाट टिहरी पीएसपी की यूनिट–1 (250 मेगावाट) के सीओडी के प्रारंभ के दौरान टिहरी पीएसपी पावर हाउस में
टीएचडीसीआईएल प्रबंधन के अधिकारी

विषय–सूची

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल 8
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण 10
- कॉर्पोरेट जानकारी 14
- परियोजना पोर्टफोलियो 15
- अध्यक्ष का अभिभाषण 19
- टीएचडीसीआईएल की 37वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस 23
- हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति 40
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं 43
- व्यवसाय सततता रिपोर्ट – सतत रीति में पूंजी सृजन 2024–25 48

  वित्तीय पूंजी 49

  सामाजिक और संबंध पूंजी 52

  प्राकृतिक पूंजी 55

  बौद्धिक पूंजी 59

  मूर्त पूंजी 65

  मानव पूंजी 70

निदेशकों की रिपोर्ट 2024–25 और इसके अनुलग्नक

- निदेशकों की रिपोर्ट 2024–25 77
- कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक–I) 119

  सीईओ/सीएफओ प्रमाणन 144

  कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी प्रमाणपत्र 145
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक–II) 146
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक–III) 169
- ऊर्जा संरक्षण के उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय (अनुलग्नक–IV) 186
- व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक–V) 199
- सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट (अनुलग्नक–VI) 229

कॉर्पोरेट वित्तीय विवरण 2024–25

स्टैंडएलोन

- वित्तीय विवरण 2024–25 233
- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 296
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 309

समेकित

- वित्तीय विवरण 2024–25 312
- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 388
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 396

हाल ही में कमीशन की गई परियोजनाएं

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 26 जनवरी, 2025 को खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना (केएसटीपीपी) की पहली यूनिट (660 मेगावाट) को सफलतापूर्वक चालू कर दिया, जो भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर है।



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उत्तराखंड स्थित 1000 मेगावाट क्षमता वाले टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की यूनिट 1 और यूनिट 2 (प्रत्येक 250 मेगावाट) को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह भारत की पहली परिवर्तनीय गति पंप स्टोरेज सुविधा है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 18 फरवरी, 2025 को मध्य प्रदेश में अपनी अमेलिया कोयला कोल माइन (5.6 मिलियन टन प्रति वर्ष) के वाणिज्यिक संचालन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए समर्पित कोयला लिंकेज है।



टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं की कमीशनिंग यात्रा





400 मेगावाट कोटेश्वर एचईपी का शक्ति द्वार

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण
- कॉर्पोरेट जानकारी
- परियोजना पोर्टफोलियो
- अध्यक्ष का अभिभाषण
- हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति
- मुख्य वित्तीय निष्पादन विशेषताएं
- व्यवसाय सततता रिपोर्ट – सतत रीति में पूंजी सृजन 2024–25



निदेशक मंडल



श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री सिपन कुमार गर्ग
निदेशक (वित्त)



श्री भूपेन्द्र गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
04.09.2025 तक



श्री शैलेन्द्र सिंह
निदेशक (कार्मिक)
27.08.2025 तक



श्री नरेंद्र भूषण
उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक



श्री पीयूष सिंह
भारत सरकार के नामिती निदेशक



श्री अनिल गर्ग
उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक



श्री गौतम देब
एनटीपीसी के नामिती निदेशक
19.05.2025 से



श्री वीरेंद्र मलिक
एनटीपीसी के नामिती निदेशक



श्री सरोज रंजन सिन्हा
स्वतंत्र निदेशक
01.05.2025 से



डॉ जय प्रकाश नाईक बी.
स्वतंत्र निदेशक
09.11.2024 तक
17.04.2025 से नियुक्त

वर्ष के दौरान नेतृत्व में परिवर्तन



श्री अजय तिवारी
अपर सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार के नामिती निदेशक
20.02.2024 से 31.05.2024 तक



श्री एस. एन. त्रिपाठी
एनटीपीसी के नामिती निदेशक
30.09.2024 तक



श्री जयकुमार श्रीनिवासन
एनटीपीसी के नामिती निदेशक
31.07.2024 तक



श्रीमती सजल झा
स्वतंत्र निदेशक
09.11.2024 तक



श्री के. एस. सुंदरम
एनटीपीसी के नामिती निदेशक
24.10.2024 से 24.04.2025 तक

निदेशकों की प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई



श्री राजीव कुमार विश्नोई दिनांक 06.08.2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पूर्व, श्री विश्नोई दिनांक 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। आपने यह रेखांकित किया कि टीएचडीसीआईएल को गतिशील समकालीन विद्युत परिदृश्य में विद्युत क्षेत्र की एक समयोचित/अनुभवी कंपनी के रूप में परिवर्तित करना उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आपने प्रचालनात्मक के साथ–साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं में संस्थागत नूतन हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया।

श्री विश्नोई को हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के डिजाइन, अभियांत्रिकी एवं निर्माण में 38 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आप वर्ष 1989 में अभियंता के रूप में टीएचडीसी में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्ष 2013 में आप महाप्रबंधक के स्तर पर पदोन्नत हुए और इसके बाद वर्ष 2016 में आप कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। डिजाइन विभाग के प्रमुख के साथ–साथ आपने विष्णुगाड–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) 444 मेगावाट के कार्यपालक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। टिहरी, कोटेश्वर और विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजनाओं में कार्य करते हुए आपने विभिन्न प्रतिष्ठित उपलब्धियां हासिल की हैं।

श्री विश्नोई, बिट्स पिलानी से सिविल अभियांत्रिकी में ऑनर्स ग्रेजुएट हैं और आपके पास एमबीए की योग्यता भी है और आपने मास्को विश्वविद्यालय रूस से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन एवं निर्माण में प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया है। आप, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आई.सी.ओ.एल.डी) की बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर बनी तकनीकी समिति में वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आपने स्पोकेन (यूएस), वाशिंगटन डीसी (यूएस), पीटर्सबर्ग (रूस), चेंगुडु (चीन), बीजिंग (चीन), पोर्टो कोर्रेस (ग्रीस), एंटेल्या (टर्की), ओट्टावा (कनाडा), सिंगापुर और नेपाल जैसे विभिन्न देशों में उल्लेखनीय व्याख्यान भी दिए हैं।

श्री सिपन कुमार गर्ग



श्री सिपन कुमार गर्ग ने 17 अगस्त, 2024 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभाला। आपको 27.09.2024 से टीएचडीसीआईएल का मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपके पास 01.09.2025 से एन एच पी सी लिमिटेड एवं एस जे वी एन लि. के निदेशक वित्त का अतिरिक्त प्रभार भी है। एक प्रतिष्ठित वित्त पेशेवर, श्री गर्ग वाणिज्य स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री के धारक हैं और आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीए), इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीएमए) और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (सीएस) के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, आपने एलएलबी किया है और कंपनी सेक्रेटरी परीक्षा में रैंक होल्डर रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र में वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक पहलुओं में 24 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ, श्री गर्ग टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में अपनी भूमिका में गहन विशेषज्ञता लाते हैं। आपके पिछले अनुभव में एनटीपीसी लिमिटेड की दोनों समूह कंपनियों अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्य करना शामिल है। आपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स ग्रुप और कोल्डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सामरिक भूमिकाओं सहित विभिन्न क्षमताओं में एनटीपीसी लिमिटेड में भी योगदान दिया है।

एनटीपीसी में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री गर्ग ने अपनी जिम्मेदारी, नैतिकता और कंपनी के प्रति अटूट समर्पण की भावना के माध्यम से पेशेवर सीढ़ी चढ़ी। एक उत्कृष्ट वित्त पेशेवर के रूप में पहचाने जाने वाले, श्री गर्ग ने एनटीपीसी में अपने द्वारा निभाई गई हर भूमिका में उत्कृष्टता हासिल की।

श्री गर्ग ने भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों में कई कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेकर अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाया है। लेखा मानकों और इंड एएस पर एक अनुभवी वक्ता के रूप में, आपने वर्षों से अपने अंतर्दृष्टि को व्यापक रूप से साझा किया है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बहुत–सी समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, जिनमें 'सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखांकन समिति', 'लेखांकन मानक अध्ययन समूह' और 'उद्योग समूह (पीएसयू) में सदस्यता' शामिल हैं।

श्री भूपेन्द्र गुप्ता



श्री भूपेन्द्र गुप्ता ने 09 जून, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री गुप्ता को 01.05.2025 से एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। श्री गुप्ता की नियुक्ति एनएचपीसी लिमिटेड में हो जाने के परिणामस्वरूप उनको 04.09.2025 से टीएचडीसीआईएल के निदेशक (तकनीकी) के पदभार से मुक्त कर दिया गया है।

टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आप भूटान में पुनातसांगचू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) के पद पर थे। इससे पहले, आपने आरईसी की दो सहायक कंपनियों, नामतः आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी

पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में प्रचालन प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में काम किया। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, आप विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के निष्पादन, परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रबंधन और परामर्श की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

श्री गुप्ता के पास लगभग 34 वर्षों का समृद्ध और विशाल कार्य अनुभव है, जिसमें से लगभग 31 वर्षों तक आपने विद्युत क्षेत्र में काम किया है और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के साथ–साथ पारेषण/वितरण परियोजनाओं की योजना/डिजाइन/ निष्पादन/संविदा और परियोजना प्रबंधन और ओ एंड एम की जिम्मेदारी संभाली।

श्री गुप्ता ने ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में 12 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया और 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर संयंत्र के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की योजना, निर्माण और कमीशनिंग की जिम्मेदारी निभाई। यह भारत में अब तक संचालित सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। आपने पहले लगभग 3 वर्षों (2002 से 2005 तक) के लिए 1020 मेगावाट ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के साथ प्रतिनियुक्ति पर भूटान में भी कार्य किया था।

श्री शैलेन्द्र सिंह



श्री शैलेन्द्र सिंह ने 06 जून, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया। तथापि, श्री सिंह को उनके मूल सीपीएसई अर्थात एसजेवीएनएल में प्रत्यावर्तन के कारण 27 अगस्त, 2025 से टीएचडीसीआईएल के निदेशक (कार्मिक) के पदभार से मुक्त कर दिया गया है।

इससे पहले, आप, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन मिनी रत्न अनुसूची 'ए' पीएसयू, एसजेवीएनएल में कॉर्पोरेट कार्यालय, शिमला में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख का पद संभाल रहे थे।

श्री शैलेन्द्र सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के प्रतिष्ठित सेंट एडवर्ड स्कूल से पूरी की। आपने सरकारी कॉलेज, शिमला से अंग्रेजी (ऑनर्स) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री सिंह ने वर्ष 1989 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री पूरी की।

श्री शैलेन्द्र सिंह ने वर्ष 1992 में कार्यपालक प्रशिक्षुओं के पहले बैच में एसजेवीएनएल में अपने करियर की शुरुआत की। आपके पास मानव संसाधन के सभी क्षेत्रों में 32 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपने दो प्रमुख हाइड्रो पावर स्टेशन, 1500 मेगावाट एनजेएचपीएस और 412 मेगावाट आरएचपीएस के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में भी काम किया है। विभिन्न उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे एमिटी, न्यूयॉर्क (यूएसए) में आयोजित ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लंदन (यूके) में मानव संसाधन कार्यों का आधुनिकीकरण और एएससीआई, हैदराबाद आदि में विभिन्न नेतृत्व और प्रबंधन कार्यक्रमों में आपका विशाल अनुभव है।

एसजेवीएनएल में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने पूरे संगठन में एसएपी ईआरपी आधारित एचआर मॉड्यूल का कार्यान्वयन, सामरिक हस्तक्षेप के रूप में संतुलित स्कोर कार्ड का कार्यान्वयन, विभिन्न एल एंड डी हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे संगठन के लिए कर्मचारी विकास को आगे बढ़ाना जैसी बहुत–सी एचआर पहलों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया और संगठन के मीडिया आउटरीच में वृद्धि की है।

श्री नरेन्द्र भूषण



श्री नरेन्द्र भूषण, आईएएस, को 9 जुलाई, 2025 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा, उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं।

आप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में बी.ई. डिग्री धारक हैं और आप कई प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कार्यरत रहे हैं, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अपर प्रबंध निदेशक और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं।

श्री भूषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास, तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न विभागों में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में ऊर्जा एवं पंचायती राज के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया है, जहाँ आपने सतत ऊर्जा विकास और ग्रामीण उन्नति में प्रमुख पहलों का नेतृत्व किया, जो लोक सेवा में प्रभावी सुशासन और नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री पीयूष सिंह



विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव (थर्मल एवं कोयला, वितरण, ओएम), श्री पीयूष सिंह को 11.06.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप महाराष्ट्र कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच के हैं और आप आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री धारक हैं। आप भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव (थर्मल एवं कोयला, वितरण, ओएम) हैं। आपने जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने उत्तराखंड में देहरादून के योजना विभाग में भी कार्य किया है। आपको लोक प्रशासन और योजना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

श्री अनिल गर्ग



श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 26.04.2022 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारत प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी हैं और प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के रूप में नियुक्ति से पहले आप यूपीएसआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

श्री गर्ग थापर विश्वविद्यालय, पटियाला से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक हैं। वर्ष 1996 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद, आपने इलाहाबाद में संयुक्त मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, आबकारी आयुक्त, राजमार्ग विभाग, गौतमबुद्धनगर, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ और आयुक्त, राजस्व विभाग, लखनऊ के रूप में और अन्य प्रतिष्ठित कार्यालयों में कार्य किया है। श्री अनिल गर्ग को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, आपको मनरेगा कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और एक जिला एक उत्पाद, राजस्व संग्रह आदि के लिए अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। श्री अनिल गर्ग को राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

श्री गौतम देब



श्री गौतम देब एनटीपीसी लिमिटेड में डाइड्रो के लिए क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (आरईडी) और परियोजना प्रबंधन के लिए कार्यपालक निदेशक (ईडी) हैं। आपको 19 मई, 2025 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आपके पास विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, जिसमें तापीय, जल विद्युत परियोजनाओं के परियोजना निष्पादन एवं प्रबंधन और तापीय परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) में विशेषज्ञता है।

आपके पास उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, आईआईटी खड़गपुर से औद्योगिक प्रबंधन में एम.टेक और एमडीआई गुड़गांव से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है।

श्री गौतम देब ने 1988 में एक कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में एनटीपीसी में अपना करियर शुरू किया। आरईडी (डाइड्रो) के रूप में अपनी भूमिका में, आप जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने और पंप भंडारण संयंत्रों के माध्यम से क्षमता वृद्धि के लिए एनटीपीसी की पहल को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

श्री वीरेंद्र मलिक



श्री वीरेंद्र मलिक एक प्रतिष्ठित वित्त पेशेवर हैं, आपको वित्तीय प्रबंधन, प्रणाली विकास और उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। आप भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से विधि स्नातक (एलएलबी) हैं। आपने पेरिस के ईएससीपी बिजनेस स्कूल से उन्नत प्रबंधन और नेतृत्व प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, जिससे आपके सामरिक और वैश्विक दृष्टिकोण में निखार आया है।

वर्ष 1993 में एनटीपीसी में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के बाद से, श्री मलिक ने संगठन में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। आपके करियर में लागत निर्धारण, कराधान (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), लेखा, परियोजना वित्तपोषण, वाणिज्यिक संचालन, व्यवसाय विकास और विशेष रूप से, प्रणाली और ईआरपी कार्यान्वयन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुभव शामिल रहा है – जहाँ आपने डिजिटल परिवर्तन और प्रचालन दक्षता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, आपने विंध्याचल स्थित एनटीपीसी के साझा सेवा केंद्र में वित्त विभाग का नेतृत्व किया, जहाँ आपने वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने और प्रणाली–आधारित समाधानों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति आपकी गहन विशेषज्ञता, नेतृत्व कौशल और वित्तीय प्रशासन एवं सामरिक योजना निर्माण में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

श्री सरोज रंजन सिन्हा



श्री सरोज रंजन सिन्हा को 1 मई, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले आपने 08 नवंबर 2021 से तीन वर्षों की अवधि के लिए एसजेवीएन लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया था। श्री सिन्हा आईईसी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश से स्नातक हैं और बिहार राज्य के एक प्रसिद्ध जन कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने सार्वजनिक और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक की सराहनीय सेवा की है। आप किसान कल्याण, कृषि विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण पर केंद्रित कई अभियानों और पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। आपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), पूर्वी क्षेत्र, पटना, बिहार के शासी निकाय के सदस्य और बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के सदस्य जैसे प्रमुख पदों पर भी कार्य किया है। कृषि विकास के प्रति आपके अभिनव दृष्टिकोण और समर्पण के सम्मान में, आपको वर्ष 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा

अभिनव कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।



डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.

श्री जयप्रकाश नाईक बी. को 17 अप्रैल 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया गया है। इससे पहले आपने 10 नवंबर 2021 से 9 नवंबर 2024 तक अपने पहले कार्यकाल में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया था। आपने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर से कृषि विज्ञान में पीएचडी की है। आपको जेनेटिक्स और संयंत्र ब्रीडिंग के क्षेत्र में 34 से अधिक वर्षों का एक विशाल अनुभव है। आप केरल कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट निदेशक और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपने केरल कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च कोकोनट मिशन के एसोसिएट निदेशक और संयंत्र ब्रीडिंग विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान अनुकरणीय है।



पाटन, गुजरात में 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना

कॉर्पोरेट जानकारी

पंजीकृत कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
भागीरथी भवन (टॉप टेरेस)
भागीरथी पुरम, टिहरी गढ़वाल–249001
संपर्क नं. (0136) 2473403, 2439309
वेबसाइट : www.thdc.co.in

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड,
सेलेनियन बिल्डिंग, टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31–32,
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद–500032, तेलंगाना
दूरभाष : +91–40–67162222
ई–मेल: shyam.pvv@kfintech.com,
arcorp@kfintech.com

डिपोजिटरी

सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड
द यूनिक, द्वितीय तल, ए विंग, 202,
हसन पाड़ा रोड, सिनेल इंडस्ट्रीज एस्टेट, पारेल
अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059, महाराष्ट्र

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सुश्री रश्मि शर्मा

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी, देहरादून

लागत लेखापरीक्षक

- मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता
- मैसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स, चंडीगढ़
- मैसर्स रमानाथ अय्यर एंड कंपनी, नई दिल्ली
- मैसर्स नरसिंमा मूर्ति एंड कंपनी, हैदराबाद
- मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे
- मैसर्स आर.के. पटेल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, वडोदरा
- मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, मुंबई
- मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, दिल्ली

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

केयर ऐज रेटिंग्स लिमिटेड
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लि.
आईसीआरए लिमिटेड

बांड सूचीबद्धता:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड

बैंकर्स

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
pnb
इंडियन बैंक Indian Bank
केनरा बैंक Canara Bank
Union Bank of India
J&K Bank
SBI
HDFC BANK
THE WORLD BANK

परियोजना पोर्टफोलियो

कार्यशील परियोजनाएं (2747 मेगावाट)

जल विद्युत	• उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी • उत्तराखंड में 400 मेगावाट की कोटेश्वर एचईपी • उत्तराखंड में 1000 मेगावाट टिहरी पीएसपी की यूनिट–1 और यूनिट–2 (2X250 मेगावाट) • उत्तर प्रदेश में 24 मेगावाट की ढुकवां लघु एचईपी परियोजना
पवन ऊर्जा	• गुजरात के पाटन में 50 मेगावाट की परियोजना • गुजरात के द्वारका में 63 मेगावाट की परियोजना
सौर ऊर्जा	• केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना
ताप (थर्मल) ऊर्जा	• उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी की पहली इकाई (660 मेगावाट)
कोयला खदान	• मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान (खुर्जा एसटीपीपी के लिए कोयला लिंकेज) 5.6 एमटीपीए

निर्माणाधीन परियोजनाएं (1615 मेगावाट)

जल विद्युत	• उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की टिहरी पीएसपी की यूनिट–3 और यूनिट–4 (2X250 मेगावाट) • उत्तराखंड में 444 मेगावाट की विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी
ताप विद्युत	• उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी की दूसरी इकाई (660 मेगावाट)
फ्लोटिंग सोलर	• खुर्जा एसटीपीपी के प्राकृतिक जल के जलाशय पर 11 मेगावाट एसी / 16 मेगावाट विद्युत फ्लोटिंग सोलर पीवी (एफएसपीवी) संयंत्र

जल विद्युत संयंत्रों का विकास

पम्प स्टोरेज संयंत्र	• महाराष्ट्र में 700 मेगावाट का मालशेज घाट • महाराष्ट्र में 690 मेगावाट मोरवाडी माजरेवाड़ी • महाराष्ट्र में 1000 मेगावाट डुम्बर्ली बिरमानी • महाराष्ट्र में 1200 मेगावाट अरुणा कोलंब • महाराष्ट्र में 1950 मेगावाट अरुणा पीएसपी • 1250 मेगावाट खरारी पीएसपी

ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी संयंत्र (100.1 मेगावाट) का विकास

ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी संयंत्र	• केपीसीएल संयंत्रों के परिसर में 100.1 मेगावाट एसी / 135.2 मेगावाट विद्युत ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी संयंत्र

संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं का विकास

टीएचडीसीआईएल और अरुणाचल सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी	• अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट कलई–II
टीएचडीसी, छत्तीसगढ़ सरकार एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	• छत्तीसगढ़ में 1400 मेगावाट डंगारी पीएसपी
टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड	• उत्तरकाशी में मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (54 मेगावाट)

संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) सौर ऊर्जा पार्कों का विकास

दुस्को लिमिटेड	• झांसी में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • ललितपुर में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड	• राजस्थान में 10000 मेगावाट के यूएमआरईपीपीएस



गुजरात के देवभूमि द्वारका में 63 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना में पवन टावर

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, टिहरी झील, टिहरी गढ़वाल में आयोजित तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स में विजेता टीम को विजय ट्रॉफी से सम्मानित करते हुए।



तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में रोमांचक खेल भावना देखने को मिली।

अध्यक्ष का अभिभाषण



प्रिय शेयरधारकगण,

मुझे, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह वर्ष हमारी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय का रहा है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और सतत विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पिछला वर्ष परिवर्तनकारी और सुखद घटनापूर्ण रहा। जिसमें 26 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश में हमारे प्रमुख खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) की पहली इकाई (660 मेगावाट) चालू हुई। यह उपलब्धि टीएचडीसीआईएल की टीम की इंजीनियरिंग क्षमता और दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। इसके साथ ही, कंपनी की कुल संस्थापित क्षमता अब 2,747 मेगावाट हो गई है, जो तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में हमारी बढ़ती उपस्थिति और सामर्थ्य का प्रमाण है।

हमने प्रचालन दक्षता, वित्तीय मजबूती और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारा स्थिरता एजेंडा हमारे कॉर्पोरेट दर्शन में गहराई से अंतर्निहित है – जो जलवायु के प्रति जागरूक परिपाटियों और जिम्मेदार ऊर्जा परिवर्तन पर आधारित है। सामरिक योजना, प्रौद्योगिकी अपनाने और अवसंरचना में निवेश के माध्यम से, हम अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए भारत की ऊर्जा माँगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हम देश को स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा की ओर ले जाने के अपने मिशन में दृढ़ हैं। यह प्रतिबद्धता रूफटॉप सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अवसंरचना और पंप स्टोरेज परियोजनाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में हमारे प्रवेश से परिलक्षित होती है। दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ, हम इन क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारियाँ लेने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, नवाचार और दक्षता बढ़ाने के लिए भागीदारों और हितधारकों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

मैं इस अवसर पर अपने समर्पित कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अटूट प्रयास और व्यावसायिकता कंपनी की प्रगति को गति प्रदान कर रहे हैं।

भारत का विद्युत क्षेत्र: कायाकल्प का परिदृश्य

पिछले एक दशक में भारत के विद्युत क्षेत्र का विद्युत अभाव से आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता की ओर कायाकल्प करना उल्लेखनीय रहा है। देश का विद्युत उत्पादन 5.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से लगातार बढ़ा है। देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 442 गीगावाट से बढ़कर 31.03.2025 को 475 गीगावाट हो गई।

भारत सरकार विद्युत क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन और जीवाश्म ईंधन से गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित ऊर्जा की ओर रुख करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो स्वच्छ, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और अधिक टिकाऊ है। इसके अतिरिक्त, भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा सुरक्षा सरकारी पहलों का केंद्र बिंदु बन गई है, जो सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है। विद्युत उत्पादन के सभी तरीकों में विविधीकरण के माध्यम से भारत के विद्युत क्षेत्र में हमारी प्रमुख उपस्थिति है।

अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में, भारत ने 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से अपनी संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता का 50% हासिल करने और 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने का लक्ष्य रखा है। देश में हरित क्रांति लाने के लिए, भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में कुल क्षमता मार्च, 2025 में 220 गीगावाट तक पहुंच गई। वर्तमान में, देश में कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 46.31% है। टीएचडीसीआईएल का ध्यान नई तकनीकों और विद्युत क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में नई पेशकशों के माध्यम से नेट जीरो कार्बन की ओर अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा में भारत का सहयोग करने पर बना हुआ है।

टीएचडीसीआईएल : हरित और सुदृढ़ भविष्य का निर्माण

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि टीएचडीसीआईएल जलविद्युत और पीएसपी परियोजनाओं को बढ़ावा देकर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार में योगदान दे रहा है। जलविद्युत/पीएसपी परियोजनाएँ, ग्रिड स्थिरीकरण में सहायक होती हैं और ऊर्जा का एक स्वच्छ रूप हैं। पीएसपी विकास को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल देश भर में कई पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिससे प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग देने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने सितंबर, 2024 में महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के साथ 6790 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली पीएसपी परियोजनाओं के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने मार्च, 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले के डांगरी में पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम मोड में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

टीएचडीसीआईएल अरुणाचल प्रदेश राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से, लोहित बेसिन के अपस्ट्रीम में चिन्हित परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर, पूर्वोत्तर क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा।

स्वच्छ भविष्य के लिए, हमारा लक्ष्य हाइब्रिड, फ्लोटिंग सौर, हाइड्रोजन ईंधन परियोजनाओं में अवसरों का लाभ उठाना और पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को सुदृढ़ करना है।

वित्त वर्ष 2024–25 में मुख्य निष्पादन विशेषताएं



ऋषिकेश में हरित हाइड्रोजन संयंत्र

मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लगातार परिणाम दिए हैं और अपने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों में सुधार किया है। वित्त वर्ष 2024–25 की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

- खुर्जा एसटीपीपी की पहली इकाई ने 26.01.2025 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। हमने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 660 मेगावाट क्षमता बढ़ाई है। अब आपकी कंपनी की कुल संस्थापित क्षमता 2247 मेगावाट है।

- अमेलिया कोयला खदान ने 18 फरवरी, 2025 को सफलतापूर्वक अपना सीओडी प्राप्त कर लिया, जिससे खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट को आवश्यक कोयला आपूर्ति सुगम हो गई।

- आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्यों से लगभग 147.46% बेहतर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कंपनी ने 3640.96 करोड़ रुपये के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले 5368.92 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है।

- आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 6077 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की उपलब्धि अर्थात 4831 मिलियन यूनिट से अधिक है।

- टीएचडीसीआईएल ने अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में 1200 मेगावाट की कलई–।। जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है।


अमेलिया कोल माइन 139.48 मीट्रिक टन

- वर्ष 2024–25 के दौरान सकल बिक्री में वित्त वर्ष 2023–24 की तुलना में लगभग 36% की वृद्धि देखी गई है और लाभ में 23% की वृद्धि हुई है।

चल रही परियोजनाओं का कार्य–निष्पादनः

टिहरी विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) की यूनिट–1 और यूनिट–2 क्रमशः 7 जून 2025 और 10 जुलाई 2025 से क्रियाशील हैं। शेष दो इकाइयों के वित्त वर्ष 2025–26 में चालू होने की उम्मीद है।

जनवरी, 2025 में खुर्जा एसटीपीपी की यूनिट–1 के सफल सीओडी के बाद, यूनिट–2 का कार्य वित्त वर्ष 2025–26 में क्रियाशील करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में सभी मोर्चों पर कार्य

तेजी से प्रगति पर है और वित्त वर्ष 2026–27 में इसके चालू होने की उम्मीद है।

सामाजिक सततता के लिए प्रणालियां:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड सामाजिक सततता की अवधारणा में दृढ़ विश्वास करता है और इसके पक्ष का समर्थन करता है, इस प्रकार सामाजिक समानता, विविधता और समावेश, लोकतांत्रिक भागीदारी, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह समाज के सभी सदस्यों के लिए समावेशी परिणामों का अभ्यास करता है। कंपनी सेवा–टीएचडीसी और टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस) के माध्यम से कार्यान्वित सुव्यवस्थित सीएसआर पहलों के माध्यम से समावेशी और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखती है। वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों में दूरस्थ टिहरी में एक एलोपैथी औषधालय का संचालन, वंचित बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण, स्वास्थ्य उपकरणों का वितरण, शौचालयों का निर्माण और नवीनीकरण, वाटर कूलर और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना, मवेशी शेड और एक मिनी स्टेडियम का निर्माण, इसके अलावा राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए खेल उपकरण प्रदान करना और टिहरी झील में 35वीं कैनो स्प्रिंट चौंपियनशिप की मेजबानी करना शामिल है। ये पहलें समुदाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एंव सततता की हमारे समेकित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है ।



विवेकानन्द अस्पताल, देहरादून, उत्तराखंड में जीस एक्सटारो 300 प्रणाली

कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियां

टीएचडीसीआईएल में, सुशासन हमारी मूल मान्यताओं में दृढ़ता से निहित है, जो सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हमारे संचालन का मार्गदर्शन करता है। निदेशक मंडल इस सुशासन संरचना के शीर्ष पर है, जो नैतिक मानकों को बनाए रखने और संगठन को उत्तरदायी एवं सतत विकास की ओर अग्रसर करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के साथ खुले और पारदर्शी संचार माध्यमों को बनाए रखते हुए हितधारक जुड़ाव पर जोर देती है। यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कंपनी की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके हितों, प्रतिक्रिया और चिंताओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जाए, जिससे उत्तरदायी और सहभागी शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।

अनुसंधान एवं विकास:

विद्युत उत्पादन के साथ–साथ, टीएचडीसीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। टीएचडीसीआईएल ने दीर्घकालिक रूप से समाज को लाभ पहुँचाने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर व्यय किया है।

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का चयन विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों वाली एक शीर्ष सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसीआईएल द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरकारी संस्थानों जैसे आईआईटी–रुड़की/एनआईएच–रुड़की/आईआईटी–दिल्ली/आईआईटी–कानपुर/टीसीआईएल–दिल्ली/सीपीआरआई –बेंगलुरु आदि की सहायता से कुल 19 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई। अभिचिन्हित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन और बायो–चार का सह–उत्पादन, गंगा जल का उपयोग करके सेगाणुरोधी प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विरुद्ध चरणबद्ध रणनीति विकसित करना आदि जैसी विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएँ शामिल थीं। टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में न केवल एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, बल्कि मानवता के लिए भी कार्य कर रहा है।

भारत के महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने की ओर प्रतिबद्धता

भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विद्युत, अवसंरचना के बुनियादी घटकों में से एक है, जो देश के आर्थिक विकास को परिभाषित करती है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और नीतियों को लागू करने की प्रतिबद्धता देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक रही है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा वास्तव में महत्वाकांक्षी है और नेट–ज़ीरो की ओर निरंतर आगे बढ़ना एक परिवर्तनकारी बदलाव साबित हो रहा है। अनुमान है कि 2047 तक कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान 80% होगा। भारत अभूतपूर्व पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा का दोहन करने के लिए सामरिक कदम उठा रहा है। विस्तारित हो रहा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विकास की



टीएचडीसीआईएल वॉटर स्पोर्ट्स हाई परफार्मेंस ऐकेडमी, कोटेश्वर

आशाजनक संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। स्थानीय विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा देने से नवाचार और उद्योग विकास के नए रास्ते खुलेंगे और विद्युत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

फ्लोटिंग सोलर संस्थापना में सफलताओं के साथ, सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिक कुशल और लागत प्रभावी होते जा रहे हैं। टीएचडीसीआईएल नई परियोजनाओं और सामरिक साझेदारियों के माध्यम से महत्वपूर्ण विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह भारत के ऊर्जा भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

आभार

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, एनटीपीसी, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बैंकर्स, वित्तीय संस्थानों, अन्य व्यवसाय निकायों, राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उनकी ओर से प्रदान किए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और हमारे प्रयासों में सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मैं बोर्ड के सम्मानित सदस्यों, होल्डिंग कंपनी अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड और वरिष्ठ प्रबंधन टीम को उनके अमूल्य योगदान और व्यावहारिक सुझावों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और सराहना करता हूँ। मैं टीएचडीसीआईएल की पूरी समर्पित टीम द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने वर्ष के दौरान कई उपलब्धियाँ हासिल की। उत्कृष्टता, नवाचार और ऊर्जा विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है।

टीएचडीसीआईएल परिवार की ओर से, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी कंपनी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास और प्रतिबद्धता जारी रखेगी। आपके साथ काम करने का अवसर पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। अंत में, हम अपने शेयरधारकों को हमारी विकास कार्यनीतियों और नेतृत्व में दिखाए गए विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

शुभकामनाओं सहित

ह0/–
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.09.2025



मॉर्निंग ग्लोरी के साथ टिहरी जलाशय का दृश्य



27 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित टीएचडीसीआईएल की 37 वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित निदेशक मंडल



27 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित टीएचडीसीआईएल की 37 वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
सीआईएन: U45203UR1988GOI009822
रजि. कार्यालय: भागीरथी भवन, (टॉप टैरेस), भागीरथीपुरम,
टिहरी गढ़वाल– 249001
फोन: 0135-2439309, वेबसाइट: www.thdc.co.in, ईमेल: csrksh@thdc-co-in

37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतत्द्वारा **सूचना** दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 27 सितम्बर, 2024 को मध्याह्न 12:00 बजे टीएचडीसीआईएल, नई दिल्ली कार्यालय में की जानी निर्धारित हुई है:

सामान्य व्यवसाय

1. **31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरण, उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना तथा, इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

   "**संकल्प लिया जाना है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरणों, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वित्तीय विवरणों का भाग है, और कॉर्पोरेशन की लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एतत्द्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाए।

2. **वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा, इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

   "**संकल्प लिया जाना है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और धारा 142 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के लिए नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का उचित पारिश्रमिक नियत करने हेतु अधिकृत किया जाए।"

3. **वित्त वर्ष 2024–25 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश घोषित करने तथा, इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

   "**संकल्प लिया जाना है** कि इक्विटि शेयरों पर वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रू 441.97 करोड़ का अंतिम लाभांश इक्विटी शेयरधारकों अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार उनकी शेयरधारिता के अनुपात में भुगतान किए जाने के लिए अनुमोदित किया जाए।"

4. **श्री वीरेन्द्र मलिक (डीआईएनः 10427762), जो निदेशक के पद से चक्रानुक्रम के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को एनटीपीसी लिमिटेड का नामिती निदेशक नियुक्त करना और इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो साधार संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "**संकल्प लिया जाना है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएन : 10427762), जो इस बैठक के दौरान चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं की पुनः नियुक्ति की पेशकश करते हैं, को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में निदेशक नियुक्त किया जाए।"

विशेष व्यवसाय:

5. **डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएनः 09423574) को कंपनी के गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "**संकल्प लिया जाना है** कि अधिनियम की अनुसूची" के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 62घ, 62ढ और अन्य लागू विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुन : अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और

अर्हता) नियम, 2014 के अनुसरण में, डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएन: 09423574), जिन्हें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, को एतद्द्वारा 17 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाए।

6. **श्री सरोज रंजन सिन्हा (डीआईएन: 01478184) को कंपनी में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

"संकल्प लिया जाना है कि अधिनियम की अनुसूची" के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 62घ, 62ढ और अन्य लागू विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के अनुसरण में, डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएन: 09423574), जिन्हें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 1 मई, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, को एतद्द्वारा 1 मई, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाए।

7. **श्री गौतम देब (डीआईएन:11077909) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

"संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 62घ और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री गौतम देब (डीआईएन: 11077909), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 19.05.2025 के आदेश संख्या 14–37/38/2023–एचआई (270463) के माध्यम से नियुक्त किया गया था, को कंपनी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

8. **श्री नरेन्द्र भूषण (डीआईएन : 02531065) को कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

"संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 62घ और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री नागेंद्र भूषण (डीआईएन: 02531065), जिन्हें 29 मई, 2025 के पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

9. **वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और और यदि उचित समझा जाए, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

"कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014, यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, निदेशक मंडल की 253वीं बैठक में यथाअनुमोदित, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नानुसार अभिपुष्टि करने का संकल्प लिया जाना है:

क्र.सं.	लेखापरीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित इकाई	शुल्क
01	मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, मुंबई	खुर्जा एसटीपीपी	रू 75,000/– और लागू कर
02	मेसर्स आर. के. पटेल एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, वड़ोदरा	अमेलिया कोयला खदान परियोजना	रू 40,000/– और लागू कर

उपरोक्त के अतिरिक्त मूल रसीद/वाउचर प्रस्तुत करने के अध्यधीन कंपनी के नियमानुसार यात्रा, आवास एवं भोजन व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

10. **वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और और यदि उचित समझा जाए, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

"कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014, यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए, निदेशक मंडल की 257वीं बैठक में यथाअनुमोदित, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नानुसार अभिपुष्टि करने का **संकल्प लिया जाना है:**

उपरोक्त के अलावा, यथालागू जीएसटी संदेय है तथा मूल रसीद/वाउचर की प्रस्तुति के अध्यधीन कंपनी के नियमों के अनुसार यात्रा, आवास

क्र.सं.	लेखापरीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित इकाई	शुल्क
01	मेसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, जयपुर	खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना – 1320 मेगावाट	रु 1,00,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
02	मेसर्स टाइप्सगो एंड कंपनी, गोरखपुर	टिहरी जल विद्युत परियोजना – 1000 मेगावाट	रु 90,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
03	मेसर्स के जी गोयल एंड कंपनी, जयपुर	टिहरी पंप भंडारण संयंत्र –1000 मेगावाट	रु 90,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
04	मेसर्स दीवानजी एंड कंपनी, वडोदरा	कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना – 400 मेगावाट	रु 75,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
05	मेसर्स पालीवाल एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	पाटन (50 मेगावाट) और द्वारका पवन ऊर्जा परियोजनाएँ(63 मेगावाट)	रु 70,000/– कर एवं परिवहन व्यय
06	मेसर्स संजीवन एंड कंपनी, झारखंड	अमेलिया कोयला खदान	रु 70,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
07	मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर	कुकवां लघु जल विद्युत परियोजना – 24 मेगावाट	रु 40,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
08	मेसर्स सोरन सेठी एंड कंपनी, लखनऊ	कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र – 50 मेगावाट	रु 40,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
09	मेसर्स के बी सक्सेना एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	सभी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन के लिए प्रमुख लागत लेखापरीक्षक	रु 1,00,000/– और कर एवं परिवहन व्यय

और भोजन व्ययों की प्रतिपूर्ति ईओआई के अनुसार की जाएगी।

11. उत्तराखंड राज्य के भीतर लेकिन मौजूदा शहर की स्थानीय सीमाओं के बाहर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन अनुमोदित करना, और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और और यदि उचित समझा जाए, एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाना है कि कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, और आवश्यक अनुमोदनों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को उसके वर्तमान पते भागीरथ भवन, टॉप टैरेस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, भारत 249001 से गंगा भवन प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश, देहरादून, ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत 249201, जो उसी राज्य के भीतर किंतु मौजूदा जिले की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, में प्रतिस्थापित करने के लिए सदस्यों की सहमति दी जाए।

इसके अतिरिक्त यह संकल्प लिया जाना है कि कंपनी के कंपनी सचिव को ऐसे उपाय, जो आवश्यक हों, करने और सामान्यतः ऐसे सभी कार्य, कृत्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाए, जो पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक, उचित, समीचीन या प्रासंगिक हों।"

12. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के विभाजन को अनुमोदित करना, और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और और यदि उचित समझा जाए, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 और 64 तथा अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों, और कंपनी के संगम–ज्ञापन के अनुच्छेद 12 के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को रु 4000 करोड़ से बढ़ाकर रु 6000 करोड़ करने के लिए एतद्द्वारा सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 और 64 तथा अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों, और कंपनी के संगम–ज्ञापन के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन, कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को रु 1000/– प्रति शेयर से रु 10/– प्रति शेयर तक उप–विभाजित करने के लिए सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए।

यह भी संकल्प लिया जाना है कि कंपनी के संगम–ज्ञापन के विद्यमान खंड V को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:

"V. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु 6,000 करोड़ (केवल छह हजार करोड़ रुपये) है, जो रु 10/– प्रत्येक के 6,000,000,000 (छह सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

यह भी संकल्प लिया जाना है कि कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के विभाजन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन, संगम–ज्ञापन के अनुच्छेद 12 और डीपीई के दिनांक 27 नवंबर 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/13(26)/98–वित्त.जी.II के अनुसार, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और यह संशोधन विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगा।

यह भी संकल्प लिया जाना है कि कंपनी सचिव को शेयरधारकों के अनुमोदन पर विद्युत मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करने और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I की तालिका 'क' के अनुसार एमओए दाखिल करने और इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, समीचीन या वांछनीय सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/कंपनी रजिस्ट्रार के पास सभी आवश्यक प्रपत्र और दस्तावेज दाखिल करने के लिए अधिकृत किया जाए।"

13. **निजी प्लेसमेंट के आधार पर रु 1500 करोड़ तक के कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गत करने की मंजूरी देना, जिन्हें उपयुक्त किश्तों में जारी किया जाएगा और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना, एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:**

"**संकल्प लिया जाना है** कि कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (1) और किसी भी अन्य लागू वैधानिक उपबंध (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल को निर्गम के समय, विचरण, निर्गम से हुए आय के उपयोग और उससे संबंधित या परिणामी अन्य सभी संबद्ध मामलों सहित ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और कंपनी के हित में हो, पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूत / अप्रतिभूत कॉर्पोरेट बांड जारी करने के माध्यम से रु 1500 करोड़ तक की धनराशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया जाना है कि बोर्ड को समय–समय पर, ऐसे बांडों के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य और चीजें, जो आवश्यक समझे जाए, जिनमें अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, निर्गम आकार, अवधि, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्रतिलाभ, सूचीकरण, आबंटन और बांड जारी करने के अन्य नियम और शर्तें, जो यह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक समझे, निर्धारित करना शामिल है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, करने या प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जाए।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के लिए और बोर्ड के आदेश द्वारा

ह0/–
रश्मि शर्मा
(कंपनी सचिव)

दिनांक: 27.09.2025
स्थान: नई दिल्ली

सेवा में:

- टीएचडीसीआईएल के सभी शेयरधारकगण
- टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखा परीक्षक – मेसर्स वीरेंद्र कालरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
- सचिवीय लेखा परीक्षक – मैसर्स अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
- डिबेंचर ट्रस्टी – विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विशेष व्यवसाय के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके साथ संलग्न है ।
2. सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 भी कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर उपलब्ध होगी।
3. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो। प्रभावी होने के लिए, विधिवत पूर्ण किए गए प्रॉक्सी फॉर्म को वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से कम–से–कम कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।
4. कंपनी की बैठक में या उसमें पेश किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान देने का हकदार प्रत्येक सदस्य, बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से चौबीस घंटे पहले और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कंपनी के कार्य–समय के दौरान किसी भी समय दर्ज किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते कंपनी को निरीक्षण करने के आशय के लिए कम से कम तीन दिन का लिखित नोटिस दिया गया हो।
5. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधियों को एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।
6. सभी स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही, डिपॉजिटरी अर्थात् सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दोनों को वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया गया था।
7. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
8. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए अपेक्षित निदेशकों के संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न हैं और इस नोटिस के अभिन्न अंग हैं।
9. 37वीं एजीएम के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए दिशा–निर्देश दर्शाने वाल मार्ग मानचित्र (रूट मैप) इसके साथ संलग्न है।



24 मेगावाट दुकवां एसएचईपी का एचआरसी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित विवरण में सूचना में दिए गए विशेष व्यवसायों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट किया गया है:

मद संख्या 5:

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएनः 09423574) को कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 17 अप्रैल 2025 के पत्र द्वारा, कंपनी के संगम–ज्ञापन के अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएनः 09423574) को 17 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

तत्पश्चात, बोर्ड ने परिपत्र संकल्प संख्या 69.1 के तहत 17 अप्रैल, 2025 से डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. की नियुक्ति का संज्ञान लिया।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरण दिए गए हैं, इस सूचना के साथ संलग्न है।

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. ने इस आशय की घोषणा की है कि वे कंपनी (नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 62ढ के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. को छोड़कर, कंपनी के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, वित्तीय या अन्यथा, इस प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माना जाए।

बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 6:

श्री सरोज रंजन सिन्हा (डीआईएनः 01478184) को कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 1 मई, 2025 के पत्र द्वारा, कंपनी के संगम–ज्ञापन के अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरोज रंजन सिन्हा (डीआईएनः 01478184) को 1 मई, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

तत्पश्चात, बोर्ड ने परिपत्र संकल्प संख्या 69.2 के तहत 1 मई, 2025 से श्री सरोज रंजन सिन्हा की नियुक्ति का संज्ञान लिया।

उनका संक्षिप्त विवरण, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरण दिए गए हैं, इस सूचना के साथ संलग्न है।

श्री सरोज रंजन सिन्हा ने इस आशय की घोषणा की है कि वे कंपनी (नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 62ढ के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

श्री सरोज रंजन सिन्हा को छोड़कर, कंपनी के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, वित्तीय या अन्यथा, इस प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माना जाए।

बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 7:

श्री गौतम देब (डीआईएनः 11077909) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने 23 अप्रैल 2025 के पत्र के माध्यम से, एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री गौतम देब (डीआईएनः 11077909) को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में नामित किया। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने अपने 19.05.2025 के पत्र के माध्यम से, कंपनी के संगम–ज्ञापन के अनुच्छेद 30 के अनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री गौतम देब (डीआईएनः 11077909) को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

तत्पश्चात, बोर्ड ने परिपत्र संकल्प संख्या 70.1 के माध्यम से 19 मई 2025 से श्री गौतम देब की नियुक्ति का संज्ञान लिया।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरण दिए गए हैं, इस सूचना के साथ संलग्न है।

श्री गौतम देब को छोड़कर, कंपनी के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, वित्तीय या अन्यथा, इस प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माना जाए।

बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 8:

श्री नरेंद्र भूषण (डीआईएनः 02531065) को कंपनी में उत्तर

प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 29 मई 2025 के माध्यम से सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने श्री नरेंद्र भूषण, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नामित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

इसके बाद, बोर्ड ने परिपत्र संकल्प संख्या 72.1 के माध्यम से 09.07.2025 से श्री नरेंद्र भूषण की नियुक्ति का संज्ञान लिया।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विशिष्ट कार्य क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरण दिए गए हैं, इस सूचना के साथ संलग्न है।

श्री नरेंद्र भूषण को छोड़कर, कंपनी के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, वित्तीय या अन्यथा, इस प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माना जाए।

बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 9:

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों (कोस्ट ऑडिटर्स) के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के लिए अपने लागत अभिलेखों का प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा कराना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, टीएचडीसी ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना (एसटीपीपी) और अमेलिया कोयला खदान परियोजना की पहली इकाई का संचालन शुरू किया, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखापरीक्षा आवश्यक है।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने 19.05.2025 को आयोजित अपनी 253वीं बैठक में, खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान परियोजना की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारिश्रमिक के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे:

क्र.सं.	लेखापरीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित इकाई	शुल्क
01	मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, मुंबई	खुर्जा एसटीपीपी	रु 75,000/– और लागू कर
02	मेसर्स आर. के. पटेल एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, वडोदरा	अमेलिया कोयला खदान परियोजना	रु 40,000/– और लागू कर

कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। इसलिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुमोदन हेतु सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु इस साधारण संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 10:

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लागत लेखा परीक्षकों (कोस्ट ऑडिटर्स) के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को अपने लागत अभिलेखों का प्रतिवर्ष लेखापरीक्षण करवाना अनिवार्य है। 27 सितंबर, 2025 को होने वाली अपनी 257वीं बैठक में, बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर विचार करेगा और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित पारिश्रमिक पर स्वीकृति देगा:

क्र.	लेखापरीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित इकाई	शुल्क
01	मेसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, जयपुर	खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना–1320 मेगावाट	रु 1,00,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
02	मेसर्स टाइप्सगो एंड कंपनी, गोरखपुर	टिहरी जल विद्युत परियोजना – 1000 मेगावाट	रु 90,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
03	मेसर्स के जी गोयल एंड कंपनी, जयपुर	टिहरी पंप भंडारण संयंत्र–1000 मेगावाट	रु 90,000/– और कर एवं परिवहन व्यय

04	मेसर्स दीवानजी एंड कंपनी, वडोदरा	कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना – 400 मेगावाट	रु 75,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
05	मेसर्स पालीवाल एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	पाटन (50 मेगावाट) और द्वारका (63 मेगावाट) पवन ऊर्जा परियोजनाएँ	रु 70,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
06	मेसर्स संजीबन एंड कंपनी, झारखंड	अमेलिया कोयला खदान	रु 70,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
07	मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर	ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना – 24 मेगावाट	रु 40,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
08	मेसर्स सोरन सेठी एंड कंपनी, लखनऊ	कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र–50 मेगावाट	रु 40,000/– और कर एवं परिवहन व्यय
09	मेसर्स के. बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	सभी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन के लिए प्रमुख लागत लेखापरीक्षक	रु 1,00,000/– और कर एवं परिवहन व्यय

कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 अनुसार कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की अभिपुष्टि किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की अभिपुष्टि के लिए सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु इस साधारण संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या. 11:

उत्तराखंड राज्य के भीतर लेकिन मौजूदा शहर की स्थानीय सीमाओं के बाहर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन को मंजूरी देना।

टीएचडीसीआईएल का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में भागीरथ भवन, टॉप टैरेस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड – 249001 में स्थित है। यह स्थान निगमन के समय इसलिए चुना गया था क्योंकि कंपनी की स्थापना मूल रूप से टिहरी जल विद्युत परिसर के विकास के लिए की गई थी और टिहरी गढ़वाल परियोजना स्थल के निकट था।

पिछले कुछ वर्षों में, टीएचडीसीआईएल एक बहु–परियोजना संगठन के रूप में विकसित हुआ है, जिसके पास कई राज्यों में जलविद्युत, सौर, पवन और ताप विद्युत क्षेत्रों में प्रचालनात्मक और उत्पादन परिसंपत्तियाँ हैं।

जैसे–जैसे कंपनी का विस्तार हुआ, इसके प्रचालन और प्रबंधन कार्य धीरे–धीरे ऋषिकेश स्थित इसके कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित हो गए। टीएचडीसीआईएल का कॉर्पोरेट कार्यालय गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड – 249201 में स्थित है, जो पूर्णकालिक निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कार्यात्मक आधार के रूप में कार्य करता है। इस स्थान से नई दिल्ली के साथ बेहतर संपर्क होता है, जिससे विद्युत मंत्रालय (एमओपी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), दीपम और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) सहित विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय की सुविधा मिलती है।

इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 19 मई, 2025 को आयोजित अपनी 253वीं बैठक में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय को टिहरी गढ़वाल से उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रतिस्थापित करने को मंजूरी दी:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड – 249201

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) के अनुसार, किसी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, उस शहर, कस्बे या गाँव की स्थानीय सीमा, जहां वह अवस्थित है, के बाहर, सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प के प्राधिकार के बिना, परिवर्तित नहीं किया जाएगा। चूँकि ऋषिकेश में प्रस्तावित नया पंजीकृत कार्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थानीय सीमा से बाहर है, लेकिन उसी कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है।

तदनुसार, सदस्यों से एक विशेष संकल्प पारित करके टीएचडीसीआईएल के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से ऋषिकेश, उत्तराखंड में परिवर्तित करने का अनुमोदित करने का अनुरोध किया गया है।

किसी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु इस साधारण संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 12:

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के विभाजन को मंजूरी देना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकता का 30% इक्विटी घटक है, जिसका वित्तपोषण मुख्यतः प्रचालनात्मक परियोजनाओं से आंतरिक स्रोतों से

प्राप्त निधियों से होता है। वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26 के लिए, कंपनी को रु 2,886.29 करोड़ की आवश्यकता है और रु 1,821.49 करोड़ की कमी है।

इस इक्विटी आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए, निदेशक मंडल ने 26 दिसंबर, 2024 को आयोजित अपनी 250वीं बोर्ड बैठक में, अपने मौजूदा शेयरधारकों, अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार से, उनकी शेयरधारिता के अनुपात में, रु 1,000 करोड़ की नई इक्विटी निवेश को मंजूरी दी।

वर्तमान में, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु 4,000 करोड़ है, जिसमें से रु 3,665.88 शेयरधारकों द्वारा संदत्त है। चूँकि अधिकृत शेयर पूंजी का पूर्ण उपयोग हो चुका है, इसलिए टीएचडीसीआईएल को रु 1,000 करोड़ की इक्विटी निवेश हेतु अपनी अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ानी होगी।

तदनुसार, 8 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी 249वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने संगम–ज्ञापन और अंतर्नियमों में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें अधिकृत शेयर पूंजी को रु 4,000 करोड़ से बढ़ाकर रु 6,000 करोड़ करना शामिल है।

अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि से कंपनी पर कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क देयता नहीं आएगी, क्योंकि अधिकतम लागू शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

तत्पश्चात, विद्युत मंत्रालय ने 5 दिसंबर, 2024 के एक पत्र के माध्यम से टीएचडीसीआईएल को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कंपनी के इक्विटी शेयरों का वर्तमान अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर है। हालाँकि, इतना अधिक अंकित मूल्य आईपीओ के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह खुदरा निवेशकों की पहुँच को सीमित करता है। इससे द्वितीयक बाजार में तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सक्रिय व्यापार में बाधा आ सकती है, जिससे शेयर कम अंकित मूल्य वाली अन्य कंपनियों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 26.12.2025 को आयोजित अपनी 250वीं बैठक में कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को रु1,000 से घटाकर रु 10 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस परिवर्तन का कंपनी या शेयरधारकों की इक्विटी के समग्र मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1) और टीएचडीसीआईएल के संगम–ज्ञापन के अनुच्छेद 17 के अनुसार, कंपनी को किसी आम बैठक में एक साधारण संकल्प के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन अपने शेयरों का उप–विभाजन करने और अपनी अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, संस्थापन के अनुच्छेद 12 के अनुसार, अधिकृत शेयर पूंजी में किसी भी वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक है।

तदनुसार, निम्नलिखित के लिए साधारण संकल्प के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन अपेक्षित है:

1. अधिकृत शेयर पूंजी को रु 4,000 करोड़ से बढ़ाकर रु 6,000 करोड़ करना; और
2. इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को रु 1,000/– प्रत्येक पूर्ण संदत्त शेयर से विभाजित करके रु 10/– प्रत्येक पूर्ण संदत्त शेयर करना।

शेयरधारकों के अनुमोदन पर, डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अनुसार दिनांक 27 नवंबर, 1998 के सं. डीपीई/13(26)/98–वित्त.जी.।। के अनुसार, तथा कंपनी के संगम–ज्ञापन के अनुच्छेद 12 के अनुसार, कंपनी अधिकृत शेयर पूंजी को रु 4,000 करोड़ से बढ़ाकर रु 6,000 करोड़ करने, इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को रु 1,000/– प्रति शेयर से विभाजित करके रु 10/– करने तथा इसके फलस्वरूप कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय को सहमति हेतु समझौता ज्ञापन के खंड V (शेयर पूंजी) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। यह संशोधन विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगा।

अनुमोदन के पश्चात, संगम–ज्ञापन के विद्यमान खंड V को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"V. कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी रु 6,000 करोड़ (केवल छह हज़ार करोड़ रुपये) है, जो रु 10/– प्रति शेयर मूल्य के 6,000,000,000 (छह सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि समझौता ज्ञापन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I की तालिका 'क' के अनुसार दाखिल किया जाएगा। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में मौजूदा खंड ख (सहायक/आकस्मिक उद्देश्य) और खंड ग (अन्य उद्देश्य) को नए खंड ख – 'खंड क में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मामले' में विलय करना शामिल होगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी के मौजूदा उद्देश्यों के सार, दायरे या उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सभी मौजूदा उद्देश्यों को पूर्ण रूप से बरकरार रखा जा रहा है, प्रस्तावित परिवर्तन विशुद्ध रूप से संरचनात्मक हैं ताकि समझौता ज्ञापन प्रारूप को कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने की वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु इस साधारण संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 13:

निजी प्लेसमेंट के आधार पर रु 1500 करोड़ के कॉर्पोरेट बांड्स को उपयुक्त किश्तों में निर्गत करने के लिए अनुमोदन:

कंपनी के निदेशक मंडल ने 25 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी 256वीं बैठक में उपयुक्त अंशों में दस से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय बांड जारी करके रु 1500 करोड़ तक की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

एक एकीकृत व्यापार की योजना के रूप में, टीएचडीसीआईएल इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल/कंपनी) द्वारा हाइड्रो, थर्मल और नवीकरणीय क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के लिए सभी अवसरों की खोज

की गई है। कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं प्रचालनाधीन, निर्माणाधीन और जांचाधीन हैं। वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार है:

1. **प्रचालनात्मक परियोजनाएं –**

कंपनी की इस प्रकार की छह प्रचालनात्मक परियोजनाएं – टिहरी चरण–I 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट, दुकवां एसएचईपी 24 मेगावाट, पवन परियोजनाएं – पाटन 50 मेगावाट, द्वारका 63 मेगावाट और कासरगोड सौर परियोजना 50 मेगावाट हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान और भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खुर्जा एसटीपीपी की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई, अमेलिया कोयला खदान के साथ, सफलतापूर्वक चालू हो गई है। खुर्जा एसटीपीपी (660 मेगावाट) की दूसरी इकाई सितंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, टिहरी पीएसपी की दो इकाइयाँ क्रमशः 07.06.2025 और 10.07.2025 को चालू हो गईं और टिहरी पीएसपी की तीसरी और चौथी इकाई नवंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है।

प्रचालनात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न नकदी का सामरिक रूप से मौजूदा ऋण दायित्वों को चुकाने और चल रही निर्माण परियोजनाओं के लिए इक्विटी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी ने विभिन्न बैंकों से ओवरड्राफ्ट (ओडी) / कैश क्रेडिट (सीसी) सीमाएँ और ऋण प्राप्त किए हैं।

2. **निर्माण परियोजनाएं –**

कंपनी के पास मुख्य रूप से तीन परियोजनाएं – टिहरी पीएसपी (तीसरी और चौथी इकाई x 250 मेगावाट प्रत्येक), वीपीएचई परियोजना (444 मेगावाट) और खुर्जा एसटीपीपी (दूसरी इकाई x 660 मेगावाट) – निर्माणाधीन हैं।

i) **टिहरी पीएसपी**

टिहरी पीएसपी (4 x 250 मेगावाट) के पूरा होने की अनुमानित लागत रु 8,339.26 करोड़ (फरवरी 2025 के पी.एल. पर आरसीई–III, अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में) है, जिसका वित्तपोषण 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में किया जाएगा। 31.07.2025 तक, परियोजना पर कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) रु 8,034.05 करोड़ है।

ऋण भाग के लिए, ये निधियां श्रृंखला II से XII के बॉन्ड निर्गम से प्राप्त कुल रु 5,243.00 करोड़ से व्यवस्थित की गई है। इसके अतिरिक्त, पीएनबी और केनरा बैंक से स्वीकृत रु 1500 करोड़ के सावधि ऋण में से, टिहरी पीएसपी के लिए 31.07.2025 तक रु 620.00 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

31.07.2025 तक टिहरी पीएसपी के लिए कुल ऋण व्यवस्था रु 5863.00 करोड़ है।

इक्विटी घटक के लिए, कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब एनटीपीसी लिमिटेड) से रु 372.95 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार से रु 124.32 करोड़ का इक्विटी अंशदान प्राप्त हुआ। शेष इक्विटी का वित्तपोषण आंतरिक स्रोतों से किया जा रहा है।

ii) **वीपीएचईपी परियोजना–**

वीपीएचईपी (444 मेगावाट) की अनुमानित पूर्णता लागत रु 6,823.72 करोड़ है (आरसीई–II, फरवरी 2025, सीईए को प्रस्तुत) जिसका वित्तपोषण 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में किया जाएगा। 31.07.2025 तक, परियोजना पर कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) रु 4,994.28 करोड़ रुपये हो चुका है।

ऋण भाग के लिए, 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। डॉलर विनिमय दर में वृद्धि के कारण, टीएचडीसीआईएल ने 2019–20 के दौरान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2021–22 के दौरान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समर्पण किया, जिसे विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया। 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शुद्ध स्वीकृति के सापेक्ष, विश्व बैंक से लिया गया कुल ऋण 419.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसका पुनर्भुगतान 69.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर किया जा चुका है और 31.07.2025 तक शुद्ध बकाया 350.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अतिरिक्त, बांडों और बैंकों से स्वीकृत ऋणों के माध्यम से प्राप्त निधियों के सापेक्ष, उपरोक्त परियोजना के लिए क्रमशः रु 100 करोड़ और रु 395 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया है।

इक्विटी घटक के लिए, कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड) से रु 188.00 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार से रु 71.36 करोड़ का इक्विटी योगदान प्राप्त हुआ था। शेष इक्विटी का वित्तपोषण नई इक्विटी / आंतरिक उपार्जन के माध्यम से किया जा रहा है।

iii) **खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान–**

खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) और अमेलिया कोयला खदान की 1320 मेगावाट की निवेश स्वीकृति दिसंबर 2017 के स्तर पर रु 12,676.58 करोड़ के व्यय के लिए 2019 के दौरान दी गई थी, जिसमें खुर्जा एसटीपीपी के कार्यान्वयन के लिए रु 11,089.42 करोड़ और अमेलिया कोयला खदान के विकास के लिए रु 1,587.16 करोड़ शामिल हैं। खुर्जा एसटीपीपी की संशोधित पूर्णता लागत जून 2024 के स्तर पर रु 13,276.16 करोड़ है। 31.07.2025 तक खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) क्रमशः रु 12,669.09 करोड़ और रु 1,597.46 करोड़ है।

टीएचडीसीआईएल ने रु 2,500 करोड़ प्रत्येक के दो सावधि ऋण लिए थे, जिनकी कुल राशि रु 5000 करोड़ थी। कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लिया गया है। इन ऋणों से प्राप्त निधियों का उपयोग उपरोक्त परियोजना के लिए किया गया है। 30.06.2025 तक इन ऋणों का बकाया क्रमशः रु 2062.50 करोड़ और रु 2468.75 करोड़, कुल मिलाकर रु 4531.25 करोड़ है।

उपरोक्त के अलावा, अन्य बैंकों द्वारा स्वीकृत रु 1500 करोड़ के

दीर्घकालिक ऋण में से 31.07.2025 तक रु 430.00 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न बॉन्ड श्रृंखलाओं से प्राप्त धनराशि में से क्रमशः रु 3785 करोड़ और रु 704 करोड़ की राशि खुर्जा परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए भी उपयोग की गई है।

खुर्जा और अमेलिया कोयला खदान के इक्विटी हिस्से का वित्तपोषण आंतरिक स्रोतों से किया जा रहा है।

3. बॉन्ड उधारियां–

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 से 2025–26 के दौरान कुल रु 10442.00 करोड़ की श्रृंखला I से XIII निर्गत की है। बांड श्रृंखला का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

बांड श्रृंखला	ब्याज दर	बांड का आकार	बांड निर्गम की तारीख	बांड चुकौती की तारीख
I	7.59%	600.00	03.10.2016	03.10.2026
II	8.75%	1500.00	06.09.2019	06.09.2029
III	7.19%	800.00	24.07.2020	24.07.2030
IV	7.45%	750.00	20.01.2021	20.01.2031
V	7.39%	1200.00	25.08.2021	25.08.2031
VI	7.60%	800.00	14.09.2022	14.09.2032
VII	7.88%	600.00	27.12.2022	27.12.2032
VIII	7.76%	763.00	13.09.2023	13.09.2033
IX	7.93%	779.00	16.01.2024	16.01.2034
X	7.76%	750.00	29.05.2024	29.05.2034
XI	7.72%	600.00	03.09.2024	03.09.2034
XII	7.73%	700.00	18.02.2025	18.02.2035
XIII	7.45%	600.00	22.07.2025	22.07.2035
	कुल	**10442.00**		

4. कैपेक्स आवश्यकता:

बजट अनुमान 2025–26 के अनुसार पूंजीगत व्यय की अनुमानित राशि रु 3363.66 (सहायक कंपनियों के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय को छोड़कर) है। संशोधित बजट अनुमान 2025–26 और बजट अनुमान 2026–27 को अंतिम रूप देने और अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि, अनुमानित संशोधित बजट अनुमान 2024–25 और बजट अनुमान 2025–26 अनुमानित रूप से क्रमशः रु 4210.26 करोड़ और रु 2205.05 करोड़ (सहायक कंपनियों के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय को छोड़कर) है। अतः, वित्त वर्ष 2026–24 तक निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत व्यय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऋण घटक लगभग रु 4400 करोड़ होगा।

प्रस्ताव

ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और जारी एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं, आज की तारीख तक ऋण का लाभ एवं भावी योजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दस से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए, उपयुक्त अंशों में प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके रु 1500 करोड़ तक की राशि जुटाने का प्रस्ताव है। बांड की प्रकृति अर्थात् प्रतिभूत/अप्रतिभूत का निर्णय जारी करने के समय प्रतिभूति की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अनंतिम निबंधन पत्र अनुलग्नक निम्नानुसार है:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावित बांड के लिए अनंतिम निबंधन पत्र

निर्गमकर्ता	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
लिखत का प्रकार	डिबेंचरों की प्रकृति में प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गैर–संचयी, कर योग्य बांड।
लिखत की प्रकृति	प्रतिभूत/अप्रतिभूत
जारी करने का तरीका	निजी प्लेसमेंट

सूचीकरण (स्टॉक एक्सचेंजों जहां इसे सूचीबद्ध किया जाएगा के नाम सहित सूचीकरण के लिए समय सीमा)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) लिमिटेड के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) खंड पर प्रस्तावित।
निर्गम का आकार	उपयुक्त किश्तों में रु 1500 करोड़ तक
ओवरसब्सक्रिप्शन प्रतिधारित करने के विकल्प (राशि)	हाँ, ग्रीन शू विकल्प के साथ
निर्गम के उद्देश्य	पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करना।
पुट कॉल ऑप्शन	आवश्यकता के आधार पर
कूपन दर	निर्धारित की जानी है
कूपन भुगतान आवृत्ति	वार्षिक
कूपन भुगतान तिथियां	आवंटन तिथि की वर्षगांठ की तिथि
कूपन प्रकार	नियत
कूपन रीसेट प्रक्रिया (दरों, स्प्रेड, प्रभावी तिथि, ब्याज दर कैप और फ्लोर आदि सहित)	कोई नहीं
दिन गणना आधार	वास्तविक / वास्तविक
निर्गम राशि	रु 1,00,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर
अवधि	10 से 15 वर्ष
प्रतिदान राशि	रु 1 लाख प्रत्येक के सममूल्य पर
प्रतिदान किस्त/छूट	शून्य
लिखत जारी करने का तरीका	डी मेट
लिखत की ट्रेडिंग का तरीका	डी मेट

*उपरोक्त निबंधन समय–समय पर जारी किए जाने वाले सेबी विनियमनों के अध्यधीन हैं।

बांडों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग जारी और निर्माणाधीन परियोजनाओं की निधि आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करना शामिल है।

कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन, विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से लेकर उसके एक वर्ष पूरे होने तक या वित्त वर्ष 2025–26 की अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक, जो भी पहले हो, उपयुक्त किस्तों में 10 से 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय बांड जारी करके 1500 करोड़ रुपये तक की निधियां जुटाने के लिए किया जा रहा है। यह अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी।

निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, इस प्रस्ताव से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प की अनुशंसा करता है।

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

विवरण	श्री वीरेंद्र मलिक	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	श्री सरोज रंजन सिन्हा
आयु	57 वर्ष	68 वर्ष	52 वर्ष
जन्म तिथि	25.09.1967	24.11.1956	01.11.1973
नियुक्ति की तारीख	31.07.2024	17.04.2025	01.05.2025
योग्यता	विधि स्नातक और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर से कृषि विज्ञान में पीएचडी।	आईईसी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश से स्नातक।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री वीरेंद्र मलिक को वित्तीय प्रबंधन, सिस्टम विकास, ईआरपी कार्यान्वयन, कराधान, परियोजना वित्तपोषण और वाणिज्यिक प्रचालन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। आपने पेरिस स्थित ईएससीपी बिजनेस स्कूल से उन्नत प्रबंधन और नेतृत्व प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, आपने एनटीपीसी के विंध्याचल स्थित साझा सेवा केंद्र में वित्त विभाग का नेतृत्व किया था।	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. को आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप केरल कृषि विश्वविद्यालय से क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के एसोसिएट निदेशक और प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने विश्वविद्यालय में अनुसंधान नारियल मिशन के एसोसिएट निदेशक और पादप प्रजनन विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान अनुकरणीय है।	श्री सरोज रंजन सिन्हा इससे पहले 8 नवंबर, 2021 से 7 नवंबर, 2024 तक एसजेवीएन लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थे। आप एक सुप्रसिद्ध जन–कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने किसान कल्याण, कृषि विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण में सक्रिय नागीदारी के साथ, लोक एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक की सराहनीय सेवा की है। आप आईसीएआर (पूर्वी क्षेत्र, पटना) के शासी निकाय के सदस्य और बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के सदस्य जैसे प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे हैं। 2017 में, कृषि विकास में आपके योगदान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद	1. एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड 2. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 3. एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड 4. एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड 5. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		उन्नति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
सभी सार्वजनिक कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	लेखा परीक्षा समिति: 1. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड 2. एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड 3. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हितधारक संबंध समिति: 1. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड 2. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखा परीक्षा समिति: 1. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड हितधारक संबंध समिति: शून्य	लेखा परीक्षा समिति: 1. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड हितधारक संबंध समिति: 1. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
31.03.2025 तक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में धारित शेयरों की संख्या।	01	–	–
अन्य निदेशकों के साथ संबंध	श्री वीरेंद्र मलिक और श्री गौतम देब टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में कार्य करते हैं।	निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।	निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।
आयोजित बोर्ड बैठक में उपस्थिति – वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान – वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान (31.08.2025 तक)	वित्त वर्ष 2024–25: आयोजित बैठकों की संख्या: 7 जिनमें भाग लिया: 7 वित्त वर्ष 2025–26 आयोजित बैठकों की संख्या: 4 जिनमें भाग लिया: 4	वित्त वर्ष 2024–25: लागू नहीं वित्त वर्ष 2025–26: आयोजित बैठकों की संख्या: 4 जिनमें भाग लिया: 4	वित्त वर्ष 2024–25: लागू नहीं वित्त वर्ष 2025–26: आयोजित बैठकों की संख्या: 4 जिनमें भाग लिया: 4

विवरण	श्री नरेंद्र भूषण	श्री गौतम देब
आयु	56 वर्ष	59 वर्ष
जन्म तिथि	12.03.1969	05.12.1965
अपॉइंटमेंट की तिथि	09.07.2025	19.05.2025
योग्यता	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.ई.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक; आईआईटी खड़गपुर से औद्योगिक प्रबंधन में एम.टेक; एनडीआई गुड़गांव से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री नरेंद्र भूषण , आईएएस (1992 बैच, उत्तर प्रदेश कैडर), ने कई प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अपर प्रबंध निदेशक और जीएनआईडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। आपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों में प्रमुख सचिव के पद पर कार्य किया है। आपने सतत ऊर्जा विकास और ग्रामीण उन्नति में प्रमुख पहलों का भी नेतृत्व किया है, जो प्रभावी शासन और लोक सेवा में नवाचार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।	श्री गौतम देब के पास विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, जिसमें तापीय, जल विद्युत परियोजनाओं के परियोजना निष्पादन एवं प्रबंधन तथा तापीय परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) में विशेषज्ञता है। आप वर्तमान में जलविद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पंप भंडारण पहलों, 15 गीगावाट से अधिक की परियोजनाओं और 60 गीगावाट से अधिक की फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन परियोजनाओं का कार्य संभालते हैं। आपने तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में परियोजना प्रमुख और एचयूआरएल बरौनी में व्यवसाय इकाई के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। आपने एनटीपीसी फरक्का, कहलगांव , दादरी, ऊंचाहार और पतरातू सहित कई थर्मल परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद	–	1. मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड 2. यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 3. एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 4. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सभी सार्वजनिक कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	लेखा परीक्षा समिति: शून्य हितधारक संबंध समिति: शून्य	–
31.03.2025 तक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में धारित शेयरों की संख्या।	02	–
अन्य निदेशकों के साथ संबंध	निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।	श्री वीरेंद्र मलिक और श्री गौतम देब टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में कार्य करते हैं।
आयोजित बोर्ड बैठक में उपस्थिति – वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान – वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान (31.08.2025 तक)	वित्त वर्ष 2024–25: लागू नहीं वित्त वर्ष 2025–26: आयोजित बैठकों की संख्या: 3 जिनमें भाग लिया: 2	वित्त वर्ष 2024–25: लागू नहीं वित्त वर्ष 2025–26: आयोजित बैठकों की संख्या: 3 जिनमें भाग लिया: 2

*सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 62ण के अनुरूप, केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता है।

प्रॉक्सी फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य का नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ई-मेल :		
फोलियो नम्बर / क्लाइंट आईडी	:	
डीपीआईडी	:	

मैं / हम ..... टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का / के सदस्य होने के नाते, जिसमें मेरी / हमारी शेयरधारिता ..... है,

(1) नाम ..... ई-मेल आईडी .....
हस्ताक्षर ..... या उनके न हो सकने पर

(2) नाम ..... ई-मेल आईडी .....
हस्ताक्षर ..... या उनके न हो सकने पर

(3) नाम ..... ई-मेल आईडी .....
हस्ताक्षर .....

को 27 सितम्बर, 2025 को आयोजित की जाने वाली कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक और इसके किसी स्थगन के संबंध में नीचे उल्लिखित निम्नलिखित संकल्पों में भाग लेने और मतदान करने के लिए एतद्द्वारा अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।
3. वित्त वर्ष 2024-25 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना।
4. श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएन: 10427762) को एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जो निदेशक के रूप में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं।

विशेष व्यवसाय

5. डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएन: 09423574) को कंपनी में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
6. श्री सरोज रंजन सिन्हा (डीआईएन: 01478184) को कंपनी में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
7. श्री गौतम देब (डीआईएन: 11077909) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
8. श्री नरेंद्र भूषण (डीआईएन: 02531065) को कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
9. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना।
10. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना।
11. उत्तराखंड राज्य के भीतर लेकिन मौजूदा शहर की स्थानीय सीमाओं के बाहर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन को मंजूरी देना।
12. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के विभाजन को मंजूरी देना।
13. निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1500 करोड़ रुपये तक के कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने को मंजूरी देना।

मैंने दिनांक ..... 2025 को इस पर हस्ताक्षर किए।

रु1 का राजस्व टिकट चस्पा करें

हितधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, इसे बैठक के आरम्भ होने से पहले कम-से-कम 48 घंटे पूर्व विधिवत भरा जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कोई व्यक्ति अधिकतम पचास (50) से अधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का कुल मिलाकर 10% से अधिक हिस्सा नहीं रखते हों। कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक हिस्सा रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

टीएचडीसीआईएल की 37वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल का रूट मैप

37, शहीद भगत सिंह मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001





1000 मेगावाट की टिहरी पीएसपी की टेल रेस सुरंग



1000 मेगावाट टिहरी एचपीपी का ऊर्जा द्वार

हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति



उत्तराखंड 1

- टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट
- कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट
- टिहरी पीएसपी 1000 मेगावाट
- विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी 444 मेगावाट
- मोरी हनोल एचईपी 54 मेगावाट

उत्तर प्रदेश 2

- ढुकवां एसएचपी 24 मेगावाट
- खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट
- 11 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर संयंत्र
- संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों का विकास

राजस्थान 3

संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 10000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्कों का विकास

मध्य प्रदेश 4

अमेलिया कोयला खदान, सिंगरौली

गुजरात 5

- पाटन पवन ऊर्जा परियोजना 50 मेगावाट
- देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना 63 मेगावाट

छत्तीसगढ़ 6

- डंगारी पीएसपी 1400 मेगावाट

महाराष्ट्र 7

- मालशेज घाट पीएसपी (700 मेगावाट),
- मोरावाडी माजारेवाडी पीएसपी (690 मेगावाट),
- अरुणा कोलंब पीएसपी (1200 मेगावाट),
- अरुणा पीएसपी (1950 मेगावाट),
- हुंबर्ली बिरमानी पीएसपी (1000 मेगावाट)

अरुणाचल प्रदेश 8

- कलई–II एचईपी 1200 मेगावाट

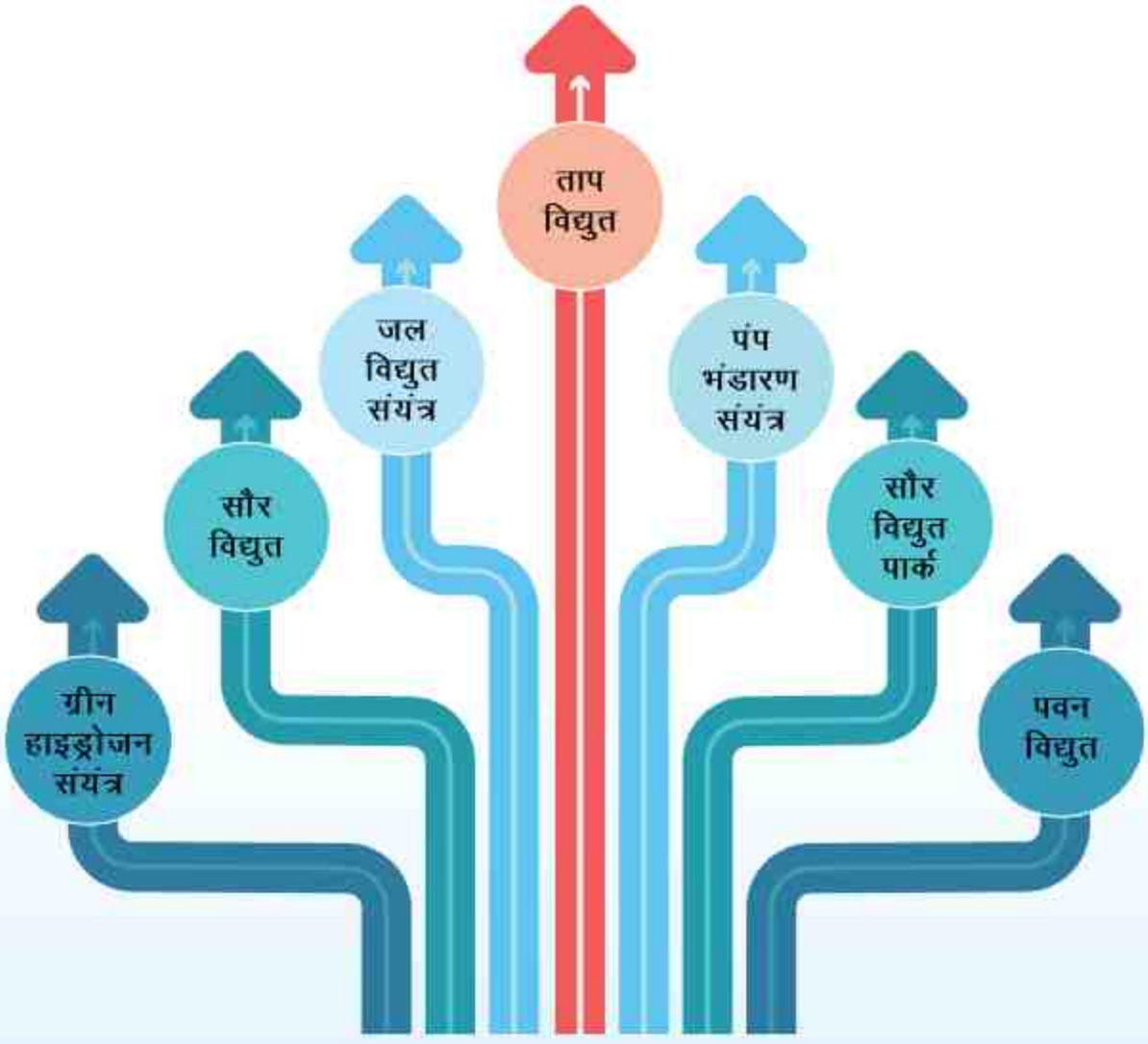
कर्नाटक 9

- केपीसीएल संयंत्रों के परिसर में 101.1 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी संयंत्र

केरल 10

- 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगोड

विद्युत उत्पादन में विविधीकरण



विद्युत उत्पादन में विविधीकरण

नवीकरणीय ऊर्जा की हमारी हिस्सेदारी बढ़ाने की अकांक्षा के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और किफायती विद्युत द्वारा संचालित ऊर्जा विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। टीएचडीसीआईएल देश के कुछेक ऐसे पीएसयू में से एक है, जिनके परियोजना पोर्टफोलियो में हाइड्रो, पम्प स्टोरेज संयंत्र, ताप, सौर, पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं।

टीएचडीसीआईएल, सभी सस्ती कीमतों पर 24X7 बिजली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। पिछले कुछ वर्षों में, टीएचडीसीआईएल ने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा को लगातार बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। टीएचडीसीआईएल क्रमशः संयुक्त उद्यम कंपनियों टुस्को और ट्रेडको के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट यूएमआरईपीपी और राजस्थान में 10,000 मेगावाट यूएमआरईपीपी विकसित कर रहा है। टीएचडीसीआईएल ने यूजेवीएन के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी टीएचडीसीआईएल– यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड का भी निगमन किया है, जिसके तहत उत्तराखंड राज्य में मोरी हनोल एचईपी (54 मेगावाट) की डीपीआर तैयार की जा रही है। उपरोक्त के अलावा टीएचडीसीआईएल ने ऋषिकेश में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की है।

टीएचडीसीआईएल ने 1200 मेगावाट कलई– I। जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 30.12.2023 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। टीएचडीसीआईएल ने निम्नलिखित के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

- कुल 6790 मेगावाट क्षमता के 6 पीएसपी के लिए 03.09.2024 को जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन।
- महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया, हाइब्रिड/फ्लोटिंग सोलर, सोलर, विंड, बीईएसएस और पीएसपी सहित नवीकरणीय परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 26.09.2024 को महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन।
- 1600 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 2 पीएसपी स्थापित करने के लिए 30.09.2024 को राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन।
- संयुक्त उद्यम मोड में डांगरी, जशपुर में 1400 मेगावाट क्षमता का पीएसपी स्थापित करने के लिए 10.03.2025 को छत्तीसगढ़ सरकार और सीएसपीजीसीएल के बीच समझौता–ज्ञापन।

टीएचडीसीआईएल कर्नाटक में केपीसीएल संयंत्रों के परिसर में 100.1 मेगावाट क्षमता का ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी संयंत्र भी विकसित कर रहा है।

टीएचडीसीआईएल – विविध परियोजना पोर्टफोलियो	
जल विद्युत संयंत्र	टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट और दुकवां एसएचपी 24 मेगावाट प्रचालनात्मक जल विद्युत परियोजनाएं हैं।
	विष्णुगाड पीपलकोटी (444 मेगावाट) के वित्त–वर्ष 2026–27 में चालू होने की उम्मीद है।
पंप स्टोरेज संयंत्र	टिहरी विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) की यूनिट–1 और यूनिट–2 क्रमशः 7 जून 2025 और 10 जुलाई 2025 से चालू हो जाएंगी। शेष दो इकाइयों के वित्त वर्ष 2025–26 में चालू होने की उम्मीद है।
पवन ऊर्जा	63 मेगावाट द्वारका और 50 मेगावाट पाटन प्रचालनात्मक पवन ऊर्जा संयंत्र हैं।
सौर ऊर्जा पार्कों का विकास	संयुक्त उद्यम कंपनी टुस्को लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में तीन सौर ऊर्जा पार्कों (2000 मेगावाट) का विकास किया जा रहा है।
	संयुक्त उद्यम कंपनी ट्रेडको लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी का विकास किया जा रहा है।
ताप विद्युत	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) की पहली इकाई 26 जनवरी 2025 से क्रियाशील है और दूसरी इकाई के वित्त वर्ष 2025–26 में चालू होने की उम्मीद है।
सौर ऊर्जा	50 मेगावाट कासरगोड सौर संयंत्र, प्रचालनात्मक सौर परियोजना है।
फ्लोटिंग सोलर संयंत्र	खुर्जा एसटीपीपी के प्राकृतिक जल के जलाशय पर 11 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी (एफएसपीवी) संयंत्र अगस्त 2025 में कमीशन हो गया है।

मुख्य वित्तीय जानकारी

(राशि रु करोड़ में)

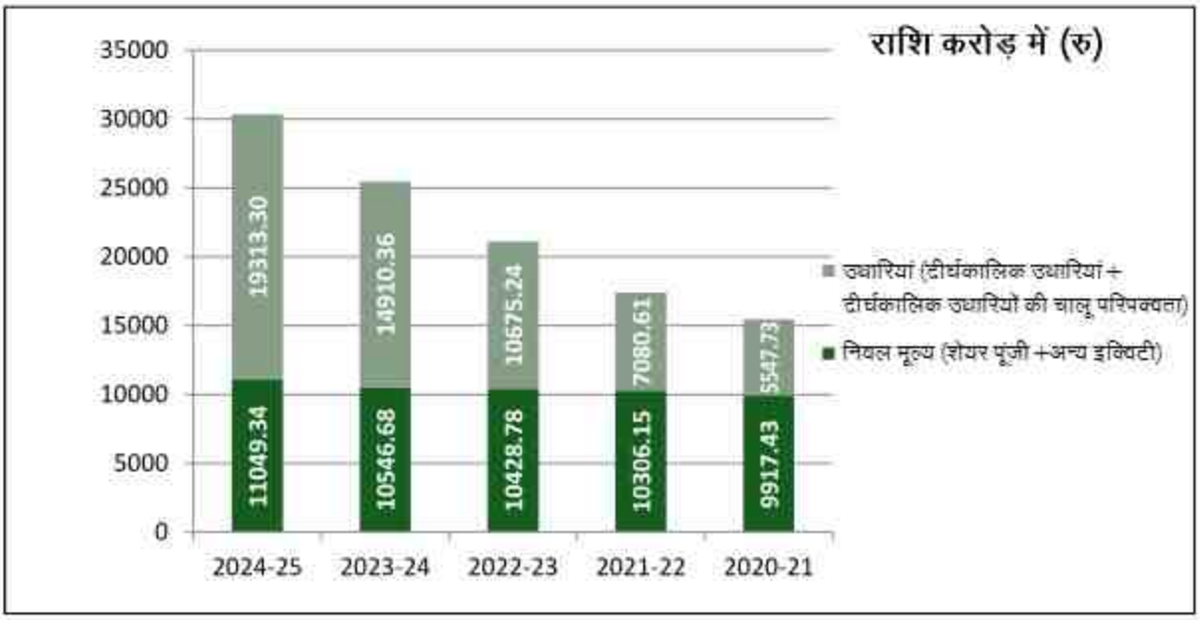
		विवरण	2024–25	2023–24	2022–23	2021–22	2020–21
क		**राजस्व**					
	1	प्रचालन से राजस्व	2,682.80	1967.24	1974.30	1921.49	1796.01
	2	अन्य आय	29.58	44.85	29.35	305.85	705.92
	3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	23.64	20.65	10.47	16.24	18.80
	4	घटाए: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	23.64	20.65	10.47	16.24	18.80
	5	**कुल राजस्व**	**2712.38**	**2012.09**	**2003.65**	**2227.34**	**2501.93**
ख		**व्यय**					
	6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	380.16	341.17	336.74	354.11	388.78
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	791.90	611.92	428.20	287.06	230.33
	8	प्रावधान	0	0	0	0	0.25
	9	असाधारण मदें	0	0	0	0	35.65
	10	**कुल व्यय**	**1172.06**	**953.09**	**764.94**	**641.17**	**655.01**
	11	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–10)**	**1540.32**	**1059.00**	**1238.71**	**1586.17**	**1846.92**
	12	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	284.45	300.05	273.90	302.65	317.33
	13	**सकल लाभ (पीबीआईटी) (11–12)**	**1255.87**	**758.95**	**964.81**	**1283.52**	**1529.59**
	14	वित्त लागत	405.65	158.65	181.37	134.11	181.93
	15	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (13–14)**	**850.22**	**600.30**	**783.44**	**1149.41**	**1347.66**
	16	आय कर	148.97	103.62	136.55	189.34	229.60
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	149.08	(185.43)	17.10	35.57	68.48
	18	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व अवधि के लिए लाभ (15–16–17)**	**552.17**	**682.11**	**629.79**	**924.50**	**1049.58**
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन	180.74	(83.03)	43.30	(29.72)	42.83
	20	**सतत प्रचालन अवधि के लिए लाभ (18+19)**	**732.91**	**599.08**	**673.09**	**894.78**	**1092.41**
	21	अन्य व्यापक आय	(9.65)	(7.22)	(1.87)	1.59	0.23
	22	ओसीआई पर आय कर द्र आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	1.69	(2.52)	(0.65)	0.55	0.08
	23	**कुल व्यापक आय (20+21+22)**	**724.95**	**589.34**	**670.57**	**896.92**	**1092.72**
ग		**परिसंपत्तियां**					
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (निवल ब्लॉक)	13,943.71	6202.63	6183.15	6343.72	6562.21
	25	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	16,484.73	18898.53	13990.63	9447.39	6414.30
	26	उपयोगाधिकार परिसंपत्तियां	1514.87	641.69	404.53	411.72	410.50
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	38.45	28.13	32.00	36.12	39.25
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	852.37	1001.45	818.54	836.29	871.31
	29	गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	–	59.04	17.56	43.21	32.49
	30	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	1333.54	1905.20	2125.68	2042.24	1906.22
	31	चालू परिसंपत्तियां	3309.89	2314.02	1531.11	1823.72	2303.52

(राशि रु करोड़ में)

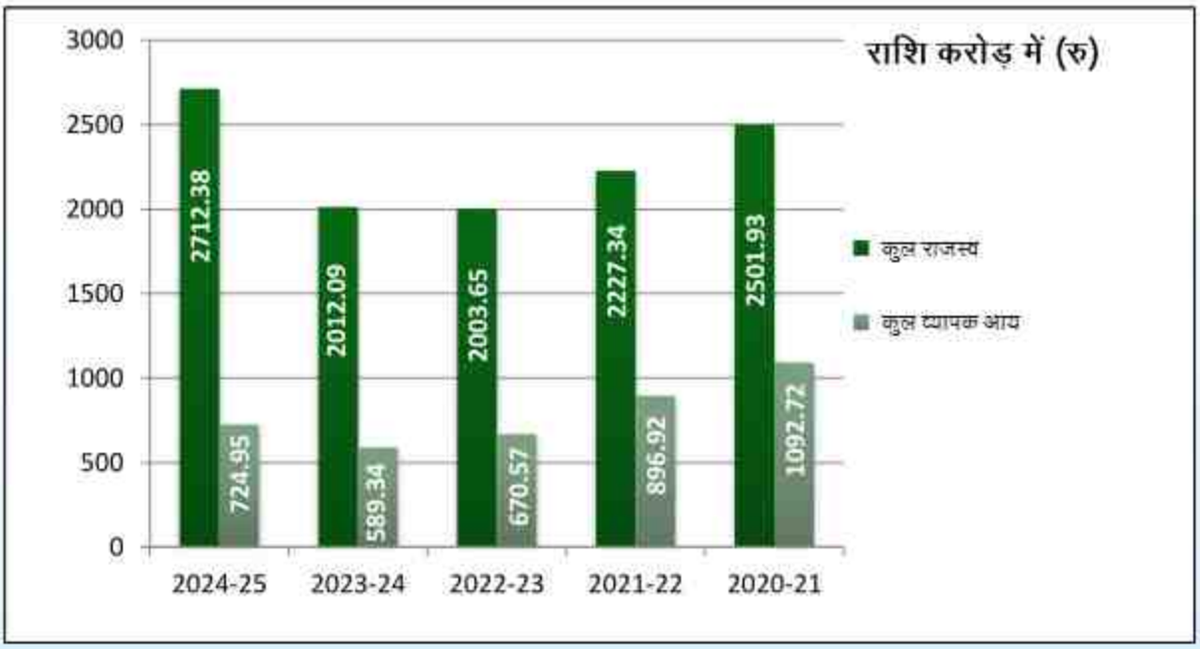
		विवरण	2024–25	2023–24	2022–23	2021–22	2020–21
	32	विनियामिक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	285.65	215.72	133.42	98.69	169.72
	33	सहायक कंपनी में निवेश	51.80	40.70	25.90	14.80	7.40
	34	कुल परिसंपत्तियां	37815.01	31307.11	25262.52	21097.90	18716.92
घ		**देयताएं**					
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	3665.88	3665.88	3665.88	3665.88	3665.88
		अन्य इक्विटी					
	36	आरक्षित और अधिशेष	7,383.46	6880.80	6762.90	6640.27	6251.55
	37	अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	–
	38	कुल अन्य इक्विटी	7,383.46	6880.80	6762.90	6640.27	6251.55
	39	दीर्घ अवधि उधारियां	18,727.97	14578.80	10289.09	6653.98	5014.22
	40	गैस–चालू पट्टा देयताएं	36.59	33.65	35.73	29.99	9.19
	41	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं और प्रावधान	985.03	970.41	1343.97	1155.09	1015.01
	42	लघु अवधि उधारियां	2731.38	1777.04	948.32	926.10	700.00
	43	दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	585.33	331.56	386.15	426.63	533.51
	44	पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	3.41	3.20	3.39	4.17	4.06
	45	अन्य चालू देयताएं	3164.67	2385.40	1329.63	1080.59	973.27
	46	विनियामक अस्थागित लेखा क्रेडिट शेष	531.29	680.37	497.46	515.20	550.23
	47	कुल देयताएं	37815.01	31307.11	25262.52	21097.90	18716.92
	48	निवल मूल्य (35+38)	11049.34	10546.68	10428.78	10306.15	9917.43
	49	नियोजित पूंजी (48+43+42+39–28)	32241.65	26232.63	21233.80	17476.57	15293.85
	50	लाभांश	227.34	471.44	547.94	508.20	707.75
	51	मूल्य वर्धित (11)	1540.32	1059.00	1238.71	1586.17	1846.92
	50	कर्मचारियों की संख्या	1678	1782	1563	1644	1736
	53	शेयरों की संख्या (राशि करोड़ में) (प्रति शेयर रु 1000/– के सम मूल्य पर)	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
ङ		**अनुपात**					
		प्रति शेयर अर्जन (रू.1000/– शेयर की कीमत) जिसमें विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन शामिल है। (रु में)	199.93	163.42	183.61	244.08	297.99
		चालू अनुपात [31/(42+43+44+45)]	0.51	0.51	0.57	0.75	1.04
		इक्विटी पर ऋण (39+42+43)/48)	2.00	1.58	1.11	0.78	0.63
		नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (पीबीआईटी/ नियोजित पूंजी) (13+9/49)	3.90%	2.89%	4.54%	7.34%	10.23%
		निवल मूल्य पर प्रतिलाभ	6.79%	5.71%	6.49%	8.85%	11.23%
		कुल व्यापक आय का प्रचालनों से राजस्व से अनुपात (23/1)	27.02%	29.96%	33.96%	46.68%	60.84%
		प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु में) (48/53)	3014.10	2876.98	2844.82	2811.37	2705.33
		मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (करोड़ रु में) (51/52)	0.92	0.60	0.790	0.97	1.06
		प्रति शेयर लाभांश रु में (रु में) (प्रत्येक रु1000 का शेयर)	62.02	128.60	149.47	138.63	193.06
च		**प्रचालन निष्पादन**					
		उत्पादन (एम. यू)	6076.70	4830.63	4936.28	4670.80	4565.36

प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन चार्ट

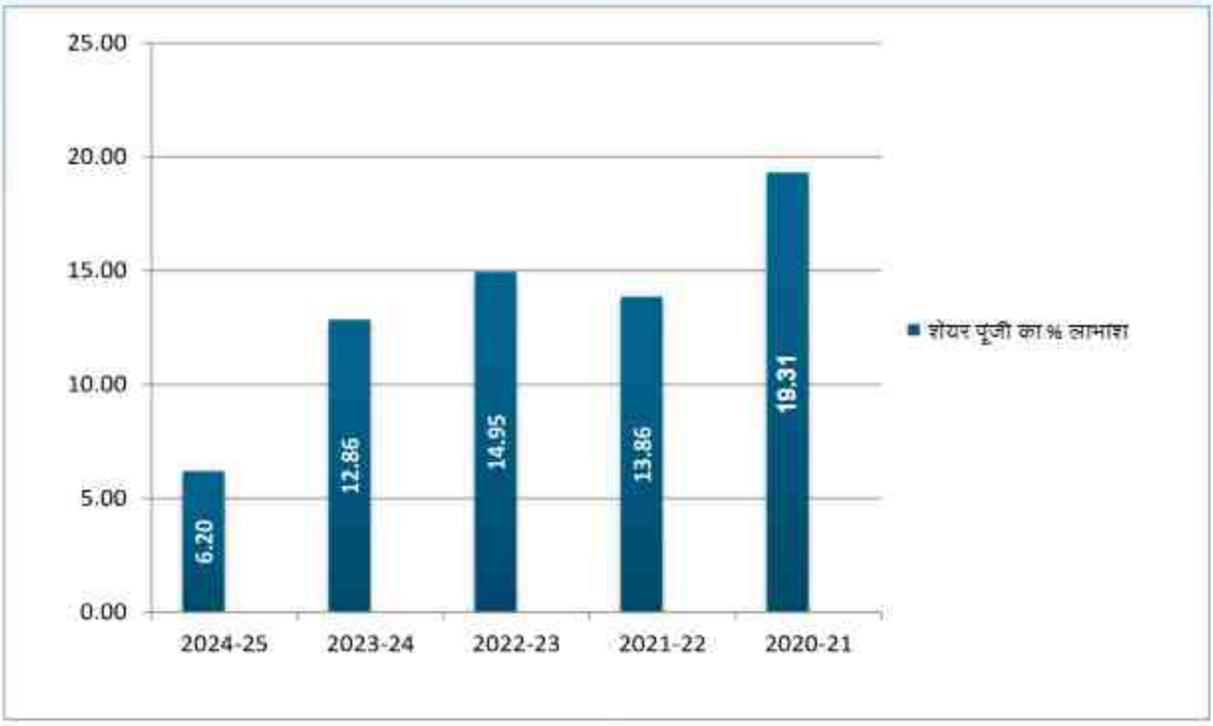
निवल मूल्य की तुलना में उधारियां



कुल राजस्व की तुलना में कुल व्यापक आय



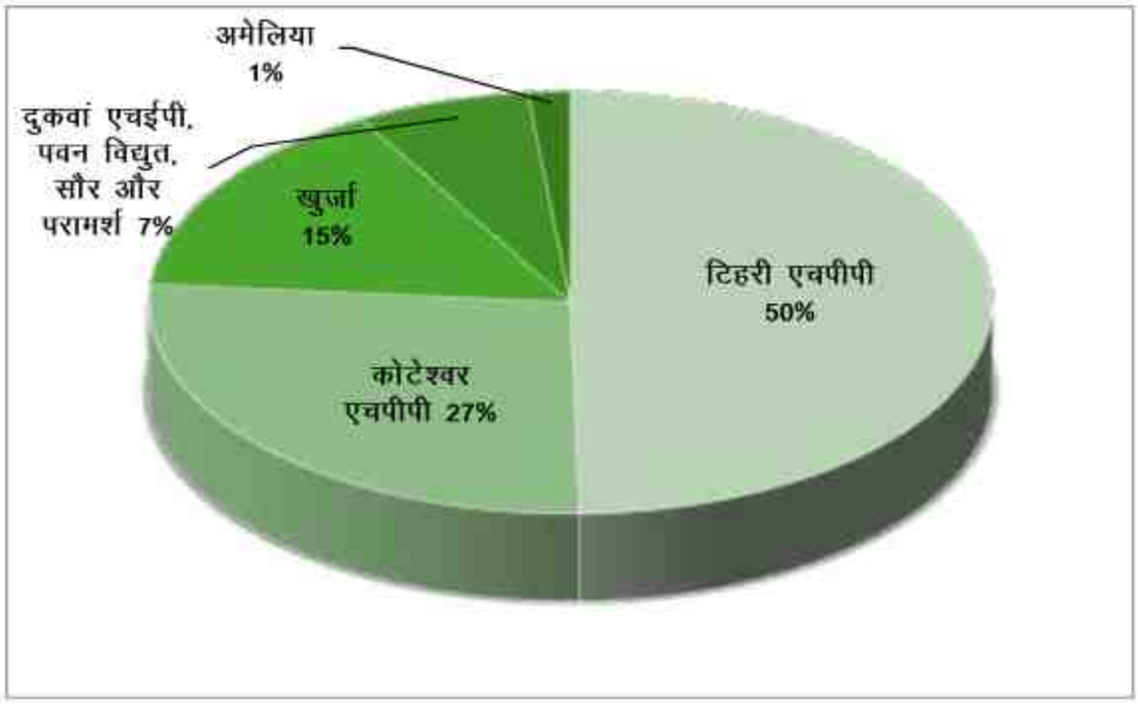
लाभांश भुगतान



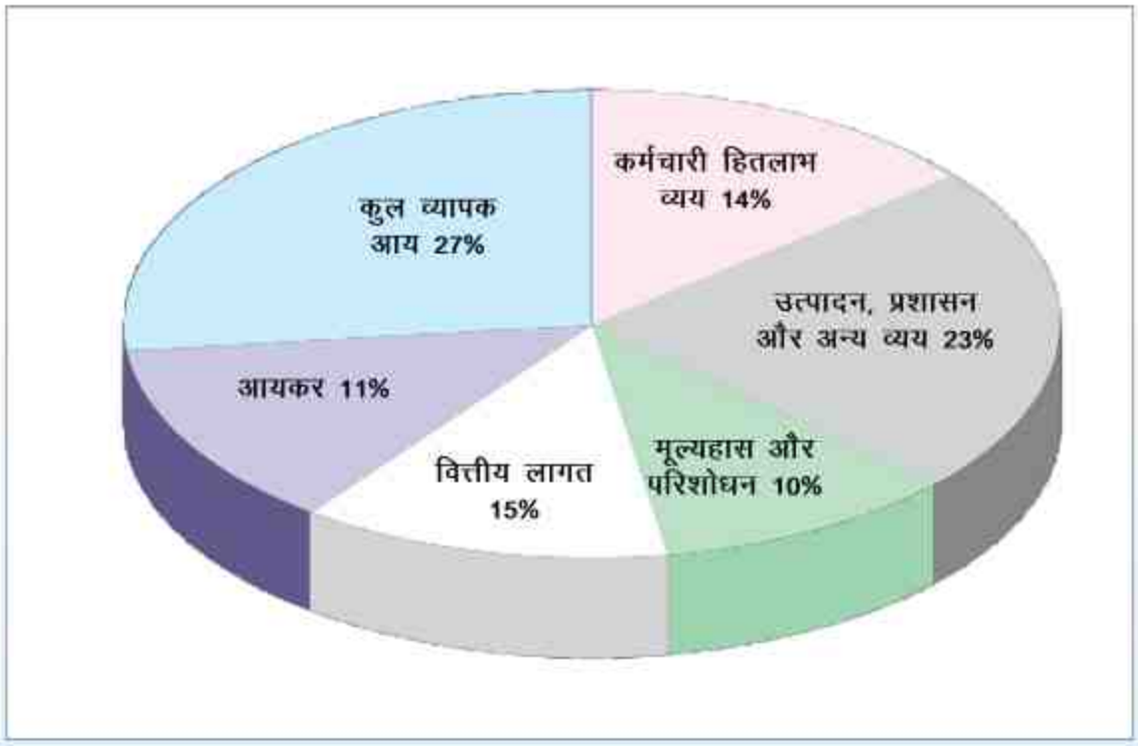


50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगोड, केरल

प्रचालन से राजस्व का ब्यौरा



राजस्व का वितरण



व्यवसाय सततता रिपोर्ट
2024–25

सतत रीति में पूंजी सृजन



वित्तीय पूंजी

टीएचडीसीआईएल अपने सभी हितधारकों के वित्तीय हितों को महत्व देता है और अपने आप को मात्र सांविधिक रूप से न्यूनतम आवश्यकताओं तक ही सीमित न रखते हुए अपने सामाजिक दायित्व पूरा करने के साथ–साथ लाभ अर्जित कर अपनी वित्तीय पूँजी में मूल्य वृद्धि को इष्टतम करने का पूरा प्रयास करता है।



सकल आय
₹ 2712.38 करोड़

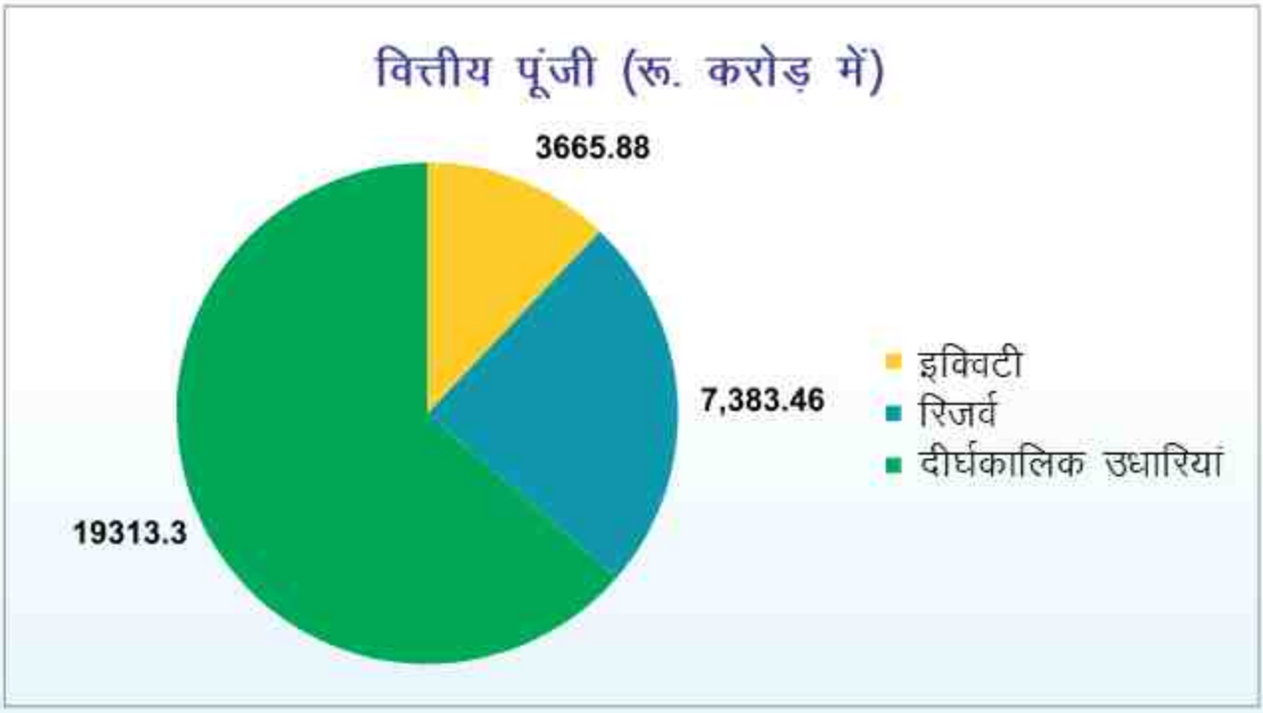


कुल व्यापक आय
₹ 724.95 करोड़



निवल मूल्य
₹ 11049.34 करोड़

दिनांक 31.03.2025 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त इक्विटी पूंजी रु 3665.88 करोड़ है, 31.03.2025 तक आरक्षित निधि रु 7383.46 करोड़ है और दीर्घकालिक उधारी रु 19313.30 करोड़ है।



दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार लाभ के संचय के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन के बाद उत्पन्न वित्तीय पूंजी रु 12,280.49 करोड़ है, जिसमें से 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कर सहित वितरित लाभांश रु 4,902.08 करोड़ है, और प्लो बैक के लिए आरक्षित निधि रु 7,378.41 करोड़ है।

तुलन पत्र का आकारः



लाभांश का भुगतान

कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



क्रेडिट रेटिंग और वार्षिक निगरानी

टीएचडीसीआईएल के बांड और ऋणों की प्रारंभिक क्रेडिट रेटिंग के साथ–साथ इसकी वार्षिक वित्तीय रेटिंग निगरानी रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जाती है। ये मूल्यांकन कंपनी को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण पूंजी जुटाने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे हितधारकों को कंपनी के क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान जारी किए गए बांड के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रारंभिक रेटिंग मेसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा एए (स्टेबल) और मेसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए (पॉजिटिव) है। वार्षिक निगरानी के दौरान, टीएचडीसीआईएल की क्रेडिट रेटिंग को मेसर्स केयर रेटिंग्स द्वारा एए (स्टेबल) और मेसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए (पॉजिटिव) के रूप में पुष्टि की गई.

श्रृंखला	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी द्वारा पिछली समीक्षा	रेटिंग की तारीख
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला I	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	03.10.2016
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला II	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	06.09.2019
	आईसीआरए लिमिटेड	एए (स्टेबल)	30–12–2024	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला III	आईसीआरए लिमिटेड	एए (स्टेबल)	30–12–2024	24.07.2020
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला IV	आईसीआरए लिमिटेड	एए (स्टेबल)	30–12–2024	20.01.2021
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला V	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	25.08.2021
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला VI	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	14.09.2022
	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला VII	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	27.12.2022
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला VIII	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	13.09.2023
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला IX	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	16.01.2024
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला X	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	29.05.2024
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला XI	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	03.09.2024
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला XII	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	एए (पॉजिटिव)	01–07–2025	18.02.2025
	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	एए (स्टेबल)	27–06–2025	

नई पहल–2024–25

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने श्रृंखला X, XI और XII के अंतर्गत अपने अप्रतिभूत बॉन्ड जारी करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे कुल रु 2,050 करोड़ जुटाए गए हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

- श्रृंखला X: 7.76% प्रति वर्ष की कूपन दर पर रु 750 करोड़
- श्रृंखला XI: 7.72% प्रति वर्ष की कूपन दर पर रु 600 करोड़
- श्रृंखला XII: 7.73% प्रति वर्ष की कूपन दर पर रु 700 करोड़



टीएचडीसीआईएल, कॉरपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में बॉन्ड सीरीज XIII की बोली प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 को आयोजित की गई।

इनमें से प्रत्येक बॉन्ड निर्गम अपने मूल आकार से अधिक अभिदत्त हुआ, जिससे कंपनी को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जो टीएचडीसीआईएल में हमारे हितधारकों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पीएनबी और केनरा बैंक द्वारा टीएचडीसीआईएल को कुल रु 1,500 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया। यह ऋण पंजाब नेशनल बैंक (रु 750 करोड़) और केनरा बैंक (रु 750 करोड़) द्वारा समान रूप से स्वीकृत किया गया है। ब्याज दर प्रचलित रेपो दर और 160 आधार अंकों (बीपीएस) के मार्जिन से जुड़ी है।

टीएचडीसीआईएल ने कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से रु 500–500 करोड़ की अल्पकालिक ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं। ये ऋण क्रमशः एक महीने की एमसीएलआर और एक दिन की एमसीएलआर से जुड़ी ब्याज दरों पर स्वीकृत किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, उसी वित्त वर्ष में, टीएचडीसीआईएल ने कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ रु 500 करोड़ की अप्रतिभूत ओवरड्राफ्ट सीमा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा में ब्याज दर एक माह के एमसीएलआर से संबद्ध होती है।

सामाजिक पूंजी उन नेटवर्क, मानदंडों और विश्वास को संदर्भित करती है जो समाज के भीतर सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को सक्षम बनाते हैं। यह वह "गोंद" है जो समुदायों को एक साथ रखता है और उन्हें साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन के रूप में, टीएचडीसी इंडिया

सामाजिक और संबंध पूंजी

लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने अपनी सीएसआर पहलों में निरंतर एक समग्र विकास दृष्टिकोण अपनाया है, जो खंडित हस्तक्षेपों के बजाय दीर्घकालिक और सतत परिवर्तन पर केंद्रित है।

हमारा प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम, "टीएचडीसी सहृदय – कॉर्पोरेट विद ए ह्यूमन हर्ट" इसी दृष्टिकोण का प्रतीक है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें स्थिरता के सभी तीन स्तंभों – सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय – को शामिल किया गया है। सभी सीएसआर हस्तक्षेप हमारी सीएसआर और स्थिरता नीति 2021 के तहत नौ चिन्हित क्षेत्रों के अनुरूप हैं, जिनमें से प्रत्येक को उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट विकासात्मक उद्देश्यों के अनुसार नामित किया गया है। ये डोमेन मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के तहत सूचीबद्ध गतिविधियों को शामिल करते हैं:

i. टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य) – पोषण, स्वास्थ्य स्वच्छता और पेय जल परियोजनाएं
ii. टीएचडीसी जागृति (उज्ज्वल भविष्य के लिए पहलें) –शिक्षा संबंधी पहलें
iii. टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – आजीविका सृजन और कौशल विकास संबंधी पहलें
iv. टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) – ग्रामीण विकास
v. टीएचडीसी समर्थ (सशक्तता) – सशक्तता से जुड़ी पहलें
vi. टीएचडीसी सशक्त (सक्षम) – बुजुर्गों और भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की देखभाल
vii. टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) – पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलें
viii. टीएचडीसी विरासत (संस्कृति) – कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियां
ix. टीएचडीसी क्रीड़ा (खेल–कूद) – खेल–कूद संवर्धन गतिविधियां

सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में नियमित रूप से संवाद और संप्रेषण करने के लिए टीएचडीसीआईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संप्रेषण रणनीति मौजूद है।



सीएसआर पहल सेवा–टीएचडीसी के तहत, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।

सीएसआर पर हमारा व्ययः

एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए, टीएचडीसीआईएल अपनी सीएसआर और सतत विकास पहलों को अपनी सामरिक और प्रचालन योजना के मूल में समाहित करता है। प्रत्येक गतिविधि को कार्यान्वयन से पहले सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें निर्धारित लक्ष्य, अनुमानित संसाधन आवश्यकताएँ और आवंटित बजट शामिल होते हैं ताकि समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) का 2% वार्षिक रूप से सीएसआर व्यय के लिए निर्धारित करती है:

पूर्ववर्ती 03वित्त वर्षों का औसत निवल लाभ : रु 880.86करोड़

वित्त वर्ष 2024–25 का सीएसआर बजट (वैधानिक) : रु 17.62करोड़

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान वास्तविक सीएसआर व्यय : रु 21.90 करोड़

वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2023–24 में किए गए 2.31 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सीएसआर व्यय के सेट–ऑफ को छोड़कर। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों हेतु वितरित निधियों का उपयोग बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित उद्देश्य के लिए और तरीके से किया गया है। वैधानिक बजट के अतिरिक्त राशि, बोर्ड की स्वीकृति से व्यय की जाती है।

प्रमुख पहलें

क. स्वास्थ्य

अच्छा स्वास्थ्य मानव विकास का आधार है–यह व्यक्तियों को गरीबी के चक्र से बाहर निकलने, शिक्षा प्राप्त करने, सुरक्षित आजीविका प्राप्त करने और सुरक्षित वातावरण में सम्मानपूर्वक जीवनयापन में सक्षम बनाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यनीति के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देता रहा है। कंपनी प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थानों के सहयोग से औषधालयों के संचालन और चिकित्सा शिविरों के आयोजन के माध्यम से सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है।

(अ) एलोपैथिक औषधालय का संचालनः

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपने योगदान के तहत, टीएचडीसीआईएल, हंस फाउंडेशन के सहयोग से, टिहरी जिले के सुदूरवर्ती गाँव दीनगांव में एक एलोपैथिक एलोपैथी औषधालय, दीनगांव, टिहरी गढ़वाल औषधालय संचालित करता है। यह औषधालय मामूली शुल्क पर चिकित्सा परामर्श प्रदान करता है और निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करता है। यह आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से सुसज्जित है, जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, बुनियादी रोग संबंधी जाँचें, एक्स–रे, ईसीजी, ऑन–कॉल एम्बुलेंस सेवा और एक छोटा ऑपरेशन थियेटर शामिल है। यह सुविधा लगभग 40 आस–पास के गाँवों के लगभग 15,000 लोगों को सेवा प्रदान करती है।



एलोपैथी औषधालय, दीनगांव, टिहरी गढ़वाल

(ब) चिकित्सा स्वास्थ्य अवसंरचनाः

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने की शुरुआत मजबूत चिकित्सा अवसंरचना के विकास से होती है। आधुनिक सुविधाओं, अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत चिकित्सा तकनीकों में सामरिक निवेश के माध्यम से, समुदायों को प्रदान की जाने वाली देखभाल के स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का विस्तार– विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में – यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक चिकित्सा सहायता से वंचित न रहे। इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, टीएचडीसी ने महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की खरीद और तैनाती को सुगम बनाकर स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के उन्नयन में सक्रिय भूमिका निभाई है।



लक्सर के सरकारी अस्पताल में स्थापित हेल्थ एटीएम

इसमें देहरादून के विवेकानंद अस्पताल में ईएनटी सेवाओं के लिए जीस एक्सटारो 300 प्रणाली और एम्स ऋषिकेश में एक इको मशीन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं और हरिद्वार के सरकारी अस्पताल को 10 पूर्णतः स्वचालित ब्लड प्रेशर मॉनिटर प्रदान किए गए हैं। ये पहल शीघ्र निदान, अधिक प्रभावी उपचार प्रोटोकॉल और बेहतर रोगी देखभाल में सहायक हैं, जिससे अंततः अधिक संतुष्टि और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त होते हैं।

ख. शिक्षा और आजीविका विकास

शिक्षा के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है, जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित प्रयास किए गए हैं। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा केंद्रों की स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना शामिल है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय पहल इस प्रकार हैं:

(अ) वंचित/कमजोर वर्गों के लिए स्कूल:

समावेशी शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, टीएचडीसीआईएल तीन स्कूल संचालित करता है—दो टिहरी जिले के भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में, और एक देहरादून जिले के ऋषिकेश में —जो विशेष रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए हैं। ये स्कूल सामूहिक रूप से लगभग 924 छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से लगभग आधी छात्राएँ हैं, और 'नैवेद्यम' योजना के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी, परिवहन और मध्याह्न भोजन प्रदान करते हैं। इस पहल पर प्रति वर्ष रु 6–7 करोड़ से अधिक का खर्च आता है।

(ब) कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रायोजित करना:

स्थानीय युवाओं और निवासियों के बीच आजीविका के



सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋषिकेश

अवसर बढ़ाने और रोज़गार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसीआईएल विभिन्न लक्षित पहल करता है। इनमें: (i) आईटीआई, एएनएम और जीएनएम जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रायोजित करना, और (ii) महिलाओं और किसानों को ब्यूटीशियन और सिलाई कौशल जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हैं।

ग. पर्यावरण और आजीविका

पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, टीएचडीसीआईएल पर्यावरण–सचेत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों को सक्रिय रूप से संचालित करता है। भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों के अनुरूप, कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्थानों पर सौर ऊर्जा चालित और एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। इसके अतिरिक्त, स्थायी पशुधन प्रथाओं को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अमेलिया कोयला खदान क्षेत्र में ग्राम करमटोला तेंदुहा के पास एक गौशाला स्थापित की गई है। ये प्रयास एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।



टीएचडीसी हाई स्कूल, ऋषिकेश



ऋषिकेश में सोलर स्ट्रीट लाईट की संस्थापना

प्राकृतिक पूंजी

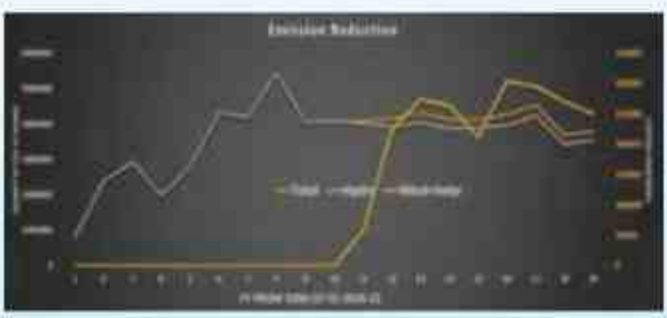
विश्व में प्राकृतिक सम्पतियों के भंडार जिसमें भूगर्भ विज्ञान, मृदा, हवा, पानी तथा सभी सजीव प्राणी आते हैं, को विभिन्न टूल्स द्वारा प्राकृतिक पूंजी के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्राकृतिक पूंजी हमारे बाहरी और आंतरिक हितधारकों के साथ–साथ व्यापक समुदाय के लिए मूल्य निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग या संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के हमारे प्रयास शामिल हैं।



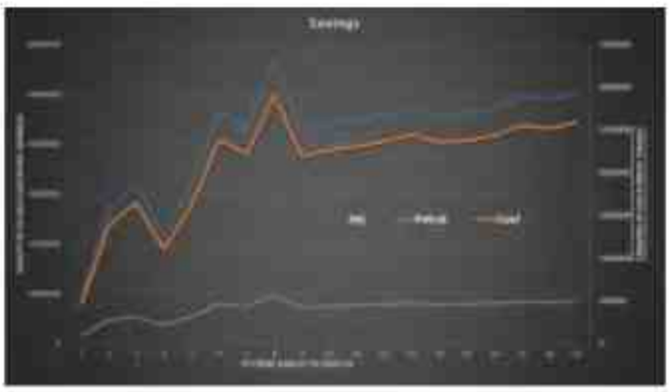
अपनी स्थापना के बाद से, टीएचडीसीआईएल ने प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में प्राकृतिक पूंजी को प्राथमिकता दी है। टीएचडीसीआईएल के प्रयासों में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं, जिनमें वायुमंडलीय उत्सर्जन, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने मिट्टी और जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, स्रोत पर अपशिष्ट में कमी, अपशिष्ट का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण, और हरित स्थानों के विकास के लिए कार्यनीतियाँ अपनाई हैं।

क. विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और देश के आर्थिक विकास में योगदान

टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2006–07 से 2024–25 तक हमारे जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से कुल 77129.16 मिलियन यूनिट (एमयू) स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करके देश की बिजली आपूर्ति में लगातार योगदान दिया है। इन पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों ने देश की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



हमारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके, टीएचडीसीआईएल ने राष्ट्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन परियोजनाओं ने बिजली की समतुल्य मात्रा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दहन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से तुलना करने पर, टीएचडीसीआईएल की नवीकरणीय ऊर्जा पहल ने संभावित रूप से 2024–25 तक लगभग 40105605.12 मीट्रिक टन कोयला, 779745515.01 हजार क्यूबिक फीट (एमसीएफ) प्राकृतिक गैस या 133428263.20 बैरल पेट्रोलियम की बचत की है।



ख. कार्बन सिंक का सृजन: हरित पट्टी

प्राथमिक प्राकृतिक कार्बन सिंक में पादप, महासागर और मिट्टी शामिल हैं। वृक्ष प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जीवनदायी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब वृक्ष समाप्त हो जाते हैं और विघटित हो जाते हैं, तो एकत्रित कार्बन का कुछ हिस्सा मृदा वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है।

प्राकृतिक प्रणालियों में वृक्षों के महत्व को पहचानते हुए, टीएचडीसीआईएल वनों और वृक्षों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में जहां परियोजना गतिविधियों के लिए वन मंजूरी आवश्यक है, टीएचडीसीआईएल वर्ष 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम में उल्लिखित प्रतिपूरक वनीकरण दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है।

टीएचडीसीआईएल द्वारा शुरू की गई कुछेक प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **खुर्जा एसटीपीपी:** टीएचडीसीआईएल खुर्जा थर्मल पावर प्लांट (केएसटीपीपी) में 170 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें से 70 हेक्टेयर भूमि पर हरित पट्टी विकास कार्य पूरा हो चुका है। इस हरित पट्टी में प्रति हेक्टेयर 2500 पेड़ बहुस्तरीय व्यवस्था में लगाए जाएँगे, जिनकी ऊँचाई वृक्षारोपण के समय 6–10 फीट होगी।

2. **अमेलिया:** टीएचडीसीआईएल ने हमारे खनन पट्टा क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 7.5 मीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित की है, जिसमें 34,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। खदान परिसर के भीतर व्यापक वनरोपण किया जा रहा है, जिसमें ओवरबर्डन डंप, ढुलाई मार्ग, पहुँच मार्ग और अवसंरचना से सटे क्षेत्र शामिल हैं।

3. **हरित पट्टी विकास:** टिहरी जलविद्युत संयंत्र (एचईपी) के चारों ओर कुल 2100 हेक्टेयर (1138 हेक्टेयर वन भूमि और 962 हेक्टेयर कृषि भूमि) भूमि को हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जाना है। कृषि भूमि पर हरित पट्टी का विकास भूमि स्वामियों की सहमति के अभाव में शुरू नहीं हो पाया है। राज्य वन विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है। कोटेश्वर जलविद्युत संयंत्र (केएचईपी) के आसपास 450 हेक्टेयर भूमि पर हरित पट्टी विकसित की गई है।

4. **प्रतिपूरक वनीकरण:** टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स के लिए डायवर्ट की गई वन भूमि के सापेक्ष आवश्यकताओं के अनुसरण में, ललितपुर जिले, उत्तर प्रदेश में 3,959 हेक्टेयर भूमि, उत्तर प्रदेश के झाँसी में 638.22 हेक्टेयर भूमि और खानपुर वन रेंज, हरिद्वार, उत्तराखंड में 2,716.40 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि और चोपड़ा डंप यार्ड के लिए 9.33 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है। राज्य वन विभाग द्वारा वीपीएचईपी के लिए 120.27 हेक्टेयर में से 105.583 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण कार्य पूरा कर लिया गया है।

5. **जलग्रहण क्षेत्र उपचार:** टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स में 52,204 हेक्टेयर (44,157 हेक्टेयर वन भूमि और 8,047 हेक्टेयर कृषि भूमि) को कवर करने वाली एक व्यापक जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना कार्यान्वित की गई है। इसके अलावा, उत्तराखंड राज्य वन विभाग द्वारा तैयार की गई जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, जिसमें 47 करोड़ रुपये की कुल लागत से 4426.70 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, को राज्य वन विभाग द्वारा वीपीएचईपी में क्रियान्वित किया जा रहा है।

6. वित्त वर्ष 2024–25 तक, परियोजना परिसर के आसपास वीपीएचईपी की हरित पट्टी विकास योजना के अंतर्गत संचयी रूप से 9300 पौधे लगाए गए हैं।

ग. जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन: औषधीय उद्यान, मत्स्य प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण।

टीएचडीसीआईएल जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए प्रतिबद्धता है और हमने निम्नलिखित गतिविधियां कार्यान्वित की हैं:

- **हर्बल गार्डन:** विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (वीपीएचईपी) में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में औषधीय उद्यान विकसित किया गया है। औषधीय उद्यान का विकास किया गया है और इसका अनुरक्षण कार्य हर्बल रिसर्च एंड डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से किया जाता है। इसमें औषधीय गुण वाले विभिन्न पौधे हैं, जिनमें हरड़ (टर्मिनेलिया चेबुला), लेमन ग्रास (सिम्बोपोगन फेलक्सुसस), सर्पगंधा (रौवोल्फियासर्पेंसिआ) और एलोवेरा, बांस (बैम्बुसा वल्गेरिस), मीठी तुलसी (स्टीविया रेबौडियाना), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), तेजपात (सिनामोमम तमाला), घृत कुमारी (एलो बारबाडेनिसिस), बड़ी इलायची (अमोमम सुबुलैटम), बेलपत्र (एगल मार्मेलोस), आँवला (फिलैन्थेस एम्बिलिका) और रीटा (सैपिंडस मुकोरोसी) आदि शामिल हैं। औषधीय उद्यान में विकास और अनुरक्षण के लिए, मार्च, 2025 तक रु 23.15 लाख का व्यय किया गया है।

- **फिश हैचरी:** आईसीएएआर – केंद्रीय शीतलजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईसीएफआर), भीमताल (जिसे पहले आईसीएआर – शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय के नाम से जाना जाता था) की अनुशंसाओं के अनुसार, वीपीएचईपी में मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला के निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है। टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स में महाशीर मछलियों के लिए ऐसी ही एक मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला पहले से ही कार्यशील है।

  वीपीएचईपी में, मत्स्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत, देशी मछली प्रजातियों, विशेष रूप से स्किजोथोरैक्स प्रजाति (स्नो ट्राउट) के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय मत्स्य पालन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिरही सहायक नदी के संगम के पास अलकनंदा नदी में 200 उच्च–गुणवत्ता वाले, रोग–मुक्त स्नो ट्राउट ब्रूडर और 5,000 फ्राई छोड़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन वीपीएचईपी– टीएचडीसी, पीपलकोटी, आईसीएआर–केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (भीमताल) और मत्स्य पालन विभाग, चमोली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

- **पर्यावरण प्रबंधन:** आसपास के प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों और पुरातात्विक संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण के लिए टीएचडीसीआईएल के संपूर्ण परियोजना स्थल में एक पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन किया गया है।

- खुर्जा एसटीपीपी में हरित पट्टी विकास: खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (एसटीपीपी) के लिए 170 एकड़ क्षेत्रफल को कवर करते हुए हरित पट्टी विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना को राज्य वन विभाग, उत्तर प्रदेश के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। 70 हेक्टेयर भूमि पर हरित पट्टी विकास का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 100 हेक्टेयर भूमि में से 50 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है।

- अमेलिया में हरित पट्टी विकास: इसके अतिरिक्त, पड़ोसी गांवों में देशी पौधों की प्रजातियों के वितरण के लिए 10 हेक्टेयर नर्सरी विकसित की गई है।
- वीपीएचईपी की जीबीडी योजना के तहत परियोजना परिसर के चारों ओर कुल मिलाकर 9300 (लगभग) पेड़ लगाए गए हैं।
- **कोटी में वनस्पति उद्यान:**

  टिहरी झील के आसपास 14.28 हेक्टेयर क्षेत्र में एक वनस्पति उद्यान विकसित किया गया है। टिहरी बांध जलाशय में डूब चुकी वनस्पति प्रजातियों को वनस्पति उद्यान में संरक्षित किया गया है। उद्यान में औषधीय, सजावटी, इमारती लकड़ी, ईंधन और चारे सहित कुल 274 विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। वनस्पति उद्यान का रखरखाव और देखरेख वन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2011 से किया जा रहा है, जबकि वित्तीय व्यय टीएचडीसीआईएल द्वारा वहन किया जा रहा है।
- **टिहरी परियोजना क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास:** जलाशय रिम क्षेत्र के साथ हरित पट्टी का विकास वन विभाग (उत्तराखंड सरकार के माध्यम से किया गया। 2100 हेक्टेयर (1138 हेक्टेयर वन भूमि और 962 हेक्टेयर कृषि भूमि) भूमि पर 820 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 200 मीटर चौड़ी हरित पट्टी (840 आरएल से 1040 आरएल तक) विकसित की जानी है। कृषि भूमि पर हरित पट्टी का विकास भूमि स्वामियों की सहमति के अभाव में शुरू नहीं हो सका। राज्य वन विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है। कोटेश्वर जलविद्युत संयंत्र (केएचईपी) के आसपास 450 हेक्टेयर भूमि पर हरित पट्टी विकसित की जा चुकी है।
- **महाशीर फिश हैचरी:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, टीएचडीसीआईएल ने क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों के लिए अध्ययन किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने संबंधित नदियों के जीवों के लिए एक व्यापक अध्ययन किया और 1993 में अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। जेडएसआई की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसीडब्ल्यू एफ), भीमताल के परामर्श से जुरासी नाला कोटेश्वर के पास प्रति वर्ष 3 लाख बीज की क्षमता वाली महाशीर मछली हैचरी का निर्माण किया गया। मछली हैचरी का संचालन किया जा रहा है और इसे महाशीर मछली के बीज के उत्पादन और मछली हैचरी के रखरखाव के लिए नवंबर 2015 में 29 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर राज्य मत्स्य विभाग, उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- **वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन योजना**

  वीपीएचईपी में, मत्स्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत, देशी मछली प्रजातियों, विशेष रूप से स्किजोथोरैक्स प्रजाति (स्नो ट्राउट) के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय मत्स्य पालन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिरही सहायक नदी के संगम के पास अलकनंदा नदी में 200 उच्च-गुणवत्ता वाले, रोग-मुक्त स्नो ट्राउट ब्रूडर और 5,000 फ्राई छोड़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन वीपीएचईपी-टीएचडीसी, पीपलकोटी, आईसीएआर-केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (भीमताल) और विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

घ. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना:

(क) खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (एसटीपीपी):

विद्युत परियोजना से उत्पन्न होने वाला मुख्य ठोस अपशिष्ट राख होता है। प्रभावी राख प्रबंधन के लिए, टीएचडीसीआईएल ने राख प्रबंधन उपाय कार्यान्वित किए हैं। इस योजना में राख निपटान के लिए दो अलग-अलग प्रणालियां शामिल हैं – निचली राख के लिए राख जल पुनःपरिसंचरण के साथ पारंपरिक आर्द्र घोल निपटान और फ्लाई ऐश के लिए उच्च सांद्रता घोल निपटान (एचसीएसडी), जबकि राख के शुष्क संग्रह के लिए बैग फिल्टर के साथ बायवीय राख हैंडलिंग प्रणाली प्रदान की जाती है, जिससे उद्यमियों को उपयोग के लिए राख की आपूर्ति की जाती है, अधिकतम राख उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जाता है। टीएचडीसीआईएल ने इन गतिविधियों को सुकर बनाने के लिए खुर्जा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के लिए व्यापक फ्लाई ऐश प्रबंधन योजना विकसित की है।

(ख) विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (वीपीएचईपी):

घरेलू/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट: वीपीएचईपी में श्रमिक शिविर में प्रतिदिन लगभग 30 किलो से भी कम कचरा उत्पन्न होता है। कचरे का पृथक्करण स्रोत पर किया जाता है और ठोस कचरे को लगभग 317 संग्रह डिब्बों में एकत्र किया जा रहा है, जिन्हें श्रमिक शिविर और निर्माण स्थलों पर रखा गया है, जिनमें से 265 डिब्बे बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह के लिए हैं और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए 52 डिब्बे हैं। बाद में कचरे को अंतिम निपटान के लिए नगर पालिका (स्थानीय नगर पालिका) को सौंप दिया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट: जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में शामिल सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। टीएचडीसीआईएल मानव कल्याण और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 के बायो–मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और आगे के संशोधनों का पालन करता है। बीएमडब्ल्यू प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत, जिसमें स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और अपशिष्ट कटौती शामिल है, को हरित और स्वच्छ परिवेश के निर्माण के लिए कार्यान्वित किया गया है। बायोमेडिकल कचरे को उचित रूप से रंग–कोडित डिब्बे में रखा जाता है और बाद में अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी, मेसर्स मेडिकल प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंप दिया जाता है।

खतरनाक अपशिष्ट: वीपीएचईपी में खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और आगे के संशोधनों का अनुपालन किया जाता है। उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट में प्रयुक्त टायर और ट्यूब, अपशिष्ट तेल, हाइड्रोलिक तेल, गियर तेल, ग्रीस, बैटरी और तेल युक्त अन्य अवशेष शामिल हैं। सभी अपशिष्ट को लीक प्रूफ बंद पात्र जैसे ड्रम में एकत्र किया जाता है। हाइड्रोलिक तेल और अन्य अपशिष्ट तेल बंद कंटेनरों और खतरनाक अपशिष्ट संग्रह क्षेत्र में संग्रहीत किए जाते हैं। अंत में, समुचित पुनर्चक्रण और निपटान के लिए कचरे को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता (रिसाइक्लर) मेसर्स श्रुति केमिकल को सौंप दिया जाता है।

कचरा प्रबंधन प्रथाएं

ई–कचरा निपटान: टीएचडीसीआईएल ने ई–कचरे के निपटान के लिए प्राधिकृत तृतीय पक्ष ई–कचरा हैंडलर, जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित किया गया है, के साथ साझेदारी की है। हाल ही में संगठन के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

मलबा प्रबंधन

जिम्मेदार मलबा निपटान: मलबे को उच्च बाढ़ स्तर से काफी ऊपर निर्दिष्ट क्षेत्रों में डंप किया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मलबा प्रबंधन के लिए साइटों पर इंजीनियरिंग और जैविक दोनों उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं।

वेटीवर घास रोपण: वीपीएचईपी के डंपिंग यार्ड में ढलानों को स्थिर करने के लिए, वेटीवर (क्राइसोपोगोन जिजानियोइड्स) घास का रोपण सितंबर 2018 से शुरू किया गया था। यह ढलान स्थिरीकरण के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करता है।

पर्यावरणीय की निगरानी

नियमित निगरानी: वायु, जल और शोर की गुणवत्ता की समय–समय पर निगरानी की जाती है। वर्तमान में, वायु, जल और शोर की गुणवत्ता से संबंधित सभी पैरामीटर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथानिर्देशित अनुमेय सीमा के भीतर हैं।

वन्य जीव संरक्षण

पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण: टीएचडीसीआईएल आस–पास के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वीपीएचईपी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समर्पित अनुभाग शामिल है।

वनों पर निर्भरता से बचना: टीएचडीसीआईएल श्रमिक शिविरों को एलपीजी गैसें और मेस सुविधाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य ईंधन के लिए वनों पर उनकी निर्भरता को कम करना और वन्यजीवों के अवैध शिकार को कम करना है।

जागरूकता कार्यक्रम: वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर हितधारकों को शिक्षित करने और संलग्न करने के लिए परियोजना स्थल पर वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी ज्ञान परिसंपत्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन में होता है और प्रमुख हितधारकों के लिए मूल्य जोडकर संगठन की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

क. प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन के लिए नवीन उपाय

कोटेश्वर एचईपी के गवर्निंग सिस्टम का उन्नयनः ईएचटी से सर्वो वाल्व आधारित एचएमसी तक

कोटेश्वर एचईपी अपने गवर्नर सिस्टम में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ट्रांसड्यूसर (ईएचटी)–आधारित हाइड्रो मैकेनिकल कैबिनेट (एचएमसी) का उपयोग करता है। समय के साथ, सभी इकाइयों में संतुलन बिंदु में, खासकर आपातकालीन ट्रिप, ऑटो/मैनुअल बदलाव या एचएमसी पैनल में फिल्टर स्विचिंग के दौरान बदलाव देखा गया। इस समस्या के समाधान के लिए, केएचईपी ने अपने गवर्निंग सिस्टम ईएचटी–आधारित एचएमसी को सर्वो वाल्व–आधारित एचएमसी में अपग्रेड किया।

इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक वाल्वों को सर्वो या आनुपातिक वाल्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के माध्यम से एक्चुएटर्स के सटीक नियंत्रण को सक्षम करते हैं। सर्वो वाल्व उच्च सटीकता के लिए फीडबैक (जैसे, एलवीडीटी के माध्यम से) के साथ क्लोज्ड–लूप नियंत्रण का उपयोग करते हैं, जबकि आनुपातिक वाल्व आंतरिक त्रुटि सुधार के बिना सीधे इनपुट संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं। आनुपातिक संरचना लेकिन एकीकृत फीडबैक (एलवीडीटी) वाले वाल्वों को सर्वो–आनुपातिक वाल्व कहा जाता है, जो सर्वो वाल्वों के समान प्रदर्शन प्रदान करते हैं।

कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के उन्नत एचएमसी में, मेसर्स बीएचईएल ने उच्च प्रतिक्रिया, ओबीई (ऑन–बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स) और फेल–सेफ फंक्शन वाले मेसर्स युकेन निर्मित सर्वो–आनुपातिक वाल्व प्रदान किए। ये वाल्व केवल 24वोल्ट डीसी आपूर्ति और कमांड इनपुट के साथ सटीक, तेज़ और सुरक्षित संचालन प्रदान करते हैं।

सर्वो वाल्व–आधारित एचएमसी को जुलाई 2024 में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यूनिट रु1 में चालू किया गया था, और तब से इसने संतोषजनक प्रदर्शन किया है। यह पहले के ईएचटी–आधारित सिस्टम की तुलना में अधिक सटीक और स्थिर गवर्नर नियंत्रण प्रदान करता है और बार–बार नियंत्रण बिंदु बदलाव जैसी समस्याओं को समाप्त करता है। कम घटकों के साथ, सर्वो सिस्टम के परिणामस्वरूप तेल रिसाव कम होता है, दाब में कमी आती है, और ओपीयू पंप कम चलता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। इसके प्रदर्शन के लिए उचित तेल स्वच्छता महत्वपूर्ण है।

ख. अनुसंधान और विकास पहलें

नवाचार और निरंतर सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी मजबूत आंतरिक अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों द्वारा रेखांकित होती है। इन पहलों का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करना, आवर्ती परियोजना चुनौतियों के लिए अत्याधुनिक समाधान तैयार करना और राष्ट्रीय संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दृष्टिकोण हमारे जल विद्युत स्टेशनों के कुशल और विश्वसनीय प्रचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करता है।

इन प्रयासों की देखरेख के लिए, ऋषिकेश में हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापित किया गया था। चल रही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में कई क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक उत्कृष्टता की हमारी खोज में योगदान देता है। हमारे वर्तमान अनुसंधान एवं विकास फोकस की एक झलक निम्नानुसार है:

भूकंपीय अध्ययन और नेटवर्क संवर्द्धनः टीएचडीसीआईएल, टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास एक सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से एक भूकंपीय अध्ययन कर रहा है। यह एक स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क की स्थापना से समर्थित किया जाता है। टिहरी क्षेत्र के आसपास भूकंपीय और मजबूत गति नेटवर्क में टिहरी क्षेत्र के आसपास 18 भूकंपीय स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा, नई टिहरी और रुड़की में क्रमशः 13 स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोग्राफ (एसएमए) नेटवर्क और 02 केंद्रीय रिकॉर्डिंग स्टेशन (सीआरएस) हैं। इन प्रयासों से प्राप्त अंतर्दृष्टि न केवल भूकंपीय गतिविधि के बारे में हमारी समझ को मजबूत करती है बल्कि संभावित भूकंपीय घटनाओं के विरुद्ध हमारी अवसंरचना को सुदृढ बनाने में भी सहायता करती है।

उपकरण की उपयोग– अवधि में वृद्धि करना : हमारे एकाग्रता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक में टिहरी और कोटेश्वर विद्युत स्टेशनों पर विद्युत स्टेशन उपकरणों की गिरावट की दर का पता लगाने के लिए आवधिक अध्ययन शामिल है। इन अध्ययनों से प्राप्त सिफारिशें इन महत्वपूर्ण संपत्तियों की उपयोग–अवधि को बढ़ाने और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सहायक हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास वित्त वर्ष 2022–23 की ओर केंद्रित हैं।

घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइजर बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफिल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंगः

इस कार्य का उद्देश्य ऐसे इंजीनियर्ड एंजाइम्स का विकास करना है जो सभी प्रकार के फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र्स को कुशलतापूर्वक विघटित कर सकें, जो अंतःस्रावी विघटनकारी और कैंसरकारी प्रकृति के होते हैं। फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र्स अधिकांश सौंदर्य प्रसाधनों, दैनिक देखभाल उत्पादों और प्लास्टिक उत्पादों में मौजूद होते हैं और संपर्क में आने पर अत्यधिक विषाक्त प्रभाव डालते हैं। इन उत्पादों के उपयोग से ये प्लास्टिसाइज़र्स रिसकर जल संसाधनों सहित विभिन्न पर्यावरणीय स्थानों तक पहुँच जाते हैं, जिससे मनुष्यों सहित विभिन्न प्रकार के जीवों को नुकसान पहुँचता है। इंजीनियर्ड उच्च दक्षता वाले एंजाइम्स का उपयोग बायोफिल्टर्स विकसित करने के लिए किया जाएगा, जिन्हें घरेलू जल स्रोतों या सीवेज उपचार संयंत्रों में एकीकृत किया जा सकता है और ये संभावित रूप से इन प्लास्टिसाइज़र्स को विघटित कर सकते हैं, जिससे पीने और घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित और पीने योग्य जल उपलब्ध हो सकता है।

फोटो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलना:

सतत नवाचार और कार्बन प्रबंधन की दिशा में टीएचडीसीआईएल के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड, मेथनॉल और इथेनॉल जैसे मूल्यवर्धित ईंधनों में परिवर्तित करने हेतु एक उन्नत फोटोइलेक्ट्रोकेमिकल (पीईसी) प्रणाली विकसित करने हेतु एक शोध पहल शुरू की गई है। यह दृष्टिकोण वैश्विक कार्बन तटस्थता लक्ष्यों के अनुरूप है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है।

यह अध्ययन एमएक्सीन, ट्रांजिशन मेटल डाइचाल्कोजेनाइड्स (टीएमडीसी), और ग्रैफीन सहित द्वि-आयामी नैनोपदार्थों के एक उभरते वर्ग के संश्लेषण पर केंद्रित है, जिनका उपयोग हाइब्रिड फोटोकैथोड (एमएक्सीन/टीएमडीसी/ग्रेफीन) के रूप में किया जाएगा। ये पदार्थ असाधारण विद्युत, प्रकाशिक और संरचनात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, जो इन्हें पीईसी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। अपनी उच्च चालकता और स्थिरता के साथ एमएक्सीन, अद्वितीय सतह-संचालित क्वांटम विशेषताओं वाले टीएमडीसी, और अपने उच्च सतह क्षेत्र और यांत्रिक शक्ति के साथ ग्रैफीन, मिलकर एक आशाजनक मिश्रित पदार्थ प्रणाली बनाते हैं।

अभिक्रिया तंत्रों की समझ को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण हेतु अभिक्रिया पथों का विश्लेषण करने हेतु घनत्व कार्यात्मक सिद्धांत (डीएफटी) सिमुलेशन का उपयोग किया जा रहा है। इन सिमुलेशन का उद्देश्य अभिक्रिया ऊर्जा, सक्रियण अवरोधों और पदार्थ प्रणाली की समग्र दक्षता का निर्धारण करना है, जिससे पीईसी उत्प्रेरकों के इलेक्ट्रॉनिक और संरचनात्मक व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

यह शोध टीएचडीसीआईएल के लिए सामरिक महत्व रखता है। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इस स्थल पर कार्बन कैप्चर प्रदर्शन परियोजना पहले से ही प्रगति पर है। प्रस्तावित पीईसी तकनीक कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करके इस प्रयास का पूरक है। इसके अलावा, यह परियोजना कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार योजनाओं के अनुरूप है। पीईसी तकनीक को सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे उनकी स्थिरता में वृद्धि होगी और टीएचडीसीआईएल की हरित एवं नवीन ऊर्जा समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता में योगदान मिलेगा।

हरित अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत-रासायनिक, द्रवीकृत नमक-आधारित प्रक्रिया का डिजाइन और प्रदर्शन:

अमोनिया (एनएच3) को नाइट्रोजनी यौगिकों के प्राथमिक फीडस्टॉक्स में से एक माना जाता है। इसका उपयोग लगभग सभी रासायनिक एवं संबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों में फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है। वर्तमान में, इसका उत्पादन सुप्रसिद्ध हैबर-बॉश प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसमें मीथेन को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। मीथेन को हाइड्रोजन बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। सभी लाभों के बावजूद, हैबर-बॉश (एच-बी) प्रक्रिया को सबसे बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक औद्योगिक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना में, विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हरित अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत-रासायनिक तकनीक पारंपरिक जीवाश्म-आधारित फीडस्टॉक्स से वैकल्पिक और सबसे प्रचुर फीडस्टॉक्स में संक्रमण को भी सक्षम बनाती है। विद्युत-रासायनिक अमोनिया संश्लेषण में, मीथेन के बजाय पानी को हाइड्रोजन स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

बायोमास से हरित हाइड्रोजन और बायोचर का सह-उत्पादन

एक प्रयोगशाला-स्तरीय एकीकृत पायरो-रिफॉर्मर इकाई (संयुक्त पायरोलिसिस और स्टीम रिफॉर्मिंग इकाई) विकसित और प्रदर्शित की जाएगी, जो बायोमास को मुख्यतः दो प्रमुख उत्पादों: हरित हाइड्रोजन और बायो-चार में परिवर्तित कर सकती है। इस प्रोटोटाइप से तकनीकी डेटा उत्पन्न होने और भविष्य में विस्तार के लिए एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

प्रस्तुत करने की उम्मीद है। प्रस्तावित प्रक्रिया के मौजूदा प्रक्रियाओं की तुलना में कई लाभ हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- बायोचार और हाइड्रोजन का एक साथ उत्पादन।
- सभी खनिजों का पुनर्चक्रण मृदा में वापस हो जाता है और इस प्रकार लूप बंद हो जाता है।
- ऊर्जा कुशल, क्योंकि पायरोलिसिस आउटलेट स्ट्रीम को संघनित करने और रिफॉर्मिंग रिएक्टर में डाले जाने वाले बायो–ऑयल को पुनः वाष्पीकृत करने के लिए किसी मध्यवर्ती शीतलन चरण की आवश्यकता नहीं होती है।
- रिफॉर्मर इकाई में उत्प्रेरक के उपयोग के कारण गैसीकरण की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है।
- हाइड्रोजन के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक चरण में तापमान को अनुकूलित किया जा सकता है।
- उत्प्रेरक वाष्पशील रूपांतरण के लिए अधिक प्रभावी है, अर्थात, वांछित उत्प्रेरक/आहार अनुपात स्थापित करने के लिए यह प्रक्रिया अधिक बहुमुखी है।

यह अनुसंधान एवं विकास पहल एकीकृत पायरोलिसिस और स्टीम रिफॉर्मिंग का उपयोग करके कृषि बायोमास को हरित हाइड्रोजन और बायोचार में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। यह फसल अवशेषों को जलाने की समस्या का समाधान करता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। यह परियोजना हरित हाइड्रोजन मिशन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है और सतत, चक्रीय और ऊर्जा–स्वतंत्र विकास में योगदान देती है।

गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ फेज–आधारित कार्यनीति विकसित करना। गंगा जल से आईएएमआर– विशिष्ट फेज पृथक किए गए हैं जिनका उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के साथ एएमआर संक्रमण के उपचार में किया जा सकता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर), जो एक बढ़ती वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है, से निपटने के लिए फेज–आधारित चिकित्सीय रणनीति का विकास। यह परियोजना गंगा नदी, जो एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव भंडार है, से एएमआर–विशिष्ट बैक्टीरियोफेज को पृथक करने पर केंद्रित है। ये फेज एंटीबायोटिक–प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार की क्षमता प्रदर्शित करते हैं, विशेष रूप से जब पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। अध्ययन का उद्देश्य फेज और एंटीबायोटिक दवाओं के सहक्रियात्मक प्रभाव के पीछे के तंत्र को समझना है, जिसमें फेज–मध्यस्थ जीवाणु लसीका और एंटीबॉडी–मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। यह दोहरा दृष्टिकोण बहुऔषधि–प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होने वाले जीर्ण संक्रमणों के विरुद्ध उपचार की प्रभावकारिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।

इन फेजों की प्रभावकारिता का एक व्यापक अध्ययन – अकेले और संयोजन में – ऐसे नए उपचारों के विकास में सहायक होगा जो जीवाणु संक्रमण के उपचार में क्रांति ला सकते हैं। यह शोध भारत के स्वास्थ्य सेवा लक्ष्यों के अनुरूप है और वैकल्पिक रोगाणुरोधी रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करता है, क्योंकि पारंपरिक एंटीबायोटिक्स लगातार अपनी प्रभावशीलता खो रहे हैं। टीएचडीसीआईएल की भागीदारी अंतःविषय अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो ऊर्जा और अवसंरचना से आगे बढ़कर जन स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी तक भी पहुँचती है। गंगा जैसे स्वदेशी जैविक संसाधनों का दोहन करके, यह पहल न केवल पर्यावरणीय और सांस्कृतिक सम्मान को बनाए रखती है, बल्कि स्थायी और नवीन वैज्ञानिक समाधानों के माध्यम से एएमआर से निपटने के राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देती है।

स्लाइडिंग की गैर–रेखीय स्थिरता: इंटरफेसियल स्लिप स्थिरता का मशीन लर्निंग और गणितीय मॉडलिंग–आधारित विश्लेषण :

इस कार्य में प्रतिबल और घर्षण परिवर्तनों में जलाशय–प्रेरित अस्थानिक विक्षोभों की स्थितियों में भ्रंशों (और भूस्खलन) प्रकार के मॉडलों पर अंतरापृष्ठीय फिसलन की स्थिरता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और बल्क रियोलॉजी और अंतरापृष्ठीय शक्ति सूत्रों के विभिन्न संरचनात्मक सूत्रों के साथ अंतरापृष्ठीय फिसलन की स्थिरता की सावधानीपूर्वक जाँच; विशेष रूप से, पूर्व–प्रतिबल, प्रारंभिक स्थितियों और जलाशय–प्रेरित प्रतिबल संचरण के प्रभावों को पृथक करते हुए स्थिरता विश्लेषण शामिल है। इस शोध का प्राथमिक उद्देश्य एक मशीन लर्निंग–आधारित गणितीय और यांत्रिक मॉडल विकसित करना है जो जलाशय–प्रेरित प्रतिबल परिवर्तनों के कारण फिसलन विकास की स्थिरता का विश्लेषण करने में मदद करता है।

गढ़वाल हिमालय में घूर्णी भूकंपीय भू–गति का मापन:

भूकंपीय भू–गति में स्थानान्तरणीय और घूर्णी, दोनों घटक शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष मापों के अभाव और इस लोकप्रिय धारणा के कारण कि घूर्णी घटक परिमाण में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें ऐतिहासिक रूप से सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के भूकंपीय डिजाइन में नजरअंदाज़ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य टिहरी बाँध के आसपास भूकंपीय रूप से सक्रिय गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में तीन ब्रॉडबैंड घूर्णी भूकंपमापी स्थापित करके उपरोक्त स्थिति में सुधार लाना है।

इन उपकरणों द्वारा दर्ज की गई घूर्णी भू–गतियाँ, दीर्घावधि में, स्थानान्तरणीय और घूर्णी भू–गतियों के साथ–साथ संरचनाओं के डिजाइन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेंगी।

5जी निजी नेटवर्क अवसंरचना का विकास और स्थापना करना तथा टीएचडीसीआईएल परिसर में एकाधिक '5जी और उससे ऊपर' के प्रयुक्त मामलों को लागू करना:

इस कार्य का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक से आगे बढ़कर क्षेत्र में परिनियोजन योग्य एआई/एमएल और 5जी तकनीक पर आधारित उत्पादों और समाधानों का विकास करना तथा टीएचडीसी में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई 5जी उपयोग–मामलों का विकास करना है। आईआईटी दिल्ली और टीएचडीसी कुछ समय से परस्पर कार्य कर रहे हैं और सहयोग के संभावित मॉडल विकसित कर रहे हैं।

टीएचडीसी वर्तमान में बहु–तकनीकी पहल पर काम कर रहा है, जिसे मौजूदा कठिन क्षेत्रों के अनुकूल 5जी तकनीक आधारित निजी वायरलेस कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाकर क्षमता और प्रयोज्यता के अगले चरण तक ले जाया जा सकता है और यदि उपयुक्त हो तो टीएचडीसी/विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उन्नत तकनीक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र–योग्य 5जी नेटवर्क अवसंरचना, ऊर्जा–सतत स्मार्ट–आईओटी समाधान विकसित करने और कई 5जी निजी नेटवर्क आधारित उपयोग–मामलों को लागू करने का अवसर प्रदान करता है।

लि–आयन बैटरी का विकल्प: स्टेशनरी भंडारण अनुप्रयोग के लिए सोडियम आधारित द्विआयन बैटरी का डिजाइन और विकास:

प्रस्तावित कार्य का प्राथमिक उद्देश्य दीर्घकालिक स्थिर भंडारण अनुप्रयोग की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अत्यधिक स्थिर अर्ध–ठोस अवस्था सोडियम–आधारित द्वि–आयन बैटरी का डिजाइन और विकास करना है।

चूँकि द्वि–आयन आधारित बैटरी रसायन लिथियम–आयन बैटरियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सेल वोल्टेज प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी प्रदर्शन विशेषताएँ लिथियम फेरो–फॉस्फेट लिथियम–आयन बैटरियों के बराबर हैं। उच्च प्राकृतिक प्रचुरता (25970 पीपीएम और 150 यूएसडी/मीट्रिक टन) और सीमित पर्यावरणीय प्रभाव के साथ, सोडियम–आधारित द्वि–आयन रसायन लिथियम–आधारित बैटरी रसायनों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

मानव समर्थित ग्यूल–खच्चर:

यह एक ऐसी लेग्ड प्रणाली को अंतत असेंबल करने का प्रस्ताव है जो 100 किलोग्राम के पेलोड के साथ चल सके और जिसमें चरण 1 में 2 किलोवाट और चरण 2 में 5 किलोवाट का पावर पैक हो। इस प्रकार के प्रदर्शनकारी यंत्र विश्व के कई हिस्सों में बनाए जा चुके हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं। प्रस्ताव केवल एक प्रदर्शनकारी यंत्र बनाने का ही नहीं, बल्कि पूरी डिज़ाइन श्रृंखला का स्वामित्व रखने का भी है ताकि इन इकाइयों का उपयोग क्षेत्र में किया जा सके।

हाइड्रो थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) और सीवेज कीचड़ के दो चरण अवायवीय सह–डाइजेशन में जैव–हाइड्रोजन और जैव–मीथेनेशन को बढ़ाने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण:

अनुसंधान का उद्देश्य बॉयोगैसों (एच2 और सीएच4) की इष्टतम प्राप्ति के उद्देश्य से एक अच्छे पूर्व–उपचार और सुचालक पदार्थ प्रोफाइल का चयन करना होगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला अंतिम उत्पाद, अर्थात जैवगैस में एच2 और सीएच4 का उच्च अंश प्राप्त हो सके।

पूर्व–उपचार और को–डाइजेशन उन्नत जैवईंधन और उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन पर भविष्य के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरी ओर, भारत में, जहाँ हाल ही में एक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जैव–अपशिष्ट से जैवईंधन और मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन की परियोजना को लागू करना एक मूल्यवर्धन प्रतीत होता है।

न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास:

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य "नए अपशिष्ट जल निस्सरण मानकों को ध्यान में रखते हुए एक ऊर्जा–कुशल और आत्मनिर्भर अगली पीढ़ी की सीवेज उपचार प्रणाली का विकास" है।

यह परियोजना भारत में प्राथमिक अवसादन बेसिन (पीएसबी) तकनीक के विकास और अनुप्रयोग की एक अग्रणी पहल होगी। यह पीएसबी–डीएचएस एकीकृत प्रणालियों के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन से संबंधित जानकारी और विशेषज्ञता उत्पन्न करेगी। यह कम ऊर्जा लागत पर अपशिष्ट जल नियंत्रण मानदंडों को पूरा करने में इसकी दक्षता के संदर्भ में तकनीक के सत्यापन को भी सक्षम बनाएगी; तकनीक के लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करेगी और इसे अपनाने के लिए तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करेगी, और इस प्रकार भारत और अन्य विकासशील

देशों में सीवेज उपचार के लिए इसके व्यापक अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस प्रकार, इससे भारत में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में योगदान मिलने की उम्मीद है।

जल संसाधनों के संदर्भ में, अपशिष्ट जल उपचार के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों के संदर्भ में सकारात्मक बाह्य प्रभाव हैं। हालाँकि, तकनीक की व्यावहारिकता का आकलन करने के लिए, प्रस्तावित अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया की आर्थिक व्यवहार्यता को समझना महत्वपूर्ण है।

टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स के लिए हाइड्रोफोबिक संक्षारण अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी का विकासः

इस कार्य का उद्देश्य जलविद्युत संयंत्रों में हाइड्रोमैकेनिकल घटकों की कोटिंग के लिए अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी कम्पोजिट का संश्लेषण करना है। इन मिश्रित सामग्रियों के न केवल टीएचडीसीआईएल में, बल्कि पूरे भारत में संक्षारण–रोधी अनुप्रयोगों के लिए कई लाभ हैं। अति जलभीति अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी कम्पोजिट कोटिंग, पदार्थ–जल (या संक्षारण माध्यम) के परस्पर प्रभाव को कम कर सकती है और अंतर्निहित सब्सट्रेट को संक्षारण से बचा सकती है।

मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से सूक्ष्म प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंगः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदमः

चूँकि सूक्ष्म प्लास्टिक और उनके पर्यावरणीय प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई ज्ञात निगरानी तंत्र नहीं है, इसलिए कोई नीतिगत दिशानिर्देश भी मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार, इस अध्ययन का उद्देश्य मृदा, सतही और भूजल में सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी करना और मृदा मैट्रिक्स में सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण, जो अंततः हमारी नदियों और भूजल को संदूषित करता है, के मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली विकसित करना है।

ग. टीएचडीसीआईएल में जलाशय संचालन और बाढ़ शमन उपायः

टिहरी जलाशय भागीरथी नदी पर प्रमुख जल भंडारण प्रणालियों में से एक है, जो पूरे वर्ष उत्तर प्रदेश और दिल्ली को स्थिर और विश्वसनीय जल आपूर्ति प्रदान करता है। टिहरी जलाशय भरना सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष 21 जून से शुरू होता है, जिससे पूर्ण जलाशय स्तर प्राप्त करने के लिए मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रवाह का उपयोग हो जाता है। एमडीडीएल, ईएल 740मीटर से इसके एफआरएल, ईएल 830 मीटर तक जलाशय का भरण संचालन एवं अनुरक्षण नियमावली में दिए गए जलाशय नियम वक्र के अनुसार किया जाता है। नियम वक्र, जलाशय को पूर्व–निर्धारित दर पर भरने और सक्रिय मानसून अवधि के दौरान आने वाली बाढ़ के लिए उचित भंडारण स्थान रखने में मदद करता है ताकि, बांध के बहाव के प्रत्यक्ष परिणामों को कम करने के लिए अधिकांश समय, विनियमित/नियंत्रित निस्तारण निर्मुक्त किया जा सके। मानसून की अवधि के दौरान जलाशय में संग्रहीत जल का उपयोग, ग्रिड को शीर्ष समर्थन प्रदान करते हुए कम प्रवाह अवधि के दौरान सिंचाई की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। टिहरी जलाशय के लाइव भंडारण का उपयोग गतिशील जलाशय संचालन मॉड्यूल के आधार पर किया जाता है, ताकि सिंचाई की आवश्यकता, जो फसल पैटर्न द्वारा नियंत्रित होती है, के अनुसार जल निस्तारित करते हुए, वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन का अनुकूलन किया जा सके। सैद्धांतिक रूप से, लाइव भंडारण नवंबर से अगले वर्ष के मानसून की शुरुआत तक सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नदी के प्रवाह में वृद्धि करता है। इसकी स्थापना के बाद से, जलाशय प्रत्येक वर्ष इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम रहा है। हरिद्वार/इलाहाबाद में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टिहरी से भी जल छोड़ा जाता है ताकि पवित्र गंगा नदी के तट पर विभिन्न स्नानों को सुविधाजनक बनाया जा सके जो कम जल वाले मौसम में होते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 एक वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। टिहरी जलाशय ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के समन्वय में जल छोड़ने के प्रभावी प्रबंधन और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जलाशय संचालन को महाकुंभ 2025 की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया था, जिससे पीक इवेंट अवधि के दौरान निर्बाध जल प्रवाह सुनिश्चित हो सके। इस प्रयास ने न केवल महाकुंभ के सफल आयोजन में मदद की बल्कि जिम्मेदार जलाशय प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक हितों की सेवा के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

टिहरी बांध मानसून के दौरान बाढ़ के चरम को रोकने और उसके बाद अलकनंदा नदी में बाढ़ के कम होने पर उसे नियंत्रित तरीके से पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है ताकि बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके और निचले इलाकों की आबादी और अवसंरचना की सुरक्षा की जा सके। वर्ष 2010, 2011 और 2013 में, टिहरी बांध ने भागीरथी और भिलंगना के उच्च बाढ़ प्रवाह को रोककर गंगा नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने और ऋषिकेश तथा हरिद्वार शहरों में गंगा नदी के किनारे बसे इलाकों पर बाढ़ के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ज्ञान साझाकरण का सशक्तिकरण:

सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क:

सतत विकास के क्षेत्र में, प्रभावी ज्ञान प्रबंधन महत्वपूर्ण संगठनात्मक अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने, संरक्षित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राय:, निर्माण और प्रचालन चरणों के दौरान प्राप्त मूल्यवान अनुभव अलिखित रह जाता है, जिससे भविष्य की परियोजनाओं में अधिगम और सुधार के अवसर चूक जाते हैं।

इस अंतर को दूर करने के लिए, **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल)** ने अपने वेब पोर्टल पर एक **सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क** की स्थापना करके एक दूरदर्शी पहल शुरू की है।



यह गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म आंतरिक ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देता है, जिससे कर्मचारी महत्वपूर्ण ज्ञानार्जन, अंतर्दृष्टि और सफलता की कहानियाँ साझा कर पाते हैं। इस ज्ञान–साझाकरण पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय रूप से शामिल होकर, टीम के सदस्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और संगठन की सामूहिक विशेषज्ञता को मजबूत करने में मदद करते हैं।

यह पहल सतत् ज्ञानार्जन, नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को विकसित करने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है – जो सतत विकास के मुख्य चालक हैं।

- **उत्कृष्टता विकसित करना: क्वालिटी सर्किल पहल:**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2013 से क्षेत्रीय गुणवत्ता सर्कल चैप्टर और राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो हमारी नवाचार, दक्षता और निरंतर के प्रति सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वर्ष 2024 में इस प्रतिबद्धता को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।

06 अक्टूबर, 2024 को डीपीएस, दौलतपुर, हरिद्वार में आयोजित क्षेत्रीय गुणवत्ता सम्मेलन के 14वें अध्याय के दौरान, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 11 क्यूसी टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों ने बेंचमार्क मानकों को पूरा किया, जिसमें 10 टीमों ने स्वर्ण पुरस्कार और 2 टीमों ने रजत पुरस्कार हासिल किया।

26 से 30 दिसम्बर, 2024 तक मध्य प्रदेश में ग्वालियर चौप्टर द्वारा आयोजित गुणवत्ता अवधारणाओं पर 38वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीक्यूसी–2024) में टीएचडीसीआईएल की विभिन्न इकाइयों और कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 टीमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने गुणवत्ता अवधारणाओं और प्रदर्शन को बढ़ाने के अवसरों के लिए मूल्यवान प्रदर्शन प्रदान किया।

एनसीक्यूसी–2024 में, टीएचडीसीआईएल टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें 01 टीमों ने प्रतिष्ठित 'सर्वोत्कृष्ट' पुरस्कार प्राप्त किया, 9 टीमों ने 'उत्कृष्ट' पुरस्कार अर्जित किया, और 01 टीम को "विशिष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। एनसीक्यूसी–2024 का परिणाम टीएचडीसीआईएल के पक्ष में इस प्रकार रहा है:–

क्रम सं.	टीम का नाम	प्राप्त पुरस्कार
01	अलकनंदा – पीपलकोटी	उत्कृष्ट
02	भारत–ऋषिकेश	उत्कृष्ट
03	दर्पण–ऋषिकेश	विशिष्ट
04	जल शक्ति–ऋषिकेश	उत्कृष्ट
05	लक्ष्य–टिहरी	उत्कृष्ट
06	कमल–ऋषिकेश	उत्कृष्ट
07	पुनर्नवा–ऋषिकेश	उत्कृष्ट
08	प्रयास–पीपलकोटी	सर्वोत्कृष्ट
09	संजीवनी–टिहरी	उत्कृष्ट
10	शक्ति–टिहरी	उत्कृष्ट
11	जल तरंग–कोटेश्वर	उत्कृष्ट

व्यवसाय विविधीकरण

क. व्यापार लाइसेंस सिंहावलोकन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने पूरे भारत में इविक/हस व्यापार के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) से श्रेणी IV अंतर–राज्यीय व्यापार लाइसेंस प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत प्रदान किया गया यह लाइसेंस, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के विद्युत व्यापार क्षेत्र में औपचारिक प्रवेश का प्रतीक है – जो कंपनी की सामरिक विविधीकरण पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह लाइसेंस टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को विद्युत अधिनियम के प्रावधानों, केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक नियमों और सीईआरसी के लागू विनियमों, जिनमें कोई भी संशोधन शामिल है, के अनुपालन के अध्यधीन राज्य की सीमाओं के पार विद्युत व्यापार करने के लिए अधिकृत करता है, बशर्ते कि यह अनुपालन किया जाए।

लाइसेंस का ब्यौरा:

1) लाइसेंस संख्या: 102 ट्रेडिंग लाइसेंस/2023/सीईआरसी
2) जारी करने की तिथि: 6 मई 2023
3) श्रेणी: IV
4) एक वित्त वर्ष में कारोबार की जाने वाली बिजली की मात्रा: 2,000 एमयू तक
5) न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता: रु 10 करोड़

सामरिक महत्व:

इस व्यापार लाइसेंस का अधिग्रहण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल कंपनी को विद्युत व्यापार बाजार में सीधे भाग लेने, बल्कि विद्युत उत्पादन में अपनी स्थापित क्षमताओं का लाभ उठाने में भई सक्षम बनाता है। यह कदम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के व्यावसायिक पोर्टफोलियो के विविधीकरण में सहायक है और इससे आने वाले वर्षों में इसके राजस्व स्रोतों में उल्लेखनीय योगदान मिलने की उम्मीद है।

पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) की ट्रेडर सदस्यता का अधिग्रहण: विद्युत व्यापार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 19 सितंबर 2024 को पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) की ट्रेडर सदस्यता प्राप्त कर ली।

यह सदस्यता टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को व्यापारिक कार्यों के लिए पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाएगी, जिससे इसकी बाजार भागीदारी और व्यापारिक क्षमताओं में वृद्धि होगी।

मूर्त पूंजी

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड वर्तमान में 2,747 मेगावाट की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है, जिसमें जल, पवन, सौर और तापीय स्रोतों से योगदान शामिल है, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

- **जलविद्युत क्षमता – 1,924 मेगावाट:**
  टिहरी जल विद्युत स्टेशन – 1,000 मेगावाट
  टिहरी पीएसपी – 500 मेगावाट
  कोटेश्वर जल विद्युत स्टेशन – 400 मेगावाट
  दुकवां लघु जल विद्युत परियोजना – 24 मेगावाट
- **पवन ऊर्जा क्षमता – 113 मेगावाट:**
  पाटन पवन ऊर्जा परियोजना – 50 मेगावाट
  द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना – 63 मेगावाट



- **सौर ऊर्जा क्षमता – 50 मेगावाट:**
  कासरगोड सौर ऊर्जा पार्क – 50 मेगावाट
- **तापीय ऊर्जा क्षमता – 1,320 मेगावाट:**
  खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट:
  यूनिट– I व्यावसायिक रूप से चालू है
  यूनिट– II चालू होने के अंतिम चरण में है

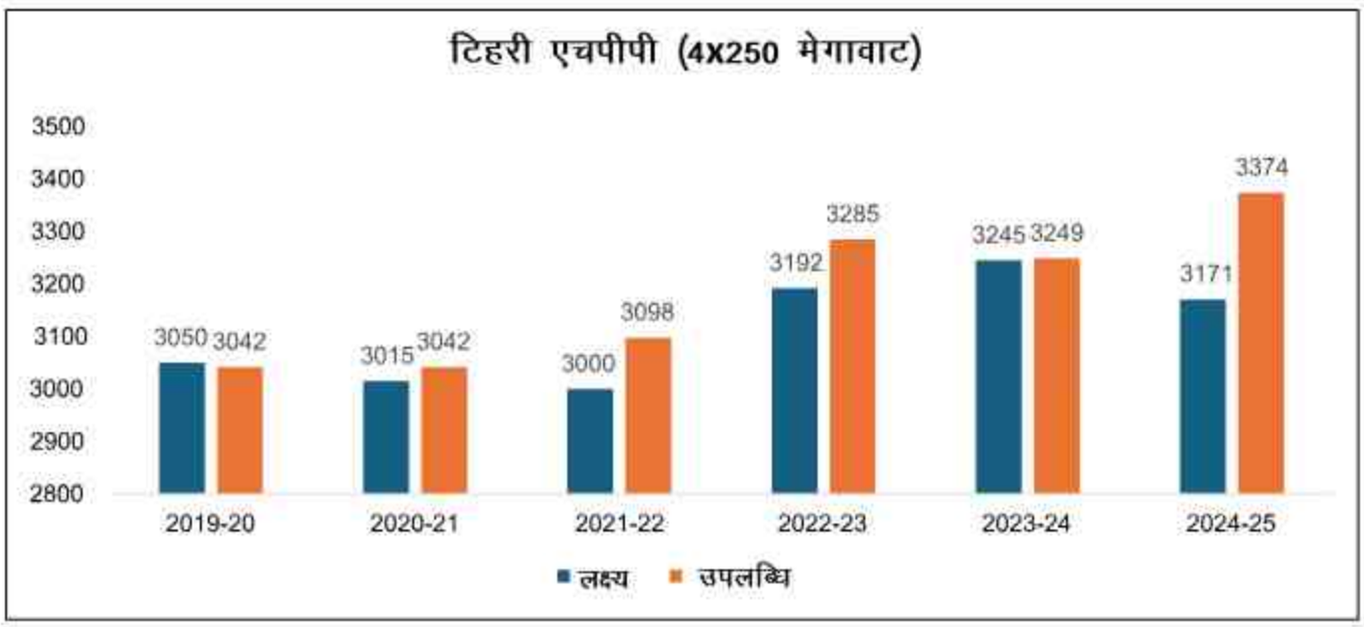
क. टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स (2400 मेगावाट)

टिहरी बांध से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना का निर्माण टिहरी बांध के नीचे की ओर किया गया है और यह क्रियाशील है। टिहरी पंप भंडारण संयंत्र, जिसके लिए टिहरी और कोटेश्वर जलाशय अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं, निर्माणाधीन है। टिहरी परिसर की तीनों परियोजनाओं का एकीकृत संचालन, सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा और ग्रिड को उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा से कम नहीं है।

टिहरी एचपीपी (4 x 250 मेगावाट)


टिहरी बांध का एप्रोच रिपलव और हाउस स्ट्रीम

- भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा अर्थ एंड रॉक फिल डैम टिहरी एचपीपी, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है।
- टिहरी परियोजना एक बहुद्देशीय परियोजना है जो उत्तरी क्षेत्र को विद्युत लाभ, उत्तर प्रदेश को सिंचाई लाभ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल लाभ प्रदान कर रही है।
- भंडारण परियोजना होने के नात, टिहरी बांध ने बाढ़ शमन में मदद की, जिसका प्रदर्शन वर्ष 2010, 2011 और 2013 की बाढ़ों के दौरान किया गया।
- इसके अतिरिक्त, टिहरी के मशीनों के सिंक्रोनस कंडेंसनर मोड में चलाये जाने का प्रावधान है ताकि आवश्यक होने पर रिएक्टिव पावर (वोल्टेज में सुधार के लिए ग्रेड को उपलब्ध करवाया जा सके।
- टिहरी एचपीपी ग्रिड की विद्युत गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने में ग्रिड प्रचालन का समर्थन करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है और इसमें प्राथमिक रिजर्व सहायक सेवा, माध्यमिक रिजर्व सहायक सेवा, तृतीयक रिजर्व सहायक सेवा, लोड फॉलोइंग के लिए सक्रिय बिजली समर्थन, प्रतिक्रियाशील विद्युत समर्थन, ब्लैक स्टार्ट आदि शामिल है।
- वित्त वर्ष 2024–25 में, टिहरी एचपीपी ने 3373.89एमयू का उत्पादन किया है।
- 18 सितम्बर, 2024 को, टिहरी एचपीपी ने 25.890816एमयू का उत्पादन किया और एक ही दिन में अधिकतम ऊर्जा उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड कायम किया।



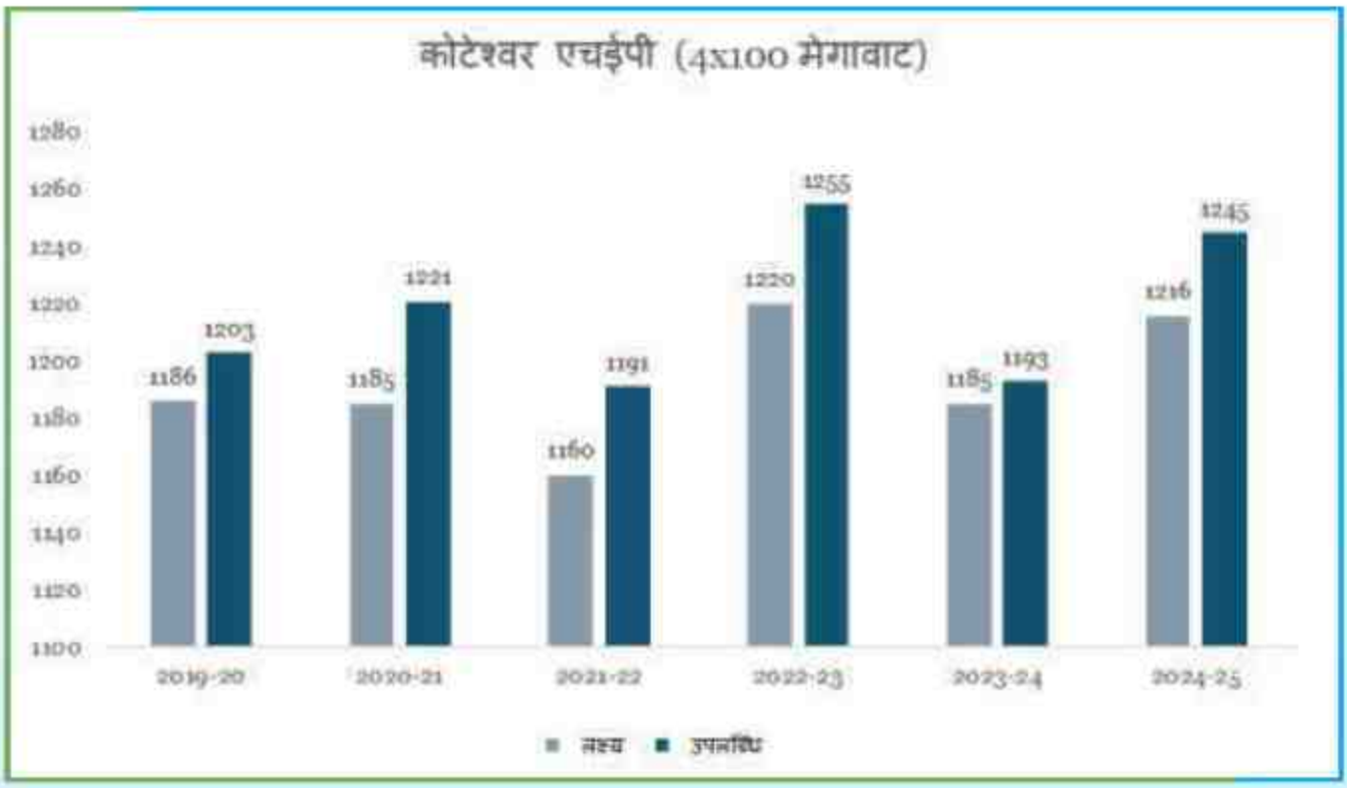
कोटेश्वर एचईपी (4X100 मेगावाट)

- टिहरी जलाशय के निचले हिस्से में स्थित 400 मेगावाट के कोटेश्वर विद्युत गृह को अप्रैल, 2012 में ग्रिड की चौथी यूनिट के साथ वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किया गया था। कोटेश्वर विद्युत संयंत्र में ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी का भी प्रावधान है और ग्रिड फेल होने पर यह ग्रिड को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोटेश्वर एचईपी ग्रिड की विद्युत गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा बनाए रखने में ग्रिड प्रचालन का समर्थन करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने में भी सक्षम है और इसमें प्राथमिक रिजर्व सहायक सेवा, माध्यमिक रिजर्व सहायक सेवा, तृतीयक रिजर्व सहायक सेवा, लोड फॉलोइंग के लिए सक्रिय बिजली समर्थन, प्रतिक्रियाशील विद्युत समर्थन, ब्लैक स्टार्ट आदि शामिल है।
- वित्त वर्ष 2024–25 में, कोटेश्वर एचईपी ने 1244.68एमयू का उत्पादन किया।



कोटेश्वर एचईपी का पावर हाउस (4 X 100 मेगावाट) 400 मेगावाट

कोटेश्वर एचईपी का उत्पादनः



ढुकवां एसएचईपी (3x8 मेगावाट):



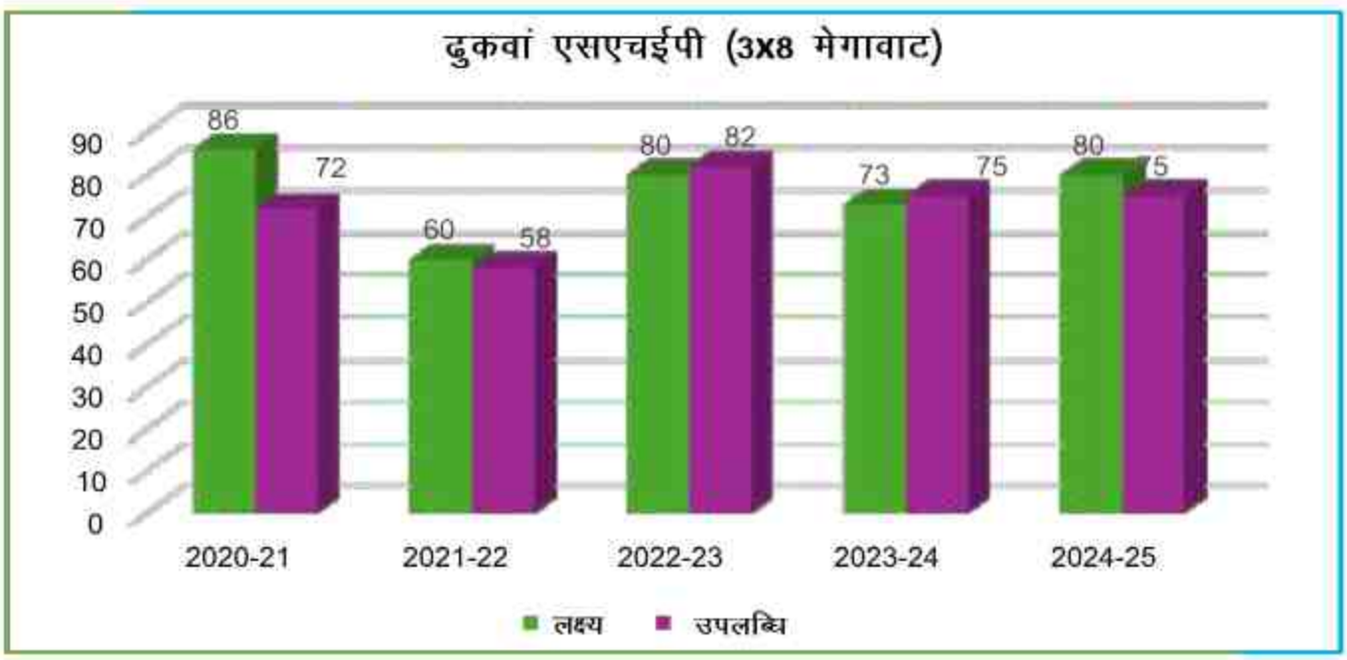
24 मेगावाट ढुकवां एसएचईपी का हवाई दृश्य

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूदा ढुकवां चिनाई–सह–मृदा बांध के पादाग्र पर ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। 24 मेगावाट (3 x 8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता वाली यह परियोजना बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का भाग है। परियोजना प्रचालनाधीन है और सभी तीन यूनिटों को दिसम्बर, 2019 में चालू किया गया था।

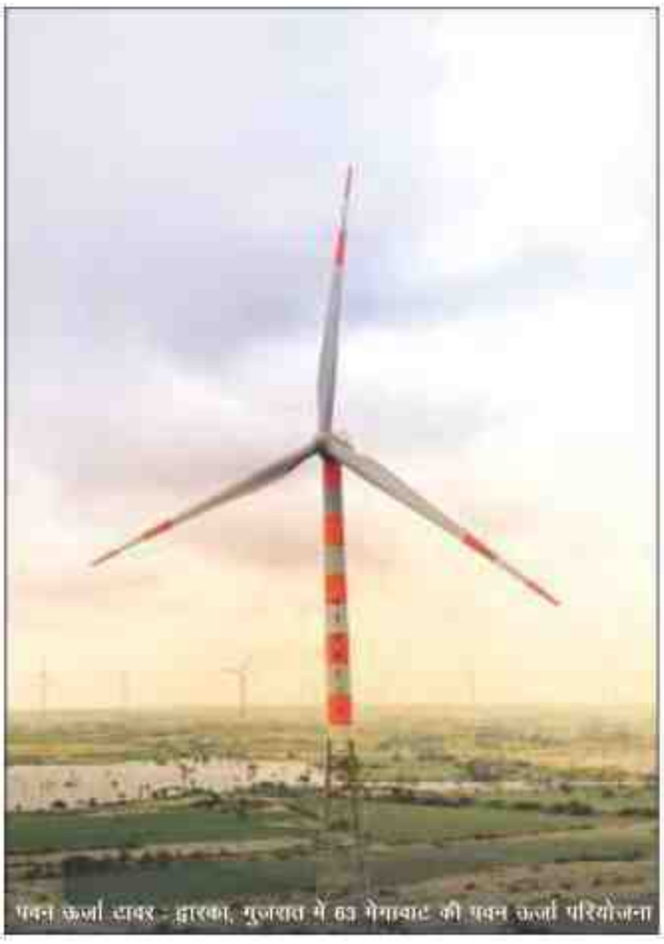
ढुकवां परियोजना कई रूप में प्रथम हैं:

- टीएचडीसी की पहली नहर आधारित परियोजना
- टीएचडीसी का पहला पूरी तरह से संस्थागत सिविल डिजाइन
- लघु जलविद्युत परियोजना में टीएचडीसी की पहली परियोजना
- टीएचडीसी की पहली कपलान टर्बाइन वाली परियोजना
- उत्तराखंड के बाहर टीएचडीसी की पहली जलविद्युत परियोजना

वित्त वर्ष 2024–25 में, ढुकवां एसएचईपी ने 75.44 एमयू उत्पादन किया है।



ख. पवन ऊर्जा के अन्य रूपों में विविधीकरण


पवन ऊर्जा टावर - द्वारका, गुजरात में 63 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना

(क) पवन ऊर्जा परियोजनाः

i. पाटन पवन विद्युत परियोजना (2x25 मेगावाट) :

गुजरात के जिला पाटन में स्थित पाटन पवन फार्म की संस्थापित क्षमता 50 मेगावाट है, जिसमें 25 पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) शामिल हैं, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 2 मेगावाट है। ये 25 डब्ल्यूटीजी, गुजरात के पाटन जिले के चार गांवों अर्थात् अमरापुर, वेद, वाहेदपुर और अनवरपुर में स्थापित किए गए हैं। यह परियोजना निर्धारित समय से पहले 29 जून 2016 को चालू हो गई। परियोजना से अपेक्षित वार्षिक उत्पादन 25.10% क्षमता उपयोग कारक के साथ 110.5 एमयू है।

ii. देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजनाः

कुल स्थापित क्षमता 63 मेगावाट वाली इस परियोजना में 30 पवन टरबाइन जेनरेटर (डब्ल्यूटीजी) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.1 मेगावाट है। परियोजना 31 मार्च 2017 को चालू की गई थी। परियोजना से वार्षिक अपेक्षित ऊर्जा उत्पादन 26.27% सीयूएफ (क्षमता उपयोग कारक) के साथ 144.9 एमयू है।

iii. पवन ऊर्जा परियोजनाओं का वर्षवार उत्पादन और सीयूएफ

वर्ष	पाटन डब्ल्यूपीपी		देवभूमि द्वारका डब्ल्यूपीपी	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (प्रतिशत)	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (प्रतिशत)
2017–18	90.22	20.60%	149.45	27.08%
2018–19	108.32	24.73%	182.89	33.14%
2019–20	104.07	23.70%	177.83	32.22%
2020–21	75.64	17.27%	136.44	24.72%
2021–22	77.74	17.75%	156.90	28.43%
2022–23	77.70	17.74%	140.75	25.50%
2023–24	76.83	17.49%	139.88	25.28%
2024–25	69.18	15.80%	130.88	23.72%

(ख). सौर ऊर्जा

टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 31.12.2020 से केरल के कासरगोड जिले में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना के प्रारम्भण से सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू किया है जिसे दिनांक 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

i. कासरगोड एसपीपी का वर्ष–वार उत्पादनः

वर्ष	कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (प्रतिशत)
2020–21	17.36	36.59%
2021–22	89.11	23.32%
2022–23	94.58	23.47%
2023–24	97.29	23.05%
2024–25	90.82	23.37%

ii. खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (2x660 मेगावाट)

कंपनी को अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में व्यवसाय करने के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा में कोयला आधारित 1320 मेगावाट खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना का कार्य सौंपा गया है।

यूनिट–1: वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) 26.01.2025 को 00:00 बजे घोषित की गई।

यूनिट–1 (660 मेगावाट) के लिए खुर्जा एसटीपीपी का उत्पादन

माह	इन्फर्म पावर (एमयू)	फर्म पावर (एमयू)	कुल उत्पादन (एमयू)	पीएलएफ (%)
दिसम्बर–24	111.586	0.00	111.586	–
जनवरी–25	109.414	82.358	191.772	86.66%
फरवरी–25	0.00	339.837	339.837	76.62%
मार्च–25	0.00	448.617	448.617	91.36%
कुल	**221.00**	**870.812**	**1091.812**	**84.58%**

टिप्पणी: सीओडी (26.01.2025) पश्चात खुर्जा एसटीपीपी, संचयी पीएएफ 88.33%

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) के लिए सीसीईए द्वारा 07.03.2019 को रु11,089.42 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी दी गई थी। संयंत्र से कुल वार्षिक उत्पादन 85% पीएलएफ के अनुरूप 9264 एमयू होगा। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 09.03.2019 को रखी गई थी। यूनिट–1 का सीओडी 26.01.2025 को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। यूनिट–2 का सीओडी अगस्त 2025 तक लक्षित है।

अमेलिया कोयला खदान

खुर्जा एसटीपीपी की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल को जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान आवंटित की है। सीसीईए ने अमेलिया कोयला खदान के लिए, रु1587.16 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल पर) की अनुमानित लागत पर निवेश अनुमोदित कर दिया था। अमेलिया कोयला खदान 17.11.22 को खोली गई है और कोयले का उत्पादन निर्धारित समय से छह महीने पहले 18.02.2023 से शुरू हो गया है। अब तक लगभग 44.41 लाख टन कोयला एनटीपीसी संयंत्रों को भेजा गया और अंतिम उपयोग संयंत्र, खुर्जा एसटीपीपी को भी 15.37 लाख टन कोयले का प्रेषण किया जा चुका है। खदान की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) 18.02.2025 को सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली गई है।

I. निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र (2x250 मेगावाट)

टिहरी पीएसपी (पंप स्टोरेज संयंत्र) भारत में उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित एक निर्माणाधीन जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन परियोजना है। यह देश के केंद्रीय क्षेत्र में पहला पंप स्टोरेज संयंत्र है और इसकी क्षमता 1,000 मेगावाट है, जिसमें प्रत्येक 250 मेगावाट की चार इकाइयां शामिल हैं। यूनिट–1 और 2 का सीओडी क्रमशः 7 जून 2025 और 10 जुलाई 2025 को घोषित किया गया है। यूनिट–3 में कमीशनिंग परीक्षण और यूनिट–4 में प्री–कमीशनिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं और इनकी कमीशनिंग क्रमशः 25 अक्टूबर और 25 नवंबर तक लक्षित है।

ii. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट)

वीपीएचईपी 'रन आफ़ दि रिवर' परियोजना है। यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट डैम की परिकल्पना की गई है जो अलकनंदा नदी पर 237 मीटर के सकल शीर्ष के साथ तेजी लाएगा। यह 1657 एमयू यूनिट (90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष) का उत्पादन करेगा। परियोजना के ऋण भाग का वित्तपोषण विश्व बैंक कर रहा है। सिविल, एचएम निर्माण कार्यों तथा ईएम कार्यों में सामंजस्य बिठा कर परियोजना की पहली इकाई के अक्टूबर, 2026 में शुरू किए जाने के लिए लक्षित है।

मानव पूंजी

किसी भी संगठन का प्रदर्शन और विकास उसके कर्मचारियों की क्षमता और प्रतिबद्धता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है, विशेषकर उन उद्योगों में जो उच्च–जोखिम वाले, पूंजी–प्रधान और तकनीकी रूप से जटिल होते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र। इसे समझते हुए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को अपनी विकास यात्रा के केंद्र में रखता है। मानव पूंजी एक कर्मचारी के संचित ज्ञान, कौशल और अनुभव से प्राप्त आर्थिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें विशेषज्ञता, प्रतिभा, प्रशिक्षण, बुद्धिमत्ता, निर्णय और ज्ञान जैसी विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जो कार्यबल द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से धारण की जाती हैं। यह सामूहिक क्षमता संगठनात्मक सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनाती है। किसी भी संगठन का प्रदर्शन और विकास उसके कर्मचारियों की क्षमता और प्रेरणा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है, खासकर उन उद्योगों में जो उच्च–जोखिम वाले, पूंजी–प्रधान और तकनीकी रूप से जटिल होते हैं।



टीएचडीसी में, हमारी मानव पूँजी, परिवर्तनकारी जलविद्युत शक्ति का दोहन और वितरण करने के हमारे मिशन के मूल में है। एक 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में प्रमाणित संगठन के रूप में, हमें अपनी समावेशी और सहयोगी संस्कृति पर गर्व है – जो पारदर्शिता, निष्पक्षता, शिक्षा और उत्कृष्टता पर आधारित है।

एक ऐसे क्षेत्र में जो पूँजी–प्रधान, उच्च–जोखिम वाला और तकनीकी रूप से जटिल है, कार्यबल की क्षमता, प्रतिबद्धता और अनुकूलनशीलता सीधे तौर पर कंपनी के विकास और प्रदर्शन को संचालित करती है। इन माँगों को पूरा करने के लिए, हमारी कंपनी मानव संसाधन, इंजीनियरिंग, तकनीकी सेवाएँ, वित्त, विधि, जनसंचार, पर्यावरण आदि सहित विविध विशिष्ट क्षेत्रों से पेशेवरों की भर्ती करती है। चयन, अखिल भारतीय परीक्षा, गेट, यूजीसी–नेट और कैंपस भर्ती जैसी कठोर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है।

हमारी मानव संसाधन कार्यनीति के मूल में क्षमता निर्माण के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता निहित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारा कार्यबल वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना लचीलेपन और विशेषज्ञता के साथ करने के लिए सुसज्जित हो। हम सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नेतृत्व विकास पहलों और उभरती प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराकर अपने कर्मचारियों की क्षमताओं के विकास में निरंतर निवेश करते हैं।

क. हमारी मानव पूंजी और उनका सुदृढ़ीकरण:

टीएचडीसीआईएल समर्पित एवं कुशल कार्यबल के सहयोग से विकास और विविधीकरण के पथ पर निरंतर अग्रसर है। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी के पास 899 कार्यपालक अधिकारियों, 371 पर्यवेक्षकों और 408 श्रमिकों सहित कुल 1,678 कार्मिकों की मानव पूँजी है। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम और प्रेरित कार्यबल के महत्व को समझते हुए, टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों के उच्च स्तर के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभिन्न विकासात्मक पहलों, सुव्यवस्थित सहायता प्रणालियों और कर्मचारी–केंद्रित नीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिनका उद्देश्य पेशेवर विकास को बढ़ावा देना और कार्यस्थल में सहभागिता को बढ़ाना है। हमारे मानव संसाधन हस्तक्षेपों में केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास, उभरती प्रौद्योगिकियों से परिचय और निरंतर ज्ञान साझा करने के मंच शामिल हैं। हमारा ध्यान प्रतिभाओं को पोषित करने, क्षमताओं को सुदृढ़ करने और अपने कार्यबल में लचीलापन सृजित करने पर केंद्रित है, जिससे संगठन वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम हो सके।

टीएचडीसीआईएल पारदर्शिता, निष्पक्षता और अवसर पर आधारित एक अनुकूल और समावेशी कार्य परिवेश सृजित करने का भी प्रयास करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक कर्मचारी मूल्यवान महसूस करे और सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त हो।

मानव/मेगावाट अनुपातः खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (केएसटीपीपी) की पहली इकाई के सफल प्रचालन के बाद, मानव/मेगावाट अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2024–25 में 0.75 तक पहुँच गया है। यह सुधार टीएचडीसीआईएल की अपने उत्पादन पोर्टफोलियो में कुशल मानवशक्ति उपयोग और प्रचालन अनुकूलन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

खुर्जा एसटीपीपी की दूसरी इकाई के चालू होने से इस अनुपात में और सुधार होने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम अतिरिक्त मानवशक्ति आवश्यकताओं के साथ उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह सकारात्मक रुझान कंपनी के कम उत्पादन वाले प्रचालनों पर सामरिक फोकस को रेखांकित करता है, जिसे आधुनिक तकनीकों को अपनाने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और कार्यबल परिनियोजन में सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा समर्थित किया जाता है।



प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि और मानवशक्ति आवंटन को अनुकूलित करके, टीएचडीसीआईएल अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने, लागत दक्षता सुनिश्चित करने और एक प्रगतिशील एवं भविष्य के लिए तत्पर संगठन के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

तकनीकी जनशक्ति से गैर–तकनीकी जनशक्ति का अनुपातः

टीएचडीसीआईएल अपने तकनीकी और गैर–तकनीकी जनशक्ति अनुपात को अनुकूलित करने की दिशा में निरंतर केंद्रित प्रयास कर रहा है। टिहरी जलविद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) के निर्माण के दौरान, स्थानीय लोगों की बड़े पैमाने पर भर्ती और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग (यूपीआईडी) से कार्मिकों के समावेशन ने संगठन में गैर–तकनीकी जनशक्ति के अनुपात को अपेक्षाकृत बढ़ा दिया।

आधुनिक, प्रौद्योगिकी–संचालित प्रचालनों की माँगों को पूरा करने हेतु एक संतुलित कार्यबल संरचना की आवश्यकता को समझते हुए, टीएचडीसीआईएल ने अपने तकनीकी संवर्ग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लक्षित भर्ती रणनीतियाँ अपनाई हैं। इन प्रयासों को



सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, ज्ञान विकास पहलों और विशिष्ट क्षमताओं के निर्माण हेतु कौशल संवर्धन कार्यक्रमों द्वारा पूरित किया जाता है।

निरंतर उपायों के साथ, कंपनी एक अधिक संतुलित और कुशल जनशक्ति मिश्रण प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रगति कर रही है, जिससे न केवल परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने की इसकी क्षमता भी मजबूत होगी।

जनशक्ति रूझान:

पिछले पाँच वर्षों में, टीएचडीसीआईएल की जनशक्ति क्षमता ने इसके विस्तारित व्यावसायिक पोर्टफोलियो की गतिशील आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित किया है। कार्यबल की संख्या 2020–21 में 1,736 से घटकर 2022–23 में 1,563 हो गई, फिर 2023–24 में बढ़कर 1,782 हो गई और 2024–25 में 1,678 पर स्थिर हो गई।

ये उतार–चढ़ाव मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति के साथ–साथ उभरती परियोजनाओं, विशेष रूप से तापीय, नवीकरणीय ऊर्जा और पंप भंडारण क्षेत्रों में, की स्टाफिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित रूप से नियुक्तियों के कारण हुए हैं:

चूँकि कंपनी विविध क्षेत्रों में अनेक नई परियोजनाएँ शुरू कर रही है, इसलिए सही कार्यबल संतुलन बनाए रखना एक चुनौती और प्राथमिकता दोनों बना हुआ है। टीएचडीसीआईएल अपनी जनशक्ति कार्यनीति को परियोजना समय–सीमा के अनुरूप बनाना जारी रखे हुए है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी भविष्य की संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं से सुसज्जित हों।

सामरिक भर्ती, क्षमता निर्माण और कार्यबल नियोजन के मिश्रण के माध्यम से, टीएचडीसीआईएल एक लचीला और भविष्य के लिए तैयार मानव पूंजी आधार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो इसके विकास पथ को बनाए रखेगा।

ख. प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन



- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में, कर्मचारी विकास एक सामरिक प्राथमिकता है जो एक सुव्यवस्थित और भविष्य–केंद्रित शिक्षण ढाँचे पर आधारित है। यह स्वीकार करते हुए कि एक कुशल और स्फूर्त कार्यबल संगठनात्मक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, टीएचडीसी व्यापक शिक्षण और प्रशिक्षण आधारित पहलों में निवेश करना जारी रखता है जो उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ निकटता से संरेखित होते हैं।
- कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट विकास योजनाएँ लागू की हैं कि कर्मचारियों की दक्षताओं का निरंतर उन्नयन हो, जिससे कार्यबल उद्योग में परिवर्तनों के प्रति लचीला और उत्तरदायी बने। ऋषिकेश में एक अत्याधुनिक मानव संसाधन विकास केंद्र की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो टीएचडीसीआईएल के प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला बन गया है और जो न केवल सभी शिक्षण आधारित पहलों के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है, बल्कि एक संभावित लाभ केंद्र भी है।
- सुगमता बढ़ाने और शिक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, टीएचडीसी ने एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म – "ई–ज्ञान संचय", एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) पेश किया है जो अधिकारियों को विभिन्न विकासात्मक उपकरणों और प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को अपनी ज्ञानार्जन यात्रा का प्रभार स्वयं लेने तथा अपने कौशल को निरंतर निखारने की सुविधा प्रदान करता है।
- संगठन तकनीकी, व्यवहारिक– आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ तकनीकी पेपर प्रस्तुतियों का मिश्रण प्रदान करता है। ये सत्र आंतरिक प्रशिक्षकों और बाहरी विशेषज्ञों के मिश्रण द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो अधिगम में प्रासंगिकता और गहराई सुनिश्चित करते हैं। इस तरह के केंद्रित प्रयासों का उद्देश्य संगठन के सभी स्तरों पर कौशल अंतराल को पाटना और प्रतिभा का पोषण करना है।
- वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसी ने 73 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और बाहरी नामांकन की सुविधा प्रदान की, जिससे 1,580 कर्मचारियों के लिए 6,639 प्रशिक्षण कार्यदिवस प्राप्त हुए। प्रमुख हस्तक्षेपों में डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल के साथ–साथ नेतृत्व, कल्याण, अखंडता और शासन–केंद्रित कार्यक्रम शामिल थे। नए कार्यकारी प्रशिक्षुओं के लिए तीन–सप्ताह के फाउंडेशन प्रोग्राम ने निर्बाध एकीकरण और डोमेन ज्ञान सुनिश्चित किया। तक्षशिला–एचआरडी केंद्र ने 17 ओपन हाउस कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिससे प्रशिक्षण राजस्व में रु 80 लाख का योगदान हुआ और एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई।

ग. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

टीएचडीसीआईएल ने अपने निदेशक मंडल के लिए एक सुसुव्यवस्थित प्रशिक्षण नीति बनाई है। यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013 (अनुसूची IV – स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता सहित), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (विशेष रूप से स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम से संबंधित विनियम 62(ढ)) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई है।

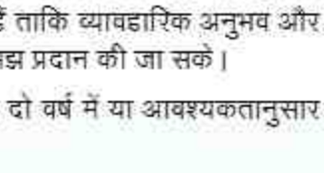
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) एक



ऋषिकेश में टीएचडीसीआईएल का एचआरडी सेंटर "तक्षशिला"

सुव्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण ढाँचे के माध्यम से अपने निदेशक मंडल के निरंतर शिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष बल देता है। इसका उद्देश्य नवनियुक्त और वर्तमान निदेशकों, दोनों को विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य, कंपनी के प्रचालन, शासन ढाँचे, कानूनी और नियामक दायित्वों, स्थिरता प्राथमिकताओं और सामरिक लक्ष्यों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। नियुक्ति के तीन माह के भीतर व्यापक प्रवेशन और परिचय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें संयंत्र दौरे और डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सत्र शामिल होते हैं ताकि व्यावहारिक अनुभव और व्यावसायिक परिवेश की गहन समझ प्रदान की जा सके।

मौजूदा बोर्ड सदस्यों के लिए, हर दो वर्ष में या आवश्यकतानुसार आवधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, जिसमें उद्यम जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन, ईएसजी प्रथाएँ, वित्तीय निरीक्षण और उभरते उद्योग रुझानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कार्यात्मक निदेशकों को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते कि ऐसे प्रशिक्षणों के बीच एक वर्ष का अंतराल हो। इन शिक्षण पहलों को आईआईएम, आईआईटी, एनपीटीआई और स्कोप जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बोर्ड ऊर्जा क्षेत्र में उभरते प्रशासनिक मानकों, नियामक परिवर्तनों और सामरिक नेतृत्व आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे।



घ. सोशल मीडिया और सामाजिक संवाद मंचों के माध्यम से कर्मचारियों की संलग्नता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में, कॉर्पोरेट संचार संगठनात्मक तालमेल की आधारशिला है, जो विभागों को एकजुट करने और हितधारकों को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेजी से डिजिटल परिवर्तन के युग में, विभाग ने पारंपरिक और आधुनिक संचार कार्यनीतियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण अपनाया है, जिससे एक दूरगामी और प्रभावशाली उपस्थिति सुनिश्चित हुई है।

प्रिंट मीडिया, प्रेस विज्ञप्तियाँ और सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे समय-परीक्षित तरीकों को सोशल मीडिया, संवादात्मक सामग्री और ई-न्यूजलेटर जैसे गतिशील डिजिटल उपकरणों के साथ एकीकृत करके, टीएचडीसीआईएल ने एक मजबूत और उत्तरदायी संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है।

इस कार्यनीति का केंद्रबिंदु हमारा 360-डिग्री सोशल मीडिया दृष्टिकोण है, जिसे पारदर्शिता, समावेशिता और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), लिंक्डइन और अन्य जैसे प्लेटफार्मों पर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, हम महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ साझा करते हैं, उपलब्धियों को उजागर करते हैं, तथा नवाचार और स्थिरता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये प्लेटफॉर्म न केवल हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, बल्कि आंतरिक और बाहरी दोनों दर्शकों के साथ संवाद, प्रेरणा और जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी काम करते हैं।

हमारा संचार दर्शन तीन मुख्य स्तंभों – कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ाना, कॉर्पोरेट पहचान को मजबूत करना और हितधारक संबंधों को गहरा करना – पर आधारित है। पारंपरिक पहुँच की समृद्धि को डिजिटल प्लेटफॉर्म की तात्कालिकता के साथ विवेकपूर्ण रूप से संबद्ध करके, हम अपनी कार्रवाई का वर्णन प्रामाणिकता के साथ करते हैं, अपने लोगों का सम्मान करते हैं, और अपने हर दर्शक वर्ग के बीच स्थायी विश्वास सृजित करते हैं।



ङ. कर्मचारी कल्याण गतिविधियां

टीएचडीसी एक स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देकर तथा समग्र जीवन और कार्य स्थितियों को बेहतर बनाकर कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूरे वर्ष के दौरान, विभिन्न कल्याणकारी पहल की गई, जिनमें अंतर–सीपीएसयू खेल आयोजनों में भागीदारी भी शामिल है, जहाँ कर्मचारियों ने आईसीपीएसयू के बैनर तले ख्याति अर्जित की। सांस्कृतिक सद्भाव और सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, नव वर्ष और स्थापना दिवस जैसे अवसरों को जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया, जो समावेशिता और एकजुटता को बढ़ावा देते हैं।

समग्र कल्याण पर अपने फोकस को सुदृढ़ करते हुए, टीएचडीसी नियमित रूप से कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए योग्य प्रशिक्षकों के साथ योग सत्र आयोजित करता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, और कई स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करता है। अपनी चल रही स्वास्थ्य पहलों के हिस्से के रूप में, कंपनी ने शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए एक मैराथन का भी आयोजन किया, साथ ही विभिन्न इकाइयों में चिकित्सा जांच शिविर, रक्तदान अभियान और टीकाकरण शिविर भी आयोजित किए – जो कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इन पहलों के माध्यम से, टीएचडीसीआईएल अपनी देखभाल, समावेशिता और कल्याण की संस्कृति को मजबूत करना जारी रखे हुए है, जिससे एक ऐसे कार्यबल का पोषण हो रहा है जो न केवल उच्च प्रदर्शन करने वाला है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में भली–भांति समर्थित भी है।

च. मानव संसाधन नीतिगत ढांचा

पारदर्शी और नैतिक शासन द्वारा निर्देशित, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने एक मजबूत नीतिगत ढाँचा तैयार किया है जो सभी कॉर्पोरेट मामलों में ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। हमारी दूरदर्शी मानव संसाधन प्रथाएँ प्रतिभाओं को पोषित करने, कर्मचारियों को प्रेरित करने और एक जीवंत, समावेशी कार्यस्थल संस्कृति बनाने पर केंद्रित हैं।

वर्ष के दौरान, कर्मचारी कल्याण, कार्यबल प्रबंधन और संगठनात्मक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए कई प्रगतिशील मानव संसाधन पहल और नीतियाँ शुरू की गईं। इस वर्ष, टीएचडीसीआईएल ने एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना, आर्थिक पुनर्वास योजना शुरू की, ताकि कंपनी में कर्मचारी की सेवा के दौरान स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में कर्मचारी को और मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने एक निश्चित कार्यकाल/पूर्णतः अल्पकालिक आधार पर कर्मियों की नियुक्ति के लिए एक समर्पित नीति भी शुरू की। यह व्यापक नीति, जो विद्युत



टीएचडीसीआईएल ने 25 जनवरी 2025 को केएसटीपीपी की 2x660 मेगावाट (1320 मेगावाट) की इकाई – 1 का सीओडी सफलतापूर्वक शुरू किया गया।

सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी तरह की पहली है, विस्तृत नियमों, शर्तों और लाभों को रेखांकित करती है, और उच्च दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली को शामिल करती है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने उभरते भर्ती रुझानों और प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी भर्ती नीति की समीक्षा की और जनशक्ति भर्ती एवं सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली पर नीति वक्तव्य प्रस्तुत किया। एक सुरक्षित, समतामूलक और समावेशी कार्यस्थल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) पर एक व्यापक नीति लागू की, जो वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में सुरक्षा, जागरूकता और निवारण तंत्र सुनिश्चित करती है।

डिजिटल उपकरणों और सहयोगात्मक कार्य पद्धतियों को अपनाकर, टीएचडीसीआईएल एकता, नवाचार और सामूहिक विकास को बढ़ावा देना जारी रखता है – प्रदर्शन और कल्याण के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित करता है, जहाँ प्रत्येक कर्मचारी को उन्नति, उत्थान और समृद्धि का अधिकार मिलता है।



टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 37वें स्थापना दिवस (12.07.2024) के अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

निदेशकों की रिपोर्ट 2024–25



निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक

- कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक – I)
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक – II)
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक – III)
- ऊर्जा संरक्षण उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय (अनुलग्नक – IV)
- व्यापार उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट (अनुलग्नक – V)
- सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट (अनुलग्नक – VI)

निदेशकों की रिपोर्ट 2024–25

प्रिय सदस्य गण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा सहित आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर 37वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रही है।

मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- वित्त वर्ष 2024–25 में 3640.96 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 5368.92 करोड़ रुपये (147.46%) का कैपेक्स हासिल किया।
- टीएचडीसीआईएल ने किसी विशेष वर्ष में सभी चालू संयंत्रों से 6076.70 मिलियन यूनिट का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन हासिल किया है और 2024–25 के दौरान टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी का भारित औसत पीएएफ 77.39% हासिल किया है। 660 मेगावाट (1320 मेगावाट केएसटीपीपी की पहली इकाई) की अतिरिक्त क्षमता के साथ, जिसने अपने प्रचालन की शुरुआत से (मार्च 2025 तक) 1092 मिलियन यूनिट उत्पादन किया।
- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कुल व्यापक आय 724.95 करोड़ रुपये रही।
- **टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट):** यूनिट–1 और 2 की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि क्रमशः 7 जून 2025 और 10 जुलाई 2025 को घोषित की गई है। यूनिट–3 में, ड्राई कमीशनिंग परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं। यूनिट–4 में, प्री–कमीशनिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। दोनों यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि अक्टूबर–नवंबर 2025 तक निर्धारित है।
- **खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट):** यूनिट–1 की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) 26.01.2025 को घोषित



टीएचडीसीआईएल के वरिष्ठ प्रबंधन, कर्मचारियों के साथ, 1000 मेगावाट टिहरी पीएसपी की इकाई–2 की सीओडी के शुभारंभ का जश्न मनाते हुए

की गई है। यूनिट–2 में, स्टीम ब्लोइंग 30.05.2025 को सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और सितंबर 2025 तक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

- **अमेलिया कोयला खदान:** खदान की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) 18.02.2025 को सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024–25 में एनटीपीसी संयंत्रों और खुर्जा एसटीपीपी के अंतिम उपयोग संयंत्र को क्रमशः 3.07 एमएमटी और 0.76 एमएमटी कोयला सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया है।
- **वीपीएचईपी (444 मेगावाट):** सितंबर 2024 में टीबीएम द्वारा रिकॉर्ड 509 मीटर एचआरटी निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो कुल 11.15 किलोमीटर के दायरे में से 6.1 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर गया है। सभी 05 ब्लॉकों में बांध कंक्रीटिंग का कार्य शुरू हो गया है। डिसिल्टिंग चैम्बर की खुदाई 30.06.2024 को पूरी हो गई है। पावर हाउस में, ईओटी चालू कर दिया गया है, यूनिट–1 और 2 में ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर लगाए गए हैं, और ट्रांसफार्मर हॉल की यूनिट–1 में जीआईएस स्लैब कास्टिंग का कार्य पूरा हो गया है। टीआरटी लाइनिंग का कार्य शुरू हो गया है और लगातार प्रगति पर है।
- **खुर्जा एसटीपीपी के अपरिष्कृति जल के जलाशय पर 11 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी (एफएसपीवी) संयंत्र:** केएसटीपीपी के अपरिष्कृत के जलाशय पर 11 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर संयंत्र का परीक्षण और कमीशनिंग अंतिम चरण में है। अगस्त 2025 में परियोजना की कमीशनिंग पूरी करने के प्रयास चल रहे हैं।
- **संयुक्त उद्यम (दुस्को) के माध्यम से उत्तर प्रदेश में यूएमआरईपीपी के तहत सोलर पार्क:** झांसी में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क मेसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 06.01.2025 को एसपीडी के रूप में एवार्ड किया गया। 600 मेगावाट ललितपुर और 800 मेगावाट चित्रकूट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निष्पादन एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) द्वारा एसपीडी के रूप में किया जा रहा है।
- **अरुणाचल प्रदेश में कलई–।। एचईपी (1200 मेगावाट):** 20.03.2025 को सीईए द्वारा कुल परियोजना लागत को अंतिम रूप दी गई। 13,758.64 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ पूर्णता के स्तर पर हैं। जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (सीईआईए) रिपोर्ट का मसौदा अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को 03.07.2025 को प्रस्तुत कर दिया गया है। वन मंजूरी (एफसी) और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है।



टीएचडीसीआईएल ने 10.03.2025 को 1400 मेगावाट पीएसपी के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और सीएसपीजीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अरूणाचल प्रदेश सरकार ने 50% तक एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है।

- **महाराष्ट्र में पीएसपी का विकास:** टीएचडीसीआईएल ने महाराष्ट्र में छह पीएसपी (कुल क्षमतारू 6790 मेगावाट) के माध्यम से पंप स्टोरेज ऊर्जा के दोहन के लिए 03.09.2024 को जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मालशेज घाट पीएसपी, हुम्बर्ली बिरमानी पीएसपी, अरुणा पीएसपी और अरुणा कोलंब पीएसपी की डीपीआर तैयार करने का कार्य आवंटित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।
- **छत्तीसगढ़ में पीएसपी का विकास:** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले के डांगरी में संयुक्त उद्यम मोड में 1400 मेगावाट की पीएसपी परियोजना स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) के साथ 10.03.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, सीएसपीजीसीएल द्वारा डांगरी पीएसपी की डीपीआर तैयार की जा रही है।
- **उत्तराखंड में टीयूईसीओ (टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएन लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से मोरी हनोल एचईपी (54 मेगावाट):** मोरी–हनोल एचईपी (54 मेगावाट) का अनुमानित शुल्क लगभग रु 10/किलोवाट घंटा है। 15.01.25 को ऊर्जा सचिव, उत्तराखंड सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में, मोरी–हनोल जल विद्युत परियोजना और हनोल–तुनि जल विद्युत परियोजना (वर्तमान में यूजेवीएनएल को आवंटित) की डीपीआर को एक एकीकृत परियोजना के रूप में तैयार करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी ताकि उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। तदनुसार, एकीकृत परियोजना की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- **केपीसीएल संयंत्रों के परिसर में 100.1 मेगावाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी संयंत्र:** निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उच्च टैरिफ पाए जाने के कारण, पुनः निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
- उत्तराखंड में विभिन्न राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और अन्य जिला सड़कों पर दीर्घकालिक भूस्खलन से ढलान संरक्षण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और तकनीकी सहायता के लिए 21.05.2024 को टीएचडीसीआईएल और यूकेपीडब्ल्यूडी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- टीएचडीसीआईएल ने स्व–चिह्नित पीएसपी और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 26.09.2024 को एमआरईएल, महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- टीएचडीसीआईएल ने राजस्थान के बूंदी जिले में बिसनपुरा पीएसपी (800 मेगावाट) और टोंक जिले में रामपुरा पीएसपी (800 मेगावाट) की स्थापना के लिए 29.09.2024 को राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ाने और प्रशिक्षित जनशक्ति का एक पूल बनाने के लिए 25.11.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड के कोटेश्वर हाई–परफॉर्मेंस वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में ओलंपिक आकार का पूल विकसित करने के लिए रु 4.00 करोड़ के वित्तीय सहयोग हेतु आरईसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने चार धाम यात्रा मार्ग पर ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया, जो स्वच्छ और हरित पर्यावरण के प्रति टीएचडीसीआईएल के निरंतर योगदान को दर्शाता है।

क. वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं:–

(रु करोड़ में)

विवरण	2024–25	2023–24
आय		
(क) सतत प्रचालन से राजस्व	2682.80	1987.24
(ख) अन्य आय	29.58	44.85
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	23.64	20.65
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	(23.64)	(20.65)
कुल राजस्व (क+ख)	**2712.38**	**2012.09**
व्यय		
(क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	380.16	341.17
(ख) वित्तीय लागत	405.65	158.65
(ग) मूल्यह्रास और परिशोधन	284.45	300.05
(घ) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	791.90	611.92
(ङ) अशोध्य संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	–	–

कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ)	**1862.16**	**1411.79**
विनियामक आस्थगित खाता शेष, अपवादात्मक व्यय और कर पूर्व लाभ	**850.22**	**600.30**
अपवादात्मक मदें – (आय) / व्यय–निवल	–	–
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष	**850.22**	**600.30**
कर व्ययः		
(क) चालू कर (आयकर)	148.97	103.62
(ख) आस्थगित कर – (परिसंपत्ति) / देयता	149.08	(185.43)
विनियामक आस्थगित खाता शेष में कर पश्चात लाभ	**552.17**	**682.11**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय / (व्यय)–निवल कर	180.74	(83.03)
सतत प्रचालन से इस अवधि के लिए लाभ	**732.91**	**599.08**
अन्य व्यापक आय / (व्यय) (कर का निवल)	(7.96)	(9.74)
कुल व्यापक आय	**724.95**	**589.34**

वित्तीय निष्पादन

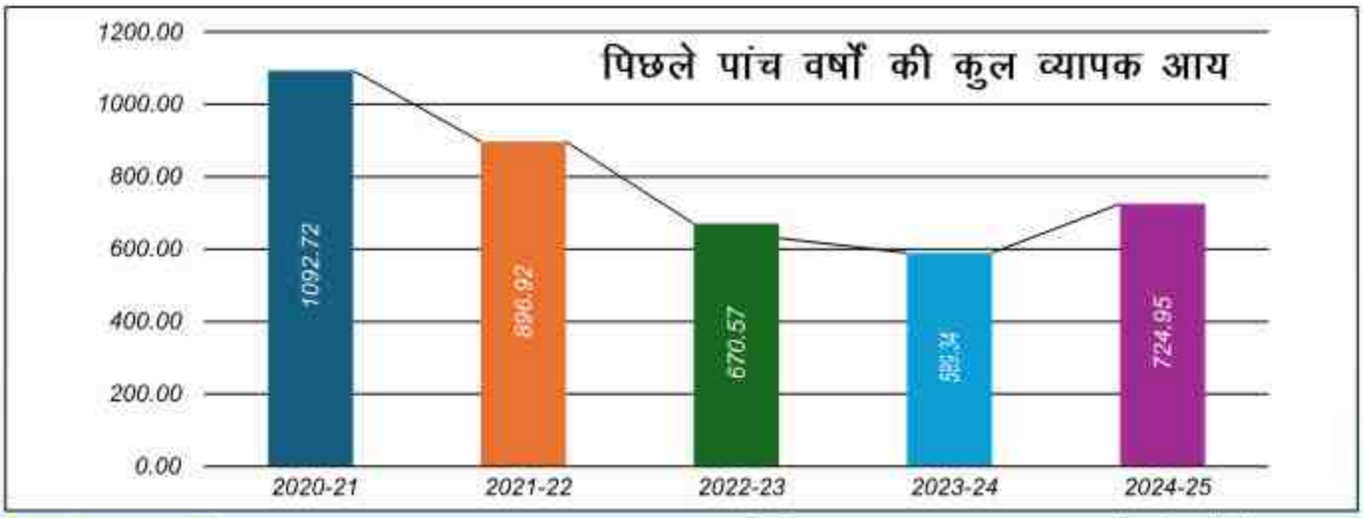
(क) सकल राजस्व और लाभ

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व, सकल राजस्व, कुल व्यापक आय तथा सकल राजस्व और कुल व्यापक आय के प्रतिशत में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(रु करोड़ में)

विवरण	2024–25	2023–24	वृद्धि / (कमी)
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	2,682.80	1,967.24	715.56
सकल राजस्व	2,712.38	2,012.09	700.29
कुल व्यापक आय	724.95	589.34	135.61
सकल राजस्व में कुल व्यापक आय का प्रतिशत	**26.73%**	**29.29%**	

पिछले पांच वर्षों की कुल व्यापक आय का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण नीचे दिखाया गया है:



लाभांश

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु 227.34 करोड़ के अंतिम लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है। इस प्रकार, रु 227.34 करोड़ का कुल लाभांश भुगतान रु 1000 / – सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु 62.02 है, जो कुल समग्र आय का 31.36% और संदत्त पूँजी का 6.20% है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रु 1000 / – सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु 120.56 की दर से रु 441.97 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो निवल मूल्य का 4% है।

पूंजी संरचना और निवल मूल्य (नेटवर्थ)

शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु 4000.00 करोड है। दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, संदत्त पूंजी और निवल मूल्य (नेटवर्थ) क्रमश: रु 3665.88 करोड और रु 11049.34 करोड है।

प्रचालनात्मक निष्पादन 2024–25

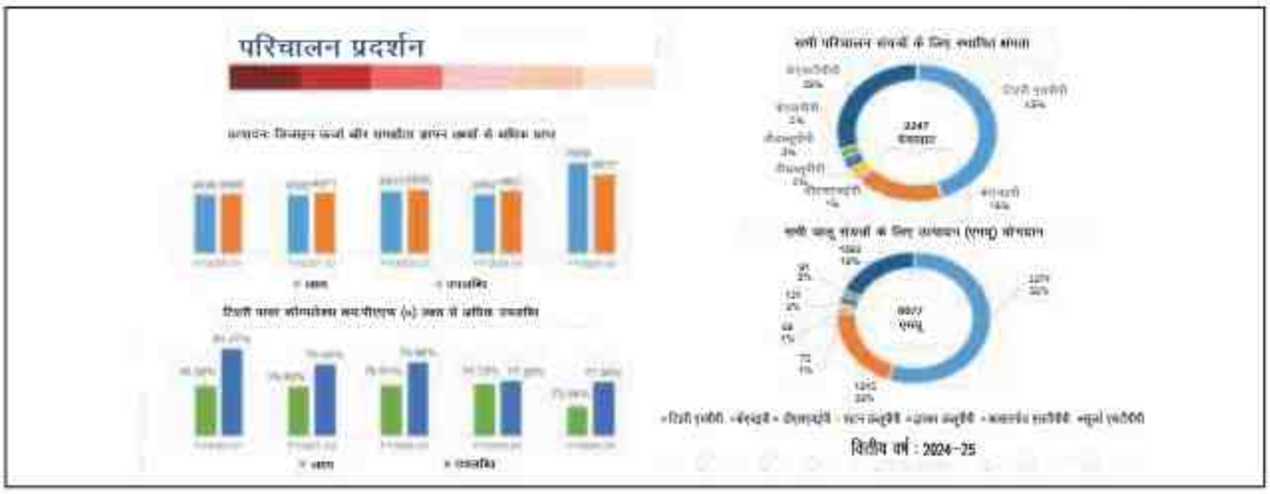
क. विद्युत उत्पादन

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कुल संस्थापित क्षमता 2247 मेगावाट है, जल, पवन, सौर और ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन 7000 एमयू के एमओयू लक्ष्य के सापेक्ष 6077 एमयू रहा।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, सभी संचालित संयंत्रों से कुल विद्युत उत्पादन निम्नानुसार है:

क्रम सं.	संयंत्र का नाम	उत्पादन (मि.यू. में)		पीएएफ / सीयूएफ / पीएलएफ**	
		लक्ष्य*	उपलब्धि	अपेक्षित	उपलब्धि
1.	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	3171.5	3373.89	77.00%	81.99%
2.	कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	1215.7	1244.68	66.00%	64.74%
3.	दुकवां एसएचपी (24 मेगावाट)	80.0	75.44	38.07%	35.88%**
4.	पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	77.0	69.18	17.57%	15.80%
5.	द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट)	140.0	130.88	25.36%	23.72%
6.	कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	95.0	90.82	21.48%	23.34%
7.	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) (*इनफर्म पावर सहित)	2220.8	1091.81*	85.00%	88.33%**
	कुल	**7000**	**6076.70**		

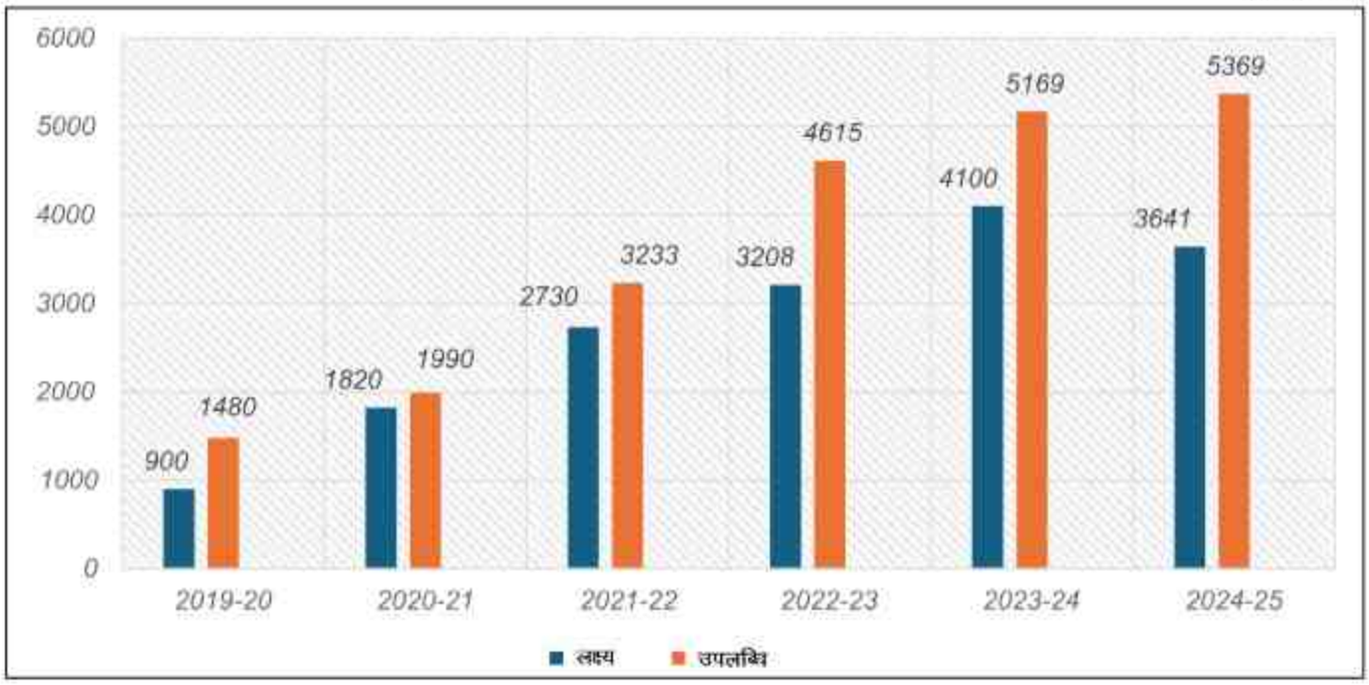




(क) कैपेक्स प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने रु 5368.93 करोड़ का पूंजीगत व्यय हासिल किया है, जो इसके निर्धारित बजट अनुमान लक्ष्य रु 3641 करोड़ का 147.46% है। यह इसके दूरदर्शी नेतृत्व, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कड़ी निगरानी और इसके समर्पित कर्मचारियों के कड़े परिश्रम के कारण इसकी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य की त्वरित गति का परिणाम है।

(रु करोड़ में)



ख. व्यवसायिक प्रदर्शन 2024–25

आपकी कंपनी, निरंतर सुधार तथा लाभार्थी / डिस्कॉम्स को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे सभी लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। आपकी कंपनी के प्रचालन से राजस्व के संदर्भ में व्यवसायिक प्रदर्शन इस प्रकार है:–

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2023–24
*प्रचालन से राजस्व (रु करोड़ में)	2682.80	1967.24
राजस्व वसूली	2107.47	2212.48
राजस्व वसूली (%)*	78.55%	100%

* इसमें पिछले वर्ष के राजस्व से संबंधित वसूली भी शामिल है।

टीएचडीसीआईएल टीम के निरंतर प्रयास से, खुर्जा एसटीपीपी (2*660 मेगावाट) की पहली इकाई ने 26.01.2025 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि चिह्नित करते हुए उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली और खुर्जा एसटीपीपी से अलीगढ़ तक एक समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के साथ सफलतापूर्वक वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त कर लिया। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 26.01.2025 (यूनिट–1 का सीओडी) से 31.03.2029 तक की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु माननीय सीईआरसी के समक्ष अपनी पहली टैरिफ याचिका भी दायर की।

इसके अतिरिक्त, खुर्जा एसटीपीपी की एक एकीकृत खदान, अमेलिया कोयला खदान ने 18.02.2025 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 18.02.2025 से 31.03.2029 तक की अवधि के लिए कोयले के इनपुट मूल्य के निर्धारण हेतु माननीय सीईआरसी के समक्ष अपनी पहली टैरिफ याचिका भी दायर की है।

इसके अलावा, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु माननीय सीईआरसी के समक्ष 2019–24 और 2024–29 की अवधि के लिए टूड टैरिफ याचिका दायर की है।

ग. परियोजना वित्त पोषण

(क) कॉर्पोरेट बॉन्ड्स

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, जिसमें पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी शामिल है, निजी प्लेसमेंट के आधार पर अप्रतिभूत प्रतिदेय असंपरिवर्तनीय बांडों की तीन श्रृंखलाएं जारी की थी। बांड श्रृंखलाओं का विवरण इस प्रकार है:

श्रृंखला–X के बांड रु 750 करोड़ के मूल्य पर जारी किए गए थे, जिनकी वार्षिक कूपन ब्याज दर 7.76% थी। बांड जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद प्रतिदेय हैं और ब्याज वार्षिक रूप से देय है। श्रृंखला X के बांड में से, रु 300 करोड़ का उपयोग टिहरी पीएसपी के लिए और रु 450 करोड़ का उपयोग खुर्जा परियोजना के लिए किया गया है।

श्रृंखला–XI के बांड रु 600 करोड़ के मूल्य पर जारी किए गए थे, जिनकी वार्षिक कूपन ब्याज दर 7.72% थी। बांड जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद प्रतिदेय हैं और ब्याज वार्षिक रूप से देय है। बॉन्ड श्रृंखला–XI की निधियों का उपयोग क्रमशः टिहरी पीएसपी और खुर्जा परियोजना के लिए रु 200 करोड़ और रु 400 करोड़ के रूप में किया गया।

श्रृंखला–XII के बॉन्ड रु 700 करोड़ के जारी किए गए, जिनकी वार्षिक कूपन ब्याज दर 7.73% थी। बॉन्ड जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद प्रतिदेय हैं और ब्याज वार्षिक रूप से देय है। बॉन्ड श्रृंखला XII की कुल राशि में से, टिहरी पीएसपी और खुर्जा परियोजना के लिए रु 350 करोड़ प्रत्येक का उपयोग किया गया।

तीनों बॉन्ड श्रृंखलाओं को केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा "एए (स्टेबल)" और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "एए (पॉजिटिव)" रेटिंग दी गई, जो एक मजबूत क्रेडिट स्थिति का संकेत है।

(ख) परियोजना–वार वित्त पोषण

टिहरी पीएसपी परियोजनाः

1. टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2012 में रु 1500 करोड़ दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले व्यापार संघ के साथ वित्तीय गठबंधन किया था। उपरोक्त संस्वीकृत राशि के सापेक्ष, 31 मार्च, 2018 तक रु 1227.65 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था। कंपनी ने मई, 2018 तक रु 1227.65 करोड़ की पूर्ण राशि चुका दी है।
2. कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना को निधि उपलब्ध करवाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में पीएनबी से रु 700 करोड़ का मध्यावधि ऋण प्राप्त किया है। कंपनी ने मार्च, 2024 तक 20 बराबर किश्तों में रु 700 करोड़ की पूरी राशि की चुकौती कर दी है।
3. कंपनी को रु 1500 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें पीएनबी और केनरा बैंक से प्रत्येक से रु 750 करोड़ शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी ने टिहरी पीएसपी के लिए पीएनबी से रु 285 करोड़ और केनरा बैंक से रु 235 करोड़ का उपयोग किया है।
4. उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने प्रतिभूत और अप्रतिभूत प्रतिदेय असंपरिवर्तनीय बांड श्रृंखला–I से XII की विभिन्न श्रृंखला जारी की थी इनमें से टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए निम्नलिखित राशियों का उपयोग किया गया है

(रु करोड़ में)

बांड श्रृंखला –II	1420.00	8.75%
बांड श्रृंखला –III	200.00	7.19%
बांड श्रृंखला –IV	500.00	7.45%
बांड श्रृंखला –V	300.00	7.39%
बांड श्रृंखला –VI	550.00	7.60%
बांड श्रृंखला –VII	180.00	7.88%
बांड श्रृंखला –VIII	623.00	7.76%
बांड श्रृंखला –IX	620.00	7.93%
बांड श्रृंखला –X	300.00	7.76%
बांड श्रृंखला –XI	200.00	7.72%
बांड श्रृंखला –XII	350.00	7.73%

वीपीएचईपी परियोजना

1. कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय समझौता किया था। हालांकि, कंपनी के अनुरोध पर, विश्व बैंक ने 27.06.2019 और 07.04.2021 को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आंशिक ऋण राशि रद्द कर दी है। इस परियोजना के लिए ऋण राशि अब 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ष 2024–25 के दौरान 138.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आहरित की गई है और 31.03.2025 तक कुल आहरण 396.21 अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा 15.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि चुकाई गई है और 31.03.2025 तक कुल चुकौती 58.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस प्रकार 31.03.2025 तक बकाया निवल ऋण 337.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो रु2,890.74 करोड़ के बराबर है।
2. इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 7.93% की कूपन ब्याज दर के साथ जारी बॉन्ड सीरीज IX से वीपीएचईपी परियोजना के लिए रु100.00 करोड़ का उपयोग किया गया।

खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान

1. कंपनी ने ऋण घटक के वित्तपोषण अर्थात खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान की रु8873.61 करोड़ की अनुमोदित लागत का 70% (i) निजी प्लेसमेंट के आधार पर बांड के माध्यम से 50% ऋण और (ii) बाजार परिदृश्य और निधि की आवश्यकता पर विचार करते हुए इंटरचेंज विकल्प के साथ अनुसूचित बैंकों / वित्तीय संस्थानों आदि से परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से शेष 50% की योजना बनाई है।
2. कंपनी ने अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से रु2,500 करोड़ के दो सावधि ऋण लिए हैं, जिनकी कुल राशि रु5,000 करोड़ है। संस्वीकृत संपूर्ण राशि खुर्जा परियोजना के लिए आहरित की गई है और उसका पूरा उपयोग किया गया है।
3. उपरोक्त के अलावा, कंपनी को रु1,500 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें पीएनबी और केनरा बैंक से प्रत्येक से रु750 करोड़ शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी ने खुर्जा परियोजना के लिए प्रत्येक बैंक से रु215 करोड़ का उपयोग किया है।
4. टीएचडीसी ने श्रृंखला I से XII तक विभिन्न प्रतिभूत और अप्रतिभूत बांड जारी किए हैं, इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधियों में से, खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए निम्नलिखित राशि का उपयोग किया गया है :

परियोजना	विवरण	उपयोग की गई राशि	ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–I	272.00	7.59%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–III	600.00	7.19%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृंखला–IV	125.00	7.45%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–IV	32.00	7.45%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–V	900.00	7.39%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृंखला–VI	250.00	7.60%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–VII	240.00	7.88%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृंखला–VII	180.00	7.88%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृंखला–VIII	140.00	7.76%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–IX	50.00	7.93%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृंखला–IX	129.00	7.93%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–X	450.00	7.76%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–XI	400.00	7.72%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–XII	350.00	7.73%

(ग) वित्त वर्ष 2024–25 के लिए परियोजना वित्तपोषण:

(रु करोड़ में)

ऋणदाता का नाम/ कॉर्पोरेट बॉन्ड श्रृंखला	ऋण की राशि	दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार अथशेष ऋण राशि	वर्ष 2024–25 के दौरान आहरित राशि	चुकता की गई ऋण राशि	दिनांक 31.03.2025 तक शेष ऋण राशि
विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	यूएस $648 मिलियन*	1793.36	1229.32**	131.94	2,890.74
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–I	600.00	600.00	शून्य	शून्य	600.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला– II	1500.00	1500.00	शून्य	शून्य	1500.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–III	800.00	800.00	शून्य	शून्य	800.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–IV	750.00	750.00	शून्य	शून्य	750.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–V	1200.00	1200.00	शून्य	शून्य	1200.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–VI	800.00	800.00	शून्य	शून्य	800.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–VII	600.00	600.00	शून्य	शून्य	600.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–VIII	763.00	763.00	शून्य	शून्य	763.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–IX	779.00	779.00	शून्य	शून्य	779.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–X	750.00	शून्य	750.00	शून्य	750.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–XI	600.00	शून्य	600.00	शून्य	600.00
कॉर्पोरेट बांड – श्रृंखला–XII	700.00	शून्य	700.00	शून्य	700.00
बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–1)	2500.00	2250.00	शून्य	125.00	2125.00
बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–2)	2500.00	2450.00	50.00	शून्य	2500.00
पीएनबी से सावधि ऋण	700.00	200.00	500.00	19.44	680.56
पीएनबी से सावधि ऋण	500.00	425 .00	शून्य	100.00	325.00
पीएनबी से सावधि ऋण	750.00	शून्य	500.00	शून्य	500.00
केनरा बैंक से सावधि ऋण	750.00	शून्य	450.00	शून्य	450.00

* इसमें डॉलर विनिमय दर में परिवर्तन के कारण कंपनी द्वारा अभ्यर्पित 200 मिलियन यूएस डालर शामिल है।

** रु61.88 करोड़ की विनिमय दर भिन्नता शामिल है।

घ. निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

टिहरी पीएसपी (4X250 मेगावाट):

250 मेगावाट की चार रिवर्सिबल पंप टर्बाइन इकाइयों से निर्मित टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र (1000 मेगावाट), पूर्ण होने पर भारत में सबसे बड़ा पीएसपी होगा। मल्टीपल पंपिंग चक्र (पंपिंग के 11/12 घंटे) को ध्यान में रखते हुए, पंपिंग मोड में 3075 एमयू ऊर्जा की खपत होगी जबकि टरबाइन मोड में 2442 एमयू ऊर्जा उत्पन्न होगी। औसतन, टिहरी पीएसपी में पंप की गई लगभग 80% ऊर्जा को सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वापस विद्युत में परिवर्तित किया जाएगा, जो विश्व के अन्य पीएसपी की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च राउंड–ट्रिप दक्षता है।

विद्युत मंत्रालय/राज्य सरकार/टीएचडीसीआईएल बोर्ड के हस्तक्षेप से समी भूवैज्ञानिक चुनौतियों, कानून और व्यवस्था के मुद्दों और संविदाकार के निधियों सबंधी संकट को पार करते हुए, परियोजना कार्यों ने गति पकड़ी और अब पूरा होने के करीब है।

यूनिट–1: 07.06.2025 को सीओडी घोषित।

यूनिट–2: 05.07.2025 को ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और 10.07.2025 को सीओडी घोषित।

यूनिट–3: ड्राई कमीशनिंग परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं। आगे के परीक्षण (मैकेनिकल स्पिनिंग और संबंधित गतिविधियाँ और वेट कमीशनिंग परीक्षण) एचआरटी–4 जल चालक प्रणाली में जल की उपलब्धता के बाद किए जाएँगे, जो अगस्त 2025 के मध्य तक अपेक्षित है। यूनिट का सीओडी अक्टूबर 2025 के मध्य तक पूरा होने का लक्ष्य है।

यूनिट–4: प्री–कमीशनिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। यूनिट का सीओडी नवंबर 2025 के मध्य तक पूरा होने का लक्ष्य है।

टिहरी पीएसपी परियोजना पर 25 मार्च तक 7916.68 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4X111 मेगावाट):

444 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित रन–ऑफ–दि–रिवर स्कीम है, जिसकी डिजाइन ऊर्जा क्षमता 1657.09 एमयू (95% मशीन उपलब्धता के साथ) है। प्रमुख

परियोजना घटकों की स्थिति निम्नानुसार है:

बांध: लगभग 97% खुदाई पूरी हो चुकी है। क्रेटर क्रेन के माध्यम से सभी 5 ब्लॉकों में बांध कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।

डि–सिल्टिंग चैम्बर: सभी 3 डीसी में लगभग 81% कंक्रीट लाइनिंग का काम पूरा हो चुका है, जिसका लक्ष्य अप्रैल 2026 तक पूरा करना है।

डीबीएम द्वारा एचआरटी (कुल 1.8 किमी): लगभग 81% खुदाई पूरी हो चुकी है। कर्ब कंक्रीटिंग और ओवरट लाइनिंग क्रमशः 1209 मीटर और 977 मीटर में पूरी हो चुकी है।

टीबीएम द्वारा एचआरटी (कुल 11.15 किमी): टीबीएम के माध्यम से कुल 6173 मीटर एचआरटी का निर्माण किया गया है, जिसका लक्ष्य अप्रैल 2026 तक पूरा करना है।

मशीन हॉल: यूनिट–1 में, स्पाइरल केसिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सर्विस बे में यूनिट–1 का रोटर असेंबली कार्य भी प्रगति पर है। यूनिट–2 में, स्टे रिंग पेडेस्टल फाउंडेशन तक कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है और यूनिट–2 तक ईओटी विस्तार 05.07.2025 को पूरा हो जाएगा। यूनिट–3 और 4 में, अंडरग्राउंड क्रेन बीम कॉलम की कंक्रीटिंग और यूनिट–3 के ड्राफ्ट ट्यूब पिट की कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।

ट्रांसफार्मर हॉल: यूनिट–1 को ईओटी निर्माण कार्य के लिए ईएम को सौंप दिया गया है। यूनिट–2 में, जीआईएस स्लैब कास्टिंग का प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है और अन्य यूनिटों में शेष जीआईएस स्लैब कॉलम की कास्टिंग भी प्रगति पर है।

टीआरटी (कुल 3.04 किमी): लगभग 89.40: हेडिंग (2720 मीटर) और 23% बेंचिंग (715 मीटर) खुदाई पूरी हो चुकी है और शेष प्रगति पर है। लगभग 529 मीटर में ओवर्ट लाइनिंग पूरी हो चुकी है और शेष प्रगति पर है।

ईएम आपूर्ति: 64% पूर्ण।

कमीशनिंग शेड्यूल: पहली यूनिट को अक्टूबर 2026 तक चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

मार्च, 2025 तक परियोजना पर 4700.23 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट):

यूनिट–1: यूनिट का सीओडी 26.01.2025 को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।

यूनिट–2: यूनिट–2 का सीओडी सितंबर, 2025 में अपेक्षित है।

खुर्जा एसटीपीपी पर 25 मार्च तक 12364.61 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

खुर्जा एसटीपीपी के प्राकृतिक जल जलाशय पर 11 मेगावाट फ्लोटिंग सौर पीवी (एफएसपीवी) संयंत्र

खुर्जा एसटीपीपी के प्राकृतिक जल के जलाशय पर 11 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी (एफएसपीवी) संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होने के अग्रिम चरण में है।

कलई–II जल विद्युत परियोजना (1200 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश:

डीपीआर अद्यतनीकरण: सीईए ने टीईसी को पूर्ववर्ती डेवलपर से टीएचडीसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया।

ईसी: ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को 03.07.2025 को व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (सीईआईए) रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया है। जन सुनवाई 20.08.2025 को निर्धारित है और उसके बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राप्त करने का प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

एफसी– I:

- 869.35 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का नया प्रस्ताव पीएससी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
- अरुणाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) भूमि की अनुपलब्धता के कारण, राज्य सरकार ने 07.02.2025 को अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए सहमति दे दी। टीएचडीसीआईएल ने मध्य प्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त की और जलग्रहण क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से जलग्रहण क्षेत्र भूमि की कुल लागत का 1% की दर से रु1.21 करोड़ जमा किए।
- रॉयल्टी गणना, एनपीवी, वृक्ष गणना, और वनस्पति एवं जीव–जंतुओं का मूल्यांकन 24.03.2025 को नामसाई और अंजॉ वन प्रभागों में पूरा कर लिया गया।
- टीएचडीसीआईएल ने जलग्रहण क्षेत्र उपचार (कैट) योजना भी अनुमोदन के लिए 11.05.2025 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर को प्रस्तुत की। कैट योजना को अगस्त 2025 तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ईटानगर द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है।
- कुल आवश्यक 1738.70 हेक्टेयर भूमि की तकनीकी स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित की गई। स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र भूमि दस्तावेज 08.07.2025 को मुख्य वन संरक्षक, तेजू को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
- सीए भूमि विवरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार के संबंधित वन प्रभागों द्वारा परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड करने का कार्य पूरा हो गया है।

भूमि अधिग्रहण:

- सरकारी भूमि और संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु डीसी–अंजॉ द्वारा 20.03.2025 को एक समिति गठित की गई है।
- परियोजना क्षेत्र भूमि सीमांकन सर्वेक्षण और स्तंभ निर्माण एवं स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है।
- जी.बी. पंत एनआईएचई, ईटानगर ने 25.04.2025 को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) पूरा कर लिया है और एसआईए अध्ययनों के भाग के रूप में, टीएचडीसीआईएल, राज्य सरकार और परियोजना प्रभावित परिवारों की भागीदारी से 27.05.2025 को जन सुनवाई (समन्वय बैठक) संपन्न हुई। रिपोर्ट जुलाई 2025 में प्रस्तुत करने का लक्ष्य है। जी.बी. पंत एनआईएचई द्वारा 08.07.2025 को डीसी, अंजॉ को मसौदा एसआईए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। डीसी, अंजॉ द्वारा 14.07.2025 को परियोजना प्रभावित गाँवों को टिप्पणियों के लिए मसौदा एसआईए रिपोर्ट वितरित की गई है।
- सचिव, भूमि प्रबंधन, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 10.04.2025 को दी गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुपालन हेतु समय–सीमा के अनुसार, अंतिम पुनर्वास एवं पुनर्वास (आर एंड आर) एवार्ड अनुमोदन दिसंबर 2025 तक लक्षित है।

निवेश अनुमोदनः अंतर–मंत्रालयी परामर्श के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा मसौदा पीआईबी ज्ञापन प्रसारित किया गया। मसौदा पीआईबी ज्ञापन पर विभिन्न मंत्रालयों से टिप्पणियां/समर्थन प्राप्त हुए हैं और इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया को विद्युत मंत्रालय द्वारा निवेश अनुमोदन हेतु सरकार को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार से रियायतः अरूणाचल प्रदेश सरकार ने कलई–II जल विद्युत परियोजना के लिए मेसर्स टीएचडीसी द्वारा व्यय किए गए एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 50% तक, के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें एचएम और ईएम कार्यों सहित सी एंड जे कार्य शामिल हैं।

केपीसीएल संयंत्रों के परिसर में 100.1 मेगावाट एसी/135.2 मेगावाट पी ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी संयंत्र

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उच्च टैरिफ पाए जाने के कारण, पुन:निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।

विकासाधीन परियोजनाएं (संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से)

क. दुस्को (टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट के यूएमआरईपीपी का विकासः

i. झांसी में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क

- **2,704.70 एकड़ की कुल आवश्यक भूमि का अधिग्रहण** पूरा हो चुका है।
- **बाह्य एवं आंतरिक विद्युत निकासी** प्रणाली सहित नागरिक अवसंरचना कार्य प्रगति पर हैं।
- **मेसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड** को 06.01.2025 को एसपीडी के रूप में कार्य एवार्ड किया गया है।
- पार्क विकास मार्च 2026 तक लक्षित है।

ii. ललितपुर में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क

- **कुल आवश्यक भूमिः 2700 एकड़ (लगभग), भूमि अधिग्रहण** पूर्णः 2379.40 एकड़।
- **बाह्य एवं आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली** सहित नागरिक अवसंरचना कार्य प्रगति पर हैं।
- **600 मेगावाट ललितपुर सौर ऊर्जा परियोजना** का निर्माण एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) द्वारा एसपीडी के रूप में किया जा रहा है। शेष प्रणाली के लिए संविदाकार की नियुक्ति हेतु निविदा एनआरईएल द्वारा 03.01.2025 को जारी की गई है, जिसकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 10.06.2025 है। तकनीकी बोलियाँ 11.06.2025 को खोली गईं और मूल्यांकन प्रगति पर है।
- **पार्क विकास मार्च 2026 तक लक्षित है।**

iii. चित्रकूट में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क

- कुल आवश्यक भूमि: 3600 एकड़ (लगभग), भूमि अधिग्रहण पूर्णरू 3286.70 एकड।
- नागरिक अवसंरचना कार्य प्रगति पर हैं। आंतरिक और बाह्य विद्युत निकासी प्रणाली का कार्य एवार्ड करने का कार्य प्रगति पर है।
- 800 मेगावाट चित्रकूट सौर ऊर्जा परियोजना का कार्यान्वयन एनआरईएल द्वारा एसपीडी के रूप में किया जा रहा है। शेष प्रणाली के लिए संविदाकार की नियुक्ति हेतु निविदा एनआरईएल द्वारा 03.01.2025 को जारी की गई है, जिसकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 10.06.2025 है। तकनीकी बोलियाँ 11.06.2025 को खोली गईं और मूल्यांकन प्रगति पर है।
- पार्क विकास मार्च 2026 तक लक्षित है।

ख. राजस्थान में ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से 10,000 मेगावाट यूएमआरईपीपी का विकास

- एमएनआरई ने 09.12.2024 को ट्रेडको के पक्ष में पूर्व में दी गई 2000 मेगावाट बोडाना सौर पार्क के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति रद्द कर दी और आरएसडीसीएल के पक्ष में संशोधित स्वीकृति जारी की।
- ट्रेडको ने राजस्थान के जैसलमेर जिले की नाचना– I तहसील के बोडाना में 1,735.05 हेक्टेयर सरकारी भूमि और राजस्थान के बीकानेर जिले की बज्जू तहसील के रणजीतपुरा गाँव में लगभग 3,020 हेक्टेयर सरकारी भूमि अभिचिह्नित की। लगभग 870 मेगावाट और 1510 मेगावाट सौर पार्क/यूएमआरईपीपी के विकास के लिए क्रमशः 31.01.2025 और 13.03.2025 को आरआरईसीएल को उनके आवंटन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
- 18.06.2025 को, आरआरईसीएल ने ग्राम बोडाना, तहसील नाचना– I, जिला जैसलमेर में 1735.05 हेक्टेयर सरकारी भूमि को ट्रेडको को आवंटित करने के लिए बीकानेर के उपनिवेशन आयुक्त को अनुशंसित किया।
- ट्रेडको ने 17.06.2025 के पत्र के माध्यम से, आरआरईसीएल से अनुरोध किया है कि वह ग्राम बोडाना में 1735.05 हेक्टेयर सरकारी भूमि के आवंटन के विरुद्ध रु 8.7 करोड़ (रु1 लाख/मेगावाट की दर से) भूमि सुरक्षा शुल्क जमा करने में छूट के अनुमोदन के लिए ऊर्जा विभाग को अपना प्रस्ताव अनुशंसित करे।
- 19.06.2025 को, ट्रेडको ने यूएमआरईपीपी योजना के मोड–8 के अंतर्गत 870 मेगावाट बोडाना सौर पार्क के विकास के लिए एमएनआरई की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ऊर्जा विभाग को अग्रेषित अनुशंसा के लिए आरआरईसीएल को सौर पार्क प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

ग. अन्य राज्य में पम्प स्टोरेज संयंत्र का विकासः

I. महाराष्ट्र

- टीएचडीसीआईएल ने महाराष्ट्र में छह पीएसपी (कुल क्षमता: 6790 मेगावाट) के माध्यम से पंप स्टोरेज ऊर्जा के दोहन हेतु जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन विभाग) के साथ 03.09.2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- हंबरली बिरमानी पीएसपी, अरुणा कोलंब पीएसपी और खरारी पीएसपी के लिए मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं बांध सुरक्षा, नासिक से जल उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुका है।
- अरुणा पीएसपी के लिए, जल संसाधन विभाग ने अरुणा मध्यम सिंचाई परियोजना के जलाशय से एक बार के भराव और वार्षिक पुनर्भरण हेतु जल उपयोग को मंजूरी दे दी है और जल उपयोग करार पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, प्रस्तावित करार के नियमों और शर्तों के संबंध में

टीएचडीसीआईएल की कुछ आपत्तियाँ हैं, जिन पर आगे विचार के लिए जल संसाधन विभाग के साथ चर्चा की जा रही है।

- खशरी पीएसपी पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि निचला जलाशय "तिल्लारी संरक्षण रिजर्व" के अंतर्गत आता है।
- मालशेज घाट पीएसपी, हुम्बर्ली बिरमानी पीएसपी, अरुणा कोलंब पीएसपी और अरुणा पीएसपी की डीपीआर तैयार करने का कार्य एवार्ड किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है।

ii. छत्तीसगढ़

- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले के डांगरी में संयुक्त उद्यम मोड में 1400 मेगावाट की पीएसपी परियोजना स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) के साथ 10.03.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, सीएसपीजीसीएल द्वारा डांगरी पीएसपी (1400 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

घ. उत्तराखंड में टीयूईसीओ (टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएन लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से मोरी हनोल एचईपी (54 मेगावाट)

मोरी–हनोल जल विद्युत परियोजना (54 मेगावाट) का अनुमानित प्रशुल्क लगभग रु10/किलोवाट घंटा है। 15.01.25 को ऊर्जा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में, मोरी–हनोल जल विद्युत परियोजना और हनोल–तुनि जल विद्युत परियोजना (वर्तमान में यूजेवीएनएल को आवंटित) की डीपीआर को एक एकीकृत परियोजना के रूप में तैयार करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी ताकि उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। तदनुसार, एकीकृत परियोजना की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

व्यवसाय विस्तार के लिए भावी योजना:

क) अरुणाचल प्रदेश में कलई– II जल विद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) का विकास।

ख) महाराष्ट्र में छह विद्युत वितरण संयंत्रों (कुल क्षमता: 6790 मेगावाट) के माध्यम से पंप भंडारण ऊर्जा का विकास।

ग) छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले के डांगरी में संयुक्त उद्यम मोड में 1400 मेगावाट पंप भंडारण संयंत्र का विकास।

घ) केपीसीएल संयंत्रों के परिसर में 100.1 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी संयंत्रों का विकास।

ङ) उत्तर प्रदेश में संयुक्त उद्यम के माध्यम से 2000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्कों का विकास।

च) राजस्थान में संयुक्त उद्यम के माध्यम से 10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्कों का विकास।

छ) उत्तराखंड में टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएन लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से मोरी–हनोल जल विद्युत परियोजना (54 मेगावाट) का विकास।

टीएचडीसीआईएल में सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन

(क) टीएचडीसीआईएल में बांध की सुरक्षा के उपाय

i. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) का बांध सुरक्षा कार्यक्रम, अवसंरचना की सुदृढ़ता और जन सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का आधार है। यह कार्यक्रम समग्र बांध सुरक्षा मानकों को निरंतर बेहतर बनाते हुए बांध संरचनाओं से संबंधित संभावित सुरक्षा चिंताओं की पहचान, आकलन और समाधान पर केंद्रित है।

ii. इस कार्यक्रम के केंद्र में निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत ढाँचा है, जो उपकरण–आधारित आकलनों को विस्तृत दृश्य निरीक्षणों के साथ जोड़ता है। टिहरी और कोटेश्वर बांधों और उनकी सहायक संरचनाओं के भीतर एक विस्तृत उपकरण योजना स्थापित की गई है, जो संरचनात्मक व्यवहार की वास्तविक समय पर नज़र रखने और डिज़ाइन मान्यताओं को मान्य करने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक दृश्य मूल्यांकन की सुविधा के लिए बांधों के भीतर निरीक्षण दीर्घाएँ सामरिक रूप से स्थित हैं।

iii. संरचनात्मक निगरानी के पूरक के रूप में, टिहरी क्षेत्र में एक भूकंपीय उपकरण नेटवर्क परिनियोजित किया गया है। यह प्रणाली भूकंपीय सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए जलाशय के इम्पाउंडमेंट से पहले और बाद के आँकड़ों को एकत्रित करते हुए, प्रबल भू–गति और सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि, दोनों पर नज़र रखती है।

iv. टीएचडीसीआईएल ने टिहरी और कोटेश्वर बांधों के लिए व्यापक आपातकालीन कार्य योजनाएँ (ईएपी) भी विकसित की हैं, जिनकी वार्षिक समीक्षा और अद्यतनीकरण किया जाता है। अपनी तत्परता कार्यनीति के तहत, संगठन मानसून के मौसम में ईएपी जागरूकता कार्यक्रम, हितधारक परामर्श बैठकें और मॉक ड्रिल आयोजित करता है। ये गतिविधियाँ सुनिश्चित करती हैं कि सभी इकाइयाँ सतर्क रहें और आपातकालीन प्रोटोकॉल के अनुरूप रहें।

v. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल अपने बांध संरचनाओं का, समय–समय पर, मानसून पूर्व और मानसून पश्चात निरीक्षण करता है। टिहरी और कोटेश्वर का सबसे हालिया निरीक्षण क्रमशः अप्रैल 2025 और नवंबर 2024 में किया गया था।

vi. टीएचडीसीआईएल प्रत्येक वर्ष मानसून अवधि के दौरान परियोजना स्थलों पर आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) जागरूकता कार्यक्रम, हितधारक परामर्श बैठक और मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित करता है, ताकि आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) के अनुसार सभी संबंधित इकाइयों की आपातकालीन तैयारियों के परिमाण का पता लगाया जा सके।

vii. **सुरक्षा पेशेवरों के लिए सुरक्षा:**

सुरक्षा पेशेवरों को उन्नत सुरक्षा प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक कार्यक्रम, जो उन्हें अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाता है।

viii. **प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण:**

चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कौशल से लैस करना।

ix. **अग्निशमन और सुरक्षा उपकरणों का प्रशिक्षण:**

कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों, जैसे

अग्निशामक यंत्र, अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम के उचित संचालन और उपयोग के बारे में शिक्षित करना।

x. **आग और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण:**

निकासी प्रक्रियाओं और संकट प्रबंधन तकनीकों सहित आग लगने या किसी अन्य प्रकार की आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए कर्मचारियों की तैयारी बढ़ाना।

xi. **ऊंचाई पर काम करना:**

ऊंचे तल पर किए गए कार्यों के सुरक्षित निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी गिरने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियों और प्रक्रियाओं से अवगत हों।

xii. **कार्यस्थल सुरक्षा:**

एक व्यापक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है, जिसमें खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और एर्गोनोमिक प्रथाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

xiii. सुरक्षा पार्क और प्रशिक्षण केंद्र हमारी विभिन्न परियोजनाओं और संयंत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित और वृद्धि होता रहेगा। ओएमएस–सुरक्षा विभाग में हमारी समर्पित टीम नए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर लगन से काम कर रही है, जो विशेष रूप से विभिन्न परियोजनाओं और संयंत्रों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।

xiv. **सुरक्षा लेखापरीक्षा:**

सुधार के क्षेत्र और मानकों अर्थात् यानी लागू वैधानिक अधिनियम, सीईए (विद्युत संयंत्रों और इलेक्ट्रिक लाइनों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं) विनियम, 2011, आईएस –14489:1998 और टीएचडीसीआईएल एसएचई (सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण) मैनुअल और संयंत्र/परियोजना सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार अन्य लागू अधिनियमों और नियमों से विचलन की पहचान करने के लिए सभी प्रचालन संयंत्र और निर्माणाधीन परियोजनाओं की बाहरी सुरक्षा लेखापरीक्षा और आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित की जा रही है।

xv. **मौजूदा प्रणाली का आधुनिकीकरण:**

- **नई कानूनी आवश्यकताओं और कॉर्पोरेट विस्तार को दर्शाने के लिए एसएचई मैनुअल का अद्यतनीकरण प्रस्तावना**

सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) मानकों को बनाए रखने और उनमें निरंतर सुधार लाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने हाल ही में अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) नियमावली का व्यापक संशोधन किया है। राष्ट्रीय श्रम कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, विशेष रूप से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के अधिनियमन के कारण यह संशोधन आवश्यक हो गया था। इसके अलावा, नए क्षेत्रों और परियोजना क्षेत्रों में टीएचडीसीआईएल के विविधीकरण ने प्रचालन परिवेशों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुरूप अद्यतन सुरक्षा नियमों को शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

पृष्ठभूमि

एसएचई मैनुअल का अंतिम बड़ा संशोधन 2017 में किया गया था, जिसमें 2007 और 2016 के बीच लागू किए गए विभिन्न अधिनियमों और नियमों में संशोधन शामिल थे। तब से, भारत सरकार ने 2016 और 2022 के बीच संशोधनों और नए अधिनियमों के माध्यम से व्यावसायिक सुरक्षा कानून में व्यापक सुधार किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, ऋषिकेश स्थित कॉर्पोरेट सुरक्षा विभाग ने इन अद्यतन कानूनी और नियामक ढाँचों के अनुरूप एसएचई मैनुअल को सावधानीपूर्वक संशोधित किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि टीएचडीसीआईएल की कार्यप्रणाली वर्तमान सुरक्षा मानकों और वैधानिक आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुरूप बनी रहे।

सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) टीएचडीसीआईएल प्रबंधन के लिए सर्वोपरि है। टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं को नवीनतम तकनीकों को अपनाकर इस प्रकार डिज़ाइन और विकसित किया जाता है ताकि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े और ऊर्जा एवं संसाधनों का कुशल उपयोग हो।

एसएचई मैनुअल टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और उनके ज्ञान को अद्यतन करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है:

(क) व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएंडएच) से संबंधित नवीनतम कानूनी और कंपनी की गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं से संबंधित अन्य आवश्यकताओं में;

(ख) टीएचडीसीआईएल की गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं पर लागू विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों में; और

(ग) टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं में एकसमान कार्यान्वयन के लिए सुरक्षित संचालन और अनुरक्षण प्रक्रियाओं का विकास करना।

एसएचई मैनुअल का दायरा उपरोक्त तीनों अवयवों को कवर करना है।

कानूनी और विनियामक अद्यतनीकरण

(1) **व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020:** इस संहिता ने विभिन्न श्रम कानूनों को एक ही ढाँचे में समेकित किया है और सरल बनाया है, जो उद्योगों में सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देती है। हमारे द्वारा अद्यतन एसएचई मैनुअल इन प्रावधानों को एकीकृत करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजबूत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय लागू हों।

(2) **नए अधिनियम और नियम संशोधन (2016–2022):** भारत सरकार द्वारा अधिनियमों और नियमों में हाल ही में किए गए बड़े पैमाने पर संशोधनों में श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण विनियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं। संशोधित एसएचई मैनुअल इन संशोधनों को संबोधित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हमारी नीतियाँ अद्यतित हैं और राष्ट्रीय मानकों के पूर्ण अनुपालन में हैं।

(3) **कॉर्पोरेट विस्तार और नई सुरक्षा आवश्यकताएँ:** 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स और अन्य हाइड्रो परियोजनाओं को विकसित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए शुरू में स्थापित, टीएचडीसीआईएल ने तब से अपने पोर्टफोलियो में विविधता की है। अब हम निम्नलिखित कार्यों में शामिल हैं:

- **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ:** पवन और सौर ऊर्जा सहित।
- **ताप विद्युत उत्पादन:** हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं का विस्तार।
- **कोयला खदान परियोजनाएँ:** ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे संसाधन आधार को व्यापक बनाना।

इस विविधीकरण के लिए इन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नई सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण विनियमों को शामिल करना आवश्यक है। हमारे संशोधित एसएचई मैनुअल में अब इन नए उपक्रमों में से प्रत्येक के लिए अनुरूप सुरक्षा प्रोटोकॉल और अनुपालन उपाय शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम विभिन्न ऊर्जा उत्पादन विधियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

अनुमोदन और कार्यान्वयन

अद्यतित एसएचई मैनुअल की सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया गया है। इसे टीएचडीसीआईएल के भीतर सभी संयंत्रों और परियोजनाओं के विभागाध्यक्षों (एचओडी) को औपचारिक रूप से परिचालित किया गया है। यह प्रचालन सुनिश्चित करता है कि हमारे संगठन के हर वर्ग को अद्यतन नीतियों के बारे में जानकारी हो और संशोधित सुरक्षा मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुसज्जित किया जाए।

निष्कर्ष

एसएचई मैनुअल का संशोधन सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपनी नीतियों को नवीनतम कानूनी आवश्यकताओं के साथ संरेखित करके और अपने विस्तारित प्रचालन दायरे के अनुकूल बनाकर, हम सुनिश्चित करते हैं कि टीएचडीसीआईएल सुरक्षा उत्कृष्टता और प्रचालन अखंडता में अग्रणी बना रहे।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन:

हमारा संगठन पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक निष्पक्ष और संवेदनशील दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम प्रभावित परिवारों के लिए एक निर्बाध संक्रमण का समर्थन करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे अपने पिछले जीवन स्तर और आय को बहाल और बेहतर बना सकें। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ सार्थक जुड़ाव और निरंतर संवाद, मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रतिपूर्ति और पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ लागू नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रमों और आय-सृजन गतिविधियों जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण पर हमारा ध्यान प्रभावित समुदायों के उत्थान में मदद करता है। पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, हमारी पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलों के सफल कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्षों द्वारा नियमित मूल्यांकन किए जाते हैं।

टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स:

टिहरी और कोटेश्वर बांधों वाले टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स के चालू होने से पूरे क्षेत्र में भारी जलमग्नता आई, जिससे भूमि और मानव बस्तियां दोनों प्रभावित हुईं। लगभग 5,200 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, जिससे 37 गांवों और टिहरी शहर का पूर्ण विस्थापन हुआ, साथ ही 88 अन्य गांवों पर आंशिक प्रभाव पड़ा। ग्रामीण और शहरी दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) योजना लागू की गई। विस्थापित परिवारों को नई टिहरी शहर में स्थानांतरित कर दिया गया और ग्रामीण पुनर्वास स्थलों को नामित किया गया, जिन्हें आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं के साथ विकसित किया गया था। आंशिक रूप से प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को लागू मानदंडों के अनुसार क्षतिपूर्ति दिया गया। प्रारंभ में, आर एंड आर जिम्मेदारियों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाता था और बाद में इसे उत्तराखंड राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया, वर्तमान में, ईएल 835 मीटर से ऊपर होने वाले भूस्खलन जैसे द्वितीयक प्रभावों से प्रभावित लोगों के लिए आर एंड आर गतिविधियां जारी हैं।

वीपीएचईपी में पुनर्वास:

विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति (आर एंड आर नीति) विश्व बैंक के परामर्श से तैयार की गई राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 (एनआरआरपी–2007) पर आधारित है। आर एंड आर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) तैयार की गई है ताकि एक उचित संक्रमण अवधि के बाद, प्रभावित परिवार अपने पिछले जीवन स्तर, अर्जन क्षमता और उत्पादन स्तर में सुधार कर सकें। आरएपी के कार्यान्वयन की निगरानी एक तृतीय–पक्ष एम एंड ई एजेंसी– नाबार्ड कंसल्टेंसी और विश्व बैंक प्राधिकरणों द्वारा की जा रही है, जो लगभग पूरा हो चुका है। पर्याप्त क्षतिपूर्ति और अनुदान वितरित किया जा चुका है।

एक अनूठी आर एंड आर पहल के तहत, प्रभावित बस्तियों में प्रत्येक पात्र परिवार को 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 100 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। इस सहायता से लगभग 2600 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

टीएचडीसीआईएल की डिस्पेंसरी में उपचार से लगभग 34,000 प्रभावित महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। परियोजना के आसपास के 7 स्कूलों सहित सभी 27 प्रभावित गाँवों में एक जागरूकता अभियान 'सहेली' शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और वर्जनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वच्छता संबंधी वस्तुओं के वितरण सहित उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना था। अब तक 1500 से अधिक महिलाएँ और लड़कियाँ इस अभियान से लाभान्वित हो चुकी हैं।

आजीविका बढ़ाने और स्वरोज़गार के सृजन के लिए, 'नई उड़ान' नामक परियोजना के अंतर्गत कृषि से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण तक कई गतिविधियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसका टैगलाइन "समृद्धि की ओर" है।

अमेलिया कोयला खदान में पुनर्वास

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ईंधन की आपूर्ति के लिए स्थापित अमेलिया कोयला खदान, रीवा के आयुक्त द्वारा स्वीकृत एक व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) ढांचे के तहत संचालित होती है। वर्तमान में, अमेलिया कोयला खदान परियोजना से जुड़े 619 परिवार हैं जो अनुमोदित आर एंड आर नीति के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) लाभ के लिए पात्र हैं। टीएचडीसीआईएल ने इन पात्र परिवारों को नीति के अनुसार सभी निर्धारित लाभ प्रदान किए हैं। सिंगरौली के जिला कलेक्टर ने आर एंड आर कॉलोनी के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को 53.13 हेक्टेयर सरकारी भूमि आवंटित की है। टीएचडीसीआईएल द्वारा बुनियादी अवसंरचना के प्रावधान के साथ, आर एंड आर कॉलोनी में पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड विकसित और आवंटित किए गए हैं। क्षतिपूर्ति वितरण और खदान क्षेत्र से परिवारों के पुनर्वास का

कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। कुछ परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) ने पहले ही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कॉलोनी में अपने घर बना लिए हैं।

खुर्जा एसटीपीपी में पुनर्वास

खुर्जा एसटीपीपी में, पुराना नगला रुकनपुर गाँव पहले खुर्जा एसटीपीपी के ऐश डाइक क्षेत्र में स्थित था। ऐश डाइक पैकेज के निर्माण के लिए पूरे गाँव का स्थानांतरण आवश्यक था। 27 जनवरी, 2021 को, टीएचडीसी के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर परियोजना सीमा के भीतर निर्दिष्ट भूमि पर गाँव के स्थानांतरण के लिए निवासियों के साथ एक समझौता किया।

राज्य लोक निर्माण विभाग ने पुराने नगला गाँव में मौजूदा ढाँचों के मूल्य का आकलन किया और टीएचडीसी ने निर्धारित राशि ग्रामीणों में वितरित की ताकि वे निर्दिष्ट स्थानांतरण स्थल पर अपने नए घर बना सकें। नए स्थान पर कुल 57 भूखंड बनाए गए, जिनमें से 54 भूखंड 76 परिवारों के लिए और 3 भूखंड एक स्कूल, चौपाल और मंदिर के लिए आरक्षित थे। अप्रैल 2022 तक, ग्रामीणों ने अपने नए घरों का निर्माण पूरा कर लिया था। इसके बाद, ऐश डाइक का निर्माण शुरू करने के लिए नगला गाँव में पुराने ढाँचों को ध्वस्त कर दिया गया। टीएचडीसी ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पहल के रूप में स्थानांतरित ग्रामीणों की सहायता के लिए मंदिर, स्कूल, आंतरिक जल निकासी का निर्माण और व्यक्तिगत घरों में बिजली कनेक्शन भी शुरू किया है।

अभियांत्रिकी परामर्श

टीएचडीसीआईएल के डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग में एक समर्पित परामर्शदात्री शाखा है, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर जल संसाधन इंजीनियरिंग और उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग सेवाओं के क्षेत्र में संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करती है। कंपनी विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में भूस्खलन न्यूनीकरण और ढलान स्थिरीकरण उपायों के लिए केंद्र / राज्य और अन्य वैधानिक सरकारी निकायों को विशेषज्ञ समाधान प्रदान करती है। संबंधित क्षेत्रों में देश भर में परामर्श सेवाओं के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले, टीएचडीसी ने विशेष रूप से बुनाखा (180 मेगावाट) और संकोश (2585 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, दो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अद्यतन करने में भूटान की शाही सरकार को डिजाइन एवं इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करके अपनी विशेषज्ञता साझा की है। इसके अलावा, टीएचडीसी ने उत्तराखंड सरकार और जम्मू–कश्मीर सरकार को क्रमशः उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड में वरुणावत पर्वत के ढलान स्थिरीकरण और श्री माता वैष्णो देवीजी के पथ पर ऊंचे पहाड़ी ढलानों के ढलान संरक्षण के लिए डिजाइन एवं इंजीनियरिंग समाधान प्रदान किए हैं।

प्रमुख परामर्श कार्य:

अब तक, विभिन्न परामर्श परियोजनाओं में, टीएचडीसीआईएल ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र), श्री माता वैष्णो देवी एवं श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, जम्मू–कश्मीर, एनएचआईडीसीएल (जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम), एनएचएआई (जम्मू–कश्मीर और पुणे एवं शिलांग) और लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड आदि के लिए भूस्खलन शमन उपायों हेतु 460 से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की हैं। निम्नलिखित परामर्श कार्य प्रगति पर हैं:

क्रम सं.	विभाग / एजेंसी, जिसके साथ एमओयू किया गया	एमओयू की तारीख	विवरण	कुल डीपीआर (निर्देशित / प्रस्तुत)
1.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून	02–03–2021 और 27–02–2025	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	330 / 252
2.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश	09–12–2022	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	114 / 64
3.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पश्चिम बंगाल	30–09–2022	प्रुफ जाँच / तकनीकी वेटिंग	18 / 16
4.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, महाराष्ट्र	29–09–2023	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	52 / 19
5.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सिक्किम और मिजोरम	मसौदा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के लिए भेजा गया	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	60 / 00
6.	एनएचएआई, जम्मू एवं कश्मीर	04–07–2023	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	30 / 27
7.	एनएचएआई, पुणे	24–11–2023	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	3 / 3
8.	एनएचएआई, शिलांग	15–02–2024	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	7 / 7
9.	लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड	21–05–2024	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	42 / 12
10.	एनएचआईडीसीएल	11–09–2024	निष्पादन के दौरान पीडीई सेवाएँ और तकनीकी निगरानी	–

क्रम सं.	विभाग / एजेंसी, जिसके साथ एमओयू किया गया		एमओयू की तारीख	विवरण	कुल डीपीआर (निर्देशित / प्रस्तुत)
(i)	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू		पीडीई सेवाएँ	40 / 0
		श्रीनगर		डीआरएस और पीडीई सेवाएं	09 / 0
(ii)	उत्तराखंड			डीआरएस और पीडीई सेवाएं	22 / 2
(iii)	सिक्किम और पश्चिम बंगाल			डीआरएस और पीडीई सेवाएं	47 / 0
11.	एसएमवीडीएसबी, जम्मू एवं कश्मीर		06–06–2011	तकनीकी परामर्शदाता	33 / 20
12.	एसएएसबी, जम्मू एवं कश्मीर		28–12–2016	तकनीकी परामर्शदाता	01 / 01
13.	सुरिंसर – मानसर विकास प्राधिकरण, जम्मू–कश्मीर		28–09–2024	पीडीई सेवाएं	03 / 03
				कुल	**852 / 467**

वित्त वर्ष 2024–25 में, परामर्श सेवाओं से लगभग 26.85 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। टीएचडीसीआईएल द्वारा लिए गए परामर्श कार्य निम्नलिखित हैं:

1. **"श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड" के साथ समझौता ज्ञापन:**

- टीएचडीसीआईएल ने 6 जून 2011 को श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के साथ "कटरा और श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन के बीच संवेदनशील क्षेत्रों के स्थिरीकरण हेतु डिज़ाइन और इंजीनियरिंग उपायों" हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वेक्षण के बाद, 33 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और भू–तकनीकी जाँच की गई और उपायों की रूपरेखा तैयार की गई। 33 चिन्हित संवेदनशील स्थानों में से, बारह (12) स्थानों का स्थलाकृतिक, भूवैज्ञानिक जाँच और इंजीनियरिंग उपायों की डिज़ाइनिंग के बाद उपचार उपायों के पहले और दूसरे चरण के दौरान उपचार किया जा चुका था।
- इस बीच, मार्च 2016 में भवन क्षेत्र के पास एक भूस्खलन हुआ जिससे पवित्र गुफा और भवन क्षेत्र तक जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। टीएचडीसी ने स्थल का दौरा किया और क्षतिग्रस्त ढलान और मार्ग के उपचार हेतु निर्माण आरेख जारी किए। टीएचडीसी की देखरेख में किए गए निर्माण कार्यों के बाद ढलान और क्षतिग्रस्त मार्ग को बहाल कर दिया गया।
- 8 अप्रैल 2025 को एसएमवीडीएसबी, जीएसआई और टीएचडीसीआईएल के बीच एक नया त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया।

वर्तमान कार्य / कार्य प्रगति पर:

- **(I) चरण–III कार्य**
- स्थल पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 90% भौतिक प्रगति प्राप्त हो चुकी है।
- चरण III कार्यों में किए जाने वाले अतिरिक्त 6 स्थानों के लिए डीपीआर 16 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई।
- (ii) श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और जीएसआई के बीच 8 अप्रैल 2025 को श्री माता वैष्णो देवीजी के मार्ग के साथ संवेदनशील क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन:** अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन शमन उपायों हेतु योजना, डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए 9 दिसंबर 2022 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- **(i) पीडीई सेवाएँ:** पहले निर्देशित 114 में से 64 डीपीआर प्रस्तुत किए गए हैं।
- **(ii) अध्ययन और डीपीआर तैयार करने के लिए 46 नई साइटें** प्राप्त हुई हैं।

3. **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय–देहरादून के साथ समझौता ज्ञापन:**

- 02.03.2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी अवधि 27 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना और चारधाम की ओर जाने वाले विकासाधीन खंडों में उनके शमन उपाय सुझाना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून द्वारा टनकपुर–पिथौरागढ़, एनएच–125 मार्ग पर 62 स्थलों सहित उत्तराखंड में कुल लगभग 330 स्थलों का उल्लेख किया गया है।
- अब तक, उत्तराखंड में 330 में से कुल 252 डीपीआर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शेष प्रगति पर हैं।
- प्रस्तुत 252 डीपीआर में से 153 स्थान निविदा और पुरस्कार के बाद निष्पादन में हैं।

4. **भूस्खलन पर डीपीआर की तकनीकी जांच के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पश्चिम बंगाल से परामर्श कार्य:**

- एनएच–10 के सेवोके से रंगपू खंड तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रूफ जाँच / तकनीकी जाँच के लिए पश्चिम बंगाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल के बीच 3 सितंबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पश्चिम बंगाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कुल 18 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई हैं।
- निर्देशित 18 में से 16 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की समीक्षा और तकनीकी जाँच की जा चुकी है।
- अब, एनएच–10 खंड को लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल

और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से एनएचआईडीसीएल को सौंप दिया गया है।

- एनएचआईडीसीएल ने जेआईसीए को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए जाँच करने का अनुरोध भेजा है। सर्वेक्षण/जाँच करने के लिए टीमें दौरा करेंगी।
- सीओएस प्रस्तावों की तकनीकी जाँच के लिए एनएचआईडीसी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगभग 34 स्थान प्राप्त हुए हैं।

5. **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, महाराष्ट्र से पूर्वव्यापी परामर्श कार्य:** डीपीआर तैयार करने के लिए 3 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- अब तक, महाराष्ट्र में निर्देशित 53 डीपीआर में से 20 डीपीआर महाराष्ट्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई हैं। शेष तैयार की जा रही हैं।
- प्रस्तुत 20 डीपीआर में से 13 स्थान निविदा और आवंटन के बाद कार्यान्वयन के चरण में हैं।

6. **एनएचएआई (जम्मू–कश्मीर) से परामर्श कार्य:**
- जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर उल्लिखित लगभग 25 स्थलों की योजना, डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ 04.07.2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- अब तक, उल्लिखित 30 स्थलों में से 27 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जा चुकी हैं। हालाँकि, शेष 3 प्राथमिकता में नहीं हैं।

7. **लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड से परामर्श कार्य:**
- उत्तराखंड में 42 स्थानों के लिए विभिन्न राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और अन्य जिला सड़कों पर दीर्घकालिक भूस्खलन हेतु ढलान संरक्षण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी सहायता तैयार करने हेतु 21.05.2024 को उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।
- अब तक, संदर्भित 42 स्थानों में से 12 के लिए डीपीआर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शेष प्रगति पर हैं।

8. **सुरिनसर – मानसर विकास प्राधिकरण, जम्मू और कश्मीर से परामर्श कार्य:**
- 28.09.2024 को पर्यटन विभाग जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की ओर से सुरिंसकर–मानसर विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सुरिंसकर झील के आसपास डूबते रास्ते को स्थिर करने के लिए डिजाइन समाधान हेतु टीएचडीसीआईएल से तकनीकी परामर्श मांगा गया।
- सभी 3 स्थानों के लिए डीपीआर 25 मार्च 2025 को प्रस्तुत कर दी गई है।

9. **एनएचआईडीसीएल से परामर्श कार्य:**
- एनएचआईडीसीएल की विभिन्न पर्वतीय सड़क परियोजनाओं के संवेदनशील खंडों और धंसाव क्षेत्रों के लिए ढलान संरक्षण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी सहायता तैयार करने हेतु 11 सितंबर 2024 को एनएचआईडीसीएल के साथ एक नया समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।
- कुल 109 स्थानों का उल्लेख किया गया, जिनमें जम्मू–कश्मीर में 40, उत्तराखंड में 22 और सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में 47 स्थान शामिल हैं।
- विभिन्न स्थानों पर स्थलाकृतिक मानचित्रण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण और भू–तकनीकी/भूभौतिकीय जाँच कार्य प्रगति पर है।

अनुसंधान और विकास

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने काफी समय पहले वर्ष 2011 में ऋषिकेश में अपना अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित किया था। वर्तमान में, प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं नामतः– टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन, टिहरी और कोटेश्वर विद्युत स्टेशनों के विद्युत स्टेशन उपकरणों की गिरावट दर को चिह्नित करने और इन उपकरणों की जीवन सीमित विशेषताओं को बढ़ाने के लिए अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवधिक अध्ययन, टिहरी हाइड्रोपावर कॉम्प्लेक्स (टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचपीपी और वैरिएबल स्पीड टिहरी पीएसपी को मिलाकर) के एकीकृत संचालन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास और लिफ्ट ज्वाइंट के पर विशिष्ट संदर्भ के साथ टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन आदि चलाई जा रही हैं।

जारी नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (वित्त वर्ष 2024–25) की सूची निम्नानुसार है:

(i) घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइजर बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफिल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग

(ii) फोटो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलना

(iii) हरित अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक, द्रवीकृत नमक–आधारित प्रक्रिया का डिजाइन और प्रदर्शन

(iv) गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ फेज–आधारित कार्यनीति विकसित करना।

(v) स्लाइडिंग की गैर–रेखीय स्थिरता: इंटरफेसियल स्लिप स्थिरता का मशीन लर्निंग और गणितीय मॉडलिंग–आधारित विश्लेषण

(vi) गढ़वाल हिमालय में घूर्णी भूकंपीय भू–गति का मापन

(vii) 5जी निजी नेटवर्क अवसंरचना का विकास और स्थापना करना तथा टीएचडीसीआईएल परिसर में एकाधिक "5जी और उससे ऊपर" के प्रयुक्त मामलों को लागू करना:

(viii) लि–आयन बैटरी का विकल्परू स्टेशनरी भंडारण अनुप्रयोग के लिए सोडियम आधारित द्विआयन बैटरी का डिजाइन और विकास

(ix) मानव समर्थित म्यूल–खच्चर

(x) हाइड्रो थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) और सीवेज कीचड़ के दो चरण अवायवीय सह–डाइजेशन में जैव–हाइड्रोजन और जैव–मीथेनेशन को बढ़ाने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण

(xi) न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास

(xii) टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स के लिए हाइड्रोफोबिक संक्षारण अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी का विकास

(xiii) मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से सूक्ष्म प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंग: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम

(xiv) टीएचडीसीआईएल के टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए 3डी स्कैनिंग और मेटावर्स डिजिटल ट्विन निर्माण।

(xv) टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म–भूकंपीय नेटवर्क और स्ट्रांग मोशन एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन।

(xvi) टिहरी और कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों के विद्युत संयंत्र उपकरणों की क्षरण दर को चिह्नित करने और इन उपकरणों की जीवन सीमा बढ़ाने हेतु अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने हेतु आवधिक अध्ययन।

(xvii) बॉयोमास से ग्रीन हाइड्रोजन और बॉयोचर का सह–निर्माण

वर्ष 2024–25 के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना और बजट के सापेक्ष अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

1.1 विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए पुराने अग्रिम का उपयोग (01.04.2024 तक 1219.33 लाख रुपये के अग्रिम के प्रारंभिक शेष में से):

(रु. लाख में)

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्त वर्ष 2024–25 में व्यय
1.	टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन	3.81
2.	घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफिल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग	22.47
3.	फोटो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलना	4.05
4.	हरित अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक, द्रवीकृत नमक–आधारित प्रक्रिया का डिजाइन और प्रदर्शन	13.26
5.	बॉयोमास से ग्रीन हाइड्रोजन और बॉयोचर का सह–निर्माण	8.55
6.	गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ फेज–आधारित कार्यनीति विकसित करना	55.81
7.	स्लाइडिंग की गैर–रेखीय स्थिरता: इंटरफेसियल स्लिप स्थिरता का मशीन लर्निंग और गणितीय मॉडलिंग–आधारित विश्लेषण	13.04
8.	गढ़वाल हिमालय में घूर्णी भूकंपीय भू–गति का मापन	48.12
9.	5जी निजी नेटवर्क अवसंरचना का विकास और स्थापना करना तथा टीएचडीसीआईएल परिसर में एकाधिक "5जी और उससे ऊपर" के प्रयुक्त मामलों को लागू करना:	320
10.	मानव समर्थित म्यूल–खच्चर	41.74
11.	लि–आयन बैटरी का विकल्प: स्टेशनरी भंडारण अनुप्रयोग के लिए सोडियम आधारित द्विआयन बैटरी का डिजाइन और विकास	23.05
12.	हाइड्रो थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) और सीवेज कीचड़ के दो चरण अवायवीय सह–डाइजेशन में जैव–हाइड्रोजन और जैव–मीथेनेशन को बढ़ाने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण	0.68
13.	न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास	0.74
14.	मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से सूक्ष्म प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंग: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम	0.23
15.	टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स के लिए हाइड्रोफोबिक संक्षारण अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी का विकास	5.92
	उप–योग	**561.47**

1.2 वित्त वर्ष 2024–25 में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वितरित 1521.22 लाख रुपये के अग्रिम के सापेक्ष निधियों का उपयोग:

(रु. लाख में)

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्त वर्ष 2024–25 में व्यय
1.	टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए 3डी स्कैनिंग और मेटावर्स डिजिटल ट्विन	636.787
2.	नेटवर्क की बीमा लागत सहित टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन	122.57

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्त वर्ष 2024–25 में व्यय
3.	टिहरी और कोटेश्वर विद्युत स्टेशनों के विद्युत स्टेशन उपकरणों की क्षरण दर को चिह्नित करने और इन उपकरणों की जीवन सीमा विशेषताओं को बढ़ाने के लिए अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवधिक अध्ययन	47.05
4.	अनुसंधान एवं विकास कार्यों आदि पर एएसी सदस्यों को परामर्श शुल्क	3.76
	उप–योग	**810.167**

1.3 वित्त वर्ष 2024–25 में अन्य व्यय:

(रु. लाख में)

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्त वर्ष 2024–25 में व्यय
1.	लेखा बहियों में दर्ज अनुसंधान एवं विकास विभाग की कर्मचारी लागत।	240.98
2.	अनुसंधान एवं विकास परियोजना "निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट के विशेष संदर्भ में टिहरी जलाशय जल शीर्ष में परिवर्तन के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन" के लिए। (देयता)	9.91
	उप–योग	**250.89**

वित्त वर्ष 2024–25 में कुल व्यय (1.1+1.2+1.3) = रु 1622.527 ~1622.53 लाख

टिप्पणी:

i. वित्त वर्ष 2024–25 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बजट : **रु1567.707 लाख**

ii. 31.03.2025 तक (वित्त वर्ष 2024–25) किया गया कुल व्यय : **रु1521.217 लाख**

iii. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर कुल व्यय (स्थापना प्रभारों सहित) : **रु1622.53 लाख**

iv. वित्त वर्ष 2024–25 के कर–पूर्व लाभ (समेकित) का 2% : **रु1695 लाख**

v. वित्त वर्ष 2024–25 के कर–पूर्व लाभ के 2% के एमओयू लक्ष्य के सापेक्ष प्रतिशत (%)व्यय 1.91% है।

चल रही अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र

1. घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफिल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग:

- प्लास्टिसाइज़र डिग्रेडिंग स्ट्रेन और उनके संबंधित एंजाइम की पहचान।
- प्लास्टिसाइज़र डिग्रेडिंग एंजाइम की क्लोनिंग, एक्सप्रेशन और शुद्धिकरण।
- एंजाइमों का बायोफिजिकल और बायोकेमिकल लक्षण वर्णन।

एंजाइमों की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए एक्स–रे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा उनकी संरचना का निर्धारण।

2. फोटो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलना:

- आसान हाइड्रोथर्मल तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए उभरते 2डी नैनो–मैटेरियल आधारित फोटो–कैथोड का संश्लेषण।
- संश्लेषित फोटो–कैथोड को विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों, जैसे, टीईएम, ईडीएक्स, एफई–एसईएम, बीईटी, एक्सपीएस, एक्सआरडी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आदि का उपयोग करके इसकी भौतिक–रासायनिक विशेषताओं के लिए लक्षण वर्णन किया जाएगा।
- फोटो–कैथोड सामग्रियों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करके विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए सीओ2 के विद्युत–अपचयन में उनकी प्रभावकारिता का आकलन करना।

3. हरित अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक, द्रवीकृत नमक–आधारित प्रक्रिया का डिजाइन और प्रदर्शन:

- अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक सेल और अवशोषक को डिजाइन, निर्माण और प्रदर्शित करना।
- विद्युत–रासायनिक प्रक्रिया की गतिकी का अनुमान लगाना।
- बेहतर अर्थशास्त्र और स्केल अप क्षमता के लिए सर्वोत्तम इलेक्ट्रोड, विद्युत–उत्प्रेरक और इलेक्ट्रोलाइट का पता लगाना।
- आर्थिक व्यवहार्यता को समझने के लिए प्रक्रिया का तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण करना।

4. बायोमास से हरित हाइड्रोजन और बायोचर का सह–उत्पादन

- बायोमास पर संचालित हरित हाइड्रोजन समृद्ध धारा और बायो–चार के उत्पादन के लिए एक एकीकृत पायरोलाइज़र और स्टीम रिफॉर्मर इकाई प्रणाली का प्रयोगशाला–पैमाने पर प्रोटोटाइप।
- स्केल–अप अध्ययनों और तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण का उपयोग करके पायलट संयंत्र संचालन के लिए एकीकृत पायरोलाइज़र और स्टीम रिफॉर्मर इकाई का अनुकूलित डिज़ाइन।

5. **गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ फेज–आधारित कार्यनीति विकसित करना।**

- गंगा जल के नमूनों से जीवाणु फेज का अलगाव और प्रसार।
- एस्केप रोगजनकों के खिलाफ मेजबान विशिष्टता की पहचान और लक्षण वर्णन।
- अभिचिह्नित फेज का संरचनात्मक और जैवनैतिक लक्षण वर्णन।

संयोजन फेज उपचार विकसित करने के लिए अनुप्रयोग आधारित पूर्व–नैदानिक अध्ययन।

6. **स्लाइडिंग की गैर–रेखीय स्थिरतारू इंटरफेसियल स्लिप स्थिरता का मशीन लर्निंग और गणितीय मॉडलिंग–आधारित विश्लेषण**

- भूवैज्ञानिक दोषों और भूस्खलन प्रकार की सतह में इंटरफेसियल स्लिप विकास का मशीन लर्निंग संचालित गणितीय मॉडलिंग।
- इंटरफेसियल स्लिप का स्थिरता विश्लेषण।

7. **गढ़वाल हिमालय में घूर्णी भूकंपीय भू–गति का मापन**

- टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में भूकंप (एमएल रु 3) गतिविधि के कारण दीर्घकालिक घूर्णी और स्थानान्तरणीय (अर्थात, छह डिग्री–स्वतंत्रता (6 डीओएफ)) भू–गति डाटा एकत्र करना।
- बेहतर (i) भूसौतिकीय साइट लक्षण वर्णन, (ii) भूकंपीय स्रोत व्युत्क्रमण, (iii) संरचनाओं की भूकंपीय प्रतिक्रिया का मूल्यांकन, आदि में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इस डाटा का उपयोग करना।

8. **5जी निजी नेटवर्क अवसंरचना का विकास और स्थापना करना तथा टीएचडीसीआईएल परिसर में एकाधिक "5जी और उससे ऊपर" के प्रयुक्त मामलों को लागू करना:**

टीएचडीसीआईएल परिसर में वायु प्रदूषण प्रोफाइलिंग के लिए कुछ स्मार्ट–आईओटी वायु प्रदूषण निगरानी उपकरण (बुनियादी क्षमताओं के साथ) और ऊर्जा खपत प्रोफाइलिंग के लिए स्मार्ट ऊर्जा मीटर (बुनियादी क्षमताओं के साथ) के साथ संदर्भ 5जी निजी नेटवर्क (सीमित रेडियो कवरेज, एक 5जी एनआईबी एक अतिरिक्त जीएनबी के साथ) की स्थापना करना।

9. **लि–आयन बैटरी का विकल्परू स्टेशनरी भंडारण अनुप्रयोग के लिए सोडियम आधारित द्विआयन बैटरी का डिजाइन और विकास**

- 1एएच क्षमता और 4.0वी क्वासी–सॉलिड–स्टेट सोडियम–आधारित ट्वि–आयन बैटरियों का डिजाइन और विकास।
- विभिन्न चार्ज/डिस्चार्ज स्थितियों के तहत सेल की दीर्घकालिक (1000 चक्रों से अधिक) स्थिरता की जांच करना।

10. **मानव समर्थित म्यूल–खच्चर**

- 100 किलोग्राम के कुल गतिशील द्रव्यमान और 20 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ 2–किलोवाट की शक्ति वाली डिवाइस को डिजाइन और साकार करना।
- लेग्ड वॉकिंग सिस्टम विकसित करना और अर्ध–स्वायत्त मोड में मध्यम भूभाग पर चाल परिवर्तन और संचलन का प्रदर्शन करना।
- नियंत्रक की स्थिरता सीमाओं के साथ–साथ घटकों के लोडिंग और टूट–फूट का निर्धारण करने के लिए सिस्टम का सख्ती से परीक्षण।

11. **हाइड्रो थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) और सीवेज कीचड़ के दो चरण अवायवीय सह–डाइजेशन में जैव–हाइड्रोजन और जैव–मीथेनेशन को बढ़ाने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण:**

- अधिकतम एच 2 और सीएच 4 उत्पादन के लिए नगरपालिका अपशिष्ट जल कीचड़ और ओएफएमएसडब्ल्यू के अवायवीय उपचार को अनुकूलित करना : मिश्रण अनुपात, कुल ठोस प्रतिशत
- एच2 और सीएच4 उत्पादन पर हाइड्रोथर्मल प्रीट्रीटमेंट स्थितियों (तापमान, दबाव और प्रतिक्रिया समय) के प्रभाव को प्राप्त करना – बैच परख और अर्ध सतत संचालन
- अर्ध–सतत संचालन के तहत एच2 और बायोगैस उत्पादन पर परिवर्तनीय कार्बनिक लोडिंग दरों (ओएलआर) और हाइड्रोलिक प्रतिधारण समय (एचआरटी) का प्रभाव

12. **न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास**

- अशोधित कीचड़ (पीएसबी से उत्पन्न) को बायोगैस और ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए मीथेन किण्वन (अवायवीय पाचन) प्रक्रिया का विकास।
- एकीकृत प्रक्रियाओं की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता "स्व–संधारणीय ऊर्जा कुशल मलजल उपचार प्रणाली" के रूप में। तथा पारंपरिक और संशोधित सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया के साथ तुलना।

13. **टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स के लिए हाइड्रोफोबिक संक्षारण अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी का विकास**

- 100 एनएम से कम कण आकार के साथ सुपरहाइड्रोफोबिक अवरोधक /एमओएफ कोर–शेल कंपोजिट का विकास।
- अवरोधक /एमओएफ कोर–शेल कंपोजिट को एपॉक्सी रेसिन में मिलाकर एक समग्र कोटिंग बनाना।
- अलग–अलग मोटाई के साथ स्प्राई कोटर या ब्रश पेंट विधि द्वारा यथा तैयार समग्र कोटिंग की कोटिंग।
- विस्तृत सतह लक्षण वर्णन, समग्र कोटिंग की नमी, यांत्रिक और संक्षारण–रोधी गुणों का विश्लेषण।
- समग्र कोटिंग का औद्योगिक पैमाने पर निष्पादन प्रदर्शन।

14. **मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से सूक्ष्म प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंग: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम**

- डीएचएस रिएक्टर के बाद एकीकृत प्राथमिक अवसादन बेसिन (पीएसबी) का विकास।
- सर्वोत्तम प्रचालन स्थितियों का अनुकूलन (हाइड्रोलिक अवधारण समय, कार्बनिक लोडिंग दर)
- नाइट्रोजन के वर्धित उन्मूलन को बढ़ाने के लिए बहिस्राव पुनःपरिचारण के पोषक तत्वों के वर्धित निष्कर्षण को प्राप्ति करने के लिए और फास्फोरस के वर्धित उन्मूलन के लिए अतिरिक्त उपचार
- अशोधित कीचड़ (पीएसबी से उत्पन्न) के उपचार के लिए अवायवीय डाइजेशन प्रक्रिया का विकास।

15. **टीएचडीसीआईएल के टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए 3डी स्कैनिंग और मेटावर्स डिजिटल ट्विन निर्माण**

3डी स्कैनिक और डिजिटल ट्विन निर्माण:

- संयंत्र में स्थापित चार इकाइयों में से एक विद्युत उत्पादन इकाई के लिए जलविद्युत संयंत्र की व्यापक 3डी लेजर स्कैनिंग का संचालन करना, जिसमें विस्तृत ज्यामिति और संरचना को कैप्चर करना शामिल है।
- एक सटीक और उच्च–रिजॉल्यूशन डिजिटल ट्विन का निर्माण करने के लिए 3डी स्कैन डेटा को संसाधित और प्रस्तुत करना।

मेटावर्स परिवेश एकीकरण:

- संवादात्मक सुविधाओं के साथ मेटावर्स पर्यावरण विकसित करना, जिससे उपयोगकर्ता निर्देशित या फ्री–रोम मोड में वर्चुअल संयंत्र का अन्वेषण कर सकें।
- एक सहज और आकर्षक उपयोगकर्ता इंटरफेस बनाना, जिसे वर्चुअल वास्तविकता सेटअप के भीतर आसानी से नेविगेट किया जा सके।
- निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव के लिए डिजिटल ट्विन को वीआर हेडसेट और स्क्रीन डिस्प्ले उपकरणों के साथ एकीकृत करना।

16. टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म–भूकंपीय नेटवर्क और स्ट्रांग मोशन एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन।

टिहरी बांध जलाशय के साथ सहसंबंध स्थापित करने हेतु भूकंप उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं और टिहरी क्षेत्र की मध्यम विशेषताओं को समझने के लिए टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में स्थापित 18–स्टेशन भूकंपीय नेटवर्क (टेलीमीटर नेटवर्क के रूप में) के माध्यम से टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में सूक्ष्म भूकंप गतिविधि पर दीर्घकालिक डेटा के संग्रह के जरिए भूकंपीय अध्ययन करना। टिहरी बांध, पावर हाउस और कोटेश्वर बांध के आसपास के क्षेत्र में मध्यम और बड़े आकार के भूकंप की घटना के दौरान उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए, 13 एसएमए नेटवर्क से मजबूत भू–गति डेटा के संग्रह के माध्यम से स्ट्रांग मोशन अध्ययन करना।

17. टिहरी और कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों के विद्युत संयंत्र उपकरणों की क्षरण दर को चिह्नित करने और इन उपकरणों की जीवन सीमा बढ़ाने हेतु अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने हेतु आवधिक अध्ययन।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कार्य के दायरे के अनुसार स्थिति निगरानी द्वारा टिहरी और कोटेश्वर संयंत्रों के ईएम उपकरणों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करना है।

गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण

संयंत्र के उपकरणों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास एक पूर्ण और केन्द्रीकृत कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग है। इस संबंध में, कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के गुणवत्ता आश्वासनों और निरीक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए एक आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यशील है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उत्पादन इकाइयों और संयंत्र अनुषंगी सहित इनकी अनुषंगी इकाइयों के लिए चल रही परियोनाओं (टिहरी टीएसपी, वीपीएचईपी) के कार्य स्थलों को उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रत्येक उपकरण आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप हों।

गुणवत्ता आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भूमिका उपस्कर के प्रत्येक चरण अर्थात टेंडर डाक्यूमेंट के लिए गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण की तैयारी, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण पहलुओं के लिए बोली मूल्यांकन, गुणवत्ता समन्वय प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, उप विक्रेता अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं के अनुमोदन, कार्य चरण और अंतिम निरीक्षण, सामग्री प्रेषण अनुमति प्रमाण–पत्र (एमडीसीसी) पर है।

इसके अतिरिक्त टीएचडीसीआईएल संयंत्रों के उत्थापन और प्रारंभण के अलग–अलग चरणों पर नियमित/आवधिक निरीक्षण कर कार्य स्थल पर उपस्करों के संस्थापन के दौरान किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। दिनांक 31.03.2025 तक वेंडर अनुमोदन, क्यूएपी, निरीक्षणों और एमडीसीसी अनुशंसाओं के लिए परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना	सब–वेंडर	गुणवत्ता योजना	पूर्व–प्रेषण निरीक्षण	एमडीसीसी
टिहरी पीएसपी	680	155	348	501
वीपीएचईपी	1671	90	272	191

आईएसओ प्रमाणन

टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी, विष्णुगढ़ पीपलकोटी एचईपी और ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र झांसी और एनसीआर कार्यालय–कौशाम्बी, गाजियाबाद के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का प्रमाणन आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का प्रमाणन आईएसओ14001:2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएंडएस) का प्रमाणन आईएसओ 45001:2018 प्राप्त किया है। कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी एवं विष्णुगढ़ पीपलकोटी एचईपी के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता मार्च 2027 तक है। ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र–झांसी के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता मार्च, 2026 तक है और एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी, गाजियाबाद के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता अगस्त, 2026 तक है।

कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश और एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी गाजियाबाद के लिए स्थित–रोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) के लिए आईएसओ 37001:2016 का प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

टीएचडीसी ने आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त किया है। कॉर्पोरेट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ऋषिकेश के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन की वैधता अक्टूबर, 2025 तक है तथा आईएसओ 27001:2022 की प्रमाणनों की वैधता टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए जनवरी, 2027 तक तथा ढुकवां एसएचईपी विद्युत संयंत्र के लिए सितम्बर, 2027 तक है।

पर्यावरण प्रबंधन

टीएचडीसीआईएल द्वारा सदैव उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा के उपाय अपनाए जाते हैं ताकि इसके विभिन्न कार्यालयों तथा परियोजना मोर्चों पर उसकी गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके, न्यूनतम किया जा सके और कम किया जा सके। टीएचडीसीआईएल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण तथा अपने सभी कार्यस्थलों पर सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता के

अनुरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) भारत के ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे बना हुआ है। ये पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान करती हैं बल्कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रेरणा के रूप में भी काम करती हैं।

टीएचडीसीआईएल की पहल पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति इसके अग्रसक्रिय रुख और नवाचार के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति इसके समर्पण को रेखांकित करती है।

विश्व पर्यावरण दिवस और # Plant4Mother तथा # एक–पेड़–माँ–के–नाम कार्यक्रम:

जनता को जागरूक करने के लिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ सभी परियोजना स्थलों पर विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी)मनाया जाता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने मातृत्व का सम्मान करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 4114 पौधे लगाने हेतु वृक्षारोपण अभियान आयोजित करके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अभियान **# Plant4Mother** और **# एक–पेड़–माँ–के–नाम** में सक्रिय रूप से भाग लिया।

नवीन मानक संचालन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन और ईएसजी नीति का कार्यान्वयन:

ईएसजी नीति का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संबंधी विचारों को हमारे प्रचालन ढांचे और मुख्य व्यावसायिक प्रथाओं में व्यवस्थित रूप से एकीकृत करना है। इस एकीकरण का उद्देश्य भौतिक प्रभावों और संबंधित जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करना है, साथ ही कंपनी द्वारा की जाने वाली सभी ईएसजी पहलों और गतिविधियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना है।

ईएसजी एकीकरण के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक सुदृढ़ शासन तंत्र की स्थापना, एक सुव्यवस्थित ढाँचे का कार्यान्वयन, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और नियंत्रणों का विकास, हमारे संचालनों को नियंत्रित करने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों का समावेश, और हमारे ईएसजी प्रदर्शन का पारदर्शी संचार और प्रकटीकरण शामिल है। हमारा ईएसजी दृष्टिकोण एक पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी विद्युत उत्पादन इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त करना है जो हमारे सभी हितधारकों के लिए स्थायी दीर्घकालिक मूल्य सृजन हेतु समर्पित हो।

ईएसजी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए, जिसमें प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण शामिल है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति टीएचडीसीआईएल में लागू की गई है।

इसके अलावा, हमारी कंपनी ने निगम के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाएँ तैयार की हैं और उत्पन्न एवं निस्तारित अपशिष्ट के लिए डेटा संग्रह हेतु मानक प्रारूप निर्धारित किए हैं।

टीएचडीसीआईएल का लक्ष्य अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन करना है। इस संबंध में किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:

1. वीपीएचईपी

- टीएचडीसीआईएल ने मैसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को क्रमशः वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना (कैट) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है।
- आईसीएआर – सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोल्डवाटर फिशरिज रिसर्च (सीआईसीएफआर), भीमताल (पूर्व में डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरिज रिसर्च के नाम से ज्ञात) को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।
- वीपीएचईपी में, मत्स्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत, देशी मछली प्रजातियों, विशेष रूप से स्किजोथोरैक्स प्रजाति (स्नो ट्राउट) के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय मत्स्य पालन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिरही सहायक नदी के संगम के पास अलकनंदा नदी में 200 उच्च–गुणवत्ता वाले, रोग–मुक्त स्नो ट्राउट ब्रूडर और 5,000 फ्राई छोड़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन वीपीएचईपी–टीएचडीसी, पीपलकोटी, आईसीएआर–केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (भीमताल) और मत्स्य पालन विभाग, चमोली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- वीपीएचईपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य के वन विभाग को 10 कैमरा ट्रैप उपलब्ध करवाए गए और उनके माध्यम से संस्थापित कराए गए हैं ताकि परियोजना स्थलों के आसपास उचित वन स्थानों पर उन्हें संस्थापित कर निगरानी रखी जा सके। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की चारदीवारी के आसपास विद्युत गृह और टनेल बोरिंग मशीन साइट पर चिन्हित स्थानों पर 02 वाच टावर संस्थापित किए गए हैं। नियंत्रित विस्फोट करने वाली तकनीकें अपनाई जा रही है और इनकी निगरानी सीआईएनएफ, रूड़की के माध्यम से निर्माण संविदाकार द्वारा की जा रही है।
- वीपीएचईपी कॉलोनी में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एचआरडीआई, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। हरड़ (टर्मिनलिया चेबुला), लेमन ग्रास (सिंबोपोगोन फ्लेक्सुओसस), सर्पगंधा (राउवोल्फिया सर्पेंटाइना), और एलोवेरा बांस (बम्बुसा वल्गारिस), मीठी तुलसी (स्टीविया रेबाउडियाना), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), तेजपात (सिनामोमम तमाला), घृत कुमारी (एलो बारबाडेनिसिस), बड़ी इलायची (अमोमम सुबुलटम), बेलपत्र (एगल मार्मेलोस), आनवाला (फिलैन्थेस एम्लिका) और रीटा (सैपिंडस मुकोरोसी) सहित विभिन्न औषधीय पौधे लगाए गए हैं।
- प्रख्यात पर्यावरणविद श्री जगत सिंह चौधरी ऊर्फ "जंगली जी" के पर्यवेक्षण में वीपीएचईपी में हरित पट्टी का विकास कार्य शुरू किया गया था और मार्च, 2025 तक लगभग 9300 पौधे लगाए गए हैं।

2. खुर्जा एसटीपीपी

- टीएचडीसीआईएल 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां समान आधार पर कार्यान्वित की जानी है। खुर्जा एसटीपीपी में उन्नत उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर टीएचडीसीआईएल ने खतरनाक गैसों और कणों को वातावरण में सीधे उत्सर्जन होने से बचाने की योजना बनाई है। इनमें से कुछ तकनीकें नीचे दी गई है:

1 उड़ने वाली राख के कण के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89 प्रतिशत कार्यकुशलता के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ईएसपी)। प्रेसीपिटेटर को पर्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को 30

मिलीग्राम/एनएम3 से नीचे सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2 एसओ2 सांद्रता को 100 मिलीग्राम/एनएम3 से नीचे सीमित रखने के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली वाले बॉयलर।

3 एक राख प्रबंधन स्कीम, जिसमें फ्लाई ऐश का शुष्क संग्रहण प्रयोग के लिए पहले ही चिन्हित उद्यमियों को राख की आपूर्ति और राख (ऐश) का अधिकतम सीमा तक उपयोग और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल हैं। संयंत्र में राख के निपटान के लिए संयंत्र में भिन्न–भिन्न दो प्रणालियां – परंपरागत गीला गाद निपटान जिसमें पेढ़े की राख के लिए राख जल का पुनः प्रचालन और फ्लाई ऐश के लिए उच्च संकेन्द्रण गाद निस्तारण (एचसीएसडी) –हैं।

4 इसके अलावा, परियोजना स्थल के आसपास 170 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली एक हरित पट्टी विकास योजना लागू की जा रही है। 170 हेक्टेयर में से, लगभग 70 हेक्टेयर में हरित पट्टी विकास कार्य पूरा हो चुका है और शेष 100 हेक्टेयर भूमि में से 50 हेक्टेयर में पौधारोपण कार्य चल रहा है।

5 गंगा नहर से पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने निकटवर्ती शहरों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (50 किमी के भीतर) से उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए यूपी जल निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

3. अमेलिया कोयला खदान:

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कोयला आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा टीएचडीसीआईएल को अमेलिया कोयला खदान आवंटित की गई थी। विभिन्न उपायों को लागू करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं:

1. सीएएक्यूएमएस के माध्यम से निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी, जो सीधे एसपीसीबी और सीपीसीबी पोर्टल से जुड़े हैं।
2. टीएचडीसीआईएल ने धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए खदान की सीमा के चारों ओर विभिन्न प्रजातियों के पेड़–पौधों के साथ 7.5 मीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित की है। इसके अतिरिक्त, पड़ोसी गांवों में देशी पौधों की प्रजातियों के वितरण के लिए 10 हेक्टेयर नर्सरी विकसित की गई है।
3. 14 किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट प्रणाली का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ 2000 टन साइलो शामिल हैं। तब तक कोयले का परिवहन समर्पित कोयला गलियारे के माध्यम से तिरपाल से ढके ट्रकों और पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ किया जा रहा है।
4. आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खदान में सभी प्रदूषण नियंत्रण उपाय जैसे कि फॉग कैनन, पानी के टैंकर, काली टॉप वाली पहुंच सड़कें, गाद रोकने के लिए चेक बंध, गैबियन दीवारें, तलछट तालाब आदि का निर्माण/स्थापना की गई है।
5. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण योजनाएँ, अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

4. कलई–।। एचईपी:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में स्थित कलई–।। जलविद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने हेतु परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु वैपकोस लिमिटेड (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) को नियुक्त किया है। इस कार्य के अंतर्गत, वैपकोस यह सुनिश्चित करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) करेगा और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करेगा कि परियोजना में सभी पर्यावरणीय नियमों और स्थिरता मानकों का पालन किया जाता है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र उपचार (कैट) योजना भी तैयार करवाई गई है। जलग्रहण क्षेत्र से कटाव और तलछट उत्पादन का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जलाशय में तलछट के जमाव से इसकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे निर्दिष्ट उपयोग के लिए जल की उपलब्धता प्रभावित होती है। लोहित नदी पर कलई–।। जलविद्युत परियोजना तक मध्यवर्ती जलग्रहण क्षेत्र के लिए कैट योजना तैयार की गई है। कैट योजना के अंतर्गत उपचारित किए जाने वाला प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र 1,48,600 हेक्टेयर है। कैट योजना में मृदा संरक्षण और समग्र रूप से जलग्रहण प्रबंधन के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले अभियांत्रिकी और जैविक दोनों उपाय शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

जोखिम प्रबंधन किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के प्रबंधन में संबंधित जोखिमों के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए एक तंत्र है। यह सभी प्रकार के खतरों से उत्पन्न जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण है और इसमें जोखिम की पहचान, जोखिम मात्रा का निर्धारण, विकास और जोखिम प्रतिक्रिया के कार्यान्वयन/प्रबंधकीय संसाधनों का उपयोग करके जोखिम को कम करने सहित मानवीय गतिविधियों का एक क्रम शामिल है।

जोखिम प्रबंधन व्यावसायिक गतिविधि, अस्थिरता और अवसरों/खतरों की व्यापक और सुव्यवस्थित समझ के माध्यम से निर्णय लेने, योजना और प्राथमिकता में सुधार करके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करता है। जोखिम प्रबंधन कॉर्पोरेट उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावी योगदान देता है और विभिन्न कार्यात्मक प्रबंधन क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग बनता है।

चूँकि, टीएचडीसीआईएल की अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएँ हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, जलविद्युत परियोजना क्षेत्रों का भूमि स्वरूप मेगा फोल्ड्स, फॉल्ट्स, थ्रस्टेड संरचनाओं आदि का प्रतिनिधित्व करता है। जो हिमालय की टेक्टोनिक गतिविधियों से संबंधित हैं। इन भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के दौरान विभिन्न जोखिम उत्पन्न होते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने जून 2012 में अपना ₹जोखिम प्रबंधन मैनुअल₹ लागू किया है। मैनुअल का उद्देश्य निष्पादन और संचालन के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में संगठन में एक समान और सुव्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखना है।

टीएचडीसीआईएल एक बहु–परियोजना संगठन के रूप में विकसित हुआ है जिसकी उपस्थिति पूरे भारत में है और यह भारत में विद्युत परियोजनाओं के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। विद्युत क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी, टीएचडीसीआईएल, अपने सामान्य खेलों के लिए प्रोत्साहित भी करता है।

जोखिम प्रबंधन:

जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी कॉरपोरेट सुशासन रिपोर्ट (इस रिपोर्ट का **अनुलग्नक–I**) में अलग से संलग्न है। जोखिम के प्रमुख तत्व इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–III** के रूप में संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए हैं।

टीएचडीसीआईएल की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया नीचे दर्शाई गई है:



टीएचडीसीआईएल में सूचना प्रौद्योगिकी का सामरिक उपयोग

टीएचडीसीआईएल में, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारी समग्र उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए एक सामरिक उपकरण के रूप में किया जाता है। हमने परिसंपत्तियों के सृजन के इष्टतम उपयोग, निर्माण परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर समाधानों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है जिससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार हुआ है। टीएचडीसीआईएल के पास नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचा है। सभी प्रमुख व्यावसायिक कार्यों अर्थात् वित्त, मानव संसाधन, खरीद और संविदा, इन्वेंटरी, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र संचालन और अनुरक्षण, ऊर्जा बिक्री और लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली मौजूद हैं। ये एप्लिकेशन वेब आधारित हैं और इन्हें इंटरनेट के जरिए उपयोग किया जा रहा है।

इंटरनेट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों तक निर्बाध पहुंच के लिए सभी स्थानों पर दोहरी उच्च गति समर्पित इंटरनेट लीज लाइनें हैं। भुगतान की पारदर्शिता के लिए, टीएचडीसी ने विक्रेताओं/संविदाकारों द्वारा जमा किए गए बिलों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए वेब आधारित बिल ट्रैकिंग प्रणाली भी लागू की है। संविदाकारों/विक्रेताओं को भी अपने बिलों की स्थिति पता होती है और खामियां भी उन्हें पता होती हैं। शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली जनता के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनकी शिकायतों की स्थिति ऑनलाइन जानने के लिए है।

हाल के दिनों में, निम्नलिखित मूल्यवर्धन हासिल किए गए:

वेबसाइट पर जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जा रही है। परियोजना की प्रगति के लिए ऑनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली भी वेबसाइट का हिस्सा है।

एकएमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहले ही भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) के अनुरूप बना दिया गया था। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को लगातार नई सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाता है। पूंजीगत एवं राजस्व बजट के लिए बजट प्रणाली विकसित की गई है। कार्य अनुबंध मॉड्यूल विकसित और चालू कर दिया गया है। यह संविदा निर्माण, बीओक्यू, ऑनलाइन माप पुस्तिका और बिल से संबंधित है। साइट इंजीनियरों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे वास्तविक समय में माप दर्ज कर सकें।

सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल क्रियाशील है और सेवानिवृत्त कर्मचारी विभिन्न उद्देश्यों जैसे उनसे संबंधित नवीनतम कार्यालय आदेश/परिपत्र, पीएफ/पेंशन डेटा मेडिकल बिल और जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।

प्रोजेक्ट ई–डायरी सिस्टम: प्रोजेक्ट ई–डायरी सिस्टम के नाम से जाना जाने वाला एक वेब–आधारित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और पीएसपी, वीपीएचईपी, खुर्जा और अमेलिया में निर्माणाधीन स्थलों पर संचालित किया जा रहा है। इस एप्लिकेशन में छह मापदंडों के सापेक्ष डाटा दर्ज किया जा रहा है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये छह पैरामीटर निम्नानुसार हैं:

- प्रमुख गतिविधियों का विवरण (दिन के दौरान निष्पादित कार्य, मात्रा, इकाई और टिप्पणियाँ)
- संसाधनों की कमी (संसाधन विवरण)
- महत्वपूर्ण निर्देश (कार्य निष्पादन हेतु प्रमुख निर्णय (लक्ष्य तिथियाँ))
- गुणवत्ता संबंधी मुद्दे (मुद्दे और उपाय)
- दैनिक बाधाएँ (निलंबन, संविदाकार के संचालन का सारांश, स्पष्टीकरणरु देरी, कठिनाइयाँ, उपयोगिता क्षति, स्थानीय मुद्दे, धरना, यातायात व्यवधान, अन्य असामान्य स्थितियाँ आदि)
- सुरक्षा मुद्दे।

- "कार्यकारियों की त्रैमासिक सतर्कता निकासी रिपोर्ट" को ऑनलाइन जमा करने के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का विकास।
- सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों के लिए ऑनलाइन पीएमएस का कार्यान्वयन।
- विभिन्न पदों जैसे सावधि आधार, कार्यकारी प्रशिक्षण और मध्य और उच्च स्तरीय के लिए एप्लिकेशन का विकास और ऑनलाइन भर्ती कार्यान्वयन।
- पत्रों, टिप्पणियों और फाइलों को संभालने में व्यक्तिगत / अनुभाग / विभाग से प्रतिक्रियाओं में दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए कागज रहित कार्यालय की ओर धीरे–धीरे आगे बढ़ने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने ई–ऑफिस (एनआईसी द्वारा विकसित) को सफलतापूर्वक लागू किया है। ई–ऑफिस ने टर्नअराउंड समय/प्रसंस्करण विलंब को कम कर दिया है। अब सभी प्रस्ताव, नोट्स आदि ई–ऑफिस के माध्यम से संसाधित किये जा रहे हैं। वर्तमान में, ई–फाइलों के त्वरित प्रोसेसिंग और प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कार्यालय प्रणाली के नवीनतम संस्करण 7.3.9 का उपयोग किया जा रहा है।
- आईटी प्रणाली और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सुरक्षित करने के लिए, सीईआरटी–इन पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और आईटी अवसंरचना की नियमित संपरीक्षा की जा रही है। कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। नए सदस्यों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए साइबर सुरक्षा पर सत्र का आयोजन किया गया है। साइबर सुरक्षा नीति भी लागू की गई है और यह कर्मचारी के लॉगिन पर उपलब्ध है।
- संगठन की साइबर लचीलापन में सुधार करने के लिए, ओटी/आईटी में लगे कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में अद्यतन रखने के लिए नियमित

प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- साइबर जागरूकता दिवस– प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, साइबर सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए विभिन्न ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- ऑनलाइन वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) प्रणाली विकसित की गई है और क्रियाशील है, सभी एपीआर ऑनलाइन भरे जाते हैं।
- कंपनी के पास विभिन्न परियोजना कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच वीसी आयोजित करने के लिए सुस्थापित मल्टी–पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली है। ऑनलाइन बैठकें और सम्मेलन वेब और स्टूडियो वीसी के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- अधिकांश कर्मचारियों को नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डेस्कटॉप भी प्रदान किए गए हैं।
- प्रतिभा प्रबंधन और निकास प्रक्रिया के लिए एचआरएमएस में नया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- निश्चित अवधि के आधार पर अधिकारियों के लिए ऑनलाइन नर्ती: विभिन्न विषयों में अधिकारियों ने एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्होंने प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन ऑनलाइन जमा किया है।
- इंटरनेट फेसिंग उपकरणों पर कमजोरियों/दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक पर सलाह प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने नियमित सलाह प्राप्त करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र को शामिल किया है।
- आईटी विभाग ने सभी यूनिटों में एमएस ऑफिस 365 को सफलतापूर्वक लागू किया है और कई कर्मचारियों को कवर किया है। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाइयों के नोडल अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।
- पावर बीआई सॉफ्टवेयर, बिजनेस एनालिटिक टूल का उपयोग उत्पादन संयंत्रों से उपलब्ध विभिन्न डाटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है।
- ड्राइंग और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है। एक इंजीनियरिंग संगठन होने के नाते टीएचडीसीआईएल को प्रसार और पुनर्प्राप्ति के लिए परियोजनाओं और सहायक सेवाओं से जुड़ी बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है। विभिन्न संचालन और अनुरक्षण के मुद्दों के लिए दस्तावेजों की तेजी से पुनर्प्राप्ति आवश्यक है जहां चित्र और डिजाइन दस्तावेजों को संदर्भित किया जाता है। चित्रों को ऑनलाइन जमा करने और भेजने का प्रावधान है। वर्कफ्लो चित्र जमा करने, समीक्षक(ओं) और अनुमोदक को भेजने की अनुमति देता है। साथ ही टिप्पणियों के साथ रेखाचित्रों के संस्करण भी बनाए रखे जाते हैं और नवीनतम अनुमोदित रेखाचित्र उपयोगकर्ताओं/साइट इंजन के लिए उपलब्ध है
- डिस्पेंसरी के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और क्रियाशील कर दिया गया है। इसमें पंजीकरण, निदान से लेकर दवा वितरण, डे केयर, विदेशी रेफरल, रोगी का इतिहास आदि शामिल है।
- डॉक्टर कनेक्ट ऐप: हाल ही में ऋषिकेश में सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे अपने पसंदीदा डॉक्टरों के साथ आसानी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यह पहल मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों, दोनों के लिए सहज और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करती है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाती है और समग्र उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार करती है।
- ढुकवां, टिहरी और कोटेश्वर इकाइयों में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) को आईएसओ27001:2022 के लिए प्रमाणित किया गया है। कॉर्पोरेट आईटी विभाग को पहले ही अक्टूबर 2022 में आईएसओ 27001:2013 के लिए प्रमाणित किया जा चुका है।
- **एफएमएस जीईएम एकीकरण:** आईटी विभाग ने वेंडर भुगतानों की स्थिति को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए एफएमएस वेब पोर्टल प्रणाली को जीईएम पोर्टल में एकीकृत किया है।
- **बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली** – सुरक्षित संचार सुनिश्चित करते हुए, एफएफएस प्रणाली पर एसएसएल को सफलतापूर्वक कॉन्फ़िगर किया गया है। यह एनएचपीसी की आवश्यकताओं के अनुसार एफएफएस एपीआई परिवर्तनों का परीक्षण और अंतिम रूप देता है, और निर्बाध कार्यान्वयन के लिए वेंडर के साथ मिलकर काम करता है। अद्यतन एपीआई एनएचपीसी के साथ साझा किया जाता है, जिसे मास्टर कंट्रोल रूम के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे ई–आभा प्रणाली (https://eaabhas.in) पर लाइव डेटा दृश्यता संभव हो पाती है। उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन में डिजिटल नवाचार के लिए टीएचडीसीआईएल को पुरस्कृत किया गया, जिसमें आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में एफएफएस के महत्व को मान्यता दी गई।
- **आईएसओ फीडबैक प्रबंधन प्रणाली:** इसे टीएचडीसीआई एल के सभी विभागाध्यक्षों से आंतरिक फीडबैक एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को हाल ही में आंतरिक रूप से विकसित किया गया है, जिसमें संगठनात्मक आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए नवीनतम संवर्द्धन और आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। यह प्रणाली फीडबैक एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करती है, जो निरंतर सुधार प्रयासों में योगदान देती है।
- **विधि एवं मध्यस्थता पोर्टल:** टीएचडीसीआईएल का विधि एवं मध्यस्थता विभाग इस पोर्टल का उपयोग सभी कानूनी मामलों का विवरण दर्ज करने और प्रबंधित करने के लिए करता है, जिसमें सुनवाई की तारीखें, अधिवक्ता जानकारी, न्यायालय के आदेश और संबंधित दायित्व शामिल हैं। यह पोर्टल प्रबंधन समीक्षा के लिए आवधिक रिपोर्ट तैयार करने की भी सुविधा देता है। आईटी विभाग ने विधि एवं मध्यस्थता विभाग के लिए इस पोर्टल को सफलतापूर्वक शुरू किया है और यह चल रहे संवर्धन, अनुरक्षण, अद्यतन और अवसंरचना प्रबंधन सहित निरंतर सहायता प्रदान करता है।

पुरस्कार और मान्यताएं

सामरिक संचार के प्रति टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। कंपनी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी "ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) सम्मेलन में प्रतिष्ठित "पब्लिक "रिलेशंस इन एक्शन" के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में टीएचडीसीआईएल को



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते श्री सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त), टीएचडीसीआईएल

"वन ऑफ दि टॉप डिस्प्ले एक्ज़ीबिशंस" के रूप में मान्यता दी गई, जो जन सहभागिता और प्रस्तुति में इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है।

I- टीएचडीसीआईएल को जून 2024 में ग्रेट प्लेस टू वर्क™ इंडिया द्वारा "ग्रेट प्लेस टू वर्क" के रूप में प्रमाणित किया गया और 21.06.2024 को नई दिल्ली में लीडरशिप इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पीएसयू नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ।

II- टीएचडीसीआईएल को 14.09.2024 को गृह मंत्रालय से 2023–24 के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 में इसे "वन ऑफ दि टॉप डिस्प्ले एक्ज़ीबिशंस" के रूप में भी मान्यता मिली और ऋषिकेश में अपनी हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए 04.10.2024 को ग्रीन फ्यूचर समिट 2024 में ग्रीन इनोवेशन पुरस्कार भी प्राप्त किया।

III- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को प्रकाशमई 17वें एनर्टिया अवार्ड 2024 में "भारत के सर्वश्रेष्ठ जलविद्युत परियोजना उद्यम (भंडारण जलविद्युत एवं पीएसपी का विकास)" से सम्मानित किया गया है, जो सतत ऊर्जा, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा में उत्कृष्टता के लिए भारत और दक्षिण एशिया का प्रमुख पुरस्कार है।



एचआर रिट्रीट- उभरते रुझानों को जानने के लिये मानव संसाधन विकास केंद्र, ऋषिकेश में परिवर्तनकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

IV. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया सम्मेलन में संचार कार्यनीतियों में अपनी उल्लेखनीय पहल के लिए प्रतिष्ठित "पब्लिक रिलेशंस इन एक्शन" के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

V. टीएचडीसीआईएल को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी असाधारण सीएसआर पहलों के लिए हेल्थकेयर इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 28.02.2025 को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड हेल्थकेयर इनोवेशन समिट में प्रदान किया गया।

VI. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को 24 मार्च, 2025 को देहरादून में 'जल संरक्षण और प्रबंधन' में अपने अनुकरणीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित 'एसडीजी अचीवर्स अवार्ड – कॉर्पोरेट्स, 2023' से सम्मानित किया गया।

VII. टीएचडीसीआईएल को 20 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजी टेक अवार्ड्स 2025 में टिहरी बांध के लिए अपनी अग्रणी डिजिटल आपदा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रतिष्ठित "डिजिटल इनोवेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट (गोल्ड कैटेगरी)" से सम्मानित किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

उभरती व्यावसायिक गतिशीलता और निरंतर, उच्च–प्रदर्शन परिवर्तनों की आवश्यकता के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल अपनी प्रतिभाशाली मानव पूंजी पर अत्यधिक निर्भर है, जो एक प्रदर्शन–उन्मुख संस्कृति को संचालित करती है। टीएचडीसीआईएल में, मानव संसाधन एक सामरिक व्यावसायिक भागीदार के रूप में विकसित हुआ है, जो मानव संसाधन कार्यनीतियों को कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ सहजता से संरेखित करके कंपनी के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सामरिक संरेखण ने न केवल एक जीवंत और सहायक कार्य परिवेश को बढ़ावा दिया है, बल्कि प्रमुख संगठनात्मक उपलब्धियों में भी प्रत्यक्ष योगदान दिया है, जिसमें हाल ही में 660 मेगावाट की खुर्जा सुपर–क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना (केएसटीपीपी), खुर्जा की पहली इकाई का सफल वाणिज्यिक प्रचालन घोषणा (सीओडी) शामिल है, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धित चरण है और ऊर्जा क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है।

हमारा मानव संसाधन कार्य एक स्वस्थ कार्यस्थल को बढ़ावा देकर, व्यापक कर्मचारी लाभ प्रदान करके और करियर विकास को सक्षम बनाकर उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव संसाधन टीम प्रक्रियाओं के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देती है और संचार के खुले चैनल बनाए रखती है। विभिन्न विभागों के नेतृत्व के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से, मानव संसाधन विभाग कार्यस्थल की चुनौतियों का समाधान करता है, नवीन समाधान प्रदान करता है और निरंतर परिवर्तनशील व्यावसायिक परिवेश में कुशल बना रहता है।

इस सामरिक और जन–केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से, टीएचडीसीआईएल अपने मानव संसाधन आधार को निरंतर मजबूत करता जा रहा है और एक भविष्य–तैयार कार्यबल का निर्माण कर रहा



टीएचडीसीआईएल के सभी परियोजना कार्यालयों एवं इकाइयों में मैराथन 4.0 का आयोजन किया गया

है जो विश्वसनीय, टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के कंपनी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक जटिल और संसाधन–विवश परिदृश्य में, टीएचडीसीआईएल की आंतरिक शक्ति उसकी मानव पूँजी में निहित है। 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 1,678 कर्मचारी हैं, जिनमें 899 कार्यपालक, 371 पर्यवेक्षक और 408 कामगार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न इकाइयों में निश्चित कार्यकाल / पूर्णतः अल्पकालिक आधार पर 172 कर्मचारी तैनात हैं, जो अनुकूलित मानव संसाधन लेखांकन में योगदान करते हैं। टीएचडीसीआईएल की संगठनात्मक संरचना https://thdc.co.in/index.php/en/about-us/organization-structure के माध्यम से देखी जा सकती है।

टीएचडीसीआईएल इस विश्वास पर दृढ़ता से कायम है कि उसका मानव संसाधन उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति और सतत विकास का प्रमुख चालक है। कंपनी प्रतिभाओं को पोषित करने और संगठनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रथाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रशिक्षण और विकास

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में, हम मानते हैं कि हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारी मानव पूंजी है, और हम पूरे संगठन में निरंतर विकास और पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं। नवाचार और डिजिटल परिवर्तन द्वारा संचालित तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य में, हमारा निरंतर प्रयास है कि हम अपने कर्मचारियों को नवीनतम कौशल, उपकरण और ज्ञान से सशक्त बनाएँ जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकें।

हमारी मानव संसाधन विकास पहल इस विश्वास पर आधारित है कि ज्ञानार्जन एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, हमने तकनीकी, नेतृत्व, प्रबंधकीय और व्यवहारिक दक्षताओं को शामिल करते हुए शिक्षण और विकास कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार और संचालित की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना और सभी स्तरों और कार्यों में उत्कृष्टता एवं जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करना है।

वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने एक मजबूत प्रशिक्षण और विकास एजेंडा शुरू किया, जिसमें 73 आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिष्ठित संस्थानों में कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया। इन पहलों के परिणामस्वरूप 6,639 मानव दिवसों का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिसमें 1,580 कर्मचारी शामिल थे, जिनमें नियत अवधि के आधार पर कार्यरत कर्मचारी (एफटीबी) भी शामिल थे। प्रमुख हस्तक्षेपों में नैतिकता एवं शासन, सार्वजनिक खरीद, संगठनात्मक प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक पूछताछ में आईओ / पीओ की भूमिका पर क्षमता विकास कार्यक्रम शामिल थे। "सत्यनिष्ठा वार्ता श्रृंखला" और तेजस्विनी – भीतर से नेतृत्व और संजीवनी जैसे विशिष्ट कल्याण कार्यक्रमों ने समग्र कर्मचारी कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त, सीएसआर, एबीएमएस, पीओएसएच पर संवेदीकरण कार्यशालाएँ, प्रेरक सत्र, तकनीकी कौशल कार्यक्रम और एनपीटीआई फरीदाबाद में कार्यपालक प्रशिक्षुओं के लिए तीन सप्ताह का आधारभूत पाठ्यक्रम ने कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग और क्षमता निर्माण में योगदान दिया। डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों को भी उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया।

तक्षशिला–एचआरडी केंद्र प्रशिक्षण उत्कृष्टता के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, जिसने 17 ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किए और आईआईएम सिरमौर, आईएसटीडी और एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग किया। इन कार्यक्रमों ने पूरे विद्युत क्षेत्र से प्रतिभागियों को आकर्षित किया और प्रशिक्षण राजस्व में रु 80 लाख की वृद्धि की। प्रमुख सत्रों में सीईए अधिकारियों के लिए एनडीपी, नेतृत्व विकास, मानव संसाधन रुझान, खरीद कार्यनीतियाँ और वित्तीय अपडेट शामिल थे। ज्ञानार्जन और विकास पर इस व्यापक ध्यान ने एक प्रदर्शन–संचालित संस्कृति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी कर्मचारी–केंद्रित प्रथाओं और समावेशी कार्य परिवेश के प्रमाण के रूप में, टीएचडीसीआईएल को "ग्रेट प्लेस टू वर्क" के रूप में प्रमाणित किया गया, जो प्रतिभाओं को पोषित करने और संगठनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कर्मचारी संबंध और कल्याण कर्मचारी संबंध:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को एक मजबूत और स्वस्थ कर्मचारी संबंध ढाँचे को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, जो एक समावेशी और लोकतांत्रिक संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्याय, समानता, पारस्परिक सम्मान और शिष्टाचार पर जोर देते हुए, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी मूल्यवान और सम्मानित महसूस करें। ये प्रथाएँ कर्मचारियों की प्रेरणा, मनोबल और निष्ठा को बढ़ाती हैं, जिससे संगठन की समग्र स्थिरता और सफलता में योगदान मिलता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख स्तंभों में प्रभावी संचार, संघर्ष समाधान और निष्पक्ष व्यवहार शामिल हैं।

प्रबंधन और कर्मचारी संघों के बीच नियमित, सुव्यवस्थित बातचीत के माध्यम से सहयोग और विश्वास की संस्कृति का पोषण किया गया है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, टीएचडीसी ने कर्मचारी कल्याण और संगठनात्मक प्रदर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न यूनियनों और संघों के साथ कई सुव्यवस्थित बैठकें आयोजित कीं। चर्चा के विषयों में कैडर परिवर्तन, संचालन एवं अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए रोजगार, अस्पतालों में भर्ती, और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के लिए चिकित्सा और आईटी–संबंधी सहायता के प्रावधान शामिल थे। ये जुड़ाव संगठनात्मक विकास और सामंजस्य के लिए कर्मचारियों और प्रबंधन दोनों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इसके अलावा, टीएचडीसी ने अपनी इकाइयों और कार्यालयों में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक छह–सदस्यीय श्रम अनुपालन समिति का गठन किया। समिति ने श्रम प्रथाओं की निगरानी और सुधार, समस्याओं के समाधान और औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों का सक्रिय रूप से दौरा किया। यह सक्रिय और सहयोगात्मक

दृष्टिकोण एक सहायक कार्य परिवेश बनाने और दीर्घकालिक कर्मचारी संबंधों को बनाए रखने के लिए टीएचडीसी के समर्पण को रेखांकित करता है।

मनोरंजन गतिविधियाँ

टीएचडीसीआईएल के पास अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के उद्देश्य से कल्याणकारी पहलों को लागू करने के लिए एक समर्पित कल्याण विभाग है। टीएचडीसीआईएल "लोगों को प्राथमिकता" के दृष्टिकोण में विश्वास करता है। टीएचडीसीआईएल अपने टाउनशिप में कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के मनोरंजन के लिए कैंटीन, जिम्नेजियम सुविधा, पार्क, बैडमिंटन कोर्ट, टीटी सुविधा आदि जैसी गुणवत्तापूर्ण बुनियादी संरचना प्रदान करता है।

इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल ऋषिकेश में 4 क्लब नामत: अर्थात– टीएचडीसी अधिकारी क्लब, टीएचडीसी महिला कल्याण संघ, महिला मंडल दल और मनोरंजन क्लब क्रियाशील हैं, जिन्हें उनके सुचारू संचालन के लिए नियमित वित्तीय और प्रचालन सहायता मिलती है।

टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत/पारिवारिक समारोहों, जैसे बच्चों के विवाह, पारिवारिक मिलन/उत्सव आदि के लिए सामुदायिक केंद्र, संगम भवन गेस्ट हाउस के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है। संगम भवन गेस्ट हाउस में कर्मचारियों को विवाह, जन्मदिन आदि जैसे विभिन्न समारोहों के लिए पूरी तरह सुसज्जित 12 कमरे, पार्टी हॉल, डाइनिंग हॉल, पार्किंग स्थल आदि उपलब्ध हैं।

वर्ष 2024 के दौरान लोक नृत्य, गायन प्रतियोगिता, सिम्फनी, राग–ए–सांझ उत्सव और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आदि जैसी अनेक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, दिवाली मेला, दशहरा, मैराथन वॉक 4.0, स्थापना दिवस कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। टीएचडीसीआईएल विभिन्न आंतरिक, अंतर इकाई और अंतरा–इकाई खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल के क्षेत्र में भी अपनी कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तार करता है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को अंतर–सीपीएसयू खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित करके विभिन्न खेलों के लिए प्रोत्साहित भी करता है।

टीएचडीसीआईएल स्थापना समारोह

12 जुलाई, 2024 को टीएचडीसीआईएल के सभी कार्यालयों और परियोजनाओं में स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में, इसकी शुरुआत ध्वजारोहण समारोह और माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के प्रेरक संबोधन से हुई। समारोह के मुख्य आकर्षणों में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार और पारितोषिक वितरण, सुझाव मेला 2024 के विजेताओं को पुरस्कार, और चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता में सम्मान शामिल थे। एक लेजर शो का आयोजन किया गया जिसमें टीएचडीसीआईएल की यात्रा को दर्शाया गया और एक सजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई। दिन का समापन एक जीवंत संगीतमय संध्या और रात्रिभोज के साथ हुआ, जिसने उत्सव को यादगार बना दिया।

स्थापना दिवस समारोह को कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए "जलसा: स्थापना दिवस पूर्व उत्सव" विषय पर कई आकर्षक गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से 10 दिन पहले से ही आयोजित किया गया था। 1 जुलाई, 2024 से 10 जुलाई, 2024 तक स्थापना दिवस की इस जीवंत शुरुआत में कर्मचारियों के लिए प्रेरक सत्र, जीवनसाथी के लिए पाककला प्रतियोगिताएँ, परिवारों के लिए खेलकूद कार्यक्रम, बच्चों के लिए एक प्रतिभा प्रदर्शन और "श्रीमती टीएचडीसी" प्रतियोगिता शामिल थी। इन आयोजनों का उद्देश्य टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना और उनके परिवारों द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण सहयोग को मान्यता देना था।

अ.जा./अ.ज.जा तथा दिव्यांगजनों के लिए पहलें

टीएचडीसीआईएल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करने का प्रयास करता है। हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मियों के कल्याण और उनकी शिकायतों के समाधान पर सरकार के दिशा–निर्देशों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कंपनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों के लिए एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, हमने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नीतियों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 में, नियमित कर्मचारियों के लिए हमारी कंपनी ने अनुसूचित जाति वर्ग से 05 अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 03 अभ्यर्थियों और दिव्यांगजन वर्ग से 04 अभ्यर्थियों की भर्ती की – जिन्होंने समूह–क और समूह–ग के पदों पर कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया।

राजभाषा का कार्यान्वयन

हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप, निगम को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा 14 सितम्बर, 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2023–24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) की श्रेणी में देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय को भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा वैजयंती योजना के अंतर्गत वर्ष 2023–24 के लिए 29 जनवरी, 2025 को एम्स, ऋषिकेश में आयोजित समिति की अर्धवार्षिक बैठक में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

हमारी कंपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) हरिद्वार एवं टिहरी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी निभा रही है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हरिद्वार देश के सबसे बड़े चैप्टर में से एक है। वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियों/ कार्यक्रमों जैसे अर्धवार्षिक बैठकें, हिंदी कार्यशालाएँ आदि का आयोजन किया गया। सभी गतिविधियाँ और कार्यक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय में भी आयोजित की गई हैं। वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश और अधीनस्थ इकाइयों/कार्यालयों में 26 (छब्बीस) "हिंदी कार्यशालाएँ" आयोजित की गईं, जहाँ 640 (छह सौ चालीस) अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में पूरे सितंबर माह में हिंदी माह मनाया गया और 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी माह के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ

आयोजित की गईं। हिंदी माह का समापन समारोह 30 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। हिंदी माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। निगम मुख्यालय द्वारा हिंदी माह के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की भांति ही, इकाइयों/कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या के अनुसार हिंदी पखवाड़ा/हिंदी सप्ताह/हिंदी दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों को आधिकारिक कामकाज में हिंदी के अधिकतम प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष के दौरान परियोजनाओं और निगम कार्यालयों में कई हिंदी प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान, टीएचडीसी 'पहल' के जून 2024 (34वाँ संस्करण) और दिसंबर 2024 (35वाँ संस्करण) संस्करण प्रकाशित किए गए। ये अंक टीएचडीसी वेबसाइट पर मीडिया टैब में और राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ई–पत्रिका पुस्तकालय में अपलोड किए गए।

द्विभाषी कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए, निगम के सभी कंप्यूटरों/लैपटॉपों में हिंदी सॉफ्टवेयर/फॉन्ट इंस्टाल किए गए हैं। सभी कार्यालय आदेश, प्रारूप, परिपत्र और विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी किए गए। सामग्री भी आधिकारिक वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में प्रदर्शित की जा रही है। निगम की आधिकारिक वेबसाइट के हिंदी पृष्ठ पर राजभाषा शीर्ष उपलब्ध है, जिसमें राजभाषा से संबंधित उपयोगी जानकारी अपलोड की जा रही है।

हमारी कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ कंपनी के विभिन्न प्रतिष्ठानों में भी सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुस्तकालय स्थापित किए हैं, जहाँ कर्मचारियों के लिए लोकप्रिय/साहित्यिक पुस्तकें, पत्रिकाएँ और हिंदी समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार, सरकार के पास उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसमें सरकारी जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों से प्राप्त अनुरोधों का समय पर उत्तर देने का अधिदेश दिया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप आपकी कंपनी में एक उचित तंत्र स्थापित किया गया है। आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन करने के लिए "आरटीआई–एमआईएस पोर्टल" के साथ आरटीआई आवेदन, अपील और उत्तर को ऑनलाइन जोड़कर देश के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है। नोडल अधिकारी (एनओ) / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अन्य सात लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एक सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन जानकारी प्रदान करने के लिए इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। निगम के नोडल अधिकारी (एनओ), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एपीआईओ के विवरण तथा सूचना प्राप्त करने के लिए तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट http://thdc.co.in पर उपलब्ध हैं। साथ ही, केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली और भारत सरकार (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के निर्देशों के अनुसार, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(ख) के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण बनाए रखा है। पिछले चार वर्षों में आरटीआई पोर्टल का तृतीय–पक्ष पारदर्शिता लेखापरीक्षा की गई है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट संतोषजनक हैं।

सूचना मांगने वालों से भौतिक और ऑनलाइन रूप से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों और अपीलों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और इसके निस्तारण के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2024–25 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 198 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई थीं।

अपीलों के संबंध में, वर्ष 2024–25 के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी को कुल 20 अपीलें प्राप्त हुई और जांच के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का समय पर निपटान कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024–25 के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में एक अपील दायर की गई और आयोग द्वारा इसका निपाटन कर दिया गया।

महिला कर्मचारी कल्याण

टीएचडीसीआईएल में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी (31.03.2025 की स्थिति के अनुसार)	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारी संख्या से प्रतिशत
कुल	1678	123	7.33%

महिलाओं के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का दृढ़ विश्वास है कि महिला कर्मचारी न केवल संगठन की वास्तविक हितधारक हैं, बल्कि वे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की विकास गाथा में समान भागीदार हैं। अपनी नीतियों, प्रथाओं और पहलों के माध्यम से अपनी महिला कर्मचारियों की शारीरिक, भावनात्मक और व्यावसायिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एक सुरक्षित, समावेशी और सहायक कार्य परिवेश प्रदान करता रहा है जहाँ महिलाएँ बिना किसी भेदभाव या उत्पीड़न के जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।

महिला कर्मचारियों को अपने पुरुष समकक्षों के बराबर लाने के लिए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विभिन्न उपाय जैसे लिंग–संवेदनशील नीति, विकास और नेतृत्व के लिए समान अवसर, मातृत्व लाभ और लैंगिक समानता एवं सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम अपनाता है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें एक समावेशी और सहायक कार्य परिवेश बनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। संगठन ने अपने कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी और कल्याण को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इस संबंध में एक प्रमुख पहल कॉर्पोरेट कार्यालय में एक पूर्णतः कार्यात्मक क्रेच सुविधा की स्थापना है, जो महिला कर्मचारियों को इस सहायक सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, दो सक्रिय क्लब – टीएचडीसी महिला कल्याण संघ और टीएचडीसी महिला मंडल दल – महिला कर्मचारियों और कर्मचारियों की महिला जीवनसाथियों को सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक मंच

प्रदान करते हैं। इन क्लबों को टीएचडीसीआईएल से नियमित समर्थन प्राप्त होता है, जिससे उनका निरंतर विकास और सक्रियता सुनिश्चित होती है।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए, टीएचडीसीआईएल ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की है। यह समिति लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में चिंताओं का समाधान करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करती है। टीएचडीसीआईएल सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं (डब्ल्यूआईपीएस) की आजीवन सदस्य भी है और इसने एक आंतरिक डब्ल्यूआईपीएस समिति का गठन किया है। महिला कर्मचारियों को समय-समय पर राष्ट्रीय डब्ल्यूआईपीएस सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता है, जिससे उन्हें अधिक अनुभव और ज्ञानार्जन के अवसर मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर, टीएचडीसीआईएल ने कार्यस्थल के भीतर और बाहर महिला कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने और उनका सम्मान करने के लिए 6 मार्च 2025 को एक विशेष आउटबाउंड गतिविधि का आयोजन किया।

ऋषिकेश स्थित टीएचडीसीआईएल का मानव संसाधन विकास विभाग नियमित रूप से महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जो तनाव प्रबंधन, कार्य-जीवन की चुनौतियों में संतुलन बनाने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित होते हैं। महिला कर्मचारी कंपनी के भीतर आयोजित विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों जैसे निबंध लेखन, नारा लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल अंतर-सीपीएसयू खेल गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में एनटीपीसी द्वारा 4 से 7 दिसंबर 2024 तक नोएडा में आयोजित 29वें अंतर सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला बैडमिंटन टीम द्वारा रजत पदक जीता गया। ये पहल समानता, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली कार्यस्थल संस्कृति के निर्माण के लिए टीएचडीसीआईएल के समर्पण को दर्शाती हैं, जिससे महिलाएं कंपनी की सफलता को आकार देने और समावेशी विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।

मातृत्व लाभः

संगठन वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप एक व्यापक मातृत्व अवकाश नीति का पालन करता है। सभी पात्र महिला कर्मचारी 26 सप्ताह (182 दिन) के पूर्ण भुगतान वाले मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, जिससे उन्हें प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलता है। गोद लेने वाली और जन्म देने वाली माताओं के साथ-साथ गर्भपात या चिकित्सीय कारणों से गर्भावस्था समाप्ति के मामलों में भी प्रावधान मौजूद हैं, जो विविध पारिवारिक आवश्यकताओं के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। इस नीति में मातृत्व अवकाश को अन्य प्रकार के पात्र अवकाशों के साथ संयोजित करने की भी अनुमति दी गई है।

बाल देखभाल अवकाशः

संगठन महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष अभिभावकों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) के लिए एक सुव्यवस्थित बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) नीति भी प्रदान करता है। पात्र कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान अपने दो सबसे बड़े जीवित या कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों, जिनकी आयु 18 वर्ष तक है, की देखभाल के लिए 730 दिनों तक के सीसीएल का लाभ उठा सकते हैं। यह नीति परीक्षा, बीमारी और पालन-पोषण जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है, और इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए प्रावधान शामिल हैं। सीसीएल निर्धारित अवधि में प्रदान किया जाता है और इसे अन्य प्रकार की छुट्टियों (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) के साथ लिया जा सकता है। कर्मचारियों को पहले 365 दिनों के लिए पूरा वेतन (बेसिक + डीए) और अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन मिलता है, साथ ही आवास, चिकित्सा और बीमा लाभ भी मिलते रहते हैं। यह नीति ईपीएफ और ग्रेच्युटी जैसे सेवा लाभों में निरंतरता सुनिश्चित करती है, हालाँकि अवकाश की अवधि के दौरान पदोन्नति और अग्रिमों के संबंध में कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं। यह पहल माता-पिता की जिम्मेदारियों को संभालने वाले कर्मचारियों के लिए एक सहायक और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के हमारे निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

कॉर्पोरेट संचार

किसी भी प्रगतिशील संगठन में कॉर्पोरेट संचार एक महत्वपूर्ण कार्य है, और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) में भी इसका वही महत्व है। कंपनी का एक समर्पित कॉर्पोरेट संचार विभाग है जो आंतरिक और बाहरी हितधारकों के बीच संगठन की धारणा को आकार देने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट इमेजिंग, मीडिया संबंध और संकट संचार का प्रबंधन शामिल है – यह सुनिश्चित करते हुए कि हर अवसर और चुनौती का स्पष्टता, व्यावसायिकता और सामरिक दूरदर्शिता के साथ समाधान किया जाए।

सामरिक संचार और हितधारक जुड़ाव

टीएचडीसीआईएल का कॉर्पोरेट संचार विभाग हितधारकों को संसूचित और संपर्क बनाए रखने के लिए व्यापक और प्रभावी संचार कार्यनीतियों का उपयोग करता है। आकर्षक डिजिटल क्रिएटिव के निरंतर निर्माण, पारंपरिक और नए मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामरिक जुड़ाव, साथ ही समय पर प्रेस विज्ञप्तियों, आंतरिक बुलेटिनों और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से, कॉर्पोरेट संचार विभाग संगठनात्मक अपडेट, पहलों और उपलब्धियों का व्यापक और समय पर प्रसार सुनिश्चित करता है, जो संगठन के सार्वजनिक आख्यान को आकार देने में इसकी गतिशील और बहुमुखी भूमिका को दर्शाता है।

संगठन के मूल मूल्यों के अनुरूप, जनसंपर्क गतिविधियाँ अत्यंत सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता और जवाबदेही के साथ संचालित की जाती हैं। ये पहल कंपनी को एक मजबूत, विश्वसनीय सार्वजनिक छवि बनाए रखने में मदद करती हैं, साथ ही जनसंपर्क संबंधी किसी भी चिंता का कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता के साथ समाधान करती हैं।

जुड़ाव के लिए एक सामरिक टूल के रूप में सोशल मीडियाः

आधुनिक संचार में डिजिटल मीडिया के महत्व को पहचानते हुए, टीएचडीसीआईएल ने सोशल मीडिया जुड़ाव के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर (अब एक्स), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बल्क मैसेजिंग टूल जैसे प्लेटफॉर्म का आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के दर्शकों के साथ दो-तरफा संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

इन प्लेटफॉर्म का उपयोग अपडेट साझा करने, कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देने, कॉर्पोरेट दृश्यता बढ़ाने और हितधारक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। विभाग पूरे संगठन में वास्तविक समय की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, साईंगव, विद्युत मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पीआईबी की प्रमुख घोषणाओं की सक्रिय रूप से निगरानी और प्रसार भी करता है।

बहु-चैनल संचार दृष्टिकोण

टीएचडीसीआईएल समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए विविध संचार मॉडलों को अपनाता है– जिसमें व्यक्तिगत संचार, कैस्केड संचार, गोलमेज चर्चाएँ और आधुनिक डिजिटल उपकरण शामिल हैं। कंपनी अपने हितधारकों के साथ सार्थक रूप से संपर्क बनाए रखने के लिए नवीन, समकालीन और विविध तरीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2024–25 में, प्रमुख फोकस क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार की पहलों का प्रचार–प्रसार।
- सामरिक डिजिटल अभियानों के माध्यम से कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाना।
- पारंपरिक और नए मीडिया उपकरणों का उपयोग करते हुए हाइब्रिड संचार माध्यमों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आंतरिक अपडेट प्रसारित करना।
- प्रिंट और डिजिटल पत्रिकाओं, दृश्य–श्रव्य सामग्री और ई–पत्रिकाओं के माध्यम से सूचनात्मक सामग्री प्रकाशित करना, जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रयास, कल्याणकारी गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ और संगठनात्मक उपलब्धियाँ शामिल हों।

यह विभाग मुख्यधारा के मीडिया और सार्वजनिक चर्चा दोनों में टीएचडीसीआईएल की जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में एक सकारात्मक कहानी गढ़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदर्शनियों और व्यापार शो में भागीदारी से ब्रांड निर्माण और हितधारक जुड़ाव को और अधिक बढ़ावा मिलता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय II की धारा 4 के अंतर्गत, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी सभी इकाइयों/परियोजनाओं/संयुक्त उद्यमों और कार्यालयों में एक "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया है। आंतरिक समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर होती हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की "कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण" पर एक व्यापक नीति है और इसे इसकी सभी इकाइयों/परियोजनाओं/ संयुक्त उद्यमों और कार्यालयों में लागू किया जाता है। टीएचडीसी की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण समिति (आईसीसी) की वार्षिक रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी जाती है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

वर्ष 2023–24 के अंत तक प्रक्रियाधीन/जांचाधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2024–25 के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	2024–25 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2024–25 के अंत तक प्रक्रियाधीन/जांचाधीन मामलों की संख्या	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या
1	0	1	0	0

लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वर्ष के दौरान, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, पीओएसएच (लैंगिक उत्पीड़न निवारण) अधिनियम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और सभी स्तरों पर कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए कई केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कुल 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए – तीन आंतरिक और एक बाहरी – जिनमें कार्यपालक, कामगार, पर्यवेक्षक और वरिष्ठ प्रबंधन शामिल थे। लैंगिक संवेदनशीलता और पीओएसएच अधिनियम पर लघु जागरूकता सत्र, दो दिवसीय महिला सशक्तिकरण कार्यशाला और आईएसटीडी, दिल्ली द्वारा पीओएसएच पर आयोजित एक प्रमाणित प्रशिक्षक कार्यक्रम में भागीदारी भी शामिल थी।

कुल 107 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 125 कार्यदिवसों का प्रशिक्षण शामिल था, जिससे एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्यस्थल के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को बल मिला।

सतर्कता गतिविधियाँ

टीएचडीसीआईएल अपने सभी कार्यों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। यह स्वीकार करते हुए कि पारदर्शिता और सुशासन हितधारकों में विश्वास निर्माण और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, टीएचडीसीआईएल का सतर्कता विभाग एक नैतिक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सतर्कता विभाग एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें निवारक, पूर्वानुमानित, अग्रसक्रिय, सहभागी और दंडात्मक सतर्कता शामिल है। निवारक और पूर्वानुमानित सतर्कता पर विशेष बल दिया जाता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश करना है, जिससे कर्मचारी स्थापित प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें और व्यावसायिक प्रथाओं में निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

सतर्क निगरानी और अग्रसक्रिय भागीदारी के माध्यम से, टीएचडीसीआईएल चूकों को रोकने, कार्यस्थल में पारदर्शिता बनाए रखने और अक्षमताओं को दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उत्पादकता और लाभप्रदता की रक्षा होती है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कर्मचारी इन मूल्यों को आत्मसात करे और निरंतर नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन करे।

निवारक सतर्कता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का उद्देश्य पारदर्शिता, निष्पक्षता, समानता, जवाबदेही और सभी लागू नियमों और विनियमों के पालन को बढ़ावा देकर सुशासन प्राप्त करना है।

सतर्कता गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल में सतर्कता गतिविधियाँ विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन में संचालित की जाती हैं। प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

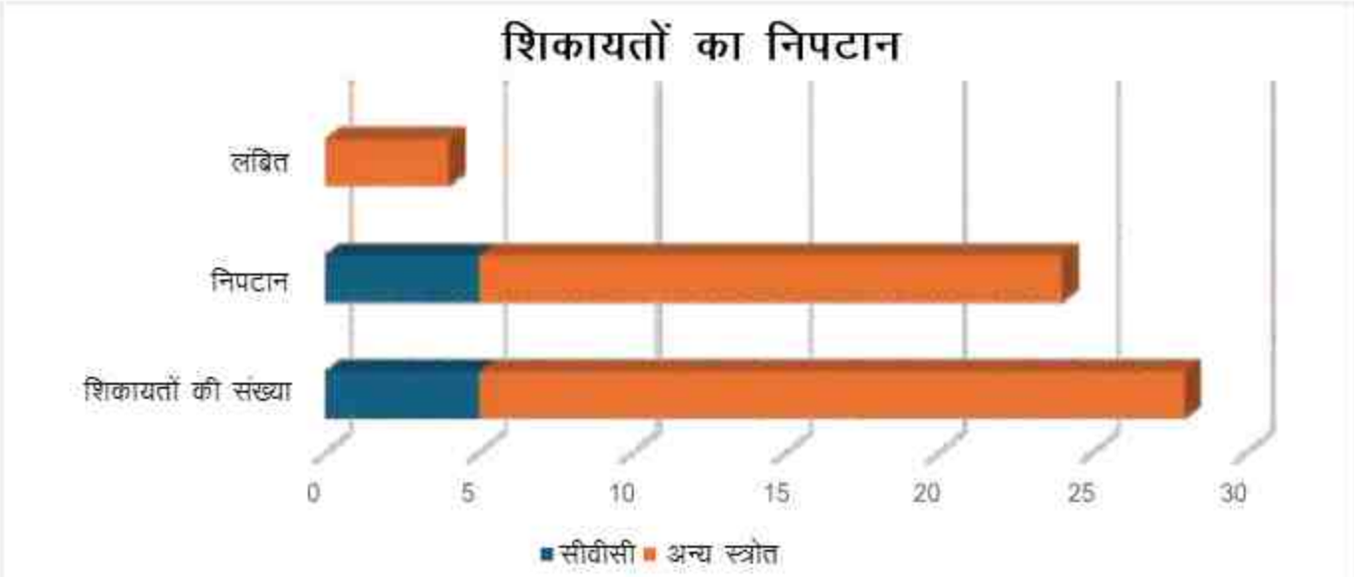
- "संदिग्ध सत्यनिष्ठ" वाले अधिकारियों की सूची का संकलन और "सहमत सूची" तैयार करना।
- अचल संपत्तियों से संबंधित संपत्ति विवरणी की जांच।
- संवेदनशील पदों से अधिकारियों के स्थानांतरण/रोटेशन की निगरानी करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना।
- शिकायतों की जांच करना तथा जहां आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना।
- लागत नियंत्रण और कदाचारों के उन्मूलन के लिए प्रणालीगत

सुधारों की सिफारिश करने हेतु प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच।

- सीटीई–प्रकार के निरीक्षणों सहित आवधिक और आकस्मिक निरीक्षणों का संचालन।
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा और विश्लेषण।
- सीवीसी के निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- विद्युत मंत्रालय को मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना।
- प्रणाली में सुधार लाने के लिए सीवीसी परिपत्रों और दिशानिर्देशों का प्रसार।
- आयोग के निर्देशों के अनुरूप सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन।

सतर्कता संबंधी आंकड़ों का विवरण 2024–25

1. शिकायतों का निपटान:



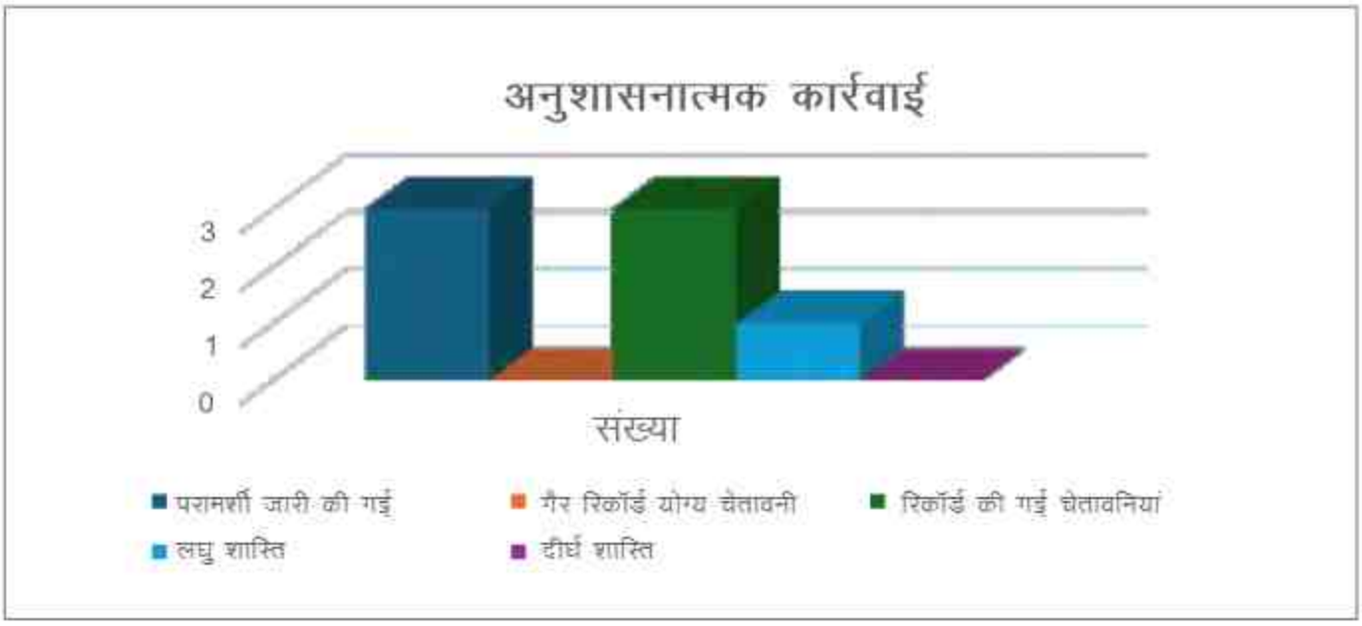
शिकायत का स्रोत	शिकायतों की संख्या	निपटान	31.03.2025 तक लंबित
सीवीसी	5	5	0
अन्य स्रोत	23	19	4

2. **पंजीकृत शिकायतें / मामले:**

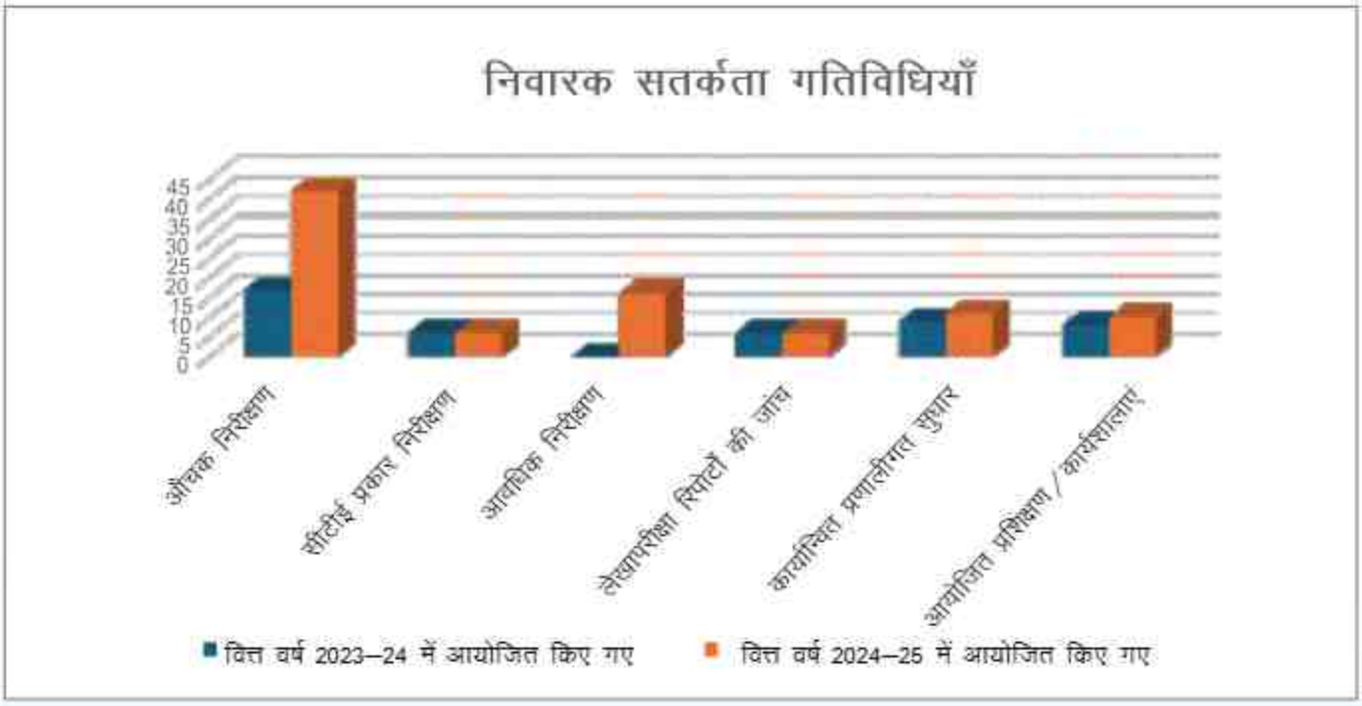
- जांच के लिए पंजीकृत मामले: 1 (जांच पूरी हो गई है और शास्ति अधिरोपित की गई है)

3. अनुशासनात्मक कार्रवाई:

कार्रवाई की	नंबर
परामर्शी जारी की गई	3
गैर–रिकॉर्ड योग्य चेतावनी	0
रिकॉर्ड की गई चेतावनियाँ	3
लघु शास्ति	1
दीर्घ शास्ति	0



4. निवारक सतर्कता गतिविधियाँ:



गतिविधि	वित्त वर्ष 2023–24 में किए गए सर्वेक्षणों के आंकड़े	वित्त वर्ष 2024–25 में किए गए सर्वेक्षणों के आंकड़े
औचक निरीक्षण	17	42
सीटीई–प्रकार निरीक्षण	6	6
आवधिक निरीक्षण	0	16
लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच	6	6
कार्यान्वित प्रणालीगत सुधार	9	11
आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालाएं	8	10
वार्षिक संपत्ति विवरणी की जांच	–	512

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 (अभियान अवधि: 16 अगस्त 2024 – 15 नवंबर 2024)

"राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति" विषय के अंतर्गत मनाया जाने वाला सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शासन को बढ़ावा देने वाली एक राष्ट्रव्यापी पहल थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय समृद्धि को गति देने में सत्यनिष्ठा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना था।

मुख्य उद्देश्य:

- व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना।
- भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना।
- संस्थागत जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।


टीएचडीसीआईएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

प्रमुख गतिविधियाँ:

- सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा अभियान: कर्मचारियों ने सीवीसी पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिज्ञा ली।

जन संपर्क कार्यक्रम:

- शैक्षणिक संस्थानों में कार्यशालाएं और सेमिनार।
- भ्रष्टाचार विरोधी संदेशों को बढ़ावा देने वाले नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रदर्शन।
- सत्यनिष्ठा पर जोर देते हुए रैलियां, वॉकथॉन और मैराथन।

युवा सहभागिता:

- निबंध लेखन, भाषण, पोस्टर निर्माण और नारा प्रतियोगिताएं।

डिजिटल मीडिया अभियान:

- ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सोशल मीडिया पहुंच।
- आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून के माध्यम से रेडियो जिंगल्स का प्रसारण।

आध्यात्मिक संवाद:

- कार्यक्रम की थीम पर एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु द्वारा व्याख्यान।

प्रकाशन और वितरण:

- कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच पुस्तिकाएं, पोस्टर और पर्चे वितरित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह– 2024 संबंधी गतिविधियों पर रिपोर्ट

1) सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा:

ई–प्रतिज्ञा लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या	ई–प्रतिज्ञा लेने वाले ग्राहकों की कुल संख्या	ई–प्रतिज्ञा लेने वाले नागरिकों की कुल संख्या
1200	–	–

(2) संगठन के अंतर्गत आयोजित गतिविधियाँ / कार्यक्रम:

टीएचडीसीआईएल ने सितंबर और नवंबर 2024 के बीच अपने परियोजना स्थलों पर जागरूकता और सहभागिता गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में निबंध लेखन, नारा लेखन, वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी, भाषण, कविता और पैनल चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और स्थानीय समुदायों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। उल्लेखनीय रूप से, नामसाई (अरुणाचल प्रदेश) ने 30 अक्टूबर को 19 प्रतिभागियों के साथ कई कार्यक्रमों की मेजबानी की, जबकि कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) ने वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी, टीम–निर्माण गतिविधियों और नारा लेखन का आयोजन किया, जिसमें 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर, 425 से अधिक प्रतिभागियों ने इन पहलों में भाग लिया।

(3) संगठन के भीतर अन्य गतिविधियाँ:

क्रम सं.	निम्नलिखित के लिए आयोजित गतिविधि	गतिविधि	विवरण
1	कर्मचारी / जनता	पैम्फलेट / बैनर का वितरण	परियोजनाओं / कार्यालयों / परिसरों में रंग–बिरंगे बैनर और पोस्टर सामरिक रूप से प्रदर्शित किए गए, जिनमें सतर्कता, नैतिक आचरण और भ्रष्टाचार मुक्त कार्यस्थल बनाए रखने में व्यक्तिगत योगदान के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। ये संदेश कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी कॉम्प्लेक्स, पीपलकोटी, अमेलिया, खुर्जा, कोटेश्वर, पाटन / द्वारका, राजस्थान, लखनऊ, कासरगोड, अरुणाचल प्रदेश, देहरादून आदि में प्रदर्शित किए गए।
2	श्रमिक	पैम्फलेट का वितरण	श्रमिकों को वैधानिक प्रावधानों के बारे में पर्चे वितरित किए गए।

3	कर्मचारीगण	कार्यशाला / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन।	परियोजनाओं/कार्यालयों के विभिन्न स्थानों जैसे कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी कॉम्प्लेक्स, पीपलकोटी, अमेलिया, खुर्जा, कोटेश्वर, पाटन/द्वारका, राजस्थान, लखनऊ, कासरगोड, अरुणाचल प्रदेश, देहरादून आदि में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
4	कर्मचारीगण	जर्नल/न्यूज़लेटर का निर्गम	अभियान अवधि के दौरान निम्नलिखित दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गईं: • हाल ही में जारी सीवीसी परिपत्र, सतर्कता विभाग द्वारा जारी प्रणालीगत सुधार परिपत्र, छात्रों द्वारा तैयार लेख, कविताएं, पोस्टर और कर्मचारियों/छात्रों द्वारा लिखे गए निबंध को कवर करते हुए पुस्तिका। • सतर्कता विभाग द्वारा 2018 से 2024 तक जारी प्रणालीगत सुधार परिपत्रों को कवर करते हुए पुस्तिका।
5	कर्मचारीगण	अन्य गतिविधियाँ	अभियान अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं: • सीवीओ, टीएचडीसीआईएल सुश्री रश्मिता झा (आईआरएस) ने कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2024 का उद्घाटन किया। • एनसीआर कार्यालय कौशाम्बी में टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन किया गया। • इस अभियान को टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट और एचआरएमएस, एफएमएस पोर्टल में एकीकृत कर दिया गया, जिससे यह हमारे दैनिक कार्य जीवन का अभिन्न अंग बन गया। • दिनांक 28.10.2024 को टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/कार्यालयों में सत्यनिष्ठा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। • 17.10.2024 को पीआईडीपीआई प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। • परियोजनाओं में वैधानिक प्रावधानों के संबंध में संविदा श्रमिकों को पर्चे वितरित किए गए। • बाह्य विशेषज्ञ के माध्यम से कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। • समृद्धि और नैतिक शासन सुनिश्चित करने में सत्यनिष्ठा की भूमिका को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म का प्रसारण किया गया, जिसका दृश्य और भावनात्मक प्रभाव बहुत मजबूत रहा।

(4) आउटरीच गतिविधियाँ:

क) स्कूलों में छात्रों को शामिल करना:

अपनी सामुदायिक पहुँच और जागरूकता पहलों के एक भाग के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों के स्कूली छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल किया। अगस्त और नवंबर 2024 के बीच कई स्कूलों के सहयोग से निबंध लेखन, नारा लेखन, चित्रकला, भाषण और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिताओं के साथ–साथ जागरूकता अभियान, रैलियाँ और स्वास्थ्य शिविर जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों में सतर्कता, सत्यनिष्ठा, रचनात्मकता और सामाजिक जागरूकता के मूल्यों को बढ़ावा देना था। इन कार्यक्रमों में कुल 4,648 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो जिम्मेदार और जागरूक भावी नागरिकों के निर्माण के लिए टीएचडीसीआईएल की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ख) कॉलेजों के छात्रों को शामिल करना:

टीएचडीसीआईएल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके अपनी जागरूकता पहलों को महाविद्यालय स्तर तक विस्तारित किया। सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच इंटर–कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से निबंध लेखन, नारा लेखन, वाद–विवाद, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिताएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ईमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत विकास पर चर्चाओं में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। इन कार्यक्रमों में कुल 564 कॉलेज छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जो उच्च शिक्षा स्तर पर युवाओं में जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के टीएचडीसीआईएल के प्रयासों को दर्शाता है।

5) जागरूकता ग्राम सभाएं:

सतर्कता और सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, टीएचडीसीआईएल ने अगस्त और नवंबर 2024 के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केरल के कई ग्रामीण स्थानों पर जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों को भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम, पीआईडीपीआई (लोक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण) प्रावधान, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, स्वास्थ्य और नागरिक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिक्षित करना था।

मध्य प्रदेश के अमेलिया में, 31 अगस्त 2024 को वैधन में एक ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें 40 ग्रामीणों की भागीदारी के साथ पीआईडीपीआई प्रावधानों के बारे में नारे लगाए गए और जागरूकता का प्रसार किया गया। उत्तर प्रदेश में, खुर्जा के गांवों में प्रभावशाली कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें बाबर में महिला–केंद्रित जागरूकता अभियान (21 सितंबर, 250 प्रतिभागी), बड़ोली में एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता अभियान (27 सितंबर, 70 प्रतिभागी) और रुकनपुर में स्वरोजगार वाली महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम (9 अक्टूबर, 20 प्रतिभागी) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जावल पंचायत भवन (22 अक्टूबर, 200 प्रतिभागी) में एक बड़ा जागरूकता और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, इसके बाद ऊंचा, अरनिया और जहानपुर में क्रमशः मशरूम उत्पादन, आंगनवाड़ी कार्य और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण में लगी महिलाओं को लक्षित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पीपलकोटी, भटकोटी, पिपोला के बौला गांव और बेमरू गांव सहित दूरदराज के गांवों में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। चोगांव, कोटी टिहरी गढ़वाल के मागरोन, कोटगा और दूधकेदार में आयोजित इन कार्यक्रमों में सतर्कता और लोक सत्यनिष्ठा के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें 230 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, दक्षिण में, कोम्मंगला, कासरगोड (केरल) में, टीएचडीसीआईएल ने 28 अक्टूबर 2024 को ग्रामीणों को नागरिक अधिकारों और पात्रताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए एक ग्राम सभा का आयोजन किया, जिसमें 27 स्थानीय निवासियों को शामिल किया गया।

कुल मिलाकर, ये ग्राम सभाएँ स्थानीय समुदायों के साथ सीधे संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुईं, जिससे शासन, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता की गहन समझ विकसित हुई। इन कार्यक्रमों में कुल 915 नागरिकों ने भाग लिया, जिससे जमीनी स्तर पर समावेशी विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता और भी पुष्ट हुई।

6) सेमिनार / कार्यशालाएं:

अपनी सतर्कता जागरूकता पहल के तहत, टीएचडीसीआईएल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवारक सतर्कता, कानूनी जागरूकता, कर्मचारी कल्याण और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित संगोष्ठियों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की। इन संवादात्मक सत्रों का उद्देश्य सितंबर और नवंबर 2024 के बीच कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और आम जनता को विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर शिक्षित करना था, जिसमें कुल 412 व्यक्तियों ने भाग लिया।

खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में, 30 सितंबर को केएसटीपीपी के विभागाध्यक्षों के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) पर विचार–विमर्श हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद संविदा श्रमिकों के लिए ईपीएफ और ईएसआई जागरूकता पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कुल 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पीपलकोटी, चमोली (उत्तराखंड) में, 5 अक्टूबर को बिरही गंगा में एक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 15 नागरिकों ने भाग लिया।

टीएचडीसीआईएल के देहरादून कार्यालय में 12 नवंबर को एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सहायक लोक अभियोजक श्री राम कुमार को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने सतर्कता के कानूनी पहलुओं पर 35 प्रतिभागियों को संबोधित किया।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में, कई विशेष सत्र आयोजित किए गए। इनमें 2 अक्टूबर को राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक में 150 प्रतिभागियों के साथ पीआईडीपीआई प्रावधानों पर एक प्रस्तुति, 28 अक्टूबर को एक बाहरी विशेषज्ञ द्वारा निवारक सतर्कता पर एक सत्र, 29 अक्टूबर को आंतरिक संकाय द्वारा साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता कार्यशाला, और 8 नवंबर को एक प्रमुख प्रेरक वक्ता और टैरो कार्ड रीडर द्वारा एक अनूठी जागरूकता वार्ता शामिल थी।

ये सत्र आंतरिक हितधारकों और व्यापक समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए सतर्कता, नैतिकता, डिजिटल सुरक्षा और कर्मचारी अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए टीएचडीसीआईएल के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

7) अन्य गतिविधियां

1	बैनर / पोस्टर आदि का प्रदर्शन।	सतर्कता, नैतिक आचरण और भ्रष्टाचार मुक्त कार्यस्थल बनाए रखने में व्यक्तिगत योगदान के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए टीएचडीसीआईएल के सभी परियोजनाओं / कार्यालयों / परिसरों अर्थात कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी कॉम्प्लेक्स, पीपलकोटी, अमेलिया, खुर्जा, कोटेश्वर, पाटन / द्वारका, राजस्थान, लखनऊ, कासरगोड, अरुणाचल प्रदेश, देहरादून आदि में रंगीन बैनर और पोस्टर सामरिक रूप से प्रदर्शित किए गए थे।
2	आयोजित शिकायत निवारण शिविरों की संख्या	शून्य* *कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
3	सोशल मीडिया का उपयोग	सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2024 से संबंधित गतिविधियों को कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया गया। इस वर्ष की थीम वाला एक बैनर टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट और विभिन्न पोर्टलों पर अपलोड किया गया। अभियान के दौरान, संदेश को दूरदराज के क्षेत्रों में प्रसारित करने को सुनिश्चित करने हेतु रेडियो जिंगल्स भी तैयार किए गए और आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून के माध्यम से प्रसारित किए गए।

संगठन के बाहर आयोजित अन्य गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

1	गंगा घाट पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।	दिनांक 27.09.2024 को आध्यात्मिक गुरु महंत श्री मनोज प्रपन्नचार्य को आमंत्रित करके शत्रुघ्न घाट मुनिकीरेती, ऋषिकेश (जिला टिहरी गढ़वाल) में भक्तों (लगभग 500) के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2	'नुक्कड़ नाटक' के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम	आम जनता में सत्यनिष्ठा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए टीएचडीसीआईएल के निम्नलिखित स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया ताकि जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके 1. 26.09.2024 को बस स्टैंड, चमोली बाजार 2. 06.11.2024 को बस स्टैंड, ऋषिकेश 3. 06.11.2024 को जानकी ब्रिज, ऋषिकेश 4. 06.11.2024 को त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश 5. 13.11.2024 को भागीरथीपुरम टिहरी
3	स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम	टीएचडीसीआईएल के निम्नलिखित स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए और स्वास्थ्य शिविर के दौरान पीआईडीपीआई प्रावधानों पर जागरूकता का प्रसार किया गया: 1. 11.09.2024 को दुकवां एसएचईपी, झांसी 2. 23.09.2024 को भागीरथी पुरम, टिहरी
4	"राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति" विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों/आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित करना	ब्रह्माकुमारीज़ के प्रेरक वक्ताओं को दिनांक 15.10.2024 को भागीरथी पुरम टिहरी में 'राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति' विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।
5	आयुर्वेद दिवस पर टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम	29.10.2024 को अमेलिया परियोजना में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे अतिथि वक्ता आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार चंदेल ने स्वास्थ्य सेवा में सतर्कता और नैतिक आचरण की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि रोगी के विश्वास और प्रभावी उपचार परिणामों के लिए सतर्कता और नैतिकता आवश्यक हैं।
6	रैली के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम	जागरूकता कार्यक्रम के तहत आम जनता को जागरूक करने के लिए दिनांक 25.09.2024 को खुर्जा, दिनांक 10.10.2024 को लखनऊ में अभियान/रैली का आयोजन किया गया।
7	आध्यात्मिक वार्ता के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।	निम्नलिखित स्थानों पर आध्यात्मिक वार्ता आयोजित की गई 1. 08.11.2024 को लखनऊ में टुस्को कार्यालय 2. 11.11.2024 को सतनामी विद्यापीठ, रुकनपुर, खुर्जा
8	मैराथन/वॉकथॉन के आयोजन के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम	परियोजना के विभिन्न स्थानों पर आम जनता को विषय के प्रति जागरूक करने के लिए मैराथन/वॉकथॉन का आयोजन किया गया। (टिहरी 28.09.2024, लखनऊ 10.10.2024, खुर्जा 06.11.2024)
9	परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति के प्रति जनमानस को जागरूक करने हेतु परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में 13.11.2024 को सायंकालीन गंगा आरती के दौरान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1000 श्रद्धालु उपस्थित थे। कार्यक्रम को टीएचडीसीआईएल की मुख्य सतर्कता अधिकारी सुश्री रश्मिता झा ने संबोधित किया। सुश्री झा ने सत्य और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सुश्री रश्मिता झा ने यह भी बताया कि सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर उपलब्धि और सम्मान की भावना उत्पन्न करते हैं। उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, टीएचडीसीआईएल ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।

अभियान में इस बात पर बल दिया कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। विश्वास, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पर आधारित भ्रष्टाचार–मुक्त भारत के निर्माण के लिए निरंतर शिक्षा, सहभागिता और सशक्तिकरण आवश्यक हैं।

एबीएमएस कार्यान्वयनः रिश्वत–रोधी उपायों की दिशा में एक सामरिक कदम

टीएचडीसीआईएल ने **रिश्वत–रोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस)** के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अपने नैतिक ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए **आईएस / आईएसओ 37001:2016** के अंतर्गत प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की है। प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **रिश्वत–रोधी प्रबंधन मैनुअल** का अनुमोदन और प्रसार।
- प्रथम **आंतरिक लेखापरीक्षा** का सफल समापन (24 जून – 15 जुलाई 2024)।
- बोर्ड द्वारा **रिश्वत–रोधी नीति** का अनुमोदन (16 अगस्त 2024)।
- विभिन्न स्थानों पर व्यापक जागरूकता अभियान।
- पहली **शीर्ष प्रबंधन समीक्षा बैठक** ऑनलाइन आयोजित (12 दिसंबर 2024)।
- बीआईएस द्वारा **प्रथम एबीएमएस बाह्य लेखापरीक्षा** का सफल समापन (22 जनवरी 2025)।

इन पहलों से टीएचडीसीआईएल की सत्यनिष्ठा की संस्कृति मजबूत हुई है तथा इसकी वैश्विक व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ी है।

रिश्वत–रोधी नीति

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विद्युत उत्पादन, पारेषण और व्यापार के लिए रिश्वत–रोधी प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करके रिश्वत–रोधी उद्देश्यों को निर्धारित करने, समीक्षा करने और प्राप्त करने के लिए रिश्वत–रोधी प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार करके लागू रिश्वत–रोधी कानूनों के अनुपालन के माध्यम से रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने रिश्वत–रोधी अनुपालन कार्य में अधिकार और स्वतंत्रता को परिभाषित किया है जो प्रतिशोध के भय के बिना वास्तविक चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है और सभी कर्मचारियों को उपरोक्त नीति का अनुपालन नहीं करने के परिणाम के बारे में जागरूक करता है।

वार्षिक सतर्कता बैठक 2025

टीएचडीसीआईएल ने 25–27 मार्च 2025 तक कुमारकोम, केरल में **वार्षिक सतर्कता सम्मेलन 2025** का आयोजन किया, जिसमें 19 सतर्कता पेशेवरों ने भाग लिया। निदेशक (कार्मिक) द्वारा उद्घाटन और मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की उपस्थिति में आयोजित इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया

- निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करना।
- खरीद और शिकायत निवारण में प्रणालीगत सुधार।
- सीवीसी दिशानिर्देशों, आरटीआई और श्रम कानूनों के अनुपालन को बढ़ाना।
- कर्मयोगी और **ई–ज्ञान संचय** जैसे मंचों के माध्यम से नैतिक नेतृत्व और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।

मुख्य सतर्कता अधिकारी ने दोष–निवारण से हटकर निवारक सतर्कता और डिजिटलीकरण तथा डेटा–आधारित निगरानी के माध्यम से प्रणालीगत सुधार पर जोर दिया। इस कार्यक्रम को मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक कवरेज मिला, जो नैतिक शासन के प्रति टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ऑनलाइन सतर्कता मंजूरी

एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से **ऑनलाइन सतर्कता मंजूरी मॉड्यूल** का सफल कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डिजिटल माध्यमों से 100% मंजूरी प्राप्त करने से प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित हुई हैं, देरी कम हुई है, डेटा केंद्रीकरण सुनिश्चित हुआ है और समग्र दक्षता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

टीएचडीसीआईएल की शिकायत निवारण प्रणाली का पुनर्निर्माण।

सुश्री रश्मिता झा (आईआरएस) मुख्य सतर्कता अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में, सतर्कता विभाग ने आईटी विभाग के साथ मिलकर लंबे समय से बंद पड़ी वेब–आधारित शिकायत / शिकायत प्रणाली को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित और आधुनिक बनाया है। यह पहल टीएचडीसीआईएल के डिजिटल शिकायत निवारण ढाँचे को एनटीपीसी लिमिटेड के ढाँचे के अनुरूप बनाती है, जिससे एक मजबूत, पारदर्शी और उपयोगकर्ता–अनुकूल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित होता है।

यह नया एप्लीकेशन टीएचडीसीआईएल पोर्टल के माध्यम से सतर्कता संबंधी मुद्दों या सामान्य शिकायतों से संबंधित ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा के लिए विकसित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकेंगे, जिससे प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।

इस सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित शिकायत निवारण तंत्र को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और समय–सीमाओं के पूर्णतः अनुरूप बनाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी शिकायतें–चाहे वे ऑनलाइन प्राप्त हों या ऑफलाइन–इस केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवस्थित रूप से दर्ज और संसाधित की जाएँगी।

वर्तमान में, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली ट्रायल और परीक्षण के अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि एक बार क्रियाशील हो जाने पर, यह शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी, समय को कम करेगी, और शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का एक केंद्रीकृत संग्रह बन जाएगी, जो भविष्य में संदर्भ और विश्लेषण के लिए उपयोगी होगी।

यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शासन की संस्कृति को बढ़ावा देने की टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान टीएचडीसी ने अपने कुल वार्षिक खरीदारी की 94.10% वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एमएसई से की है। इसमें उन मदों / उपस्करों / सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं हैं जो या तो मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) प्रोपाइटरी उपस्कर और / या एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए हैं / उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीदारी का ब्यौरा, जो कि सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करना जरूरी है, इस प्रकार है:

क्र.सं	विवरण	रु.करोड़ में
I	कुल वार्षिक खरीद (माल एवं सेवाएं) जीईएम से खरीद सहित (मूल्य में)*	130.84*
II	जीईएम सहित एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) से प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	123.12
III	जीईएम सहित अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण किए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	4.05
IV	जीईएम सहित कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	4.31
V	जीईएम सहित कुल प्रापण में से (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	94.10%
VI	जीईएम सहित कुल प्रापण में से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण प्रतिशत	3.10%
VII	जीईएम सहित कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	3.29%
VIII	एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	–
IX	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक प्रापण योजना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है	हां

जीईएम पोर्टल से खरीद

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान जीईएम पोर्टल से की गई खरीद का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	
	रु. करोड़ में	कुल खरीद का :
संबंध पोर्टल में अद्यतन कुल खरीद	130.84	94.10%*
जीईएम के माध्यम से खरीद***	912.96**	100%**

टिप्पणी:

* यह प्रतिशत कार्यालय ज्ञापन संख्या 03/003/2020–डीपीई (एमओयू) दिनांक 19.07.2024 के अनुसार निकाला गया है, उपरोक्त मूल्य में बीमा और उच्च मूल्य तथा तकनीकी वस्तुएं/सेवाएं शामिल नहीं हैं जो एमएसई के दायरे से बाहर हैं।

**इस राशि में डीजल, एकल बोली, ओईएम वस्तुएं और जीईएम पर उपलब्ध न होने वाली वस्तुएँ शामिल नहीं हैं, जिनकी कीमत रु 3.73 करोड़ है, जिन्हें सचिव विद्युत की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2022 को हुई बैठक के अनुसार रिपोर्ट करने से छूट दी गई है। इसलिए % को 100% माना गया है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाएं और प्रबंध

एओसी–2

वित्त वर्ष 24–25 के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ज) और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुपालन में, अधिनियम में धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संविदाओं/समझौतों के विवरण का प्रकटन निम्नलिखित हैं:–

- **आर्म्स लैंथ आधार को छोड़कर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौरा:**

(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति: एनटीपीसी लिमिटेड (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी)

(ख) संविदाओं/प्रबंधों/लेनदेन की प्रकृति: खुर्जा एसटीपीपी में तीसरी यूनिट (1x660 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु परामर्श कार्य

(ग) संविदाओं/प्रबंधों/लेनदेन की अवधि: एलओए जारी होने से छह (6) माह, बशर्ते टीएचडीसीआईएल से अपेक्षित सभी इनपुट एलओए जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएं।

(घ) संविदाओं या प्रबंधों या लेन–देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहितरु जीएसटी को छोड़कर रु 37,45,000/–

(ङ) ऐसी संविदाओं या प्रबंधों या लेन–देन में प्रवेश करने का औचित्य:

एनटीपीसी, खुर्जा एसटीपीपी परियोजना की अवधारणा से लेकर इसके चालू होने तक के लिए पहले से ही सलाहकार के रूप में कार्यरत है। तदनुसार, अतिरिक्त तीसरी यूनिट के लिए डीपीआर तैयार करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित कारणों से एनटीपीसी को सलाहकार के रूप में विचार करना उचित होगा:

- एनटीपीसी विद्युत क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञ और ताप विद्युत उत्पादक है।

- मौजूदा प्रणाली से परिचित होना;
- डीपीआर तैयार करने में लगने वाले समय में कमी;
- सीमित निविदा या खुली निविदा प्रक्रिया के मामले में, उपरोक्त निविदा प्रक्रिया में कार्य सौंपने में कम से कम दो माह का समय लगेगा।
- इसके अतिरिक्त, किसी अन्य एजेंसी के मामले में डीपीआर तैयार करने की समयावधि बढ़ सकती है क्योंकि यह उनके लिए एक नई परियोजना होगी।

(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि: 20.04.2024

(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य

(ज) वह तिथि जिस पर धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया: लागू नहीं

- इंड–एएस–24 के तहत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 42 (8) में किया गया है।

ह.
राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन. : 08534217

दिनांक : 27.09.2025
स्थान : नई दिल्ली

कॉर्पोरेट सुशासन

हमारी कंपनी में, कॉर्पोरेट सुशासन केवल एक नियामक आवश्यकता नहीं है – यह एक अंतर्निहित मूल्य प्रणाली है जो हमारी संगठनात्मक संस्कृति और सामिरक निर्णय लेने के हर पहलू को आकार देती है। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और अटूट प्रतिबद्धता के मूलभूत सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, हम एक ऐसे प्रशासनिक ढाँचे को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं जो सभी हितधारकों के लिए नैतिक व्यवहार, उत्तरदायी प्रबंधन और निरंतर मूल्य सृजन को बढ़ावा दे।

हमारा मानना है कि सुशासन वह आधार है जिस पर हितधारकों का विश्वास टिका होता है। तदनुसार, हम कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और केवल अनुपालन से आगे बढ़कर ऐसी प्रथाओं को अपनाते हैं जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन, नैतिक आचरण और मज़बूत आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।

इसी भावना के साथ, हमने अपने अभिशासन तंत्र को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप तत्परतापूर्वक संरेखित किया है, और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश' में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक पालन किया है।

कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन प्रथाओं, प्रकटीकरणों और अनुपालन स्थिति का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–I** में दिया गया है। इन मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करने के लिए, हमने एक कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाणन प्राप्त किया है, जो पुष्टि करता है कि कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कॉर्पोरेट सुशासन मानदंडों का पूर्णतः पालन किया है। यह प्रमाणन कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है और वैधानिक एवं स्वैच्छिक, दोनों प्रकार की शासन प्रथाओं के प्रति हमारे तत्परतापूर्ण पालन का प्रमाण है।

हमारा निदेशक मंडल, प्रबंधन के साथ मिलकर, हमारे अभिशासन ढाँचे का निरंतर मूल्यांकन और संवर्धन करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उत्तरदायी, प्रभावी और बदलती अपेक्षाओं और नियामक मानकों के अनुरूप बना रहे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि मज़बूत कॉर्पोरेट सुशासन जोखिम न्यूनीकरण, प्रचालन उत्कृष्टता, दीर्घकालिक स्थिरता और हितधारकों के विश्वास में वृद्धि की कुंजी है।

इस दृष्टिकोण को अपनाकर, हम न केवल कानून का पालन करते हैं, बल्कि उत्कृष्टता और उत्तरदायित्व की संस्कृति का भी निर्माण करते हैं। यह स्थायी प्रतिबद्धता हमें एक पारदर्शी, विश्वसनीय और दूरदर्शी संगठन के रूप में स्थापित करती है – एक ऐसा संगठन जो अपने शेयरधारकों, भागीदारों, कर्मचारियों और समग्र समाज के लिए स्थायी मूल्य सृजन पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत विकास (एसडी)

हमारी कंपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सामाजिक और पर्यावरणीय सततता पर विशेष बल दिया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर नियमों के अनुसार, कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया गया है।

सभी सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन पहले बोर्ड स्तरीय समिति (बीबीएलसी) द्वारा किया जाता है और उसके बाद सीएसआर समिति (बोर्ड स्तरीय समिति – बीएलसी) द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है। कार्यान्वयन से पहले, सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर गतिविधियों की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण या आवश्यकता मूल्यांकन अधिमानतः किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, कुल सीएसआर व्यय का बजट रु1762.00 लाख था, जो पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% है। हालाँकि, वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर किया गया वास्तविक व्यय रु. 2190.72 लाख था, जिसमें वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2023–24 में किए गए रु. 231.49 लाख के अतिरिक्त सीएसआर व्यय का समायोजन शामिल नहीं है।

सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–II** में संलग्न है।

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में एक विशेष रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–III** के रूप में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छी कॉर्पोरेट सुशासन पद्धति व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग

के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी (मसौदा एमजीटी–7) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर दी गई है।

मसौदा वार्षिक विवरणी देखने के लिए वेबलिंक – https://thdc.co.in/index.php/en/investors_corner/annual-return है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया था।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए थे और अनुमान लगाए थे जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्त वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ एवं हानि की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया था।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए था; और

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से प्रचालनरत थे।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

सांविधिक प्रकटीकरण

(क) वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(ख) वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

(ग) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, विचारार्थ विषय और संरचना के संबंध में जानकारी, निदेशकों की जानकारी प्रशिक्षण नीति के लिए सतर्कता तंत्र/ सूचना प्रदाता नीति (ह्विसिल ब्लोअर नीति) और वेब लिंक की स्थापना, संबद्ध पक्षकार के लेन देन के महत्व तथा संबद्ध पक्षकार के साथ व्यवहार संबंधी नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्ति, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने का शुल्क आदि कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, डीपीई के दिशानिर्देशों और समय–समय पर संशोधित सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किया जाता है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

(घ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं।

(ङ) वित्त वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2025 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

(च) कंपनी के निदेशकों को या कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(छ) सतर्कता मामलों, लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों के उत्तर तथा सूचना का अधिकार से जुड़े मामलों से संबंधित ब्योरे आदि को इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए जाते है।

(ज) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

अन्य प्रकटीकरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाईन में कोई रिपोर्ट योग्य महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मैसर्स वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ठोस एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

ऋणों तथा दिए गए गारंटी, किए गए निवेश तथा दीगई प्रतिभूतियों के विवरण

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने टुस्को लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के शेयर सब्सक्राइब करने में रु3.70 करोड़ का निवेश किया और ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के शेयर सब्सक्राइब करने में रु7.40 करोड़ का निवेश किया।

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी टुस्को लिमिटेड में रु33.30 करोड़, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड में रु11.10 करोड़ और टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड में रु7.40 करोड़ का निवेश किया गया है।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या

अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

वर्ष 2024–25 के लिए हमारी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट लागत अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा

हमारी कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से यह पुष्टि करते हुए घोषणाएं प्राप्त हो गई हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत यथाउपबंधित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक

सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड ए जी के दिनांक 31.09.2024 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी(1)/879 के द्वारा मैसर्स वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट, तीसरा तल, एमजे टावर 55, रायपुर मार्ग, देहरादून – 248001 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

निदेशकों और बोर्ड का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(च) के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जो निदेशक मंडल, बोर्ड समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित है। इस अधिसूचना के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) से भी छूट दी गई है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड द्वारा इसकी स्वयं के कार्य–निष्पादन और उसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन की रीति का उल्लेख करना अपेक्षित है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन, उस केंद्र सरकार के उस मंत्रालय या विभाग, जो कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रक हैं, या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा उनकी अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 5 जुलाई 2017 की अधिसूचना के अनुसार, यदि कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के मामले केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों या राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं और सरकारी कंपनियों द्वारा ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, तो निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में अनुसूची IV के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट दी जाती है।

हालाँकि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के प्रावधानों के अनुपालन में, स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन, जिसमें स्वतंत्रता मानदंडों की पूर्ति भी शामिल है, का मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा किया गया।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अनुसरण में, गैर–स्वतंत्र निदेशकों, समग्र रूप से बोर्ड और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा 27 सितंबर 2024 को आयोजित एक अलग बैठक में किया गया।

लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स बंधोपाध्याय भौमिक, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता, मेसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़, मेसर्स रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, हैदराबाद, मेसर्स धनंजय वी जोशी एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट लेखाकार, पुणे, मेसर्स आर.के. पटेल एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, वडोदरा, मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, मुंबई को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्त वर्ष 2024–25 के लिए क्रमशः टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचईपी, पवन ऊर्जा परियोजनाओं, दुकवां एसएचपी, सौर ऊर्जा संयंत्रों, अमेलिया कोयला खदान और खुर्जा एसटीपीपी के लिए लागत लेखांकन अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी द्वारा लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। मेसर्स आर जे गोयल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, नई दिल्ली को प्रमुख लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लागत लेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई आपत्ति इंगित नहीं की है।

सचिवीय लेखापरीक्षा

वर्ष 2024–25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, पेशेवर (प्रैक्टिसिंग) कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने सभी सचिवीय प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक–VI** के रुप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24क की आवश्यकताओं के अनुपालन में, वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियाँ स्व–व्याख्यात्मक हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का प्रत्युत्तरः

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर		
क्र.स.	टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
1.	कंपनी, एलओडीआर के विनियम 17(1)(क), 17(1)(ख), और 17(झड), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे परंतुक और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1 के तहत यथाअपेक्षित, अपने बोर्ड की संरचना से संबंधित लागू प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही थी। बोर्ड में निर्धारित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं था और 10.11.2024 के बाद कोई महिला निदेशक नहीं थी। स्वतंत्र निदेशक(कों) की रिक्तियाँ भी निर्धारित अवधि के भीतर नहीं भरी गई।	सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियमन 17 के प्रावधान कंपनी पर 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' के आधार पर लागू होते हैं। टीएचडीसीआईएल, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके निदेशकों की नियुक्ति इसके संगम–ज्ञापन (एओए) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने एलओडीआर के विनियमन 17 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय को विभिन्न अनुरोध और अनुस्मारक प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान में विद्युत मंत्रालय से नियुक्तियां प्रतीक्षित हैं। तीन माह के भीतर किसी स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति को न भरने के संबंध में अनुपालन में देरी पूरी तरह से इस तथ्य के कारण है कि ऐसी नियुक्तियां केवल विद्युत मंत्रालय के माध्यम से की जा सकती हैं। कंपनी आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
2.	कंपनी, एलओडीआर के विनियमन 18, 19, 20, 21 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और वित्त वर्ष 2024–25 के भाग के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और 5.1 के अनुसरण में, कुछ बोर्ड स्तरीय समितियों अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और सीएसआर समिति की संरचना से संबंधित प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं कर रही थी, जिसका मुख्य कारण 09.11.2024 को स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होना था। परिणामतः, ये समितियाँ अस्थायी रूप से निष्क्रिय रहीं और बाद में जोखिम प्रबंधन समिति को छोड़कर 13.05.2025 को पुनर्गठित की गई। इसके अतिरिक्त, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में 31.05.2024 तक और फिर 02.08.2024 से 30.09.2024 की अवधि के दौरान कुछ संरचना आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति में 01.10.2024 से 29.10.2024 तक केवल दो सदस्य थे।	सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 18, 19, 20 और 21 के प्रावधान कंपनी पर 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' के आधार पर लागू हैं। टीएचडीसीआईएल, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके निदेशकों की इसके संगम–ज्ञापन (एओए) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 09.11.2024 को स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, सेबी एलओडीआर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कुछ समितियों की निर्धारित संरचना अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी। कंपनी ने अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय से कई अनुरोध और अनुस्मारक प्रस्तुत किए हैं, और नियुक्तियां प्रतीक्षित हैं। अपेक्षित निदेशकों की उपलब्धता पर एनटीपीसी से नामित निदेशक के नामांकन के लंबित रहने तक, जोखिम प्रबंधन समिति को छोड़कर, समितियों का 13.05.2025 को पुनर्गठन किया गया।
3.	कंपनी, एलओडीआर के विनियमन 50(1)(घ) का अनुपालन नहीं कर रही थी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु लिए गए अनुमोदन के संबंध में बोर्ड की बैठक से कम–से–कम दो कार्यदिवसों पूर्व सूचना देने में विफल रही।	सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियमन 50(1) के अनुसार, बोर्ड बैठक की तिथि स्टॉक एक्सचेंज को दो दिन पहले सूचित कर दी गई थी। हालाँकि, बैठक निर्धारित समय पर नहीं हो सकी और इसके रद्द होने की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को विधिवत रूप से भेज दी गई। इसके बाद, बैठक को पुनर्निर्धारित किया गया और कम समय के नोटिस पर बुलाया गया। संशोधित तिथि की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को उसी दिन भेज दी गई जिस दिन बोर्ड के सदस्यों को सूचना दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य दो दिनों के बजाय केवल एक दिन पहले सूचना दी गई। यह विचलन भूलवश हुआ और पूरी तरह से प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण आवश्यक स्थगन और पुनर्निर्धारण के कारण हुआ। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल ने बीएसई और एनएसई दोनों को औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किए हैं जिसमें प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा लगाई गई शास्ति में छूट की मांग की गई है और ये अनुरोध वर्तमान में विचाराधीन हैं।

डिबेंचर ट्रस्टी

हमारी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट बांड के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

ट्रस्टी का नाम और पता

विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
दि कैपिटल बिल्डिंग, यूनिट नं. 505–ए2,
बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व)
महाराष्ट्र – 400051

आभार

हमारी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनटीपीसी लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और उनके संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं बोर्ड के साथ–साथ हमारे बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और विश्वास हेतु उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड दो प्रमुख उपलब्धियों के सफल कमीशनिंग में प्राप्त अमूल्य सहयोग और समन्वय के लिए विशेष आभार और गहन प्रशंसा व्यक्त करता है:

- जनवरी 2025 में खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना की पहली यूनिट (660 मेगावाट), और
- जून 2025 में टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र की पहली यूनिट (250 मेगावाट)।

ये उपलब्धियाँ विद्युत अवसंरचना और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती हैं।

हम, हमारे बहुमूल्य उपभोक्ताओं, जिनमें प्रादेशिक विद्युत बोर्ड, डिस्कॉम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहक शामिल हैं, के उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करते हैं, जिनका निरंतर सहयोग हमारे सफर में सहायक रहा है।

बोर्ड अपने कर्मचारियों की समर्पित सेवाओं की हार्दिक सराहना करता है, जिनकी प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता कंपनी के समग्र प्रदर्शन और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में महत्वपूर्ण रही है।

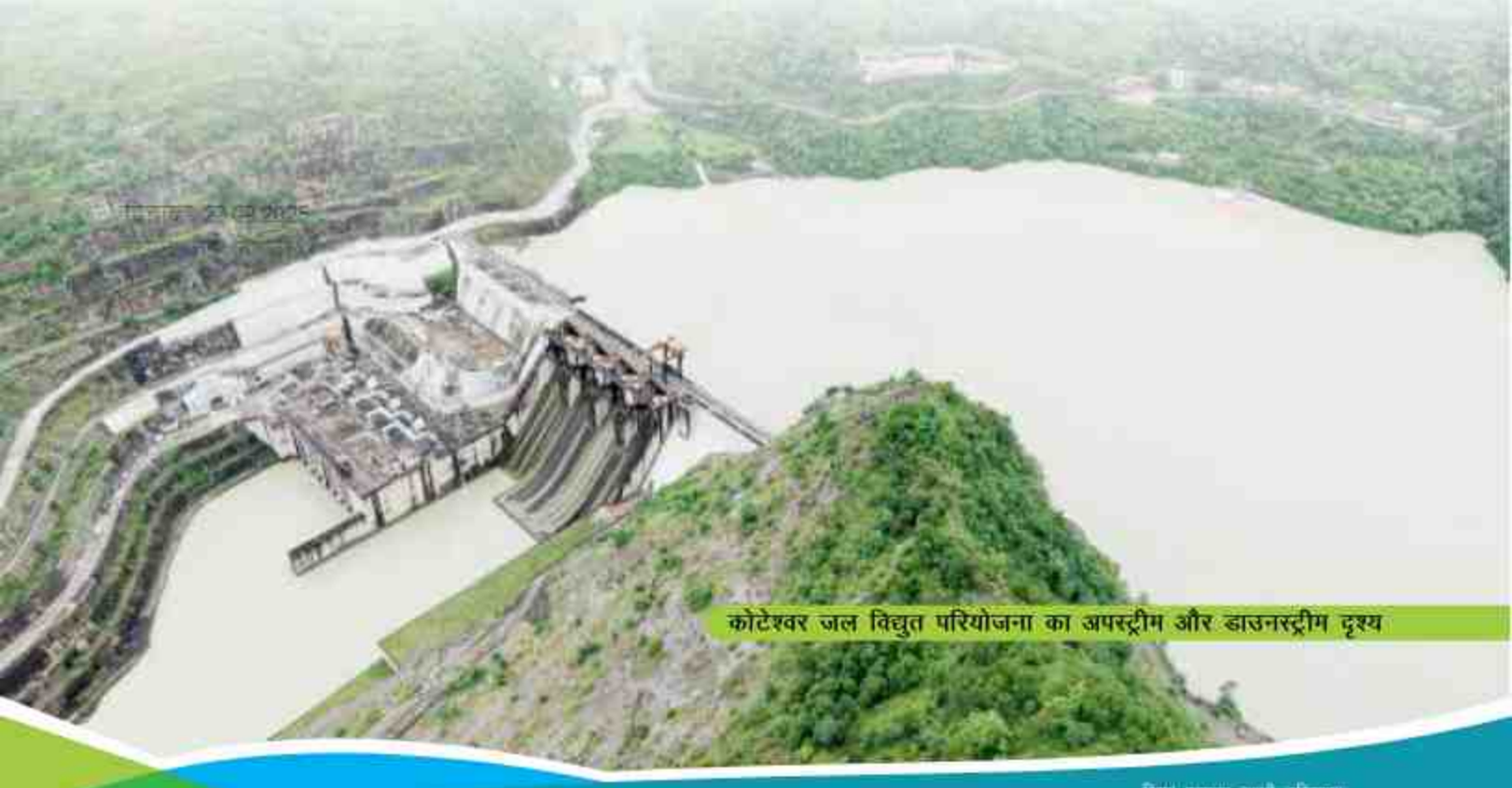
हम अपने संविदाकारों, वेंडर्स, और सलाहकारों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना करते हैं, जिनके प्रयास हमारी विविध पहलों के सुचारू क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रहे हैं।

अंत में, बोर्ड सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों और निरंतर समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने हमारे सुशासन और प्रचालन मानकों को मजबूत करने में सार्थक योगदान दिया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

दिनांक : 27.09.2025
स्थान : नई दिल्ली



कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दृश्य

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

कार्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("टीएचडीसीआईएल" या "कंपनी") कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है जिसमें 74.496% शेयरधारिता एनटीपीसी की है और 25.504% शेयरधारित उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल की है। टीएचडीसीआईएल नैतिकता, पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ध्यान हितधारक मूल्य को बढ़ाने और सभी हितधारकों का विश्वास और भरोसा बनाए रखने पर केंद्रित है।

टीएचडीसीआईएल में, हम व्यवस्थित प्रक्रियाओं, नीतियों और लागू वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित एक मजबूत सुशासन ढांचे के भीतर काम करते हैं। इनमें कंपनी अधिनियम, 2013; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर); लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश (2010); भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; और अन्य प्रासंगिक विनियम एवं नीतियाँ शामिल हैं।

निदेशक मंडल को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट के साथ–साथ कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा कॉरपोरेट सुशासन पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी को वर्ष 2024–25 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त होने की आशा है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

हमारी कंपनी कॉर्पोरेट सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए नियमों और नियंत्रणों की एक प्रणाली शामिल है। प्रोत्साहनों के इस संरेखण से कंपनी के शेयरधारकों, निदेशकों और प्रबंधन, समाज और पर्यावरण सहित सभी हितधारकों को लाभ होता है। हमारा सुशासन ढांचा हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के व्यवसाय निष्पक्ष और जिम्मेदारी से संचालित किए जा रहे हैं। यद्यपि कंपनी की स्थापना के बाद से हमारा अभिशासन दर्शन मूलभूत रहा है, हमारा ढांचा समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलनीय बना हुआ है।

कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट सुशासन में बोर्ड के कार्य शामिल हैं, यह कंपनी के मूल्यों को कैसे निर्धारित करता है और यह कंपनी के व्यावसायिक सिद्धांतों को कैसे संचालित करता है। बोर्ड का दावा है कि सुशासन केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ कॉर्पोरेट नागरिकता के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रबंधित दैनिक पूर्णकालिक कार्यों से अलग है। बोर्ड की जिम्मेदारियों में कॉर्पोरेट सुशासन सिद्धांतों को लागू करना, सामरिक उद्देश्य निर्धारित करना, अपने नेतृत्व के साथ प्रबंधन का मार्गदर्शन करना और शेयरधारकों को रिपोर्ट करना शामिल है। प्रबंधन, बोर्ड और समितियां मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अखंडित सत्यनिष्ठा, उत्कृष्टता और जिम्मेदार विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखे।

डीपीई के सुशासन दिशानिर्देश: अनुपालन विवरण

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, टीएचडीसीआईएल ने पूरे वित्त वर्ष 2024–25 में सुदृढ़ सुशासन पद्धतियों को बनाए रखा। तिमाही कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट (सीजीआर) निर्धारित समय–सीमा के भीतर विधिवत प्रस्तुत की गई। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, टीएचडीसीआईएल ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए, जिनमें रु 3,281.8 करोड़ का राजस्व, 7,000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और रु 3,440.96 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है। सामरिक अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर चालू करने, ईबीआईटीडीए मार्जिन (52.28%) में सुधार, रु 202.91 का ईपीएस प्राप्त करने, प्राप्य राशि के समय को कम करके 45 दिनों तक करने और अनुसंधान एवं विकास व्यय को बढ़ाकर पीबीटी के 2% तक करने पर ज़ोर दिया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप, कंपनी ने आरटीआई आवेदनों का सक्रिय प्रकटीकरण और समय पर निपटान सुनिश्चित किया। नामित लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों ने समय–समय पर क्षमता निर्माण प्रयासों के माध्यम से अनुपालन को सुगम बनाया।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई), अभिशासन, सतर्कता, पीओएसएच, वित्त और नियामक मामलों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया। आईआईपीए, आईसीएसआई, एनपीटीआई और एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आयोजित ये सत्र, कंपनी के व्यावसायिक विकास और सुशासन उत्कृष्टता पर निरंतर फोकस को दर्शाते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक व्यापक आचार संहिता तैयार और कार्यान्वित की है। यह संहिता नैतिक आचरण, हितों के टकराव से बचने और कंपनी के हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार के प्रकटीकरण से संबंधित सिद्धांतों को रेखांकित करती है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों और नामित प्रमुख कार्मिकों ने संहिता का पालन करने की पुष्टि की। हितों के टकराव या व्यक्तिगत हित से जुड़े महत्वपूर्ण संव्यवहार का कोई मामला सामने नहीं आया और जहाँ लागू हो, बोर्ड के समक्ष

पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आवश्यक प्रकटीकरण किए गए।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक व्यापार कार्य नीतियों को विकसित करने, सामान्य मामलों और प्रदर्शन की देखरेख करने और कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कंपनी के मामलों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं, बोर्ड के परामर्श से व्यावसायिक कार्यनीतियों को क्रियान्वित करते हैं तथा वार्षिक और दीर्घकालिक दोनों व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।

2.1 बोर्ड का आकार और संरचना

कंपनी के व्यवसाय की देखरेख निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का एक आदर्श संयोजन है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधान है कि बोर्ड में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक भी हो।

टीएचडीसीआईएल के संगम–ज्ञापन (आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है, जो सात से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में कम से कम दो निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार है। निदेशकों के पास आवश्यक योग्यताएँ, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यवसाय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और बोर्ड में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाता है।

विद्युत मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2022 और 10 मई 2022 के अपने पत्रों के माध्यम से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निम्नलिखित पदों को मंजूरी दी:

क्रम सं.	बोर्ड स्तरीय पदों की संरचना
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	निदेशक (कार्मिक)
3.	निदेशक (तकनीकी)
4.	निदेशक (वित्त)
5.	एनटीपीसी के 2 (दो) नामिती निदेशक
6.	भारत सरकार का एक प्रतिनिधि
7.	उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि
8.	8 (आठ) गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक

31 मार्च, 2025 तक, बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तीन कार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से एक–एक नामिती निदेशक और एनटीपीसी लिमिटेड से दो नामिती निदेशक शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, 09.11.2024 तक बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक मौजूद थे।

2.2 निदेशक मंडल का ब्यौरा

निदेशक मंडल का विवरण अर्थात् उनके नाम, पदनाम, अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक–पदों और समिति की अध्यक्षता / सदस्यता की संख्या और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम, जिनमें निदेशक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार निदेशक पद पर आसीन हैं, निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	धारित अन्य निदेशक–पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक–पद और निदेशक–पद की श्रेणी	अन्य सार्वजनिक कंपनियों की लेखापरीक्षा / हितधारक समितियों में धारित सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	–	–	–
2.	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)	–	–	–	1
3.	श्री भूपेंद्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	2	–	–	–
4.	श्री सिपन कुमार गर्ग*	निदेशक (वित्त)	1	–	–	1
5.	श्री पीयूष सिंह**	नामिती निदेशक, भारत सरकार	2	1	–	1
6.	श्री अनिल गर्ग	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	2	–	–	–
7.	श्री वीरेन्द्र मलिक***	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	5	–	1	4
8.	श्री के.एस. सुन्दरम्****	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	9	2	–	4

*श्री सिपन कुमार गर्ग को 17.08.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
**श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल) को 11.06.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
***श्री वीरेंद्र मलिक, कार्यकारी निदेशक (वित्त), एनटीपीसी को 31.07.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
****श्री के. एस. सुंदरम, निदेशक (परियोजनाएं), एनटीपीसी को 24.10.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

2.3 वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

क) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 2–20/5/2022–प्रशासन–II (एमओपी) दिनांक 30.05.2024 के तहत टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री अजय तिवारी, अपर सचिव (हाइड्रो) का नामांकन 31.05.2024 से वापस ले लिया।

ख) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय आदेश संख्या एफ. सं.14–37/38/2023–एच.आई (270636) दिनांक 11.06.2024 के तहत श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल) को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में 11.06.2024 से नियुक्त किया।

ग) विद्युत मंत्रालय ने कार्यालय आदेश संख्या एफ.सं.14–37/38/2023–एच.आई (270463) दिनांक 31.07.2024 के तहत श्री एस. एन. त्रिपाठी, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (हाइड्रो), एनटीपीसी लिमिटेड को 31.07.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक नियुक्त किया।

घ) विद्युत मंत्रालय ने कार्यालय आदेश संख्या एफ.सं.14–37/38/2023–एच.आई (270463) दिनांक 31.07.2024 के तहत श्री वीरेंद्र मलिक, कार्यकारी निदेशक (वित्त), एनटीपीसी को 31.07.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक नियुक्त किया।

ङ) एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने पत्र संख्या 01:एसईसी:टीएच डीसी:जेवी:1 दिनांक 31.05.2024 के माध्यम से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में श्री जयकुमार श्रीनिवासन का नामांकन 31.07.2024 से वापस ले लिया।

च) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 14–11/2/2023–एच.आई (266870) दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से श्री सिपन कुमार को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (वित्त) नियुक्त किया और उन्होंने 17.08.2024 से कार्यभार ग्रहण किया।

छ) सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री एस. एन. त्रिपाठी 30.09.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक नहीं रहे।

ज) विद्युत मंत्रालय ने कार्यालय आदेश संख्या एफ.सं. 14–37/38/2023–एच.आई (270463) दिनांक 24.10.2024 के तहत एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएं) श्री के.एस. सुंदरम को 24.10.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नामिती निदेशक नियुक्त किया।

झ) तीन वर्ष के अपने–अपने कार्यकाल पूरे होने पर श्री जयप्रकाश नाईक बी. और श्रीमती सजल झा 09.11.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड का कोई भी निदेशक सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 26 के तहत निर्धारित सभी सार्वजनिक कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित है।

2.4 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

गैर–कार्यपालक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल में नियुक्त नामित निदेशकों का निदेशक पद एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक पद पर रहने और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में अपने नामांकन वापिस लेने तक, जो भी पहले हो, सह–मियादी (कोटर्मिनस) होगा। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.5 निदेशकों की प्रोफाइल

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल, जिसमें उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव का क्षेत्र आदि शामिल हैं, कॉर्पोरेट सिंहावलोकन खंड – वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल के अंतर्गत दिया गया है।

2.6 निदेशकों की मुख्य दक्षताएँ

बोर्ड में योग्य सदस्य होते हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता रखते हैं। निदेशकों द्वारा धारित कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं का सारांश अनुलग्नक–I में दिया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

2.7 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कंपनी और अन्य एजेंसियों/संस्थानों द्वारा समय–समय पर निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नेतृत्व गुणों, ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन किया जा सके। यह प्रशिक्षण, उन्हें क्षेत्र के साथ–साथ कंपनी की

बेहतर समझ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। निदेशकों को समय–समय पर विधायी / विनियामक परिवर्तनों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन / विकास के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रवेश के समय एक परिचय कार्यक्रम दिया जाता है जिसमें संगठन की संरचना, सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों, कंपनी के व्यवसाय मॉडल, व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रम और प्रशिक्षण का विवरण वेबलिंक https://www.thdc.co.in/en/content/ familiarization-programme पर है।

2.8 वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल समापन

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए टीएचडीसीआईएल में निदेशक पद की नियुक्ति और कार्यकाल समापन का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	प्रभावी तिथि	निदेशक रूप में परिवर्तन
1	श्री अजय तिवारी, अंशकालिक नामिती निदेशक, भारत सरकार, डीआईएन: 09633300	31.05.2024	एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नामांकन वापिस
2	श्री पीयूष सिंह, अंशकालिक नामिती निदेशक, भारत सरकार, डीआईएन: 07492389	11.06.2024	नियुक्ति
3	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 01220828	31.07.2024	एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नामांकन वापिस
4	श्री एस.एन. त्रिपाठी, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 10428360	31.07.2024	नियुक्ति
5	श्री वीरेंद्र मलिक, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 10427762	31.07.2024	नियुक्ति
6	श्री सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त), डीआईएन: 10746205	17.08.2024	नियुक्ति
7	श्री एस.एन. त्रिपाठी, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 10428360	30.09.2024	सेवानिवृत्ति
8	श्री के.एस. सुंदरम, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 10347322	24.10.2024	नियुक्त
9	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन: 09423574	09.11.2024	कार्यकाल समाप्त
10	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन: 09402663	09.11.2024	कार्यकाल समाप्त

3. बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

निदेशक मंडल उचित अग्रिम सूचना के साथ बैठकें आयोजित कराता है। तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, सांविधिक प्रावधानों का पालन करते हुए, बोर्ड की बैठकें अल्पावधि सूचना पर भी आमंत्रित की जा सकती हैं। अत्यावश्यक स्थितियों में, कानून में अनुमेय होने पर, प्रस्तावों को परिचालन के माध्यम से पारित किया गया। विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और व्याख्यात्मक विवरण आम तौर पर बोर्ड बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रसारित किए जाते हैं, जिससे सार्थक, सुविज्ञ और केंद्रित चर्चा सुनिश्चित होती है।

बोर्ड के सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, दोनों तरह से आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन बैठकें लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में आयोजित की जाती हैं और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की नौ (9) बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का कोई अंतराल नहीं था।

क्रम सं.	बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठक की तारीख	निदेशकगण	उपस्थिति
1.	244वीं	20 अप्रैल 2024	8	7
2.	245वीं	16 मई 2024	8	6
3.	246वीं	6 अगस्त 2024	9	8
4.	247वीं	16 अगस्त 2024	9	8
5.	248वीं	27 सितंबर 2024	10	9
6.	249वीं	8 नवंबर 2024	10	9
7.	250वीं	26 दिसंबर 2024	8	7
8.	251वीं	7 फरवरी 2025	8	8
9.	252वीं	22 फरवरी 2025	8	7

सभी बैठकों के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) मौजूद थी। नीचे दी गई तालिका में वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम एवं पदनाम	दौरान हुई बैठक	बोर्ड बैठकें		(27 सितंबर 2024 को आयोजित) में उपस्थिति
		जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत	
कार्यात्मक निदेशक				
श्री आर. के. विश्नोई* **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)**	9	9	100%	भाग लिया
श्री शैलेंद्र सिंह **निदेशक (कार्मिक)**	9	9	100%	भाग लिया
श्री भूपेन्द्र गुप्ता **निदेशक (तकनीकी)**	9	9	100%	भाग लिया
श्री सिपन कुमार गर्ग (टिप्पणी 1) **निदेशक (वित्त)**	5	5	100%	भाग लिया
नामिती निदेशक				
श्री पीयूष सिंह (टिप्पणी 2) **भारत सरकार के नामिती निदेशक**	7	7	100%	भाग लिया
श्री अनिल गर्ग **उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक**	9	1	11%	भाग नहीं लिया
श्री एस एन त्रिपाठी (टिप्पणी 3) **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	3	3	100%	भाग लिया
श्री वीरेंद्र मलिक (टिप्पणी 4) **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	7	7	100%	भाग लिया
श्री के. एस. सुंदरम् (टिप्पणी 5) **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	4	4	100%	लागू नहीं
श्री अजय तिवारी (टिप्पणी 6) **भारत सरकार के नामिती निदेशक**	2	1	50%	लागू नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन (टिप्पणी 7) **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	2	2	100%	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशक				
श्रीमती सजल झा (टिप्पणी 8) **स्वतंत्र निदेशक**	6	6	100%	भाग लिया
डॉ जयप्रकाश नाईक बी. (टिप्पणी 8) **स्वतंत्र निदेशक**	6	6	100%	भाग लिया

1. श्री सिपन कुमार गर्ग को 17.08.2024 से बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
2. श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल), को 11.06.2024 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
3. श्री एस. एन. त्रिपाठी को 31.07.2024 से एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 30.09.2024 को सेवानिवृत्ति पर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
4. श्री वीरेंद्र मलिक को 31.07.2024 से एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
5. श्री के. एस. सुंदरम को 24.10.2024 से एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
6. सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री अजय तिवारी का नामांकन 31.05.2024 से वापस ले लिया गया।
7. एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में श्री जयकुमार श्रीनिवासन का नामांकन 31.07.2024 से वापस ले लिया गया।
8. श्री जयप्रकाश नाईक बी. और श्रीमती सजल झा स्वतंत्र निदेशक को 09.11.2024 को कार्यकाल पूरा गया।

4. निदेशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटीकरण:

हमारी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अत: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के संबंध में निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार लिया जाता है और इसकी सूचना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग को दी जाती है। कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड तथा समिति (बैठक में भाग लेने के शुल्क का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है) की बैठकों मे भाग लेने के लिए ₹30,000 प्रति बैठक की दर से बैठक में भाग लेने के शुल्क का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक निदेशकों को सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन क्षमता में नामित किया जाता है और उन्हें कंपनी से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि रु में)

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क			कुल*
		बोर्ड बैठक	समिति की बैठकें	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	
1.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	180000	300000	30000	510000
2.	श्रीमती सजल झा	180000	150000	30000	360000

* बैठक शुल्क की राशि में जीएसटी शामिल नहीं है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रु. में)

क्रम सं.	नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते*	बोनस और कमीशन	कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	कुल
1	श्री आर.के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	68,00,739	–	13,21,883	81,22,622
2	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	44,02,377	–	5,33,557	49,35,934
3	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)	54,44,861	–	6,06,599	60,51,460
4	श्री सिपन कुमार गर्ग	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	24,88,357	–	–	24,88,357
5	श्री अजय कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.04.2024 से 27.09.2024 तक)	23,88,868	–	1,19,383	25,08,251
6	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	20,82,745	–	1,46,920	22,29,665

* वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए) और अनुलाभ एवं भत्ते, अवकाश नकदीकरण और अन्य अनुलाभ शामिल हैं।

5. बोर्ड की स्वतंत्रता:

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम और एलओडीआर 2015 के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा प्रस्तुत की है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट **https://thdc.co.in/sites/default/files/Appointment_Independent_Directors.pdf** पर उपलब्ध हैं।

6. केएमपी (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 203 (1) अनुसार, निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

क. श्री आर के विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ख. श्री सिपन कुमार गर्ग, मुख्य वित्तीय अधिकारी

ग. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

7. बोर्ड के सदस्यों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकनः

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(च) के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जो नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल, बोर्ड समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित है। इस अधिसूचना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(त) से भी छूट दी गई है, जिसके लिए बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों की औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण देना आवश्यक है, बशर्ते कि मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग द्वारा, उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाता है। चूंकि हमारी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसलिए हमें निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कोई नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यात्मक निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि नामिती निदेशकों का मूल्यांकन उनकी संबंधित कंपनियों और विभागों द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, (सेबी) एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 और विनियम 25 के प्रावधानों के अनुपालन में, निदेशकों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन किया गया था।

8. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें:

कंपनी अधिनियम और एलओडीआर 2015 के अनुपालन में 27 सितम्बर, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैर–स्वतंत्र निदेशकगण और प्रबंधन के सदस्य मौजूद नहीं थे।

स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी बैठक में गैर–स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी के अध्यक्ष और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य–निष्पादन की समीक्षा की। स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन किया।

9. बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां:

9.1 निर्णय लेने की प्रक्रियाः

कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कॉर्पोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

9.2 बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयनः

क. बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, प्रबंधन रिपोर्ट, निदेशकों को पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।

ख. विशिष्ट तत्काल व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कभी–कभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं और नोटिस एवं एजेंडा की न्यूनतम अवधि का पालन करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को प्रचालन द्वारा पारित किया जाता है जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में टिप्पणी किया जाता है।

ग. अत्यावश्यक मामलों में, संबंधित अध्यक्ष का अनुमोदन और बोर्ड के निदेशकों का बहुमत प्राप्त करने के बाद ही एजेंडा प्रस्तुत किया जाता है।

घ. कार्यसूची के कतिपय मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

ङ. बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों को विशेष आमंत्रिती के रूप में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

9.3 बोर्ड / समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करनाः

प्रत्येक बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके प्रचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड / समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है और बोर्ड एवं समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

9.4 अनुवर्ती कार्रवाई तंत्रः

बोर्ड की बैठकों में बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर की गई कार्रवाई अनुवर्ती बोर्ड बैठकों में बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

9.5 अनुपालनः

हमारी प्रतिबद्धता सभी लागू कानूनों, नियमों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। कंपनी कंपनी अधिनियम, सेबी (एलओडीआर) 2015, कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश और अन्य सांविधिक आवश्यकताओं, यथा लागू, का पालन करती है। कंपनी बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानकों का भी अनुपालन कर रही है। निदेशक मंडल समय–समय पर अपने समक्ष रखी गई कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

9.6 निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:

क. अनुमोदन और सूचना हेतु, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाओं से संबंधित सभी तकनीकी मामले।

ख. वार्षिक प्रचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।

ग. पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।

घ. निधियां जुटाने संबंधी प्रस्ताव।

ङ. वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।

च. कंपनी के तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।

छ. पिछली बोर्ड बैठकों, कंपनी की समिति की बैठकों और सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।

ज. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या कार्यकाल समापन की जानकारी।

झ. बोर्ड की शक्तियों के अनुसार सामान्य व्यवसाय मामले।

ञ. बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।

ट. खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड की गई संविदाओं से संबंध में तिमाही सूचना।

ठ. परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।

ड. विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।

ढ. निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।

ण. महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।

त. मध्यस्थता मामलों की स्थिति।

थ. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।

द कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण हैं, ।

ध. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी सामग्री बहिःस्राव या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।

न. कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई भी निर्णय या आदेश शामिल है, जो कंपनी के आचरण पर सख्ती से पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

प महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।

फ. सूचीबद्ध इकाई और उसके प्रचालनात्मक संभागों या व्यावसायिक खंडों के लिए तिमाही परिणाम।

ब. सूचीबद्ध इकाई में और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा विक्रय किए गए माल के लिए महत्वपूर्ण गैर–भुगतान।

भ. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो भौतिक प्रकृति के हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।

म. लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचनाएं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

10. निदेशक मंडल की समितियां:

प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न सांविधिक और गैर–सांविधिक समितियों का गठन किया है। बोर्ड की प्रत्येक समिति इसके विचारार्थ विषयों द्वारा निर्देशित होती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर), 2015 में यथाविनिर्दिष्ट समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेती हैं। ऐसी समितियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

11. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र इत्यादि कंपनी अधिनियम, एलओडीआर 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

11.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	सदस्य
3.	श्री वीरेंद्र मलिक, एनटीपीसी के नामिती निदेशक (02.08.2024 से नियुक्त)	सदस्य
4.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, एनटीपीसी नामिती निदेशक (31.07.2024 से सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त)	सदस्य

लेखा परीक्षा समिति 8 नवंबर, 2024 तक कार्यशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना आवश्यक है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

निदेशक (वित्त) और/या सीएफओ आमतौर पर विशेष आमंत्रित के रूप में बैठकों में भाग लेते हैं, और किसी भी बैठक को आगे बढ़ाने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, भले ही वे समिति के आधिकारिक सदस्य न हों। कार्यकारी निदेशकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और संबंधित विभागाध्यक्षों को विशेष रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

11.2 विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और

इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

ख. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और निष्कासन पर ध्यान देना।

ग. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा शुल्क की सिफारिश करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी भी देना।

घ. निम्नलिखित के संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना,

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले;

(ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण;

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;

(घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता एवं कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

(च) किसी भी संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण;

(छ) यथालागू लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन;

(ज) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय;

ङ. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही/छमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

च. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/ सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटिस और रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

छ. संबंधित पक्षकारों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन

ज. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच

झ. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो

ञ. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन

ट. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रभावकारिता की निगरानी करना;

ठ. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति की समीक्षा करना।

ड. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को सूचित करना

ढ. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा

ण. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना

त. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना

थ. इस प्रावधान के लागू होने की तारीख की स्थिति के अनुसार मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा रु100 करोड़ या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10% जो भी कम हो, से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना

द. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना

ध. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

(क) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की स्थिति भी शामिल है

(ख) लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है

न. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

(क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

(ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ

प. सीएएंडजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना

फ. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना

ब. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना

भ. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन

म. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना

य. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा

आयोजित करने का दायरा/कार्यप्रणाली/आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करना

र. लेखापरीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क, यदि कोई हो, के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना

ल. बोर्ड को कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, लागत लेखा परीक्षकों को बदलने या हटाने और उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति की अन्य शर्तों की सिफारिश करना

व. उसमें शामिल प्रत्येक आरक्षण या योग्यता पर पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना और विचारार्थ बोर्ड को रिपोर्ट की सिफारिश करना

श. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, जिसमें लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा शामिल है, के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ माँगना और आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा करना

ष. स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाने वाली निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन के लिए तिमाही विवरण की समीक्षा

स. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या संपत्तियों के मूल्यांकन की समीक्षा करना

ह. लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करते समय कंपनी के लेखापरीक्षकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार देगी

क्ष. लेखापरीक्षा समिति वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए स्थापित सतर्कता तंत्र की निगरानी करेगी और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष उचित और असाधारण मामलों में सीधे पहुंच योग्य होगा

कक. ऐसे अन्य कार्य करना जो कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को निर्दिष्ट किए जाएं

ख. निम्नलिखित से संबंधित निरीक्षण कार्यों में बोर्ड की सहायता करना

क. लेखापरीक्षित और गैरलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरण की गुणवत्ता और अखंडता

ख. समय–समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की अखंडता; और

ग. कंपनी का निवेश

गग. अभ्यर्थी की अर्हता, अनुभव और पृष्ठभूमि इत्यादि का मूल्यांकन करने के बाद मुख्य वित्त अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन

11.3 लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति को निदेशक मंडल द्वारा पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. अपने विचारार्थ विषयों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करना।

ख. किसी भी कर्मचारी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।

ग. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

घ. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

ङ. ब्लिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना।

11.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति ने नियमित आधार पर निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा की:

क. वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

ख. प्रबंधन द्वारा संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण;

ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; और

ङ. आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और निष्कासन; और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा।

11.5 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2024–25 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गई और समिति के सदस्यों की उपस्थिति सहित विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख				कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
	16.05.2024	06.08.2024	27.09.2024	08.11.2024			
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी	✓	✓	✓	✓	4	4	100%
श्रीमती सजल झा	✓	✓	✓	✓	4	4	100%
श्री वीरेंद्र मलिक	लागू नहीं	✓	✓	✓	3	3	100%
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100%

12 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम की धारा और एलओडीआर–2015 के विनियमन 19 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक को छोड़कर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल और पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

चूंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, तदनुसार, निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यातव्य है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशकों की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति तैयार करने और बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है।

12.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	अध्यक्ष
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	सदस्य
3.	श्री पीयूष सिंह, नामिती निदेशक, भारत सरकार (02.08.2024 से नियुक्त)	सदस्य
4.	श्री अजय तिवारी, नामिती निदेशक, भारत सरकार (31.05.2024 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, एनटीपीसी नामिती निदेशक (31.07.2024 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य
6.	श्री एस.एन. त्रिपाठी, एनटीपीसी नामिती निदेशक (02.08.2024 से 30.09.2024तक)	सदस्य
7.	श्री के.एस. सुंदरम, एनटीपीसी नामिती निदेशक (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 8 नवंबर, 2024 तक क्रियाशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक का होना अनिवार्य है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

12.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क. वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल/प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना।

ख. किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को वेतन, भत्ते, भत्ते और निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति से संबंधित सभी मामलों की सिफारिश करना।

ग. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।

घ. एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति यह कर सकती है:

(क) यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना;

(ख) विविधता का उचित सम्मान करते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना; और

(ग) उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धता पर विचार करना।

ङ. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

च. स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाए या जारी रखी जाए।

छ. निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

12.3 बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक हुई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 08.11.2024	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
श्रीमती सजल झा	✓	1	1	100%
डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	✓	1	1	100%
श्री के.एस. सुंदरम	✓	1	1	100%
श्री पीयूष सिंह	–	1	0	0
श्री अजय तिवारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एस.एन. त्रिपाठी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

13 हितधारक संबंध समिति

इस समिति का गठन एलओडीआर–2015 और कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किया गया है। यह कंपनी के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विचार करती है और उनका समाधान करती है, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। समिति शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन और सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए उपायों और पहलों की भी समीक्षा करती है।

13.1 हितधारक संबंध समिति की संरचना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	अध्यक्ष
2.	श्री वीरेंद्र मलिक, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (02.08.2024 से नियुक्त)	सदस्य
3.	श्री शैलेन्द्र सिंह, निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
4.	श्री सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त) (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (31.07.2024 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य

हितधारक संबंध समिति 8 नवंबर, 2024 तक क्रियाशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना आवश्यक है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

कंपनी सचिव हितधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

13.2 हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय

हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क. सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों/डिबेंचर के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट की गैर–प्राप्ति, घोषित लाभांश/ब्याज की गैर–प्राप्ति, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं।

ख. शेयरधारकों/डिबेंचर धारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

ग. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

घ. कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

ङ. कंपनी के डिबेंचर धारकों को ब्याज का समय पर भुगतान/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

च. कंपनी के बांड/डिबेंचर का समय पर मोचन सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा।

छ. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

13.3 बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई। समिति की उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 27.03.2025	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
श्री वीरेन्द्र मलिक	✓	1	1	100:
श्री शैलेन्द्र सिंह	✓	1	1	100:
श्री सिपन कुमार गर्ग	✓	1	1	100:
श्रीमती सजल झा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

13.4 अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के संदर्भ में सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

13.5 केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली–स्कोर्स

कंपनी में सेबी की केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स का उपयोग किया जाता है। स्कोर्स के माध्यम से, बॉन्डधारक कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायत, समाधान हेतु दर्ज कर सकते हैं। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। सेबी शिकायतों के पर्याप्त रूप से निवारण पर संतुष्ट होने पर शिकायतों का निपटान करता है।

13.6 निवेशक शिकायतें

निवेशक की शिकायतों के समाधान के लिए, हमारी कंपनी ने सेबी की वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) में स्वयं को पंजीकृत किया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी को निवेशकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

13.7 ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल पर टीएचडीसीआईएल का पंजीकरण

सेबी ने अपने परिपत्र के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में ऑनलाइन सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान की सुविधा के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल की शुरुआत की।

सेबी के निर्देशों के अनुपालन में, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को सेबी स्कोर्स पोर्टल से प्राप्त अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ओडीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने निर्धारित समय–सीमा के भीतर ओडीआर पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया। पोर्टल ने सेबी स्कोर्स प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टिविटी भी स्थापित की।

14. जोखिम प्रबंधन समिति

एलओडीआर–2015 के विनियम 21 के अनुसार, जोखिम प्रबंधन के तहत साइबर सुरक्षा सहित जोखिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने, फ्रेमवर्क, बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करने; बोर्ड को मूल्यांकित जोखिम और जोखिम शमन हेतु आवश्यक कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

14.1 जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल	अध्यक्ष
2.	श्री सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त) (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य
3.	श्री के.एस. सुंदरम, एनटीपीसी नामित निदेशक (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य
4.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	सदस्य
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (31.07.2024 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य
6.	श्री एस.एन. त्रिपाठी, एनटीपीसी नामिती निदेशक (02.08.2024 से 30.09.2024 तक)	सदस्य

जोखिम प्रबंधन समिति 8 नवंबर, 2024 तक क्रियाशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना आवश्यक है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

कंपनी सचिव जोखिम प्रबंधन समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

14.2 बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठक आयोजित की गई। बैठक का ब्यौरा और समिति की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का%
	26.12.2024	27.03.2025			
श्री भूपेन्द्र गुप्ता	✓	✓	2	2	100%
श्री सिपन कुमार गर्ग	✓	✓	2	2	100%
श्री के.एस. सुंदरम	✓	✓	2	2	100%
श्रीमती सजल झा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एस.एन. त्रिपाठी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

14.3 जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:

i. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, प्रचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या कोई अन्य जोखिम शामिल है, जैसा कि समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।

(ग) व्यवसाय निरंतरता योजना।

ii. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं।

iii. जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना।

iv. जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर कम से कम दो वर्ष में एक बार समीक्षा करना, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

v. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना।

vi. मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें (यदि कोई हो) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

vii. किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण की समीक्षा करना।

viii. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

15. सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अपेक्षाओं और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करने के अलावा, सीएसआर नीति में निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के साथ बोर्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है। सीएसआर और सततता पर टीएचडीसीआईएल की नीति वेब लिंक **https://thdc.co.in/sites/default/files/Appointment_Independent_Directors.pdf** पर देखी जा सकती है।

15.1 सीएसआर समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1	श्री शैलेंद्र सिंह, निदेशक (कार्मिक)	अध्यक्ष
2	श्री एस. एन. त्रिपाठी, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (30.09.2024 से सदस्य पद पर नहीं रहे)	सदस्य
3	श्री के एस सुंदरम, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य
4	डॉ जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	सदस्य

सीएसआर समिति 8 नवंबर, 2024 तक क्रियाशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना आवश्यक है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

15.2 बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सीएसआर समिति की दो (2) बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का%
	06.08.2024	06.09.2025			
श्री शैलेंद्र सिंह	✓	✓	2	2	100%
डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	✓	✓	2	2	100%
श्री एस. एन. त्रिपाठी	✓	✓	2	2	100%
श्री के. एस. सुंदरम्	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

15.3 सीएसआर समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर और सततता कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।

ख. आवधिक सीएसआर प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।

ग. सीएसआर गतिविधियों की मानीटरिंग करना।

घ. सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।

ङ. अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

16. वरिष्ठ प्रबंधन का ब्यौरा

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

16.1 टीएचडीसीआईएल में एजीएम और उनसे ऊपर के अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	विभाग	संभाग
1	वीर सिंह	कार्यपालक निदेशक	व्यापार विकास	ऋषिकेश
2	संदीप सिंघल	कार्यपालक निदेशक	डी एंड ई–सिविल	ऋषिकेश
3	लक्ष्मी प्रसाद जोशी	कार्यपालक निदेशक	ईडी कार्यालय	टिहरी
4	कुमार शरद	कार्यपालक निदेशक	परियोजना	खुर्जा
5	राजा राम सेमवाल	मुख्य महाप्रबंधक	डी एंड ई–इलेक्ट	ऋषिकेश
6	मनोज कुमार सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	मैकेनिकल	टिहरी
7	शूरवीर सिंह पंवार	मुख्य महाप्रबंधक	आईटी	ऋषिकेश
8	अनिल कुमार घिल्डियाल	मुख्य महाप्रबंधक	एमपीएस और सीपी	ऋषिकेश
9	अनूप राज गैरोला	मुख्य महाप्रबंधक	पीएसपी	टिहरी
10	अजय वर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	सिविल	पीपलकोटी
11	नीरज वर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	प्रशासन	एनसीआर गाजियाबाद
12	वीरेन्द्र सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	परियोजना	अरुणाचल प्रदेश
13	अजय कुमार गोयल	मुख्य महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	परियोजना	जयपुर
14	अमरदीप	महाप्रबंधक	सामाजिक एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ	ऋषिकेश
15	संदीप कुमार	महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	संपर्क	देहरादून
16	बिनोद कुमार साहू	महाप्रबंधक	इलेक्ट्रिक	खुर्जा
17	भगवती प्रसाद रयाल	महाप्रबंधक	परियोजना	ढुकवां
18	मयंक कुमार जैन	महाप्रबंधक	परियोजना	हरिका पवन फार्म
19	उपेंद्र दत्त डंगवाल	महाप्रबंधक	डी एंड ई–सिविल	ऋषिकेश

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	विभाग	संभाग
20	डी मणि	महाप्रबंधक	परियोजना	मुंबई
21	छेत्र पाल सिंह	महाप्रबंधक	लोअर डेम्वे	अरुणाचल प्रदेश
22	डॉ. अमरनाथ त्रिपाठी	महाप्रबंधक	मानव संसाधन	ऋषिकेश
23	नटराजन कृष्णा	महाप्रबंधक	डी एंड ई–सिविल	ऋषिकेश
24	सतीश कुमार आर्य	महाप्रबंधक / उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	सतर्कता	ऋषिकेश
25	राकेश चन्द बहुगुणा	महाप्रबंधक	विधि एवं मध्यस्थता प्रकोष्ठ	ऋषिकेश
26	अनिरुद्ध बिश्नोई	महाप्रबंधक	परियोजना	एनसीआर गाजियाबाद
27	जितेंद्र सिंह बिष्ट	महाप्रबंधक	मैकेनिकल	पीपलकोटी
28	मनोज सरदाना	महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	परियोजना	टुस्को लखनऊ
29	मनोज कुमार राय	महाप्रबंधक	प्रापण	ऋषिकेश
30	ए.वी. नारायणन	महाप्रबंधक	संविदा	एनसीआर गाजियाबाद
31	राजीव मोहन दुबे	महाप्रबंधक	परियोजना	खुर्जा
32	संजय अग्रवाल	महाप्रबंधक	पुनर्वास	देहरादून
33	विजय सहगल	महाप्रबंधक	विधि / पुनर्वास समन्वय	टिहरी
34	संदीप भटनागर	महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	खुर्जा
35	राजीव गोविल	महाप्रबंधक	परियोजना	अमेलिया–कोयला
36	अजय कुमार गर्ग	महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	ऋषिकेश
37	नीरज कुमार अग्रवाल	महाप्रबंधक	डी एंड ई–सिविल	ऋषिकेश
38	संजीव कुमार चौहान	महाप्रबंधक	अनुसंधान एवं विकास	ऋषिकेश
39	कुंवर पाल सिंह	महाप्रबंधक	टीबीएम	पीपलकोटी
40	सुधीर गिरि गोस्वामी	अपर महाप्रबंधक	योजना	ऋषिकेश
41	मुकेश कुमार अग्रवाल	अपर महाप्रबंधक	सीएमडी सेक्रेटरी	ऋषिकेश
42	बिनय गुप्ता	अपर महाप्रबंधक	आईटी	ऋषिकेश
43	अनंत स्वरूप वर्मा	अपर महाप्रबंधक	मुख्य अभिलेख कार्यालय	ऋषिकेश
44	हरि नंद उनियाल	अपर महाप्रबंधक	आईटी	एनसीआर गाजियाबाद
45	अनूप कुमार श्रीवास्तव	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	पीपलकोटी
46	मृदुल दुबे	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	टिहरी
47	सुशांत कुमार साहू	अपर महाप्रबंधक	पीएसपी (ईएम और एचएम)	टिहरी
48	नंद किशोर भट्ट	अपर महाप्रबंधक	मैकेनिकल	खुर्जा
49	अजय कुमार कंसल	अपर महाप्रबंधक	सेवाएं	ऋषिकेश
50	शिव राज चौहान	अपर महाप्रबंधक	खरीद	ऋषिकेश
51	हिमांशु चक्रवर्ती	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	ऋषिकेश
52	राम बाबू सिंह	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा (बजट और लेखा परीक्षा)	ऋषिकेश
53	सुनील कुमार मोहंती	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा (बजट और लेखा परीक्षा)	ऋषिकेश
54	जी. राधा कृष्णन	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	एनसीआर गाजियाबाद
55	बलबीर सिंह पुंडीर	अपर महाप्रबंधक	योजना (सुरक्षा)	पीपलकोटी
56	राजेंद्र प्रसाद मिश्रा	अपर महाप्रबंधक	बाँध	पीपलकोटी
57	शंभू प्रसाद डोभाल	अपर महाप्रबंधक	पावर हाउस	पीपलकोटी

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	विभाग	संभाग
58	संजय मेहर	अपर महाप्रबंधक	भवन एवं सड़क अनुरक्षण	टिहरी
59	शैलेश ध्यानी	अपर महाप्रबंधक	मैकेनिकल	खुर्जा
60	अंबिका प्रसाद व्यास	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	दुस्को लखनऊ
61	संदीप चेकर	अपर महाप्रबंधक	योजना	ऋषिकेश
62	संजीव कुमार मित्तल	अपर महाप्रबंधक	नई परियोजनाएं	एनसीआर गाजियाबाद
63	दीपक कुमार	अपर महाप्रबंधक	गुणवत्ता नियंत्रण	टिहरी
64	संजय ममगाईं	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	रायचूर (कर्नाटक)
65	राज कुमार वर्मा	अपर महाप्रबंधक	व्यावसायिक	ऋषिकेश
66	मुकेश वर्मा	अपर महाप्रबंधक	एचआर (भर्ती)	ऋषिकेश
67	अतुल कुमार सिंह	अपर महाप्रबंधक	ओएमएस (सिविल)	ऋषिकेश
68	पीयूष चन्द रतूड़ी	अपर महाप्रबंधक	योजना	ऋषिकेश
69	कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	अपर महाप्रबंधक	व्यापार विकास	एनसीआर गाजियाबाद
70	चंदन सिंह राणा	अपर महाप्रबंधक	पीएसपी	टिहरी
71	मुकुल कुमार शर्मा	अपर महाप्रबंधक	सिविल	खुर्जा
72	अनिल कुमार बडोनी	अपर महाप्रबंधक	भूवैज्ञानिक भू–तकनीकी विंग	ऋषिकेश
73	मोहम्मद शोयब	अपर महाप्रबंधक	ओएमएस (ईएम,एचएम और सुरक्षा)	ऋषिकेश
74	एस. जे. जया कुमार	अपर महाप्रबंधक	डिज़ाइन	ऋषिकेश
75	मुकेश कुमार वर्मा	अपर महाप्रबंधक	लागत अभियांत्रिकी	ऋषिकेश
76	करण मोहन सिंह रावत	अपर महाप्रबंधक	लागत अभियांत्रिकी	ऋषिकेश
77	अरुण कुमार	अपर महाप्रबंधक	इलेक्ट्रो–मैकेनिकल	पीपलकोटी
78	भगत सिंह	अपर महाप्रबंधक	पीएसपी	टिहरी
79	दुर्गा प्रसाद पात्रो	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन	टिहरी
80	रविंद्र सिंह राणा	अपर महाप्रबंधक	ओ एंड एम	टिहरी
81	अनिल त्यागी	अपर महाप्रबंधक	सिविल	खुर्जा
82	उदय भान सिंह	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	दुस्को एसपीपी, झांसी
83	मुकुल गर्ग	अपर महाप्रबंधक	निदेशक (तकनीकी) सचिवालय	ऋषिकेश
84	चट्टी प्रदीप राज	अपर महाप्रबंधक	डी एंड ई–इलेक्ट्रिक	ऋषिकेश
85	संजय कुमार	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	ऋषिकेश
86	आनंद प्रकाश बाजपेयी	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	ऋषिकेश
87	मनोज कुमार ग्रोवर	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	टिहरी
88	दिनेश शुक्ला	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	अरुणाचल प्रदेश
89	हर्ष कुमार	अपर महाप्रबंधक	सामाजिक एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ	ऋषिकेश
90	प्रेम सिंह रावत	अपर महाप्रबंधक	बाँध	पीपलकोटी
91	पी. सुधाकर	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	बेंगलुरु (कर्नाटक)
92	दिनेश सिंह चौहान	अपर महाप्रबंधक	ओ एंड एम	कोटेश्वर
93	ईश्वरदत्त तिग्गा	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन	खुर्जा
94	हरियंत कुमार त्यागी	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	परियोजना	जयपुर
95	डॉ. (श्रीमती) नवनीत किरण	सीएमओ	अस्पताल/औषधालय	एनसीआर गाजियाबाद
96	डॉ. (श्रीमती) नमिता डिमरी	सीएमओ	अस्पताल/औषधालय	टिहरी
97	डॉ.रविशंकर कुमार श्रीवास्तव	सीएमओ	अस्पताल/औषधालय	टिहरी

17. आम निकाय की बैठकें

17.1 वार्षिक आम सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों की तरीख, समय और स्थान के साथ–साथ इनमें पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वार्षिक आम बैठक	27 सितम्बर, 2024 को आयोजित 36वीं वार्षिक आम बैठक	25 सितम्बर, 2023 को आयोजित 35वीं वार्षिक आम बैठक	20 सितम्बर, 2022 को आयोजित 34वीं वार्षिक आम बैठक
समय	अपराह्न 05:30 बजे	अपराह्न 02:40 बजे	अपराह्न 03:50 बजे
स्थान	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110001	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110001	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110001
विशेष कार्य	• श्री पीयूष सिंह (डीआईएन:: 07492389) को कंपनी का अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक) नियुक्त करने के लिए। • श्री एस.एन. त्रिपाठी (डीआईएन: 10428360) को एनटीपीसी लिमिटेड का नामिती निदेशक नियुक्त करने के लिए। • श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएन: 10427762) को एनटीपीसी लिमिटेड का नामिती निदेशक नियुक्त करने के लिए। • श्री सिपन कुमार गर्ग (डीआईएन: 10746205) को कंपनी में निदेशक (वित्त) नियुक्त करने के लिए। • वित्त वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • उपयुक्त किश्तों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 2500 करोड़ रुपये तक के कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गम के अनुमोदित करने के लिए। • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत संदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षिती और प्रतिभूति प्रीमियम से अधिक बोर्ड की उधार लेने की शक्तियों को अनुमोदित करने के लिए।	• श्री शैलेंद्र सिंह को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्री भूपेन्द्र गुप्ता को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) नियुक्त करने के लिए। • वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • निजी प्लेसमेंट आधार पर रु3000 करोड़ तक के कॉर्पोरेट बांड निर्गम को अनुमोदित करने के लिए। • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक बोर्ड की उधार लेने की शक्ति को अनुमोदित करने के लिए।	• डॉ. जयप्रकाश नाइक बी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्रीमती सजल झा को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए। • श्री अनिल गर्ग को कंपनी के अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • कंपनी में श्री जयकुमार श्रीनिवासन को एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • उपयुक्त किश्तों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर रु 3000 करोड़ तक के कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निर्गम को अनुमोदित करने के लिए।

17.2 पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

विगत वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था। पोस्टल बैलेट के माध्यम से किसी विशेष संकल्प को पारित करने के लिए कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं था।

18. प्रकटीकरण

18.1 सहायक कंपनियां

क. टुस्को लिमिटेड

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट यूएमआरईपीपी आवंटित किए हैं। टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की संयुक्त उद्यम कंपनी टुस्को लिमिटेड को झांसी (600 मेगावाट), ललितपुर (600 मेगावाट) और चित्रकूट (800 मेगावाट) में तीन सौर विद्युत पार्कों को कार्यान्वित करने के लिए 12.09.2020 को पंजीकृत किया गया था। टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच इक्विटी भागीदारी क्रमश: 74:26 है।

(1) झांसी में 600 मेगावाट सौर विद्युत पार्क:

झांसी सौर पार्क की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19 नवंबर 2021 को रखी गई थी। झांसी सौर परियोजना के लिए कुल 2700 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 2694 एकड़ (99.8%) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली/खरीदी जा चुकी है। झांसी सौर पार्क की लागत 331.71 करोड़ रुपये है। सौर पार्क के भीतर अवसंरचना कार्य, सिविल अवसंरचना कार्य और आंतरिक विद्युत निकासी कार्य, दोनों प्रगति पर हैं।

यूपीपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बाह्य विद्युत निकासी कार्य (ग्रिड सबस्टेशन) भी प्रगति पर हैं। मेसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को झांसी सौर परियोजना के लिए सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में चुना गया है। झांसी सौर पार्क का विकास मार्च 2026 तक पूरा होने का अनुमान है।

(2) ललितपुर में 600 मेगावाट सौर विद्युत पार्क:

ललितपुर सौर पार्क की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 04 मार्च 2024 को रखी गई थी। 600 मेगावाट ललितपुर सौर परियोजना के लिए कुल 2700 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 2379.10 एकड़ (88%) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली/खरीदी गई है। ललितपुर सौर पार्क की लागत 347.79 करोड़ रुपये है। सौर पार्क के भीतर अवसंरचना कार्य, सिविल अवसंरचना कार्य और आंतरिक विद्युत निकासी कार्य दोनों प्रगति पर हैं। यूपीपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बाह्य विद्युत निकासी कार्य (ग्रिड सबस्टेशन) भी प्रगति पर हैं। एनटीपीसी–आरईएल (एनजीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को ललितपुर सौर ऊर्जा परियोजना के सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में चुना गया है। ललितपुर सौर पार्क का विकास मार्च 2026 तक पूरा होने का अनुमान है।

(3) चित्रकूट में 800 मेगावाट सौर विद्युत पार्क:

चित्रकूट सौर पार्क की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 दिसंबर 2023 को रखी गई थी। 800 मेगावाट चित्रकूट सौर परियोजना के लिए कुल 3600 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 3284.24 एकड़ (91.22%) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली/खरीदी जा चुकी है। चित्रकूट सौर पार्क की लागत 485.26 करोड़ रुपये है। सौर पार्क के भीतर सिविल अवसंरचना कार्य प्रगति पर हैं और आंतरिक विद्युत निकासी कार्य प्रदान किए जा रहे हैं। बाह्य विद्युत निकासी कार्य (ग्रिड सबस्टेशन) यूपीपीटीसीएल द्वारा निविदा प्रक्रिया के अधीन हैं। एनटीपीसी–आरईएल (एनजीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को चित्रकूट सौर ऊर्जा परियोजना के सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में चुना गया है। चित्रकूट सौर पार्क का विकास मार्च 2026 तक पूरा होने का अनुमान है।

ख. ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी है, जिसे राजस्थान में (यूएमआरईपी) योजना के तहत 10,000 मेगावाट का सौर पार्क विकसित करने के उद्देश्य से टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल के बीच दिनांक 25.03.2023 को निगमित किया गया है। टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीआईएल के बीच इक्विटी भागीदारी क्रमश: 74:26 है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु.50 करोड़ (पचास करोड़) है और संयुक्त उद्यम कंपनी की संदत्त पूंजी रु.15 करोड़ (पंद्रह करोड़) है। ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ने बोडाना में 2000 मेगावाट के सौर पार्क के लिए भूमि चिन्हित की थी, जिसे शुरू में आरआरईसीएल और एमएनआरई ने मंजूरी दे दी थी। हालाँकि, बाद में बिना किसी पूर्व सूचना के भूमि आवंटन और एमएनआरई की मंजूरी वापस ले ली गई और आरआरईसीएल की सहायक कंपनी आरएसडीसीएल के पक्ष में पुन: जारी कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप डीपीआर गतिविधियाँ, सलाहकार नियुक्ति और आरईसी से रु.355.86 करोड़ का ऋण रद्द कर दिया गया।

इसके उपरांत, आरआरईसीएल द्वारा सरकारी भूमि पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दिए जाने के बाद, ट्रेडको ने 5000 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण की योजना रद्द कर दी। 2025 की शुरुआत में, ट्रेडको ने दो नए सरकारी भूखंडों बोडाना (870 मेगावाट) में 1735 हेक्टेयर और रणजीतपुरा बरानी (1510 मेगावाट) में 3020 हेक्टेयर का प्रस्ताव रखा, जो वर्तमान में आरआरईसीएल के विचाराधीन हैं। परियोजना की प्रगति भूमि आवंटन पर निर्भर है।

ग. टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे उत्तराखंड राज्य में अभिचिन्हित स्थलों पर हाइड्रो पावर परियोजनाओं की संकल्पना, संरचना, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण के लिए 1 दिसंबर 2023 को निगमित किया गया था।

संयुक्त उद्यम कंपनी की शेयरधारिता क्रमश: 74:26 के अनुपात में टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के पास है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु50 करोड़ (पचास करोड़) है और जेवीसी की संदत्त पूंजी रु10 करोड़ (दस करोड़) है। उत्तरकाशी में टॉंस नदी पर मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (लगभग 54 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं के अंतर्गत अनुपालन आवश्यकताओं के कारण, यह एकल परियोजना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक पाई गई। इसे देखते हुए, उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह दो जलविद्युत परियोजनाओं, अर्थात् मोरी–हनोल जलविद्युत परियोजना और हनोल–तुइनी जलविद्युत परियोजना (वर्तमान में यूजेवीएनएल को आवंटित) को एक ही परियोजना, अर्थात् मोरी–तुइनी जलविद्युत परियोजना में एकीकृत करने पर विचार करे ताकि आर्थिक व्यवहार्यता में वृद्धि हो सके। उत्तराखंड सरकार की सहमति से, मोरी–तुइनी जलविद्युत परियोजना (102 मेगावाट) के लिए 7.26 रुपये प्रति किलोवाट घंटा के स्तरीकृत टैरिफ पर एक व्यवहार्य रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार से आगे के निर्देशों के लिए प्रस्तुत की गई है।

18.2 सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शेयरधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

18.3 सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन, जो कंपनी के

व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, की जानकारी देने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। नीति में निर्दिष्ट रीति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी में उच्च नैतिक,उचित एंव विधिक व्यवसाय आचरण के संभव मानको के लिए सुविधा प्रदान करना ।

- कंपनी परिभाषित और स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति (सतर्क तंत्र) है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicyNew.pdf पर उपलब्ध है। इस नीति के उपबंध, कंपनी अधिनियम की धारा 177(9) और (सेबी) –2015 के विनियम 22 के उपबंधों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

18.4 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) का अनुपालन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने और उनका समाधान करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया है।

पीओएसएच अधिनियम के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल ने अपनी सभी इकाइयों और कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इन समितियों का प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्गठन किया जाता है। इन आंतरिक शिकायत समितियों को अत्यंत गोपनीयता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ शिकायतें प्राप्त करने, उनकी जाँच करने और उनका समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामलों की स्थिति की समीक्षा करने और निवारक तंत्र को सक्रिय रूप से मजबूत करने के लिए समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत बनाते हुए, टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल, शी–बॉक्स (लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली महिला कर्मचारियों को पीओएसएच अधिनियम के अनुसार शिकायत दर्ज कराने और निवारण हेतु एकल–खिड़की पहुँच प्रदान करती है।

टीएचडीसीआईएल जागरूकता और संवेदनशीलता पर विशेष बल देता है। सम्मान और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर नियमित पीओएसएच प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों में निरंतर जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाइयों में पीओएसएच से संबंधित जानकारी वाले डिस्प्ले बोर्ड सामरिक स्थानों पर लगाए गए हैं।

कार्यस्थल पर गरिमा, समानता और सम्मान के सिद्धांतों को कायम रखते हुए, टीएचडीसीआईएल लैंगिक उत्पीड़न के प्रति अपनी शून्य–सहिष्णुता की नीति दोहराता है और सभी के लिए एक सुरक्षित और समावेशी परिवेश का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

18.5 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश:

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर जारी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। विगत 3 वित्तीय वर्षों और इस वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

18.6 लेखांकन व्यवहार

प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया जा रहा है।

18.7 संबंधित पक्षकार के साथ लेन–देन:

कंपनी ने संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है जिसमें संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के महत्व निर्धारित करने और संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन करने के मानदंड शामिल हैं। आरपीटी नीति वेब लिंक: https://thdc.co.in/sites/default/files/2025-06/THDC_RPT_Policy.pdf पर उपलब्ध है। संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में एओसी–2 के रूप में दिया गया है।

18.8 मूर्त अनुषंगी

कंपनी की एलओडीआर–2015 के विनियम 16(1)(ग) के तहत यथापरिभाषित कोई 'मूर्त अनुषंगी' नहीं थी।

18.9 जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। अपर महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में नामित किया गया है, जिन्हें जोखिम प्रबंधन नियमावली की समीक्षा और अद्यतनीकरण, जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने, जोखिम प्रबंधन ढाँचे के प्रभावी

कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और अभिशासन एवं निगरानी में सहायता के लिए समय–समय पर जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। टीएचडीसीआईएल की जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन नीति की नियमित समीक्षा और प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

19. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसीआईएल ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

20. संचार के माध्यम

कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों और संचार के अधिकारों को समग्र कॉर्पोरेट सुशासन ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार करती है और इसलिए शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर देती है। कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक और अपनी वेबसाइट पर और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रकटीकरण के जरिए संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। कंपनी के संबंध में निवेशक से संबंधित जानकारी, घोषणाएं और नवीनतम अपडेट कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर देखे जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय–समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण
- वित्तीय परिणाम
- बांडधारक जानकारी
- तिमाही कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट

कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों के सार स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाते हैं और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी समय–समय पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट विकास पर प्रेस विज्ञप्तियां और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां भी देती है और इसे इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2024–25 के दौरान, तिमाही परिणामों को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है:

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र
I	8 अगस्त 2024	दि इंडियन एक्सप्रेस
II	10 नवंबर 2024	दि इंडियन एक्सप्रेस
III	9 फरवरी 2025	दि इंडियन एक्सप्रेस
IV	21 मई 2025	दि इंडियन एक्सप्रेस

21. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

हमारी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते कंपनी अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

22. कॉर्पोरेट आचार नीति

हमारी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कॉर्पोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कॉर्पोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों को अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानकों का पालन करने के लिए मार्गनिर्देश प्रदान करना है।

23. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के उच्चतम नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों को संचालित करने में पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट **https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct%26Ethics.pdf** पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

24. कॉर्पोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

25. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

जैसा कि एलओडीआर–2015 के विनियम 17(8) के तहत अपेक्षित है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

26. निवेशकों के लिए सूचना

26.1 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

कंपनी के कॉर्पोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है:

बीएसई लिमिटेड	एनएसई लिमिटेड	
पता: फिरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	पता: एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051	
क्रेडिट रेटिंग		
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–I	INE812V07013	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–II	INE812V07021	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) आईसीआरए: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–III	INE812V07039	आईसीआरए: एए (स्टेबल) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–IV	INE812V07047	आईसीआरए: एए (स्टेबल) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–V	INE812V07054	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–VI	INE812V07062	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–VII	INE812V08011	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला– VIII अप्रतिभूति	INE812V08029	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–IX अप्रतिभूति	INE812V08037	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–X अप्रतिभूति	INE812V08045	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–XI अप्रतिभूति	INE812V08052	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–XII अप्रतिभूति	INE812V08060	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)

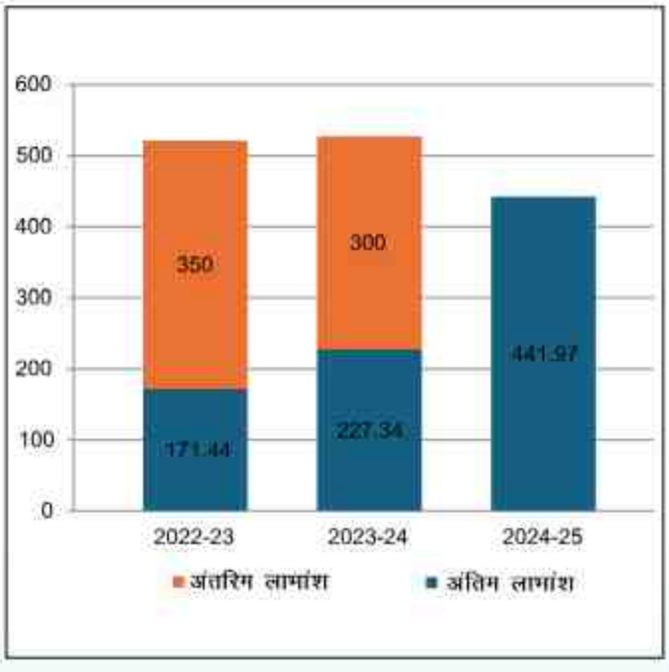
वित्त वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड को नियत तारीख से पहले कर दिया गया है।

2. रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट 31–32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032,
तेलंगानाए फोन: +91–40–67162222
ईमेल: gopalkrishna.kvs@karvy.com
वेबसाइट: https://www.kfintech.com

3. डिबेंचर ट्रस्टी
विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
कैपिटल बिल्डिंग, यूनिट संख्या 505–ए2,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), महाराष्ट्र–400051
फोन: +91 022–69300045
फैक्स: +91 022–69300045
ईमेल: itclcomplianceofficer@vistra.com
वेबसाइट: https://www.vistraitcl.com

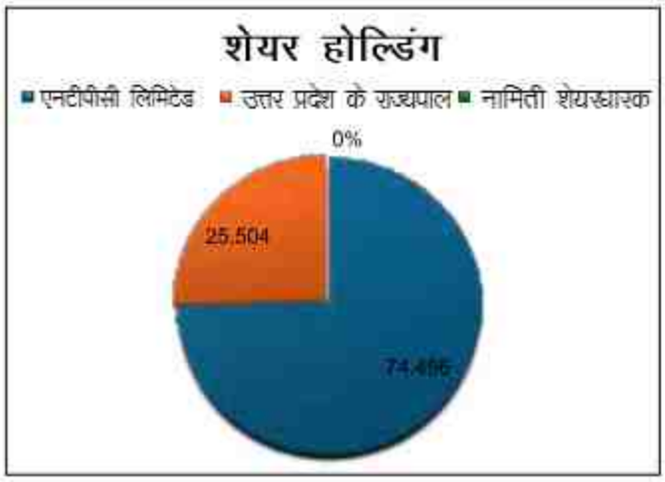
27. लाभांश का भुगतान

लाभांश का वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (रु करोड़ में)	वार्षिक आम बैठक की तारीख, जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2022–23	350.00	अंतरिम लाभांश 11 फरवरी 2023
2022–23	171.44	अंतिम लाभांश 25 सितम्बर 2023
2023–24	300.00	अंतरिम लाभांश 31 मार्च 2024
2023–24	227.34	अंतिम लाभांश 27 सितम्बर 2024
2024–25	441.97	अंतरिम लाभांश 27 सितम्बर 2025



28. शेयरधारिता पैटर्न:

क्र.सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का %
1	एनटीपीसी लिमिटेड	27309406	74.496
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.504
3	अन्य नामिती शेयरधारक	10	–
	कुल	**36658817**	**100**



29. निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या:

क्र.सं.	निदेशक (31.03.2025 तक)	शेयरों की संख्या
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	शून्य
2.	श्री शैलेंद्र सिंह	शून्य
3.	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	शून्य
4.	श्री सिपन कुमार गर्ग	शून्य
5.	श्री पीयूष सिंह	शून्य
6.	श्री अनिल गर्ग	02
7.	श्री वीरेंद्र मलिक	शून्य
8.	श्री के. एस. सुंदरम्	शून्य

30. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों की अवस्थिति

प्रचालन परियोजनाएं:

i. टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट), जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
ii. कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
iii. दुकवां एसएचपी (24 मेगावाट), जिला: झांसी, उत्तर प्रदेश
iv. पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट), जिला: पाटन, गुजरात
v. द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट), जिला: देवभूमि द्वारका, गुजरात
vi. कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट), जिला: कासरगोड, केरल
vii. अमेलिया कोयला खदान (पीआरसी: 5.6 एमटीपीए), जिला: सिंगरौली, मध्य प्रदेश
viii. खुर्जा एसटीपीपी (यूनिट–1) (660 मेगावाट), जिला: बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश
ix. टिहरी पीएसपी (यूनिट –1 और यूनिट –2) (500 मेगावाट), जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

निर्माणाधीन परियोजनाएँ

i. टिहरी पीएसपी (750 मेगावाट), जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
ii. खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (यूनिट–II (660 मेगावाट), जिला: बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
iii. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (444 मेगावाट), जिला: चमोली, उत्तराखंड

31. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201, उत्तराखंड
पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं:

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	
नाम	**सुश्री रश्मि शर्मा** कंपनी सचिव गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाय–पास रोड ऋषिकेश 249201, उत्तराखंड
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2473403 और 2439309
ई–मेल	**rashmi@thdc.co.in**
लोक शिकायतों के लिए	
नाम	**श्री एल.पी. जोशी,** कार्यपालक निदेशक (टिहरी कॉम्पलेक्स) लोक शिकायत पोर्टल/सीपीग्राम्स पर प्राप्त अपीलों के निपटान हेतु उप–अपीलीय प्राधिकारी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)
	श्री नीरज वर्मा, कार्यपालक निदेशक (एनसीआर) निदेशक, लोक शिकायत, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नंबर 20, सेक्टर–14, कौशांबी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)–201010
संपर्क	9411109427 / 0120–2776438 / 9411188111
ई–मेल	**lpjoshi@thdc.co.in** **neerajverma@thdc.co.in**

निदेशकों का कौशल/क्षमता मैट्रिक्सः अनुलग्नक–I

क्रमांक	निदेशक के नाम	पद	तकनीकी	ऊर्जा विद्युत क्षेत्र	वित्तीय लेखांकन	अर्थशास्त्र	मानव संसाधन प्रबंधन	विनियामक ढांचा और विधि	प्रबंधन	पर्यावरण	शैक्षणिक	अनुसंधान और विकास
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓					✓			
2.	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)		✓			✓		✓			
3.	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	✓	✓					✓			
4.	श्री सिपन कुमार गर्ग	निदेशक (वित्त)		✓	✓				✓			
5.	श्री पीयूष सिंह	भारत सरकार के नामिती निदेशक	✓	✓					✓			
6.	श्री अनिल गर्ग	नामिति निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	✓	✓					✓			
7.	श्री वीरेंद्र मलिक	एनटीपीसी नामिती निदेशक		✓	✓				✓			
8.	श्री के. एस. सुंदरम्	एनटीपीसी नामिती निदेशक	✓	✓					✓			

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणपत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

(क) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा के आधार पर और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर:

(1) इन कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं किया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं; तथा

(2) ये विवरण एक साथ कंपनी के व्यवसाय का एक सत्य और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं हुआ है, जो कंपनी आचार संहिता के संदर्भ में धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या उल्लंघनात्मक हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में हमारे संज्ञान में आई कमियों, यदि कोई हो, और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का प्रकटन किया है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया है:

i. 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष पर आंतरिक नियंत्रण में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसका प्रकटन किया गया है; तथा

iii. हमारे संज्ञान में आई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की उसमें संलग्नता, यदि कोई हो।

ह0/-
(सिपन कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 27.09.2025
स्थान: ऋषिकेश

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी–249001

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') सीआईएन–U45203UR1988GOI009822 एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की इक्विटी 74.496% की सीमा तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास और 25.504% की सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इसलिए, कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है।

मैंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मई, 2010 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है। कंपनी एक ऋण–सूचीबद्ध कंपनी है और इसलिए सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत लागू विनियमों के अध्यधीन है। उपरोक्त विनियमों के तहत अनुपालन या अन्यथा की स्थिति पहले ही अन्य पेशेवरों द्वारा रिपोर्ट की जा चुकी है, जांच केवल डीपीई दिशानिर्देशों तक ही सीमित है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।
2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने, निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यत: कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का पालन किया:

   क) दिशानिर्देश के पैरा 3.1 के तहत, कंपनी के बोर्ड में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यात्मक, नामिती और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक	30 जून,2024 की स्थिति के अनुसार	30 सितम्बर,2024 की स्थिति के अनुसार	31 दिसम्बर,2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च,2025 की स्थिति के अनुसार
1	कार्यात्मक निदेशक	3	4	4	4
2	नामिती निदेशक	3	4	4	4
3	स्वतंत्र निदेशक	2	2	0	0

कंपनी के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की शक्तियाँ भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के पास निहित हैं। कंपनी ने सरकार द्वारा नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

   ख) वित्त वर्ष के कुछ भाग के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और अन्य समितियों के कार्य और गठन, जहां स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है, दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

3. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

ह0/–

(पी.एस.आर. मूर्ति)
पीआर संख्या 1134/2021
यूडीआईएन A005880G001002139

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 13 अगस्त, 2025

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–।।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

समावेशी और जिम्मेदार विकास के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, टीएचडीसीआईएल ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा औपचारिक दिशानिर्देश जारी करने से बहुत पहले 2008 में अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) यात्रा शुरू की। शुरुआत में, कंपनी ने टिहरी परियोजना से प्रभावित गाँवों में स्वेटर वितरित करने और बर्तन, कुर्सियाँ और टेंट जैसी आवश्यक सामुदायिक वस्तुएँ उपलब्ध कराने जैसे परोपकारी कार्यों में भाग लिया। समय के साथ, ये प्रयास एक सुव्यवस्थित और सामरिक सीएसआर कार्यक्रम के रूप में विकसित हुए, जिसे अनुभव और बदलते राष्ट्रीय सीएसआर ढाँचे दोनों ने आकार दिया। टीएचडीसीआईएल ने धीरे–धीरे अपना ध्यान धर्मार्थ दान से हटाकर स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने वाली पहलों पर केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य समुदायों को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना था।

आज, कंपनी अपनी सीएसआर पहलों को एक समग्र विकास दृष्टिकोण पर आधारित एक सुपरिभाषित प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित करती है। अलग–अलग हस्तक्षेपों की पेशकश करने के बजाय, टीएचडीसीआईएल दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करता है जो हितधारकों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये पहल स्थायी और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और ग्रामीण आबादी के सामाजिक–आर्थिक उत्थान पर जोर देती हैं।

टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए सभी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रयास तीन प्रमुख आयामों– सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास –द्वारा निर्देशित होते हैं, जिससे सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों पर संतुलित और स्थायी प्रभाव सुनिश्चित होता है। अपनी कार्यनीतियों को निरंतर अनुकूलित करके और पिछले अनुभवों से प्रेरणा लेकर, टीएचडीसीआईएल सार्थक और स्थायी परिवर्तन लाने के अपने मिशन में अडिग है और जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिकता के सार को मूर्त रूप देता है।

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

टीएचडीसीआईएल, बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति द्वारा निर्देशित है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी संबंधित सीएसआर नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। वर्तमान सीएसआर नीति, निदेशक मंडल द्वारा 6 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी 232वीं बैठक के दौरान यथाअनुमोदित और 12 जून, 2023 से प्रभावी, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पारदर्शी संचार और सुव्यवस्थित सीएसआर पहलों के माध्यम से, कंपनी सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने और समाज के अल्प–सुविधा प्राप्त और वंचित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। टीएचडीसीआईएल आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सतत प्रथाओं के प्रति समर्पित है, जिससे सद्भावना को बढ़ावा मिलता है और इसकी सकारात्मक कॉर्पोरेट छवि मजबूत होती है।

i. संस्थागत तंत्र

अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों की सुव्यवस्थित निगरानी और निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने एक व्यापक द्वि–स्तरीय शासन व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था में एक बोर्ड–स्तरीय सीएसआर समिति और एक बोर्ड स्तर से नीचे की समिति शामिल है, जिनमें से प्रत्येक को सीएसआर गतिविधियों की प्रभावी योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने की विशिष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

(क) बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) की आवश्यकताओं के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक बोर्ड–स्तरीय सीएसआर समिति ("सीएसआर समिति") का गठन किया है। समिति में एनटीपीसी के नामित निदेशक और एक स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं, जबकि कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

सीएसआर समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के वैधानिक प्रावधानों और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्य करती है। यह सीएसआर उपक्रमों की प्रगति का आकलन करने, उभरते मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और समग्र सामरिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करती है। समिति का एक प्रमुख कार्य वार्षिक सीएसआर कार्य योजना तैयार करना और उसकी निगरानी करना है, जिसमें अनुमोदित परियोजनाओं की सूची, कार्यान्वयन के तरीके, बजटीय प्रावधान और प्रभाव मूल्यांकन ढाँचे का विवरण दिया गया हो। समिति आवश्यकतानुसार बैठकें करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएसआर प्रयास टीएचडीसीआईएल के समावेशी और सतत विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप रहें।

(ख) बोर्ड के नीचे के स्तर की समिति

बोर्ड के नीचे के स्तर की समिति (बीबीएलसी) कॉर्पोरेट कार्यालय में नियुक्त एक नोडल अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करती है, जो बोर्ड–स्तरीय सीएसआर समिति में एक स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी कार्य करता है। सीएसआर गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी को एक समर्पित समन्वय दल का सहयोग प्राप्त होता है। बीबीएलसी में कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक विभागों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ सीएसआर, सतत विकास और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। समिति को परियोजनाओं की पहचान और प्रस्ताव, बजट, कार्यान्वयन और निगरानी सहित सीएसआर पहलों के व्यापक प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। यह आवश्यकता आकलन भी करती है, चल रही परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करती है, और बोर्ड स्तर पर सीएसआर समिति द्वारा समीक्षा के लिए आवधिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक सारांश तैयार करती है।

ii. **योजना**

(क) संसाधन

टीएचडीसीआईएल कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर के लिए वित्तीय संसाधन आवंटित करता है, जिसके अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% व्यय अनिवार्य है। वार्षिक सीएसआर बजट और योजना, सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की जाती है और तत्पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती है।

(ख) सीएसआर कार्यक्रम का चयन

टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। ये पहल "टीएचडीसी सहृदय" के बैनर तले कार्यान्वित की जाती हैं – जो एक करुणामय कॉर्पोरेट इकाई का प्रतीक है।

कंपनी सीएसआर के लिए एक सुव्यवस्थित, परियोजना–आधारित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें प्रत्येक पहल की योजना और क्रियान्वयन एक निश्चित समय–सीमा के भीतर किया जाता है, जो आमतौर पर एक से तीन वर्ष तक होती है। विस्तृत बजट, योजना और परिणाम निगरानी इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। टीएचडीसीआईएल सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अन्य सीपीएसई या कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक सीएसआर प्रयासों को भी प्रोत्साहित करता है, और ऐसी साझेदारियों को लागू सीएसआर नियमों के अनुपालन में अलग से प्रलेखित और संसूचित किया जाता है।

सीएसआर कार्यक्रम कंपनी के व्यापक नीतिगत ढाँचे के साथ घनिष्ठ रूप से एकीकृत हैं तथा कुशल निष्पादन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं। सीएसआर गतिविधियों की योजना और चयन निरंतर हितधारक जुड़ाव से प्रेरित होते हैं और सीएसआर समिति द्वारा सामरिक रूप से निर्देशित होते हैं।

टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रमों के फोकस क्षेत्रों को उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट विकासात्मक उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

- **टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य**– पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेय जल परियोजनाएं
- **टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहलें)**–शिक्षा पहलें
- **टीएचडीसी दक्ष (कौशल)** – जीविका सृजन एवं कौशल विकास पहलें
- **टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)**– ग्रामीण विकास
- **टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण)**– सशक्तीकरण करने वाली पहलें
- **टीएचडीसी सक्षम (सक्षम)**– वृद्ध एवं विकलांगों की देखभाल
- **टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)**– पर्यावरण संरक्षण पहलें
- **टीएचडीसी विरासत (संस्कृति)** – कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन पहलें
- **टीएचडीसी क्रीड़ा (खेल–कूद)** – खेल–कूद संवर्धन पहलें

(ग) स्थान एवं लाभार्थियों का चयन

स्थानीय क्षेत्र को सीएसआर परियोजना कार्यक्रमों के लिए वरीयता दी जाती है। सीएसआर नीति, में स्थानीय क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

क्रम सं.	श्रेणी	स्थानीय क्षेत्र
क.	प्रतिष्ठान और कार्यालय	10 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ख.	हाइड्रो परियोजनाएं	परियोजना के अवयवों से संबंधित सभी विकास खंड
ग.	ताप परियोजनाएं	50 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
घ.	पवन / सौर परियोजनाएं	10 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ङ.	पुनर्स्थापित / पुनर्वास साइटों	ऐसी साइटों की भौगोलिक सीमाएं
च.	कोयला खदान	सहायक निर्माणों सहित कोयला खदानों / साइटों से जुड़े सभी विकास खंड

iii. **कार्यान्वयन**

टीएचडीसीआईएल में सीएसआर पहलों का कार्यान्वयन मुख्य रूप से दो कंपनी–प्रायोजित, पंजीकृत सोसायटियों: सेवा–टीएचडीसी और टीएचडीसी एजुकेशन सोसायटी (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है।

(क) सेवा– टीएचडीसी:

वर्ष 2009 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के प्रबंधन और क्रियान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक गैर–सरकारी संगठन 'सेवा–टीएचडीसी' की स्थापना की। इस सोसाइटी के उद्देश्य धर्मार्थ और लाभ–निरपेक्ष प्रकृति के हैं, जो सामुदायिक कल्याण और विकास पर केंद्रित हैं।

(ख) टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस):

वर्ष 1992 में, टीएचडीसी ने अपने शिक्षा प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से टिहरी जिले में परियोजना प्रभावित आबादी और अन्य अल्प–सुविधाप्राप्त समुदायों के बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए। बाद में, इस संस्था का पुनर्गठन किया गया और 2010 में इसका नाम बदलकर टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी कर दिया गया। वर्तमान में, टीईएस दो स्कूल संचालित करता

है –एक टिहरी के भागीरथीपुरम में, जहाँ कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान की जाती है, और दूसरा ऋषिकेश के प्रगतिपुरम में, जहाँ कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा प्रदान की जाती है।

IV. निगरानी

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित दर्शित माध्यमों का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है।

i. मासिक प्रगति रिपोर्ट
ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट
iii. वीडियो कांफ्रेंसिंग
iv. स्थल भ्रमण
v. फोटोग्राफी, फिल्म तथा वीडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य
vi. आंतरिक निगरानी तंत्र, जैसा कि सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

विशेष रूप से, वार्षिक योजना और सीएसआर बजट की समीक्षा के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट सीएसआर समिति को प्रस्तुत की जाती है।

V. रिपोर्टिंग

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एक विस्तृत सीएसआर अनुभाग शामिल है, जिसमें अधिनियम/नीति के तहत अपेक्षित जानकारी प्रदान की गई है, और इसे टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सीएसआर संचार कार्यनीतिः

टीएचडीसीआईएल ने सीएसआर और सततता पहलों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में हितधारकों के साथ निरंतर संवाद और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संचार कार्यनीति स्थापित की है।

VI. प्रभाव आकलन

सीएसआर नीति के अनुसार, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक बजट वाली सभी पूर्ण हो चुकी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एक वर्ष के भीतर किया जाता है।

VII. सामान्य प्रावधान

टीएचडीसीआईएल सभी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, सीएसआर नियमों और किसी भी प्रासंगिक संशोधनों के पूर्ण अनुपालन में संचालित करता है। नए सीएसआर कार्यक्रम आमतौर पर बोर्ड के अनुमोदन से शुरू किए जाते हैं, जो वार्षिक योजना में पहले से उल्लिखित कार्यक्रमों के अतिरिक्त होते हैं। सीएसआर गतिविधियों से प्राप्त किसी भी अधिशेष निधि को या तो परियोजनाओं में पुनर्निवेशित किया जाता है या वित्त वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाता है। इसके अपवादों में केवल कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुँचाने वाली सीएसआर गतिविधियाँ या विशेष रूप से भारत के बाहर खेल कर्मियों के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं। कार्यान्वयन एजेंसियाँ प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए टीएचडीसीआईएल की नैतिकता और व्हिसलब्लोअर नीतियों का पालन सुनिश्चित करती हैं।

1. सीएसआर समिति की संरचनाः

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य रहेः

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्री शैलेंद्र सिंह	अध्यक्ष / निदेशक (कार्मिक)	2	2
2.	श्री एस. एन. त्रिपाठी#	सदस्य / नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	2	2
3.	श्री के. एस. सुन्दरम^	सदस्य / नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	2	0
4.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी*	सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	2	2

श्री एस.एन. त्रिपाठी, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, 30/09/2024 से सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहें।

^श्री के.एस. सुंदरम, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, को 28/10/2024 से सीएसआर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

*डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक, टीएचडीसीआईएल और सीएसआर समिति के सदस्य, 9/11/2024 को सेवानिवृत्त हो गए।

चूँकि सीएसआर समिति की संरचना में एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए समिति 09.11.2024 से अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गई।

कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव हैं।

2. वह वेब लिंक जिस पर कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है।

बोर्ड सीएसआर समिति: https://thdc.co.in/index.php/en/about-us/board-level-committees-blcs

सीएसआर नीति: https://thdc.co.in/sites/default/files/csr/CSR_Policy_2023.pdf

अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ: https://thdc.co.in/en/csr/approved-project

3. **नियम 8 के उप–नियम (3), यदि लागू हो, के अनुसरण में संचालित की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेबलिंक सहित कार्यकारी सारांश प्रस्तुत करें**

सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से संबंधित कंपनी की सीएसआर नीति के प्रावधानों के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान एक सीएसआर परियोजना का प्रभाव आकलन किया, जो वित्त वर्ष 2023–24 में पूरी हो गई थी और जिसका बजट परिव्यय रु 1 करोड़ या उससे अधिक था। पहल के परिणामों के मूल्यांकन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आकलन एक स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसी द्वारा किया गया था।

प्रभाव आकलन रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है:

क) टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से देहरादून जिले के ऋषिकेश और टिहरी जिले के भागीरथीपुरम में 02 स्कूलों का संचालन।

स्कूलों का नाम:

(I) टीएचडीसी हाई स्कूल, ऋषिकेश, जिला देहरादून (कक्षा 1 से 10वीं)

(ii) टिहरी बांध परियोजना इंटर कॉलेज, भागीरथीपुरम, जिला टिहरी (6वीं से 12वीं तक)

परियोजना के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष:

- टीएचडीसी ऋषिकेश स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 446 (छात्राएँ–237 और छात्र–209) है, जबकि टिहरी बांध परियोजना इंटर कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 203 (छात्राएँ–108 और छात्र–95) है।
- दोनों स्कूलों के छात्रों में संतुष्टि का स्तर उच्च है और स्कूल आने का उत्साह दर्शाता है कि स्कूल युवाओं में ज्ञानार्जन की इच्छा जागृत करने में सफल रहा है।
- स्कूल और इंटर कॉलेज में सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसे अलग–अलग कक्षाएँ, प्रधानाचार्य और कर्मचारियों के लिए अलग कमरा, बिजली की उपलब्धता, वाटर कूलर और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पाइप से जल की आपूर्ति, खेल का मैदान, कंप्यूटर कक्षाओं के लिए अलग कमरे आदि। सभी छात्रों के लिए संसाधन उपलब्ध हैं।
- दोनों स्कूलों में सुयोग्य और शिक्षित शिक्षक हैं। ऐसा माना जाता है कि एक उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षण में विविधता ला सकता है, अर्थात् वह विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित कर सकता है। वे जानते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कैसे चुनौती दी जाए और संघर्षरत छात्रों को अतिरिक्त सहायता कैसे प्रदान की जाए, जिससे सभी के लिए अधिक प्रभावी शिक्षण संभव हो सके।
- सर्वेक्षण के दौरान, दोनों स्कूलों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि उन्हें स्कूल में स्वच्छ पेयजल मिल रहा है और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)–6 के स्वच्छता संबंधी पहलुओं का अनुपालन किया जा रहा है। यह केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप भी है। दोनों स्कूलों में इसे दोहराने से बेहतर परिणाम मिलते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल में सीखी गई बातों का बहुत गंभीरता से पालन करते हैं। अधिकांश छात्रों ने कार्यात्मक शौचालय सुविधाओं के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और बताया कि हाथ धोने के लिए साबुन और पानी दोनों मौजूद हैं।
- दोनों स्कूलों के सभी छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जो पीएम पोषण अभियान के अनुरूप एक प्रयास है, जहाँ बढ़ते बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन के लाभों को पूरी तरह से समझा गया है।
- दोनों स्कूलों के अधिकांश छात्र अपनी शिक्षा की गुणवत्ता से बहुत संतुष्ट हैं। साथ ही, छात्रों ने स्वीकार किया कि पिछली कक्षा की तुलना में वर्तमान कक्षा में उनके ग्रेड में सुधार हुआ है।

ख) विवेकानंद नेत्रालय, देहरादून में नए ऑपरेशन थियेटर के लिए चिकित्सा उपकरण (ज़ीस माइक्रोस्कोप मॉडलरू (ओपीएमएल) लुमेरा 700 प्रणाली) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

परियोजना के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष:

- विवेकानंद नेत्रालय में ज़ीस ओपीएमआई लुमेरा 700 माइक्रोस्कोप की स्थापना ने वंचित आबादी के लिए नेत्र चिकित्सा में क्रांति ला दी है। उन्नत सर्जिकल परिशुद्धता प्रदान करके और ऑपरेशन के समय को कम करके, इस माइक्रोस्कोप ने मोतियाबिंद और ग्लूकोमा सहित जटिल नेत्र स्थितियों के लिए रोगियों के परिणामों में सुधार किया है।
- इस तकनीक ने अस्पताल की जटिल सर्जरी करने की क्षमता में वृद्धि की है, जिससे वार्षिक रूप से 1,200 से अधिक रोगियों को लाभ हुआ है। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पहलों और अत्याधुनिक समाधानों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की कमियों को दूर करने के टीएचडीसीआईएल के लक्ष्य के अनुरूप है।

ग) राजस्थान के माउंट आबू में ग्लोबल एवं रिसर्च सेंटर के लिए एमआरआई परीक्षण इकाई की स्थापना के लिए आंशिक समर्थन।

परियोजना के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष:

- जे वाडुमुल ग्लोबल हॉस्पिटल में एमआरआई यूनिट की स्थापना ने माउंट आबू और आसपास के क्षेत्रों में नैदानिक स्वास्थ्य सेवा का व्यापक कायाकल्प कर दिया है।

- एआई–संचालित इमेजिंग से सुसज्जित, इस यूनिट ने प्रतिवर्ष 400 से अधिक रोगियों का समय पर, किफायती और सटीक निदान किया है, जिससे दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भरता कम हुई है।
- इस परियोजना ने नैदानिक लागत और प्रतीक्षा समय को उल्लेखनीय रूप से कम किया है, जिससे निम्न–आय वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार हुआ है। यह पहल ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अवसंरचना को बेहतर बनाने और समुदाय की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

घ) टिहरी झील में ओपन नेशनल कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष एवं महिला चौम्पियनशिप और क्वालीफायर 37वें राष्ट्रीय खेलों (गोवा 2023) की मेजबानी।

परियोजना के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष:

- टिहरी झील में आयोजित ओपन नेशनल कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष एवं महिला चौंपियनशिप में पूरे भारत से 444 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- यह परियोजना खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेल विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। यह दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं को जल क्रीड़ाओं से परिचित कराती है, जो एक विशिष्ट लेकिन तेजी से विकसित हो रहा खेल क्षेत्र है।
- ये खेल आवास, खानपान और अन्य सेवाओं की मांग बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इन खेलों से स्थानीय समुदाय को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि आयोजन के दौरान होटलों और होमस्टे ने सामूहिक रूप से लगभग रु 75 लाख की कमाई की।
- इन खेलों ने, विशेषकर युवाओं में, स्थानीय जागरूकता और जल क्रीड़ाओं के प्रति रुचि को बढ़ावा दिया और टिहरी में कयाकिंग और कैनोइंग के लिए एक उच्च–प्रदर्शन अकादमी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
- यह पहल क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और इसने टिहरी झील को एक खेल और मनोरंजन केंद्र के रूप में क्षमता की नींव रखी है।

प्रभाव आकलन रिपोर्ट लिंक: https://thdc.co.in/en/csr/iar

4. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार, कंपनी का औसत निवल लाभ: रु88086.00 लाख
   (ख) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: रु1762.00 लाख
   (ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
   (घ) वित्त वर्ष के लिए सेट–ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: रु231.49 लाख
   (ङ) वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) – (घ)]: रु1530.51 लाख
5. (क) सीएसआर परियोजनाओं (जारी परियोजना और जारी परियोजना के अलावा, दोनों) के संबंध में व्यय की गई राशि:– रु2133.17 लाख
   (ख) प्रशासनिक ऊपरी शीर्ष में व्यय की गई राशि : रु54.74 लाख
   (ग) प्रभाव आंकलन पर कीया गया व्यय यदि लागू हो : रु 2.81 लाख
   (घ) वित्त वर्ष में किया गया कुल व्यय [(क) + (ख) + (ग)] : रु2190.72 लाख
   (ङ) वित्त वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु में)	अव्ययित राशि (रु में)				
	धारा 135 की उप–धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि		धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	कोष का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
21,90,71,607.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(च) सेट–ऑफ के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	17,62,00,000.00
(ii)	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	21,90,71,607.00#
(iii)	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	4,28,71,607.00
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	3,15,00,000.00*

#वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2023–24 (रु2,31,49,000.00) में किए गए अतिरिक्त सीएसआर व्यय के समायोजन के व्यय को छोड़कर

*आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध कुल राशि रु11,24,00,000.00 है, जिसमें चालू वित्त वर्ष की रु3,15,00,000.00 राशि शामिल है।

6. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौराः

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष	धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(5) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि, यदि कोई हो		अनुवर्ती वित्त वर्ष में व्यय किए जाने के लिए शेष राशि (रु. में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रु. में)	अंतरण की तारीख		
1	2022–23	98,46,000.00	7,68,531.00	90,77,469.00	लागू नहीं	लागू नहीं	7,68,531.00	–
2	2021–22	शून्य	–	–	–	–	–	–
3	2020–21	शून्य	–	–	–	–	–	–

7. क्या वित्त वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व संबंधी राशि से किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन या अधिग्रहण किया गया है:

(v) हां ( ) नहीं

यदि हां, सृजित / अधिगृहित पूंजीगत परिसंपत्ति की संख्या दर्ज करें – 1162

परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्त वर्ष 2024–25 में सीएसआर खर्च के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण (परिसंपत्ति–वार विवरण)

क्रम सं.	सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के ब्यौरे प्रस्तुत करें (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/ प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
1	2	3	4	5	6		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	इंटर कॉलेज पोखरा, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में मिनी स्टेडियम।	246169	28.12.2024	1,81,90,300.00	लागू नहीं	श्री हंस महाराज राजकीय इंटर कॉलेज	गाँव– पोखरा, ब्लॉक–पोखरा, जिला–पौड़ी गढ़वाल,उत्तराखंड
2	बाल गंगा महाविद्यालय सेंदुल केमर, घनसाली ब्लॉक भिलंगना जिला – टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड का शैक्षणिक ब्लॉक (ग्राउंड फ्लोर)	249155	15.03.2025	1,70,07,000.00	लागू नहीं	बाल गंगा महाविद्यालय	गाँव–सेंदुल,केमर, घनसाली, ब्लॉक–भिलंगना, जिला–टिहरी गढ़वाल,उत्तराख
3	राजकीय कन्या+2 हाई स्कूल आरा, जिला– भोजपुर, बिहार में 100 कक्षा फर्नीचर (3 सीटर)	802301	25.01.2025	4,99,500.00	लागू नहीं	राजकीय कन्या +2 हाई स्कूल आरा	गाँव–आरा, जिला– भोजपुर, बिहार
4	राजकीय कन्या+2 हाई स्कूल, आरा जिला– भोजपुर, बिहार में 15 यूपीएस के साथ कंप्यूटर सेट	802301	25.01.2025	8,19,900.00	लागू नहीं	राजकीय कन्या +2 हाई स्कूल आरा	गाँव– आरा, जिला– भोजपुर, बिहार
5	डित नारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरा, जिला– भोजपुर, बिहार में 100 कक्षा फर्नीचर (3 सीटर)	802301	05.02.2025	4,99,500.00	लागू नहीं	डित नारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरा	गाँव– आरा, जिला–भोजपुर, बिहार

6	हित नारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरा, जिला– भोजपुर, बिहार में 10 यूपीएस के साथ कंप्यूटर सेट	802301	05.02.2025	5,40,490.00	लागू नहीं	हित नारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरा	गाँव–आरा, जिला–भोजपुर, बिहार
7	राजकीय प्राथमिक विद्यालय फागपुर, जिला चंपावत, उत्तराखंड का निर्माण	262310	11.10.2024	19,21,000.00	लागू नहीं	राजकीय प्राथमिक विद्यालय फागपुर	गांव फागपुर, जिला–चंपावत, उत्तराखंड
8	रावत खोला, ग्राम पंचायत चेती, ब्लॉक– जाखणीधार, जिला–टिहरी, उत्तराखंड में 01 सौर हैंडपंप	249123	27.04.2024	14,28,310.00	लागू नहीं	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत चेती	गाँव–रावत खोला, ग्राम पंचायत–चेती, ब्लॉक– जाखणीधार, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
9	एम्स ग्राम– पशुलोक, ऋषिकेश, ब्लॉक– डोईवाला, जिला– देहरादून, उत्तराखंड को 01 "इको मशीन"	249203	28.10.2024	21,57,633.00	लागू नहीं	एम्स, ऋषिकेश	गाँव–पशुलोक, ऋषिकेश, ब्लॉक– डोईवाला, जिला– देहरादून, उत्तराखंड
10	दोहक, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश तक पहुंच मार्ग के लिए ट्रेस कटिंग और रिटेंशन वॉल	174030	30.08.2024	19,97,000.00	लागू नहीं	ग्राम नव निर्माण समिति	गाँव– दोहक, जिला– बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
11	ग्राम दोहक, ग्राम पंचायत धड़गांव गोलू, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, में दोहक अमलियान खेल मैदान पार्किंग का निर्माण और धोकेश्वर धाम परिसर के लिए पथ और विस्तार का निर्माण	174030	12.03.2025	17,33,591.00	लागू नहीं	ग्राम नव निर्माण समिति	गाँव– दोहक, जिला– बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
12	गांव– रायवाला, ब्लॉक डोईवाला जिला देहरादून, उत्तराखंड वृद्धाश्रम के लिए वस्तुओं/उपकरणों की खरीद।	249205	17.03.2025		लागू नहीं	जिला समाज कल्याण कार्यालय	गाँव–रायवाला, ब्लॉक डोईवाला जिला देहरादून, उत्तराखंड
	01 इन्वर्टर			19,500.00			
	10 टेबल			15,340.00			
	10 डाइनिंग चेयर			9,440.00			
	01 केंट आरओ			20,500.00			
	1 तख्त			24,600.00			
	1 व्हील चेयर			15,850.00			
	25 गद्दा			1,70,000.00			
	25 बेड			3,85,000.00			
	01 एचडी कैमरा सीपी प्लस 2.4 एमपी			21,450.00			
	01 हार्ड डिस्क			5,200.00			
	01 चैनल ड्राइव सीपी प्लस 2.4 एमपी			8,300.00			
	01 कंप्यूटर सेट			69,900.00			
	02 दीवान बेड			24,800.00			

13	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली में 04 "75" एड्रॉइड "9" के साथ इंटरैक्टिव पैनल	110023	27.08.2024	5,00,000.00	लागू नहीं	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल	एके रॉय मार्ग, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, दिल्ली
	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली में 04 "सीपीयू और सहायक उपकरण, सभी एक कैबिनेट के भीतर"			1,40,000.00			
	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली में 04 "माउंटिंग किट/राइटिंग टैबलेट पैड के साथ प्रोजेक्टर"			1,80,000.00			
	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली में 04 "स्पीकर"			40,000.00			
	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली में 04 "1 केवीए कैबिनेट के साथ यूपीएस"			90,000.00			
	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली में 04 "विजुअलाइजर (डॉक्यूमेंट कैमरा)"			60,000.00			
	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली में 04 "स्मार्ट फर्नीचर"			4,00,000.00			
14	तेंदुहा, जिला– सिंगरौली, मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान के करमटोला के पास गौशाला का निर्माण	486889	28.02.2025	46,34,768.00	लागू नहीं	करमटोला, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत बधान	ग्राम करमाटोला ग्राम पंचायत– ग्राम पंचायत– सिंगरौली, मध्य प्रदेश
15	तेंदुहा, जिला– सिंगरौली, मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान के ब्लॉक के मेवलिया ग्राम पंचायत में आरसीसी स्लैब पुलिया का निर्माण	486889	28.02.2025	14,12,725.00	लागू नहीं	करमटोला, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत बधान	ग्राम करमाटोला ग्राम पंचायत– ग्राम पंचायत– सिंगरौली, मध्य प्रदेश
16	हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के दो प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 02 हाई मास्ट लाइटें	171001	30.07.2024	26,06,000.00	लागू नहीं	1–श्री संकट मोचन न्यास शिमला हिमाचल प्रदेश 2– जाखू शिमला हिमाचल प्रदेश	गांव– बाग और गांव– जाखू, जिला– शिमला, हिमाचल प्रदेश
17	परसला, जिला–राजकोट, गुजरात में छात्राओं के लिए आवासीय इकाई (दो कमरे) का निर्माण	360490	12.02.2025	15,00,000.00	लागू नहीं	श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट	गांव परसला, जिला– राजकोट, गुजरात
18	उत्तराखंड के जिला चंपावत के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 50 स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड।						ब्लॉक–चंपावत, जिला–चंपावत, उत्तराखंड

		262523	01.05.2024			(1) जीएचएस मर्तोला–1	
		262523	01.05.2024			(2) जीएचएस गौली–1	
		262580	05.05.2024			(3) जीयूपीएस खोकियामंच–1	
		262523	17.05.2024			(4) जीपीएस कांवड–1	
		262523	05.06.2024			(5) जीपीएस गुरौली–1	
		262523	06.06.2024			(6) जीआईसी सूखीढाग–1	
		262523	03.06.2024			(7) जीआईसी दियारतोली–1	
		262523	05.06.2024			(8) जीआईसी डबचूड़ा–1	
		262523	04.06.2024			(9) जीआईसी धौन–1	
		262523	04.06.2024			(10) जीएच–एसएस मौंशडी–1	
		262523	07.06.2024			(11) जीएच–एसएस बड़ोली–1	
		262523	16.05.2024			(12) जीयूपीएस मोनपोखरी–1	
		262523	28.07.2024			(13) जीयूपीएस दुधौरी–1	
		262523	26.07.2024			(14) जीयूपीएस खतोली–1	
		262523	18.07.2024			(15) जीआईसी गौंडारखाली–1	
		262523	27.07.2024			(16) जीआईसी दिउरी–1	
		262523	18.05.2024			(17) जीआईसी तामली–1	
		262523	25.07.2024			(18) जीएच–एसएस सल्ली–1	
		262523	18.07.2024			(19) जीएच–एसएस उचौलीगोठ–1	
		262523	19.07.2024			(20) जीएच–एसएस छीनीगोठ–1	
		262580	10.05.2024	35,99,000.00	लागू नहीं	(21) जीपीएस जंकडेय–1	ब्लॉक– पाटी, जिला चंपावत, उत्तराखंड

		262580	18.05.2024			(22) जीएचएस कजीना पनौली–1	
		262580	10.05.2024			(23) जीयूपीएस पोखरी–1	
		262580	10.05.2024			(24) जीपीएस मनार–1	
		262580	13.05.2024			(25) जीपीएस थुवामोनी–1	
		262580	12.05.2024			(26) जीपीएस नवीन डूंगरा–1	
		262580	13.05.2024			(27) जीपीएस डुगाबीड–1	
		262580	14.05.2024			(28) जीपीएस मुलकोट–1	
		262580	17.05.2024			(29) जीपीएस अमोली–1	
		262580	10.06.2024			(30) जीपीएस सिमलखेत–1	
		262580	15.05.2024			(31) जीपीएस जैरोली–1	
		262580	18.05.2024			(32) जीपीएस जौलाडी–1	
		262580	14.05.2024			(33) जीपीएस पनिया–1	
		262580	11.05.2024			(34) जीपीएस लाधोन–1	
		262580	17.05.2024			(35) जीपीएस जखोला–1	
		262580	15.05.2024			(36) जीपीएस पुनाकोट–1	
		262580	16.05.2024			(37) जीपीएस कार्की चना –1	
		262580	10.06.2024			(38) जीएचएस सिमाखेत–1	
		262580	03.06.2024			(39) जीपीएस वालिक–1	
		262580	13.06.2024			(40) जीआईसी डुनागाट–1	
		262580	02.06.2024			(41) जीआईसी देवीधुरा–1	
		262580	01.06.2024			(42) जीआईसी मूकाकोट–1	
		262580	11.06.2024			(43) जीआईसी रीठाखाल–1	
		262580	04.06.2024			(44) जीआईसी मध्यगनोल–1	

		262580	12.06.2024			(45) जीआईसी चौढ़ामेहटा–1	
		262580	01.06.2024			(46) जीआईसी पनिया–1	
		262580	13.05.2024			(47) जीएचएस बुंगाबीड–1	
		262580	13.05.2024			(48) जीपीएस मंगल लेख–1	
		262580	16.05.2024			(49) जीपीएस ख्याचीना–1	
		262580	16.05.2024			(50) जीपीएस कराही–1	
19	उत्तराखंड के चंपावत जिले के विभिन्न 17 स्थानों के लिए 17 जिम उपकरणों का सेट। (1) एयर वॉकर डबल (2) लेग प्रेस डबल (3) सर्फ बोर्ड डबल (4) एयर वॉकर डबल (5) चेस्ट प्रेस डबल (6) ट्रिपल ट्विस्टर (7) टू व्हीलर शोल्डर	262523	30.08.2024	27,03,000.00	लागू नहीं	शिविर प्रभारी / नोडल अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड	ब्लॉक– चंपावत, जिला– चंपावत, उत्तराखंड
20	सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, श्री बंशीधर नगर, गढ़वा (झारखंड) के लिए 01 स्कूल बस	822121	05.12.2024	15,00,000.00	लागू नहीं	सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल,	श्री बंशीधर नगर, जिला– गढ़वा, झारखंड
21	शांतिवन शाखा, आबू रोड, सिरोही, राजस्थान में हाइड्रॉलिक रूप से संचालित 01 टोस अपशिष्ट कचरा वाहन	307510	21.12.2024	25,00,000.00	लागू नहीं	वर्ल्ड रिन्यूबल स्प्रिचुअल ट्रस्ट	स्वच्छ पार्क– ब्रह्माकुमारीज, इंडिया वन सोलर प्लांट परिसर, गाँव दानवाव, आबू रोड, जिला– सिरोही, राजस्थान
22	भोंट, ब्लॉक– मशोबरा, जिला– शिमला, हिमाचल प्रदेश में 04 हाई मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट	171003	06.10.2024	5,74,690.00	लागू नहीं	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत भोंट	ग्राम पंचायत भोंट, ब्लॉक– मशोबरा, जिला–शिमला, हिमाचल प्रदेश
23	कन्या इंग्लिश मीडियम और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 02 वाटर कूलर ग्राम मद्यमिक स्कूल– गरौठा, ब्लॉक– बमोर, जिला– झाँसी, उत्तर प्रदेश	284203	19.03.2025	96,760.00	लागू नहीं	(1)पूर्व माध्यमिक विद्यालय गरौठा ब्लॉक बमोर (झांसी) (2) कन्या इंग्लिश मीडियम	गाँव–गरौठा ब्लॉक–बमोर, जिला–झाँसी, उत्तर प्रदेश

						गौरौठा ब्लॉक बमोर	
24	उत्तराखंड के जिला चंपावत के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 40 स्मार्ट इंटरएक्टिव बोर्ड।	262580	14.05.2024			1.जीपीएसआई चलथिया–1	ब्लॉक–पाती जिला– चंपावत, उत्तराखंड
		262580	15.05.2024			2.जीपीएस खरहीचोड़ा–1	
		262580	14.05.2024			3.जीपीएस मछियाड़–1	
		262580	14.05.2024			4.जीपीएस अमलिंग–1	
		262580	16.05.2024			5.जीपीएसआई बनौली–1	
		262580	20.07.2024			6.जीजीपीएस रामक–1	
		262580	24.07.2024			7.जीपीएस सिमली न्यू–1	
		262580	23.07.2024			8.जीयूपीएस सेरान–1	
		262580	20.07.2024			9.जीआईसी रामक–1	
		262580	02.07.2024			10.जीआईसी चौड़ाकोट–1	
		262527	09.06.2024			11.जीयूपीएस ग्वेनाडा–1	ब्लॉक– बाराकोट जिला– चंपावत, उत्तराखंड
		262527	08.06.2024			12.जीजीआईसी काकड़ –1	
		262527	09.06.2024			13.जीआईसी कामाजुला–1	
		262527	17.05.2024			14.जीआईसी एमओयू–1	
		262527	03.05.2024			15.जीपीएस देवराडी–1	
		262527	18.05.2024			16.जीपीएस बैदा बैदवाल–1	
		262527	24.07.2024			17.जीयूपीएस एलज्रा –1	
		262524	03.05.2024	28,79,200.00	लागू नहीं	18.जीपीएस मनिहार गांव–1	ब्लॉक– लोहाघाट जिला चंपावत, उत्तराखंड
		262524	04.04.2024			19.जीपीएस खेड़ी –1	
		262524	04.05.2024			20.जीयूपीएस पंथवाड़ा –1	
		262524	02.05.2024			21.जीयूपीएस रायकोट महर–1	

		262524	02.05.2024			22.जीयूपीएस फोर्टी–1	
		262524	03.05.2024			23.जीपीएस देवकुडा –1	
		262524	05.06.2024			24.जीआईसी सुई–1	
		262524	06.06.2024			25.जीआईसी जानकीधार–1	
		262524	08.05.2024			26.जीपीएस रौशल–1	
		262524	11.05.2024			27.जीपीएस बालाना–1	
		262524	04.05.2024			28.जीयूपीएस बगोटी–1	
		262524	09.05.2024			29.जीएचएस डुंगराबोरा–1	
		262524	07.05.2024			30.जीआईसी चमदेवल–1	
		262524	09.05.2024			31.जीपीएस मदुवान–1	
		262524	11.05.2024			32.जीपीएस कायल–1	
		262524	12.05.2024			33.जीपीएस मटियाल–1	
		262524	12.05.2024			34.जीपीएस मडचमास–1	
		262524	08.06.2024			35.जीयूपीएस बिलेधस–1	
		262524	06.05.2024			36.जीआईसी किमतोली–1	
		262524	14.06.2024			37.जीआईसी विल्ले –1	
		262524	07.06.2024			38.जीआईसी दशलेख–1	
		262524	06.06.2024			39.जीजीआईसी लोहाघाट–1	
		262524	04.05.2024			40.जीजीआईसी चामदेव एएल–1	
25	तिमल्याणी ब्लॉक यमकेश्वर जिला–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में 25 सौर स्ट्रीट लाइट	246149	08.11.2024	4,99,298.00	लागू नहीं	ग्राम प्रधान, तिमल्यानी	गाँव तिमल्यानी, ब्लॉक यमकेश्वर जिला– पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड

26	राज्य की जनजातीय आबादी के बीच क्षमता विकास, सांस्कृतिक और हस्तशिल्प कौशल संवर्धन की सुविधा के लिए मोथोरोवाला रोड,केदारपुर, रायपुर ब्लॉक– रायपुर जिला–देहरादून, उत्तराखंड में 01 वाहन (7 सीटर)	248001	01.12.2024	19,99,000.00	लागू नहीं	राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान सह सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय हरिपुर नवादा	मोथोरोवाला रोड, केदारपुर रायपुर ब्लॉक–रायपुर, जिला – देहरादून, उत्तराखंड
27	जिला अस्पताल हरिद्वार उत्तराखंड के लिए 05 "पूर्णत: स्वचालित रक्तचाप रिकॉर्डिंग इकाई"	249407	24.03.2025	11,50,000.00	लागू नहीं	जिला अस्पताल हरिद्वार	रोशनाबाद, ब्लॉक– बहादराबाद, जिला– हरिद्वार, उत्तराखंड
	उप जिला अस्पताल रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड के लिए 05 "पूर्णत: स्वचालित रक्तचाप रिकॉर्डिंग इकाई"	247667	24.03.2025	11,50,000.00		उप जिला अस्पताल रुड़की	ब्लॉक–रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड
28	जिला अस्पताल टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड को 19 "डायनेमिक 2.89 यूटिलिटी ट्रे रिससिटेशन क्रैश कार्ट कंसोल"	249001	22.03.2025	4,99,890.00	लागू नहीं	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	नई टिहरी, ब्लॉक– चंबा, जिला– टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
29	विवेकानन्द नेत्रालय, 168 / 169 रामकृष्ण मिशन आश्रम राजपुर रोड किशनपुर, जिला–देहरादून, उत्तराखंड को 01 "सर्जिकल माइक्रोस्कोप: ज़ीस एक्सटारो 300 सिस्टम"	248009	18.03.2025	40,00,000.00	लागू नहीं	विवेकानंद नेत्रालय	168 / 169 रामकृष्ण मिशन आश्रम राजपुर रोड किशनपुर, जिला– देहरादून, उत्तराखंड
30	गांव– कनकचौरी, अगस्तमुनि, ब्लॉक–पोखरी, जिला–रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में 20 इलेक्ट्रिक एलईडी लाइटें	246421	19.03.2025	47,200.00	लागू नहीं	कार्तिकेय स्वामी मंदिर समिति	गाँव– कनकचौरी, अगस्तमुनि, ब्लॉक–पोखरी, जिला– रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड
31	ऋषिकेश ब्लॉक डोईवाला, जिला– देहरादून, उत्तराखंड में 04 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें	249201	10.02.2025	80,000.00	लागू नहीं	(1)टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी ऋषिकेश–1 (2)नगर निगम ऋषिकेश–2 (3)ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश –1	ऋषिकेश, ब्लॉक– डोईवाला, जिला – देहरादून, उत्तराखंड
32	टिहरी और पौड़ी गढ़वाल, चमोली जिलों के विभिन्न स्थानों पर 88 सौर स्ट्रीट	246149	16.03.2025		लागू नहीं	(1) ग्राम पंचायत सिला तिमियाली–40	ब्लॉक– यमकेश्वर, जिला–पौड़ी,

	लाइटें	246149	16.03.2025			(2) ग्राम पंचायत सिला–10	उत्तराखंड
		249146	11.03.2025	19,97,152.00		(3) ग्राम पंचायत कोटि जौनपुर – 10	जिला– टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
		249180	10.03.2025			(4) ग्राम पंचायत ल्वारखा, चोपड़ा–11	
		249145	11.03.2025			(5) बुरांशवाड़ी चंबा –1	
		246481	10.03.2025			(6) ग्राम पंचायत बजवार थराली–16	ब्लॉक–थराली, जिला–चमोली, उत्तराखंड
33	देहरादून जिले के विभिन्न स्थानों पर 440 सौर स्ट्रीट लाइटें	249192	30.03.2025			(1)ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत कौड़ियाला–20	ब्लॉक यमकेश्वर, जिला–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड
		249205	30.03.2025			(2)ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत हरिपुर कलां–50	
		249201	30.03.2025			(3)ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत प्रतीत नगर–43	
		249205	30.03.2025	99,85,759.00	लागू नहीं	(4)ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गौहारी माफी–15	ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड
		249201	30.03.2025			(5)खांड गांव–15	
		249204	30.03.2025			(6)ग्राम पंचायत खेड़ी खुर्द–15	
		249204	30.03.2025			(7)ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत खेड़ी कलां–25	
		249204	30.03.2025			(8) छिड़रवाला –17	
		249205	30.03.2025			(9)साहब नगर–10	
		248005	30.03.2025			(10)जोगीवाला माफी–15	

		249205	30.03.2025			(11) चक जोगीवाला माफी–10	
		249204	30.03.2025			(12) गढ़ी मयचक–10	
		249204	30.03.2025			(13)खादरी–20	
		249204	30.03.2025			(14)श्यामपुर–15	
		249204	30.03.2025			(15)गुमानीवाला –26	
		249201	30.03.2025			(16)ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भट्टोवाला–40	
		249201	30.03.2025			(17)सिराई–15	
		249201	30.03.2025			(18) संजय झील–20	
		249201	30.03.2025			(19) चेतरा पंचायत, वैदिक नगर–5	
		249205	30.03.2025			(20)सत्यनारायण मंदिर–2	
		249201	30.03.2025			(21)असेना वाला डोबरा–10	
		249205	30.03.2025			(22)ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रायवाला–2	
		249201	30.03.2025			(23)ऋषिकेश विधान सभा चेतरा–40	
34	टिहरी, देहरादून और हरिद्वार जिलों में 07 हेल्थ एटीएम मशीन	248123	24.03.2025	66,50,000.0000	लागू नहीं	(1)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चकराता जिला– देहरादून,–1	ब्लॉक– चकराता, जिला– देहरादून, उत्तराखंड
		247661	22.03.2025			(2)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर–1	ब्लॉक भगवानपुर, ब्लॉक–लक्सर, और ब्लॉक– नारसन, जिला–हरिद्वार, उत्तराखंड
		247663	22.03.2025			(3)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लक्सर–1	
		249410	24.03.2025			(4)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भूपतवाला हरिद्वार–1	
		249001	22.03.2025			(5) जिला	ब्लॉक– चंबा,

						अस्पताल, बौराड़ी–1	ब्लॉक– थौलधार और
		246128	22.03.2025			(6)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, छाम–1	ब्लॉक– मिलंगना, जिला–टिहरी
		249181	22.03.2025			(7)प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पिलखी–1	गढ़वाल, उत्तराखंड
35	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,बबीना झांसी, उत्तर प्रदेश में 15 किलोवाट सौर प्रणाली (ऑफ ग्रिड) का शुभारंभ	284401	25.03.2025	17,50,000.0000	लागू नहीं	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बबीना	जिला झांसी, उत्तर प्रदेश
36	टिहरी और ऋषिकेश के दो स्कूलों में 20 डिजिटल बोर्ड	249124	27.03.2025	12,03,600.0000	लागू नहीं	टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल, भागीरथीपुरम टिहरी–10	नई टिहरी, ब्लॉक– चंबा, जिला– टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
		249201	29.03.2025			टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल, –10प्रगतिपुरम, ऋषिकेश	ऋषिकेश, ब्लॉक– डोईवाला, जिला –देहरादून, उत्तराखंड
37	एचपीएसआरए हिमाचल प्रदेश को 01 शूटिंग एयर राइफल	171001	26.03.2025	2,53,000.00	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन (एचपीएसआरए)	जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
38	ग्राम देवल प्रतापनगर, टिहरी में बहुउद्देशीय टिन शेड	249165	31.03.2025	38,81,588.00	लागू नहीं	ओणेश्वर महादेव मंदिर समिति	ग्राम देवल, ब्लॉक प्रतापनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड
39	ग्राम जाखनी, ब्लॉक प्रतापनगर में सामुदायिक केंद्र	249165	31.03.2025	56,06,833.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत जाखनी	ब्लॉक प्रतापनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड
40	ग्राम पंचायत गरनेवाग नाहेरा, हिमाचल प्रदेश में 20 सोलर लाइट	171007	28.03.2025	4,22,198.0000	लागू नहीं	ग्राम पंचायत गरनेवग, गरनेवग विकास खंड मशोबरा	नाहेरा, जिला–शिमला, हिमाचल प्रदेश
41	श्री सलेकचंद्र सरस्वती विद्या मंदिर देवमल बिजनौर, उत्तर प्रदेश में 10 कार्यालय कुर्सियाँ, 05 टेबल और 03 अलमारियाँ	276721	29.03.2025	1,07,210.0000	लागू नहीं	श्री सलेकचंद्र सरस्वती विद्या मंदिर, उच्चतर माध्यमिक	मोहम्मदपुर ब्लॉक–देवमल, जिला–बिजनौर उत्तर प्रदेश

42	श्री सलेकचंद्र सरस्वती विद्या मंदिर देवमल बिजनौर, उत्तर प्रदेश में यूपीएस के साथ 05 कंप्यूटर और 02 प्रिंटर	276721	29.03.2025	2,47,850.0000	लागू नहीं	विद्यालय श्री सलेकचंद्र सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	मोहम्मदपुर ब्लॉक–देवमल, जिला–बिजनौर उत्तर प्रदेश
43	श्री सलेकचंद्र सरस्वती विद्या मंदिर देवमल बिजनौर, उत्तर प्रदेश को 01 वाटर कूलर (150) लीटर	276721	28.03.2025	72,000.0000	लागू नहीं	श्री सलेकचंद्र सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	मोहम्मदपुर ब्लॉक–देवमल, जिला–बिजनौर उत्तर प्रदेश
44	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरकारी स्कूलों में 04स्मार्ट कंप्यूटर लैब	273004	25.03.2025	32,42,000.00	लागू नहीं	(1) अभयनंदन इंटर कॉलेज बिष्णु मंदिर गोरखपुर	जिला– गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
		273012	29.03.2025			(2)गांधी शताब्दी इंटर कॉलेज बिछिया, रेलवे कॉलोनी गोरखपुर	
		273012	29.03.2025			(3)रफी अहमद किदवार इंटर कॉलेज मोरीपुर गोरखपुर	
		273209	29.03.2025			(4)मुरारी इंटर कॉलेज सहजनवा गोरखपुर	
45	नगीना (बिजनौर) में श्मशान घाट के बुनियादी ढांचे का विकास (टिन शेड और गेट का निर्माण)	246762	23.10.2024	11,76,000.00	लागू नहीं	नवीन विश्नोई मंदिर समिति नगीना अध्यक्ष	जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश
46	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चंदिनी, जिला– चंपावत, उत्तराखंड का पुनर्निर्माण	262310	07.01.2025	19,29,000.00	लागू नहीं	प्रधानाचार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंदानी	जिला–चंपावत, उत्तराखंड

यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो इसके कारण (कारणों) का उल्लेख करें–

लागू नहीं।

ह0 /– (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	ह0 /– (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सीएसआर गतिविधियां

ऐसे युग में जहाँ वैश्विक समुदाय व्यवसायों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के प्रति तेज़ी से जागरूक हो रहा है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के पारंपरिक प्रतिमान केवल मामूली कार्यों और कॉर्पोरेट परोपकार से ऊपर उठ गये हैं। आज, सीएसआर की अवधारणा एक सामरिक अनिवार्यता के रूप में विकसित हो गई है, जो व्यवसायों से एक अधिक गहन और एकीकृत दृष्टिकोण की माँग करती है। सीएसआर एक व्यापक और दूरदर्शी कार्यनीति है जो कंपनी के मूल्यों को उसके कार्यों के साथ संरेखित करती है, इसलिए टीएचडीसीआईएल में, प्रभावशाली और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) अपनी मुख्य व्यावसायिक कार्यनीतियों के साथ सीएसआर और सततता पहलों को एकीकृत करता है। प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों, समय–सीमाओं और संसाधन आवश्यकताओं के साथ सामरिक रूप से नियोजित किया जाता है, और ये सभी आवंटित बजट के भीतर होते हैं। परियोजनाओं को दीर्घकालिक, मध्यम–अवधि और अल्पकालिक चरणों में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे कुशल निष्पादन, केंद्रित कार्यान्वयन और विभिन्न पड़ावों पर प्रगति की व्यवस्थित ट्रैकिंग संभव हो पाती है।

क. टीएचडीसी निरामय–स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलें

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों के बीच, चुनौतीपूर्ण भू–भाग, सीमित परिवहन विकल्प और अपर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना के कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बाधित है। टीएचडीसीआईएल का एक प्रमुख प्रचालन क्षेत्र, टिहरी जिला, इन चुनौतियों का एक उदाहरण है। नैदानिक और विशेषज्ञ सुविधाओं की कमी के कारण निवासियों को अक्सर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे शहरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर दबाव पड़ता है। सामाजिक रूप से एक ज़िम्मेदार संगठन के रूप में, टीएचडीसीआईएल प्रतिष्ठित अस्पतालों के सहयोग से स्वास्थ्य शिविरों, जागरूकता अभियानों और नैदानिक सेवाओं का आयोजन करके जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को प्राथमिकता देता है। इन पहलों का उद्देश्य बुनियादी स्वास्थ्य सेवा के लिए यात्रा को कम करना और चिकित्सा सेवाओं तक शीघ्र पहुँच में सुधार करना है.

(क) दीन गांव, टिहरी में एलोपैथिक औषधालय का संचालन: टिहरी जिले के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक में स्थित, यह औषधालय आसपास के 40 गाँवों के लगभग 15,000 लोगों को सेवा प्रदान करता है और द हंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित होता है। आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित, यह औषधालय एमबीबीएस डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एक्स–रे और ईसीजी जैसी बुनियादी रोग संबंधी जाँचें, ऑन–कॉल एम्बुलेंस सुविधा, एक माइनर ओटी और निःशुल्क दवाइयाँ जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। वित्त वर्ष के दौरान, औषधालय में कुल 13,365 ओपीडी विज़िट (पुरुष–4,969 और महिला–8,396) दर्ज की गईं, जिनमें 590 एक्स–रे, 53 ईसीजी, 1,009 आईपीडी और 4,918 लैब परीक्षण शामिल थे।



एलोपैथिक औषधालय, दीनगाव, जिला – टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

(ख) चिकित्सा स्वास्थ्य अवसंरचना: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास में, टीएचडीसीआईएल ने विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुधार के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। वित्त वर्ष के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने विवेकानंद अस्पताल, देहरादून में ईएनटी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज़ीस एक्सटारो 300 प्रणाली और एम्स, ऋषिकेश में एक इको मशीन जैसी उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना में सहायता की। इसके अतिरिक्त, कई सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम लगाए गए और हरिद्वार (एक आकांक्षी जिला) के सरकारी अस्पताल को 10 ब्लड प्रेशर मॉनिटर दान किए गए। इसके अतिरिक्त, टिहरी गढ़वाल के जिला अस्पताल को आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और झांसी के बबीना स्थित सरकारी अस्पताल में बैटरी बैकअप के साथ 15 केवीए के ऑफ–ग्रिड सोलर रूफटॉप प्लांट की स्थापना भी योगदान में शामिल है।


चंपावत जिले में एक ओपन जिम

(ग) अन्य स्वास्थ्य पहलें: अन्य स्वास्थ्य देखभाल पहलों के अंतर्गत, टीएचडीसीआईएल ने स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा


उत्तराखंड के टिहरी में वंचित समुदायों को किशोर सागर और स्वास्थ्य पूरक आहार का वितरण

दिया है, तथा जिला चंपावत में युवाओं के लिए एक ओपन जिम की स्थापना की है।

इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल ने टिहरी में वंचित समुदायों को किराने का सामान और स्वास्थ्य पूरक वितरित किए, कुमाऊं क्षेत्र के छह जिलों में आईसीडीएस के मिशन प्रेरणा के कार्यान्वयन का समर्थन किया और घर–घर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली मोबाइल स्वास्थ्य वैन के संचालन के लिए एम्स ऋषिकेश को वित्तीय सहायता प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने एम्स, ऋषिकेश में छात्र कल्याण संघ द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय अंतर–महाविद्यालय सामाजिक–सांस्कृतिक और खेल महोत्सव पाइरेक्सिया–2024 को प्रायोजित किया।



पाइरेक्सिया–2024 के दौरान आयोजित रक्तदान शिविर

जल और स्वच्छता पहलः जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, टीएचडीसीआईएल ने भारत सरकार के "स्वच्छ भारत अभियान" के उद्देश्यों के अनुरूप स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी कई पहल कीं। वित्त वर्ष के दौरान, स्वच्छता पखवाड़े के तहत, इसकी इकाइयों और परियोजना स्थलों पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें संयंत्र क्षेत्रों, कार्यालय परिसरों और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पर्यटन स्थलों जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान शामिल थे। स्थायी प्रथाओं को और बढ़ावा देने के लिए, जनता के बीच



ऋषिकेश के बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान

पर्यावरण–अनुकूल बैग वितरित किए गए और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए रेहड़ी–पटरी वालों को बायोडिग्रेडेबल बैग प्रदान किए गए।

किशोरियों और महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति



ऋषिकेश के सार्वजनिक स्थल पर दीवार पर भित्तिचित्र

जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित अभियान चलाए गए, जिनमें विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करना भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, सभी परियोजनाओं और इकाइयों में कई सार्वजनिक स्थानों पर दीवारों पर बैनर, पोस्टर, भित्तिचित्र और नारे लगाकर जागरूकता बढ़ाई गई।

स्वच्छता को और बेहतर बनाने और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। राजस्थान के सिरोही जिले में एक हाइड्रोलिक रूप से संचालित ठोस अपशिष्ट संग्रहण वाहन खरीदा और वितरित किया गया, और झांसी जिले में वाटर कूलर लगाए गए। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रावत खोला में, एक सौर ऊर्जा चालित हैंडपंप लगाया गया, जिससे दूरदराज के इलाकों में स्वच्छ जल की विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित हुई। इसके अतिरिक्त, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में सहयोग के लिए, ऋषिकेश में निर्धारित स्थानों पर चार सैनिटरी वेंडिंग मशीनें और 300 सैनिटरी नैपकिन लगाए गए।

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान और विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत, टीएचडीसीआईएल ने स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) को अपनाया और स्तरोन्नत किया, जिनमें ऋषिकेश में एक शौचालय ब्लॉक (10 सीटें) और एक मूत्रालय ब्लॉक (2 सीटें) शामिल थे। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और स्थायी प्रथाओं को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए द्वारका और पाटन में बायोडिग्रेडेबल बैग वितरित किए गए।

ख. टीएचडीसी जागृति–शिक्षा संबंधी पहलें

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4 – "समावेशी और समान



प्रातःकालीन असेंबली, टीएचडीसी इंटर कॉलेज, टिहरी, उत्तराखंड

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन ज्ञानार्जन अवसरों को बढ़ावा देना" – के अनुरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड वंचित और परियोजना प्रभावित समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, टीएचडीसीआईएल तीन स्कूल संचालित करता है: एक ऋषिकेश

में और दो टिहरी जिले (भागीरथीपुरम और कोटेश्वर) में, जहाँ न्यूनतम या बिना किसी लागत के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। ट्यूशन–मुक्त शिक्षा के अलावा, छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग, किताबें, स्टेशनरी और शीतकालीन पोशाक सहित व्यापक सहायता मिलती है, जिससे शैक्षणिक विकास और प्रगति के लिए एक अनुकूल परिवेश बनाने में मदद मिलती है। इन तीन स्कूलों से कुल 924 बच्चे लाभान्वित हुए हैं, और वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान दो टीएचडीसी स्कूलों में 20 डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, टीएचडीसीआईएल अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से सरकारी स्कूलों और अनुदानित संस्थानों को सहयोग प्रदान करके शैक्षिक अवसंरचना के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देता है। वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसीआईएल ने कस्तूरबा गांधी बालिका



पुनर्निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चंदनी (जिला चंपावत), उत्तराखंड

आवासीय विद्यालय (ज़िला टिहरी) में बिस्तर और गद्दे उपलब्ध कराए और एक चारदीवारी का निर्माण किया, डिग्री कॉलेज, सेंदुल केमर (ज़िला टिहरी) में एक तीन मंजिला इमारत के भूतल का निर्माण किया, और उत्तराखंड के फागपुर और चांद्रिनी (ज़िला चंपावत) में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण किया।

इसके अलावा, टीएचडीसी ने भोजपुर (बिहार) जिले के आरा में



आरा, जिला भोजपुर में हीत नारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नवीनीकरण और स्तरोन्नयन

राजकीय कन्या (+2) उच्च विद्यालय और हीत नारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीनीकरण और उन्नयन का समर्थन किया। अतिरिक्त सहायता में जिला राजकोट (गुजरात) के ग्राम पारनसला में महिला छात्रों के लिए एक आवासीय इकाई का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, श्री बंशीधर नगर, जिला गढ़वा (झारखंड) में सरस्वती विद्या मंदिर (हाई स्कूल) के लिए एक स्कूल बस की खरीद की।

इसके बाद, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसी ने जिला चंपावत (उत्तराखंड) में 90 डिजिटल बोर्ड–आधारित स्मार्ट कक्षाएं स्थापित कीं, जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के सरकारी स्कूलों में 04 स्मार्ट कंप्यूटर लैब और विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल (नई दिल्ली) में 04 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए।



विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल (नई दिल्ली) में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना।

ग. टीएचडीसी दक्ष– आजीविका सृजन और कौशल विकास पहलें

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 8 – 'निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना'– के अनुरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को सक्रिय रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। अपनी सीएसआर पहलों की शुरुआत से ही, टीएचडीसीआईएल ने होटल प्रबंधन, एएनएम, जीएनएम, आईटीआई, आतिथ्य, खाद्य उत्पादन, फिटर और प्लंबर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, और एसी और रेफ्रिजरेशन सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं।



टिहरी गढ़वाल के गांवों से जीएनएम के छात्र अपनी कक्षाओं के दौरान

वित्त वर्ष 2021–22 से, टीएचडीसीआईएल ने जीएनएम और एएनएम जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों में नामांकित युवाओं के लिए पाठ्यक्रम शुल्क प्रायोजित किया है, जिससे उनके पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे होने की सुनिश्चितता हुई है। इसके अतिरिक्त, टिहरी जिले के परियोजना प्रभावित क्षेत्रों की 10



उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के गांवों से कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम की लाभार्थी महिलाएं

बालिकाओं को एएनएम प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोजगार के लिए महत्वपूर्ण कौशल में सशक्त बनाया गया।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसी टिहरी जिले में बेरोजगार महिला लाभार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के आदेशानुसार, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के अंतर्गत 15 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया।

घ. टीएचडीसी उत्थान– ग्रामीण विकास पहलें

समावेशी विकास और ग्रामीण उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, टीएचडीसीआईएल ने सामुदायिक परिसंपत्तियों को बढ़ाने और वंचित क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से अवसंरचना विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला को लागू किया है। इन प्रयासों में सामुदायिक हॉल, सड़कों, रास्तों, खेल के मैदानों और बैठने की जगहों का निर्माण और नवीनीकरण, साथ ही मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन शामिल है। वित्त वर्ष के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने सुमन नगर (हरिद्वार) में सामुदायिक हॉल और नगीना (बिजनौर) में श्मशान घाट (अंत्येष्टि



सुमन नगर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में सामुदायिक भवन का नवीनीकरण

स्थल) का नवीनीकरण किया। इसने सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के आकांक्षी जिले में एक आरसीसी स्लैब पुलिया का भी निर्माण किया और हिमाचल प्रदेश के जाखू गाँव में दो प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर हाई–मास्ट लाइटें लगाईं। रात में दृश्यता बढ़ाने के लिए, बसंत विहार (रुद्रप्रयाग जिला) में 20 एलईडी लाइटें लगाई गईं। इसके अतिरिक्त, जनजातीय विकास को समर्थन देने तथा स्वदेशी सांस्कृतिक और हस्तशिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) के लिए एक 7–सीटर वाहन खरीदा गया।

ङ. टीएचडीसी समर्थ–महिला सशक्तीकरण संबंधी पहलें



सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, टिहरी, उत्तराखंड

सतत विकास लक्ष्य संख्या 5; "लैंगिक समानता हासिल करना तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना" की प्राप्ति हेतु, टीएचडीसीआईएल ने महिला–केंद्रित आजीविका पहलों में निवेश जारी रखा है। एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन के रूप में, यह ग्रामीण बालिकाओं और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रतिवर्ष समर्थन प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, टिहरी और ऋषिकेश जिलों में स्थापित सात सिलाई/कढ़ाई केंद्रों और एक ब्यूटीशियन प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से कुल 240 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

च. टीएचडीसी प्रकृति– पर्यावरण प्रबंधन

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने में पर्यावरणीय स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, जहाँ 244 संकेतकों में से 93 सीधे पर्यावरणीय चिंताओं से जुड़े हैं, टीएचडीसीआईएल ने सीएसआर विषयगत डोमेन 'प्रकृति' के अंतर्गत अपने हरित एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। यह पहल तीन मुख्य स्तंभों: मृदा एवं जल संरक्षण, हरित ऊर्जा उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन, और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन पर केंद्रित है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने में योगदान दिया और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर 573 सौर स्ट्रीट लाइटें और हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के भोट ग्राम पंचायत में एक हाई–मास्ट सौर स्ट्रीट लाइट लगाकर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियानों का समर्थन किया। पारिस्थितिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने आवारा पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले सिंगरौली में एक गौशाला/पशु शेड के निर्माण में भी मदद की।



आकांक्षी जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में निर्मित गौशाला / पशु शेड



उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना

छ टीएचडीसी सक्षम–वृद्धजन और दिव्यांगजन देखभाल पहलें

असमानता को कम करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने कमजोर समूहों की सहायता के लिए लक्षित हस्तक्षेप लागू किए। वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसीआईएल ने जिला समाज कल्याण विभाग, देहरादून के माध्यम से एक वृद्धाश्रम के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद और वितरण में सहायता की, जिससे बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक निवास परिवेश सुनिश्चित हुआ।

ज. टीएचडीसी विरासत– कला और संस्कृति संरक्षण और संवर्धन पहल

टीएचडीसीआईएल सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कला, संस्कृति और विरासत को एकीकृत करता है। वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसीआईएल ने बद्रीनाथ में बद्रीश झील और पार्क के अवसंरचना विकास और केदारनाथ में एक स्मार्ट हिल टाउन तीर्थयात्री आवास ब्लॉक के निर्माण में सहयोग दिया, जिससे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और तीर्थ यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में योगदान मिला।

झ. टीएचडीसी क्रीड़ा– खेल प्रोत्साहन पहल

विकास, एकता और शांति को बढ़ावा देने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, टीएचडीसीआईएल महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ समावेशिता, सशक्तिकरण और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाली पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है। वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसीआईएल ने हैदरपुर वेटलैंड/मध्य गंगा बैराज में डीजल से चलने वाली नावों को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नावों में परिवर्तित करने में बिजनौर जिला प्रशासन की सहायता की। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कई अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें ढोढकेश्वर धाम परिसर में एक पार्किंग क्षेत्र, विस्टा और मार्ग का विकास, साथ ही हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के ढोढक गांव में खेल मैदान तक पहुंच मार्ग के लिए ट्रेस कटिंग और एक रिटेंशन वॉल का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में पोखरा मिनी–स्टेडियम के निर्माण में योगदान दिया, जिससे स्थानीय खेल के अवसरों और सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि हुई।

इसके अलावा, टीएचडीसी ने एक वेकबोर्डिंग खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय वेकबोर्डिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की और टिहरी में विभिन्न जल–क्रीड़ा चैंपियनशिप का आयोजन किया। व्यक्तिगत एथलेटिक क्षमता को और बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एथलीट श्री संदीप गुसाईं को उनकी खेल यात्रा में सहयोग के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।


उत्तराखंड की टिहरी झील में आयोजित जल क्रीड़ा के प्रतिभागी

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और परिवृद्धि:

आर्थिक विकास को गति देने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आवश्यक सेवाओं तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे–जैसे देश तेजी से विकास कर रहा है, बिजली की माँग निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इन बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सामरिक योजना और उत्पादन क्षमता में समय पर वृद्धि अनिवार्य है।

ऊर्जा को वहनीय, भरोसेमंद, सतत और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना ऊर्जा सुरक्षा का आधार है। भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बहुत अधिक है क्योंकि इसकी 85% से अधिक प्राथमिक ऊर्जा खपत पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त होती है। भारत ने 2070 तक निवल–शून्य लक्ष्य अपनाया है। निवल–शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी, निवेश तंत्र और प्रणाली–व्यापी परिवर्तन में व्यापक प्रगति की आवश्यकता होगी।

पिछले एक दशक में, भारत ने विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। 31 मार्च, 2025 तक उत्पादन क्षमता बढ़कर 475.212 गीगावाट हो गई। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता (बड़े जलविद्युत सहित) में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। यह ऊर्जा के सतत विकास की दिशा में हमारे सशक्त प्रयासों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

सीईए की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बिजली उत्पादन का लक्ष्य 1,900 बिलियन यूनिट (बीयू) रखा गया था, और वास्तविक उत्पादन 1,821 बीयू रहा – जो 2023–24 के दौरान उत्पन्न 1,734 बीयू की तुलना में वर्ष–दर–वर्ष 5% की वृद्धि है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पूर्वानुमान के अनुसार 2029–30 में भारत की विद्युत की मांग पीक लोड में लगभग 335 गीगावाट और ऊर्जा आवश्यकताओं में 2,280 बीयू तक पहुँच जाएगी। तदनुसार, सीईए ने आवश्यक क्षमता वृद्धि निर्धारित करने के लिए परिदृश्य विश्लेषण किया। आधार स्थिति में 2029–30 तक कुल स्थापित क्षमता 777.14 गीगावाट अनुमानित है, जिसमें बड़े जलविद्युत से 53.9 गीगावाट, सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) से 292.6 गीगावाट, पवन से 99.9 गीगावाट और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 19.9 गीगावाट शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रिड को स्थिर करने में भंडारण तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। योजना में आपूर्ति और मांग में परिवर्तनशीलता को प्रबंधित करने के लिए 6–7 घंटे की दैनिक डिस्चार्ज क्षमता वाले 18.9 गीगावाट पंप स्टोरेज और 5 घंटे की क्षमता वाले 41.6 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) की परिकल्पना की गई है। अगले दशक में ऊर्जा भंडारण तकनीकें जैसे–जैसे अधिक लागत–प्रभावी होती जाएँगी, उनसे पारंपरिक उत्पादन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से पूरक बनाने की उम्मीद है।

अनुमानों के अनुसार भारत की गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित स्थापित क्षमता नवंबर 2024 के 46.8% से बढ़कर 2029–30 तक लगभग 64.4% हो जाएगी। इसके विपरीत, इसी समयावधि में जीवाश्म ईंधन क्षमता 53.2% से घटकर 35.6% होने की उम्मीद है। ये अनुमान इस दशक के अंत तक 50% गैर–जीवाश्म–आधारित स्थापित क्षमता प्राप्त करने के भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप हैं।

इस गति को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्युत की आपूर्ति निर्बाध और चौबीसों घंटे सुलभ बनी रहे, साथ ही विविध ऊर्जा समाधानों में निवेश जारी रखना होगा जो लचीलापन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं।

ऊर्जा भंडारण

ऊर्जा प्रणालियाँ विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने और उसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक ऊर्जा रूपों में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऊर्जा भंडारण, एक समय में उत्पादित ऊर्जा को संग्रहित करने और बाद में उपयोग के लिए उसे संग्रहीत करने की प्रक्रिया है। यह ऊर्जा उत्पादन और मांग के बीच के अंतर को संतुलित करने और अधिक विश्वसनीय एवं कुशल ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है क्योंकि उनका उत्पादन जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है और वे स्वयं निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें निरंतर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता होती है।

ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में प्रगति और इनकी प्रत्याशित भावी प्रगति को नवीकरणीय ऊर्जा के विकास का कारक माना जा सकता है। इसके कारण, यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में, हाइब्रिड प्रणाली जो चौबीसों घंटे विद्युत प्रदान करने के लिए भंडारण क्षमताओं के साथ सौर, पवन, हाइड्रो और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करती हैं, स्टैंडअलोन नवीकरणीय परियोजनाओं पर अभिभावी होंगी।

यद्यपि विश्व भर में कई ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ उपयोग में हैं, लेकिन अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने और प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। पंप भंडारण तकनीक अपनी विश्वसनीयता, तकनीकी विकास, लागत–प्रभावशीलता, उच्च दक्षता और लचीलेपन के लिए जानी जाती है, जो इसे बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए एक उत्कृष्ट समाधान बनाती है। यह सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की अस्थिर और परिवर्तनशील प्रकृति से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करती है।

वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता और वर्ष 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाएँ आवश्यक हैं। पीएसपी

ग्रिड के साथ आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में मदद करेंगे। यह प्रेषण–योग्य आपूर्ई विद्युत की आपूर्ति को सक्षम करेगा और ग्रिड की शीर्ष मांग आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा।

क. भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य

अगस्त 2022 में, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया है। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर अपने संक्रमण में दृढ़ रहा है, जिसने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की सबसे तेज़ गति प्राप्त की है और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा "सीओपी26 में भारत की पंचामृत घोषणा" में व्यक्त किए गए महत्वाकांक्षी संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

भारत पंचामृत कार्य योजना के तहत अपने निम्नलिखित पाँच अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है:–

वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर–जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना।

वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरा करना।

वर्ष 2030 तक सीओ2 उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना;

वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत से कम करना;

वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।

ख. सरकार द्वारा मुख्य पहलें

भारत में जलविद्युत विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल

भारत सरकार ने निवेश आकर्षित करने, परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार लाने और राष्ट्रीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में जलविद्युत के योगदान को बढ़ाने के उद्देश्य से जलविद्युत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतिक उपाय शुरू किए हैं।

1. बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में मान्यता

25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे में उनका समावेशन सुगम बना है।

2. जलविद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) की शुरुआत

एचपीओ के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियाँ जलविद्युत स्रोतों से विद्युत का एक निर्दिष्ट भाग खरीदती हैं, जिससे निरंतर मांग सुनिश्चित होती है।

3. टैरिफ युक्तिकरण: टैरिफ संरचनाओं में सुधार के उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऋण चुकौती अवधि को 12 से बढ़ाकर 18 वर्ष करना
- परियोजना की उपयोगी अवधि को 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष करना
- प्रारंभिक लागत कम करने के लिए बढ़ते टैरिफ़ मॉडल का कार्यान्वयन

4. बजटीय आवंटन: वित्तीय सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती है:

- सक्षमकारी अवसंरचना का विकास
- जलविद्युत परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक

5. केंद्रीय वित्तीय सहायता

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए, सरकार ने 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक योजना शुरू की। इस पहल के तहत, केंद्रीय अनुदान राज्य की इक्विटी भागीदारी के 24% तक को कवर करेगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना रु750 करोड़ होगी। वित्त वर्ष 2024–25 से वित्त वर्ष 2031–32 तक चलने वाली इस योजना का परिव्यय रु4,136 करोड़ है और इसका लक्ष्य 15 गीगावाट की संचयी जलविद्युत क्षमता को बढ़ावा देना है।

6. अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार में छूट

सभी जलविद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस प्रभार में छूट दी गई है, जिससे पारेषण संबंधी खर्च कम हो गए हैं।

7. रुकी हुई परियोजनाओं का पुनरुद्धार

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को रुकी हुई जलविद्युत परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। कुल 11.5 गीगावाट क्षमता वाली 12 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पहले ही निष्पादित किए जा चुके हैं।

8. विवाद समाधान ढाँचे की स्थापना

विवाद समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक सुलह समिति और पैनलबद्ध इंजीनियरों का एक पैनल शामिल है ताकि शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके और परियोजना में देरी से बचा जा सके।

9. नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ)

निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2025 से नव–स्थापित जलविद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं से ऊर्जा प्राप्त करना अधिदेशित करते हुए एक आरसीओ लागू किया गया है।

इन व्यापक नीतिगत हस्तक्षेपों से जलविद्युत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने, समग्र ऊर्जा मिश्रण में इसकी हिस्सेदारी बढ़ने और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

10. पीएसपी विकास के लिए समर्थन और प्रोत्साहन

उत्तराखंड राज्य में पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कई नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। इनमें सुव्यवस्थित भूमि आवंटन प्रक्रियाएँ, वैधानिक अनुमोदनों के लिए एकल–खिड़की

मंजूरी और पात्र परियोजनाओं के लिए रियायती भूमि पट्टा दरें शामिल हैं। इसके अलावा, डेवलपर्स स्टांप शुल्क, पंजीकरण प्रभार और बिजली शुल्क पर छूट या प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। राज्य परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सड़कों और पारेषण लाइनों जैसी आवश्यक अवसंरचना तक पहुँच की सुविधा भी प्रदान करता है। ग्रिड संतुलन और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए पीएसपी को महत्वपूर्ण मानते हुए, सरकार परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है।

ग. भारत में नवीकरणीय विद्युत की क्षमता

भारत अपनी महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धताओं और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के बल पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है। 2025 के मध्य तक, देश की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) लगभग 147 गीगावाट तक पहुँच गई है, जिसमें लगभग 84 गीगावाट सौर ऊर्जा, 47 गीगावाट पवन ऊर्जा, 11 गीगावाट जैव ऊर्जा और लगभग 5 गीगावाट लघु जलविद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होती है। जब बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाता है, तो कुल नवीकरणीय क्षमता 194 गीगावाट से अधिक हो जाती है। ये प्रगतियाँ पेरिस समझौते के तहत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की ओर भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाती हैं।

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई नीतिगत पहल, वित्तीय प्रोत्साहन और बोली प्रक्रिया शुरू की है। सौर पार्क, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाएँ, हरित ऊर्जा गलियारे और भंडारण परियोजनाओं (पंप हाइड्रो सहित) के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण जैसी योजनाओं ने निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है। भारत का नवीकरणीय विस्तार न केवल आर्थिक विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि विविध ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकार की योजना को लागू करने हेतु टीएचडीसीआईएल की पहल

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), स्वच्छ ऊर्जा, स्थायित्व और आत्मनिर्भरता पर भारत सरकार के एजेंडे का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। कंपनी ने विद्युत बाजार में भागीदारी करने, ऊर्जा की सुलभता और दक्षता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय विद्युत व्यापार लाइसेंस प्राप्त किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, टीएचडीसीआईएल, यूपीएनईडीए के साथ अपने संयुक्त उद्यम टुस्को लिमिटेड के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर और चित्रकूट जिलों में 2,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क विकसित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के क्रियान्वयन हेतु आरआरईसीएल के साथ एक संयुक्त उद्यम, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड का गठन किया गया है।

टीएचडीसीआईएल विभिन्न राज्यों में पीक डिमांड और ग्रिड स्थिरता को पूरा करने के लिए पंप स्टोरेज संयंत्र (पीएसपी) के अवसरों का भी आकलन कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए उपलब्ध जल निकायों का अनुकूलन करते हुए, जलाशयों और नहरों के ऊपर तैरते सौर संयंत्र विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में एक पायलट कार्बन कैप्चर परियोजना प्रगति पर है, जिसकी सफलता के आधार पर इसे और आगे बढ़ाने की योजना है। कंपनी निविदाओं में मेक इन इंडिया प्रावधानों के माध्यम से स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देती है और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से प्रमुख खरीद करती है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित ऊर्जा अपनाने पर केंद्रित सीएसआर कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख पहलों में हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और स्वच्छ जीवन और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए सौर और एलईडी स्ट्रीट लाइट, इंडक्शन कुकटॉप और अन्य ऊर्जा-कुशल उपकरणों का वितरण शामिल है।

अरुणाचल प्रदेश में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं का विकासः

अरुणाचल प्रदेश में टीएचडीसीआईएल की नियोजित परियोजनाएँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग को दर्शाती हैं। प्रमुख कलई- II जलविद्युत परियोजना और लक्षित कौशल-निर्माण पहलों के साथ, राज्य की जलविद्युत क्षमता को उजागर करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने और स्वच्छ, बड़े पैमाने पर जलविद्युत के साथ ग्रिड की लचीलापन को मजबूत करने के लिए आधार तैयार किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में टीएचडीसीआईएल का सामरिक प्रवेश एक बदलाव का प्रतीक है: कलई- II लोहित बेसिन में किसी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा निर्मित पहली बड़े पैमाने की जलविद्युत परियोजना है। यह परियोजना स्थानीय रोजगार, कौशल विकास, राजस्व सृजन और क्षेत्रीय अवसंरचना को बढ़ावा देने सहित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

घ. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

कंपनी मुख्य रूप से जलविद्युत, तापीय और गैर-पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। जलविद्युत और तापीय परियोजनाओं के बिजली उत्पादन के लिए टैरिफ सीईआरसी टैरिफ विनियमों के संदर्भ में विनियमित किया जाता है है।

वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण निम्नानुसार है।

निम्नलिखित पैराग्राफ में टिप्पणी (यों) के संदर्भ, इस रिपोर्ट में कहीं और रखे गए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में उल्लिखित है।

क. प्रचालन के परिणाम

उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (एमयू)	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
उत्पादन	6077	4830.64
बिक्री	5217.93	4270.20
आय	(रु करोड़ में)	
1. सतत प्रचालन से राजस्व (टिप्पणी 33)	2682.80	1967.24
2. अन्य आय (टिप्पणी 34)		
क) लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	12.78	15.48
ख) अन्य	16.80	29.37
कुल आय	**2712.38**	**2012.09**

1. आय:

कंपनी की आय में बिजली की बिक्री से आय, लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज और अधिभार, परामर्श, प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए सकल आय रु2712.38 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष में रु2012.09 करोड़ थी जिसमें 34.80% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मुख्यत: खुर्जा (यूनिट–1) के प्रारम्भ के कारण है।

प्रशुल्क

कंपनी द्वारा जलविद्युत और ताप विद्युत की बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के अनुसार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित टैरिफ द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने टैरिफ विनियम, 2024 अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, जो 01.04.2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू है। टैरिफ, वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन और रखरखाव व्यय शामिल हैं। आरओई को संबंधित वित्त वर्ष की प्रभावी आयकर दर के साथ जोड़ा जाता है ताकि आयकर भार की वसूली की जा सके। वसूली के उद्देश्य से, एएफसी को दो बराबर भागों अर्थात ऊर्जा प्रभार और क्षमता प्रभार में विभाजित किया गया है। ऊर्जा शुल्क की वसूली अनुसूचित बिक्री योग्य ऊर्जा पर निर्भर है और बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा स्तर प्राप्त होने पर पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाती है। बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक उत्पादन ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार के रूप में अतिरिक्त राजस्व के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से 1.20 रु/किलोवाट घंटा अधिक पर बिल किया जाता है। । क्षमता शुल्क की वसूली नॉर्मेटिव वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) के संदर्भ में बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र की वास्तविक उपलब्धता कारक पर निर्भर है, जिसे माननीय सीईआरसी द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए टिहरी एचपीपी के लिए 77% और कोटेश्वर एचईपी के लिए 66% निर्धारित किया गया है। कंपनी एनएपीएएफ के सापेक्ष उच्च संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार है।

प्रचालन से राजस्व में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में पाटन पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

(ii) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में द्वारका पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

(iii) उत्तर प्रदेश में धुकवां एसएचपी से लघु जल विद्युत की बिक्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(iv) केरल में कासरगोड सौर परियोजना से सौर ऊर्जा की बिक्री, केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

प्रचालन से राजस्व (टिप्पणी 33)

कंपनी ने टिहरी जल विद्युत परियोजना और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण और 2024–29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिकाओं हेतु माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष ट्रूइंग–अप टैरिफ याचिकाएँ दायर की हैं। उपरोक्त याचिकाओं के अनुसार टैरिफ निर्धारण लंबित रहने तक, चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व मान्यता सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 और 2024 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक स्थिर प्रभार (एएफसी) के आधार पर दी गई है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ याचिका हेतु माननीय सीईआरसी के दिनांक 08.11.2024 के आदेश के अनुसार राजस्व प्रभाव को भी वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है।

इसके अतिरिक्त, प्रचालन से प्राप्त राजस्व में वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रु 129.86 करोड़ का जल उपभोग प्रभार शामिल है।

बिक्री में मुख्य रूप से मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान उच्च संयंत्र उपलब्धता

कारक की उपलब्धि के कारण टिहरी एचपीपी के संबंध में क्षमता प्रभार प्रोत्साहन और टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी स्टेशन के संबंध में रु प्रोत्साहन के कारण रु45.06 करोड़ की प्रोत्साहन राशि शामिल है।

बिक्री में विद्युत स्टेशनों की बिक्रीयोग्य डिजाइन ऊर्जा की तुलना में उच्च ऊर्जा उत्पादन के कारण टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी स्टेशनों के संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से परे ऊर्जा शुल्क के कारण रु 75.42 करोड़ की राशि भी शामिल है।

पवन, लघु जलविद्युत और सौर परियोजनाओं के लिए बिक्री राजस्व को पीपीए के अनुसार टैरिफ के आधार पर मान्यता दी गई है।

कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और निजी वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाली बिजली यूटिलिटी शामिल हैं। बिजली की बिक्री आम तौर पर ऐसी उपयोगिताओं के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर आधारित होती है।

उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)		कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)		खुर्जा एसटीपीपी (660 मेगावाट)
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24	2024–25
डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	2797.00	2797.00	1154.84	1154.84	816.06
सकल उत्पादन (एमयू)	3373.89	3248.57	1244.68	1193.16	1092
मानक पीएएफ (%)	77.00	80.000	66.00	68.000	85.00
वास्तविक पीएएफ (%)	81.99	80.274	64.74	69.542	88.33

बिक्री में समय–समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर रु13.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु10.94 करोड़) का विचलन निपटान प्रभार भी शामिल है।

वित्त वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (पवन, लघु जलविद्युत और सौर ऊर्जा) की बिक्री से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में रु8.32 करोड़ की कमी आई है। दुकवां एसएचईपी और कासरगोड सौर परियोजना ने क्रमशः रु36.19 करोड़ और रु27.19 करोड़ का योगदान दिया। कंपनी अपनी पवन परियोजनाओं पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ भी उठा रही है जो रु9.56 करोड़ (पिछले वर्ष रु9.94 करोड़) है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से एमयू में उत्पादन और बिक्री का विवरण निम्नानुसार है:

अन्य आय में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

विवरण	पवन (113 मेगावाट) पाटन–50 मेगावाट, द्वारिका 63 मेगावाट		दुकवां (24 मेगावाट)		कासरगोड सोलर (50 मेगावाट)*	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
उत्पादन (एमयू)	200.06	216.71	75.44	74.89	90.82	97.29
बिक्री (एमयू)	191.26	207.34	74.23	73.66	89.52	95.77

अन्य आय (टिप्पणी 34)

(रु करोड़ में)

आय	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
बैंकों से ब्याज	1.83	0.90
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	12.78	15.48
अन्य विविध आय (मशीन किराया शुल्क, किराया आय, विविध आय, अतिरिक्त प्रावधान प्रतिलेखित, संपत्ति की बिक्री पर लाभ, कर्मचारियों से ब्याज, अन्य और विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव समायोजन सहित)	14.97	28.47
कुल आय	**29.58**	**44.85**

वर्ष के लिए अन्य आय पिछले वर्ष के रु44.85 करोड़ से –34.05: घटकर रु29.35 करोड़ रह गई। इसका मुख्य कारण यह है कि विगत वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को वित्त वर्ष 2016–17 और 2017–18 से संबंधित आयकर प्रतिदाय पर ब्याज प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज में रु1.74 करोड़ की कमी आई है और विलंबित भुगतान अधिभार में रु2.70 करोड़ की कमी आई है।

2. व्यय

व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं:

(रु करोड़ में)

व्यय	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 35)	380.16	341.17
वित्त लागत (टिप्पणी 36)	405.65	158.65
मूल्यह्रास और परिशोधन (टिप्पणी 2)	284.45	300.05
उत्पादन, प्रशासनिक और अन्य व्यय (टिप्पणी 37)	791.90	611.92
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर (टिप्पणी 38)	–	–
कुल व्यय	**1862.16**	**1411.79**
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन शेष – आय / (व्यय)	**180.74**	**(83.03)**

कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 35)

कर्मचारी हितलाभ व्यय में वेतन और मजदूरी, भत्ते और लाभ, भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान, कल्याण व्यय और आस्थगित कर्मचारी लागत के परिशोधन व्यय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में यह व्यय कुल व्यय का 20.42% है जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह कुल व्यय का 24.17% था। वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ व्यय रु380.16 करोड़ (पिछले वर्ष रु341.17 करोड़) है अर्थात् इसमें पिछले वर्ष की तुलना में रु38. 99 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से खुर्जा ओ एंड एम (यूनिट 1) और अमेलिया ओ एंड एम की 21.00 करोड़ रुपये की कमीशनिंग और पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई भत्ते की दर में 17.99 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण हुई है।

वित्त लागत (टिप्पणी 36)

वित्त लागत में मुख्य रूप से बांड, घरेलू ऋण, विदेशी ऋण, नकद ऋण आदि पर ब्याज शामिल है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, वित्त लागत (चालू वर्ष में रु405.65 करोड़, पिछले वर्ष रु158.65 करोड़) में रु247.00 करोड़ की वृद्धि हुई। वित्तीय लागत में वृद्धि मुख्य रूप से खुर्जा ओ एंड एम यूनिट के स्वदेशी ऋण और बांड पर ब्याज में रु83.04 करोड़ की वृद्धि, अमेलिया कोयला खदान ओ एंड एम यूनिट के लिए बांड ब्याज और कार्यशील पूंजी ब्याज में रु7.12 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई है। लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित एफईआरवी में रु35.51 करोड़ की वृद्धि (वित्त वर्ष 2024–25 के लिए लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित एफईआरवी रु54.71 करोड़ है जबकि वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु19.20 करोड़ है), खुर्जा ओ एंड एम और अमेलिया ओ एंड एम को छोड़कर नकद ऋण/ओडी में 23.19 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। खुर्जा ओ एंड एम और अमेलिया ओ एंड एम को छोड़कर कार्यशील पूंजी सावधि ऋण पर ब्याज में निवल वृद्धि रु67.91 करोड़ है, अन्य में कमी रु1.09 करोड़ है।

तथापि, कोटेश्वर परियोजना के लिए लिए गए रु1000.00 करोड़ के अल्पावधि ऋण के कारण अल्पावधि ऋण पर ब्याज में रु31.32 करोड़ की वृद्धि हुई है।

मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी 2)

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची– II के अनुसार टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए ऋजु रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, सिवाय कुछ मदों के जिनके लिए कंपनी द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

मूल्यह्रास लागत (चालू वर्ष रु284.45 करोड़; विगत वर्ष रु300. 05 करोड़) में रु15.60 करोड़ की कमी आई है। कोटेश्वर परियोजना के 12 वर्षों के वाणिज्यिक संचालन के पूरा होने के कारण रु102.96 करोड़ की कमी हुई। कोटेश्वर में रु 475.70 करोड़ के अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण मूल्यह्रास में रु 22.12 करोड़ की वृद्धि हुई। खुर्जा में रु57.90 करोड़, अमेलिया में रु 3.60 करोड़ और अन्य परियोजनाओं में रु3.73 करोड़ की मूल्यह्रास वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान मूल्यह्रास हमारे कुल व्यय का 15.28% होगा, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान यह 21.25% होगा।

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्यय (टिप्पणी 37)

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्ययों में मुख्य रूप से कोयला उत्पादन पर उपगत लागत, इमारतों, सड़कों और संयंत्र और मशीनरी का किराया, मरम्मत और रखरखाव, वाहन किराए पर लेना और संचालन, सुरक्षा, लेखा परीक्षकों को भुगतान, सर्वेक्षण और जांच, सीएसआर और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान उत्पादन, प्रशासन और अन्य

व्यय कुल व्यय का 42.53% प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान यह 43.34% था। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2024–25 में व्यय रु791.90 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष यह रु611.92 करोड़ था, अर्थात् इसमें रु179.98 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से कोयला उत्पादन पर होने वाली लागत के कारण रु197.85 करोड़ की वृद्धि; निपटाए गए मध्यस्थता मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज में रु11.94 करोड़ की वृद्धि; खुर्जा एसटीपीपी के प्रथम यूनिट के वाणिज्यिक संचालन से अन्य सामान्य व्यय के कारण रु17.07 की वृद्धि; मुख्य रूप से मानवशक्ति की आउटसोर्सिंग, जल उपयोग शुल्क पर व्यय में रु3.54 करोड़, मरम्मत और अनुरक्षण में रु7.62 करोड़ के कारण अन्य सामान्य व्यय के कारण रु8.65 करोड़ की वृद्धि; सीएसआर व्यय में रु23.60 करोड़, बीमा व्यय में रु9.38 करोड़, सर्वेक्षण और जांच व्यय में रु3.24 करोड़, अनुसंधान और विकास में रु8.12 करोड़, विदेशी मुद्रा दर में बदलाव में रु3.27 करोड़ और "विवाद से विश्वास" के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के कारण अन्य व्यय में रु83.10 करोड़ की कमी हुई।

अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए प्रावधान (टिप्पणी 38)

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर्स का प्रावधान पर किया गया व्यय 'शून्य' है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन (टिप्पणी 40)

कंपनी मुख्य रूप से विद्युत के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं से अपने ग्राहकों को बेची जाने वाली बिजली के लिए कंपनी द्वारा वसूला जाने वाला मूल्य सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है जो टैरिफ के निर्धारण के लिए सिद्धांतों और कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। टैरिफ इक्विटी पर निर्धारित आय के साथ स्वीकार्य लागत जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, संचलन और रखरखाव खर्च आदि पर आधारित है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान विनिमय दर भिन्नता के कारण, कोई लाभ या हानि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा तक पूंजीगत लागत का हिस्सा होगी। वेतन संशोधन के प्रभाव, आस्थगित कर अंतर, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मद के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को तुलन पत्र में बिना छूट के आधार पर नियामक आस्थगित खाता डेबिट/क्रेडिट शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) और निवल प्रभाव को लाभ और हानि खाते में नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन के रूप में मान्यता दी जाती है। उन्हें टैरिफ के हिस्से के रूप में उनके मटेरियलाइजेशन पर समायोजित किया जाता है। इसका लेखा–जोखा इंड एएस–114 के अनुसार है।

विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रु180.74 करोड़ और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु(83.03) करोड़ है।

रु267.33 करोड़ की वृद्धि के कारण निम्नानुसार हैं:

1. टीएचओएम द्वारा "विवाद समाधान समिति" तंत्र के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के कारण विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष में रु 11.94 करोड़ की वृद्धि हुई।
2. "विवाद से विश्वास" और "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/संदेय ब्याज के कारण विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष में निवल संचलन में रु83.10 करोड़ की कमी।
3. रुपये के मुकाबले डॉलर के मूल्यवृद्धि के कारण विनिमय दर में परिवर्तन के कारण विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष में निवल संचलन (चालू वर्ष रु57.99 करोड़, पिछला वर्ष रु19.20 करोड़) में रु38.79 करोड़ की वृद्धि।
4. आस्थगित कर देयता की मान्यता के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में निवल संचलन में रु100.38 करोड़ की वृद्धि।
5. एमएटी क्रेडिट के उपयोग के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में रु 32.17 करोड़ की वृद्धि हुई।
6. भावी उपयोग के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट की मान्यता के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में निवल संचलन में रु 199.44 करोड़ की वृद्धि।
7. उपरोक्त के कारण चालू अवधि के दौरान विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष कर व्यय में निवल संचलन में रु 55.85 करोड़ की कमी दर्ज की गई। (पिछले वर्ष रु17.58 करोड़ का कर लाभ दर्ज किया गया था)।

कर पूर्व लाभ

उपरोक्त उल्लिखित कारणों के फलस्वरूप, कर पूर्व लाभ (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु 600.30 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान रु 850.22 करोड़) में रु249.92 की वृद्धि हुई।

कर व्यय (टिप्पणी 39):

i) चालू कर व्यय: कंपनी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय पर कर को मान्यता देती है। पिछले वर्ष के रु103.62 करोड़ की तुलना में वर्ष के लिए चालू कर रु148.97 करोड़ है।

ख. वित्तीय स्थिति

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को "गैर–चालू" और "चालू" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और इसमें अनुवर्ती संशोधन के अनुसार वित्तीय और अन्य श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तुलन–पत्र की मदें इस प्रकार हैं:

परिसंपत्तियां:

1. गैर–चालू परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 2)	13941.87	6201.25
उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति (टिप्पणी 2)	1514.87	641.69
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी 2)	1.84	1.38
पूंजीगत कार्य–प्रगति पर (टिप्पणी 3)	16484.73	18898.53
सहायक कंपनी में निवेश (टिप्पणी 4)	51.80	40.70
वित्तीय परिसंपत्तिया		
– ऋण (टिप्पणी 5)	25.32	28.13
– अग्रिम (टिप्पणी 5.1)	13.13	0.00
– अन्य (टिप्पणी 6)	25.72	24.87
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 7)	852.37	1001.45
गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 8)	–	59.04
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 9)	1307.82	1860.33
कुल	**34219.47**	**28777.37**

गैर–चालू परिसंपत्तियों में 18.91% की वृद्धि होकर यह रु 34219.47 करोड़ (विगत वर्ष रु 28777.37 करोड़) हो गई हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) (टिप्पणी 2)

पीपीई में भूमि, भवन, सड़क और पुल, संयंत्र और मशीनरी, उत्पादन संयंत्र और मशीनरी, विद्युत कार्य, हाइड्रोलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि), वाहन, विद्युत / कार्यालय उपकरण, फर्नीचर / फिक्सचर्स आदि के संबंध में मूल्यह्रास के बाद निवल ब्लॉक शामिल हैं। पीपीई का सकल ब्लॉक वर्ष के दौरान रु 8841.16 करोड़ बढ़कर रु 23667.83 करोड़ (पिछले वर्ष रु 14826.66 करोड़) हो गया। पीपीई में वृद्धि विभिन्न परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण हुई है, जिनमें मुख्य रूप से खुर्जा ओएंडएम यूनिट 1 का पूंजीकरण रु 6931.78 करोड़; अमेलिया एकीकृत कोयला खदान का पूंजीकरण रु 269.64 करोड़; मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय, कैसीटी दावा और अन्य के कारण टिहरी ओएंडएम यूनिट के पीपीई में रु 186.51 करोड़ की वृद्धि; कोटेश्वर यूनिट में रु 527 करोड़ की वृद्धि (मुख्य रूप से टैरिफ ऑर्डर के कारण); मुख्य रूप से फ्रीहोल्ड भूमि, भवन और अन्य के संबंध में वीपीएचईपी में रु 65.21 करोड़ की वृद्धि; मुख्य रूप से लखनऊ कार्यालय, कमिश्नर (गढ़वाल) कैंप बिल्डिंग फ्रीहोल्ड भूमि का पूंजीकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर और अन्य के संबंध में ऋषिकेश यूनिट में रु 32.51 करोड़ की वृद्धि शामिल है। हालांकि, चालू वर्ष के अंत में पीपीई का निवल ब्लॉक रु 15458.58 करोड़ (पिछले वर्ष रु 6844.32 करोड़) है, जिसमें रु 8614.26 करोड़ की वृद्धि का संचयी प्रभाव है, जो मुख्य रूप से सकल ब्लॉक में वृद्धि और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास के कारण कमी के परिणामस्वरूप है।

पूंजीगत कार्य–प्रगति पर और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी 3)

चालू वर्ष के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण रु 2413.80 करोड़ (रु 18898.53 करोड़ से रु 16484.73 करोड़) की कमी हुई:

1. खुर्जा यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु 5066.66 करोड़ की कमी।
2. अमेलिया यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु 204.41 करोड़ की कमी।
3. कोटेश्वर ओएंडएम यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु 17.55 करोड़ की कमी।
4. टिहरी पीएसपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु 1782.36 करोड़ की वृद्धि।
5. वीपीएचईपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु 1033.66 करोड़ की वृद्धि।
6. अरुणाचल प्रदेश यूनिट (कलई–।।) के पूंजीगत कार्यों में रु 4223 करोड़ की वृद्धि।
7. ऋषिकेश यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु 14.58 करोड़ की वृद्धि।
8. टिहरी ओ एंड एम यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु 1.07 करोड़ की वृद्धि।
9. अन्य में रु 0.92 करोड़ की निवल वृद्धि।

वित्तीय परिसंपत्तियां

व्यापार प्राप्य और सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य प्लस या माइनस लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती हैं। लाभ या हानि

के माध्यम से उचित मूल्य पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि के विवरण में व्यय में दर्शाया जाता है।

गैर–चालू परिसंपत्तियां–सहायक कंपनियों में निवेश (टिप्पणी 4)

निवेश लंबी अवधि के लिए अभिप्रेत है और उस लागत पर किया जाता है जिसमें सहायक कंपनियों में निवेश शामिल होता है। वर्ष के अंत में कुल निवेश रु 51.80 करोड़ है, जो मेसर्स टुस्को लिमिटेड, मेसर्स ट्रेंडको राजस्थान लिमिटेड और मेसर्स टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएन एनर्जी कंपनी लिमिटेड में किया गया है।

गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण (टिप्पणी 5)

गैर–चालू ऋण ऐसे ऋण हैं जिनके तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने के बाद वसूल किए जाने की उम्मीद है। इन ऋणों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं और रिपोर्टिंग तिथि पर उनका उचित मूल्यांकन किया गया है। चालू वर्ष के अंत में ऋण रु 25.32 करोड़ (पिछले वर्ष रु 28.13 करोड़) है।

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम (टिप्पणी 5.1)

इन अग्रिमों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए गए बहुउद्देशीय अग्रिम शामिल हैं और इनका रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यांकन किया गया है। चालू वर्ष के अंत में अग्रिम राशि रु 13.13 करोड़ है।

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य (टिप्पणी 6)

चालू वर्ष के अंत में अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ रु 25.72 करोड़ (पिछला वर्ष 24.87 करोड़) हैं, जिनमें राज्य विद्युत बोर्डों के पास रु 16.49 करोड़ और अन्य के पास रु 5.90 करोड़ जमाराशि शामिल हैं। इसमें सहायक कंपनी में आवंटन हेतु रु 3.33 करोड़ की लंबित शेयर पूंजी भी शामिल है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 7)

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतरों के रिवर्स होने पर लागू होने की उम्मीद है, जो उन कानूनों के आधार पर लागू होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग की तारीख तक लागू किया गया है। निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति (चालू वर्ष में रु 852.37 करोड़, पिछले वर्ष में रु 1001.45 करोड़) में रु 149.08 करोड़ की कमी हुई। यह कमी मुख्य रूप से एमएटी क्रेडिट के उपयोग के कारण हुई।

गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (टिप्पणी 8)

यह आयकर विभाग के पास जमा की गई राशि को दर्शाती है, जिसका मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें पिछले वित्त वर्ष से रु 59.04 करोड़ की कमी हुई है।

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 9)

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत, संविदाकारों को दिए गए पूंजीगत अग्रिम, सरकारी विभागों /संगठनों, संविदाकारों को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। यह मुख्य रूप से संविदाकारों और सरकारी एजेंसियों को अग्रिम के समायोजन के कारण पिछले वर्ष के रु 1880.33 करोड़ की तुलना में घटकर रु 1307.82 करोड़ रह गया।

2. चालू परिसंपत्तियां

(रु करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
इंवेन्ट्री (टिप्पणी 10)	171.00	131.56
वित्तीय परिसंपत्तियां		
– व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 11)	1026.01	450.68
– नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 12)	148.23	95.62
– उपरोक्त को छोड़कर बैंक शेष (टिप्पणी 12.1)	5.96	–
– ऋण (टिप्पणी 13)	7.11	7.90
–अग्रिम (टिप्पणी 14)	24.84	15.63
– अन्य (टिप्पणी 15)	1627.02	1494.11
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 16)	79.75	25.10
अन्य चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 17)	219.97	93.42
कुल	**3309.89**	**2314.02**

31 मार्च 2025 तक चालू परिसंपत्तियां रु995.87 करोड़ बढ़कर रु3309.89 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2314.02 करोड़) हो गई हैं। मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

इन्वेंट्री (टिप्पणी 10)

इन्वेंटरी में मुख्य रूप से स्टोर, स्पेयर और कोयला शामिल होते हैं जो संयंत्र के प्रचालन के लिए अनुरक्षित किए जाते हैं। इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत आधार और निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर कम लागत पर किया जाता है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, इन्वेंटरी का मूल्य रु171.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु 131.56 करोड़) है।

वित्तीय परिसंपत्ति

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 11)

व्यापार प्राप्यों में मुख्य रूप से ऊर्जा की बिक्री के कारण प्राप्तियां शामिल होती हैं। व्यापार प्राप्यों में लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष

लाभार्थियों के शेष के लिए बिल न किए गए राजस्व को शामिल नहीं किया जाता है जिसे अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों (टिप्पणी 15) के तहत अलग से दर्शाया गया है। चालू वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों में रु 575.33 की वृद्धि हुई है जिससे यह रु 1026.01 (विगत वर्ष रु 450.68) रह गई। निवल वृद्धि मुख्य रूप से खुर्जा परियोजना के अबिलीकृत देनदारों के कारण है।

नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 12)

नकदी और नकदी समकक्ष में मुख्य रूप से बैंकों में शेष राशि शामिल होती है। चालू वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समकक्ष पिछले वर्ष के रु 95.62 करोड़ की तुलना में बढ़कर रु 148.23 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें रु 52.61 करोड़ की वृद्धि हुई।

उपरोक्त को छोड़कर बैंक शेष (टिप्पणी 12.1)

नकदी और नकदी समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष में फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि के लिए निर्धारित शेष राशि शामिल है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण (टिप्पणी 13)

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण रु 7.11 करोड़ (पिछले वर्ष रु 7.90 करोड़) है। इस प्रकार इसमें रु 0.79 करोड़ की कमी हुई है जो मुख्य रूप से कर्मचारी ऋण में कमी के कारण है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम (टिप्पणी 14)

अग्रिम में मुख्य रूप से कर्मचारियों और अन्य को अग्रिम शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पिछले वर्ष के रु15.63 करोड़ की तुलना में बढ़कर रु24.84 करोड़ हो गया है। इस प्रकार इसमें रु9.21 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से कर्मचारियों के अग्रिम में वृद्धि के कारण है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य (टिप्पणी 15)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों के शेष के लिए बिल न किए गए राजस्व, प्रतिभूति जमा, सरकार/न्यायालय के पास जमा और अन्य जमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ पिछले वर्ष के रु 1494.11 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बढ़कर रु 1627.02 करोड़ हो गईं। इस प्रकार मुख्य रूप से संविदा परिसंपत्तियों के सृजन के कारण इसमें रु 132.91 करोड़ की वृद्धि हुई है।

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 16)

यह वह राशि है जो मूल्यांकन के पूरा होने के कारण अंततः आयकर प्राधिकरणों की ओर से रिफंड के रूप में देय है। चालू कर परिसंपत्तियों में वृद्धि, निर्धारण वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारण पूरा होने पर गैर–चालू कर परिसंपत्तियों के चालू कर परिसंपत्तियों में अंतरण के कारण हुई है।

अन्य चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 17)

अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से प्रीपेड व्यय, अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूर्व–संदत्त व्ययों, संविदाकारों को अग्रिम, रॉयल्टी और सीएसआर में वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान रु 126.55 करोड़ की वृद्धि हुई है।

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष (टिप्पणी 18)

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुवर्ती अवधियों में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय की सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय / आय को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "दर विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन" के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप और इंड एएस–114 विनियामक आस्थगित खातों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ववनियामक आस्थगित खाता शेषष के रूप में मान्यता दी जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि उस वर्ष से समायोजित की जाती है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में, अनुवर्ती अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य–सीमा तक, उधार लागत के रूप में मानी गई विदेशी मुद्रा ऋण पर विदेशी मुद्रा दर भिन्नता और दिनांक 01.01.2017 से बाद वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी हितलाभ व्यय शामिल हैं।

वर्ष के अंत में विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष रु 285.65 करोड़ (पिछले वर्ष रु 215.72 करोड़) है। इस प्रकार 69.93 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः रुपये के मुकाबले डॉलर के मूल्य में 57.99 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण विनिमय दर में परिवर्तन से हुई हानि, तथा टिहरी ओ एंड एम इकाई द्वारा "विवाद समाधान समिति" तंत्र के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के कारण 11.94 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण हुई है।

3. इक्विटी और देयताएं

कुल इक्विटी

वित्त वर्ष 2024–25 और 2023–24 के अंत में कंपनी की कुल इक्विटी इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी शेयर पूंजी (टिप्पणी 19)	3665.88	3665.88
अन्य इक्विटी (टिप्पणी 20)	7383.46	6880.80
कुल इक्विटी	**11049.34**	**10546.68**

अन्य इक्विटी (टिप्पणी 20)

अन्य इक्विटी के ब्यौरे में, रु 7015.57 करोड़ (पिछले वर्ष रु 6616.38 करोड़) की प्रतिधारित आय, रु 362.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु 264.42 करोड़) की डिबेंचर मोचन आरक्षिती और रु 5.05 करोड़ के फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु 227.34 करोड़ का अंतिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है और इसे प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया है।

देयताएं

गैर–चालू देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (टिप्पणी 21)	18727.97	14578.80
– पट्टा देयताएं (टिप्पणी 22)	36.59	33.65
– गैर–चालू वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 23)	112.81	70.67
अन्य गैर–चालू देयताएं (टिप्पणी 24)	698.29	736.54
प्रावधान (टिप्पणी 25)	173.93	163.20
कुल	**19749.59**	**15582.86**

गैर–चालू–वित्तीय देयताएं – उधार (टिप्पणी 21)

31 मार्च, 2025 को उधारियां रु 18727.97 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2024 को यह रु 14578.80 करोड़ थी, और इसमें रु 4149.17 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, रु 750.00 करोड़ के बॉन्ड सीरीज X रु 600.00 करोड़ के बॉन्ड सीरीज Xi और रु 700.00 करोड़ के बॉन्ड सीरीज Xii जारी होने, पीएनबी से रु 802.78 करोड़ के सावधि ऋण, केनरा बैंक से रु 450.00 करोड़ के सावधि ऋण, विश्व बैंक से रु 1046.39 करोड़ के सावधि ऋण और बैंक ऑफ बड़ौदा से रु 200 करोड़ के सावधि ऋण की चुकौती के कारण उधारी में वृद्धि हुई है।

पट्टा देयताएं (टिप्पणी 22)

कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था जिसमें पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता है और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होता है, ऐसे पट्टों को पट्टा अवधि में भुगतान किए जाने वाले कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। भावी पट्टा किराया को उनके वर्तमान मूल्यों पर "पट्टा देयताओं" के रूप में मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2024 तक रु 33.65 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2025 तक पट्टा देयताएं रु 36.59 करोड़ थीं और इसमें रु 2.94 करोड़ की वृद्धि हुई।

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 23)

अन्य वित्तीय देयताओं में संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण राशि शामिल है। चालू वर्ष के लिए अन्य वित्तीय देयताएं रु 112.81 करोड़ (पिछले वर्ष रु 70.67 करोड़) है। इस प्रकार, इसमें रु 42.14 की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण राशि में कमी रही।

अन्य गैर–चालू देयताएं (टिप्पणी 24)

अन्य गैर–चालू देयताओं में मूल्यह्रास पर अग्रिम (एएडी), सिंचाई घटक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान और प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि पर आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ शामिल हैं। अन्य गैर–चालू देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में रु 38.25 करोड़ की कमी दर्ज की गई है, जिसका कारण मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम में रु 7.60 करोड़ की कमी, उत्तर प्रदेश सिंचाई घटक के गैर–चालू भाग में रु 26.62 करोड़ की कमी और प्रतिभूति जमा पर आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ में रु 4.03 करोड़ की कमी है।

गैर–चालू प्रावधान (टिप्पणी 25)

गैर–चालू प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के आधार पर प्रदान किए गए कर्मचारी हितलाभों के कारण हैं, जिन्हें तुलनपत्र की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद निपटाने की उम्मीद है। चालू वर्ष के दौरान गैर–चालू प्रावधान रु 10.73 करोड़ घटकर रु 173.93 करोड़ (पिछले वर्ष रु 163.20 करोड़) रह गए। इंड एएस–19 "कर्मचारी हितलाभ" के अनुसार प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 43.24 में दिए गए हैं।

4. चालू देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (टिप्पणी 26)	3316.71	2108.60
– पट्टा देयताएं (टिप्पणी 27)	3.41	3.20
– व्यापार देय	55.52	53.80
– अन्य (टिप्पणी 28)	1995.31	1858.76
अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी 29)	167.79	162.09
प्रावधान (टिप्पणी 30)	922.49	310.75
चालू कर देयताएं (टिप्पणी 31)	23.56	0.00
कुल	**6484.79**	**4497.20**

31 मार्च, 2025 और 2024 की स्थिति के अनुसार, चालू देयताएं क्रमशः रु 6484.79 करोड़ और रु 4497.20 करोड़ हैं। चालू देयताओं में 44.20% की वृद्धि हुई है और मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है –

चालू – वित्तीय देयताएं – उधारियां (टिप्पणी 26)

इसमें बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत और अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण, बैंकों से प्राप्त ओवरड्राफ्ट सुविधा और दीर्घावधि उधारियों की चालू परिपक्वता शामिल है। यह रु 1208.11 करोड़ बढ़कर रु 3316.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2108.60 करोड़) हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण सुविधाओं में रु 308.13 करोड़ की वृद्धि, पीएनबी से ओडी सुविधा में रु 348.97 करोड़ की वृद्धि, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ओडी सुविधा में रु 326.03 करोड़ की वृद्धि, एचडीएफसी और एसबीआई से ऋण सुविधाओं में क्रमशः रु 18.88 करोड़ और रु 9.91 करोड़ की कमी के कारण हुई है।

इसके अतिरिक्त, चालू परिपक्वताओं में रु 253.77 करोड़ की वृद्धि हुई है।

चालू– वित्तीय देयताएं – पट्टा (टिप्पणी 27)

इसमें वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता शामिल है और इसमें रु 0.21 करोड़ की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

चालू – वित्तीय देयताएं – अन्य (टिप्पणी 28)

अन्य वित्तीय देयताएं में मुख्य रूप से कर्मचारियों के पारिश्रमिक और हितलाभों के लिए देयताएं, अचल परिसंपत्तियों की खरीद / निर्माण के लिए देयताएं, संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि और अदेय किंतु उपार्जित ब्याज शामिल है। अन्य चालू वित्तीय देयताओं में रु 136.55 करोड़ की वृद्धि होकर यह रु 1995.31 करोड़ (पिछला वर्ष रु 1858.76 करोड़) हो गई है, जिसका मुख्य कारण संविदाकारों से जमा एवं प्रतिधारण राशि में वृद्धि, पूंजी मदों के लिए छिटपुट लेनदारों और विविध देयताओं में वृद्धि है।

अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी 29)

अन्य चालू देयताओं में मुख्य रूप से मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम का वर्तमान भाग, बाद में जमा की गई अन्य वसूली और सिंचाई घटक का समायोजन शामिल है। वर्ष के अंत में अन्य वर्तमान देयताएं रु 167.79 करोड़ (पिछला वर्ष रु 162.09 करोड़) थीं। इस प्रकार इसमें रु 5.70 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से संदेय सांविधिक देय में वृद्धि के कारण हुई।

चालू प्रावधान (टिप्पणी 30)

अल्पावधि प्रावधानों में बीमांकिक मूल्यांकन, प्रदर्शन संबंधित वेतन और कार्यों संबंधित प्रावधान के अनुसार बारह महीने के भीतर देय अदत्त कर्मचारी हितलाभ शामिल हैं। चालू प्रावधान में वित्त वर्ष 2025 में रु 611.74 करोड़ की वृद्धि हुई जिससे यह रु 922.49 करोड़ (पिछला वर्ष रु 310.75 करोड़) हो गए, वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान में रु 54.93 करोड़, मध्यस्थता पुरस्कार में रु 475.70 करोड़, भूमि अधिग्रहण से संबंधित दायित्वों में रु 73.53 करोड़ और अन्य में रु 7.58 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

चालू कर देयताएं (टिप्पणी 31)

वर्ष के दौरान चालू कर देयताओं में वृद्धि के कारण रु 23.56 करोड़ की वृद्धि हुई।

विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष (टिप्पणी 32)

वर्ष के अंत में आस्थगित खाता क्रेडिट शेष रु 531.29 करोड़ (पिछला वर्ष रु 880.37 करोड़) है। दिनांक 31.03.2025 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में मुख्य रूप से आस्थगित कर देयता की मान्यता के कारण रु 149.08 करोड़ की कमी आई।

ग. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के समक्ष दावों के निम्नलिखित घटक हैं जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(रु करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार	
	31.03.2025	31.03.2024
क. पूंजीगत कार्य	2379.87	2744.71
ख. भूमि मुआवजा मामले	42.10	35.81
ग. राज्य / केंद्र सरकार के विभाग / प्राधिकरण	1400.89	1338.60
घ. अन्य	23.27	5.84
ङ. उपरोक्त क से घ के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	1143.02	1096.07
च. विवादित कर मामले	50.50	2.15
कुल	**3896.63**	**4127.11**

आकस्मिक देयताओं में रु 230.48 करोड़ की कमी हुई है, जो मुख्य रूप से पूंजीगत कार्यों में कमी के कारण हुई।

घ. सहायक कंपनियों का व्यवसाय और वित्तीय समीक्षा

सहायक कंपनियां

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई), भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16.07.2020 और 28.07.2020 के माध्यम से अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया था। यूएमआरईपीपी को टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार संगठनों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एक एसपीवी के

माध्यम से विकसित किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिवार्य यूएमआरईपीपी के कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल के साथ जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) की पहचान की। संयुक्त उद्यम के गठन के लिए टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच 06.08.2020 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर 2000 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित करने के लिए यूपीनेडा के साथ 74:26 की इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स टस्को लिमिटेड का गठन किया है।

इसके अलावा, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी मैसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को कंपनी और आरआरईसीएल के बीच 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ आरआरईसीएल के साथ पदोन्नत किया गया हैं। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी और यूजेवीएनएल के बीच 74:26 की इक्विटी भागीदारी के अनुपात में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, मेसर्स टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को स्थापित किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसका मुख्य व्यवसाय स्थान भी है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–110) के अनुसार तैयार किए गए हैं – "समेकित वित्तीय विवरण" इंड एएस –28 – सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश, इंड एएस –112 "अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटीकरण" और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं। कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़कर, इंट्रा–ग्रुप बैलेंस, इंट्रा–ग्रुप लेनदेन, अप्राप्त लाभ या हानि को समाप्त करने के बाद लाइन दर लाइन आधार पर जोड़ा गया है। संयुक्त उद्यम कंपनियों लेखांकन की इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए समेकित किया गया है।

ङ. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

1. सामर्थ्य

- **सुदृढ़ सरकारी समर्थन और नीतिगत समर्थन**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को एनटीपीसी (74.5%) के अधिकांश और उत्तर प्रदेश सरकार (25.5%) के स्वामित्व में, एनटीपीसी के साथ सामरिक साझेदारी का लाभ मिलता है, साथ ही उत्तराखंड में जलविद्युत स्थलों तक अधिमान्य पहुंच, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लाभ और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रिया का भी लाभ प्राप्त होता है।

- **जलविद्युत विकास में दशकों की विशेषज्ञता**

जटिल जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और संचालन में 35 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने भारत की सबसे ऊंची टिहरी जल विद्युत परियोजना के सफल समापन के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है, जिसमें मजबूत इंजीनियरिंग क्षमताओं और पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव प्रबंधन के लिए स्थापित प्रोटोकॉल का लाभ उठाया गया है।

- **दूरदर्शी नेतृत्व**

हमारा दूरदर्शी नेतृत्व एक स्पष्ट दृष्टि और दिशा प्रदान करता है, जो संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए प्रेरित करता है और इसे ऊर्जावान बनाता है। टीएचडीसीआईएल के नेतृत्व ने चुनौतियों को अवसरों में बदलते हुए, संगठन के क्षितिज का सफलतापूर्वक विस्तार किया है।

- **विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा**

टीएचडीसीआईएल ने सौर और पवन ऊर्जा सहित पारंपरिक और गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में भी कार्य शुरू किया है। कंपनी ने गुजरात में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है और उसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अल्ट्रा–मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

- **भूमिगत कार्यों में विशेषज्ञता**

टीएचडीसीआईएल के पास, विशेष रूप से संवेदनशील हिमालयी भूविज्ञान में भूमिगत कार्यों में असाधारण इंजीनियरिंग और निर्माण कौशल है। टिहरी जलविद्युत परियोजना में विशाल भूमिगत संरचनाओं के निर्माण में कंपनी के अनुभव की सराहना की गई है और यह अन्य परियोजनाओं में भी उपयोगी साबित हुआ है।

- **प्रभावी प्रचालन एवं अनुरक्षण**

टीएचडीसीआईएल को आंतरिक प्रचालन और रखरखाव का व्यापक अनुभव है, जिसमें संयंत्र के प्रदर्शन को अधिकतम करने, प्रभावी निगरानी और दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने में विशेषज्ञता शामिल है। इसके परिणामस्वरूप निरंतर गुणवत्तापूर्ण विद्युत उत्पादन और उच्च संयंत्र उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति**

टीएचडीसीआईएल एक लाभ–अर्जन कंपनी है, जिसके पास एक सुदृढ़ वित्तीय मंच है, जो भावी विस्तार और क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों में निवेश को सक्षम बनाता है।

- **मानव संसाधन**

टीएचडीसीआईएल ने नियमित और संविदा कर्मचारियों के मिश्रण के साथ अपनी जनशक्ति को अनुकूलित किया है, तथा कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और विकास में निवेश किया है।

2. कमजोरियां

- जलविद्युत परियोजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता
- भूमि अधिग्रहण और नियामक चुनौतियों के कारण परियोजना कार्यान्वयन में देरी
- सुदृढ़ वित्तीय भंडार और जोखिम न्यूनीकरण की आवश्यकता
- भूवैज्ञानिक अनिश्चितताएँ
- बढ़ती प्राकृतिक आपदाएँ
- बदलता बाजार परिदृश्य
- नियामक जोखिम
- जलविद्युत क्षेत्र के लिए उत्पादन और परियोजना प्रभाव के कड़े लक्ष्य

3. अवसर

- **सौर और पवन विद्युत में पोर्टफोलियो का विस्तार:**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने सौर और पवन ऊर्जा से 163 मेगावाट की प्रचालन क्षमता के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट के सौर पार्कों के लिए यूपीनेडा (टुस्को लिमिटेड) के साथ और राजस्थान में 10,000 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के लिए आरआरईसीएल (ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड) के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित नए युग की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियां:**

टीएचडीसीआईएल खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है, जिसमें नई उभरती हुई लागत प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक शामिल है। इस प्रायोगिक परियोजना के परिणाम के आधार पर, क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे निकास गैसों से अधिकांश कार्बन–आधारित उत्सर्जन (सीओ2, आदि) को हटाने में मदद मिलेगी।

- **पावर ट्रेडिंग में प्रवेश:**

टीएचडीसीआईएल को पूरे भारत में विद्युत के अंतर–राज्यीय व्यापार के लिए माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 8 मई, 2023 को श्रेणी 'IV' लाइसेंस प्रदान किया गया है।

- **ईवी चार्जिंग:**

टीएचडीसीआईएल ने चारधाम यात्रा मार्ग पर जीएमवीएन के अतिथि गृहों के परिसर में 12 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। अन्य 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन भी निर्माण के अंतिम चरण में हैं।

- **हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं:**

टीएचडीसीआईएल भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में परियोजनाओं को शुरू करने और उसमें भाग लेने का प्रयास करता है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश (उत्तराखंड) में 1 मेगावाट क्षमता (इलेक्ट्रोलाइजर और ईंधन–सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड प्रणाली) के साथ 'ग्रीन हाइड्रोजन' की एक प्रायोगिक परियोजना पूरी हो गई है।

4. चुनौतियां

- **मंजूरी संबंधी देरी**

पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंजूरियों में जटिल प्रक्रियाएँ और देरी। एकल–खिड़की मंजूरी प्रणाली की आवश्यकता है।

- **भौगोलिक अनिश्चितताएं**

हिमालयी क्षेत्र में भौगोलिक आश्चर्य के परिणामस्वरूप समय और लागत में भारी वृद्धि होती है।

- **भूमि अधिग्रहण**

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जटिलता के संबंध में फास्ट–ट्रैक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की आवश्यकता है।

- **प्राकृतिक आपदाएं:**

भूस्खलन, पर्वतीय ढलानों के बह जाने और बादल फटने से निर्माण कार्यक्रम और परियोजना समय–सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- **वित्तीय स्थिति:**

राज्य डिस्कॉम और सिविल संविदाकारों की खराब वित्तीय स्थिति परियोजना कार्यान्वयन और सततता को प्रभावित करती है।

- **विनियामक जोखिम**

टैरिफ विनियमों और उनमें परिवर्तन से संबंधित जोखिम परियोजना की व्यवहार्यता और लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं।

- **सख्त लक्ष्य**

उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के लिए अवास्तविक लक्ष्य परियोजना के प्रदर्शन और सतता को प्रभावित करते हैं।

च. प्रचालनात्मक समीक्षा

वित्त वर्ष 2024–25 में कंपनी का निवल विद्युत उत्पादन 6077 मिलियन यूनिट रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 4830 मिलियन यूनिट था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 25% की सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, संयंत्र–वार समीक्षा निम्नानुसार है:

जल विद्युत संयंत्र

टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)

पीएएफ: संयंत्र ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 81.99% का औसत परियोजना प्रभाव प्राप्त किया, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 80.27% था।

वित्त वर्ष 2024–25 में उत्पादित विद्युत: 3374 मिलियन यूनिट

विद्युत बिक्री (लाभार्थी राज्य): पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश

संयंत्र के प्रमुख सामर्थ्य: टिहरी जल विद्युत परियोजना एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है और यह राष्ट्रीय ग्रिड की पीकिंग विद्युत प्रतिबद्धता के अनुरूप, डाउनस्ट्रीम की पेयजल एवं सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करती है।

कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)

पीएएफ: संयंत्र ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 64.74% का औसत पीएएफ प्राप्त किया, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 69.52% था।

वित्त वर्ष 2024–25 में उत्पादित विद्युत: 1245 मिलियन यूनिट

विद्युत बिक्री (लाभार्थी राज्य): पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश

संयंत्र के प्रमुख सामर्थ्य: वास्तविक उत्पादन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित करता है जो लगातार संबंधित डिजाइन ऊर्जा से आगे निकल जाता है।

ढुकवां जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)

पीएएफ: संयंत्र ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 35.88% का औसत

पीएएफ प्राप्त किया, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 35.50% था।

वित्त वर्ष 2024–25 में उत्पादित विद्युत: 75 मिलियन यूनिट

विद्युत बिक्री (लाभार्थी राज्य): उत्तर प्रदेश।

संयंत्र के प्रमुख सामर्थ्य: टीएचडीसीआईएल की पहली नहर आधारित परियोजना, जिसका डिज़ाइन पूरी तरह से आंतरिक है।

ताप विद्युत संयंत्र

खुर्जा एसटीपीपी (660 मेगावाट) यूनिट–1

पीएलएफ: इस संयंत्र में दो सामरिक व्यवसाय यूनिट (एसबीयू) – यूनिट 1 और यूनिट 2 शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में, यूनिट–1 (660 मेगावाट) ने 26.01.25 को वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया। संयंत्र ने 68.76% का औसत वास्तविक पीएलएफ हासिल किया।

वित्त वर्ष 2024–25 में उत्पादित विद्युत: 1092 मिलियन यूनिट

विद्युत बिक्री (लाभार्थी राज्य): उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान।

संयंत्र के प्रमुख सामर्थ्य: टीएचडीसीआईएल का पहला ताप विद्युत संयंत्र है और यह सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। खुर्जा एसटीपीपी की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने टीएचडीसीआईएल को अमेलिया कोयला खदान आवंटित की है।

कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र:

प्रचालन सौर क्षमता: 50 मेगावाट

वित्त वर्ष 2024–25 में उत्पादित विद्युत: 91 मिलियन यूनिट

पवन ऊर्जा

पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र:

प्रचालन पवन क्षमता: 50 मेगावाट

निवल उत्पादित बिजली: 69 मिलियन यूनिट

द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र:

प्रचालन पवन क्षमता: 63 मेगावाट

निवल उत्पादित बिजली: 131 मिलियन यूनिट

छ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और लागू कानूनों, विनियमों और आंतरिक नीतियों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आंतरिक नियंत्रण ढाँचा स्थापित किया है। उभरते जोखिमों और नियामक अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए इन नियंत्रणों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाता है। एक आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा देखरेख और लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करने वाला एक जोखिम–आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र, प्रमुख प्रचालन और वित्तीय क्षेत्रों का व्यवस्थित मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। लेखा परीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रणों की नियमित समीक्षा की है और पाया है कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी हैं, जिससे अभिशासन मानकों और निवेशकों के विश्वास को बल मिला है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों और नामित प्रमुख कार्मिकों ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की।

टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक व्यापक आचार संहिता तैयार और कार्यान्वित की है। यह संहिता नैतिक आचरण, हितों के टकराव से बचने और कंपनी के हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन के प्रकटीकरण से संबंधित सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों और नामित प्रमुख कार्मिकों ने संहिता का पालन करने की पुष्टि की। हितों के टकराव या व्यक्तिगत हित से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण लेन–देन का कोई मामला सामने नहीं आया, और जहाँ भी आवश्यक हो, बोर्ड के समक्ष पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आवश्यक प्रकटीकरण किए गए।

ज. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंधों में महत्वपूर्ण विकास

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अपनी मानव संसाधन कार्यनीति को अपने विकास और विविधीकरण एजेंडे के साथ संरेखित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी में कुल 1,678 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें 899 कार्यपालक, 371 पर्यवेक्षक और 408 कामगार शामिल थे। यह स्वीकार करते हुए कि एक कुशल, प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल संगठनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, टीएचडीसीआईएल सुव्यवस्थित विकासात्मक हस्तक्षेपों और एक सहायक कार्य परिवेश के माध्यम से उच्च–प्रदर्शन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (केएसटीपीपी) की पहली यूनिट के चालू होने से वित्त वर्ष 2024–25 में मानव / मेगावाट अनुपात में 0.75 का सुधार हुआ है, जो परिवर्धित प्रचालन दक्षता को दर्शाता है। केएसटीपीपी की आगामी दूसरी यूनिट के चालू होने से इस अनुपात में और सुधार होने की उम्मीद है, जो प्रौद्योगिकी–संचालित समाधानों द्वारा सक्षम कमतर प्रचालन की दिशा में एक सामरिक कदम को रेखांकित करता है।

साथ ही, तकनीकी से गैर–तकनीकी जनशक्ति अनुपात को अनुकूलित करने के लिए, विशेष रूप से टिहरी जलविद्युत परियोजना के निर्माण चरण के दौरान ऐतिहासिक भर्ती प्रवृत्तियों के आलोक में, केंद्रित प्रयास चल रहे हैं। टीएचडीसीआईएल ने अपने तकनीकी संवर्ग को सुदृढ़ करने और अधिक संतुलित कार्यबल प्राप्त करने के लिए लक्षित भर्ती कार्यनीतियों को अपनाया है। पिछले पाँच वर्षों में, परियोजना की माँगों और संगठनात्मक गतिशीलता के अनुरूप जनशक्ति के स्तर में समायोजन हुआ है, वित्त वर्ष 2023–24 में कार्यबल 1,782 के शिखर पर पहुँचकर वित्त वर्ष 2024–25 में 1,678 पर स्थिर हो गया। ये परिवर्तन अधिवर्षिता के कारण होने वाली सेवानिवृत्ति और तापीय, नवीकरणीय और पंप भंडारण क्षेत्रों में आगामी परियोजनाओं की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्मिकों की सामरिक नियुक्ति को दर्शाते हैं।

ज्ञानार्जन और विकास टीएचडीसीआईएल की मानव संसाधन कार्यनीति का मूल आधार बने हुए हैं। ऋषिकेश में एक अत्याधुनिक मानव संसाधन विकास केंद्र की स्थापना और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म "ई–ज्ञान संचय" (एलएमएस) के शुभारंभ ने निरंतर ज्ञानार्जन और क्षमता निर्माण की संस्कृति को संस्थागत रूप दिया है। ये पहल कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने, कर्मचारियों को उभरती हुई दक्षताओं से युक्त करने और कंपनी के दीर्घकालिक

दृष्टिकोण के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में, टीएचडीसी ने 73 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए और बाहरी नामांकनों का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 6,639 प्रशिक्षण कार्यदिवस प्राप्त हुए और 1,580 कर्मचारियों को लाभ हुआ। प्रशिक्षण पहलों में नेतृत्व विकास, कर्मचारी कल्याण, सत्यनिष्ठा, अभिशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें व्यापक डिजिटल शिक्षण मॉड्यूल शामिल थे।

झ. आगे का रास्ता:

वर्ष 2030 तक $ 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के सपने को साकार करने के लिए, ऊर्जा आपूर्ति–मांग के अंतर को संबोधित करना सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। परिणामस्वरूप, मजबूत ऊर्जा अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए विविध विद्युत परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

भारत सरकार की सभी के लिए 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश, इस प्रयास को रेखांकित करता है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट सौर और पवन ऊर्जा जोड़ने की योजना लगातार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा, पंप स्टोरेज जल विद्युत की प्रमुखता बढ़ने की उम्मीद है, जो परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण के प्रबंधन में सिस्टम ऑपरेटरों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस कार्यनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य न केवल बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना है, बल्कि एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर देश के संक्रमण को भी मजबूत करना है।

कंपनी के सतत विकास के लिए, कंपनी के भावी दृष्टिकोण के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:

- टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) और वीपीएचईपी (444 मेगावाट) का शीघ्र पूरा होना।
- वित्त वर्ष 2025–26 में 660 मेगावाट के खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (यूनिट–2) को चालू करना।
- विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा बताए गए विभिन्न नई पंप स्टोरेज परियोजना पर प्रगति में तेजी लाना।
- कंपनी की समग्र व्यावसायिक विकास गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि करना।
- वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बकाया को कम करने पर गहन ध्यान केंद्रित करना।
- अपनी कंपनी को आवंटित राज्यों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को सफलतापूर्वक लागू करना।
- उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों के विकास में तेजी लाना।
- उत्तराखंड और देश के अन्य क्षेत्रों में हरित और अप्रयुक्त जल विद्युत स्रोतों की खोज करना।
- भू–कार्यनीतिक पहुंच पर भारत सरकार के जोर के अनुरूप, वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक अवसरों की जांच करना।
- कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों की जांच करना।
- स्वच्छ भविष्य के लिए, हाइब्रिड और फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं, हाइड्रोजन ईंधन परियोजनाओं में अवसरों का लाभ उठाने और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करने का लक्ष्य रखना।
- भारत भर में विद्युत के व्यापार के लिए कंपनी को प्राप्त विद्युत व्यापार लाइसेंस का लाभ उठाते हुए, विद्युत व्यापार व्यवसाय में प्रवेश करना।

ञ. जोखिम प्रबंधन

टीएचडीसीआईएल एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध कंपनी (एचवीडीएलई) है और सेबी एलओडीआर विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने 27 फरवरी, 2025 से जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निदेशक–स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है।

आरएमसी में अध्यक्ष (निदेशक – तकनीकी), निदेशक (वित्त), एक स्वतंत्र निदेशक और एनटीपीसी द्वारा नामिती निदेशक शामिल हैं, जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) एक स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। समिति को कंपनी की जोखिम प्रबंधन कार्यनीति की समीक्षा और मार्गदर्शन करने, संभावित जोखिमों और उभरते अवसरों का व्यापक मूल्यांकन करने, और दीर्घकालिक संगठनात्मक उद्देश्यों की रक्षा करते हुए व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कंपनी ने एक सीआरओ नियुक्त किया है जो पूरे संगठन में नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और समीक्षा एवं अभिशासन निरीक्षण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति को समय–समय पर इसके कार्यान्वयन की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा।

जोखिम प्रबंधन समिति की प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नानुसार हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

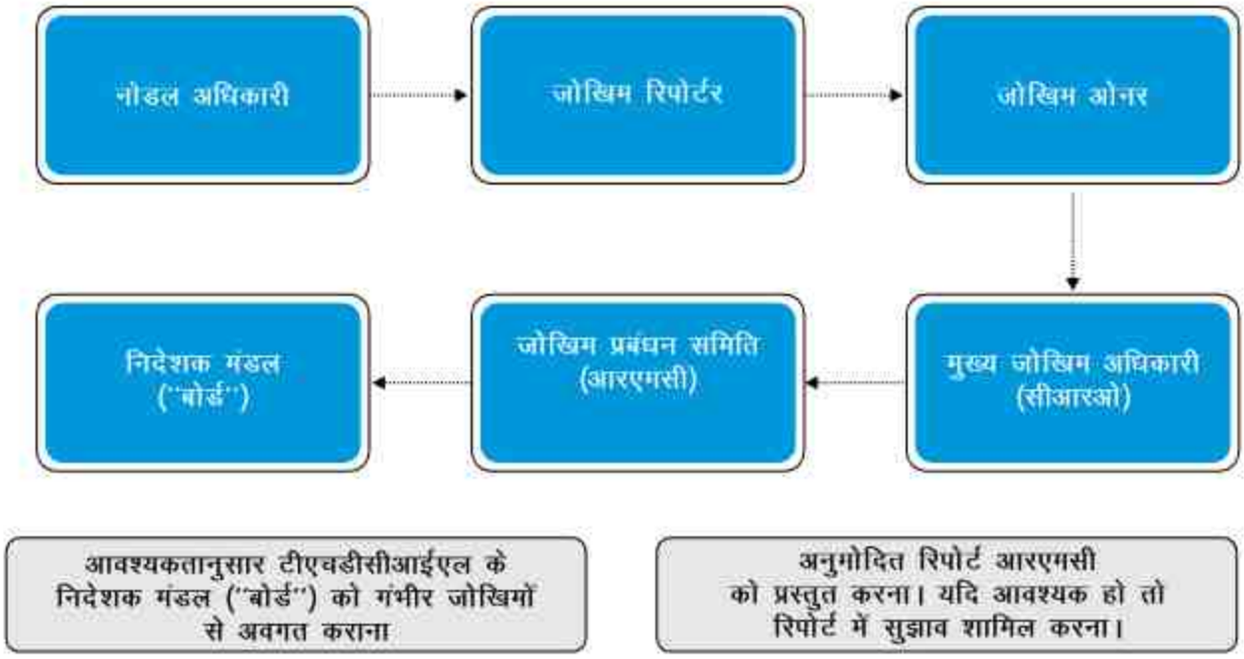
- एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति विकसित करना जिसमें संगठन के विशिष्ट आंतरिक और बाह्य जोखिमों, जैसे वित्तीय, प्रचालनात्मक, क्षेत्रीय, ईएसजी, सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिम, या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम, का अभिनिर्धारण शामिल हो।
- अभिनिर्धारित जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख।
- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ मौजूद हैं।
- उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन नीति की प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना।
- बोर्ड को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय–वस्तु के बारे में सूचित रखना।
- मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें।

जोखिम संसूचना (रिपोर्टिंग) संरचना

सभी विभागों से जोखिम संबंधी सभी डाटा एकत्रित और संकलित करना तथा संबंधित परियोजना संयंत्र/यूनिट/संयुक्त उद्यम की अंतिम डेटा शीट जोखिम रिपोर्टर को प्रस्तुत करना।

परियोजना/संयंत्र/यूनिट/संयुक्त उद्यम के महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करना और संबंधित जोखिम स्वामी को शमन योजना के साथ इसकी रिपोर्ट देना। जोखिम शमन उपायों को लागू करना और उनकी निगरानी करना।

जोखिम रिपोर्टरों द्वारा रिपोर्ट की गई जोखिम एवं शमन योजनाओं का विश्लेषण करना। उन्हें अंतिम रुप देना और अनुमोदित करना। जोखिम शमन उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
शमन योजना पर की गई कार्रवाई का अनुवर्तन करना।



ट. चेतावनी कथन

यह ध्यातव्य है कि प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण तथा निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार "भविष्योन्मुखी" और प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम, अंतर्निहित जोखिम और अनिश्चितताओं के कारण भविष्योन्मुखी कथनों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – IV

ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण एवं समावेश विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण उपाय

ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को ऐसी सुविज्ञ आदतें विकसित करने की आवश्यकता होती है जो ऊर्जा की खपत को कम करती हैं जैसे कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करना और कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखने के बजाय उसे बंद कर देना। यह सुनिश्चित करना उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारे दैनिक उपयोग के उपकरण ऊर्जा–कुशल हों और उन्हें भली–भांति अनुरक्षित बनाए रखे जाएं। ऊर्जा का संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन दोनों ही ऊर्जा की अधिकतम और औसत मांग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा का संरक्षण न केवल पर्यावरण और उसके संसाधनों की सुरक्षा करता है बल्कि प्राय: ऊर्जा आपूर्ति में निवेश की तुलना में बेहतर प्रतिलाभ भी प्रदान करता है।

टीएचडीसीआईएल में, हम मांग को प्रबंधित करने और सततता लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए विद्युत के जिम्मेदार उपयोग हेतु समर्पित है। कंपनी समर्पित कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है और ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए अपनी संचालन और अनुरक्षण परिपाटियों में निरंतर सुधार करती है। इन पहलों से बिजली, ईंधन और कोयले की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है और मापनीय ऊर्जा बचत जारी है। टीएचडीसीआईएल ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने और पर्यावरण संरक्षण में सार्थक योगदान देने के अपने प्रयासों में दृढ़ है।

पिछले वर्ष ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाईयां की गईं–

ऊर्जा संरक्षण के प्रभाव के लिए किए गए उपाय	(i) टीएचडीसीएआईएल, ऋषिकेश के सभी कार्यालीय परिसर में गैर ऊर्जा प्रभावी विद्युत उपकरणों (जैसे स्ट्रीट लाइट सहित पुराने बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलना) के बदलने, एयर फिल्टर को साफ करने और प्रतिस्थापित करने, एयर लीकेज को कम करने का कार्य पूरा किया गया है। (ii) चरण I के 500 किलोवाट क्षमता वाले रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और यूपीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2024–2025 के लिए स्वयं की खपत के अलावा 12 माह के लिए ग्रिड को आपूर्ति के निर्यात के लिए ₹6.48 लाख की ऊर्जा की बचत की गई है। (iii) चरण II के 500 किलोवाट के रूफ टॉप सौर संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और यूपीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2024–2025 के लिए स्वयं की खपत के अलावा 12 माह के लिए ग्रिड को आपूर्ति के निर्यात के लिए ₹8.23 लाख की ऊर्जा की बचत की गई है। (iv) सभी नए भवनों में प्राकृतिक प्रकाश (नेचुरल वेंटिलेशन) का अनुकूलन, एलईडी प्रकाश की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। (v) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण/नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया। गैर आवासीय भवनों में फाइव–स्टार स्तर के एसी लगाए गए हैं और बिना स्टार रेटिंग वाले एसी को फाइव–स्टार रेटिंग वाले एसी से बदला गया। (vi) गेस्ट हाउस और दफ्तरों में फाइव स्टार रेटिंग वाले विद्युत उपकरण अर्थात् एसी, गीजर, रेफ्रिजरेटर लगाए जाएंगे। सभी टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों को उच्च ऊर्जा दक्षता रेटिंग वाले उपकरणों का चयन करने, एसी का तापमान 24 डिग्री रखने और आवश्यकता न होने पर उपकरण को बंद करने के लिए प्रेरित किया गया, इससे बिजली की खपत 6% या उससे अधिक कम हो जाएगी। (vii) ऊर्जा संरक्षण के लिए गंगोत्री भवन कार्यालय भवन के गलियारों में 20 वॉट एलईडी लैंप के स्थान पर 10 वॉट वाले लैंप लगाए गए। (viii) ऊर्जा संरक्षण के लिए मंदाकिनी गेस्ट हाउस और भिलंगना गेस्ट हाउस में सोलर वॉटर हीटर स्थापित किए गए हैं।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम।	हाइड्रोजन पावर प्लांट में 20 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, पार्क क्षेत्र में लाइटिंग और कार्यालय और रिहायशी क्षेत्र की फेंसिंग सौर प्रणाली से की गई है। सभी नए भवनों में दिन के उजाले का उचित उपयोग करने के लिए दिन के उजाले की व्यवस्था की गई है। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने और नुकसान को कम करने के लिए स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर स्थापित किया गया है। उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन से यूनिटों की खपत में 12–14% की कमी आई है। कंपनी अपने सभी भावी प्रतिष्ठानों में एलईडी लैंप के उपयोग और ऊर्जा के कुशल उपयोग कर रही है और इसका प्रचार कर रही है।
ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश।	वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कोई बड़ा निवेश नहीं किया है।

ख. प्रौद्योगिकी नवाचार, अनुकूलन और अवशोषण

1. ढलान स्थिरीकरण में प्रबलित मृदा दीवार (आरएस दीवार) का अनुप्रयोगः

(i) पृष्ठभूमि

प्रबलित मृदा दीवारें (आरएस वॉल) एक प्रकार की अवरोधक दीवार होती हैं जिनमें सुदृढ़ीकरण की परतों–आमतौर पर भू–संश्लेषित या धातु की पट्टियों– का उपयोग किया जाता है और इन्हें सघन भराव के साथ मिलाकर एक स्थिर मृदा संरचना बनाई जाती है। ये पर्यावरण के अनुकूल और किफायती समाधान के रूप में काम करती हैं, खासकर उन अनुप्रयोगों के लिए जहाँ दीवार की ऊँचाई 10 मीटर से अधिक हो और जहाँ संरचना की चौड़ाई बढ़ाना आवश्यक हो। पहाड़ी क्षेत्रों में, आरएस वॉल का उपयोग आमतौर पर घाटी की ढलानों को स्थिर करने और सड़क के धंसने को रोकने के लिए किया जाता है। ये प्रभावी कटाव नियंत्रण और ढलान स्थिरीकरण प्रदान करती हैं, जिससे सुरक्षित और विश्वसनीय सड़क अवसंरचना सुनिश्चित होती है। इन दीवारों का उपयोग राजमार्गों, रेलवे और पुलों के आधार जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में उनकी लागत–प्रभावशीलता, लचीलेपन और निर्माण में आसानी के कारण व्यापक रूप से किया जाता है।

आरएस वॉल मृदा और रैखिक सुदृढ़ीकरण पट्टियों का एक संयोजन है, जो बड़े तन्यता प्रतिबलों को सहन करने में सक्षम हैं। इन पट्टियों द्वारा प्रदान किया गया सुदृढ़ीकरण द्रव्यमान को उस तरह से तनाव का प्रतिरोध करने में सक्षम बनाता है जो अकेले मृदा नहीं कर सकती। तनाव के प्रतिरोध का स्रोत मृदा का आंतरिक घर्षण है, क्योंकि द्रव्यमान के भीतर उत्पन्न तनाव घर्षण द्वारा मृदा से सुदृढ़ीकरण पट्टियों में स्थानांतरित हो जाता है।

(ii) मुख्य विशेषताएं और लाभ

(क) अभिनव प्रौद्योगिकी

आरएस वॉल्स भू–तकनीकी इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आधुनिक सामग्रियों और निर्माण तकनीकों का उपयोग करके ऐसी संरचनाएँ बनाते हैं जो टिकाऊ होने के साथ–साथ विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल भी होती हैं।

(ख) लचीली संरचना

कठोर कंक्रीट की दीवारों के विपरीत, आरएस दीवारें लचीली होती हैं और बिना दरार या टूटे ज़मीन की मामूली हलचल को झेल सकती हैं। यह लचीलापन भूकंपीय क्षेत्रों और अस्थिर मृदा की स्थिति वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है।

(ग) स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग

आरएस वॉल्स का एक लाभ यह है कि निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। इससे न केवल परिवहन लागत कम होती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है और पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है।

(घ) पारिस्थितिकी–अनुकूल

आरएस वॉल्स पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये प्राकृतिक परिदृश्य के साथ अच्छी तरह से घुल–मिल जाती हैं और इन्हें वनस्पति विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र का पारिस्थितिक मूल्य बढ़ता है। बायोडिग्रेडेबल कटाव नियंत्रण मैट और अन्य टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण को और बढ़ावा देता है।

(ङ) कम कार्बन उत्सर्जन

आरएस वॉल्स के निर्माण से पारंपरिक कंक्रीट संरचनाओं की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन होता है। सीमेंट और स्टील की कम आवश्यकता और स्थानीय सामग्रियों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

(च) लागत–प्रभावी

आरएस वॉल्स आमतौर पर पारंपरिक कंक्रीट संरचनाओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती हैं। निर्माण प्रक्रिया सरल और तेज़ होती है, जिससे श्रम और सामग्री की लागत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों के उपयोग से लागत और भी कम हो सकती है।

(iii) घटक

(क) **प्रबलित मृदा / भरण सामग्रीः** प्रबलित मृदा/भराव मूलतः गृहीत किया गया है। इस मृदा के गुण आरएस संरचना के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मृदा खदानों, नदी तल आदि से गृहीत की गई है। यह वांछनीय है कि प्रबलित भराव मुक्त जल निकासी वाला हो और अधिकांश कतरनी सामर्थ्य घटक आंतरिक घर्षण से प्राप्त हो। प्रबलित भराव का वांछनीय उन्नयन तालिका 1 में दर्शाया गया है। प्रस्तावित उन्नयन यह सुनिश्चित करेगा कि भराव अच्छी तरह से वर्गीकृत हो, मुक्त जल निकासी वाला हो और संघनित होने के बाद उसमें पर्याप्त कतरनी सामर्थ्य हो। प्रबलित मृदा के गुण जैसे कण आकार वितरण, एटरबर्ग सीमाएँ, जल निकासी कतरनी सामर्थ्य (शीर्ष और अवशिष्ट मान), पारगम्यता, अधिकतम शुष्क घनत्व और भारी संघनन परीक्षण (संशोधित प्रॉक्टर परीक्षण के अनुरूप) या सापेक्ष घनत्व (जो भी लागू हो) से प्राप्त ओएमसी, डिज़ाइन पर आगे बढ़ने से पहले अत्यंत सावधानी से अनुकूलता का निर्धारण किया जाना चाहिए।

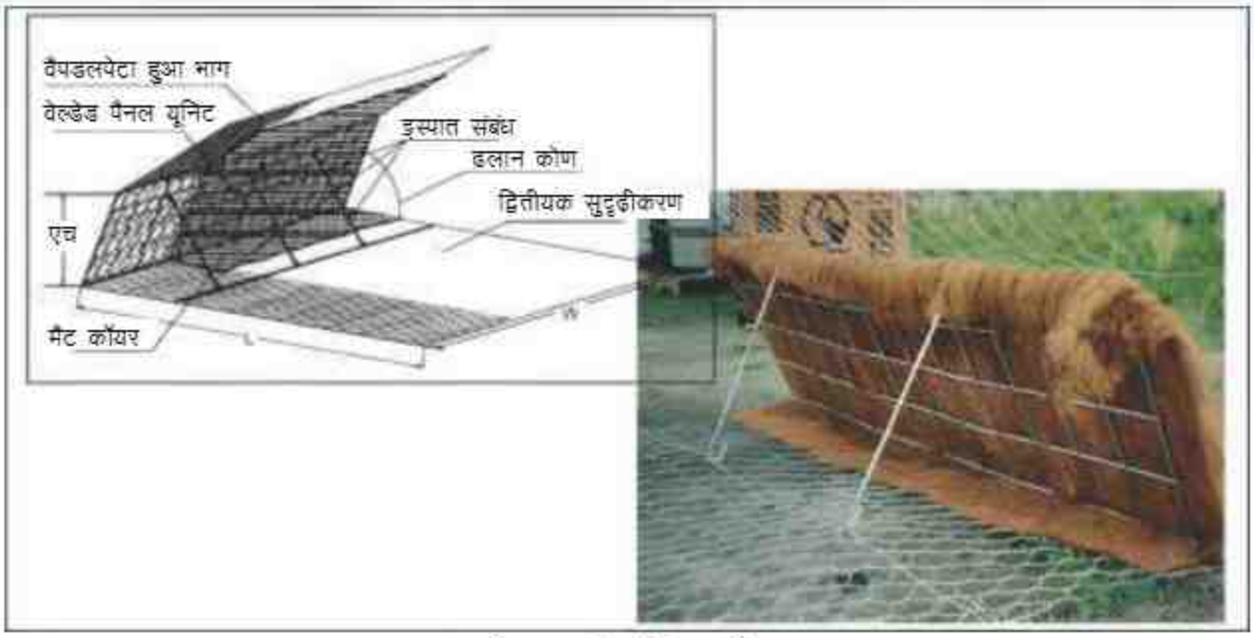
तालिका– I

छन्नी (सीव) का आकार	फाइनर प्रतिशत (% में)
75 मिमी	100
4.75 मिमी	85–100
425 माइक्रोन	60–90
75 माइक्रोन	< 15

(ख) फेसिंग तत्वः भराव के फैलने/गिरने से रोकने और प्रबलन को मजबूती से सहारा देने के लिए फेसिंग प्रदान की जाती है। फेसिंग मजबूत और सुदृढ़ होनी चाहिए। फेसिंग आरएस संरचना को एक सौंदर्यपरक वास्तुशिल्पीय फिनिश भी प्रदान करती है।

फेसिंग प्रणाली निम्नलिखित में से एक होनी चाहिए (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देश –2013 देखें)

- प्रीकास्ट रिइंफॉर्स्ड कंक्रीट पैनल
- प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक और प्रीकास्ट कंक्रीट होलो ब्लॉक्स
- गेबियन फेसिया
- चारों ओर से जियोसिंथेटिक्स से आच्छादित फेसिंग
- वेल्डेड वायर ग्रिड और वूवेन स्टील वायर मेश सहित विभिन्न आकारों में प्रीफेब्रिकेटेड मेटेलिक फेसिंग
- अन्य प्रोपराइटरी और सिद्ध प्रणालियाँ



चित्र 1: स्लोप फेसिया यूनिट

(ग) प्रबलन तत्वः प्रबलित मृदा दीवारों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के प्रबलन इस प्रकार हैं:–

– धात्विक तत्व जैसे छड़ें, पट्टियाँ, प्लेटें आदि।

– जाली के रूप में धात्विक प्रबलन

– पट्टियाँ, ग्रिड, छड़ें, जाली आदि जैसे पॉलिमेरिक तत्व।

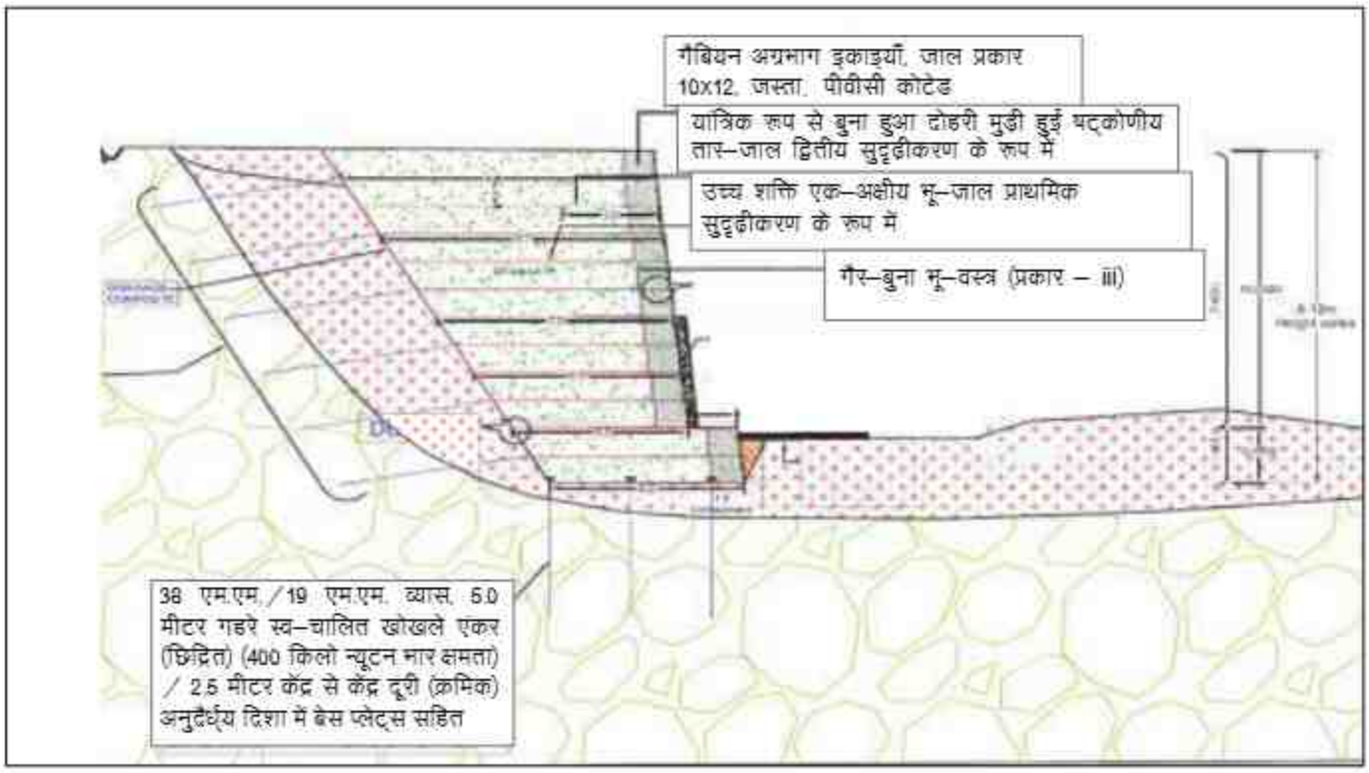
पर्याप्त बंधन और स्थिरीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के प्रबलन को रैंकिन क्षेत्र से आगे प्रतिरोधी क्षेत्र में ले जाया जाता है।

पार्श्व भार का प्रतिरोध करने के लिए प्रयुक्त प्रबलन धात्विक (आमतौर पर अविस्तारणीय) या पॉलीमेरिक (आमतौर पर विस्तारणीय) हो सकता है। पॉलीमर्स विस्को–इलास्टिक पदार्थ होते हैं। इसलिए पॉलीमेरिक प्रबलन की मजबूती तापमान और समय (विसर्पण) से काफी हद तक प्रभावित होती है। सामर्थ्य के मूल्यांकन में इन दो महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

धात्विक प्रबलन में अपेक्षाकृत नगण्य विसर्पण होता है। धात्विक प्रबलन को संपर्क और अंततः क्षरण को रोकने के लिए जस्ता से लेपित किया जाना चाहिए। जस्ता लेप के अलावा, डिज़ाइन करते समय, सभी तरफ न्यूनतम 0.50 मिमी की सैक्रफिसियल मोटाई प्रदान की जानी चाहिए।



चित्र–2 : उच्च शक्ति वाला लचीला जियोग्रिड



चित्र–3: परियोजना में से एक में डिज़ाइन किए गए गैबियन फ़ेशिया के साथ प्रबलित मृदा दीवार का विशिष्ट खंड

(i) डिजाइन सिद्धांत

आईआरसी एसपी 102 के अनुसार प्रबलित मृदा दीवारों के डिज़ाइन में सीमा अवस्था सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। डिज़ाइन में दो सीमा अवस्थाओं पर विचार किया जाता है:

अ. अंतिम सीमा अवस्था (पतन भार)

आ. सेवाक्षमता सीमा अवस्था (यह सुनिश्चित करना कि विरूपण निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं)।

प्रबलित मृदा दीवारों के लिए सीमा अवस्था डिज़ाइन, लगाए गए भार, प्रयुक्त सामग्री और समग्र सुरक्षा कारकों पर लागू आंशिक सुरक्षा कारकों का उपयोग करता है ताकि विफलता के परिणामों को शामिल किया जा सके। सीमा अवस्था दृष्टिकोण में, डिज़ाइन भार प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट भार कारकों को गुणा करके विक्षुब्ध भार बढ़ाए जाते हैं, जबकि डिज़ाइन सामर्थ्य तक पहुँचने के लिए प्रतिरोधी बलों को निर्दिष्ट सामग्री कारकों से विभाजित करके कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबलित मृदा दीवारों के लिए, विफलता के परिणामों, भार की घटना की आवृत्ति आदि को ध्यान में रखने के लिए एक आंशिक सुरक्षा कारक का उपयोग किया जाता है। अंतिम सीमा अवस्था पर विचार करते समय, विभिन्न संभावित विफलता तंत्रों पर विचार किया जाता है। विभिन्न संभावित विफलता तंत्रों के लिए आंतरिक और बाह्य स्थिरता पर विचार किया जाता है। निम्नलिखित स्थिरता जाँच की जाती हैं।

क. बाह्य स्थिरता

(अ) बियरिंग और टिल्ट विफलता: प्रबलित मृदा द्रव्यमान द्वारा आधार परत पर डाला गया बियरिंग दाब ऐसा होना चाहिए कि विफलता से सापेक्ष पर्याप्त मार्जिन बना रहे। डिज़ाइन को उत्केन्द्रता और परिणामी दाबों को ध्यान में रखते हुए, सीमांत अवस्था में कम से कम 1.4 का सुरक्षा कारक प्राप्त करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तनाव के विकास से बचने के लिए उत्केन्द्रता एल/6 से कम हो।

(आ) स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग: पार्श्व दाब के कारण फिसलने और पलटने के प्रति सुरक्षा कारक पर्याप्त होना चाहिए। सीमांत अवस्था में कम से कम 1.2 का एफएस प्राप्त किया जाना चाहिए।

(इ) सम्पूर्ण स्थिरता: स्लिप सर्कल विफलता के विरुद्ध एफएस की जाँच की जानी चाहिए। स्थिर स्थितियों में कम से कम 1.30 और गतिशील/भूकंपीय भार के तहत 1.10 का एफएस, अखंडित भार को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विश्लेषण में संभावित विफलता के तरीकों की भी जाँच की जानी चाहिए, जिसमें गहन विफलता की संभावना भी शामिल है। सम्पूर्ण स्थिरता विश्लेषण मानक सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके किया जाना चाहिए जिसमें प्रबलन की मॉडलिंग, दीवार की विभिन्न ज्यामिति और विफलता के मोड करने की क्षमता हो।

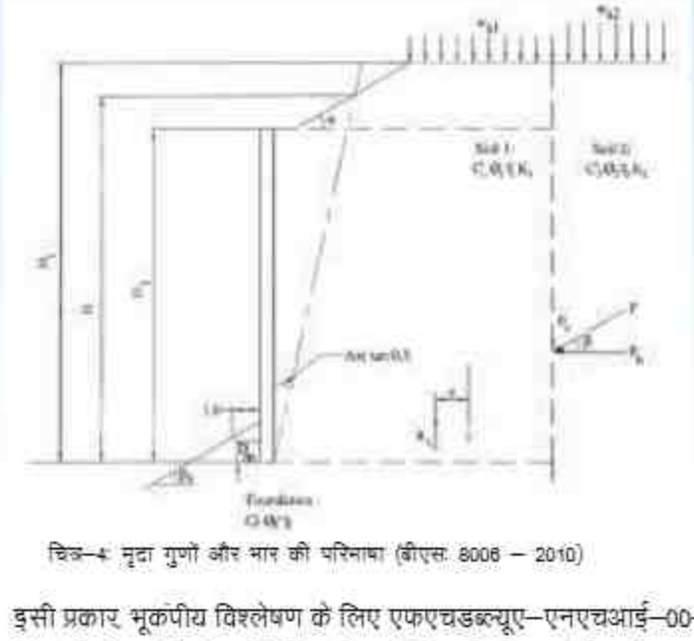
ख. आंतरिक स्थिरता

– आंतरिक विच्छेद

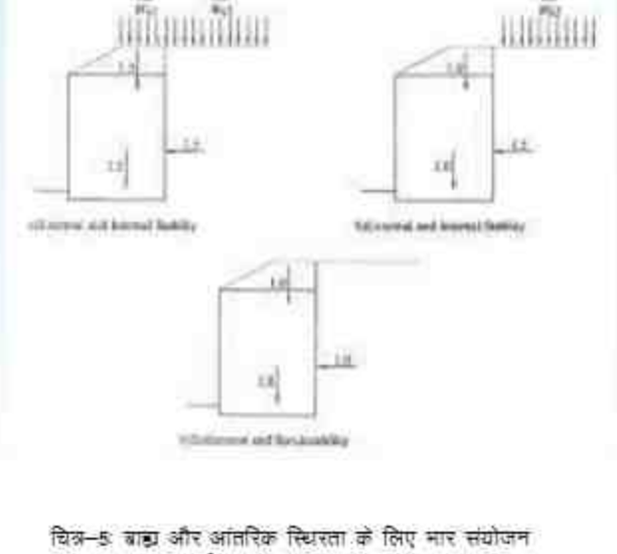
– आंतरिक फिसलन

– आंतरिक अपकर्षण

प्रबलित मृदा, प्रतिधारित मृदा के मृदा गुण और स्थिरता गणना में शामिल भार चित्र 4 और 5 में दर्शाए गए हैं, जो आंतरिक और बाह्य स्थिरता के लिए भार संयोजन दर्शाते हैं।



चित्र–4: मृदा गुणों और भार की परिभाषा (बीएस: 8006 – 2010)



चित्र–5: बाह्य और आंतरिक स्थिरता के लिए भार संयोजन (बीएस: 8006 – 2010)

इसी प्रकार, भूकंपीय विश्लेषण के लिए एफएचडब्ल्यूए–एनएचआई–00–043 के अनुसार डिजाइन दृष्टिकोण अपनाया गया है।

(v) निर्माण दृष्टिकोण: निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:

अ) साइट मूल्यांकन: ढलान कोण, मृदा के प्रकार और पर्यावरणीय परिस्थितियों का मूल्यांकन करना।

आ) निर्माण: स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मृदा और प्रबलन सामग्री की परतें बिछाना, प्रत्येक परत को सघन बनाना।

इ) क्षरण नियंत्रण: ढलान की सुरक्षा के लिए कटाव नियंत्रण मैट और वनस्पति जैसे अतिरिक्त उपायों को लागू करना।

(vi) अनुकूलन: डिजाइन व्यवस्था विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों में क्रियान्वित की जा रही है, जहां टीएचडीसी परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है।





चित्र–6: एनएच–34 के किनारे उत्तराखंड के चिन्यालीसौड़ में निर्माणाधीन रेनफ्रेड मेश फेसिया वाली आरएस दीवार

2. माइक्रो–पाइल्स और सेल्फ ड्रिलिंग एंकरों पर आरसीसी सड़क के साथ धंसाव/अवतलन वाले क्षेत्रों की बहाली के लिए डिजाइन योजना:

(i) पृष्ठभूमि

प्राय: सड़क के एक हिस्से में धंसाव/अवतलन देखा जाता है, जो आमतौर पर घाटी की ओर सड़क की आधी चौड़ाई को प्रभावित करता है। यह घटना प्रभावित क्षेत्र और उसके आसपास के ढलान द्रव्यमान से महीन सामग्री के नुकसान के कारण होती है। क्षेत्र के भीतर अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली एक प्रमुख कारण है, जिससे बारिश के दौरान फुटपाथ के माध्यम से ढलान सामग्री में बारिश के पानी का रिसाव होता है। इसके परिणामस्वरूप, यह सतह के नीचे से सामग्री के नुकसान को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप घाटी की ओर ढलान धंस जाती है। इस समस्या को नीचे दी गई छवियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है:



चित्र–7: सड़क पर देखा गया प्रारंभिक धंसाव



चित्र–8: फुटपाथ पर बड़ी दरारें



चित्र–9: अलग हुई सामग्री का घाटी की ओर संचलन



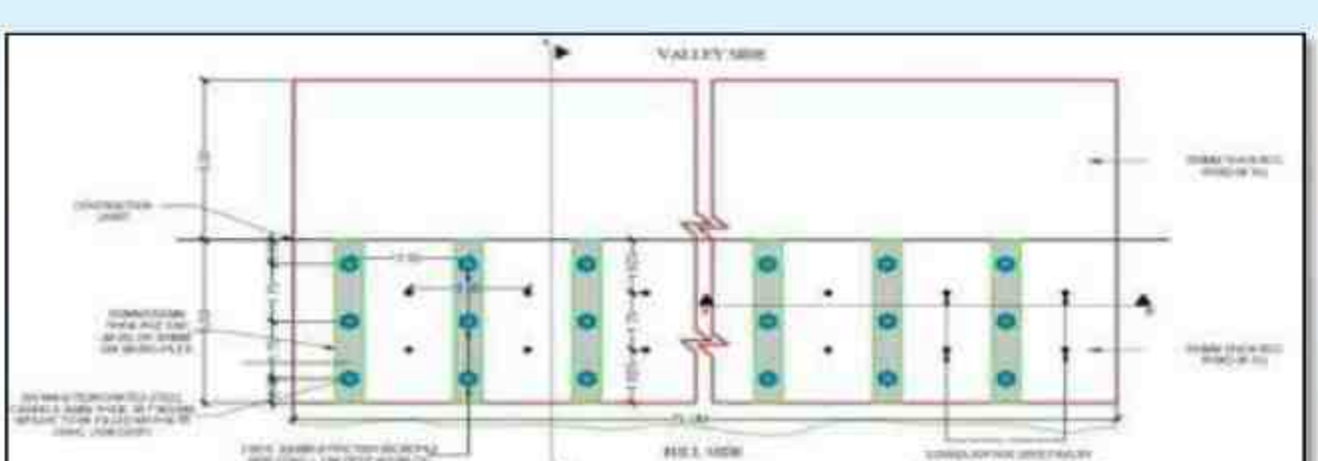
चित्र–10: फुटपाथ के घाटी वाले हिस्से को नुकसान

घाटी की ओर ढलान सुरक्षा उपाय प्रदान करना हमेशा संभव नहीं होता है। संरचना की चौड़ाई को बहाल करना महंगा होता है, क्योंकि इसके लिए गहरी घाटी की ओर से बहाली की आवश्यकता होती है या वैकल्पिक रूप से पर्याप्त स्थिरीकरण उपायों के साथ पहाड़ी ढलान को काटना आवश्यक होता है। ऐसा मामला हो सकता है जब घाटी बहुत गहरी हो और ढलान सुरक्षा उपायों जैसे सीसी/आरसीसी दीवारें/सीसी क्लैडिंग या किसी अन्य अत्याधुनिक तकनीक आदि के साथ पूरे प्रभावित हिस्से को कवर करना अलाभकारी हो।

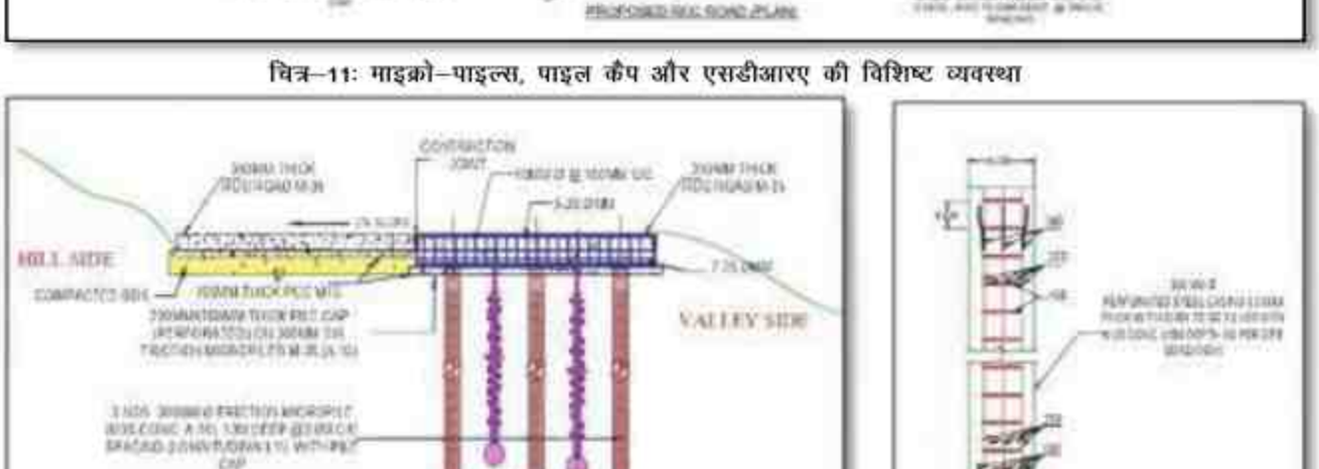
जिन क्षेत्रों में घाटी की ओर ढलान में सुधार करना या तो अव्यावहारिक है या बहुत महंगा है, वहां इस हिस्से को बहाल करने के लिए एक इन–हाउस डिजाइन योजना तैयार की गई है। इसमें सामग्री हानि को बहाल करने के लिए सेल्फ ड्रिलिंग एंकर (एसडीआरए) की व्यवस्था के माध्यम से माइक्रो–पाइल्स और समेकन ग्राउटिंग के ऊपर आरसीसी फुटपाथ बनाने का प्रस्ताव है। सतह के माध्यम से छिद्र जल दाब के निर्मोचन के लिए कुछ व्यवस्था भी रखी गई है।

(ii) डिजाइन योजना

इस सामान्य व्यवस्था में, आरसीसी के फुटपाथ से भार माइक्रो–पाइल्स के माध्यम से सक्षम सामग्री/स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। फुटपाथ के स्वयं के वजन के साथ गतिशील वाहन के भार को पहले पाइल कैप में स्थानांतरित किया जाता है। इस भार को माइक्रो–पाइल्स द्वारा अक्षीय भार के रूप में सक्षम कठोर स्तरों पर स्थानांतरित किया जाता है। यदि पर्याप्त गहराई पर कठोर स्तर उपलब्ध नहीं है, तो माइक्रो–पाइल्स को घर्षण पाइल्स के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि माइक्रो–पाइल्स और मृदा पिंड के बीच घर्षण के माध्यम से भार को आसपास की मृदा के पिंड में स्थानांतरित किया जा सके। माइक्रो–पाइल्स के समूह के बीच की मृदा को ऊर्ध्वाधर एंकर (एसडीआरए) की व्यवस्था के माध्यम से और अधिक समेकित किया जाता है। सामान्य व्यवस्था को दर्शाने वाले विस्तृत चित्र नीचे दिए गए हैं:

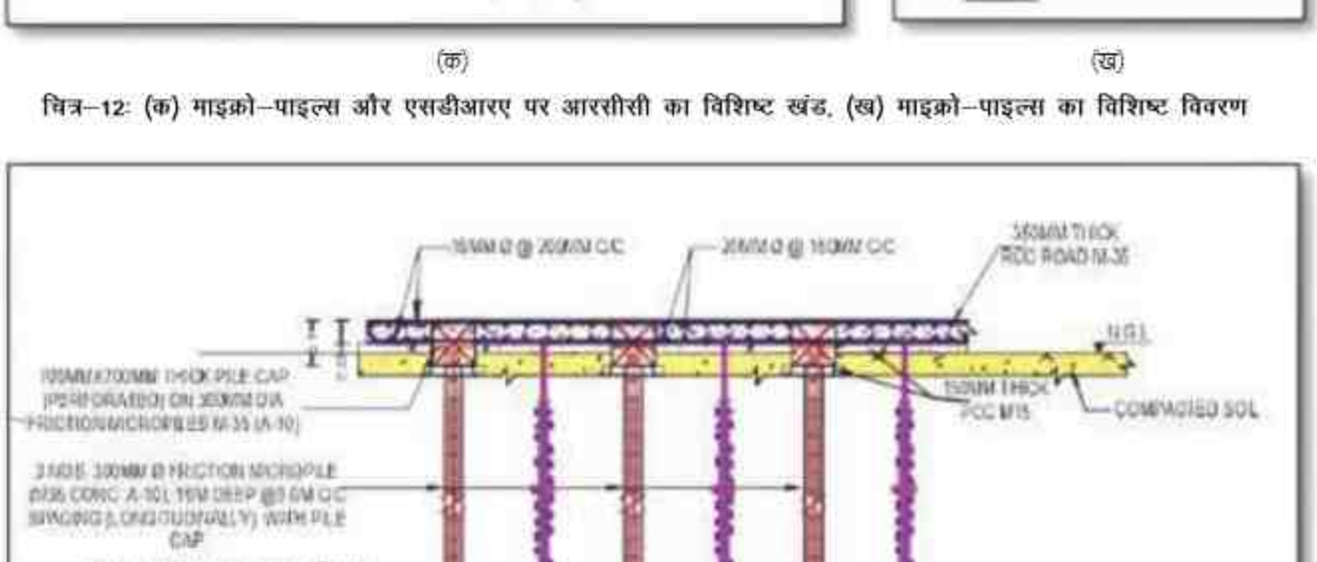


चित्र–11: माइक्रो–पाइल्स, पाइल कैप और एसडीआरए की विशिष्ट व्यवस्था

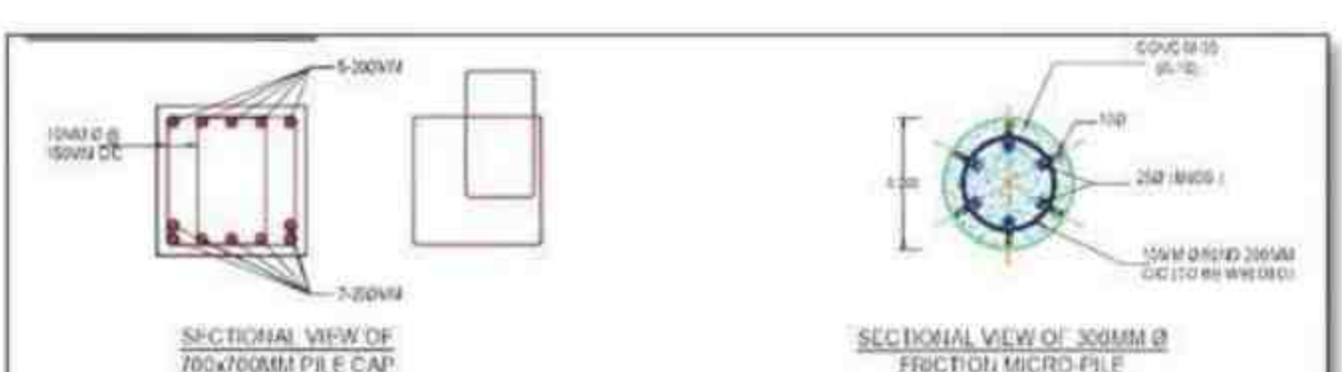


(क) (ख)

चित्र–12: (क) माइक्रो–पाइल्स और एसडीआरए पर आरसीसी का विशिष्ट खंड, (ख) माइक्रो–पाइल्स का विशिष्ट विवरण



चित्र–13: माइक्रो–पाइल्स और एसडीआरए पर आरसीसी का एल–सेक्शन



चित्र–14: पाइल कैप का विशिष्ट विवरण और माइक्रो–पाइल्स का आरएफटी विवरण

(iii) माइक्रो–पाइल्स का प्रावधान

ढलान स्थिरीकरण के लिए माइक्रो–पाइल्स प्रभावी हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक तरीके अव्यावहारिक या बहुत महंगे हैं। उनका छोटा आकार, उच्च भार वहन क्षमता और दुर्गम पहुंच वाले क्षेत्रों में स्थापित करने की क्षमता उन्हें इस उद्देश्य के लिए आदर्श बनाती है। आमतौर पर, 350 मिमी से कम व्यास वाले, इन–सीटू ड्रिल किए गए और ग्राउटेड पाइल्स का उपयोग ढलानों को मजबूत करने के लिए किया जाता है और विभिन्न मृदा और चट्टान के प्रकारों में नींव के समर्थन तत्वों के रूप में कार्य कर सकते हैं।

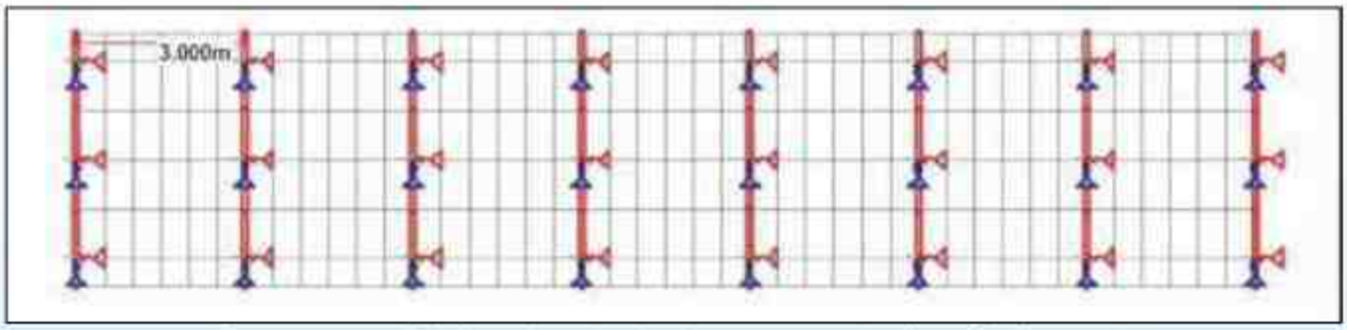
ढलान स्थिरीकरण के लिए आवश्यक शियर और तन्य शक्ति प्रदान करने के लिए माइक्रो–पाइल्स को आमतौर पर समूहों में स्थापित किया जाता है। डिजाइन में स्थान, क्रॉस–सेक्शन, लंबाई और रिक्ति के विचारण शामिल होते हैं। उचित स्थापना और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपकरण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

(iv) डिजाइन विचारण

माइक्रो–पाइल पतले, उच्च–शक्ति वाले, स्टील–प्रबलित कंक्रीट के ढेर होते हैं जो मृदा और चट्टान के माध्यम से भार को अधिक स्थिर परतों में स्थानांतरित करते हैं। मुख्य डिजाइन कारकों में ढलान स्थिरता, मृदा और चट्टान के गुण, भूजल की स्थिति और संभावित भूकंपीय गतिविधि शामिल होती हैं। डिजाइन प्रक्रिया में साइट की स्थितियों का विश्लेषण करना और क्रॉस–सेक्शन, लंबाई, शियर क्षमता और रिक्ति जैसे उपयुक्त माइक्रो–पाइल विनिर्देशों का निर्धारण करना शामिल है।

(v) डिजाइन कार्यप्रणाली: विभिन्न संरचनात्मक तत्वों के विश्लेषण और डिजाइन में निम्नलिखित डिजाइन पद्धति अपनाई गई है।

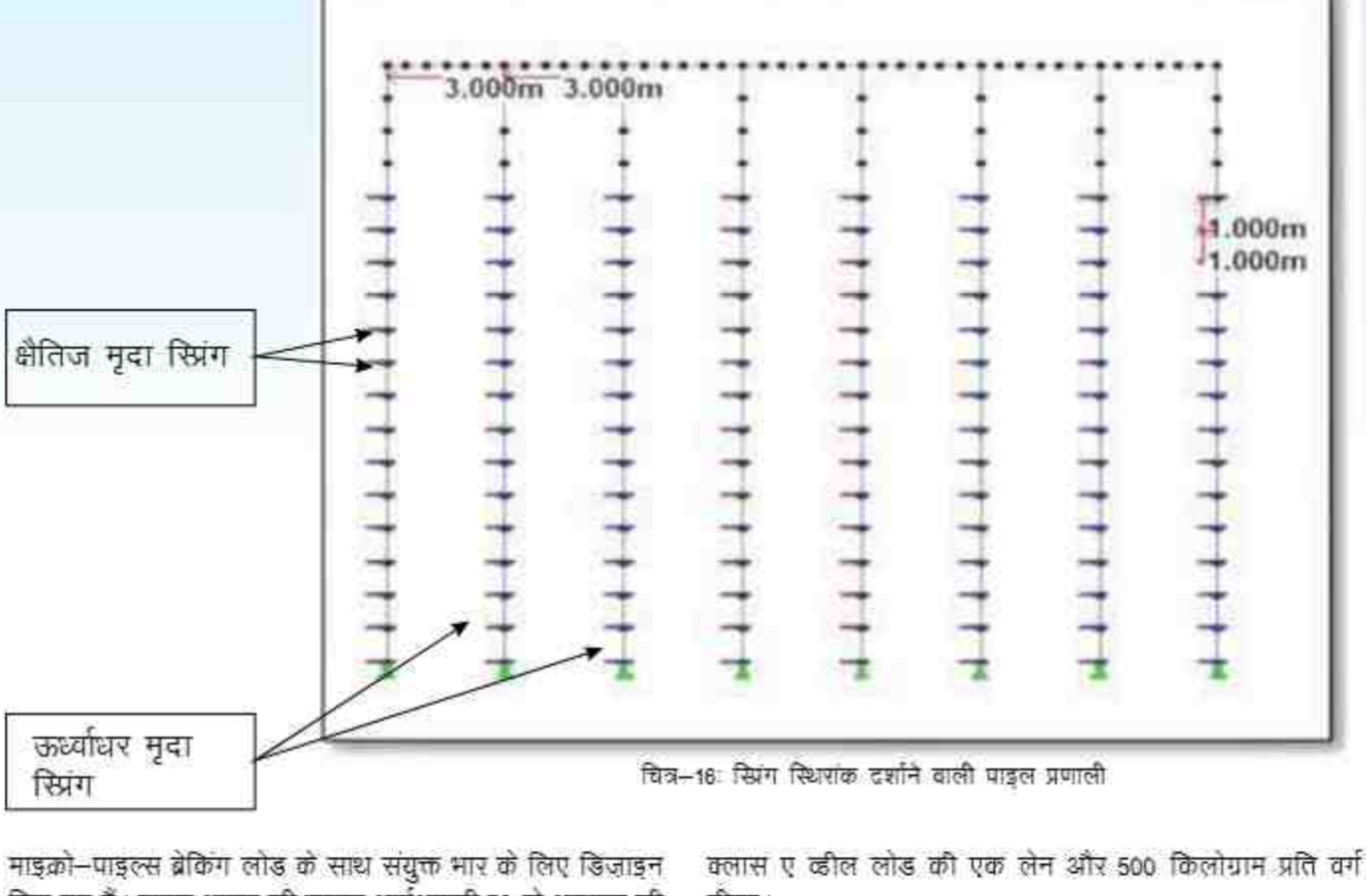
स्टाड–प्रो में ग्रिलेज मॉडल का उपयोग चित्र 9 में दिखाए गए ढेर संरचना के विश्लेषण के लिए किया जाता है। सटीक बल प्राप्त करने के लिए डेक सिस्टम को अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बीम में विभाजित किया गया है। अनुप्रस्थ बीम (ढेर कैप) सड़क की लंबाई के साथ 3 मीटर सी/सी पर फैले हुए हैं। ग्रिलेज मॉडल के बाकी ग्रिड को स्लैब के रूप में माना जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डेक सिस्टम पर विभिन्न भार जैसे डेड लोड, सुपरइम्पोज्ड लोड और लाइव लोड (आईआरसी 6–2017 विनिर्देशों के अनुसार क्लास ए व्हील लोड पर विचार करते हुए) लगाए जाते हैं। इसके अलावा, भार के सबसे खराब संयोजन के लिए तथा अनुप्रस्थ बीम और स्लैब में बी.एम., एस. एफ., टॉर्शन आदि जैसे अधिकतम बल प्राप्त करने के लिए, संरचना का विश्लेषण किया गया।



चित्र–15: सड़क के किनारे 3 मीटर सी/सी दूरी पर अनुप्रस्थ बीम को दर्शाती डेक प्रणाली

माइक्रो–पाइल्स अनुप्रस्थ बीम (पाइल कैप) से जुड़े होते हैं जो सड़क के पूरे हिस्से में 3 मीटर सी/सी पर फैले होते हैं।

क्षैतिज मृदा स्प्रिंग अभिक्रियाओं (1 मीटर गहराई पर अंतरित) और ऊर्ध्वाधर मृदा स्प्रिंग अभिक्रियाओं द्वारा समर्थित माइक्रो–पाइल प्रणाली को नीचे चित्र 10 में दिखाए गए स्पेस फ्रेम के रूप में आदर्श बनाया गया है। डेक द्वारा लगाए गए बल पाइल्स के तल पर स्थानांतरित हो जाते हैं। पार्श्व भार के लिए मृदा कठोरता आईएस: 2911 (भाग I/ अनुभाग 2 परिशिष्ट ग) से ली गई है।



चित्र–16: स्प्रिंग स्थिरांक दर्शाने वाली पाइल प्रणाली

माइक्रो–पाइल्स ब्रेकिंग लोड के साथ संयुक्त भार के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पाइल क्षमता की गणना आईआरसी 78 के अनुसार की गई है। भार और भार संयोजन आईआरसी 6–2017 के अनुसार हैं। संदर्भ के अन्य कोड आईएस 456, एसपी–16 के अनुसार हैं।

भार: सभी संरचनाओं को डेड लोड, सुपरइम्पोज्ड लोड, डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण विकसित बलों और किसी भी अन्य लोडिंग स्थितियों के सबसे महत्वपूर्ण संयोजनों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जो सुविधा के डिज़ाइन जीवन के दौरान हो सकते हैं।

डेड लोड (डीएल): संरचना के डेड लोड का अनुमान कंक्रीट के यूनिट वजन के आधार पर लगाया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रों के आधार पर उपयुक्त भार की गणना की जाती है और विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

सामग्री का यूनिट वजन	
सादा सीमेंट कंक्रीट/आर.सी.सी.:	20/25.0 किलोन्यूटन प्रति घन मीटर

सुपरइम्पोज्ड लोड (एसआईडीएल): सुपरइम्पोज्ड डेड लोड में 80 मिमी मोटी वियरिंग कोट और 300 मिमी चौड़ाई के क्रैश बैरियर का वजन शामिल है। वियरिंग कोट, फिल मटीरियल और क्रैश बैरियर के कारण यूडीएल को 7.76 किलोन्यूटन प्रति वर्ग मीटर और 7.5 किलोन्यूटन प्रति वर्ग मीटर माना जाता है।

लाइव लोड: पाइल संरचना में कैरिजवे की दी गई चौड़ाई के लिए लाइव लोड की आवाजाही के लिए सिंगल लेन होती है (आईआरसी: 6 –2017 की तालिका 6क के अनुसार)। संरचना के विश्लेषण और डिजाइन के लिए निम्नलिखित लोड मामलों पर विचार किया गया।

क्लास ए व्हील लोड की एक लेन और 500 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर।

ब्रेकिंग लोड: आईआरसी: 6–2017 के खंड 214.2 के अनुसार, ब्रेकिंग बल को पहले लेन में लाइव लोड का 20% और लोड की अगली ट्रेन का 10% और शेष लेन का 5% माना जाता है। विश्लेषण के उद्देश्य के लिए क्लास ए की एक लेन के लिए 110 किलोन्यूटन (अर्थात, क्लास ए के कुल व्हील लोड का 20%) पर विचार किया गया है।

सिस्मिक लोड (ईआई) और विंड लोड (डब्ल्यूएल): सिस्मिक लोड और विंड लोड पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि संरचना ग्राउंडेड है।

अंतिम सीमा डिजाइन के लिए लोड संयोजन	
(i)	1.5 (डीएल+एसआईडीएल)
(ii)	1.5(डीएल+एसआईडीएल+एलएल(प्रभाव) क्लास ए)

भार संयोजन:

(vi) पाइल संरचना के अलग–अलग मेंबर को बेंडिंग क्षण, अक्षीय बल, शियर फोर्स, टोशन आदि जैसे बलों के सबसे खराब संयोजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। संभावित डिज़ाइन लोडिंग के लिए निर्माण/रखरखाव भार की गंभीरता को अन्य एक साथ होने वाले भार के साथ संयोजन में अलग से भी जाँचा जाएगा।

(vii) स्टाड–प्रो विश्लेषण और परिणाम:

संरचनात्मक अवयवों के आवश्यक प्रबलन और आयाम की गणना करने के लिए परिणाम सेक्शन से बेंडिंग क्षण, शियर फोर्स, टोशन आदि जैसे प्रासंगिक परिणाम लिए गए।

(viii) संस्थापना प्रक्रिया:

(क) ड्रिलिंग: एक ड्रिल रिग रोटरी या पर्क्यूशन ड्रिलिंग का उपयोग करके जमीन में एक छेद बनाता है, जो आमतौर पर 300 मिमी व्यास का होता है।

(ख) प्रबलन: प्रबलन ढांचे (डिजाइन के अनुसार) को ड्रिल होल में उतारा जाता है।

(ग) कंक्रीटिंग: कंक्रीट को दाब द्वारा छिद्र में पंप किया जाता है। यदि ड्रिल होल के ढहने की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो आवरण की व्यवस्था की जाती है। चूंकि माइक्रो–पाइल का आधार अनाच्छादित होता है, इसलिए ग्राउट माइक्रो–पाइल के आधार पर एक बल्ब बनाता है जो अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है।

(घ) पाइल कैप: माइक्रो–पाइल को पाइल कैप के माध्यम से शीर्ष पर एक साथ जोड़ा जाता है।

(ङ) एसडीआरए: ड्राइंग विवरण के अनुसार ढीले सब–ग्रेड, अतिभाराधीन पिंड के ग्राउटिंग के लिए ऊर्ध्वाधर एसडीआरए की स्थापना। एसडीआरए की गहराई ड्राइंग विवरण के अनुसार निष्पादित की जाएगी। एसडीआरए को पूरी गहराई तक डालने के बाद ग्राउटिंग की जाएगी। सामान्य तौर पर, ग्राउटिंग दबाव 1–3 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर लागू किया जाएगा। ग्राउटिंग संचालन को क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(च) आरसीसी फुटपाथ: फुटपाथ को पाइल कैप के साथ बिछाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फुटपाथ से माइक्रो–पाइल्स तक भार पर्याप्त रूप से स्थानांतरित हो।



चित्र–17: अरुणाचल प्रदेश में एनएच–513 (पासीघाट–यिंगकियोंग) के किनारे एक साइट पर निर्माणाधीन प्रस्तावित व्यवस्था





चित्र 18: अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग–513 (पासीघाट–यिंगकिओंग) के किनारे एक स्थान पर माइक्रोपाइल्स के ऊपर निर्मित आरसीसी सड़क

(ix) अनुकूलन: डिजाइन व्यवस्था को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जहां टीएचडीसी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय–उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गैस फ्लडिंग सिस्टम (एचएफसी–227) की संस्थापना

अग्नि सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के हमारे निरंतर प्रयासों के अनुरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान गंगोत्री भवन के आईटी सर्वर कक्ष में एचएफसी–227 एजेंट का उपयोग करते हुए एक उन्नत गैस फ्लडिंग सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह पहल जोखिम न्यूनीकरण और आवश्यक डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में शुरू की गई थी।

गैस फ्लडिंग सिस्टम के बारे में

एचएफसी–227 (हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन) गैस फ्लडिंग सिस्टम एक उन्नत क्लीन एजेंट अग्नि शमन प्रणाली है, जिसे संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक और डाटा भंडारण परिवेश की सुरक्षा में इसकी प्रभावकारिता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह प्रणाली पूर्ण फ्लडिंग तंत्र के माध्यम से संचालित होती है, बिना कोई अवशेष छोड़े या उपकरणों को नुकसान पहुँचाए आग बुझाने के लिए अग्निशामक एजेंट को तेजी से डिस्चार्ज करती है।

एचएफसी–227 गैस फ्लडिंग सिस्टम के प्रमुख लाभ:

- गैर–चालक और अवशेष–मुक्त: सर्वर रूम और इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में उपयोग के लिए आदर्श।
- पर्यावरण–अनुकूल: ओज़ोन–अनुकूल, शून्य ओज़ोन क्षरण क्षमता के साथ।
- त्वरित सक्रियण और दमन: आग के प्रसार को कम करता है, संपत्ति की क्षति को कम करता है और व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करता है।
- व्यस्त स्थानों के लिए सुरक्षित: सही सांद्रता में उपयोग किए जाने पर गैर–विषाक्त।
- प्रभावी अग्नि प्रतिक्रिया के लिए स्वचालित और मैन्युअल ट्रिगरिंग तंत्र।

क) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास और प्राप्त लाभ

कॉर्पोरेट सुरक्षा विभाग ने अवसंरचना के आधुनिकीकरण और सुरक्षा स्वचालन के प्रति टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता के अनुरूप, इस आधुनिक अग्नि शमन तकनीक को सक्रिय रूप से आत्मसात और कार्यान्वित किया है। इस पहल से प्राप्त लाभों में शामिल हैं:

- आग के खतरों से महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की बेहतर सुरक्षा।
- डाटा हानि और हार्डवेयर क्षति के जोखिम को कम करना, प्रचालन विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में सुधार, जिससे डाउनटाइम और वित्तीय नुकसान न्यूनतम हुआ।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस तकनीक का सफल एकीकरण टीएचडीसीआईएल में डिजिटल रूप से सुरक्षित और सुदृढ़ प्रचालन की दिशा में एक सामरिक कदम है।

ख) आयातित तकनीक का संक्षिप्त विवरण

(i) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा:

संस्थापित एचएफसी–227 गैस फ्लडिंग सिस्टम अग्नि शमन समाधानों का एक हिस्सा है। हालाँकि इस सिस्टम का विपणन और संयोजन भारत में सीज़ फायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य अग्निशामक एजेंट – एचएफसी–227 और सिस्टम के कुछ सटीक घटक, जैसे वाल्व और नोजल, एनएफपीए (राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ) मानकों का पालन करते हुए, अमेरिका और यूरोप सहित तकनीकी रूप से उन्नत बाजारों से आयात किए गए हैं।

(ii) संस्थापना का वर्ष:

संपूर्ण प्रणाली की स्थापना और कमीशनिंग 2024–25 में की गई।

(iii) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से आमेलित कर ली गई है:

हाँ, तकनीक को पूरी तरह से आमेलित कर लिया गया है। टीएचडीसीआईएल की सुरक्षा और आईटी टीमों को प्रचालन संबंधी जानकारी के लिए प्रशिक्षित किया गया है और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) विकसित और एकीकृत की गई हैं। समय–समय पर निरीक्षण के लिए अनुरक्षण प्रोटोकॉल लागू हैं, जिससे हर समय प्रणाली की तत्परता सुनिश्चित होती है।

सीज फायर ब्रांड एचएफसी–227 गैस फ्लडिंग सिस्टम की संस्थापना टीएचडीसीआईएल के सुरक्षा नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण पर दृढ़ फोकस को दर्शाती है, जो भविष्य के लिए तैयार, सुरक्षा–प्रथम संगठन होने के हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाती है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(रु करोड़ में)

	विवरण	2024–25	2023–24
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	0.36	0.15
	परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय	3.18	2.95
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	131.95	87.21

	विवरण	2024–25	2023–24
	वस्तुओं का आयात	2.18	7.72
	सम्मेलनों के लिए नामांकन	0.26	–
	अन्य	123.28	118.15
	कुल	261.20	216.18
ख	**विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)**		
ग	**सीआईआरएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य**		
	प) पूंजीगत वस्तुएं	0.12	7.39
	पप) अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे	–	–
	कुल	0.12	7.39
घ	**खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जों का मूल्य**		
	i) आयातित (रु करोड़ में)	0.25	0.26
	(%)	3.65%	4.75%
	ii) स्वदेशी (रु करोड़ में)	6.59	5.21
	(%)	96.35%	95.25%
ङ.	**निर्यात का मूल्य**	–	–



पावर हाऊस (4 X 250) 1000 मेगावाट, टिहरी एचपीपी



व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2024–25

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2024–25

खंड–क: सामान्य प्रकटीकरण

i. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे

1	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	:	U45203UR1988GOI009822
2	कंपनी का नाम	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (आज की तारीख तक सूचीबद्ध नहीं है)
3	पंजीकरण का वर्ष	:	1988
4	पंजीकृत पता	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
5	कॉरपोरेट पता	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश– 249201, उत्तराखंड
6	ई–मेल आई डी	:	cmd@thdc.co.in
7	दूरभाष संख्या	:	0135–2473311
8	वेबसाइट	:	www.thdc.co.in
9	जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है	:	2024–25
10	उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैं	:	लागू नहीं
11	संदत्त पूंजी	:	रु 3665.88 करोड़ (दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार)
12	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	:	श्री अजय कुमार गोयल, सीजीएम (कॉर्पोरेट प्लानिंग / एमपीएस), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश–249201 (उत्तराखंड), (ईमेल: akgoel@thdc.co.in)
13.	रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)	:	स्टैंडअलोन आधार पर

ii. उत्पाद और सेवाएं

1. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	यूनिट के कारोबार का %
1.	विद्युत उत्पादन	जल, पवन, सौर और ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन और बिक्री	96.28%
2.	अन्य आय	कोयला की बिक्री, परामर्श सेवाएं और ढलान स्थिरीकरण और डिजाइन परामर्श से प्राप्त परामर्श आय।	3.72%

2. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद / सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	हाइड्रो से विद्युत उत्पादन	3510	76.85%
2.	पवन से विद्युत उत्पादन		3.24%
3.	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन		1.00%
4.	कोयला से विद्युत उत्पादन		15.19%
5.	कोयला बिक्री		1.60%
6.	परामर्श से आय		0.99%
7.	अन्य आय		1.13%

iii. प्रचालन

1. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और / या प्रचालन / कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	7	27	34
अंतरराष्ट्रीय	0	0	0

2. संस्था द्वारा सेवित बाज़ार:

टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को विद्युत आपूर्ति में कार्य करती है।

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्य सरकारों की संख्या)	14
राष्ट्रीय (राज्य निजी डिस्कॉमों की संख्या)	04
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त –

उत्पादित विद्युत की आपूर्ति उत्तरी क्षेत्र के नौ राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली) तथा मध्य प्रदेश, गुजरात तथा केरल राज्यों को की जाती है।

IV. कर्मचारी

1. वित्त वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	%(ख / क)	संख्या (ग)	%(ग / क)
कर्मचारी						
1	स्थायी (घ)	898	833	92.76%	65	7.24%
2	स्थायी के अलावा (ङ)	165	147	89.09%	18	10.90%
3	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	1063	980	92.19%	83	7.81%
कामगार						
4	स्थायी (च)	775	717	92.51%	58	7.48%
5	स्थायी के अलावा (छ)	8	8	100%	0	0%
6	कुल कामगार (च + छ)	**783**	**725**	**92.59%**	**58**	**7.40%**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	%(ख / क)	संख्या (ग)	%(ग / क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1	स्थायी (घ)	13	12	92.30%	1	7.69%
2	स्थायी के अलावा (ङ)	2	2	100%	0	0
3	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	15	14	93.33%	1	6.67%
दिव्यांग कामगार						
4.	स्थायी (च)	25	22	88%	3	12%
5.	स्थायी के अलावा (छ)	उपलब्ध नहीं				
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)	25	22	88%	3	12%

ग. महिलाओं की भागीदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	%(ख / क)
निदेशक मंडल	8	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	1	33.33%

घ. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर
(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

		वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2023–24 (पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2022–23 (पिछले वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	सेवानिवृत्त	64	02	66	52	0	52	47	2	49
	इस्तीफा दिया	8	02	10	21	1	22	7	1	08
स्थायी कामगार	सेवानिवृत्त	45	03	48	29	0	29	36	2	38
	इस्तीफा दिया	35	01	36	2	0	2	1	0	1

ट. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

1. (क) धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रमांक	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या धारक / सहायक / सहयोगी / संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का :	क्या कॉलम क में इंगित संस्था, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां / नहीं)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी	74.49 (एनटीपीसी)	हां
2.	टुस्को लिमिटेड	टीएचडीसीआईएल की संयुक्त उद्यम	74.00 (टीएचडीसीआईएल)	नहीं
3.	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड	टीएचडीसीआईएल की संयुक्त उद्यम	74.00 (टीएचडीसीआईएल)	नहीं
4.	टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड	टीएचडीसीआईएल की संयुक्त उद्यम	74.00 (टीएचडीसीआईएल)	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

i. क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां)
ii. कारोबार (रु में):– (कुल राजस्व)– रु 2712.38 करोड
iii. निवल मूल्य (रु में):– रु 11049.34 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

1. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां / नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2024–25 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2023–24 पिछला वित्त वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हां	01	01	–	01	0	परिवाद निपटाया गया
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां	0	0	–	0	0	–
शेयरधारक	हां	0	0	–	0	0	–
कर्मचारी और कामगार	हां	01	0	परिवाद निपटाया गया	0	0	–
ग्राहक	हां	0	0	–	0	0	–

2. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इनकी पहचान करने के लिए औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें:

क्रमांक	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर / ओ)	जोखिम / अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
1	**खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट (केएसटीपीपी) में प्राकृतिक जल जलाशय**	अवसर	**अवसर:** टीएचडीसीआईएल ने फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (एफएसपीवी) सिस्टम लगाने के लिए जलाशय का उपयोग किया, जिससे जल का एक निष्क्रिय जलाशय ऊर्जा उत्पादन का एक सक्रिय साधन बन गया। • **भूमि का बेहतर उपयोग:** फ्लोटिंग सोलर से अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होती। • **जल संरक्षण:** सोलर पैनल वाष्पीकरण कम करते हैं, जिससे जल संसाधन सुरक्षित रहते हैं। • **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** यह शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है।		**आय में वृद्धि:** अतिरिक्त विद्युत क्षमता से लाभप्रदता बढ़ती है। **रोजगार सृजन:** निर्माण और संचालन के दौरान रोजगार के अवसर। **ऊर्जा सुरक्षा:** पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है।

2	राख (ऐश) का निपटान	अवसर	**अवसर:** फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र का उपोत्पाद है और इसका उपयोग सीमेंट उद्योगों और अन्य निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योगों में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल विभिन्न निर्माण गतिविधियों/उद्योगों जैसे ईंटों, कंक्रीट फुटपाथ आदि में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों और अवसरों की खोज कर रहा है ताकि राख के भंडारण को कम किया जा सके।		फ्लाइ ऐश के उपयोग के पर्यावरणीय लाभ प्रदूषण में कमी: फ्लाई ऐश के उपयोग से लैंडफिल में फ्लाई ऐश की मात्रा कम होती है, जिससे वायु और जल प्रदूषण भी कम होता है। भू–संरक्षण: फ्लाई ऐश का उपयोग करके, इसके निपटान के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा कम हो जाती है, जिससे भूमि का अन्य उपयोग के लिए संरक्षण होता है। ग्रीनहाउस गैस में कमी: फ्लाई ऐश के उपयोग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है।
3	पीएएफ/स्थानीय लोगों की वैध अपेक्षाएं	जोखिम	कार्य अनुभव के आधार पर	• मुद्दों के समाधान के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ संपर्क स्थापित करके विश्वास बनाने के लिए निरंतर संचार और परामर्श/बातचीत। • कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करना। • परियोजना प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए नियमित आग्रह या प्रेरणा। • एक किस्त पर विशेष पैकेज का भुगतान।	परियोजना निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्णता लागत में वृद्धि हुई है।

खंड– ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

		प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
		नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.	क.	क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
	ख.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
	ग.	नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	*	* नहीं	वेब पर	*	*	* नहीं	वेब पर	*	–
2.		क्या संस्था ने नीति का प्रक्रियाओं में अनुवाद किया है। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
3.		क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उपलब्ध हैं? (हां/नहीं)	कृपया नीचे तालिका–1 का अवलोकन करें								

4.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणन / लेबल / मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।	सभी वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। तालिका–1 के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।
5.	विशिष्ट समय–सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।	
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था के प्रदर्शन साथ–साथ उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख।	

सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण

7.	ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है)	
8.	व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	लागू नहीं
9.	क्या संस्था में बोर्ड / निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो सततता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	लागू नहीं

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा के लिए विषय	इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक / समिति / किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी									आवृत्ति वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के सापेक्ष प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	संतोषजनक। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है।									जब भी आवश्यक हो।								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	जब भी आवश्यक हो।								
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन / आकलन कराया है? (हां / नहीं) । यदि हां, तो एजेंसी का नाम दें।	नहीं																	

***पर्यावरण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
https://thdc.co.in/content/environment-policy

***आर एंड आर नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
https://thdc.co.in/content/rr-policy

***सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf

***टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf

***टीएचडीसीआईएल के विजन, मिशन और मान्यताएं निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:**
https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues

***कॉर्पोरेट आचार नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf

***सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf

***व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf

सारणी – 1

सिद्धांत सं.	विवरण	नीति / नीतियां	निदेशक जवाबदार
सिद्धांत 1 (पी1)	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और अभिशासन करना चाहिए।	• विजन, मिशन और मूल्य • आचरण अनुशासन और अपील नियम • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कॉर्पोरेट आचार नीति • व्यापार आचार और नैतिकता संहिता • सीडीए नियम • सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति • सत्यनिष्ठा समझौता • टीएचडीसीआईएल का रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल • टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति।	निदेशक (वित्त) निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।	• सुरक्षा नीति • सीएसआर और सततता नीति • आईएसओ 45001:2018 • जोखिम प्रबंधन नीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी3)	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।	• मानव संसाधन नीतियां • भर्ती और स्थानांतरण नीति	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी4)	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	• आर एंड आर नीति • विजन और मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	• विजन, मिशन और मूल्य • मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी6)	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।	• पर्यावरण नीति • आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी7)	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।	• आचार संहिता • मूल्य मान्यताएं	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	• सीएसआर और सततता नीति • सीएसआर संचार कार्यनीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।	सिद्धांत–9 के तहत पहचाने गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। हालांकि, टीएचडीसीआईएल को लगता है कि सिद्धांत 9 पर एक अलग नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि: • टीएचडीसीआईएल लाभार्थियों (थोक ग्राहकों) को बिजली की आपूर्ति करता है, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है। • विद्युत का आबंटन कतिपय नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। • टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है। • मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाती है और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंचों पर हल किया जाता है, जहां थोक ग्राहक और उत्पादक सदस्य होते हैं। • ग्राहकों (लाभार्थियों) से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए अलग से फीडबैक लिया जाता है।	

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारणों का उल्लेख करें:

प्रश्न	
क्या संस्था इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती? (हां / नहीं)	टीएचडीसीआईएल के पास सिद्धांत–9 के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि नीति की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरण उपरोक्त तालिका–1 में दिया गया है।
क्या संस्था अभी उस स्थिति में नहीं है कि वह इन सिद्धांतों पर नीतियां बना सके और लागू कर सके? (हां / नहीं)	
क्या संस्था के पास इस काम के लिए वित्तीय, मानव संसाधन या तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं? (हां / नहीं)	
क्या यह अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है? (हां / नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)	

खंड – ग: सिद्धांत–वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और अभिशासन करना चाहिए।

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय / सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	शून्य	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	02	• भ्रष्टाचार–रोधी प्रबंधन प्रणाली • कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) पर ऑनलाइन प्रमाणित प्रशिक्षक कार्यक्रम।	50%
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	10	• भ्रष्टाचार–रोधी प्रबंधन प्रणाली से संबंधित जानकारी। • सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम। • निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। • "राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति" विषय पर चर्चा। • कनिष्ठ और मध्य वर्ग के सतर्कता अधिकारियों के लिए सतर्कता दृष्टिकोण को समझने के लिए सतर्कता पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। • प्रभावी सतर्कता के माध्यम से संगठन में उत्कृष्टता पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम। • अभिशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीके। • विभिन्न संगठनों के जांच अधिकारी / प्रस्तुति अधिकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। • नव नियुक्त सतर्कता अधिकारियों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम के लिए नामांकन। • प्रशासनिक प्रभावशीलता पर प्रशिक्षण फोकस: मानव संसाधन और निवारक सतर्कता।	100%
कामगार	01	• भ्रष्टाचार–रोधी प्रबंधन प्रणाली	84.0%

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्त वर्ष में विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना / दंड / शास्ति / एवार्ड / कंपाउंडिंग शुल्क / निपटान राशि का विवरण (टिप्पणी : संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी.:

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रु में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं)
शास्ति / जुर्माना	शून्य				
समझौता					
कंपाउंडिंग शुल्क					

गैर–मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं)
कारावास	शून्य			
सज़ा				

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों में अपील / संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई पर अपील की गई है।

– लागू नहीं

4. क्या संस्था में भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

हाँ, टीएचडीसीआईएल की अपनी भ्रष्टाचार–रोधी नीति है। इस नीति का वेब लिंक **https://thdc.co.in/en/taxonomy/term/358** है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित भ्रष्टाचार–रोधी नीति निम्नानुसार है:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विद्युत उत्पादन, पारेषण और व्यापार के लिए रिश्वत–रोधी प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करके रिश्वत–रोधी उद्देश्यों को निर्धारित करने, समीक्षा करने और प्राप्त करने के लिए रिश्वत–रोधी प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार करके लागू रिश्वत–रोधी कानूनों के अनुपालन के माध्यम से रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने रिश्वत–रोधी अनुपालन कार्य में अधिकार और स्वतंत्रता को परिभाषित किया है जो प्रतिशोध के भय के बिना वास्तविक चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है और सभी कर्मचारियों को उपरोक्त नीति का अनुपालन नहीं करने के परिणाम के बारे में जागरूक करता है।

5. ऐसे निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) / कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरूद्ध रिश्वत / भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)		वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	–	शून्य	–
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	–	शून्य	–

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– लागू नहीं

सिद्धांत 2: व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और निवेश में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए क्रमशः विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत ।

अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना और बजट (वित्त वर्ष 2024–25) के सापेक्ष अनुसंधान एवं विकास व्यय निम्नानुसार है:

i. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बजट: **रु 1567.707 लाख**

ii. 31.03.2025 तक किया गया कुल व्यय (वित्तीय वर्ष 2024–25): **रु 1521.217 लाख**

iii. अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर कुल व्यय (स्थापना व्यय सहित): **रु 1622.53 लाख**

iv. वित्तीय वर्ष 2024–25 में उत्पादों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर निवेश रु 92.53 लाख है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बजट का 5.903% है।

क्रमांक	परियोजना का विवरण	संबंधित संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए उपयोग प्रमाणपत्रों के सापेक्ष वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान किया गया व्यय (रु लाख में)	अध्ययन का प्रभाव	अध्ययन के परिणाम
1.	मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से माइक्रो–प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंग: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम।	0.23	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ–2072/1031 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
2.	गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ एक फेज–आधारित रणनीति विकसित करना	55.81	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2064/1022 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
3.	घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफिल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग	22.47	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2063/1021 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
4.	बायो–मास से ग्रीन हाइड्रोजन और बायो–चार का सह–उत्पादन	8.55	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2065/1023 दिनांक 18.09.2023 के	2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है

			तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	
5.	फोटो–इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करना	4.05	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2067/1025 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
6	न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास	0.74	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ–2071/1030 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
7.	हाइड्रो–थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) और सीवेज स्लज के दो–चरण वाले एनएरोबिक कोडाइजेशन में बायोहाइड्रोजन और बायो–मीथेनेशन को बढ़ाने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण।	0.68	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ–2070/1029 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
	कुल	**92.53**		

2. क. क्या संस्था में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं)

– हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

सभी खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें सतत सोर्सिंग का ध्यान रखा गया है, के अनुसार जीईएम पोर्टल और ई–टेंडरिंग के माध्यम की जाती हैं।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए उपयोगी काल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनःप्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

(क) प्लास्टिकः (पैकेजिंग सहित)

(ख) टीएचडीसीआईएल कॉलोनी ऋषिकेश में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक अपशिष्ट का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक अपशिष्ट जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं। टीएचडीसीआईएल के अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

(ग) ई–कचराः टीएचडीसीआईएल में बहुत कम ई–अपशिष्ट है। सरकारी मानदंडों के अनुसार ई–कचरे का निपटान किया जाता है।

(घ) खतरनाक अपशिष्टः संविदाकार द्वारा परियोजनाओं में खतरनाक अपशिष्ट का निपटान खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जा रहा है। सभी खतरनाक अपशिष्ट को रिसाव रोधी बंद पात्र (ड्रम) में एकत्र किया जाता है और अधिकृत एजेंसियों/रीसाइक्लर को सौंप दिया जाता है।

(ङ) अन्य अपशिष्टः बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधनः–

बायोमेडिकल अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों से संबंधित सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। स्वस्थ मानव एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लागू किया जा रहा है। जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का मूल सिद्धांत स्रोत पर पृथक्करण है और हरे एवं स्वच्छ वातावरण के लिए अपशिष्ट में कमी का अनुपालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य से बायोमेडिकल अपशिष्ट को कलर कोडेड डिब्बे में रखा जा रहा है। फिर अपशिष्ट को अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को सौंप दिया जाता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां /नहीं)। यदि हां, तो क्या

कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

हां। ईपीआर सीधे टीएचडीसीआईएल पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई प्लास्टिक उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि, विदेशों से आयातित मशीन भागों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रबंधन के लिए, सीपीसीपी पोर्टल पर ईपीआर पंजीकरण किया गया था। संबंधित विभाग और एजेंसियों द्वारा परिसर में अपशिष्ट संग्रह प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, प्लास्टिक के न्यूनतम आयात के कारण ईपीआरए पोर्टल द्वारा टीएचडीसीआईएल को रीसाइक्लिंग के लिए शून्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का%										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)	संख्या (घ)	% (घ / क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	883	लागू नहीं	लागू नहीं	883	100%	लागू	लागू नहीं	18	2.03%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	65	लागू नहीं	लागू नहीं	65	100%	3	4.61%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	898	लागू नहीं	लागू नहीं	898	100%	3	0.33%	18	2.00:	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	147	लागू नहीं	लागू नहीं	147	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	18	लागू नहीं	लागू नहीं	18	100%	2	11.11%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	165	लागू नहीं	लागू नहीं	165	100%	2	1.21%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	द्वारा कवर किए गए कामगारों का%										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)	संख्या (घ)	% (घ / क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	717	लागू नहीं	लागू नहीं	717	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	2	00.27%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	58	लागू नहीं	लागू नहीं	58	100%	1	1.72%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	775	लागू नहीं	लागू नहीं	775	100%	1	0.12%	2	00.25%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	3911	लागू नहीं	लागू नहीं	3911	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	366			366							
कुल	4277	लागू नहीं	लागू नहीं	4277	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:

लाभ	वित्त वर्ष 2024–25 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2023–24 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के% के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के% के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां / नहीं / लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के %के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के %के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां / नहीं / लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	हां	100%	100%	हां
उपदान	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
1) जीएसएलआई: क) परिपक्वता ख) दुर्घटना दावा 2) जीएसएलआई के बदले में क) नए कर्मचारी के लिए जीआई स्कीम ख) नए कर्मचारी के लिए दुर्घटना बीमा	100%	100%	हां	100%	100%	हां

3. कार्यस्थलों की पहुंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था के परिसर / कार्यालयों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

हाँ, सभी परिसर और कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में वर्णित है।

- **रैंप सुविधा:** – हमारे कार्यालय भवन के सभी प्रवेश और निकास द्वार पर व्हीलचेयर की आवाजाही के लिए रैंप हैं।
- **सुलभ शौचालय:** – दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालय उपलब्ध हैं, जिनमें व्हीलचेयर के लिए उपयुक्त सुविधाएं और स्थान है।

टीएचडीसीआईएल समान अवसर और सुलभता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और बदलते मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपनी अवसंरचना और प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा।

4. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

हां, https://thdc.co.in/sites/default/files/EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY_0.pdf

5. **पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर।**

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
लिंग	कार्य पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	कार्य पर वापिसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

6. **क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हां / नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कामगार	
स्थायी कामगारों के अलावा	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	

7. **शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए उपलब्ध तंत्र पर संक्षिप्त विवरण**

शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया: कंपनी में कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति दिशानिर्देश और प्रक्रिया है। इस योजना के तहत, "शिकायत" का तात्पर्य केवल निगम की नीतियों / नियमों या निर्णयों को लागू करने से किसी कर्मचारी को होने वाली व्यक्तिगत प्रकृति की शिकायत होगी, जो पात्रता शर्तों के अध्यधीन होगी। इसमें छुट्टी, वेतन वृद्धि, नियमों के तहत लाभ

न मिलना, सेवा नियमों की व्याख्या आदि से संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। यह नीति मूल रूप से मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप है। त्रि–स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू है, और शिकायत निवारण तंत्र के तहत अपनाए जाने वाले चरण इस प्रकार हैं:

चरण i : कोई व्यथित कर्मचारी अपनी शिकायत लिखित रूप में अपने नियंत्रण अधिकारी (उप प्रबंधक के पद से नीचे नहीं) को उक्त शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज की जाएगी। कर्मचारी को शिकायत संख्या का उल्लेख करते हुए एक पावती जारी की जाएगी। नियंत्रण अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवश्यक पूछताछ करेगा और कर्मचारी को उत्तर देगा।

चरण ii : यदि व्यथित कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–1 पर उत्तर प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर नियंत्रक अधिकारी द्वारा दी गई मूल शिकायत संख्या को इंगित करते हुए अपनी शिकायत अपने विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक को प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख/विभागाध्यक्ष मामले को आगे बढ़ाएंगे, संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे और उचित समय के भीतर मामले में उत्तर देंगे। आम तौर पर, चरण–II में कर्मचारी को शिकायत का उत्तर देने में 30 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

चरण iii : यदि कर्मचारी अभी भी चरण– II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–II पर उत्तर प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, चरण–II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होने का कारण का उल्लेख कर, मूल शिकायत संख्या इंगित करते हुए, अपनी शिकायत अध्यक्ष–जीआरसी को प्रस्तुत कर सकता है।

जीआरसी व्यथित कर्मचारी द्वारा लिखित/मौखिक प्रस्तुतियाँ तथा संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियाँ तथा तथ्यों, नियमों, स्थिति और नीति, कानूनी पहलुओं, प्रासंगिक सरकारी दिशा–निर्देशों आदि के आधार पर विचार करेगी तथा 3 माह की अवधि के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। मामले में लिया गया अंतिम निर्णय सचिव–जीआरसी द्वारा व्यथित कर्मचारी तथा संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा।

8. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (ओं) या संघ (संघों) में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

लाभ	वित्त वर्ष 2024–25 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2023–24 पिछला वित्त वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	898	271	30.17%	898	125	13.92%
पुरुष	833	256	30.73%	835	115	13.77%
महिला	65	15	23.07%	63	10	15.87%
कुल स्थायी कामगार	775	668	92.45%	883	674	76.33%
पुरुष	717	642	89.53%	820	642	78.29%
महिला	58	26	44.82%	63	15	23.80%

9. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (ङ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/च)	संख्या (च)	% (च/छ)
					कर्मचारी					
पुरुष	833	83	9.97%	449	53.90%	835	54	6.46%	312	37.36%
महिला	65	28	43.07%	51	78.47%	63	23	36.5%	15	23.81%
कुल	**898**	**111**	**12.36**	**500**	**55.67%**	**898**	**77**	**8.57%**	**327**	**36.41%**
					कामगार					
पुरुष	717	86	11.99%	90	12.56%	729	820	100	12.19%	114
महिला	58	1	1.72%	6	10.35%	54	63	02	3.17	14
कुल	**775**	**87**	**11.22%**	**96**	**12.38%**	**783**	**883**	**102**	**11.55%**	**128**

10. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
पुरुष	833	833	100%	835	835	100%
महिला	65	65	100%	63	63	100%
कुल	**898**	**898**	**100%**	**898**	**898**	**100%**
कामगार						
पुरुष	717	717	100%	820	820	820
महिला	58	58	100%	63	63	63
कुल	**775**	**775**	**100%**	**883**	**883**	**883**

11. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं)। यदि हां, ऐसी प्रणाली की कवरेज का उल्लेख करें?

हां,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कारखाना अधिनियम, 1948; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम); केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विनियमों; और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं का सख्ती से अनुपालन करते हुए, सभी प्रचालन यूनिटों, निर्माणाधीन स्थलों और कॉर्पोरेट कार्यालय को कवर करते हुए एक व्यापक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) लागू की है।

यह प्रणाली सक्रिय रूप से खतरों की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। ओएचएसएमएस सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और संविदा कामगारों पर समान रूप से लागू होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- जल विद्युत परियोजनाएँ (प्रचालनात्मक एवं निर्माणाधीन)
- ताप विद्युत परियोजनाएँ
- सौर एवं पवन ऊर्जा यूनिट
- कॉर्पोरेट कार्यालय

प्रणाली के प्रमुख कवरेज पहलू:

- **नीति और सुशासन:** टीएचडीसीआईएल के पास शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एक सुपरिभाषित व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति है। सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियाँ कॉर्पोरेट से कार्यस्थल स्तर तक सौंपी जाती हैं, जिससे विभागों में एकीकरण सुनिश्चित होता है।
- **खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन:** जोखिमों की पहचान करने और उचित नियंत्रण लागू करने के लिए नियमित और गैर–नियमित दोनों गतिविधियों के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कार्यस्थल इंजीनियर, सुरक्षा अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ इस प्रक्रिया में योगदान करते हैं।
- **कानूनी और विनियामक अनुपालन:** यह प्रणाली कारखाना अधिनियम, 1948, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 और संबंधित केंद्रीय नियमों सहित लागू राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- **आपातकालीन तैयारी:** सभी कार्यस्थलों पर मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ विकसित और परीक्षण की जाती हैं। अग्नि सुरक्षा लेखापरीक्षा और आपदा तैयारी कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- **प्रशिक्षण और जागरूकता:** कर्मचारियों और संविदा कामगारों, दोनों के लिए सुरक्षा परिचय, कार्य–विशिष्ट प्रशिक्षण और आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे सभी स्तरों पर दक्षता सुनिश्चित होती है।
- **घटना की जाँच और सुधारात्मक कार्रवाई:** इस प्रणाली में रिपोर्टिंग, जाँच, मूल कारण विश्लेषण और सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई (सीएपीए) के कार्यान्वयन के लिए सुव्यवस्थित तंत्र शामिल हैं।
- **प्रबंधन समीक्षा और निरंतर सुधार:** सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की शीर्ष प्रबंधन द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है। सुधार लाने के लिए सुरक्षा केपीआई की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

ख. **कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और व्यावसायिक जोखिमों का आकलन करने के लिए एक सुव्यवस्थित, सक्रिय और स्थल–विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। ये प्रक्रियाएँ हमारी व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) में अंतर्निहित हैं और कारखाना अधिनियम, 1948, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम), और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) सुरक्षा विनियमों जैसे राष्ट्रीय वैधानिक दिशानिर्देशों का पूर्णत: अनुपालन करती हैं।

1. **खतरे की नियमित पहचान और जोखिम मूल्यांकन:**

- **दैनिक स्थल निरीक्षण:** वास्तविक समय में असुरक्षित स्थितियों, असुरक्षित कार्यों और प्रचालन संबंधी खतरों की पहचान करने के लिए स्थल इंजीनियरों, सुरक्षा अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा आयोजित।
- **टूल बॉक्स वार्ता (टीबीटी):** परियोजना और संयंत्र स्थलों पर हर सुबह आयोजित की जाती है, जिसमें कार्य-विशिष्ट खतरों और बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा शामिल होती है।
- **सुरक्षा जाँच सूची:** विद्युत कार्यों, ऊँचाई पर कार्य करने, सीमित स्थानों, हॉट वर्क, क्रेन संचालन आदि के लिए मानकीकृत सुरक्षा जाँच सूचियों का उपयोग किया जाता है।
- **परमिट-टू-वर्क (पीटीडब्ल्यू) प्रणाली:** जोखिमों का पूर्व-मूल्यांकन और नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च-जोखिम वाले कार्यों के लिए एक अनिवार्य पीटीडब्ल्यू प्रणाली लागू है।
- **मासिक / त्रैमासिक सुरक्षा समिति बैठकें:** रिपोर्ट किए गए खतरों की समीक्षा और उन पर कार्रवाई करने के लिए कामगार प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सहभागी सुरक्षा समिति बैठकें आयोजित की जाती हैं।

2. **खतरे की आवधिक पहचान और जोखिम मूल्यांकन:**

- **कार्य जोखिम विश्लेषण (जेएचए):** भारी भारोत्तोलन, विस्फोट, गहरी खुदाई, या शटडाउन रखरखाव जैसी गैर-नियमित या एक बारगी जोखिमयुक्त गतिविधियों के निष्पादन से पहले आयोजित किया जाता है।
- **प्री-स्टार्टअप सुरक्षा समीक्षा (पीएसएसआर):** नई परियोजनाओं, कमीशनिंग चरणों और प्रमुख उपकरण स्थापना के लिए कार्यान्वित की जाती है।
- **घटना / निकट-चूक रिपोर्टिंग और सीख:** सभी घटनाओं, निकट-चूक और असुरक्षित अवलोकनों का दस्तावेजीकरण, जाँच और विश्लेषण किया जाता है ताकि पुनरावृत्ति को रोका जा सके और जोखिम रजिस्टरों को अद्यतन किया जा सके।
- **एचआईआरए (खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन) कार्यशालाएँ:** प्रमुख परियोजनाओं के लिए और मौजूदा प्रणालियों में संशोधन के दौरान संबंधित जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की जाती हैं।
- **तृतीय-पक्ष सुरक्षा लेखापरीक्षा:** राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) जैसी प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसियों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा, जिसमें जोखिम मानचित्रण और जोखिम परिमाणीकरण शामिल है।

3. **जोखिम मूल्यांकन टूल और कार्यप्रणाली:**

- जोखिम के स्तरों का मूल्यांकन, जोखिम की संभावना और गंभीरता के आधार पर एक जोखिम मैट्रिक्स का उपयोग करके किया जाता है।
- नियंत्रण उपायों को नियंत्रणों के पदानुक्रम (उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और पीपीई) का उपयोग करके प्राथमिकता दी जाती है।
- प्रत्येक साइट एक जोखिम रजिस्टर बनाए रखती है और उसे समय-समय पर अद्यतन करती है।

ग. **क्या कंपनी में काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां / नहीं)**

हाँ, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कामगारों और कर्मचारियों को कार्य-संबंधी खतरों की सूचना देने और प्रतिशोध के भय के बिना असुरक्षित परिस्थितियों से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सक्षम बनाने के लिए मजबूत और सुलभ तंत्र स्थापित किए हैं। ये तंत्र सभी परियोजनाओं और कार्यालयों में एक सुरक्षित और सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग हैं।

निम्नलिखित रिपोर्टिंग तंत्र उपलब्ध हैं:

1. **दुर्घटना और निकट-चूक रिपोर्टिंग प्रणाली**

- कर्मचारियों और संविदा कामगारों के लिए असुरक्षित कार्यों, स्थितियों, घटनाओं या निकट-चूक की रिपोर्ट करने हेतु सभी टीएचडीसीआईएल स्थलों पर एक औपचारिक रिपोर्टिंग संरचना मौजूद है।
- रिपोर्ट प्रारूप मानकीकृत हैं और दैनिक साइट बैठकों और सुरक्षा निरीक्षणों के दौरान रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है।

2. **सुरक्षा समितियाँ और प्रतिनिधि**

- सभी परियोजना स्थलों पर प्रबंधन और कामगारों के समान प्रतिनिधित्व वाली कार्यशील ओएचएंडएस समितियाँ स्थापित की गई हैं।
- ये समितियाँ मासिक बैठकें करती हैं और कामगारों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरों से संबंधित चिंताओं को उठाने के लिए मंच के रूप में कार्य करती हैं।

3. **शिकायत निवारण तंत्र**

- सभी श्रेणियों के कामगारों और कर्मचारियों के लिए एक संरचित शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है। असुरक्षित स्थितियों से संबंधित शिकायतों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया और हल किया जाता है।

4. **पर्यवेक्षकों और सुरक्षा अधिकारियों तक सीधी पहुँच**

- कामगारों को अपने कार्यस्थल पर्यवेक्षकों या कार्यस्थल पर मौजूद नामित सुरक्षा अधिकारी को तुरंत खतरों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. **अनाम रिपोर्टिंग माध्यम**

- सुझाव पेटियाँ और डिजिटल रिपोर्टिंग प्रारूप (कार्यान्वित) अनाम रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रहे और साथ ही अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

असुरक्षित कार्य से इनकार करने का अधिकार:

- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांतों और आईएसओ 45001:2018 के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल के कामगारों को अपने जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे का आभास होने पर काम बंद करने या काम से हटने का अधिकार है।

- सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इस अधिकार के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाता है।
- सद्भावनापूर्वक इस अधिकार का प्रयोग करने वाले कामगारों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है।

संसूचना–उपरांत कार्रवाई:

- रिपोर्ट किए गए खतरों का दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन और जाँच योग्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है।
- निर्धारित समय–सीमा के भीतर सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) की जाती है।
- रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति या समूह को की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां / नहीं)।

हाँ, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड व्यावसायिक खतरों के दायरे से परे अपने कर्मचारियों और कामगारों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी सभी परियोजना स्थलों, कार्यालयों और आवासीय टाउनशिप में गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुँच प्रदान करती है।

उपलब्ध प्रमुख गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएँ:

1. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ:

- टीएचडीसीआईएल प्रमुख परियोजना स्थलों और कार्यालयों में सुसज्जित औषधालयों और स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन करता है।
- सामान्य बीमारियों और मामूली चोटों के परामर्श, उपचार के लिए योग्य चिकित्सा पेशेवर उपलब्ध हैं।
- टिहरी एचपीपी, वीपीएचईपी और खुर्जा एसटीपीपी जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर चौबीसों घंटे आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध है।

2. चिकित्सा बीमा कवरेज:

- सभी स्थायी कर्मचारी और उनके आश्रित, व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक दोनों रोगों के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं।
- संविदा कामगारों को भी लागू श्रम कानूनों और संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा कवरेज प्रदान किया जाता है।

3. स्वास्थ्य शिविर और कल्याण पहल:

- प्रतिष्ठित अस्पतालों और स्वास्थ्य एजेंसियों के सहयोग से समय–समय पर स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए जाते हैं।
- कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, हृदय रोग और फिजियोथेरेपी जैसे विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं।

4. निवारक स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता:

- जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और तनाव प्रबंधन पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के समन्वय से टीकाकरण अभियान (जैसे, कोविड–19, हेपेटाइटिस, इन्फ्लूएंजा) नियमित रूप से चलाए जाते हैं।

5. कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी):

- मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन, पारिवारिक तनाव और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए गोपनीय परामर्श सहायता प्रदान की जाती है।
- पैनल में शामिल विशेषज्ञों के माध्यम से आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।

6. अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ समझौते:

- टीएचडीसीआईएल ने रियायती दरों पर विशिष्ट उपचार, निदान और आपातकालीन रेफरल मामलों के लिए मल्टी–स्पेशलिटी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन और करार किए हैं।

12. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (कार्य के घंटों के लिए प्रति मिलियन–व्यक्ति)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	2*	3*
गम्भीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0

*वित्त वर्ष 2024–25

- 3 अप्रैल, 2024 को टीएचडीसीआईएल की टिहरी पीएसपी परियोजना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित एक संविदा कामगार के साथ एक घातक दुर्घटना हुई।
- 4 नवंबर, 2024 को टीएचडीसीआईएल की वीपीएचईपी, पीपलकोटी परियोजना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित एक संविदा कामगार के साथ एक घातक दुर्घटना हुई।

*वित्त वर्ष 2023–24

- 27 अप्रैल, 2023 को टीएचडीसीआईएल की खेप कोटेश्वर परियोजना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित एक संविदा कामगार के साथ एक घातक दुर्घटना हुई।
- 28 जुलाई, 2023 को टीएचडीसीआईएल की टिहरी पीएसपी परियोजना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित एक संविदा कामगार के साथ एक घातक दुर्घटना हुई।
- 21 अगस्त 2023 को टीएचडीसीआईएल की टिहरी पीएसपी परियोजना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित एक संविदा कामगार के साथ एक घातक दुर्घटना हुई।

13. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) सभी कर्मचारियों, संविदा कामगारों और हितधारकों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और जोखिम–मुक्त कार्यस्थल बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कंपनी ने कारखाना अधिनियम, 1948, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) सुरक्षा विनियमों, और अन्य लागू राष्ट्रीय कानूनों एवं सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं सहित वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक और एकीकृत व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) ढांचा स्थापित किया है।

1. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) का कार्यान्वयनः

- टीएचडीसीआईएल को अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के लिए आईएसओ 45001:2018 के तहत प्रमाणित किया गया है।
- ओएचएसएमएस सभी चालू विद्युत स्टेशनों (जलविद्युत, सौर और पवन), थर्मल निर्माण स्थलों और कॉर्पोरेट/क्षेत्रीय कार्यालयों को कवर करता है।

2. सुपरिभाषित सुरक्षा नीति और अभिशासनः

- एक कॉर्पोरेट सुरक्षा नीति अपनाई गई है और सभी स्तरों पर इसकी सूचना दी गई है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय में एक निर्दिष्ट सुरक्षा प्रकोष्ठ और परियोजना स्थलों पर योग्य सुरक्षा अधिकारी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करते हैं।

3. नियमित जोखिम आकलन और खतरा नियंत्रणः

- कार्य जोखिम विश्लेषण (जेएचए) और जोखिम पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) समय–समय पर और उच्च जोखिम वाले कार्य शुरू करने से पहले किए जाते हैं।
- शमन उपाय नियंत्रण के पदानुक्रम – उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और पीपीई – पर आधारित हैं।

4. सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः

- कर्मचारियों, इंजीनियरों और संविदा कामगारों के लिए प्रारंभिक और आवधिक सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- सुरक्षा जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए टूल बॉक्स वार्ता (टीबीटी) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम क्रमशः दैनिक और मासिक रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- ऊँचाई, संसीमित स्थानों पर काम करने, विद्युत सुरक्षा, अग्नि निवारण और क्रेन संचालन पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रियाः

- आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ तैयार की जाती हैं और सभी स्थलों पर प्रदर्शित की जाती हैं।
- बाहरी एजेंसियों के सहयोग से, अग्निशमन निकासी और बचाव कार्यों सहित मॉक ड्रिल त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती हैं।
- प्रमुख परियोजना स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और एम्बुलेंस सेवाएँ 24X7 उपलब्ध हैं।
- पीपीई और सुरक्षा उपकरणों का उपयोगरू
- सभी कर्मचारियों और कामगारों को उनके कार्य प्रोफाइल के आधार पर अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान किए जाते हैं।
- सुरक्षा संकेत, बैरिकेडिंग, अग्निशामक यंत्र, फॉल अरेस्ट सिस्टम और गैस डिटेक्टर लगाए जाते हैं और उनका नियमित रखरखाव किया जाता है।

6. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):

- पीपीई का प्रावधानः यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों के पास आवश्यक पीपीई तक पहुँच हो और उन्हें इसके उचित उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
- अनुरक्षण और निरीक्षणः पीपीई का नियमित निरीक्षण और अनुरक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अच्छी कार्यशील स्थिति में है।

7. नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा और निरीक्षणः

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नवी मुंबई द्वारा प्रतिवर्ष बाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है।
- सुरक्षा अधिकारियों और अंतर–कार्यात्मक टीमों द्वारा नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण किए जाते हैं।
- लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।

8. स्वास्थ्य और स्वच्छता उपायः

- कार्यस्थलों और कामगार बस्तियों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं और वेंटिलेशन की उपलब्धता।
- सभी कर्मचारियों और संविदा कामगारों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं।

9. संविदाकार सुरक्षा प्रबंधनः

- संविदाकारों को टीएचडीसीआईएल के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।
- संविदाकारों के सुरक्षा प्रदर्शन की निगरानी मासिक सुरक्षा प्रदर्शन समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

10. डिजिटल और निगरानी पहलें:

- पारदर्शिता और तीव्र समाधान के लिए डिजिटल सुरक्षा डैशबोर्ड, मोबाइल–आधारित निरीक्षण ऐप्स और स्वचालित घटना रिपोर्टिंग प्रणालियों का क्रमिक एकीकरण।

14. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024–25 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2023–24 पिछला वित्त वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य					
स्वास्थ्य और सुरक्षा						

15. वर्ष के लिए आकलन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	(100%) मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, उत्तराखंड के सहयोग से, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड सुरक्षा सुनिश्चित करने की हमारी प्राथमिकता के तहत नियमित रूप से बाह्य लेखापरीक्षा करता है। इसके बाद, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड किसी भी दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए तृतीय पक्ष दुर्घटना जाँच कराता है। गहन लेखापरीक्षा/निरीक्षण के साथ, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड उच्चतम स्तर के स्वास्थ्य/सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
काम करने की स्थिति	(100%) जहाँ तक कार्य स्थितियों का प्रश्न है, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी इकाइयों/परियोजनाओं/कार्यालयों का बहुविध लेखापरीक्षा/निरीक्षण किया जाता है। अनुपालन सुनिश्चित करने और सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य स्थितियों को बनाए रखने के लिए, हमारे इंजीनियरों, सुरक्षा अधिकारियों और सलाहकारों का प्रतिबद्ध स्टाफ व्यापक स्थल निरीक्षण करता है।

16. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, विशेष रूप से मूल्यांकन के दौरान अभिचिह्नित किसी भी सुरक्षा–संबंधी घटना या कमियों के प्रत्युत्तर में, समय पर सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयों (सीएपीए) के माध्यम से कार्यस्थल सुरक्षा में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1. घटना–उपरांत सुधारात्मक कार्रवाई:

पिछली रिपोर्टिंग में दर्ज मामूली सुरक्षा विचलन और एक बड़ी घटना के जवाब में, टीएचडीसीआईएल ने निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की है:

- तृतीय–पक्ष दुर्घटना जाँच
- मूल कारणों और प्रणालीगत खामियों की पहचान करने के लिए आयोजित।
- वीपीएचईपी में सिफारिशों को लागू किया गया और संगठन–व्यापी सीख सुनिश्चित करने के लिए सभी परियोजनाओं में साझा भी किया गया।
- उच्च–जोखिम वाले क्षेत्रों में पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना
- सुरंग के किनारों, गहरी खुदाई और उत्थापन कार्यों जैसे संवेदनशील कार्य क्षेत्रों में समर्पित सुरक्षा पर्यवेक्षकों को परिनियोजित किया गया है।
- कार्य शुरू होने से पहले दैनिक जांच–सूची का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
- परमिट–टू–वर्क (पीटीडब्ल्यू) प्रणाली की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण
- पीटीडब्ल्यू प्रणाली को, विशेष रूप से हॉट वर्क, संसीमित स्थान में प्रवेश और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कार्यों के लिए और अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधित किया गया है।
- अब चुनिंदा स्थानों पर डिजिटल रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल बनाए जा रहे हैं

2. सुरक्षा आकलन से सक्रिय उपाय:

आवधिक आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा, साथ ही दैनिक निरीक्षण और सुरक्षा बैठकों के आधार पर, कई प्रमुख कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

- नियमित ओएचएस जागरूकता कार्यक्रम
- अग्नि सुरक्षा, पीपीई उपयोग, सामग्री प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा जैसे विषयों पर सभी परियोजना स्थलों पर आयोजित।
- वित्त वर्ष 2024–25 में अब तक 50 से अधिक सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कर्मचारियों और संविदा कामगारों दोनों को शामिल किया गया है।
- मॉक ड्रिल और आपातकालीन प्रतिक्रिया तत्परता
- साइट–विशिष्ट मॉक ड्रिल त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती हैं और कमियों का मूल्यांकन किया जाता है।
- ड्रिल फीडबैक के आधार पर टिहरी एचपीपी और खुर्जा एसटीपीपी में अग्निशमन प्रणालियों को उन्नत किया गया।
- दैनिक सुरक्षा दौरे और टूलबॉक्स वार्ता (टीबीटी)

- प्रत्येक विभाग के रिकॉर्ड रखने के साथ अनिवार्य दैनिक टीबीटी आयोजित की जा रही हैं।
- वरिष्ठ अधिकारी भी असुरक्षित कार्यों/स्थितियों की पहचान करने के लिए साप्ताहिक "सुरक्षा दौरों" में भाग लेते हैं।
- ओएचएंडएस सुरक्षा समिति की मासिक बैठकें
- ये बैठकें प्रबंधन और कार्यबल दोनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाती हैं।
- उठाई गई प्रमुख चिंताओं में सुरंगों में प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित पहुँच के लिए मचान और गिरने से सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग शामिल है – इन सभी का इंजीनियरिंग नियंत्रणों के माध्यम से समाधान किया जा रहा है।

3. **इंजीनियरिंग और प्रशासनिक नियंत्रणों के माध्यम से जोखिम उन्मूलनः**
   - सभी ऊँचे कार्य क्षेत्रों में रेलिंग, किनारे की सुरक्षा और साइनेज की स्थापना।
   - संसीमित स्थान पर काम के दौरान अग्नि निरीक्षकों की परिनियोजित और गैस डिटेक्टरों का अनिवार्य उपयोग।
   - संविदा कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को पीपीई किट और सुरक्षा जूते उपलब्ध कराए जाएँगे, जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
4. **संविदाकार सुरक्षा प्रदर्शन निगरानीः**
   - मासिक आधार पर सभी संविदाकारों के स्कोर–आधारित मूल्यांकन के साथ सुरक्षा प्रदर्शन समीक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है।
   - बार–बार सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले संविदाकारों पर जुर्माना लगाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदला भी जाएगा।

सिद्धांत 4 : व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हम अपने हितधारकों को ऐसे व्यक्तियों और समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, या जो हमारे भविष्य के विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के विविध हितों के कारण, जो हमारे प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होता है, हम अपने हितधारकों से यथाउपयुक्त संचार चैनलों और जुड़ाव गतिविधियों के जरिए संपर्क करते हैं। इस अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से, हम लगातार अपने हितधारकों की अपेक्षाओं और मांगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिरता कार्यनीति, रिपोर्ट और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों में इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अलग–अलग हितधारकों के अलग–अलग दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हितधारकों से जुड़ाव किया जाता है।

उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों की पहचान को टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। संचार, संगठन और इसके हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। संचार, सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को भली–भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर स्वीकृत नैतिक प्रणालियों और सतत प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हैं, बल्कि बाहरी हितधारकों के साथ उनका जुड़ाव इन मूल्यों पर आधारित है।

2. **आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
सरकार और सांविधिक निकाय / एनटीपीसी	नहीं	• विद्युत मंत्रालय, एनटीपीसी, राज्य सरकार आदि के साथ पत्राचार • वार्षिक आम बैठकें • बैठकें/प्रस्तुतियाँ • वार्षिक रिपोर्ट • बोर्ड बैठक, • संसदीय समिति की बैठकें • हितधारक प्रतिनिधियों का स्थल दौरा	• वार्षिक रूप से • आवश्यकता पड़ने पर	• परियोजना अनुमोदन और मंजूरी • सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देना • सामाजिक विकास • अधिनियम और नीति अनुपालन

निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	नहीं	• ईमेल • पत्र • बैठकें आदि	• निर्धारित बोर्ड बैठकें • आवश्यकता पड़ने पर	• कंपनी के विज़न, मिशन और उद्देश्यों का सही, पारदर्शी, कुशल और नैतिक तरीके से कार्यान्वयन। • हमारे हितधारकों और शेयरधारकों के उचित हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के मामलों का सामूहिक निर्देशन। • कॉर्पोरेट प्रशासन
कर्मचारी और कामगार	नहीं	• पत्रिकाओं का प्रकाशन • शिकायत निवारण तंत्र • परिपत्र और कार्यालय आदेश / सूचना पट्ट • एसएमएस / व्हाट्सएप • विभागीय बैठकें • ईमेल • सामुदायिक कार्यक्रम • प्रतिक्रियाएँ • सुझाव मेला • प्रशिक्षण और कार्यशाला	• त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक • आवश्यकता पड़ने पर	• करियर विकास और उन्नति • कर्मचारी मान्यता और पुरस्कार • कर्मचारी कल्याण, नैतिकता, संस्कृति और मूल्य • संचार प्रतिक्रिया, विविधता, समानता और समावेशन • कार्य–निष्पादन मूल्यांकन, और कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
डिस्कॉम	नहीं	• विद्युत क्रय करार • फीडबैक सर्वेक्षण • बैठकें • पत्राचार • ईमेल • उद्योग बैठकें	• त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक • आवश्यकता पड़ने पर	विद्युत की गुणवत्ता और नियमित उपलब्धता
आपूर्तिकर्ता और संविदाकार	नहीं	• निविदा के दस्तावेज़ • बोली–पूर्व बैठक • नीति और प्रक्रियाएँ • बैठकें • संयुक्त चर्चाएँ • टीएचडीसीआईएल वेबसाइट • आपूर्तिकर्ताओं की बैठक, • संविदा दस्तावेज़ और करार	• निविदा के लिए • निविदा से पहले • आवश्यकता पड़ने पर	• गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल और उपकरणों की खरीद • नैतिक व्यावसायिक व्यवहार • भुगतान शर्तें
समुदाय	हां	• सीएसआर कार्यक्रम • बैठक • शिकायत निवारण • पत्रिका • पैम्फलेट / वेबसाइट प्रकटीकरण • जन सूचना केंद्र • दूरभाष संवाद • ई–मेल	• निरंतर • आवश्यकता पड़ने पर	• स्थानीय सामुदायिक विकास • रोज़गार सृजन।
मीडिया	नहीं	• प्रेस विज्ञप्तियाँ • प्रेस कॉन्फ्रेंस • मीडिया ब्रीफिंग • प्रेस विज्ञप्तियाँ, कंपनी की वेबसाइट	• निरंतर • आवश्यकता पड़ने पर	• सूचना की पारदर्शिता और प्रासंगिकता • नए व्यावसायिक अवसर • वित्तीय और प्रचालन प्रदर्शन

		• फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म • यूट्यूब		
बड़े पैमाने पर समाज	नहीं	• प्रेस समाचार • सूचना • प्रचार • सीएसआर कार्यक्रम • वेबसाइट पर प्रदर्शित • फेसबुक और ट्विटर पेज	• पूरे वर्ष • आवश्यकता पड़ने पर	एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते, समाज को अपने हितधारक के रूप में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है।

सिद्धांत: 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों और कामगारों का विवरण जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
स्थायी	898	111	12.36%	898	177	19.71%
स्थायी के अलावा	–	–	–	–	–	–
कुल कर्मचारी	**898**	**111**	**12.36%**	**898**	**177**	**19.71%**
कामगार						
स्थायी	775	36	4.65%	883	105	11.89%
स्थायी के अलावा	–	–	–	–	–	–
कुल कर्मचारी	**775**	**36**	**4.65%**	**883**	**105**	**11.89%**

2. निम्न प्रारूप में, कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)		संख्या (ङ)	% (ङ / घ)	संख्या (च)	% (च / घ)
कर्मचारी										
स्थायी	898	–	–	898	100%	780	–	–	780	100%
पुरुष	833	–	–	833	100%	729	–	–	729	100%
महिला	65	–	–	65	100%	51	–	–	51	100%
स्थायी के अलावा	165	–	–	165	100%	162	–	–	162	100%
पुरुष	147	–	–	147	100%	145	–	–	145	100%
महिला	18	–	–	18	100%	17	–	–	17	100%
कामगार										
स्थायी	775	–	–	775	100%	783	–	–	783	100%
पुरुष	717	–	–	717	100%	729	–	–	729	100%

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)		संख्या (ङ)	% (ङ / घ)	संख्या (च)	% (च / घ)
महिला	58	–	–	58	100%	54	–	–	54	100%
स्थायी के अलावा	4277	4277	100%	–	–	8935	8935	100%	–	–
पुरुष	3911	3911	100%	–	–	8762	8762	100%	–	–
महिला	366	366	100%	–	–	173	173	100%	–	–

3. पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:–

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	63,51,571.62	0	–
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक*	3	*	1	27,52,262.00
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों* के अलावा अन्य कर्मचारी	1299	25,59,455.24	103	20,73,776.38
कामगार	426	21,73,791.73	31	16,24,542.64

उपरोक्त आंकड़ों में वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निगम में शामिल हुए और अलग हुए कर्मचारी शामिल हैं।

उपरोक्त आंकड़ों में निगम द्वारा नियत अवधि के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है।

*2 पुरुष केएमपी का औसत पारिश्रमिक निदेशक मंडल में शामिल है।

4. **क्या कंपनी में ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति / समिति) है जो व्यापार द्वारा उत्पन्न या किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)**

नहीं

5. **मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।**

मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए वास्तव में कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। तथापि, कंपनी में एक लोक शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्रम में है। कॉर्पोरेशन में उपलब्ध शिकायत तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाता है और लोक शिकायत निदेशक का नाम, पद और पता आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है।

इसके अलावा कंपनी के पास कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए नीति दिशानिर्देश और प्रक्रिया है। इस योजना के प्रयोजन के लिए नीति के तहत 'शिकायत' का अर्थ केवल निगम की नीतियों / नियमों या निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कर्मचारी से संबंधित व्यक्तिगत प्रकृति की शिकायत होगी, जो स्वीकार्यता शर्तों के अध्यधीन होगी। इसमें छुट्टी, वेतन वृद्धि, नियमों के तहत लाभ का विस्तार न करना, सेवा नियमों की व्याख्या आदि से संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। नीति में स्वाभाविक रूप से मानव अधिकार मूल्यों को शामिल किया गया है।

6. **कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	0	0	0	0	0	0
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0	0	0
बाल श्रम	0	0	0	0	0	0
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	0	0	0	0	0	0
वेतन	0	0	0	0	0	0
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	0	0	0	0	0	0

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यशील है। इसके अलावा टीएचडीसीआईएल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) के अनुच्छेद 12 का अनुपालन करता है।

8. **क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं?**

हां

9. **वर्ष के लिए आकलनः**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	बाह्य लेखापरीक्षा की एक सुदृढ़ व्यवस्था पहले से ही मौजूद है, जो नियमित अंतराल पर की जाती है। ईपीएफ कार्यालय/एएलसी कार्यालय/सांविधिक निकाय टीएचडीसीआईएल परिसर का नियमित निरीक्षण/लेखापरीक्षा करते रहते हैं।
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य– कृपया निर्दिष्ट करें	

10. **उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

आंतरिक निरीक्षण के दौरान सामने आए वेतन से संबंधित किसी भी मुद्दे को त्वरित समाधान के लिए उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है।

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (एमयू में) और ऊर्जा प्रबलता का विवरणः**

मापदंड	**वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)**	**वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)**	**टिप्पणियां**
कुल बिजली खपत (क)	55.87 एमयू	65.21 एमयू	कॉर्पोरेट कार्यालय और 100 मेगावाट से ऊपर के संयंत्र/परियोजनाएं शामिल हैं।
कुल ईंधन खपत (ख)	442152 लीटर	355425 लीटर	
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	8.8537459 एमयू	4.63 एमयू	
कुल ऊर्जा खपत (क + ग)	58.29 एमयू	69.84 एमयू	
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा प्रबलता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रु में)	0.12 किलोवाट घंटा/रु	0.13 किलोवाट घंटा/रु	कॉर्पोरेट कार्यालय

2. **क्या संस्था में भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।**

नहीं। तथापि, टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी प्रमुख परियोजना स्थानों पर पुराने एसी को 5 स्टार रेटेड एसी से बदलने, एलईडी लाइट्स की संस्थापना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर गीजर, रूफ टॉप सोलर आदि की संस्थापना जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	2750952	2744526
(ii) भूजल	122172	144178
(iii) तृतीय पक्ष जल		–
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		–
(v) अन्य (डब्ल्यूटीपी एवं एसटीपी संयंत्र)	48289.5	2665
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	2921414	2891369
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	2103425	2888704
प्रति रुपये टर्नओवर में जल की गहनता (जल की खपत / टर्नओवर)	–	–
पानी की प्रबलता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	–	–

4. क्या यूनिट ने शून्य तरल निस्तारण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें ।

नहीं

5. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :

कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें: मापदंड	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)
नाइट्रस ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.	63*	वर्ष के दौरान उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से किया गया, इसलिए उत्सर्जन नगण्य है।
सल्फर ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.	70*	
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	माइक्रोग्राम / घ.मी.	18*	
दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.	शून्य	
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.	शून्य	
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.	शून्य	

* वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) का उत्सर्जन मौजूद है क्योंकि खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (केएसटीपीपी) चालू हो गया है।

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी प्रवणता का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	यूनिट	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	शून्य	वर्ष के दौरान उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से किया गया, इसलिए उत्सर्जन नगण्य है।
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	शून्य	
प्रति रुपये टर्नओवर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन		लागू नहीं	
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रवणता (वैकल्पिक) संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		लागू नहीं	

7. क्या संस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।

लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)
उत्पन्न हुआ कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0.85299	0.00658
ई–कचरा (ख)	0.382442	4.928225
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0.246833	0.388
निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट (घ)	15	0
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	5.2737	4.704222
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)		शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (जला हुआ तेल, प्रयुक्त टायर, स्नेहक, ट्रांसफार्मर तेल आदि) (छ)	19.1625 मीट्रिक टन और 5.8 किलोलीटर	10.95
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (कार्यालय / संयंत्र का गैर–बिक्री योग्य स्क्रैप) (ज)	585.2137	625.4669
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**626.13 मीट्रिक टन और 5.5 किलोलीटर**	**646.4439**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	0	0
(ii) पुनःप्रयुक्त	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	0	0
कुल	**0**	**0**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटाए विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0.1614	0.2773
(ii) लैंडफिलिंग	0.231933	0.1
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	0.765	0
कुल	**1.158333**	**0.3773**

9. **अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

कॉर्पोरेट कार्यालय / टाउनशिप, ऋषिकेश में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियां निम्नानुसार हैं:

1. **कॉलोनी में जैविक व सूखे कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन**

   जैविक और अजैविक कचरे के संग्रह के लिए सप्ताह के सभी दिनों में सभी कॉलोनियों और कार्यालय की सड़कों पर सुबह 07:30 बजे से 11:30 बजे तक एक टेंपो कैरियर चलता है। टेम्पो कैरियर में जैविक कचरा, अजैविक कचरा और मिश्रित कचरा स्थान के लिए एक पृथक्करण / विभाजन स्थान मौजूद है।

2. **बायो–गैस संयंत्र में मिश्रित कचरे से सूखे और जैविक कचरे को अलग करना**

   टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों और कार्यालयों से कचरा एकत्र करने के बाद, टेंपो कैरियर को बायो–गैस संयंत्र के प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है, जहां दो मजदूर सभी स्रोतों से प्राप्त कचरा मिश्रण से जैविक कचरे और अजैविक कचरे को

अलग करते हैं। बायो–कुकिंग गैस, जिसकी आपूर्ति स्थानीय आहार कैंटीन में की जाती है, का उत्पादन करने के लिए बायो–गैस संयंत्र में जैविक कचरे को संसाधित किया जाता है।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्लास्टिक कचरा निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के मार्गदर्शन में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक कचरे का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक कचरे जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए बनाए गए हैं।

4. अप्रयुक्त अजैविक कचरे का निपटान

एकत्र किए गए सम्पूर्ण कचरे से जैविक कचरे और प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक कचरे को अलग करने के बाद, शेष अपशिष्ट सामग्री को पुराने भंडारण क्षेत्र के पीछे जमीन में फेंक दिया जाता है। इस कचरे को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है ताकि क्षेत्र में दुर्गंध न फैले। गड्ढों को पूरी तरह से अनुपयोगी कचरे से भरने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है।

टीएचडीसीआईएल के परियोजना/कार्यालय/स्थलों पर इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है।

10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन के प्रकार	क्या पर्यावरण के अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।
1.	हेलोंग में बांध स्थल और हाट गांव, चमोली जिले में पावर हाउस साइट के साथ विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी, पीपलकोटी	निर्माणाधीन एचईपी (444 मेगावाट)	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, लेकिन केदारनाथ वन्य जीवन अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में स्थित है, इसलिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और शर्तों का पालन किया गया है।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संचार (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेबलिंक
कलई–।। एचईपी 1200 मेगावाट जिला अंजॉ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है	एस.ओ. 1533(ई)	14.09.2006	वैप्कॉस द्वारा संचालित ईआईए अध्ययन	अध्ययन प्रगति पर	लागू नहीं

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है; (हां / नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

क्र.सं.	कानून/विनियम/दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर–अनुपालन का विवरण दें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या न्यायालय द्वारा द्वारा लगाया गया जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
शून्य				

सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

1. **क. व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्धता की संख्या।**

टीएचडीसीआईएल दो संघों का सदस्य है।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जो संस्था के सदस्य हैं / इससे संबद्ध है ।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों की पहुंच (राज्य / राष्ट्रीय)
1	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

1. **चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण।**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन परिणाम संप्रेषित किए गए (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
कलई–II (1200 मेगावाट एचईपी) कलई–II (1200 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना अंजॉ जिले, अरुणाचल प्रदेश में	एलएमडी–14011(14) / 2 / 2024 / 844	28.08.2024	हां	एसआईए प्रक्रियाधीन है।	
शून्य					

2. **निम्नलिखित प्रारूप में ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके / जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जारी है:**

क्रम सं.	परियोजना का नाम, जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर के तहत कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रु में)
1	वीपीएचईपी परियोजना	उत्तराखंड	चमोली	558	99%	1.80 लाख
2	अमेलिया	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	619	100%	6.53 करोड़

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

कारपोरेट सामाजिक खण्ड : फीडबैक फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे **https://www.thdc.co.in/content/feedback-form** पर आसानी से पहुँचा जा सकता है । टीएचडीसीआईएल द्वारा अंतिम रूप दी गई संचार कार्यनीतियों के अनुपालन में सभी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है और इसे **https://www.thdc.co.in/content/communication-strategy** पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। दायर की गई सभी शिकायतों को जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आयोजित बैठक में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे ली गई सामग्री	123.12 करोड़ (जीईएम से) 94.10%	77.94 करोड़ (जीईएम से) 28.06%
सीधे जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से ली गई सामग्री	शून्य	

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए विद्यमान तंत्र का वर्णन करें।

मेल के माध्यम से मानक फीडबैक प्रारूप पर लाभार्थियों से पूरे वर्ष शिकायत और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मानदंड	टीएचडीसीआईएल विद्युत का उत्पादन कर रहा है और संबंधित राज्यों की वितरण कंपनियों को आपूर्ति कर रहा है। इसलिए लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्त वर्ष)		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्त वर्ष)		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	लागू नहीं					
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापिसी मंगाने की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	वापिस मंगाने के कारण
स्वेच्छा से वापिस मंगाने की घटना	लागू नहीं	
विवशता से वापिस मंगाने की घटना		

5. क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क/नीति है? (हां /नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वित की गई है और यह टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर "कर्मचारी लॉगिन" (सार्वजनिक डोमेन में नहीं) के अंतर्गत उपलब्ध है। साइबर सुरक्षा नीति के अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार और सीईआरटी–इन/एनसीआईआईपीसी/सीएसके जैसी एजेंसियों के सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापिस मंगाने की घटनाओं का पुनः होना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्ति/ की गई कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – VI

फार्म नं. एमआर–3

सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

टिहरी गढवाल, टिहरी–249001

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'')द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी कॉर्पोरेट परिपाटियों के पालन के संबंध में सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो हमें कॉर्पोरेट आचारण / सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा कंपनी द्वारा दायर की गई विवरणियों तथा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र भी विद्यमान है।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों तथा कंपनी द्वारा दर्ज की गई विवरणियों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम – **लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित विनियम एवं उपनियम;

(iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी व्यावसायिक उधारियों की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं);**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं);**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम 2021;

(छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ सौदे के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतर अभिकर्ता) विनियम, 1993;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2021; और **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्अधिप्रापण) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए, समय–समय पर यथासंशोधित, सचिवीय मानक – सामान्य तौर पर अनुपालन किया गया।

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के अनुसरण में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीबद्धता करार

(iii) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन दिशानिर्देश ("डीपीई दिशानिर्देश")

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त विषयों का निम्नलिखित प्रेक्षणों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है:

i) कंपनी अपने बोर्ड की संरचना से संबंधित लागू प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही थी, जैसा कि एलओडीआर के विनियम 17(1)(क), 17(1)(ख), और 17(झड), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे प्रावधान और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1 के तहत अपेक्षित है। बोर्ड में निर्धारित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं था और 10.11.2024 के बाद कोई महिला निदेशक नहीं थी। स्वतंत्र निदेशक(कों) की रिक्तियाँ भी निर्धारित अवधि के भीतर नहीं भरी गईं।

ii) कंपनी, एलओडीआर के विनियम 18, 19, 20, 21 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और वित्तीय वर्ष 2024–25 के भाग के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और 5.1 के अनुसरण में क्रमशः कुछ बोर्ड स्तरीय समितियों, जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और सीएसआर समिति की संरचना से संबंधित प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं कर रही थी, जिसका मुख्य कारण 09.11.2024 को स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होना है। परिणामस्वरूप, ये समितियां अस्थायी रूप से गैर–कार्यात्मक रहीं और बाद में जोखिम प्रबंधन समिति को छोड़कर, 13.05.2025 को पुनर्गठित की गईं। इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन समिति में 01.10.2024 से 29.10.2024 तक केवल दो सदस्य शामिल थे।

iii) कंपनी एलओडीआर के विनियमन 50(1)(घ) का अनुपालन नहीं कर रही थी। कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजों को असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु लिए गए अनुमोदन के संबंध में बोर्ड बैठक की कम से कम दो कार्यदिवसों की पूर्व सूचना देने में विफल रही।

(यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विनियम 16 से 27 अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर लागू हैं)।

हम यह भी रिपोर्ट हैं कि एनएसई और बीएसई द्वारा कंपनी पर एलओडीआर के विनियम 50(1)(घ) का अनुपालन न करने पर रु 5,000/– (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया गया है, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा आज की तारीख अनुसार कर दिया गया है। कंपनी ने जुर्माने की माफी के लिए भी आवेदन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव के कारण कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना अनुपालन के अनुसार नहीं थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे कंपनी के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुपालन में किए गए, जिनमें भारत के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया हैं। हमने पाया कि बोर्ड ने भारत के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त निदेशकों की नियुक्ति पर ध्यान दिया है।

बोर्ड की बैठकों को शेड्यूल करने के लिए सभी निदेशकों को नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणी आम तौर पर सात दिन के अग्रिम नोटिस पर भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित अपेक्षित निदेशकों/सदस्यों की सहमति से किए गए थे और असहमति/मतभेद, यदि कोई हो, को संबंधित कार्यवृत्त, जहां भी लागू हो, में विधिवत दर्ज/शामिल किया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर दिनांक 29.05.2024, 03.09.2024 और दिनांक 18.02.2025 को क्रमशः रु 750 करोड़, रु 600 करोड़ और रु 700 करोड़ के अप्रतिभूत/प्रतिभूत, प्रतिदेय, असपरिवर्तनीय, गैर–संचयी डिबेंचर जारी किए थे।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नम्बरः 2725/2022

ह0/–
सीएस श्वेता जैन
साझेदार

एफसीएस नम्बरः 7152
सीपी नम्बरः 27503
यूडीआईएनः F007152G000949489

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 06.08.2025

इस रिपोर्ट को हमारे समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो **"अनुलग्नक क"** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

"अनुलग्नक क"

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल, टिहरी–249001

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व, लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों की जांच के आधार पर इन सचिवालीय रिकार्ड पर राय अभिव्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डों में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। हमें विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले से इंगित प्रेक्षणों / टिप्पणियों / कमजारियों को कवर नहीं किया गया है।
4. जहां आवश्यक हुआ, हमने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन और हमारी इस राय तक सीमित थी कि कंपनी में समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद है अथवा नहीं।
6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

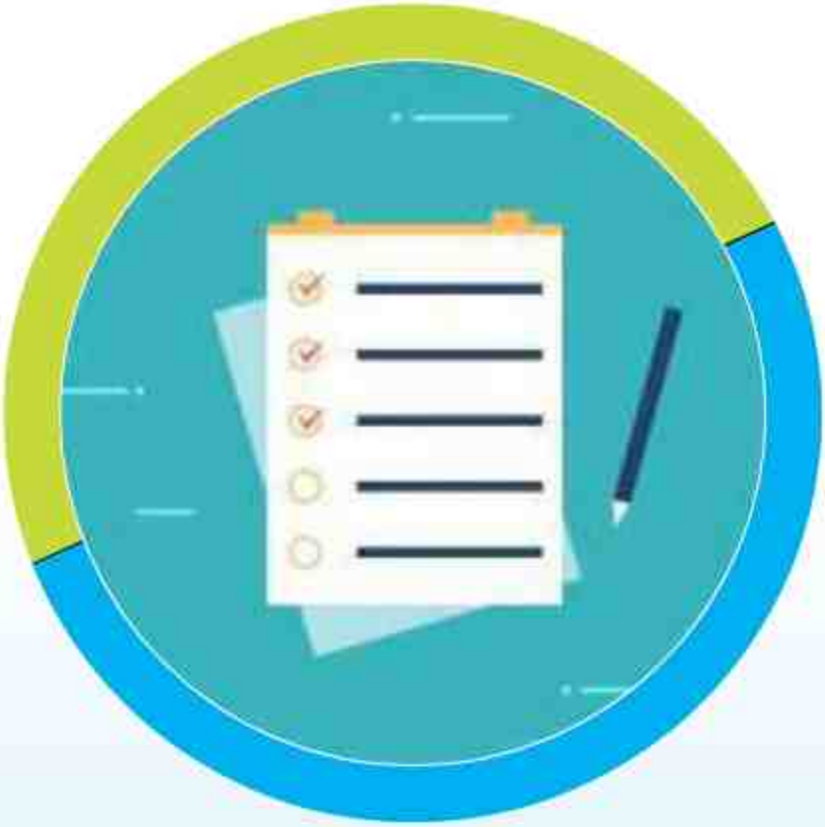
ह0 / –
कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नम्बर: 2725 / 2022

सीएस श्वेता जैन
साझेदार

एफसीएस नम्बर: 7152
सीपी नम्बर: 27503
यूडीआईएन: F007152G000949489

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 06.08.2025

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन–पत्र



31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन–पत्र

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्ति					
गैर–चालू परिसंपत्ति					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		13,941.87		6,201.25
(ख) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	2		1,514.87		641.69
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		1.84		1.38
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		16,484.73		18,898.53
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	51.8		40.70	
(ii) ऋण	5	25.32		28.13	
(iii) अग्रिम	5.1	13.13		0.00	
(iv) अन्य	6	25.72	115.97	24.87	93.70
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		852.37		1,001.45
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	8		0.00		59.04
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		1,307.82		1,880.33
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंटरी	10		171.00		131.56
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	11	1,026.01		450.68	
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	12	148.23		95.62	
(iiक) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	12.1	5.96		0.00	
(iii) ऋण	13	7.11		7.90	
(iv) अग्रिम	14	24.84		15.63	
(v) अन्य	15	1,627.02	2,839.17	1,494.11	2,063.94
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	16		79.75		25.10
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	17		219.97		93.42
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	18		285.65		215.72
कुल			**37,815.01**		**31,307.11**
इक्विटी और देयता					
हिस्सेदारी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		7,383.46		6,880.80
कुल इक्विटी			**11,049.34**		**10,546.68**
गैर चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	18,727.97		14,578.80	

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
(क) पट्टा देयताएं	22	36.59		33.65	
(ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	112.81	18,877.37	70.67	14,683.12
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	24		698.29		736.54
(ग) प्रावधान	25		173.93		163.20
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	3,316.71		2,108.60	
(क) पट्टा देयताएं	27	3.41		3.20	
(ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		2.02		1.51	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		53.50		52.29	
(iii) अन्य 28	1,995.31	5,370.95	1,858.76	4,024.36	
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		167.79		162.09
(ग) प्रावधान	30		922.49		310.75
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		23.56		0.00
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष	32		531.29		680.37
कुल			**37,815.01**		**31,307.11**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं।					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आय					
प्रचालन से राजस्व	33		2,682.80		1,967.24
अन्य आय	34		29.58		44.85
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		23.64		20.65	
घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	23.64	0.00	20.65	0.00
कुल आय			**2,712.38**		**2,012.09**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		380.16		341.17
वित्त लागत	36		405.65		158.65
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2		284.45		300.05
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		791.9		611.92
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और भंडार एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,862.16**		**1,411.79**
विनियामक आस्थगन खाता शेष, अपवादात्मक मदें और कर–पूर्व लाभ/(हानि)			**850.22**		**600.3**
अपवादात्मक मदें– (आय)/ व्यय– निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ/(हानि) और विनियामक आस्थगन खाता शेष			**850.22**		**600.30**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		148.97		103.62
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति)/ देयता			149.08		(185.43)
विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि)			**552.17**		**682.11**
विनियामक आस्थगन खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन – कर के बाद निवल	40		180.74		(83.03)
I निरंतर प्रचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि)			**732.91**		**599.08**
II अन्य व्यापक आय					
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		(9.65)		(7.22)
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः माप पर कर (व्यय)/लाभ			1.69		(2.52)
अन्य व्यापक आय			**(7.96)**		**(9.74)**
कुल व्यापक आय (I+II)			**724.95**		**589.34**

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (रु)			199.93		163.42
तनुकृत (रु)			199.93		163.42
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
बेसिक (रु)			150.62		186.07
तनुकृत (रु)			150.62		186.07
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

ब्यौरा	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के	
अनुसार				
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदें और कर–पूर्व का लाभ		**850.22**		**600.30**
जोड़ें : आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन (कर के बाद निवल)		(180.74)		83.03
जोड़ें: आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर		(38.27)		17.58
कर–पूर्व लाभ, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन शामिल है		**631.21**		**700.91**
समायोजन :–				
मूल्यह्रास		284.45		300.05
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	23.64		20.65	
प्रावधान		–		–
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(12.78)		(15.48)	
फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	5.05		0.00	
वित्तीय लागत	405.65		158.65	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.32)		(0.15)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	1.55		0.40	
बैंक जमा पर ब्याज	(0.84)		(0.81)	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	–		–	
असाधारण मद	–	698.80	–	455.71
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,330.01**		**1,156.62**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः –				
इन्वेंट्री	(123.91)		(1.98)	
व्यापार प्राप्य (अबिलीकृत राजस्व सहित)	(710.04)		245.27	
अन्य परिसंपत्तियां	(47.30)		(959.25)	
ऋण एवं अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(18.75)		(2.43)	
लघु ब्याज		–		–
व्यापार देय और देयताएं	130.95		140.71	
प्रावधान (चालू + गैर–चालू)	609.22		42.87	
आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन	219.01	59.18	(100.61)	(635.42)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,389.19**		**521.20**
निगमित कर		(161.98)		(134.37)
प्रचालन से निवल नकदी (क)		**1,227.21**		**386.83**

ब्यौरा	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में परिवर्तन :–				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	(5,070.27)		(4,403.71)	
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	5.41		12.25	
पूंजी अग्रिम	573.5		218.92	
अनुदान	–	–		–
बैंक जमा पर ब्याज	0.84		0.81	
विलंबित भुगतान अधिभार	12.77		15.45	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	(5.96)		–	
सहायक कंपनी में निवेश	(11.10)		(14.80)	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4,494.81)**		**(4,171.08)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	–		–	
उधारों की अदायगी– गैर चालू	(568.27)		(238.78)	
उधार की आय– गैर चालू	4,717.44		4,528.49	
उधार– चालू	253.77		945.42	
पट्टा देयता		(6.24)		(6.37)
ुल्क	(1,503.49)	(1,099.81)		
लाभांश		(527.34)		(171.44)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		2,365.87		3,957.51
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(901.73)**		**173.26**
ङ. प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		**(81.42)**		**(854.68**
च. अंत शेष नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**(1,583.15)**		**(681.42)**

टिप्पणी:

1. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्निर्मित किया गया है।
2. नकदी एवं नकदी समतुल्य का समाधान टिप्पणी संख्या 43.27 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी–

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(राशि करोड़ में ₹)

			01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष					
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (i)		**0.00**	**6,616.38**	**264.42**	**0.00**	**6,880.80**	**0.00**	**6,880.80**
अवधि के लिए लाभ			732.91			732.91	0.00	732.91
अन्य व्यापक आय			(7.96)			(7.96)		(7.96)

(राशि करोड़ में ₹)

			01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष					
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
कुल व्यापक आय			**724.95**			**724.95**	**0.00**	**724.95**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान							0.00	0.00
लाभांश			227.34			227.34		227.34
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (ii)			**497.61**			**497.61**		**497.61**
आरक्षिती में / से अंतरित / समायोजन (iii)			(98.42)			(98.42)		(98.42)
फ्लाई ऐश उपयोग निधि में वृद्धि / (उपयोग) (निवल)					5.05	5.05		5.05
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्तन / (प्रयुक्त / समायोजित) (iv)				98.42		98.42		98.42
अंत शेष (i+ii+iii+iv)		**0.00**	**7,015.57**	**362.84**	**5.05**	**7,383.46**	**0.00**	**7,383.46**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / –
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0 / –
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0 / –
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0 / –
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

(2) 31.मार्च, 2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण		शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (i)		**0.00**	**6,576.40**	**186.5**	**0.00**	**6,762.90**	**0.00**	**6,762.90**
वर्ष का लाभ			599.08			599.08	0.00	599.08
अन्य व्यापक आय			(9.74)			(9.74)		(9.74)
कुल व्यापक आय			**589.34**			**589.34**	**0.00**	**589.34**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान लाभांश			471.44			471.44	0.00	0.00 471.44
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (ii)			**117.9**			**117.9**		**117.9**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती (ii) में स्थानांतरित			(77.92)			(77.92)		(77.92)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्तन / (प्रयुक्त) (iv)				77.92		77.92		77.92
अंत शेष (i+ii+iii+iv+v)		**0.00**	**6,616.38**	**264.42**	**0.00**	**6,880.80**	**0.00**	**6,880.80**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / –
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0 / –
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0 / –
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0 / –
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

टिप्पणी संख्या–1 कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंध जानकारी

क. रिपोर्ट करने वाली संस्था (रिपोर्टिंग संस्था)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन: यू45203 यूआर 1988 जीओआई 009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है: भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. अनुपालन विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 19.05.2025 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2 कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गये है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में निहित सभी अवधियों पर सतत रूप से लागू की गई हैं।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपरकर

2.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में संविदाकारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जो की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

2.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से

अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थापन के संविदाओं के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 संविदाओं के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

4. कोयला खानों के विकास पर व्यय

4.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगा:

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को "खनन संपत्ति" के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल "गैर–चालू परिसंपत्ति /गैर–चालू प्रावधान" शीर्ष के तहत "स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन" के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

4.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने,

स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं हैं) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकड़े उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति

प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 प्रारंभिक मान्यता और माप: सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य अवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **अनुवर्ती माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **सहायक कंपनियों में निवेश:–** सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत में से क्षतिग्रस्तता, यदि कोई हो, को घटाकर लेखांकित किया जाता है।

8.8 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल–सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देयताएं

11.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा निर्माण से संबंधित व्यय विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 अनुवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों

को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैस– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि

राख/राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय और अधिशेष निधि के निवेश से प्राप्त आय को फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधिश में अंतरित कर दिया जाता है। इस निधि का उपयोग फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु अवसंरचना/सुविधाओं के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों पर व्यय के लिए किया जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैस–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/ गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च, 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य बीमा दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में रु 5,00,000/– या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे

उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है ।

19.3 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकरण के वित्त वर्ष में रु 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.4 रु 1500/– से अधिक लेकिन रु5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय के वित्त वर्ष में 100: मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.5 रु 1500/– तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.6 फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, आईटी और अन्य संचार उपकरण, जहां किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीवन को अलग से परिभाषित किया गया है, परिसंपत्ति के जीवन पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

19.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

21.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरुपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब :–

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनरु मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां

कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 आस्थगित कर

22.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के सापेक्ष सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया गया है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

22.2.5 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

24.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय / आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित "लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

252 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूलयांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता हैद्य असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जबतक वे गौण न हों।

टिप्पणी: –2

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल,2024 से 31मार्च, 2025 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024, तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अन्य परिसंपत्तियां										
1. लीजहोल्ड भूमि	131.85	79.55	(0.02)	211.38	–	–	–	–	211.38	131.85
2. जलमग्न भूमि	1,880.38	79.76	–	1,960.14	830.52	47.19	–	877.71	1,082.43	1,049.86
3. भवन	1,186.17	353.48	(22.34)	1,517.31	436.82	48.40	(21.75)	463.47	1,053.84	749.35
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	28.71	0.92	(10.71)	18.92	28.71	0.55	(10.71)	18.55	0.37	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	205.12	499.49	(0.78)	703.83	72.42	10.02	(0.78)	81.66	622.17	
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	31.00	422.09	(9.80)	443.29	13.12	13.78	(9.80)	17.10	426.19	17.88
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.45	–	(0.56)	23.89	19.16	0.60	(0.47)	19.29	4.60	5.29
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,437.56	5,609.27	(0.04)	9,046.79	1,868.65	98.69	(0.04)	1,967.30	7,079.49	1,568.91
9. ईडीपी मशीनें	26.02	8.00	(4.52)	29.50	17.37	5.80	(4.09)	19.08	10.42	8.65
10. विद्युत अधिष्ठापन	49.31	49.63	(5.52)	93.42	15.2	6.95	(5.52)	16.63	76.79	34.11
11. परिषण लाइन	33.08	110.9	(13.17)	130.81	21.59	13.72	(13.17)	22.14	108.67	11.49
12.कार्यालय एवं अन्य उपकरण	92.24	17.67	(4.98)	104.93	66.66	6.69	(4.09)	69.26	35.67	25.58
13.फर्नीचर और फिक्स्चर	53.03	11.56	(3.9)	60.69	27.67	4.46	(3.26)	28.87	31.82	25.36
14.वाहन	32.6	16.07	(0.69)	47.98	16.01	2.94	(0.46)	18.49	29.49	16.59
15.रेलवे साइडिंग	1.22	160.86	–	162.08	0.81	1.79	–	2.60	159.48	0.41
16.हाइड्रोलिक कार्य बांध और स्पिलवे	5,265.05	294.08	(0.65)	5,558.48	3,483.48	65.24	–	3,548.72	2,009.76	1,781.57
17.हाइड्रोलिक कार्य सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	1,613.65	107.19	–	1,720.84	972	19.37	–	991.37	729.47	641.65
18.खदान संपत्तियां	0.00	271.39	0.00	271.39	0.00	1.56	0.00	1.56	269.83	0.00
उप योग	**14,091.44**	**8,091.91**	**(77.68)**	**22,105.67**	**7,890.19**	**347.75**	**(74.14)**	**8,163.80**	**13,941.87**	**6,201.25**

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण		सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल,2024 से 31मार्च, 2025 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024, तक की स्थिति के अनुसार
पिछली अवधि के आंकड़े	13,747.96	355.9	(12.42)	14,091.44	7,565.35	333.24	(8.40)	7,890.19	6,201.25	6,182.61
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	6.97	1.14	(0.10)	8.01	5.59	0.68	(0.10)	6.17	1.84	1.38
उप योग	**6.97**	**1.14**	**(0.10)**	**8.01**	**5.59**	**0.68**	**(0.10)**	**6.17**	**1.84**	**1.38**
पिछली अवधि के आंकड़े	5.69	1.28	–	6.97	5.15	0.44	–	5.59	1.38	0.54
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	384.53	539.73	(53.97)	870.29	68.32	16.85	(53.97)	31.2	839.09	316.21
2. उपयोग का अधिकार–कोयला युक्त भूमि	333.89	366.79	(25.24)	675.44	13.11	15.12	(25.24)	2.99	672.45	320.78
3. उपयोग का अधिकार–भवन	9.52	0.73	(2.03)	8.22	5.00	1.85	(1.89)	4.96	3.26	4.52
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	0.32	0.06	(0.18)	0.2	0.14	0.17	(0.18)	0.13	0.07	0.18
उप योग	**728.26**	**907.31**	**(81.42)**	**1,554.15**	**86.57**	**33.99**	**(81.28)**	**39.28**	**1,514.87**	**641.69**
पिछली अवधि के आंकड	470.63	262.98	(5.35)	728.26	66.1	25.71	(5.24)	86.57	641.69	404.53

मूल्यह्रास का विवरण	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
कोयला इवेंट्री में अंतरित मूल्यह्रास	2.33		–	
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास	72		38.68	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास	284.45		300.05	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान	23.64	382.42	20.66	359.39
वर्ष के दौरान खरीदी गई रु 1500.00 से अधिक किन्तु रु 5000.00 से कम लागत वाली अचल परिसम्पत्तियां पूर्णतः मूल्यह्रासित की गई	0.21		0.38	

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा रु 1/– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में वितरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01अप्रैल, 2023 तक	01अप्रैल,2023 से 31,मार्च 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31मार्च,2023 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. लीजहोल्ड भूमि	50.94	80.91	–	131.85	–	–	–	–	131.85	50.94
2. जलमग्न भूमि	1,786.85	93.53	–	1,880.38	787.93	42.59	–	830.52	1,049.86	998.92
3. भवन	1,128.16	58.36	(0.35)	1,186.17	394.08	42.74	–	436.82	749.35	734.08
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	28.43	0.28	–	28.71	28.43	0.28	–	28.71	–	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	200.53	4.59	–	205.12	65.85	6.57	–	72.42	132.70	134.68
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	30.87	0.13	–	31.00	12.17	0.95	–	13.12	17.88	18.70
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	0.05	(0.07)	24.45	18.49	0.72	(0.05)	19.16	5.29	5.98
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,435.45	2.11	–	3,437.56	1,779.19	89.46	–	1,868.65	1,568.91	1,656.26
9. ईडीपी मशीनें	27.23	5.32	(6.53)	26.02	17.64	5.98	(6.25)	17.37	8.65	9.59
10. विद्युत अधिष्ठापन	46.81	2.50	–	49.31	13.94	1.26	–	15.2	34.11	32.87
11. पारेषण लाइन	32.67	0.41	–	33.08	20.16	1.43	–	21.59	11.49	12.51
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	84.65	8.55	(0.96)	92.24	60.19	7.02	(0.55)	66.66	25.58	24.46
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	45.45	7.87	(0.29)	53.03	24.18	3.55	(0.06)	27.67	25.36	21.27
14. वाहन	28.02	6.56	(1.98)	32.60	15.24	2.26	(1.49)	16.01	16.59	12.78
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.74	0.07	–	0.81	0.41	0.48
16. हाइड्रोलिक कार्य –बांध और स्पिलवे	5,190.00	77.29	(2.24)	5,265.05	3,378.50	104.98	–	3,483.48	1,781.57	1,811.50
17. हाइड्रोलिक कार्य –सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	1,606.21	7.44	–	1,613.65	948.62	23.38	–	972	641.65	657.59
उप योग	**13,747.96**	**355.9**	**(12.42)**	**14,091.44**	**7,565.35**	**333.24**	**(8.40)**	**7,890.19**	**6,201.25**	**6,182.61**

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01अप्रैल, 2023 तक	01अप्रैल,2023 से 31,मार्च 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31मार्च,2023 तक की स्थिति के अनुसार
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.69	1.28	–	6.97	5.15	0.44	–	5.59	1.38	0.54
उप योग	**5.69**	**1.28**	**–**	**6.97**	**5.15**	**0.44**	**–**	**5.59**	**1.38**	**0.54**
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	383.98	0.55	–	384.53	54.26	14.06	–	68.32	316.21	329.72
2. उपयोग का अधिकार–कोयला युक्त भूमि	72.01	261.88	–	333.89	3.63	9.48	–	13.11	320.78	68.38
3. उपयोग का अधिकार–भवन	9.49	0.30	(0.27)	9.52	3.18	1.98	(0.16)	5.00	4.52	6.31
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	5.15	0.25	(5.08)	0.32	5.03	0.19	(5.08)	0.14	0.18	0.12
उप योग	**470.63**	**262.98**	**(5.35)**	**728.26**	**66.10**	**25.71**	**(5.24)**	**86.57**	**641.69**	**404.53**
मूल्यह्रास का विवरण						**पिछले वर्ष**				
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास						38.68		29.40		
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास						300.05		273.90		
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान						20.66	359.39	10.47	313.77	
वर्ष के दौरान खरीदी गई रु 1500.00 से अधिक किन्तु रु 5000.00 से कम लागत वाली अचल परिसम्पत्तियां पूर्णतः मूल्यह्रासित की गईं						0.38		0.36		

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा रु 1/– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

टिप्पणी : –3

प्रगति पर पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल 2024 तक	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर											
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		192.32	90.62	(56.48)	(146.89)	79.57	156.74	52.20	(0.36)	(16.26)	192.32
सड़कें, पुल और पुलिया		530.41	142.28	(7.30)	(658.08)	7.31	406.53	139.47	(11.10)	(4.49)	530.41
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		326.82	100.26	–	(421.70)	5.38	159.6	167.22	–	–	326.82
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		10,406.53	2,488.92	0.13	(5,635.18)	7,260.40	7,420.74	2,985.79	–	–	10,406.53
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, स्पिलवे, जल चैनल, वीयर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य		6,078.56	2,479.74	(0.07)	(5.57)	8,552.66	4,759.37	1,357.78	(0.05)	(38.54)	6,078.56
वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र		115.23	6.76	–	(120.77)	1.22	108.66	6.57	–	–	115.23
विद्युत स्थापना और उप–स्टेशन उपकरण		130.29	61.04	–	(162.67)	28.66	122.64	7.76	–	(0.11)	130.29
परियोजना निर्माण से सीधे संबंधित अन्य व्यय		596.10	65.32	(0.01)	(504.92)	156.49	410.05	186.05	0.00	0.00	596.10
कोयला खदान का विकास		222.13	892.12	(597.17)	(276.94)	240.14	254.13	264.31	(296.31)	0.00	222.13
अन्य		23.67	35.02	(18.9)	(20.98)	18.81	1.91	24.31	–	(2.55)	23.67
व्यय लंबित आवंटन											
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		77.22	–	–	–	77.22	77.22	–	–	–	77.22
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	0.53	934.24			934.77	1.61	519.40			521.01
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय जो कि लाभ एवं हानि में आवंटित / प्रभारित किया गया	32.1		921.43			921.43		520.48			520.48
पुनर्वास											
पुनर्वास व्यय		198.72	94.80	(0.93)	(249.06)	43.53	111.43	145.52	–	(58.23)	198.72
कुल		**18,898.53**	**6,469.69**	**(680.73)**	**(8,202.76)**	**16,484.73**	**13,990.63**	**5,335.90**	**(307.82)**	**(120.18)**	**18,898.53**
पिछली अवधि के आंकड़े		**13,990.63**	**5,335.90**	**(307.82)**	**(120.18)**	**18,898.53**	**9,447.39**	**4,677.38**	**(39.25)**	**(94.86)**	**13,990.62**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, तीपीएचईपी और खुर्जा एसटीपीपी (दूसरी यूनिट) आदि का मूल्य शामिल है, क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, इसलिए कोई हानि नहीं होती है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (i) के माध्यम से किया गया है।

3.3 विलंबित या लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं के पूरा होने की समय–सारणी टिप्पणी संख्या 43.8 (ii) के तहत बताई गई है।

टिप्पणी : –4

गैर चालू परिसंपत्तियां– सहायक कंपनी में निवेश

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
सहायक कंपनी में इक्विटी लिखत–अनुद्धृत (पूर्णतः संदत्त– जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, लागत पर)					
टुस्को, ट्रेडको और टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी			51.80		40.70
कुल			**51.80**		**40.70**

टिप्पणी: –5

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		10.95		10.95	
शोध्य– अप्रतिभूत		7.87		9.00	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		14.86		16.00	
शोध्य – अप्रतिभूत		1.50		2.19	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**35.18**		**38.14**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		7.14		7.24	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		2.72	25.32	2.79	28.11
निदेशकों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.00**		**0.02**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.02
उप–कुल			**25.32**		**28.13**
घटाएः– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल – ऋण			**25.32**		**28.13**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.01		0.02	
कुल		**0.01**		**0.02**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.01	0.00	0.02
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.17		0.09	
ब्याज		0.03		0.03	
कुल		**0.20**		**0.12**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.09	0.11	0.02	0.10

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके।

5.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणीः– 5.1

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम

(रु करोड़ में)

विवरण सं.		टिप्पणी 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु के रूप में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्य मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों को		14.33		0.00	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		1.20	13.13	0.00	0.00
अन्य को			0.00		0.00
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल			**13.13**		**0.00**
टिप्पणीः निदेशकों से देय					
मूलधन			0.09		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.01		0.00
कुल			**0.08**		**0.00**
टिप्पणीः अधिकारियों से देय					
मूलधन			0.03		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.00		0.00
कुल			**0.03**		**0.00**

5.1.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके।

5.1.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –6

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रतिभूति जमा राशि			22.39		24.87
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां			0.00		0.00
सहायक कंपनी में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि			3.33		0.00
कुल			**25.72**		**24.87**

टिप्पणी : –7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			852.37		1,001.45
कुल			**852.37**		**1,001.45**

टिप्पणी : –8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			0.00		59.04
कुल			**0.00**		**59.04**

टिप्पणी : –9
अन्य गैर – चालू परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय			0.13		0.17
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			11.06		10.03
उप योग			**11.19**		**10.2**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (रु 479.64 करोड़ की बैंक गारंटी)		428.89		612.26	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		72.36		157.7	
iii) अन्य		526.93		813.33	
iv) अग्रिम राशि पर उपार्जित ब्याज		382.09	1,410.27	408.78	1,992.07
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			113.64		121.94
उप–योग – पूंजीगत अग्रिम			**1,296.63**		**1,870.13**
कुल			**1,307.82**		**1,880.33**

टिप्पणी : –10
इन्वेंट्री

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(लागत औसत आधार या निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर) अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		0.37		1.12	
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टोर और स्पेयर्स		31.57		31.22	
कोयला इन्वेंट्री		116.09		51.43	
परिवहनाधीन कोयला इन्वेंट्री		7.59		0.00	
अन्य (स्टोर और स्पेयर सहित)		15.38		45.37	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00		2.42	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	171.00	0.00	131.56
घटाएँ: अन्य स्टोर के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**171.00**		**131.56**

टिप्पणी : –11
व्यापार प्राप्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		100.03		61.96	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	100.03	0.00	61.96
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		372.70		247.44	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	372.70	0.00	247.44
(iii) अबिलीकृत देनदार			553.28		141.28
कुल			**1,026.01**		**450.68**

टिप्पणी: –12

नकदी और नकदी समतुल्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
नकदी और नकदी समतुल्य					
बैंकों में शेष राशि (ऑटो स्वीप, बैंकों में जमा सहित)			148.22		95.61
चेक, ड्राफ्ट हाथ में			0.01		0.01
कुल			**148.23**		**95.62**

टिप्पणी : –12.1

नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
बैंक के पास निर्धारित शेष			5.96		0.00
कुल			**5.96**		**0.00**

बैंक के पास निर्धारित शेष राशि में फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि के लिए निर्धारित शेष राशि शामिल हैं।

टिप्पणी : –13

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– ऋण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		4.26		4.55	
शोध्य– अप्रतिभूत		2.26		3.01	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		1.77		1.71	
शोध्य – अप्रतिभूत		0.05		0.14	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**8.34**		**9.41**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.05		1.15	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.11	7.18	0.30	7.96
निदेशकों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.01	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.01		0.01	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.01**		**0.02**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.01	0.00	0.02
उप–कुल			**7.19**		**7.98**
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**7.11**		**7.90**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.01	
ब्याज		0.01		0.01	
कुल		**0.01**		**0.02**	

घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.01	0.00	0.02
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.04		0.03	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.03**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन	0.00	0.04	0.00	0.03	

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

13.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण नहीं दिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –14

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अग्रिम

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों के लिए		14.34		6.09	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		2.38	11.96	0.00	6.09
अन्य को			12.88		9.54
कुल			**24.84**		**15.63**
टिप्पणी: निदेशकों से देय					
मूल राशि			0.09		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.02		0.00
कुल			**0.07**		**0.00**
टिप्पणी: अधिकारियों से देय					
मूल राशि			0.02		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.00		0.00
कुल			**0.02**		**0.00**

14.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके।

14.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण नहीं दिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –15

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा					
कस्टम विभाग के पास जमा राशि		0.02		2.36	
सरकार/न्यायालय में जमा राशि		1,491.96		1,491.59	
अन्य जमा		0.33	1,492.31	0.16	1,494.11
अन्य					
संविदा परिसंपत्तियां			134.71		0.00
कुल			**1,627.02**		**1,494.11**

15.1 सरकार/न्यायालय के पास जमा राशि में संभावित देयताओं के सापेक्ष रु1471.87 करोड़ (पिछले वर्ष रु1471.48 करोड़) का जमा और अन्य मदों के लिए रु 20.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु 20.11 करोड़) शामिल हैं।

15.2 संविदा संपत्ति कंपनी को उन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में मिलने वाले भुगतान का अधिकार दर्शाती है, जो कंपनी ने ग्राहकों को दी हैं। यह अधिकार समय बीतने के अलावा अन्य बातों पर निर्भर होता है, जैसे सीईआरसी से समायोजन आदेश प्राप्त होना, आदि। इसमें ग्राहकों को दिए जाने वाले क्रेडिट को घटा दिया जाता है।

टिप्पणी : –16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			79.75		25.1
कुल			**79.75**		**25.1**

टिप्पणी : –17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय			80.01		49.81
अर्जित ब्याज			0.04		0.04
निपटान हेतु रखी गई बीईआर परिसंपत्तियां			0.22		0.56
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			3.54		1.45
उप–कुल			**83.81**		**51.86**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों के लिए			0.46		0.50
खरीदारी के लिए			29.41		20.05
अन्य के लिए			120.7		35.42
			150.57		55.97
घटाएँ: विविध वसूलियों के लिए प्रावधान			14.41		14.41
उप–योग – अन्य अग्रिम			**136.16**		**41.56**
कुल			**219.97**		**93.42**

टिप्पणी : –18

विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			215.72		133.42
अवधि के दौरान निवल संचलन			69.93		82.3
अंत शेष			**285.65**		**215.72**

18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष रु 210.61 करोड़ के विनिमय दर परिवर्तन के कारण है तथा "विवाद से विश्वास", "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" और "विवाद समाधान समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के कारण रु 75.04 करोड़ है।

टिप्पणी : –19

शेयर पूंजी

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
अधिकृत					
इक्विटी शेयर रु 1000/– प्रत्येक		40,000,000	4,000.00	40,000,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		36,658,817	3,665.88	36,658,817	3,665.88
रु 1000/– प्रत्येक के पूर्ण संदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**36,658,817**	**3,665.88**	**36,658,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु 62.02 (विगत वर्ष रु 171.44 करोड़) की दर से रु 1000/– प्रति इक्विटी शेयर पर रु 227.34 करोड़ का अंतिम लाभांश दिया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रु 120.56 (विगत वर्ष कुल रु143.85) की दर से रु 441.97 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी : –19.1

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5% से अधिक शेयरधारिता					
i. एनटीपीसी लिमिटेड (नामिती शेयर सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
ii. उत्तर प्रदेश सरकार (नामिती शेयर सहित)		93,49,405	25.504	9,349,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी : –19.2

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
निर्गत		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत शेष		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2क. कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका सममूल्य रु 1000/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयरधारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी : –19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (प्रारंभिक)	%	शेयरों की संख्या (अंत शेष)	%	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामिती शेयर सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.00
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयर सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**	**0.00**

टिप्पणी : –20

अन्य इक्विटी

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित		0.00	0.00
प्रतिधारित आय		7,015.57	6,616.38
डिबेंचर मोचन आरक्षिती		362.84	264.42
फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि		5.05	0.00
कुल		**7,383.46**	**6,880.80**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 574(अ),दिनांक 16.08.2019 के अनुरूप, कंपनी ने बॉण्डों के मोचन के प्रयोजनार्थ बॉण्डों के मोचन के वर्ष से पहले वर्ष तक प्रत्येक वर्ष बराबर किश्तों में भावी आधार पर बॉण्डों के मूल्य के 10% की दर पर कंपनी के लाभ में से डिबेंचर मोचन आरक्षिती का सृजन किया है।

20.2 14 सितंबर 1999 की प्रमुख राजपत्र अधिसूचना में इंगित है कि प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र को राख आधारित उत्पादों के निर्माण या सड़कों, तटबंधों, बांधों, ढाइक के निर्माण या किसी अन्य निर्माण गतिविधि के लिए 10 वर्षों के लिए मुफ्त राख उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी 3 नवंबर 2009 की राजपत्र अधिसूचना के तहत निर्देश दिया गया कि फ्लाई ऐश और फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों की बिक्री से एकत्र की गई राशि को एक अलग खाता शीर्ष में रखा जाना चाहिए और इसका उपयोग केवल फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए अवसंरचना या सुविधा के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, जब तक कि 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग स्तर हासिल नहीं हो जाता। वर्तमान में, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार की 31 दिसंबर 2021 की राजपत्र अधिसूचना, कंपनी उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अलग खाते में निधि बनाए रखती है और निधि को 'नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष' (टिप्पणी संख्या 12.1) में दिखाया गया है।

टिप्पणी : –21

गैर चालू – वित्तीय देयताएं – उधार

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
क.–प्रतिभूत बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला–VI (7.60% प्रति वर्ष 10 वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000/–) (मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		833.15
^ बांड निर्गम श्रृंखला–V (7.39: प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000/–) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला–IV (7.45: प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000/–) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
***बांड निर्गम सीरीज–III (7.19: प्रति वर्ष 10 वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000/–) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
**बांड निर्गम सीरीज–II (8.75: प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000/–) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.43		1,574.43
*बांड निर्गम श्रृंखला–I (7.59: प्रति वर्ष 10 वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000/–) (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.46		622.46
कुल (क)			**5,883.67**		**5,883.67**
ख. प्रतिभूत वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से सावधि ऋण					
@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–I) (चुकौती प्रथम 20 तिमाही किस्त 1.25%; अगली 20 तिमाही किस्त 3.75% होगी, फ्लोटिंग ब्याज दर/1 माह एमसीएलआर वर्तमान में 8.35%)			2,125.49		2,250.51
@@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–II) (चुकौती पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25%, अगली 20 तिमाही किस्तों में 3.75% ब्याज दर पर होगी, जो कि पहली निकासी की तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद होगी। 1 महीने की एमसीएलआर दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.35% है)			2,500.57		2,460.56
@पंजाब नेशनल बैंक (5 वर्षों के भीतर रु 25 करोड़ प्रत्येक की 20 बराबर तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। 1 महीने की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.50%)			325.07		425.08
@@@@पंजाब नेशनल बैंक (संवितरण की तिथि अर्थात 26.03.2024 से 12 महीने की स्थगन अवधि के साथ 36 सुव्यवस्थित त्रैमासिक किस्तों में 9 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, 1 माह की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.50% है)			680.72		200.04
@@@पंजाब नेशनल बैंक (पहली संवितरण की तिथि अर्थात 26.11.2024 से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद, 1.25: की पहली 20 त्रैमासिक किस्तों, 3.75% की अगली 20 त्रैमासिक किस्तों में चुकौती योग्य, रेपो रेट + प्रसार की दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 7.85% है)			500.11		0.00
@@@केनरा बैंक (पहली संवितरण की तिथि अर्थात 04.12.2024 से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद, 1.25% की पहली 20 त्रैमासिक किस्तों, 3.75% की अगली 20 त्रैमासिक किस्तों में चुकौती					

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
योग्य, रेपो रेट + प्रसार की दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 7.85% है)			452.04		0.00
कुल (ख)			**6,584.00**		**5,326.19**
ग. अप्रतिभूत					
बांड जारी श्रृंखला–VII (7.88% प्रति वर्ष 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु1000000/–) (मोचन की तिथि 27.12.2032)			612.31		612.31
बांड निर्गम श्रृंखला–VIII (7.76% प्रति वर्ष 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 13.09.2033)			795.44		795.44
बांड निर्गम श्रृंखला–IX (7.93% प्रति वर्ष 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 16.01.2034)			791.69		791.69
बांड निर्गम श्रृंखला–X (7.76% प्रति वर्ष 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 29.05.2034)			798.95		0.00
बांड निर्गम श्रृंखला–XI (7.72% प्रति वर्ष 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 03.09.2034)			826.65		0.00
बांड निर्गम श्रृंखला–XII (7.73% प्रति वर्ष 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 18.02.2035)			706.23		0.00
$विश्व बैंक ऋण –8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए) 15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक अर्धवार्षिक किस्त पर 23 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, ब्याज दर /एसओएफआर + परिवर्तनीय प्रसार वर्तमान में 5.49%)			2,948.67		1,836.20
कुल (ग)			**7,279.94**		**4,035.64**
कुल (क+ख+ग)			**19,747.61**		**15,245.50**
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण– प्रतिभूत			427.78		225.00
विदेशी मुद्रा ऋण– अप्रतिभूत			157.56		106.56
उधार पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज			434.31		335.14
कुल			**18,727.97**		**14,578.80**

*बांड श्रृंखला I टिहरी एचपीपी स्टेज–I की अचल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

**बांड श्रृंखला II, वही ऋणों सहित टिहरी एचपीपी चरण–I की अचल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

***बांड श्रृंखला III, पाटन और द्वारका के कोठेश्वर एचईपी और पदम ऊर्जा परियोजनाओं की अचल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*बांड श्रृंखला IV, V और VI टिहरी स्थित पंप स्टोरेज संयंत्र की अचल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की अचल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@@खासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अलीगिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों अचल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर यही मानक आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण।

@@@खुर्जा एसटीटीपी और अलीगिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों अचल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@@@@टिहरी पीएसपी की मौजूदा और भविष्य दोनों अचल अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण ।

$संबंधित ऋण रेकिंग के तहत विशेषीकृत उपकरणों पर लक्षागारलया उत्तरणाधिकार के साथ ।

21.1 इस अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे किसी भी प्रकार के आरोप या संतुष्टि का कोई मामला मंजीकृत नहीं है।

21.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम राशि इस समझ के साथ नहीं ली है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –22

गैर चालू – वित्तीय देयताएं – पट्टा

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			40.00		36.85
घटाएँ: पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता – अप्रतिभूत			3.41		3.20
कुल			**36.59**		**33.65**

टिप्पणी : –23

गैर–चालू वित्तीय देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकार से जमा प्रतिधारण राशि आदि		123.95		85.85	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		11.14	112.81	15.18	70.67
कुल			**112.81**		**70.67**

टिप्पणी : –24

अन्य गैर–चालू देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष आग्रिम के खाते में आस्थगित राजस्व			167.12		174.72
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			520.03		546.64
आस्थगित उचित मूल्यांकम लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			11.14		15.18
कुल			**698.29**		**736.54**

टिप्पणी : –25

गैर चालू प्रावधान (कोष्टक में दिए गए आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल 2024 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग मार्च 2025	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी संबंधी		160.78	13.15	0.00	0.00	173.93	168.56	1.12	(8.90)	0.00	160.78
अन्य		2.42	0.00	0.00	(2.42)	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
कुल		**163.2**	**13.15**	**0.00**	**(2.42)**	**173.93**	**170.98**	**1.12**	**(8.90)**	**0.00**	**163.2**
पिछली अवधि के आंकड़े		**170.98**	**1.12**	**(8.90)**	**0.00**	**163.2**	**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**

25.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.24 में किया गया है।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : –26

चालू– वित्तीय देयताएं– उधार

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
#पंजाब नेशनल बैंक			500.00		500.00
##बैंक ऑफ बड़ौदा			500.00		500.00
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/ नकदी ऋण सुविधा					
**पंजाब नेशनल बैंक			901.77		552.8
***एचडीएफसी बैंक			0.00		18.88
****बैंक ऑफ बड़ौदा			373.77		65.64
*भारतीय स्टेट बैंक			129.81		139.72
कुल (क)			**2,405.35**		**1,777.04**

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/ नकदी ऋण सुविधा					
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया			326.03		0.00
कुल (ख)			**326.03**		**0.00**
ग. दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत*			427.78		225.00
अप्रतिभूत*			157.55		106.56
कुल (ग)			**585.33**		**331.56**
कुल (क+ख+ग)			**3,316.71**		**2,108.60**

टिहरी पीएसपी की चल अचल संपत्तियों पर समान आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य की दोनों चल अचल संपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

* कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

** टिहरी स्टेज–1 की संपत्तियों और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत, जिसमें चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और परियोजना स्थल पर सामग्री शामिल है। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है

*** कंपनी संयंत्र– पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, कुकुथा परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**** बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर चार्ज के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की सुरक्षा टिप्पणी संख्या 21 में @@ के तहत बताई गई है।

* ऊपर बताए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता के ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में विवरण टिप्पणी–21 में प्रकट किए गए हैं।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

26.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

26.5 टिप्पणी संख्या 43.13 के अनुसार चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर प्रभार का अतिरिक्त प्रकटीकरण।

टिप्पणी:–27

चालू – वित्तीय देयताएं– पट्टा

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			3.41		3.20
कुल			**3.41**		**3.20**

टिप्पणी : –28

चालू– वित्तीय देयताएं– अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए		0.23		2.58	
अन्य के लिए		549.91	550.14	419.29	421.87
जमा राशि, संविदाकारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि आदि।		996.79		818.48	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	996.79	0.00	818.48
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00		0.00	
अन्य देयताएं			**13.58**		**282.86**
अर्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		434.80		335.55	
अन्य देयताएं		**0.00**	**434.8**	**0.00**	**335.55**
कुल			**1,995.31**		**1,858.76**

टिप्पणी : –29

अन्य चालू देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के खाते में आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			136.56		133.84
सिंचाई घटक में अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		921.15		894.54	
घटाएं:–					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		897.52	23.63	873.89	20.65
कुल			**167.79**		**162.09**

टिप्पणी : –30

चालू प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल 2024 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग मार्च 2025	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
कार्य		5.48	0.69	(5.48)	0.00	0.69	31.49	5.48	(1.06)	(30.43)	5.48
कर्मचारी संबंधी		285.63	90	(1.53	(33.54)	340.56	293.71	44.32	(4.97)	(47.43)	285.63
भूमि अधिग्रहण से संबंधित दायित्व		0.00	73.53	0.00	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्यस्थता एवार्ड		0.00	475.7	0.00	0.00	475.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य		19.64	45.67	(4.14)	(29.16)	32.01	27.87	30.44	(4.94)	(33.73)	19.64
कुल		**310.75**	**685.59**	**(11.15)**	**(62.70)**	**922.49**	**353.07**	**80.24**	**(10.97)**	**(111.59)**	**310.75**
पिछली अवधि के आंकड़े		**353.07**	**80.24**	**(10.97)**	**(111.59)**	**310.75**	**348.62**	**171.91**	**(81.34)**	**(86.12)**	**353.07**

30.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.24 में किया गया है।

30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों के लिए प्रावधान शामिल हैं

टिप्पणी : –31

चालू कर देयताएं (निवल)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आयकर					
प्रारंभिक जमा			0.00		9.82
अवधि के दौरान परिवर्धन			185.54		86.05
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(161.98)		(95.87)
अंत शेष			**23.56**		**0.00**

टिप्पणी : –32

विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			680.37		497.46
अवधि के दौरान निवल संचलन			(149.08)		182.91
अंत शेष			**531.29**		**680.37**

टिप्पणी : –32.1

निर्माण के दौरान व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		203.07		168.47	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		42.41		31.85	
कल्याण		12.93		10.50	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.13	258.54	0.33	211.15
अन्य व्यय	37				
किराया					
कार्यालय का किराया		1.25		1.00	
कर्मचारी आवास का किराया		0.64	1.89	0.25	1.25
दर और कर			0.39		0.63
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
बिजली और ईंधन			17.79		15.23
बीमा			0.13		0.21
संचार			1.52		1.28
मरम्मत और रखरखाव					
संयत्र और मशीनरी		6.33		0.00	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		2.29		2.98	
अन्य		11.23	19.85	10.12	13.10
यात्रा एवं परिवहन			2.53		2.75
वाहन किराये पर लेना और चलाना			14.48		11.01
सुरक्षा			14.82		11.68
प्रचार एवं जनसंपर्क			0.36		0.27
अन्य सामान्य व्यय			67.60		42.88
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.11		0.08
प्रारम्भण–पूर्व व्यय (निवल)			13.18		0.00
खदान संचालन लागत			451.97		172.46
सर्वेक्षण और जांच व्यय			0.51		0.50
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			1.25		0.86
अन्य ब्याज	36		**8.74**		**22.92**
मूल्यह्रास	2		72.00		38.68
कुल व्यय (क)			**947.66**		**546.94**
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.99		0.09	
कर्मचारियों से		0.83		0.58	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		0.13		0.33	
अन्य से		0.50	2.45	0.11	1.11
मशीन किराया शुल्क			0.26		0.08
किराया प्राप्तियां			1.83		1.34
विविध प्राप्तियां			4.03		5.49
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			6.65		20.78
कुल प्राप्तियां (ख)			**15.22**		**28.8**
कर–पूर्व निवल व्यय			932.44		518.14
कराधान के लिए प्रावधान	39				
कराधान सहित निवल व्यय			932.44		518.14
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	41		(1.79)		(1.24)
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			0.53		1.62
कुल ईडीसी			**934.76**		**521**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी / परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		903.9		508.57	
स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की ईडीसी लाभ एवं हानि खाते में जमा की जाएगी		17.53	921.43	11.91	520.48
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेणीत शेष			**13.33**		**0.52**

टिप्पणी : –33

प्रचालन से राजस्व

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
बिजली की बिक्री के सापेक्ष लाभार्थियों से आय		2,592.53		1,919.42	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.59	
घटाएं					
ग्राहकों को छूट		5.14	2,594.99	7.11	1,919.90
कोयले की बिक्री			43.51		0.00
विचलन निपटान/ संकुलन प्रभार			17.45		20.88
परामर्श आय			26.85		26.46
फ्लाई ऐश/राख उत्पादों की बिक्री		5.05		0.00	
घटाएँ: फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि में अंतरित		5.05	0.00	0.00	0.00
कुल			**2,682.80**		**1,967.24**

33.1 कंपनी ने टिहरी जल विद्युत परियोजना और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण और 2024–29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिकाओं हेतु माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष ट्रूइंग–अप टैरिफ याचिकाएँ दायर की हैं। उपरोक्त याचिकाओं के अनुसार टैरिफ निर्धारण लंबित रहने तक, चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व मान्यता सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 और 2024 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक स्थिर शुल्क (एएफएसी) के आधार पर की गई है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ याचिका हेतु माननीय सीईआरसी के दिनांक 08.11.2024 के आदेश के अनुसार राजस्व प्रभाव को भी वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है।

33.2 कंपनी ने खुर्जा थर्मल पावर परियोजना (यूनिट I X 660 मेगावाट) और समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इसके वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 2024–29 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष टैरिफ याचिकाएँ दायर की हैं। उपरोक्त याचिका के अनुसार टैरिफ निर्धारण लंबित रहने तक, सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार परिवर्ती शुल्कों सहित वार्षिक स्थिर शुल्कों के आधार पर राजस्व मान्य किया गया है।

33.3 सीईआरसी ने 15 मार्च 2024 की अधिसूचना के माध्यम से, टैरिफ अवधि 2024–29 के लिए टैरिफ विनियम, 2024 अधिसूचित किए। कंपनी की कैप्टिव खदानों से निकाले गए और उत्पादन केंद्रों को आपूर्ति किए गए कोयले को इन विनियमों को ध्यान में रखते हुए लेखांकित किया गया है।

33.4 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे हो जाने के कारण, पूर्व में स्वीकृत एवं आस्थगित आय के रूप में मानी गई एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.5 लाभार्थियों से आय में चालू वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की बिक्री) रु 75.42 करोड़ और प्रोत्साहन राशि रु 42.88 करोड़ तथा पिछले वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा रु50.45 करोड़ और प्रोत्साहन राशि रु 8.02 करोड़ शामिल है।

टिप्पणी : –34

अन्य आय

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
ब्याज					
बैंक जमा पर (रु 556343.00, पिछली अवधि रु 72885.00 टीडीएस सहित)		1.83		0.90	
कर्मचारियों से		1.78		1.73	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		1.63		3.42	
अन्य		0.70	5.94	0.16	6.21
मशीन किराया शुल्क			0.26		0.08
किराया प्राप्तियां			3.26		3.25
विविध प्राप्तियां			16.54		28.42
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.01		0.01
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.32		0.15
विलंबित भुगतान अधिभार			12.78		15.48
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			6.54		20.73
कुल			**45.65**		**74.33**
घटाएं:					
लाभार्थियों के साथ साझा की गई गैर–टैरिफ आय			0.85		0.68
ईडीसी में अंतरित	32.1		15.22		28.80
कुल			**29.58**		**44.85**

टिप्पणी : –35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			471.03		435.20
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान			102.00		87.03
कल्याण व्यय			65.39		26.67
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			1.64		3.42
कुल			**640.06**		**552.32**
घटाएं:					
कोयला इंवेंट्री के लिए आबंटित			1.36		0.00
ईडीसी में अंतरित	32.1		258.54		211.15
कुल			**380.16**		**341.17**

टिप्पणी : –36

वित्त लागत

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वित्तीय लागत					
बांड पर ब्याज			689.75		532.08
घरेलू ऋण पर ब्याज			610.29		426.21
विदेशी ऋण पर ब्याज			152.40		101.66
नकदी ऋण पर ब्याज			76.51		54.69
एफईआरवी			61.88		23.66
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			2.40		0.21
अन्य ब्याज			9.51		23.84
कुल			**1,602.74**		**1,162.35**
घटाएं:					
अंतरित और सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत			1,188.35		980.78
ईडीसी में अंतरित अन्य ब्याज	32.1		8.74		22.92
कुल			**405.65**		**158.65**

टिप्पणी : –37

उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
किराया					
कार्यालय का किराया		1.42		1.10	
कर्मचारियों के आवास का किराया		1.51	2.93	0.66	1.76
दर और कर			2.25		3.42
जल उपयोग शुल्क			129.86		126.37
बिजली और ईंधन			31.18		28.32
बीमा			51.33		41.95
संचार			6.26		5.75
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र और मशीनरी		103.96		71.42	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		6.84		5.47	
भवन		33.12		31.44	
अन्य		39.38	183.3	57.26	165.59
यात्रा एवं परिवहन			8.08		7.68
वाहन किराये पर लेना और चलाना			29.77		24.88
सुरक्षा			71.05		75.95
प्रचार एवं जनसंपर्क			5.99		4.38
अन्य सामान्य व्यय			164.64		164.92
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.35		0.35

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			1.65		0.47
खरीदे गए कोयले की लागत			213.71		0.00
प्रारम्भण पूर्व व्यय (निवल)			13.17		0.00
खदान संचालन लागत			451.97		172.46
सर्वेक्षण और जांच व्यय			18.35		15.55
अनुसंधान एवं विकास			9.86		3.73
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			11.54		8.31
सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर व्यय			10.67		34.27
कुल			**1,417.91**		**886.11**
घटाएं:					
कोयला इंवेंट्री के लिए आबंटित			17.63		0.00
ईडीसी में अंतरित	32.1		608.38		274.19
कुल			**791.90**		**611.92**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी टिप्पणी संख्या 43.19 के तहत प्रकट की गई है।

37.2 अन्य सामान्य व्ययों में "विवाद से विश्वास" और "विवाद समाधान समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के रूप में 11.94 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसके सापेक्ष विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष बनाया गया है।

टिप्पणी : –38

प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.00
स्टोर और स्पेयर्स के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**
घटाएं:					
ईडीसी में अंतरित	32.1		0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी : –39

कराधान के लिए प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आयकर					
चालू वर्ष			148.97		103.62
उप योग			**148.97**		**103.62**
कुल			**148.97**		**103.62**

टिप्पणी : –40

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन			219.01		(100.61)
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(38.27)		17.58
कुल			**180.74**		**(83.03)**

टिप्पणी : –41

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(11.44)		(8.46)
उप योग			(11.44)		(8.46)
घटाएं:					
ईडीसी में अंतरित	32.1		(1.79)		(1.24)
कुल			**(9.65)**		**(7.22)**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पढ़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, च्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 और 2024–29 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उद्भूत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 (पूर्व में वित्त वर्ष 2021–22 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफपीटीओसीआई) पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित

आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समय से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पूर्णतः क्रियाशील परियोजनाओं नामतः टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट), कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), पाटन पवन परियोजना (50 मेगावाट), द्वारका पवन परियोजना (63 मेगावाट), दुकवां परियोजना (24 मेगावाट) और कासरगोड सौर परियोजना (50 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई थी क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है। इसके अलावा, प्रबंधन की राय में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की किसी महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत नहीं है।

43. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) रु 1161.81 करोड़ (पिछला वर्ष रु 2886.71 करोड़) है।
2. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण

आकस्मिक देयताएं

कंपनी के सापेक्ष दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में नहीं माना गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना तथा विभिन्न पूंजीगत कार्यों जैसे बांध, स्पिलवे, पावर हाउस आदि के निर्माण के लिए कुछ संविदाकारों ने दर और मात्रा विचलन, समय के विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के रुकने/साइट को सौंपने में देरी आदि के कारण निष्क्रियता प्रभार के लिए कंपनी के सापेक्ष कुल रु 2379.87 करोड़ (पिछला वर्ष रु 2744.71 करोड़) का दावा किया है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में चुनौती दी जा रही है।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए संविदाओं में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। समाधान के लिए लंबित ऐसे दावों के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह, यदि कोई हो, का यथार्थवादी अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(ii) भूमि मुआवजा संबंधी मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में, पूर्ववर्ती भू–स्वामियों ने विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष रु 42.10 करोड़ (पिछला वर्ष रु 35.81 करोड़) की उच्च क्षतिपूर्ति आदि का दावा किया है, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है।

(iii) राज्य/केंद्रीय सरकार के विभाग/प्राधिकरण

जल कर, हरित उपकर, रॉयल्टी, श्रम उपकर, गृह कर आदि के संबंध में कुल रु 1400.89 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष में रु 1338.60 करोड़) के दावे विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/प्राधिकरणों आदि द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों/मंचों के समक्ष दर्ज कराए गए हैं तथा निपटान हेतु लंबित हैं।

उपरोक्त (i) से (iii) के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति

उपरोक्त (i) एवं (ii) में शामिल दावों के संबंध में, दावों के निपटान पर कंपनी द्वारा किए गए भुगतान, यदि कोई हों, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पूंजीगत लागत में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे, जो सीईआरसी द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अध्यधीन होंगे। बिंदु (iii) के मामले में, विनियमों के अनुसार वसूली के माध्यम से अनुमानित संभावित प्रतिपूर्ति रु 1143.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1,096.07 करोड़) है।

(iv) विवादित कर संबंधी मामले

विभिन्न मंचों के समक्ष रु 50.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2.15 करोड़) मूल्य के विवादित आयकर, बिक्री कर, सेवा कर मामले लंबित हैं। इन मामलों की कार्यवाही अभी भी निपटान हेतु प्रगति पर है।

(v) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में रु 23.27 करोड़ (पिछले वर्ष रु 5.84 करोड़) के दावे विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित हैं।

उपर्युक्त का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क	पूंजीगत कार्य	2379.87	2744.71
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	42.10	35.81
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1400.89	1338.60
घ	विवादित कर संबंधी मामले	50.50	2.15
ङ.	अन्य	23.27	5.84
च	**कुल योग**	**3896.63**	**4127.11**
छ	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर आदि मामलों के संबंध में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	1471.87	1471.48

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

सीईआरसी टैरिफ विनियमन में बिल प्रस्तुत करने की तिथि से निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक लाभार्थियों द्वारा भुगतान में देरी के मामले में उत्पादन कंपनियों द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार लगाने का प्रावधान है। हालांकि, कंपनी द्वारा अनुमानित आंशिक बिलों के सापेक्ष कुछ लाभार्थियों से उक्त अधिभार के अंतिम संग्रह में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को देखते हुए, रु 0.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2.34 करोड़) की राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

3. ईएमडी / एसडी के विरुद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर / सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने रु 5.35 करोड़ एवं रु 4.58 करोड़ (पिछला वर्ष रु 4.38 करोड़ तथा रु 5.55 करोड़) की एफडीआर / सीडीआर क्रमशः ईएमडी / प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा कंपनी ने टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार संविदाकारों से रु 1120.74 करोड़ (पिछला वर्ष रु 904.33 करोड़) की राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए रु 1.22 करोड़ (पिछला वर्ष रु 1.34 करोड़) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत और ईडीसी को अंतरित उधारी लागत की राशि टिप्पणी 36 के अनुसार क्रमशः रु 1188.35 करोड़ और रु 8.74 करोड़ (पिछला वर्ष रु 980.78 करोड़ और रु 22.92 करोड़) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में रु 54.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु 19.20 करोड़) को मान्य किया गया है।

5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून 1987 के पत्र संख्या 8–32 / 06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24 / 25, जून 2004 के पत्र सं. 8 / 32 / 86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट / प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट / प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585 / टिहरी डेम प्रोजेक्ट / 23– सी–4 / टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं है, के स्वामित्व विलेखों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (रु करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय

संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.003	0 .00	निजी भूमि	नहीं	2009 से 2011 के बीच अधिग्रहीत	तहसील, चमोली, राजस्व विभाग, उत्तराखंड में 0.003 हेक्टेयर भूमि का म्यूटेशन प्रगति पर है।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार –परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	255.70	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	37.95	402.36	एनएचएआई / सरकार	नहीं	25.01.2025	एनएनच–91 (राजमार्ग की भूमि और निर्माण लागत) की रिरूटिंग
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	49.28	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	6.88	0.63	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	11.54	8.66	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91	20.62	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	336.59	246.04	निजी भूमि	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	4.36	2.45	रेलवे की भूमि	नहीं	30.09.2024	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	0.76	4.71	सरकारी भूमि	नहीं	17.02.2025	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	753.63	171.84	वन भूमि	नहीं	17.02.2025	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया रु 49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (रु करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0 .01	सरकारी/ वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91.00	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	336.59	261.88	निजी भूमि	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया रु 49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 12 फ्लैट (पिछला वर्ष 12 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य रु 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.02 करोड़) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में हैं। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित रु 0.001 करोड़ की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और संविदाकार एच सी सी के वित्तीय संकट के कारण वीपी एचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेमर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 396.21 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके हैं जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने दिसम्बर, 2026 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तों के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल संविदाकार मैसर्स एच सी सी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एच सी सी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला भंडार निकालना शुरू कर दिया है और सीईआरसी विनियमन में उल्लिखित शर्तों के पूरा होने के बाद खदान को 18.02.2025 को 0:00 बजे (सीओडी) वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है। समझौते के अनुसार, खान विकासकर्ता और संचालक (एमडीओ), मेसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड भूमि सुधार, संरचना के विघटन और खदान बंद करने (प्रगतिशील और अंतिम) गतिविधियों पर होने वाले व्यय के प्रति दायित्वों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है, जो अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार आवश्यक है। तदनुसार, खदान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रु 4.56 करोड़ और वित्त वर्ष 2025–26 के लिए रु 4.79 की राशि जमा की गई है।

(iv) खुर्जा ताप विद्युत परियोजना की क्षमता 1320 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट की दो इकाइयाँ शामिल हैं। केएसटीपीपी की पहली इकाई को 26.01.2025 को 0:00 बजे (सीओडी) वाणिज्यिक संचालन हेतु घोषित किया गया है और सीईआरसी विनियमों के अनुसार राजस्व मान्य किया गया है।

(v) सीईआरसी ने दिनांक 08.11.2024 के आदेश के तहत मेसर्स पीसीएल इंटरटेक लेनहाइड्रो कंसोर्टियम जेवी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में जमा रु 475.70 करोड़ की मूल राशि के लिए टैरिफ को अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमति दी है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, उपरोक्त राशि को प्रावधान के अनुरूप क्रेडिट के साथ पूंजीकृत किया गया है और इसके लिए राजस्व को सीईआरसी विनियमों के अनुसार मान्यता दी गई है।

(vi) वर्ष के दौरान निपटाए गए "विवाद समाधान समिति (डीआरसी)" और "विवाद से विश्वास–ii" योजना के तहत संदत्त/देय रु 98.88 करोड़ के दावे मेसर्स केसीटी एंड ब्रोस सी.एस. लिमिटेड (मेसर्स केसीटी) रु 94.83 करोड़ और मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (मेसर्स जेएएल) रु 2.05 करोड़, जिसमें मूलधन राशि रु 84.93 करोड़ (मेसर्स केसीटी रु 83.53 करोड़ और मेसर्स जेएएल रु 1.40 करोड़) और ब्याज राशि रु 11.95 करोड़ (मेसर्स केसीटी 11.30 करोड़ और मेसर्स जेएएल रु 0.65 करोड़) शामिल है "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" के तहत रु 84.93 करोड़ की मूलधन राशि और "उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय" के तहत रु 11.95 करोड़ की ब्याज राशि का पूंजीकरण करते हुए लेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, रु 11.95 करोड़ की ब्याज राशि के लिए, विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष बनाया गया है।

8. **(i) दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:**

(रु करोड़ में)

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल (रु करोड़ में)
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	5,344.16	3,537.19	1,634.94	5,968.44	16,484.73
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	5,192.83	4,514.59	2,968.58	6,222.53	18,898.53
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–

(ii) 31.03.2025 और 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

(रु करोड़ में)

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल (रु करोड़ में)
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	67.47	–	–	–	67.47
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	1254.79	774.99	–	–	2029.78
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.00	–	–	–	569.00
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	1279.44	800.00	476.51	–	2555.95

9. दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग + घ + ङ)
				6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –शोध्य समझा गया	961.20	552.12	186.33	155.29	21.25	42.93	0.43	2.85	961.20
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य– क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	64.81	1.16	1.54	38.55	3.21	8.28	0.28	11.79	64.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य– क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**1026.01**	**553.28**	**187.87**	**193.84**	**24.46**	**51.21**	**0.71**	**14.64**	**1026.01**

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग + घ + ङ)
				6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –शोध्य समझा गया									
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(रु करोड़ में)

(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य– क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	75.79*	–	7.16	52.40	–	0.28	–	15.95	75.79
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य– क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**450.68**	**141.28**	**108.05**	**171.23**	**10.61**	**0.71**	**0.91**	**17.90**	**450.68**

*कुल रु 90.90 करोड़ के विवादित देनदारों के विरुद्ध रु 15.11 करोड़ की प्राप्ति के बाद।

10. दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

परियोजना	भुगतान की देय तिथि (लेनदेन की तिथि) से निम्नलिखत अवधियों के लिए बकाया				कुल (रु करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2.02	–	–	–	2.02
(ii) अन्य	51.92	0.94	0.27	0.37	53.50
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

परियोजना	भुगतान की देय तिथि (लेनदेन की तिथि) से निम्नलिखत अवधियों के लिए बकाया				कुल (रु करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	1.51	–	–	–	1.51
(ii) अन्य	51.15	0.50	0.13	0.51	52.29
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण:

(रु करोड़ में)

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष रु करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31–03–2025	31–03–2024	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.02	0.02	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(रु करोड़ में)

वित्त वर्ष 2024–25	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	122.26	122.26	–	शून्य
सितम्बर–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	259.01	259.01	–	शून्य
दिसंबर–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	269.50	269.50	–	शून्य
मार्च–25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	259.12	259.12	–	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटीकरण "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड
: ट्रेंडको राजस्थान लिमिटेड
: टीएचडीसीआईएल – यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

(iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमा.	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री. आर. के. विश्नोई*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जारी
2	श्री शैलेंद्र सिंह **	निदेशक (कार्मिक)	जारी
3	श्री भूपेंद्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	जारी
4	श्री सिपन कुमार गर्ग	निदेशक (वित्त)	17.08.2024 से
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
2	श्री अजय तिवारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.05.2024 तक
3	श्री पीयूष सिंह	गैर – कार्यकारी निदेशक	11.06.2024 से
4	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.07.2024 तक
5	श्री वीरेन्द्र मलिक	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.07.2024 से
6	श्री एस.एन. त्रिपाठी	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.09.2024 तक
7	श्री के.एस. सुंदरम	गैर – कार्यकारी निदेशक	24.10.2024 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	09.11.2024 तक
2	डॉ. बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	09.11.2024 तक
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री अजय कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	26.09.2024 तक
2	श्री सिपन कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	27.09.2024 से
3	श्रीमती रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी

(*) 01.03.2024 से 31.05.2024 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
(**) 01.06.2024 से 16.06.2024 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को रु 16.33 करोड़ वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.496 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकारो (सहायक कंपनी) के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

विवरण	सहायक कंपनी	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	3.34	7.15
किया गया इक्विटी अंशदान (लंबित आबंटन सहित)	14.43	14.80
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	0.00	0.00
अन्य	**1.83**	**1.03**

(ii) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार	2024–25	2023–24
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	33.07	30.89
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	4.24	33.56
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	11.64	9.77

(iii) कार्यात्मक निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय रु 2.97 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2.90 करोड़) है।

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	2.63	2.67
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.34	0.23
3	सेवांत लाभ		–
4	शेयर आधारित भुगतान		–
	कुलयोग	**2.97**	**2.90**

(iv) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा/संव्यवहार की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	1136.07	767.64
बीएचईएल	सेवा संविदा के साथ उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद	307.98	701.63
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश	169.36	351.20
एनटीपीसी लिमिटेड	कोयले की बिक्री	811.46	368.86
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्श सेवा और परीक्षण प्रभार	6.47	14.72
एनटीपीसी लिमिटेड	प्रचार एवं प्रशिक्षण व्यय	0.60	0.39
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	67.89	49.86
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों का स्थानांतरण, परामर्श शुल्क, विद्युत लाइन डायवर्जन	0.99	3.43
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	88.69	47.08
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जल और बिजली शुल्क	31.88	24.24
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	जनशक्ति आपूर्ति सेवाएँ	11.92	13.81
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बिजली प्रभार	4.60	7.36
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एसएलडीसी प्रभार	9.43	7.32
आरआईटीईएस	परामर्श सेवा	9.59	14.46
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	9.56	4.22
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड, एनटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति आपूर्ति	22.22	11.80
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ईंधन की खरीद	89.96	0.00
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	51.79	2.46
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	45.75	0.27
सीएमपीडीआईएल	परामर्श	3.93	4.86
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	बिजली की बिक्री और सब्सक्रिप्शन शुल्क	33.42	0.02
वैप्कोस लिमिटेड	परामर्श	3.46	1.55
बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	टिकट बुकिंग	1.12	1.01
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनआरएलडीसी प्रभार	1.05	1.37
अन्य संबंधित पक्षकार	विविध	14.04	5.59

(ग) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय/(संदेय) राशि		
	–एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी)	(27.72)	(31.74)
	–सहायक कंपनियां	शून्य	शून्य
ख	वसूलनीय राशि		
	–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.48	0.19

(रु करोड़ में)

	–सहायक कंपनी	12.55	9.21
	–अन्य	0.00	1.32
ग.	संदेय राशि		
	–रोजगारोपरांत हितलाभ योजनाएं	11.17	30.20
	–एनटीपीसी लिमिटेड (लाभांश)	0.00	201.14

(घ) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 27 – पृथक वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार
टुस्को लिमिटेड (12.09.2020 को निगमित)	भारत	74%	74%
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (25.03.2023 को निगमित)	भारत	74%	74%
टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (01.12.2023 को निगमित)	भारत	74%	74%

16. इंडएएस 33 – प्रति शेयर आय (ईपीएस) – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

(रु करोड़ में)

विवरण	2024–25	2023–24
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रु)	552.17	682.11
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रु)	732.91	599.08
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817
प्रति शेयर आय बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं। रु बेसिक रु तनुकृत	 150.62 150.62	 186.07 186.07
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रु बेसिक रु तनुकृत	 199.93 199.93	 163.42 163.42
प्रति शेयर अंकित मूल्य रु में	रु 1000	रु 1000

17. (क) आय कर व्यय

लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2024 के समाप्त अवधि के लिए
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	148.97	103.62
विगत वर्षों के लिए समायोजन	–	–
विनियामक आस्थगित लेख शेष से संबंधित (क)	38.27	(17.58)
कुल चालू कर व्यय (ख)	187.24	86.04
आस्थिगत कर व्यय		
स्थायी अंतर की उत्पत्ति और रिवर्सल	116.91	14.01
मैट क्रेडिट पात्रता	32.17	(199.44)
कुल आस्थगित कर व्यय (ग)	149.08	(185.43)
आय कर व्यय (घ = ख+ग–क)	298.05	(81.81)
जोड़ें" विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित	38.27	(17.58)
घटाएं: अन्य व्यापक आय पर कर	1.69	(2.52)
विनियामक आस्थगित खाता शेष और ओसीआई में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	**334.63**	**(96.87)**

(ख) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 आयकर के अनुसरण में आस्थगित कर परिसंपत्ति में रु 149.08 करोड़ की निवल कमी को लाभ हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	आस्थगित कर संपत्ति (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	525.27	657.88
(ii)	प्रारंभिक इंड एएस समायोजन	4.87	4.87
(iii)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	68.37	68.37
(iv)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	48.56	48.56
(v)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	67.78	52.08
(vi)	एमएटी क्रेडिट पात्रता	167.27	199.44
	उप योग – क	**882.12**	**1,031.20**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	35.72	35.72
(ii)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(4.72)	(4.72)
(iii)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	(0.01)	(0.01)
(iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	(1.24)	(1.24)
	उप योग– ख	**29.75**	**29.75**
	निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियां (क–ख)	**852.37**	**1,001.45**

(ग) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु 255.96 करोड़ (आयकर विभाग द्वारा आयकर मांग के सापेक्ष समायोजित रु 104.57 करोड़ का निवल योग) को मैट क्रेडिट पात्रता के रूप में मान्यता दी गई। उपलब्ध कुल मैट क्रेडिट में से, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु 56.52 करोड़ का उपयोग किया गया और चालू वित्त वर्ष के दौरान रु 32.17 करोड़ का उपयोग किया गया है। 31.03.2025 तक उपलब्ध निवल मैट क्रेडिट रु 167.27 करोड़ (31.03.2024 : रु 199.44 करोड़) है।

18. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

19. क. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 31.03.2025	वित्त वर्ष 31.03.2024
क.	**वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि**		
i.	सकल राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार औसत निवल लाभ का 2%)	17.62	22.35
ii.	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	–	–
iii.	पिछले वर्ष से उपलब्ध सेट–ऑफ	10.40	0.45
iv.	वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(i)+(ii)–(iii)]	7.22	21.90
ख	**वर्ष के दौरान व्यय के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि**	**17.62**	**22.35**
ग.	**वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय राशि**		
	क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–
	ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	21.91	34.27
	कुल	**21.91**	**34.27**
घ.	आगामी वर्षों के लिए अनुपलब्ध सेट–ऑफ	3.45	1.97
ङ.	आगामी वर्षों के लिए उपलब्ध सेट ऑफ	11.24	10.40
च.	वर्ष के दौरान अव्ययित राशि	–	–
छ.	चालू परियोजना के सापेक्ष अंतिम अव्ययित राशि	0.07	0.07

टिप्पणी:– आगामी वर्षों में उपलब्ध सेट ऑफ को वर्ष के दौरान एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है और टिप्पणी संख्या 17– "अन्य चालू परिसंपत्तियां" के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

i) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

(रु करोड़ में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–	–
ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	20.82	1.09	21.91

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

(रु करोड़ में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–	–
ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	34.27	–	34.27

(ii) सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी न्यास को अंशदान का ब्यौरा

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
सेवा टीएचडीसी को दिया गया अंशदान	16.33	22.66

(iii) मुख्य शीर्ष के तहत सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1.	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	3.67	5.34
2.	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.12	12.39
3.	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.10	0.20
4.	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	1.58	1.24
5.	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	3.17	10.28
6.	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के हितलाभ के लिए उपाय	–	
7.	खेलकूद का संवर्धन	1.80	1.94
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	–	0.00
9.	अनुसूचित जाति का कल्याण	–	
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.99	1.86
11.	आपदाएं	–	
12.	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.58	1.02
	कुल	**21.91**	**34.27**

(iv) अतिरिक्त व्यय की गई राशि जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाई गई :

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 के समाप्त वर्ष
अथशेष	10.40	0.45
वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि	17.62	22.35
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	21.91	34.27
निम्नलिखित में मान्य की गई राशि:		
तुलनपत्र	11.24	–
लाभ एवं हानि विवरण	10.67	34.27
कुल	**21.91**	**34.27**
अंतशेष	**11.24**	**10.40**

ख. अनुसंधान और विकास व्यय:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर रु 16.23 करोड़ (पूंजी – रु 6.37 करोड़ और राजस्व – रु 9.86 करोड़) [पिछला वर्ष रु 5.97 करोड़ (पूंजी – रु 2.24 करोड़ और राजस्व – रु3.73 करोड़), व्यय किए हैं]

20. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2025 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(रु करोड़ में)

		2024–2025	2023–2024
क.	किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i)	मूल धन	2.25	4.10
ii)	उस पर ब्याज	–	–
ख	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	–	–

ग	देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	–	–
घ	प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	–	–
ङ.	अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	–	–

21. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव / टिप्पणी
1.	नीति संख्या 13 सम्मिलित की गई है। **फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि** राख / राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय और अधिशेष निधि के निवेश से प्राप्त आय को 'फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि' में स्थानांतरित किया जाता है। इस निधि का उपयोग फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु अवसंरचना / सुविधाओं के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों पर व्यय के लिए किया जाता है।	चालू वित्त वर्ष के दौरान राख / राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त 5.05 करोड़ रुपये की राशि फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दी गई है।
2.	नीति संख्या 19.6 सम्मिलित की गई है। फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, आईटी और अन्य संचार उपकरण, जहाँ किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीवन काल अलग से परिभाषित किया गया है, वहाँ परिसंपत्ति के जीवन काल पर मूल्यह्रास लगाया जाएगा।	नीति बेहतर प्रकटीकरण के लिए सम्मिलित की गई है। इस नीति के कारण, वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. भारतीय लेखांकन मानक 8 – "लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के अनुसार प्रकटीकरण

हालिया लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। नीचे नए मानकों और प्रमुख संशोधनों का सारांश दिया गया है जो 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए पहली बार प्रभावी होंगे:

(i) बिक्री और लीज़बैक में पट्टा देयता – भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)में संशोधन

9 सितंबर 2024 को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानक 116 में बिक्री और लीज़बैक लेनदेन की आवश्यकताओं में संकीर्ण–दायरे वाले संशोधनों को अधिसूचित किया, जिनमें इंगित किया गया है कि कोई संस्था लेनदेन की तिथि के बाद बिक्री और लीज़बैक का लेखांकन कैसे करती है। संशोधनों में यह स्पष्ट किया गया है कि बिक्री और लीजबैक के बाद पट्टा देयता को मापने में, विक्रेता–पट्टेदार 'पट्टा भुगतान' और 'संशोधित पट्टा भुगतान' का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि विक्रेता–पट्टेदार को अपने पास रखे उपयोग के अधिकार से संबंधित लाभ या हानि की कोई राशि न मिले। यह विशेष रूप से उन बिक्री और लीज़बैक लेनदेन को प्रभावित कर सकता है जहाँ पट्टा भुगतान में ऐसे परिवर्तनीय भुगतान शामिल होते हैं जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते।

(ii) बीमा संविदा – भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 117

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 12 अगस्त 2024 को इंड एएस 104, "बीमा संविदा" के स्थान पर नए लेखांकन मानक इंड एएस 117, "बीमा संविदा" को अधिसूचित किया। नए मानक के अनुसार, किसी इकाई को 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए इंड एएस 117 लागू करना आवश्यक है।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया है और ये कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है।

23. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटीकरण

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्त वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह / ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं हैं) तीन माह के लिए लीज पर लिए हैं जिन्हें परस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रैंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की वहन राशियां हैं:

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 के समाप्त वर्ष के लिए
आरम्भिक शेष	36.85	39.12
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	6.42	0.99
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	2.97	3.10
–पट्टा देयताओं का भुगतान	6.24	6.37
अंत शेष	40.00	36.85
चालू	3.41	3.20
गैर–चालू	36.59	33.65

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(रु करोड़ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
3 माह या कम	0.96	0.97
3–12 माह	5.24	2.92
1–2 वर्ष	6.23	7.48
2–5 वर्ष	10.35	9.22
5 वर्ष से अधिक	68.09	54.38
पट्टा देयताएं	90.87	74.98

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(रु करोड़ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	33.99	25.71
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	2.97	3.10
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.93	1.76

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	6.24	6.37
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.93	1.76

24. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से रु 26.47 करोड़ (पिछले वर्ष रु 6.69 करोड़) अधिक है तथा इसे बहियों में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वस्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से रु 13.18 करोड़ (विगत वर्ष रु 11.61 करोड़) अधिक है और इसे बही में दर्ज किया गया है।

(v) अन्य (असबाब/एलएसए/एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

31.03.2025 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों के हित" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
छूट की दर	6.81%	7.10%	7.40%	7.00%	6.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%

जोखिम अनावरण (एक्सपोज़र) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से कम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	173.36 [174.76]	95.08 [85.27]	115.46 [117.13]	117.39 [105.80]	14.68 [14.33]
ब्याज लागत	12.31 [12.93]	6.75 [6.31]	8.20 [8.67]	8.33 [7.83]	1.04 [1.06]
विगत सेवा लागत	16.53 [0.00]				7.02 [0.00]
वर्तमान सेवा लागत	4.73 [3.62]	20.30 [19.86]	5.98 [6.55]	3.44 [3.10]	4.24 [2.36]
लाभ का भुगतान	(25.43) [(19.08)]	(24.55) [(19.27)]	(9.89) [(7.47)]	(7.31) [(7.80)]	(2.22) [(1.90)]
बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.32 [(1.12)]	4.69 [2.90]	(6.80) [(9.43)]	9.68 [8.46]	(1.38) [(1.17)]
वर्ष के अंत में पीवीओ	181.82 [173.36]	102.26 [95.08]	110.94 [115.46]	131.53 [117.39]	26.15 [14.68]

सारणी –3

तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	181.82 [173.36]	102.26 [95.08]	110.94 [115.46]	131.53 [117.39]	26.15 [14.68]
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	118.36 [105.78]	उपलब्ध नहीं
वित्त पोषित देयता / प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	118.36 [105.78]	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता / प्रावधान	181.82 [173.36]	102.26 [95.08]	110.94 [115.46]	13.18 [11.61]	26.15 [14.68]
अमान्य बीमांकिक लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	181.82 [173.36]	102.26 [95.08]	110.94 [115.46]	13.18 [11.61]	26.15 [14.68]

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	4.73 [3.62]	20.30 [19.86]	5.98 [6.55]	3.44 [3.10]	4.24 [2.36]
विगत सेवा लागत	16.53 [0.00]	–	–	–	7.02 [0.00]

ब्याज लागत	12.31 [12.93]	6.75 [6.31]	8.20 [8.67]	– [0.00]	1.04 [1.06]
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.32 [1.12]	4.69 [2.90]	(8.80) [(9.43)]	9.78 [8.50]	1.38 [(1.17)]
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	33.57 [16.55]	31.74 [29.07]	5.37 [5.79]	3.44 [3.10]	12.30 [3.42]

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)		पीआरएमबी		अन्य	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.04)	(3.86)	(2.91)	(2.58)	(2.45)	(2.56)	(16.34)	(14.58)	(0.85)	(0.34)
0.50% की वृद्धि	4.28	4.08	3.13	2.75	2.58	2.68	17.53	15.65	0.93	0.35
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.03	0.76	3.12	2.76	2.58	2.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की वृद्धि	(1.09)	(0.83)	(2.92)	(2.60)	(2.46)	(2.58)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	17.86	15.94	0.97	0.13
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(17.04)	(15.21)	(0.84)	(0.13)

अन्य प्रकटीकरण

उपदान	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	181.82	173.36	174.76	183.38	189.99
बीमांकिक (लाभ/हानि)	0.32	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	0.32	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	33.57	16.55	16.13	16.77	17.97

अर्जित छुट्टी (ईएल)	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	102.26	95.08	85.27	76.88	66.18
बीमांकिक (लाभ/हानि)	4.69	2.90	5.34	8.15	6.26
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी केविवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31.74	29.07	28.72	26.28	23.42

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	110.94	115.46	117.13	118.64	116.13
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(8.80)	(9.43)	(8.36)	(3.21)	(0.88)
वर्ष के लिए लाभएवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5.37	5.79	4.46	8.85	11.18

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	131.53	117.39	105.80	95.51	87.30
मान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	9.78	8.50	7.01	3.29	1.34
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.44	3.10	2.64	2.61	2.95

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	26.15	14.68	14.33	14.26	14.29
बीमांकिक (लाभ/हानि)	1.38	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	1.38	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	12.30	3.42	2.20	2.09	3.19

25. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वत: पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

26. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(रु करोड़ में)

क्र.	विवरण	2024–25	2023–24
i.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
ii.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
iii.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.13	0.12
Vi.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में रु शून्य (पिछले वर्ष से संबंधित रु शून्य) शामिल हैं।

27. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2025	31.03.2024
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	148.23	95.62
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	26	1,731.38	777.04
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(1,583.15)	(681.42)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में संशोधन अधिसूचित किए गए थें। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटीकरण का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(रु करोड़ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2024–25	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	–	3665.88	–	
गैर–चालू उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	14578.80	–	18727.97	4149.17	**वृद्धि**– बांड – रु 2050.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु 1000.00 करोड़, सावधि ऋण (केनरा बैंक) रु4500.00 करोड़, सावधि ऋण (बीओबी बैंक) रु50.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) रु1167.44 करोड़, **चुकौती** – सावधि ऋण (बीओबी) – रु 250.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु197.22 करोड़, विश्व बैंक रु121.05 करोड़
उधारियां– चालू	1331.56	–	1585.33	253.77	**वृद्धि**– सावधि ऋण (बीओबी) रु 125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु 77.78 करोड़, विश्व बैंक (निवल) रु 50.99 करोड़।
पट्टा देयताएं	–	(6.24)	–	(6.24)	पट्टा देयता का भुगतान
ब्याज एवं वित्त प्रभार	–	(1503.49)	–	(1503.49)	ब्याज एवं वित्त प्रभारों का भुगतान
संदत्त लाभांश	–	(527.34)	–	(527.34)	लाभांश
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				2,365.87	

28. अनुपात

क्रमांक	विवरण	अंश	हर	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष		% भिन्नता	भिन्नता का कारण*
				31.03.25	31.03.24		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.51	0.51	0.00%	
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	2.00	1.58	26.58%	कुल ऋण में वृद्धि के कारण
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ+ऋण पर ब्याज +मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + अपवादात्मक मद)	(ऋण पर ब्याज + पट्टा भुगतान + दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती)	1.92	1.93	(0.52%)	
घ	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	6.79%	5.71%	18.91%	
ङ	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	17.73	18.70	(5.19%)	
च	ऋण–टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व (निवल क्रेडिट बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्तियां	3.63	3.43	5.83%	
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	1.58	2.13	(25.82%)	औसत व्यापार प्राप्य में वृद्धि के कारण
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी + लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	(1.04)	(1.06)	(1.89%)	
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	कुल बिक्री	27.32%	30.45%	(10.28%)	

ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और कर–पूर्व	नियोजित पूंजी आय	3.90%	2.89%	34.95%	आय में ब्याज और कर पूर्व वृद्धि के कारण
ट	निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	(3.01%)	(4.87%)	(38.19%)	निवेश से हानि में कमी के कारण

(*) पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक किसी भी परिवर्तन के लिए भिन्नता के कारण आवश्यक है।

29. इंड एएस 108 'प्रचालनात्मक खंड' के अनुसार प्रकटीकरण

क) प्रचालनात्मक खंडों को उद्यम के उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके लिए वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है और जिसका प्रबंधन द्वारा संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन के आकलन के तरीके तय करने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है। अन्य संचालन, जैसे परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्य, श्खंड रिपोर्टिंगश् पर भारतीय लेखांतन मानक (इंड एएस)–108 के अनुसार रिपोर्ट योग्य खंड नहीं बनाते हैं।

ग) कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत संयंत्र देश के भीतर स्थित हैं।

घ) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी:

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक से राजस्व (रु करोड़ में)		प्रचालनों से कुल राजस्व के प्रतिशत (%) के रूप में ग्राहक से राजस्व	
		वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
1	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1136.07	767.64	42.35%	39.02%

ङ) बाहरी ग्राहकों से राजस्व: कंपनी भारत में स्थित है। बाहरी ग्राहकों से इसकी आय शून्य है।

30. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुन: समूहबद्ध / वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्या:– 074084

दिनांक:– 19.05.2025
स्थान:– ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नहीं है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट मेल संसूचित किया जाएगा।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड एएस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों (यदि कोई हों) की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। • स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है।

		उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।
2	**आकस्मिक देयताएँ** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकास्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। इन मामलों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए, किसी लंबित दावे के सफल होने या उससे कोई देयता उत्पन्न होने की संभावना के आकलन के अनुमानों और संभावित वित्तीय समाधान की सीमाओं के परिमाणीकरण सहित अंतर्निहित जटिलताओं को देखते हुए, प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमने इसे चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अभिचिह्नित किया है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकास्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं • लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके प्रावधानों और आकस्मिक देयता से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया है। • लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता का मूल्यांकन और परीक्षण किया है। • प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। • विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। • प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। • जिन मामलों का प्रकटीकरण नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। • स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की पर्याप्तता का आकलन किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं: –

क. कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी परियोजना के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संविदाकार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

ख. टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 2426.34 हेक्टेयर भूमि के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(iii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियां सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है। परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिह्नित अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त उल्लिखित 'अन्य सूचना' पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौंपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडएलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नगदी प्रवाह सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई

महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है । तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।

- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती हैं जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिहिन्त गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं । हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) में यथा अपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण अनुलग्नक "क" में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुलग्नक "ख" में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–
   क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
   ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।
   ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं
   घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।
   ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।
   च) कंपनी की स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक "ग" पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और
   छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नही होते हैं।
   ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
   i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. क. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी है।

v. जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और संदत्त पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

ख. कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपनी लेखाबहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, अभिलेख बनाए रखने की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल का अभिरक्षण किया गया है।

कृते वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं. 006568C

ह0/–
वीरेंद्र कालरा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 074084
यूडीआईएन: 25074084बीएमकेक्यूएलके6424

स्थान: ऋषिकेश
दिनांक: 19.05.2025

अनुलग्नक 'क'

(दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते हैं कि–

i)	(क)	अ	कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं ।
		ब	कंपनी ने सामान्यतः अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।
	(ख)		वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखाबही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन संयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन, उनकी अचल प्रकृति टिहरी/कोटेश्वर/पाटन/देवभूमि डुकवां के कारण नहीं किया जाता है।
	(ग)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत आने वाली सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (ऐसी संपत्तियाँ छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टाधारक है और पट्टा करार पट्टाधारक के नाम पर विधिवत निष्पादित हैं) कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय निम्नलिखित मामलों के:

परिसंपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या कर्मचारी है	धारित करने की अवधि	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
फ्रीहोल्ड भूमि	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
फ्रीहोल्ड भूमि		सरकारी/वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
फ्रीहोल्ड भूमि	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
फ्रीहोल्ड भूमि	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	2.45	रेलवे की भूमि	नहीं	30.09.2024	अहस्तांतरणीय
जलमग्न भूमि	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	–	सरकार/वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है

उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	255.7	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	402.36	एनएचएआई/ सरकारी भूमि	नहीं	25.01.2025	एनच–91 की रिरूटिंग (राजमार्ग के लिए भूमि और निर्माण लागत)
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	0.83	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	8.66	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	4.71	सरकारी भूमि	नहीं	17.02.2025	अहस्तांतरणीय
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	246.04	निजी भूमि	नहीं	06.07.2023	स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	171.84	वन भूमि	नहीं	17.02.2025	अहस्तांतरणीय
फ्रीहोल्ड भूमि	0.00	निजी भूमि	नहीं	2009 से 2011 के बीच अधिगृहीत	चमोली तहसील, राजस्व विभाग, उत्तराखंड में 0.003 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण (म्यूटेशन) प्रक्रियाधीन है।
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	20.62	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय – सीबीए भूमि
उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	49.28	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय – सीबीए भूमि

	(घ)		कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
	(ङ)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
(ii)	(क)		हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के आकार और उसके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन का दायरा और प्रक्रिया उचित है। भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखा बहियों की तुलना में इन्वेंट्री के प्रत्येक प्रकार में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।
(iii)	(ख)		कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, टुस्को लिमिटेड और ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड लिमिटेड (क्रमशः 3.70 करोड़ रुपये और 7.40 करोड़ रुपये) में 11.10 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) लागू नहीं होते हैं।
(iv)			हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
(v)			कंपनी ने न तो जनता से जमाराशियां स्वीकार की हैं और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जमाराशि माना जाता हो। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
(vi)			केंद्र सरकार ने संशोधित कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव का प्रावधान किया है और हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखे और अभिलेख बनाए और अनुरक्षित किए गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।
(vii)	(क)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा लेखा–बही की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी सामान्यतः माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक देय राशियों सहित अविवादित वैधानिक देय राशियाँ, जो भी लागू हों, उचित प्राधिकारियों को नियमित रूप से जमा करती है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार नियत तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित भौतिक वैधानिक देय राशि बकाया नहीं है।

	(ख)		उप–खण्ड (क) में उल्लिखित वैधानिक बकाया राशि का विवरण, जो किसी विवाद के कारण 31 मार्च, 2025 तक जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है:–

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	मंच जहां मामला लंबित हैं	जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं	राशि (रु करोड़ में)	विरोध सहित जमा (रु करोड़ में)
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	2005–16 से 2023–24	790.68	शून्य
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	2015–16 से 2023–24	352.34	शून्य
भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	2004–05 से 2014–15	2.80	शून्य
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234बी, 234सी के अंतर्गत छूट	एसीआईटी, देहरादून	2006–07	1.72	1.72
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/ टीडीएस	आयकर अपीलीय अधिकरण, देहरादून	2019–20	104.57	104.57
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/ टीडीएस	सीआईटी (ए), देहरादून	2022–23	48.35	शून्य
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995	पेंशन अंशदान	सीजीआईटी, लखनऊ	जुलाई 1991 से 2010	3.53	शून्य
बिक्री कर अधिनियम, 1990	बिक्री कर/ वैट	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	2012–13	0.36	शून्य
सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	2018–19	0.07	शून्य
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957	रॉयल्टी–खनन	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	2020–21	198.30	शून्य

(viii)			हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान लेखा–बही में दर्ज न किए गए किसी भी लेन–देन को अभ्यर्पित या आय के रूप में प्रकट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(ix)	(क)		हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
	(ख)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
	(ग)		हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त लिए गए थे।
	(घ)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं, तथा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
	(ङ)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधियां नहीं ली है।
	(च)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों के रेहन पर ऋण नहीं लिया है।।

(x)	(क)		प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निजी प्लेसमेंट के आधार पर इक्विटी, ऋण लिखतों अर्थात कॉर्पोरेट बांड (श्रृंखला X, XI और XII) के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोग निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है, जिसमें पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और उन उद्देश्यों के लिए सावधि ऋण शामिल हैं जिनके लिए उन्हें जुटाया गया था।
	(ख)		वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ख) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(xi)	(क)		हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर भौतिक धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं देखा गया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।
	(ख)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी –4 में अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार समक्ष वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक दायर नहीं की गई है।
	(ग)		हमने कंपनी द्वारा प्राप्त की गई तथा वर्ष के दौरान हमें उपलब्ध कराई गई व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में रखा है।
(xii)			कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(xiii)			हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेन–देन के लिए, जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और संबंधित पक्षकार के लेन–देन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
(xiv)	(क)		हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
	(ख)		हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए, 31 मार्च, 2025 तक की अवधि को कवर करते हुए वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी किए गए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।
(xv)			हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
(xvi)			हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
(xvii)			कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्त वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।
(xviii)			वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
(xix)			वित्तीय अनुपात, एजेइंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और अवधारणाओं के समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख को मौजूद अपनी देयताओं और तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाली ऐसी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देयताएं, जब भी वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी।

(xx)			हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत व्यय किया है और ऐसी कोई भी राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 135(5) और 135(6) के अनुसार अंतरित किया जाना है।

कृते वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.006568C

ह0/–
वीरेंद्र कालरा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 074084

स्थान: ऋषिकेश
दिनांक: 19.05.2025
यूडीआईएन: 25074084BMKQYL6424

अनुलग्नक "ख"

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश

क्रम सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की अखंडता के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एकएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होगा)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी) का लेखा–जोखा इनकी शर्तों के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया। विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का संबंधित नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था।

कृते वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.006568C

ह0/–
वीरेंद्र कालरा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 074084

स्थान: ऋषिकेश
दिनांक: 19.05.2025
यूडीआईएन: 25074084BMKEQY6424

अनुलग्नक "ग"

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ 3(व) में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक "ग")

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमनें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा साथ–साथ इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और लेखांकन के मानक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी की स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा त वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका।

इसके अलावा, भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2025 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

कृते वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.006568C

ह0/–
वीरेंद्र कालरा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 074084

स्थान: ऋषिकेश
दिनांक: 19.05.2025
यूडीआईएन: 25074084BMKQYL6424

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 02-05-25

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय:- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नक:- यथोपरी ।

तनुजा मित्तल

(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक (ऊर्जा)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213, 23239211, Email : pdaenergydl@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य दिनांक 19 मई, 2025 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आया है और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार, सांविधिक लेखा परीक्षक से इस तथ्य पर टिप्पणी अपेक्षित है कि, "क्या वर्ष के किसी भी समय, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत की गई है, क्या कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत तिमाही विवरणी या विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं, यदि नहीं, तो ब्यौरा दिया जाए।"

हालाँकि, सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी, जिससे रिपोर्ट उसी सीमा तक अपूर्ण है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
(तनुजा मित्तल)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02/08/2025

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार, सांविधिक लेखा परीक्षक से इस तथ्य पर टिप्पणी अपेक्षित है कि, "क्या वर्ष के किसी भी समय, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत की गई है; क्या कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत तिमाही विवरणी या विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं, यदि नहीं, तो ब्यौरा दिया जाए" हालाँकि, सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी, जिससे रिपोर्ट उसी सीमा तक अपूर्ण है।	कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित है।

समेकित वित्तीय

विवरण

2024–25



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्ति					
गैर–चालू परिसंपत्ति					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		13,962.28		6,202.73
(ख) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	2		1,628.58		748.26
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		1.86		1.42
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		16,641.73		18,995.45
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	0.00		0.00	
(ii) ऋण	5	25.32		28.13	
(iii) अग्रिम	5.1	13.13		0.00	
(iv) अन्य	6	22.9	61.35	25.26	53.39
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		854.24		1,002.71
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	8		0.20		59.13
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		1,373.36		1,911.13
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंटरी	10		171.00		131.56
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	11	1,026.01		450.68	
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	12	158.32		106.21	
(iक) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	12.1	65.32		13.30	
(iii) ऋण	13	7.11		7.90	
(iv) अग्रिम	14	12.28		6.41	
(v) अन्य	15	1,627.02	2,896.06	1,494.11	2,078.61
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	16		79.85		25.12
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	17		248.05		97.02
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	**18**		**285.65**		**215.72**
कुल			**38,204.21**		**31,522.25**
इक्विटी और देयता					
हिस्सेदारी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		7,379.32		6,878.11
मूल कंपनी के स्वामियों को देय कुल इक्विटी			**11,045.20**		**10,543.99**
गैर–नियंत्रित हित			16.74		13.35
कुल इक्विटी			**11,061.94**		**10,557.34**
गैर चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	18,792.51		14,608.21	

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
(क) पट्टा देयताएं	22	156.94		141.60	
(ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	112.81	19,062.26	70.67	14,820.48
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	24		854.33		784.84
(ग) प्रावधान	25		173.94		163.20
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	3,316.71		2,108.60	
(क) पट्टा देयताएं	27	13.46		14.97	
(ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		2.17		1.51	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		53.50		52.42	
(iii) अन्य	28	2,019.78	5,405.62	1,864.97	4,042.47
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		168.75		162.75
(ग) प्रावधान	30		922.52		310.80
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		23.56		0.00
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष	32		531.29		680.37
कुल			**38,204.21**		**31,522.25**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः **10746205**

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः **08534217**

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन **06568C**

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– **074084**

दिनांकः– **19.05.2025**
स्थानः– ऋषिकेश

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आय					
प्रचालन से राजस्व	33		2,682.80		1,967.24
अन्य आय	34		30.65		45.37
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		23.64		20.65	
घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	23.64	0.00	20.65	0.00
कुल आय			**2,713.45**		**2,012.61**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		383.18		343.31
वित्त लागत	36		405.65		158.65
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2		284.45		300.05
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		792.52		613.02
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और भंडार एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,865.80**		**1,415.03**
विनियामक आस्थगन खाता शेष, अपवादात्मक मदें और कर–पूर्व लाभ/(हानि)			847.65		597.58
अपवादात्मक मदें– (आय)/ व्यय– निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ/(हानि) और विनियामक आस्थगन खाता शेष			**847.65**		**597.58**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		148.97		103.62
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति)/ देयता			148.47		(186.04)
विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि)			550.21		680
विनियामक आस्थगन खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन – कर के बाद निवल	40		180.74		(83.03)
(i) निरंतर प्रचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि)			730.95		596.97
(ii) अन्य व्यापक आय					
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		(9.65)		(7.22)
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः माप पर कर (व्यय)/ लाभ			1.69		(2.52)
अन्य व्यापक आय			(7.96)		(9.74)
कुल व्यापक आय (I+II)			**722.99**		**587.23**
निम्नलिखित के कारण लाभ:					
मूल कंपनी के मालिक			731.46		597.52
गैर–नियंत्रक हित			(0.51)		(0.55)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
कुल			**730.95**		**596.97**
अन्य व्यापक आय जिसके कारण :					
मूल कंपनी के मालिक			(7.96)		(9.74)
कुल			**(7.96)**		**(9.74)**
कुल व्यापक आय जिसके कारण :					
मूल कंपनी के मालिक			723.5		587.78
गैर–नियंत्रक हित			(0.51)		(0.55)
कुल			**722.99**		**587.23**
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (₹)			199.53		163.00
तनुकृत (₹)			199.53		163.00
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
बेसिक (₹)			150.23		185.65
तनुकृत (₹)			150.23		185.65
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
असाधारण वस्तुओं और कर–पूर्व का लाभ			**847.65**		**597.58**
आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन (कर के बाद निवल)			(180.74)		83.03
आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(38.27)		17.58
कर–पूर्व लाभ, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन शामिल है			**628.64**		**698.19**
समायोजन :–					
मूल्यह्रास		284.45		300.05	
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक		23.64		20.65	
प्रावधानों		–		–	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार		(12.78)		(15.48)	
फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि		5.05		0.00	
वित्तीय लागत		405.65		158.65	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		(0.32)		(0.15)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		1.55		0.40	
बैंक जमा पर ब्याज		(1.91)		(1.34)	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन		–		–	
असाधारण मद		–	697.73	–	455.18
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ गतिविधियों से नकदी प्रवाह			**1,326.37**		**1,153.37**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः –					
इन्वेंट्री		(123.91)		(1.98)	
व्यापार प्राप्य (अबिलीकृत राजस्व सहित)		(710.04)		245.27	
अन्य परिसंपत्तियां		(72.70)		(963.68)	
ऋण एवं अग्रिम (चालू + गैर चालू)		(15.42)		4.73	
लघु ब्याज		0.51		0.55	
व्यापार देय और देयताएं		173.00		179.59	
प्रावधान (चालू + गैर–चालू)		609.21		42.91	
आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन		219.01	79.66	(100.61)	(593.22)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			**1,406.03**		**560.15**
निगमित कर			(161.98)		(134.37)
प्रचालन से निवल नकदी (क)			**1,244.05**		**425.78**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
निम्नलिखित में परिवर्तन :–					
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी		(5,146.13)		(4,465.44)	
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय		5.53		12.30	

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
पूंजी अग्रिम		542.70		191.40	
अनुदान		107.74		23.80	
बैंक जमा पर ब्याज		1.91		1.34	
विलंबित भुगतान अधिभार		12.77		15.45	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष		(52.02)		5.47	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)			**(4,527.50)**		**(4,215.68)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)		–		–	
उधारों की अदायगी– गैर चालू		(568.27)		(238.79)	
उधारी आय– गैर चालू		4,752.57		4,557.91	
उधारियां– चालू		253.77		945.42	
पट्टा देयता		(19.03)		(14.870)	
ब्याज और वित्त शुल्क		(1,513.87)		(1,109.14)	
गैर–नियंत्रक हित से पूंजी अंशदान		3.39		4.65	
लाभांश		(527.34)		(171.44)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)			**2,381.22**		**3,973.74**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)			**(902.23)**		**183.84**
ङ. प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य			**(670.83)**		**(854.67)**
च. अंत शेष नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)			**(1,573.06)**		**(670.83)**

टिप्पणी:

1. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्मित किया गया है।
2. नकदी एवं नकदी समतुल्य का समाधान टिप्पणी संख्या 43.28(क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी–

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रु करोड़ में)

01.अप्रैल.2024 से 31.मार्च.2025 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षिती और अधिशेष								
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (i)		**0.00**	**6,613.69**	**264.42**	**0.00**	**6,878.11**	**13.35**	**6,891.46**
अवधि के लिए लाभ			731.46			731.46	(0.51)	730.95
अन्य व्यापक आय			(7.96)			(7.96)		(7.96)
कुल व्यापक आय			**723.50**			**723.50**	**12.84**	**722.99**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान							3.90	3.90
लाभांश			227.34			227.34		227.34
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (ii)			**496.16**			**496.16**		**499.55**
आरक्षिती में/से अंतरित /समायोजन (iii)			(98.42)			(98.42)		(98.42)
फ्लाई ऐश उपयोग कोष में वृद्धि/(उपयोग) (निवल)					5.05	5.05		5.05

(रु करोड़ में)

01.अप्रैल.2024 से 31.मार्च.2025 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षिती और अधिशेष								
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्धन / (प्रयुक्त / समायोजित) (iv)				98.42		98.42		98.42
अंत शेष (i+ii+iii+iv)		**0.00**	**7,011.43**	**362.84**	**5.05**	**7,379.32**	**16.74**	**7,396.06**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

(2) 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(रु करोड़ में)

01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षिती और अधिशेष							
विवरण	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (i)	**0.00**	**6,575.27**	**186.5**	**0.00**	**6,761.77**	**8.71**	**6,770.48**
अवधि के लिए लाभ		597.52			597.52	(0.55)	596.97
अन्य व्यापक आय		(9.74)			(9.74)		(9.74)
कुल व्यापक आय		**587.78**			**587.78**	**8.16**	**587.23**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान						5.20	5.20
लाभांश		471.44			471.44		471.44
लाभांश पर कर		0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (ii)		**116.34**			**116.34**		**120.99**
आरक्षिती में / से अंतरित / समायोजन (iii)		(77.92)			(77.92)		(77.92)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्धन / (प्रयुक्त / समायोजित) (iv)			77.92		77.92		77.92)
अंत शेष (I+II+III+IV)	**0.00**	**6,613.69**	**264.42**	**0.00**	**6,878.11**	**13.36**	**6,891.47**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

टिप्पणी संख्या–1 समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

क. रिपोर्टिंग संस्था

टीएचडीसी लिमिटेड ("कंपनी" या "धारक कंपनी") भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन:यू45203 यूआर 1988 जीओआई 009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता: भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड) है। समूह प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. अनुपालन विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 19.05.2025 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2 कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये (रु) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए तैयार किए गए हैं जिसके लिए कंपनी के तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह का उस संस्था में शामिल होने से अस्थिर प्रतिफल का अधिकार होता है या योग्य होता है और निवेशी की संगत गतिविधियों को निर्देशत करने के लिए अपने अधिकारों के माध्यम से ऐसे प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनियां समूह द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण की तारीख से पूर्ण समेकित होती हैं और तब तक समेकित रहेंगी जब तक की ऐसे नियंत्रण समाप्त न हो जाए।

समूह, मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों जैसे परिसंपत्तियों की मदें, इक्विटी, आय और व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकीकृत करता है। समूह की कंपनियों के बीच संव्यवहारों पर अंतर–कंपनी लेन–देन, शेष और अप्राप्य लाभों को निकाल दिया जाता है। अप्राप्य हानियों को भी निकाल दिया जाता है जब तक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। आवश्यकता पड़ने पर, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई) को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी हित में परिवर्तन, जिनके परिणामस्वरूप कोई नियंत्रण हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेन–देन के रूप में दर्ज किया जाता है।

जब किसी सहायक कंपनी से समूह का नियंत्रण हट जाता है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं और किसी संबंधित एनसीआई एवं इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देता है। पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में बरकरार किसी अन्य हित को नियंत्रण हटने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। उस सहायक कंपनी के संबंध में पूर्व में अन्य विस्तृत आय में मान्य अन्य सभी राशियों को ऐसे दर्ज किया जाता है जैसे समूह ने प्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी की संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं को निस्तारित किया है अर्थात् लागू इंड एएस द्वारा यथानिर्दिष्ट लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनःवर्गीकृत किया है या इक्विटी में अंतरित किया है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रतिधारित हित के लिए अनुवर्ती लेखांकन के प्रयोजनों के लिए आरम्भिक वहन राशि बना जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण / निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग / जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों / निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण / निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में संविदाकारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे / निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे / वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

3.6 भूमि जिस पर पीपीई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में है, पीपीई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं / प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान / दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है।

कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के संविदाओं के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 संविदाओं के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगा:

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को "खनन संपत्ति" के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल "गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान" शीर्ष के तहत "स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन" के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

5.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरुद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ/हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 **प्रारंभिक मान्यता और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

9.6 **अनुवर्ती मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

9.7 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

10. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. माल–सूची

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. वित्तीय देयताएं

12.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 अनुवर्ती माप

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

12.5 अमान्य करना: किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. सरकारी अनुदान

केंद्र / राज्य सरकारों / अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान / सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि

राख / राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय और अधिशेष निधि के निवेश से प्राप्त आय को 'फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि' में अंतरित कर दिया जाता है। इस निधि का उपयोग फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु अवसंरचना / सुविधाओं के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों पर व्यय के लिए किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

15.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

15.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन / निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

15.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

16. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

16.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

16.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली / वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

16.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

16.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

16.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित / अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन / गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित / अनुमोदित / सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन / गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

16.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

16.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

16.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

16.9 संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

16.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

16.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य बीमा दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

17. व्यय

17.1 प्रत्येक मामले में रु5,00,000/– या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

17.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

17.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

17.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

17.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

17.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

17.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंतत: असंभव हो जाए।

18. कर्मचारियों के हितलाभ

18.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

18.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

18.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुन: वर्गीकरण नहीं किया जाता।

19. ऋण लागत

19.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तिया इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

19.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के

दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो। ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

20. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

20.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

20.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है ।

20.3 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकरण के वित्त वर्ष में रु 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

20.4 रु1500/– से अधिक लेकिन रु5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय के वित्त वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

20.5 रु1500/– तक की कम लागत वाली सामग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

20.6 फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, आईटी और अन्य संचार उपकरण, जहां किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीवन को अलग से परिभाषित किया गया है, परिसंपत्ति के जीवन पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

20.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

20.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

20.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

21. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

22. पट्टे

कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन

व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रूप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रूप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

23. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

23.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

23.2 आस्थगित कर

23.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

23.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

23.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का

कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा / नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

23.2.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के सापेक्ष सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया गया है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

23.2.5 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चितता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

24. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

25. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित / अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

25.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

25.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

25.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

26. विनियामक आस्थगित खाता शेष

26.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय / आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित "लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

26.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे

वसूली योग्य हो जाता है।

26.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार हैं और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

27. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

28. लाभांश

समूह के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

29. प्रचालन खंड

एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग समूह का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से समूह का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, समूह की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

30. विविध

समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हो।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

टिप्पणी : –2

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 तक	अवधि के दौरान परिवर्तन	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्रीहोल्ड भूमि	131.85	79.55	(0.02)	211.38	–	–	–	–	211.38	131.85
2. जलमग्न भूमि	1,880.38	79.77	–	1,960.15	830.51	47.19	–	877.7	1,082.45	1,049.87
3. भवन	1,186.17	372.14	(22.34)	1,535.97	436.81	48.76	(21.74)	463.83	1,072.14	749.36
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	28.71	0.93	(10.71)	18.93	28.71	0.56	(10.71)	18.56	0.37	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	205.12	499.49	(0.78)	703.83	72.42	10.02	(0.78)	81.66	622.17	132.70
6. जल निकासी सीवरेज और जलापूर्ति	31.00	422.09	(9.80)	443.29	13.12	13.78	(9.80)	17.10	426.19	17.88
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.45	–	(0.56)	23.89	19.16	(0.60)	(0.47)	19.29	4.60	5.29
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,437.56	5,609.27	(0.04)	9,046.79	1,868.65	98.69	(0.04)	1,967.30	7,079.49	1,568.91
9. ईडीपी मशीनें	26.74	8.43	(4.59)	30.58	17.07	6.05	(4.12)	19.63	10.95	9.04
10. विद्युत अधिष्ठापन	49.31	49.63	(5.52)	93.42	15.20	6.95	(5.52)	16.63	76.79	34.11
11. पारेषण लाइन	33.08	110.09	(13.17)	130.81	21.59	13.72	(13.17)	22.14	108.67	11.49
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	92.74	18.03	(5.02)	105.75	66.80	6.83	(4.10)	69.53	36.22	25.94
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	53.86	12.00	(3.92)	61.94	27.80	4.58	(3.26)	29.12	32.82	26.06
14. वाहन	32.61	16.07	(0.70)	47.98	16.01	2.94	(0.46)	18.49	29.49	16.60
15. रेलवे साइडिंग	1.22	160.86	–	162.08	0.81	1.79	–	2.60	159.48	0.41
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,265.05	294.08	(0.65)	5,558.48	3,483.48	65.23	–	3,548.71	2,009.77	1,781.57
17. हाइड्रोलिक कार्य– सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	1,613.65	107.19	–	1,720.84	972.00	19.37	–	991.37	729.47	641.65
18. खदान संपत्तियां	0.00	271.39	0.00	271.39	0.00	1.56	0.00	1.56	269.83	0.00

(रु करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
उप योग	**14,093.50**	**8,111.82**	**(77.82)**	**22,127.50**	**7,890.77**	**348.62**	**(74.17)**	**8,165.22**	**13,962.28**	**6,202.73**
पिछली अवधि के आंकड़े	**13,748.85**	**357.08**	**(12.43)**	**14,093.50**	**7,565.54**	**333.64**	**(8.41)**	**7,890.77**	**6,202.73**	**6,183.31**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	7.04	1.14	(0.10)	8.08	5.62	0.70	(0.10)	6.22	1.86	1.42
उप योग	**7.04**	**1.14**	**(0.10)**	**8.08**	**5.62**	**0.70**	**(0.10)**	**6.22**	**1.86**	**1.42**
पिछली अवधि के आंकड़े	**5.73**	**1.31**	–	**7.04**	**5.17**	**0.45**	–	**5.62**	**1.42**	**0.56**
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	500.48	552.83	(53.97)	999.34	77.80	22.74	(53.97)	46.57	952.77	422.68
2. उपयोग का अधिकार– कोयला युक्त भूमि	333.89	366.79	(25.24)	675.44	13.11	15.12	(25.24)	2.99	672.45	320.78
3. उपयोग का अधिकार–भवन	9.90	0.73	(2.03)	8.60	5.28	1.92	(1.88)	5.32	3.28	4.62
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	0.32	0.06	(0.18)	0.20	0.14	0.16	(0.18)	0.12	0.08	0.18
उप योग	**844.59**	**920.41**	**(81.42)**	**1,683.58**	**96.33**	**39.94**	**(81.27)**	**55.00**	**1,628.58**	**748.26**
पिछली अवधि के आंकड़े	**561.86**	**288.08**	**(5.35)**	**844.59**	**70.93**	**30.64**	**(5.24)**	**96.33**	**748.26**	**490.93**

मूल्यह्रास का विवरण	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
कोयला इवेंट्री के लिए अंतरित मूल्यह्रास	2.32		–	
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास	78.85		44.02	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास	284.45		300.05	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान	23.64	389.26	20.66	364.73
खरीदी गई रु1500.00 से अधिक लेकिन रु 5000.00 से कम कीमत वाली अचल परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यह्रासित किया गया	0.23		0.39	

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा रु1/– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है। कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है ।

टिप्पणी : –2

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्रीहोल्ड भूमि	50.94	80.91	–	131.85	–	–	–	–	131.85	50.94
2. जलमग्न भूमि	1,786.85	93.53	–	1,880.38	787.92	42.59	–	830.51	1,049.87	998.93
3. भवन	1,128.16	58.36	(0.35)	1,186.17	394.08	42.73	–	436.81	749.36	734.08
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	28.43	0.28	–	28.71	28.43	0.28	–	28.71	–	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	200.53	4.59	–	205.12	65.85	6.57	–	72.42	132.70	134.68
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	30.87	0.13	–	31	12.17	0.95	–	13.12	17.88	18.70
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	0.05	(0.07)	24.45	18.49	0.72	(0.05)	19.16	5.29	5.98
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,435.45	2.11	–	3,437.56	1,779.19	89.46	–	1,868.65	1,568.91	1,656.26
9. ईडीपी मशीनें	27.54	5.71	(6.51)	26.74	17.76	6.19	(6.25)	17.70	9.04	9.78
10. विद्युत अधिष्ठापन	46.81	2.50	–	49.31	13.94	1.26	–	15.20	34.11	32.87
11. पारेषण लाइन	32.67	0.41	–	33.08	20.16	1.43	–	21.59	11.49	12.51
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	84.89	8.82	(0.97)	92.74	60.22	7.13	(0.56)	66.79	25.95	24.67
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	45.78	8.39	(0.31)	53.86	24.23	3.64	(0.06)	27.81	26.05	21.55
14. वाहन	28.03	6.56	(1.98)	32.61	15.24	2.26	(1.49)	16.01	16.6	12.79
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.74	0.07	–	0.81	0.41	0.48
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.00	77.29	(2.24)	5,265.05	3,378.50	104.98	–	3,483.48	1,781.57	1,811.50
17. हाइड्रोलिक कार्य–सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	1,606.21	7.44	–	1,613.65	948.62	23.38	–	972.00	641.65	657.59
उप योग	**13,748.85**	**357.08**	**(12.43)**	**14,093.50**	**7,565.54**	**333.64**	**(8.41)**	**7,890.77**	**6,202.73**	**6,183.31**

(रु करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.73	1.31	–	7.04	5.17	0.45	–	5.62	1.42	0.56
उप योग	**5.73**	**1.31**	**–**	**7.04**	**5.17**	**0.45**	**–**	**5.62**	**1.42**	**0.56**
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का 5 अधिकार – भूमि	474.83	25.65	–	500.48	58.88	18.92	–	77.80	422.68	415.9
2. उपयोग का अधिकार– कोयला युक्त भूमि	72.01	261.88	–	333.89	3.63	9.48	–	13.11	320.78	68.38
3. उपयोग का अधिकार – भवन	9.87	0.30	(0.27)	(9.90)	3.39	2.05	(0.16)	5.28	4.62	6.48
4. उपयोग का अधिकार – वाहन	5.15	0.25	(5.08)	0.32	5.03	0.19	(5.08)	0.14	0.18	0.12
उप योग	**561.86**	**288.08**	**(5.35)**	**844.59**	**70.93**	**30.64**	**(5.24)**	**96.33**	**748.26**	**490.93**
मूल्यह्रास का विवरण						पिछले वर्ष				
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास						44.02		33.07		
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास						300.05		273.9		
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास– उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान						20.66	364.73	10.47	317.44	
खरीदी गई रु1500.00 से अधिक लेकिन रु5000.00 से कम कीमत वाली अचल परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यह्रासित किया गया						0.39		0.36		

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा रु1/– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में वितरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में वितरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

टिप्पणी : –3

प्रगति पर पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं	01 अप्रैल, 2024 तक	31 मार्च,2025 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 को समाप्त31 मार्च, अवधि के लिए2024			तक की स्थिति के अनुसार
			01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान पूंजीकरण			अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	अवधि के दौरान पूंजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर											
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		204.40	92.26	(56.48)	(146.89)	93.29	161.42	59.59	(0.35)	(16.26)	204.40
सड़कें, पुल और पुलिया		530.42	142.29	(7.30)	(658.09)	7.32	406.54	139.47	(11.10)	(4.49)	530.42
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		326.82	100.26	—	(421.70)	5.38	159.60	167.22	—	—	326.82
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		10406.52	2492.49	0.13	(5635.18)	7263.96	7420.74	2985.78	—	—	10406.52
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, सिलवे, जल चैनल, वीयर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य		6078.56	2,479.74	(0.07)	(5.57)	8552.66	4759.37	1357.78	(0.05)	(38.54)	6,078.56
वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र		115.23	6.76	—	(120.77)	1.22	108.66	6.57	—	—	115.23
विद्युत स्थापना और उप–स्टेशन उपकरण		130.29	61.04	—	(162.67)	28.66	122.64	7.76	—	(0.11)	130.29
परियोजना निर्माण से सीधे संबंधित अन्य व्यय		596.01	65.32	(0.01)	(504.92)	156.49	410.05	186.05	0.00	0.00	596.10
कोयला खदान का विकास		222.13	892.12	(597.17)	(276.94)	240.14	254.13	264.31	(296.31)	0.00	222.13

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं	01 अप्रैल, 2024 तक	31 मार्च2025 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 को समाप्त01 मार्च, अवधि के लिए2024			तक की स्थिति के अनुसार
			01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान परिकर्मन	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान पूंजीकरण			अवधि के दौरान परिकर्मन	अवधि के दौरान समायोजन	अवधि के दौरान पूंजीकरण	
सौर ऊर्जा का विकास		0.24	0.00	(0.24)	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
अन्य		23.75	35.49	(19.45)	(20.98)	18.81	1.91	24.39	–	(2.55)	23.75
व्यय लंबित आवंटन											
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		151.18	10.39	–	–	161.57	79.58	71.60	–	–	151.18
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	11.09	979.04			990.13	41.44	558.13			599.57
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय जो कि लाभ एवं हानि में आवंटित/प्रभारित किया गया	32.1		921.43			921.43		588.48			588.48
पुनर्वास											
पुनर्वास व्यय		198.72	94.8	(0.93)	(249.06)	43.53	111.43	145.52	–	(58.23)	198.72
कुल		**18,995.45**	**6,530.57**	**(681.52)**	**(8,202.77)**	**16,641.73**	**14,037.51**	**5,385.93**	**(307.81)**	**(120.18)**	**18,995.45**
पिछली अवधि के आंकड़े		**14,037.51**	**5,385.93**	**(307.81)**	**(120.18)**	**18,995.45**	**9,467.50**	**4,704.14**	**(39.26)**	**(94.87)**	**14,037.51**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा एसटीपीपी (दूसरी यूनिट) आदि का मूल्य शामिल है, क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, इसलिए कोई हानि नहीं होती है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (i) के तहत किया गया है।

3.3 विलंबित या लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं के पूरा होने की समय–सारणी टिप्पणी संख्या 43.8 (ii) के तहत बताई गई है।

टिप्पणी : –4

गैर चालू परिसंपत्तियां– सहायक कंपनी में निवेश

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
सहायक कंपनी में इक्विटी लिखत – अनुद्धृत (पूर्णतः संदत्त–जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, लागत पर)					
टुस्को ट्रेडको और टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी			51.80		40.70
घटाएँ: सहायक कंपनी–टुस्को ट्रेडको और टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी द्वारा आवंटित शेयर पूंजी			51.80		40.70
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी : –5

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		10.95		10.95	
शोध्य– अप्रतिभूत		7.87		9.00	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		14.86		16.00	
शोध्य – अप्रतिभूत		1.50		2.19	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**35.18**		**38.14**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		7.14		7.24	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		2.72	25.32	2.79	28.11
निदेशकों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.00**		**0.02**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.02
उप–कुल			**25.32**		**28.13**
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.
कुल – ऋण			**25.32**		**28.13**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.01		0.02	
कुल		**0.01**		**0.02**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.01	0.00	0.02

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.17		0.09	
ब्याज		0.03		0.03	
कुल		**0.20**		**0.12**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.09	0.11	0.02	0.10

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

5.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी:– 5.1

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु के रूप में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्य मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों को		14.33		0.00	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		1.20	13.13	0.00	0.00
अन्य को			0.00		0.00
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल			**13.13**		**0.00**
टिप्पणी: निदेशकों से देय					
मूलधन			0.09		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.01		0.00
कुल			**0.08**		**0.00**
टिप्पणी: अधिकारियों से देय					
मूलधन			0.03		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.00		0.00
कुल			**0.03**		**0.00**

5.1.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके।

5.1.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –6

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
प्रतिभूति जमा राशि			22.46		24.94
12 माह से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां			0.44		0.32
सहायक कंपनी में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि			3.33		0.00
घटाएँ: शेयर पूंजी, सहायक कंपनी–टुस्को द्वारा आवंटन लंबित			3.33		0.00
कुल			**22.90**		**25.26**

टिप्पणी : –7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			854.24		1,002.71
कुल			**854.24**		**1,002.71**

टिप्पणी : –8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
जमा किया गया कर			0.20		59.13
कुल			**0.20**		**59.13**

टिप्पणी : –9

अन्य गैर – चालू परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय			4.06		0.17
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			11.07		10.03
उप योग			**15.13**		**10.20**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (रु 479.64 करोड़ की बैंक गारंटी)		428.89		612.26	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		72.36		157.70	
iii) अन्य		588.50		844.12	
iv) अग्रिम राशि पर उपार्जित ब्याज		382.13	1,471.88	408.79	2,022.87
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			113.65		121.94
उप–योग – पूंजीगत अग्रिम			**1,358.23**		**1,900.93**
कुल			**1,373.36**		**1,911.13**

टिप्पणी : –10

इन्वेंट्री

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत आधार या निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		0.37		1.12	
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टोर और स्पेयर्स		31.57		31.22	
कोयला इन्वेंट्री		116.09		51.43	
परिवहनाधीन कोयला इन्वेंट्री		7.59		00.0	
अन्य (स्टोर और स्पेयर सहित)		15.38		45.37	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.0		2.42	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.0	171	0.0	131.56
घटाएँ: अन्य स्टोर के लिए प्रावधान			00.0		00.0
कुल			**171**		**131.56**

टिप्पणी : –11

व्यापार प्राप्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		100.03		61.96	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	100.03	0.00	61.96
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		372.7		247.44	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	372.7	0.00	247.44
(iii) अबिलीकृत देनदार			**553.28**		**141.28**
कुल			**1,026.01**		**450.68**

व्यापार प्राप्य राशि में पिछले महीनों का राजस्व रु 553.28 करोड़ (31 मार्च 2024 को रु 141.28 करोड़) शामिल है, जिसमें अग्रिम राशि घटा दी गई है और यह राशि 31 मार्च के बाद लाभार्थियों को बिल की जाएगी।

टिप्पणी: –12

नकदी और नकदी समतुल्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
नकदी और नकदी समतुल्य					
बैंकों में शेष राशि (ऑटो स्वीप, बैंकों में जमा सहित)			158.31		106.2
चेक, ड्राफ्ट हाथ में			0.01		0.01
कुल			**158.32**		**106.21**

टिप्पणी : –12.1

नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
अन्य बैंक बैलेंस					
तीन माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि तथा एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली जमा राशियां			59.36		13.30
बैंकों के पास निर्धारित			5.96		0.00
कुल			**65.32**		**13.30**

बैंक में निर्धारित शेष राशि में फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि के लिए आरक्षित राशि भी शामिल है।

टिप्पणी : –13

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– ऋण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		4.26		4.55	
शोध्य– अप्रतिभूत		2.26		3.01	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		1.77		1.71	
शोध्य – अप्रतिभूत		0.05		0.14	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**8.34**		**9.41**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.05		1.15	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.11	7.18	0.30	7.96
निदेशकों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		00.0		00.0	
शोध्य– अप्रतिभूत		00.0		0.01	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		00.0		00.0	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.01		0.01	
निदेशकों को कुल ऋण		0.01		0.02	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		00.0		00.0	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		00.0	0.01	00.0	0.02
उप–कुल			**7.19**		**7.98**
घटाएं– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**7.11**		**7.90**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.01	
ब्याज		0.01		0.01	

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
कुल		**0.01**		**0.02**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.01	0.00	0.02
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.04		0.03	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.03**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.00	0.03

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

13.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –14

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अग्रिम

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों के लिए		14.34		6.09	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		2.38	11.96	0.00	6.09
अन्य को			0.32		0.32
कुल			**12.28**		**6.41**
टिप्पणी: निदेशकों से देय					
मूल राशि			0.09		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.02		0.00
कुल			**0.07**		**0.00**
टिप्पणी: अधिकारियों से देय					
मूल राशि			0.02		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.00		0.00
कुल			**0.02**		0.00

14.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

14.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –15

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
जमा					
कस्टम विभाग के पास जमा		0.02		2.36	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		1,491.96		1,491.59	
अन्य जमा		0.33	1,492.31	0.16	1,494.11
अन्य					
संविदा परिसंपत्तियां			134.71		0.00
कुल			**1,627.02**		**1,494.11**

15.1 सरकार/न्यायालय के पास जमा राशि में रु 1471.87 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1471.48 करोड़) की आकस्मिक देनदारियों के सापेक्ष जमा राशि और रु 20.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु 20.11 करोड़) की अन्य जमा राशि शामिल है।

15.2 संविदा परिसंपत्तियाँ कंपनी के उन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में प्रतिफल प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें कंपनी ने ग्राहकों को अंतरित/प्रदान किया है, जब वह अधिकार समय बीतने के अलावा अन्य मामलों पर आधारित होता है, जैसे सीईआरसी से ट्रूइंग–अप ऑर्डर की प्राप्ति, आदि और ग्राहकों को दिए जाने वाले क्रेडिट के बाद निवल होते हैं।

टिप्पणी : –16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
जमा किया गया कर			79.85		25.12
कुल			**79.85**		**25.12**

टिप्पणी : –17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय			107.86		53.4
अर्जित ब्याज			0.04		0.04
निपटान हेतु रखी गई बीईआर परिसंपत्तियां			0.22		0.57
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			3.54		1.45
उप–कुल			**111.66**		**55.46**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों के लिए			0.46		0.51
खरीदारी के लिए			29.41		20.04
अन्य के लिए			120.93		35.42
घटाएँ: विविध वसूलियों के लिए प्रावधान			105.08		55.97
उप–योग – अन्य अग्रिम			**136.39**		**41.56**
कुल			**248.05**		**97.02**

टिप्पणी : –18

विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			215.72		133.42
अवधि के दौरान निवल संचलन			69.93		82.30
अंत शेष			**285.65**		**215.72**

18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष रु 210.81 करोड़ के विनिमय दर परिवर्तन के कारण है तथा रु 75.04 करोड़ "विवाद से विश्वास", "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" और "विवाद समाधान समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के कारण है।

टिप्पणी : –19

शेयर पूंजी

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
अधिकृत					
इक्विटी शेयर रु 1000/– प्रत्येक		4,00,00,000	4,000.00	4,00,00,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**
रु 1000/– प्रति पूर्ण संदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु 1000/– के सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु 62.02 (पिछले वर्ष रु 171.44) की दर से रु 227.34 करोड़ का अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए रु 1000/– रूपए के सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु 120.56 (पिछले वर्ष कुल रु 143.85) की दर से रु 441.97 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी : –19.1

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
5% से अधिक शेयरधारिता					
i. एनटीपीसी लिमिटेड (नामिती शेयर सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
ii. उत्तर प्रदेश सरकार (नामिती शेयर सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी : –19.2

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
निर्गत		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत शेष		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2क. कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका सममूल्य 1000/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयरधारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी : –19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार		वर्ष के दौरान बदलाव %
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%	
i. एनटीपीसी लिमिटेड (नामिती शेयर सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.00
ii. उत्तर प्रदेश सरकार (नामिती शेयर सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**100%**	**3,66,58,817**	**100.00**	**0.00**

टिप्पणी : –20

अन्य इक्विटी

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			7,011.43		6,613.69
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			362.84		264.42
फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि			5.05		0.00
कुल			**7,379.32**		**6,878.11**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का.नि.574(अ),दिनांक 16.08.2019 के अनुरूप, कंपनी ने बॉण्डों के मोचन के प्रयोजनार्थ बॉण्डों के मोचन के वर्ष से पहले वर्ष तक प्रत्येक वर्ष बराबर किश्तों में भावी आधार पर बॉण्डों के मूल्य के 10% की दर पर कंपनी के लाभ में से डिबेंचर मोचन आरक्षिती का सृजन किया है।

20.2 14 सितंबर 1999 की प्रमुख राजपत्र अधिसूचना में इंगित है कि प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र को राख आधारित उत्पादों के निर्माण या सड़कों, तटबंधों, बांधों, डाइक के निर्माण या किसी अन्य निर्माण गतिविधि के लिए 10 वर्षों के लिए मुफ्त राख उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी 3 नवंबर 2009 की राजपत्र अधिसूचना के तहत निर्देश दिया गया कि फ्लाई ऐश और फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों की बिक्री से एकत्र की गई राशि को एक अलग खाता शीर्ष में रखा जाना चाहिए और इसका उपयोग केवल फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए अवसंरचना या सुविधा के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, जब तक कि 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग स्तर हासिल नहीं हो जाता। वर्तमान में, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार की 31 दिसंबर 2021 की राजपत्र अधिसूचना, कंपनी उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अलग खाते में निधि बनाए रखती है और निधि को "नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष" (टिप्पणी संख्या 12.1) में दिखाया गया है।

टिप्पणी : –21

गैर चालू – वित्तीय देयताएं – उधार

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
क.–प्रतिभूत बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला–VI					
(7.60% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु1000000/–) (मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		833.15
^ बांड निर्गम श्रृंखला–V					
(7.39% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु1000000/–) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला–IV					
(7.45% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु1000000/–) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
***बांड निर्गम सीरीज–III**					
(7.19% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु1000000/–) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
बांड निर्गम सीरीज–II					
(8.75% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु1000000/–) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.43		1,574.43
***बांड निर्गम श्रृंखला–I**					
(7.59% प्रति वर्ष, 10वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु1000000/–) (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.46		622.46
कुल (क)			**5,883.67**		**5,883.67**
ख.प्रतिभूत					
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से सावधि ऋण					
@#ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) (झांसी सोलर पार्क के लिए, टुस्को लिमिटेड)					
(1 जुलाई 2025 से मासिक किस्त पर 18 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, वर्तमान में वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ 7.95% की ब्याज दर है)			64.54		29.41
@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–I)					
(चुकौती प्रथम 20 तिमाही किस्त 1.25%, अगली 20 तिमाही किस्त 3.75% होगी, फ्लोटिंग ब्याज दर/1 माह एमसीएलआर वर्तमान में 8.35%)			2,125.49		2,250.51
@@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–II)					
(चुकौती पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25%, अगली 20 तिमाही किस्तों में 3.75% ब्याज दर पर होगी, जो कि पहली निकासी की तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद होगी। 1 महीने की एमसीएलआर दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.35% है)			2,500.57		2,450.56
@पंजाब नेशनल बैंक					
(5 वर्षों के भीतर रु 25 करोड़ प्रत्येक की 20 बराबर तिमाही					

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
किस्तों में चुकाया जाना है। 1 महीने की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.50%)			325.07		425.08
@@@@पंजाब नेशनल बैंक (संवितरण की तिथि अर्थात 26.03.2024 से 12 महीने की स्थगन अवधि के साथ 36 सुव्यवस्थित त्रैमासिक किस्तों में 9 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, 1 माह की फ्लोटिंग ब्याज दर/एमसीएलआर वर्तमान में 8.50%)			680.72		200.04
@@@पंजाब नेशनल बैंक (पहली संवितरण की तिथि अर्थात 26.11.2024 से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद, 1.25% की पहली 20 त्रैमासिक किस्तों, 3.75% की अगली 20 त्रैमासिक किस्तों में चुकौती योग्य, रेपो रेट + प्रसार की दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 7.85% है)			500.11		0.00
@@@केनरा बैंक (पहली संवितरण की तिथि अर्थात 04.12.2024 से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद, 1.25% की पहली 20 त्रैमासिक किस्तों, 3.75% की अगली 20 त्रैमासिक किस्तों में चुकौती योग्य, रेपो रेट + प्रसार की दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 7.85% है)			452.04		0.00
कुल (ख)			**6,648.54**		**5,355.60**
ग.अप्रतिभूत					
बांड जारी श्रृंखला–VII (7.88% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 1000000/– रु.) (मोचन की तिथि 27.12.2032)			612.31		612.31
बांड निर्गम श्रृंखला–VIII (7.76% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 100000/– रु.) (मोचन की तिथि 13.09.2033)			795.44		795.44
बांड निर्गम श्रृंखला–IX (7.93% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 100000/– रु.) (मोचन की तिथि 16.01.2034)			791.69		791.69
बांड निर्गम श्रृंखला–X (7.76% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 29.05.2034)			798.95		0.00
बांड निर्गम श्रृंखला–XI (7.72% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 03.09.2034)			626.65		0.00

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
बांड निर्गम श्रृंखला–XII					
(7.73% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 18.02.2035)			706.23		0.00
$विश्व बैंक ऋण –8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)					
15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक अर्धवार्षिक किस्त पर 23 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, ब्याज दर @SOFR + परिवर्तनीय प्रसार वर्तमान में 5.49%)			2,948.67		1,836.20
कुल (ग)			**7,279.94**		**4,035.64**
कुल (क+ख+ग)			**19,812.15**		**15,274.91**
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण– प्रतिभूत			427.78		225
विदेशी मुद्रा ऋण– अप्रतिभूत			157.55		106.56
उधार पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज			434.31		335.14
कुल			**18,792.51**		**14,608.21**

* बांड श्रृंखला I टिहरी एचपीपी स्टेज–I की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

** बांड श्रृंखला II बही ऋणों सहित टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*** बांड श्रृंखला III पाटन और द्वारका के कोटेश्वर एचईपी और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बांड श्रृंखला IV, V और VI टिहरी स्थित पंप स्टोरेज संयंत्र की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के विरूद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@@कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर परी पासु आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण।

@@@खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@@@@टिहरी पीएसपी की मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण ।

$संबंधित ऋण रैंकिंग के तहत वित्तपोषित उपकरणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार के साथ ।

21.1 इस अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे किसी भी प्रकार के आरोप या संतुष्टि का कोई मामला पंजीकृत नहीं है।

21.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम राशि इस समझ के साथ नहीं ली है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –22

गैर चालू – वित्तीय देयताएं – पट्टा

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			170.40		156.57
घटाएँ: पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता – अप्रतिभूत			13.46		14.97
कुल			**156.94**		**141.60**

टिप्पणी : –23

गैर–चालू वित्तीय देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकार से जमा प्रतिधारण राशि आदि।		123.95		85.85	
घटाएँ:उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		11.14	112.81	15.18	70.67
कुल			**112.81**		**70.67**

टिप्पणी : –24

अन्य गैर–चालू देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			167.12		174.72
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			520.03		546.64
एमएनआरई से अनुदान					
प्रारंभिक जमा		48.30		24.50	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		107.74		23.8	
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		0.00	156.04	0.00	48.30
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			11.14		15.18
कुल			**854.33**		**784.84**

टिप्पणी : –25

गैर चालू प्रावधान

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2024 तक	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
i. कर्मचारी संबंधी		160.78	13.16	0.00	0.00	173.94	168.56	1.12	(8.90)	0.00	160.78
ii. अन्य		2.42	0.00	0.00	(2.42)	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
कुल		**163.20**	**13.16**	**0.00**	**(2.42)**	**173.94**	**170.98**	**1.12**	**(8.90)**	**0.00**	**163.20**
पिछली अवधि के आंकड़े		**170.98**	**1.12**	**(8.90)**	**0.00**	**163.20**	**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**

25.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.25 में किया गया है।
25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : –26

चालू– वित्तीय देयताएं– उधार

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋणः					
#पंजाब नेशनल बैंक			500.00		500.00
##बैंक ऑफ बड़ौदा			500.00		500.00
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/ नकदी ऋण सुविधा					
**पंजाब नेशनल बैंक			901.77		552.80
***एचडीएफसी बैंक			0.00		18.88
****बैंक ऑफ बड़ौदा			373.77		65.64
*भारतीय स्टेट बैंक			129.81		139.72
कुल (क)			**2,405.35**		**1,777.04**
ख. अप्रतिभूत ऋणः					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/ नकदी ऋण सुविधा					
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया			326.03		0.00
कुल (ख)			**326.03**		**0.00**
ग. दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत ^			427.78		225.00
अप्रतिभूत ^			157.55		106.56
कुल (ग)			**585.33**		**331.56**
कुल (क+ख+ग)			**3,316.71**		**2,108.60**

टिहरी पीएसपी की चल संपत्तियों पर समान आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

खुर्जा एसटीपीपी और अनेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य की दोनों चल अचल संपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

* कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

** टिहरी स्टेज–1 की संपत्तियों और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत, जिसमें चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और परियोजना स्थल पर सामग्री शामिल है। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है

*** कंपनी संयंत्र– पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकुवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

****बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर चार्ज के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की सुरक्षा टिप्पणी संख्या 21 में @@ के तहत बताई गई है।

^ ऊपर बताए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता के ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में विवरण टिप्पणी–21 में प्रकट किए गए हैं।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

26.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

26.5 टिप्पणी संख्या 43.13 के अनुसार चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार का अतिरिक्त प्रकटीकरण।

टिप्पणी : –27

चालू – वित्तीय देयताएं– पट्टा

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			13.46		14.97
कुल			**13.46**		**14.97**

टिप्पणी : –28

चालू– वित्तीय देयताएं– अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए		0.26		2.63	
अन्य के लिए		566.17	566.43	422.60	425.23
जमा राशि, संविदाकारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि आदि।		1,004.95		821.3	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि		0.00	1,004.95	0.00	821.3
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
अन्य देयताएं			13.60		282.89
अर्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		434.80		335.55	
अन्य देयताएं		0.00	434.80	0.00	335.55
कुल			**2,019.78**		**1,864.97**

टिप्पणी : –29

अन्य चालू देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के लिए आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			137.52		134.50
सिंचाई घटक में अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		921.15		894.54	
घटाएं:–					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		897.52	23.63	873.89	20.65
कुल			**168.75**		**162.75**

टिप्पणी : –30

चालू प्रावधान

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं) (रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2024 तक	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
कार्य		5.48	0.69	(5.48)	0.00	0.69	31.49	5.48	(1.06)	(30.43)	5.48
कर्मचारी संबंधी		285.64	90.00	(1.53)	(33.54)	340.57	293.71	44.33	(4.97)	(47.43)	285.64
भूमि अधिग्रहण से संबंधित दायित्व		0.00	73.53	0.00	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्यस्थता एवार्ड		0.00	475.70	0.00	0.00	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य		19.68	45.66	(4.14)	(29.17)	32.03	27.89	30.48	(4.96)	(33.73)	19.68
कुल		**310.80**	**685.58**	**(11.15)**	**(62.71)**	**922.52**	**353.09**	**80.29**	**(10.99)**	**(111.59)**	**310.8**
पिछली अवधि के आंकड़े		353.09	80.29	(10.99)	(111.59)	310.80	348.64	171.91	(81.34)	(86.12)	353.09

30.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.25 में किया गया है।

30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों के लिए प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : –31

चालू कर देयताएं (निवल) (रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
आयकर					
प्रारंभिक जमा			0.00		9.82
अवधि के दौरान परिवर्धन			185.54		86.05
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(161.98)		(95.87)
अंत शेष			**23.56**		**0.00**

टिप्पणी : –32

विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष (रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			680.37		497.46
अवधि के दौरान निवल संचलन			(149.08)		182.91
अंत शेष			**531.29**		**680.37**

टिप्पणी : –32.1

निर्माण के दौरान व्यय (रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		218.47		183.53	

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		45.83		34.65	
कल्याण		13.36		10.95	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.13	277.79	0.33	229.46
अन्य व्यय	37				
किराया					
कार्यालय का किराया		1.64		1.32	
कर्मचारी आवास का किराया		0.64	2.28	0.26	1.58
दर और कर			0.39		0.63
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
बिजली और ईंधन			17.83		15.28
बीमा			0.13		0.21
संचार			1.71		1.47
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र और मशीनरी		6.33		0.00	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		2.30		2.99	
अन्य		11.34	19.97	10.20	13.19
यात्रा एवं परिवहन			2.88		3.37
वाहन किराये पर लेना और चलाना			15.39		11.85
सुरक्षा			14.87		11.68
प्रचार एवं जनसंपर्क			0.39		0.33
अन्य सामान्य व्यय			74.54		46.65
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.11		0.09
प्रारम्भण–पूर्व व्यय (निवल)			13.17		0.00
खदान संचालन लागत			451.97		172.47
सर्वेक्षण और जांच व्यय			0.51		0.50
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			1.25		0.86
अन्य ब्याज	36		19.12		32.25
मूल्यह्रास	2		78.85		44.02
कुल व्यय (क)			**993.15**		**585.89**
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
बैंक जमा से		1.41		0.24	
कर्मचारियों से		0.83		0.58	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		0.13		0.33	
अन्य से		0.51	2.88	0.11	1.26
मशीन किराया शुल्क			0.26		0.08
किराया प्राप्तियां			1.89		1.39
विविध प्राप्तियां			4.23		5.50
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.01		0.00
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			6.64		20.77

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
कुल प्राप्तियां (ख)			**15.91**		**29.00**
कर–पूर्व निवल व्यय			**977.24**		**556.89**
कराधान के लिए प्रावधान	**39**				
कराधान सहित निवल व्यय			**977.24**		**556.89**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	41		(1.79)		(1.24)
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			11.08		41.45
कुल ईडीसी			**990.11**		**599.58**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी / परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		903.90		576.58	
स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की ईडीसी लाभ एवं हानि खाते में जमा की जाएगी		17.53	921.43	11.91	588.49
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेणीत शेष			**68.68**		**11.09**

टिप्पणी : –33

प्रचालन से राजस्व

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
बिजली की बिक्री के सापेक्ष लाभार्थियों से आय		2,592.53		1,919.42	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.59	
घटाएं:					
ग्राहकों को छूट		5.14	2,594.99	7.11	1,919.90
कोयले की बिक्री			43.51		0.00
विचलन निपटान/ भीड़भाड़ शुल्क			17.45		20.88
परामर्श आय			26.85		26.46
फ्लाई ऐश/राख उत्पादों की बिक्री		5.05		0.00	
घटाएँ: फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि में अंतरित		5.05	0.00	0.00	0.00
कुल			**2,682.80**		**1,967.24**

33.1 कंपनी ने टिहरी जल विद्युत परियोजना और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण और 2024–29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिकाओं हेतु माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष टूइंग–अप टैरिफ याचिकाएँ दायर की हैं। उपरोक्त याचिकाओं के अनुसार टैरिफ निर्धारण लंबित रहने तक, चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व मान्यता सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 और 2024 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक स्थिर शुल्क (एएफएसी) के आधार पर की गई है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ याचिका हेतु माननीय सीईआरसी के दिनांक 08.11.2024 के आदेश के अनुसार राजस्व प्रभाव को भी वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है।

33.2 कंपनी ने खुर्जा थर्मल पावर परियोजना (यूनिट ix 660 मेगावाट) और समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इसके वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 2024–29 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष टैरिफ याचिकाएँ दायर की हैं। उपरोक्त याचिका के अनुसार टैरिफ निर्धारण लंबित रहने तक, सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार परिवर्ती शुल्कों सहित वार्षिक स्थिर शुल्कों के आधार पर राजस्व मान्य किया गया है।

33.3 सीईआरसी ने 15 मार्च 2024 की अधिसूचना के माध्यम से, टैरिफ अवधि 2024–29 के लिए टैरिफ विनियम, 2024 अधिसूचित किए। कंपनी की कैप्टिव खदानों से निकाले गए और उत्पादन केंद्रों को आपूर्ति किए गए कोयले को इन विनियमों को ध्यान में रखते हुए लेखांकित किया गया है।

33.4 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे हो जाने के कारण, पूर्व में स्वीकृत एवं आस्थगित आय के रूप में मानी गई एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.5 लाभार्थियों से आय में चालू वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की बिक्री) रु75.42 करोड़ और प्रोत्साहन राशि रु 42.88 करोड़ तथा पिछले वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा रु50.45 करोड़ और प्रोत्साहन राशि रु8.02 करोड़ शामिल है।

टिप्पणी : –34

अन्य आय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
ब्याज					
बैंक जमा पर (रु1105391.00, पिछली अवधि रु72885.00 का टीडीएस सहित)		3.32		1.58	
कर्मचारियों से		1.78		1.73	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर		1.63		3.41	
अन्य		0.70	7.43	0.16	6.88
मशीन किराया शुल्क			0.26		0.08
किराया प्राप्तियां			3.32		3.29
विविध प्राप्तियां			16.75		28.43
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.02		0.01
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.32		0.15
विलंबित भुगतान अधिभार			12.78		15.48
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			6.54		20.73
कुल			**47.42**		**75.05**
घटाएं:					
गैस–टैरिफ आय लाभार्थियों के साथ साझा की गई			0.86		0.68
ईडीसी में अंतरित	32.1		15.91		29.00
कुल			**30.65**		**45.37**

टिप्पणी : –35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			489.46		452.4
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान			105.42		89.84
कल्याण व्यय			65.82		27.12
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			1.63		3.41
कुल			**662.33**		**572.77**
घटाएं:					
कोयला इन्वेंट्री के लिए आबंटित			1.36		0.00
ईडीसी में अंतरित	32.1		277.79		229.46
कुल			**383.18**		**343.31**

टिप्पणी : –36

वित्त लागत

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
वित्त लागत					
बांड पर ब्याज			689.75		532.08
घरेलू ऋण पर ब्याज			610.29		426.21
विदेशी ऋण पर ब्याज			152.40		101.66
नकदी ऋण पर ब्याज			76.51		54.69
एफईआरवी			61.88		23.66
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			2.40		0.21
अन्य ब्याज			19.89		33.17
कुल			**1,613.12**		**1,171.68**
घटाएं:–					
अंतरित और सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत			1,188.35		980.78
ईडीसी में अंतरित अन्य ब्याज	32.1		19.12		32.25
कुल			**405.65**		**158.65**

टिप्पणी : –37

उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
किराया					
कार्यालय का किराया		1.82		1.43	
कर्मचारियों के आवास का किराया		1.51	3.33	0.68	2.11
दर और कर			2.26		3.42
जल उपयोग शुल्क			129.86		126.37
बिजली और ईंधन			31.23		28.36
बीमा			51.33		41.95
संचार			6.45		5.94
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र और मशीनरी		103.96		71.42	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		6.84		5.47	
भवन		33.13		31.44	
अन्य		39.48	183.41	57.35	165.68
यात्रा एवं परिवहन			8.42		8.30
वाहन किराये पर लेना और चलाना			30.67		25.71
सुरक्षा			71.10		75.95
प्रचार एवं जनसंपर्क			6.01		4.43
अन्य सामान्य व्यय			171.58		168.7
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.41		0.41
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			1.66		0.48
उत्पादित कोयले की लागत			213.71		0.00
प्रारम्भण–पूर्व व्यय (निवल)			13.17		0.00

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
खदान संचालन लागत			451.97		172.47
सर्वेक्षण और जांच व्यय			18.9		15.55
अनुसंधान एवं विकास			9.86		3.73
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			11.54		8.31
प्रारंभिक व्यय बट्टे खाते में डाले गए			0.00		1.04
सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर व्यय			10.67		34.27
कुल			**1,427.54**		**893.18**
घटाएं:–					
कोयला इन्वेंट्री के लिए आबंटित			17.63		0.00
ईडीसी में अंतरित	32.1		617.39		280.16
कुल			**792.52**		**613.02**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी टिप्पणी संख्या 43.20 के तहत प्रकट की गई है।

37.2 अन्य सामान्य व्ययों में "विवाद से विश्वास" और "विवाद समाधान समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के रूप में रु11.94 करोड़ शामिल हैं, जिसके सापेक्ष विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष बनाया गया है।

टिप्पणी : –38

प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.00
स्टोर और स्पेयर्स के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**
घटाएं:–					
ईडीसी में अंतरित	32.1		0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी : –39

कराधान के लिए प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
आयकर					
चालू वर्ष			148.97		103.62
उप योग			148.97		103.62
कुल			**148.97**		**103.62**

टिप्पणी : –40

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन			219.01		(100.61)
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(38.27)		17.58
कुल			**180.74**		**(83.03)**

टिप्पणी : –41

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन (रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 के अनुसार		31 मार्च 2024 के अनुसार	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(11.44)		(8.46)
उप योग			(11.44)		(8.46)
घटाएं:–					
ईडीसी में अंतरित	32.10		(1.79)		(1.24)
कुल			**(9.65)**		**(7.22)**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम– यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 और 2024–29 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उद्भूत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 (पूर्व में वित्त वर्ष 2021–22 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफपीटीओसीआई) पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समय से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पूर्णतः क्रियाशील परियोजनाओं नामतः टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट), कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), पाटन पवन परियोजना (50 मेगावाट), द्वारका पवन परियोजना (63 मेगावाट), दुकवां परियोजना (24 मेगावाट) और कासरगोड सौर परियोजना (50 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई थी क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है। इसके अलावा, प्रबंधन की राय में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की किसी महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत नहीं है।

43. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यातमक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) रु1593.09 करोड़ (पिछला वर्ष रु3077.06 करोड़) है।

2. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण

आकस्मिक देयताएं

कंपनी के सापेक्ष दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में नहीं माना गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना तथा विभिन्न पूंजीगत कार्यों जैसे बांध, स्पिलवे, पावर हाउस आदि के निर्माण के लिए कुछ संविदाकारों ने दर और मात्रा विचलन, समय के विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के रुकने/साइट को सौंपने में देरी आदि के कारण निष्क्रियता प्रभार के लिए कंपनी के सापेक्ष कुल रु2379.87 करोड़ (पिछला वर्ष रु2744.71 करोड़) का दावा किया है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में चुनौती दी जा रही है।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए संविदाओं में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। समाधान के लिए लंबित ऐसे दावों के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह, यदि कोई हो, का यथार्थवादी अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(ii) भूमि मुआवजा संबंधी मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में, पूर्ववर्ती भू–स्वामियों ने विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष रु42.10 करोड़ (पिछला वर्ष रु35.81 करोड़) की उच्च क्षतिपूर्ति आदि का दावा किया है, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है।

(iii) राज्य / केंद्रीय सरकार के विभाग / प्राधिकरण

जल कर, हरित उपकर, रॉयल्टी, श्रम उपकर, गृह कर आदि के संबंध में कुल रु1400.89 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष में रु1338.60 करोड़) के दावे विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/प्राधिकरणों आदि द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों/मंचों के समक्ष दर्ज कराए गए हैं तथा निपटान हेतु लंबित हैं।

उपरोक्त (i) से (iii) के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति

उपरोक्त (i) एवं (ii) में शामिल दावों के संबंध में, दावों के निपटान पर कंपनी द्वारा किए गए भुगतान, यदि कोई हों, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पूंजीगत लागत में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे, जो सीईआरसी द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अध्यधीन होंगे। बिंदु (iii) के मामले में, विनियमों के अनुसार वसूली के माध्यम से अनुमानित संभावित प्रतिपूर्ति रु1143.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु1,096.07 करोड़) है।

(iv) विवादित कर संबंधी मामले

विभिन्न मंचों के समक्ष रु50.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2.15 करोड़) मूल्य के विवादित आयकर, बिक्री कर, सेवा कर मामले लंबित हैं। इन मामलों की कार्यवाही अभी भी निपटान हेतु प्रगति पर है।

(v) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में रु23.27 करोड़ (पिछले वर्ष रु5.84 करोड़) के दावे विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित हैं।

उपर्युक्त का विवरण निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क	पूंजीगत कार्य	2379.87	2744.71
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	42.10	35.81
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1400.89	1338.60
घ	विवादित कर संबंधी मामले	50.50	2.15
ङ.	अन्य	23.27	5.84
च	**कुल योग**	**3896.63**	**4127.11**
छ	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर आदि मामलों के संबंध में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	1471.87	1471.48

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

सीईआरसी टैरिफ विनियमन में बिल प्रस्तुत करने की तिथि से निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक लाभार्थियों द्वारा भुगतान में देरी के मामले में उत्पादन कंपनियों द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार लगाने का प्रावधान है। हालांकि, कंपनी द्वारा अनुमानित आंशिक बिलों के सापेक्ष कुछ लाभार्थियों से उक्त अधिभार के अंतिम संग्रह में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को देखते हुए, रु 0.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2.34 करोड़) की राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

3. ईएमडी/ एसडी के विरुद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/ सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने रु 5.35 करोड़ एवं रु 4.87 करोड़ (पिछला वर्ष रु 4.38 करोड़ तथा रु 5.56 करोड़) की एफडीआर/ सीडीआर क्रमशः ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा कंपनी ने टिप्पणी

23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार संविदाकारों से रु 1128.90 करोड़ (पिछला वर्ष रु 907.15 करोड़) की राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए रु1.64 करोड़ (पिछला वर्ष रु 1.49 करोड़) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत और ईडीसी को अंतरित उधारी लागत की राशि टिप्पणी 36 के अनुसार क्रमशः रु 1188.35 करोड़ और रु 19.12 करोड़ (पिछला वर्ष रु 980.78 करोड़ और रु 32.25 करोड़) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, आस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में रु 54.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु 19.20 करोड़) को मान्य किया गया है।

5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/ प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रूप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रूप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

(iii) कंपनी की अचल परिसंपत्तियां, जो इसके नाम पर धारित नहीं है, के स्वामित्व विलेखों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (रु. करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी/वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष

							2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.06 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.003	0.00	सरकारी / वन विभाग	नहीं	2009 से 2011 के बीच अधिग्रहीत	तहसील, चमोली, राजस्व विभाग, उत्तराखंड में 0.003 हेक्टेयर भूमि का म्यूटेशन प्रगति पर है।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	255.70	उत्तर प्रदेश सरकार / यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	37.95	402.36	एनएचएआई / सरकार	नहीं	25.01.2025	एनएनच–91 (राजमार्ग की भूमि और निर्माण लागत) की रिरूटिंग
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	49.28	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	6.88	0.83	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	11.54	8.66	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91.00	20.62	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	336.59	246.04	निजी भूमि	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	4.36	2.45	रेलवे की भूमि	नहीं	30.09.2024	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	0.76	4.71	सरकारी भूमि	नहीं	17.02.2025	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	753.63	171.84	वन भूमि	नहीं	17.02.2025	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया रु49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (रु. करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी/वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.06 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0 .01	सरकारी/वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार/वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	336.59	261.88	निजी भूमि	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया रु 49.03 करोड का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 12 फ्लैट (पिछला वर्ष 12 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य रु 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.02 करोड़) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित रु 0.001 करोड़ की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और संविदाकार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परियोजना के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेमर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 396.21 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने दिसम्बर, 2026 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेबिट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल संविदाकार मैसर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला भंडार निकालना शुरू कर दिया है और सीईआरसी विनियमन में उल्लिखित शर्तों के पूरा होने के बाद खदान को 18.02.2025, 0:00 बजे (सीओडी) वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है। समझौते के अनुसार, खान विकासकर्ता और संचालक (एमडीओ), मेसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड भूमि सुधार, संरचना के विघटन और खदान बंद करने (प्रगतिशील और अंतिम) गतिविधियों पर होने वाले व्यय के प्रति दायित्वों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है, जो अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार आवश्यक है। तदनुसार, खदान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रु 4.56 करोड़ और वित्त वर्ष 2025–26 के लिए रु4.79 की राशि जमा की गई है।

(iv) खुर्जा ताप विद्युत परियोजना की क्षमता 1320 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट की दो इकाइयाँ शामिल हैं। केएसटीपीपी की पहली इकाई को 26.01.2025 को 0:00 बजे (सीओडी) वाणिज्यिक संचालन हेतु घोषित किया गया है और सीईआरसी विनियमों के अनुसार राजस्व मान्य किया गया है।

(v) सीईआरसी ने दिनांक 08.11.2024 के आदेश के तहत मेसर्स पीसीएल इंटरटेक लेनहाइड्रो कंसोर्टियम जेवी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में जमा रु 475.70 करोड़ की मूल राशि के लिए टैरिफ को अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमति दी है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, उपरोक्त राशि को प्रावधान के अनुरूप क्रेडिट के साथ पूंजीकृत किया गया है और इसके लिए राजस्व को सीईआरसी विनियमों के अनुसार मान्यता दी गई है।

(vi) वर्ष के दौरान निपटाए गए "विवाद समाधान समिति (डीआरसी)" और "विवाद से विश्वास– II" योजना के तहत संदत्त/देय रु96.88 करोड़ के दावे ख्मेसर्स केसीटी एंड ब्रोस सी.एस. लिमिटेड (मेसर्स केसीटी) रु 94.83 करोड़ और मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (मेसर्स जेएएल) रु 2.05 करोड़, जिसमें मूलधन राशि रु 84.93 करोड़ (मेसर्स केसीटी रु 83.53 करोड़ और मेसर्स जेएएल रु 1.40 करोड़) और ब्याज राशि रु 11.95 करोड़ (मेसर्स केसीटी 11.30 करोड़ और मेसर्स जेएएल रु 0.65 करोड़) शामिल है "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" के तहत रु 84.93 करोड़ की मूलधन राशि और "उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय" के तहत रु11.95 करोड़ की ब्याज राशि का पूंजीकरण करते हुए लेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, रु11.95 करोड़ की ब्याज राशि के लिए, विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष बनाया गया है।

8. (i) दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल (रु करोड़ में)
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	5,404.56	3,626.74	1,639.46	5,970.97	16,641.73
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	5,242.87	4,541.36	2,982.28	6,228.94	18,995.45
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–

(ii) 31.03.2025 और 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

परियोजना	अवधि में पूर्ण होनी है				
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल (रु करोड़ में)
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	67.47	–	–	–	67.47
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	1254.79	774.99	–	–	2029.78
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.00	–	–	–	569.00
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	1279.44	800.00	476.51	–	2555.95

9. दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2025 के अनुसार (रु करोड़ में)

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग + घ + ङ)
				6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	961.20	552.12	186.33	155.29	21.25	42.93	0.43	2.85	961.20
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य– क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	64.81	1.16	1.54	38.55	3.21	8.28	0.28	11.79	64.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**1026.01**	**553.28**	**187.87**	**193.84**	**24.46**	**51.21**	**0.71**	**14.64**	**1026.01**

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग + घ + ङ)
				6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	374.89	141.28	100.89	118.83	10.61	0.43	0.91	1.95	374.89
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	75.79*	–	7.16	52.40	–	0.28	–	15.95	75.79
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**450.68**	**141.28**	**108.05**	**171.23**	**10.61**	**0.71**	**0.91**	**17.90**	**450.68**

*कुल रु90.90 करोड़ के विवादित देनदारों के विरुद्ध रु15.11 करोड़ की प्राप्ति के बाद।

10. दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2025 के अनुसार

(रु करोड़ में)

परियोजना	भुगतान की देय तिथि (लेन–देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2.17	–	–	–	2.17
(ii) अन्य	51.92	0.94	0.27	0.37	53.50
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–

31.03.2024 के अनुसार

(रु करोड़ में)

परियोजना	भुगतान की देय तिथि (लेन–देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	1.51	–	–	–	1.51
(ii) अन्य	51.28	0.50	0.13	0.51	52.42
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण:

(रु करोड़ में)

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष रु करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31.03.2025	31.03.2024	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.02	0.02	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(रु करोड़ में)

वित्त वर्ष 2024–25	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	122.26	122.26	–	शून्य
सितम्बर–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	259.01	259.01	–	शून्य
दिसंबर–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	269.50	269.50	–	शून्य
मार्च–25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	259.12	259.12	–	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटीकरण "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड
: ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
: टीएचडीसी – यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

(iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री. आर. के. विश्नोई*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जारी
2	श्री शैलेंद्र सिंह कौशल**	निदेशक (कार्मिक)	जारी
3	श्री भूपेंद्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	जारी
4	श्री सिपन कुमार गर्ग	निदेशक (वित्त)	17.08.2024 से
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
2	श्री अजय तिवारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.05.2024 तक
3	श्री पीयूष सिंह	गैर – कार्यकारी निदेशक	11.06.2024 से
4	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.07.2024 तक
5	श्री वीरेन्द्र मलिक	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.07.2024 से
6	श्री एस.एन. त्रिपाठी	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.09.2024 तक
7	श्री के.एस. सुंदरम	गैर – कार्यकारी निदेशक	24.10.2024 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	09.11.2024 तक
2	डॉ बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	09.11.2024 तक
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री अजय कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	26.09.2024 तक
2	श्री सिपन कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	27.09.2024 से
3	श्रीमती रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी
	सहायक कंपनी – टुस्को लिमिटेड		
1	श्री आर के विश्नोई	अध्यक्ष	जारी
2	श्री अनुपम शुक्ल	नामिती निदेशक	जारी
3	श्री मनोज सरदाना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जारी
4	श्री मृदुल दुबे	मुख्य वित्तीय अधिकारी	14.06.2024 तक
5	श्री आनंद प्रकाश बाजपेयी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	14.08.2024 से 27.12.2024 तक
6	श्री हिमांशु बाजपेयी	कंपनी सचिव	जारी
	सहायक कंपनी – ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड		
1	श्री राजीव विश्नोई	अध्यक्ष	जारी
2	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामिती निदेशक	21.03.2024 से 19.04.2024 तक
3	श्री कुमार शरद	नामिती निदेशक	जारी
4	श्री नीरज वर्मा	नामिती निदेशक	जारी
5	श्री देवकीनंदन शर्मा	नामिती निदेशक	21.03.2024 से 26.01.2025 तक
6	श्री योगेंद्र माथुर	नामिती निदेशक	11.11.2024 से
7	श्री दुर्गेश राजोरिया	नामिती निदेशक	27.01.2025 से
8	श्री सुनीत माथुर	नामिती निदेशक	20.04.2024 से 31.08.2024 तक
9	श्री कैलाश चंद्र सोनी	नामिती निदेशक	31.08.2024 से 10.11.2024 तक

	सहायक कंपनी–टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड		
1	श्री आर के विश्नोई	अध्यक्ष	जारी
2	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	नामिती निदेशक	जारी
3	श्री सिपन कुमार गर्ग	नामिती निदेशक	06.09.2024 से
4	श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी	नामिती निदेशक	जारी
5	श्री संदीप सिंघल	नामिती निदेशक	जारी
6	श्री सुरेश चन्द्र बलूनी	नामिती निदेशक	जारी
7	श्री संदीप कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जारी
8	श्री ए. पी. बाजपेयी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	14.12.2023 से 06.08.2024 तक
9	श्री एस. के. मोहंती	मख्य वित्तीय अधिकारी	07.08.2024 से
10	सुश्री साक्षी नेगी	कंपनी सचिव	14.12.2023 से

(*) 01.03.2024 से 31.05.2024 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(**) 01.06.2024 से 16.08.2024 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को रु16.33 करोड़ वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) के साथ संव्यवहार (किया गया अंशदान) निम्नानुसार है:

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार	2024–25	2023–24
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	33.07	30.89
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	4.24	33.56
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	11.64	9.77

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय रु 5.99 करोड़ (पिछले वर्ष रु 5.04 करोड़) है।

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	5.43	4.64
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.56	0.40
3	सेवांत लाभ	—	—
4	शेयर आधारित भुगतान	—	—
	कुलयोग	5.99	5.04

(iii) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 कोसमाप्त वर्ष के लिए
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	1136.07	767.64
बीएचईएल	सेवा संविदा के साथ उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद	307.98	701.63
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश	169.36	351.20
एनटीपीसी लिमिटेड	कोयले की बिक्री	811.46	368.86
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्श सेवा एंव प्रयोगिक प्रभार	6.47	14.72
एनटीपीसी लिमिटेड	प्रचार एंव प्रशिक्षण व्यय	0.60	0.39
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	67.89	49.86
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों का स्थानांतरण, परामर्श शुल्क, विद्युत लाइन डायवर्जन	25.99	28.97
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	88.69	50.16
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जल और बिजली शुल्क	31.88	24.24
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	जनशक्ति आपूर्ति सेवाएँ	11.92	13.86
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बिजली प्रभार	4.60	7.36
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	सुरक्षा सेवाएं	9.43	7.32
आरआईटीईएस	परामर्श सेवा	9.59	14.46
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	9.56	4.22
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड, एनटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति आपूर्ति	23.69	13.12
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ईंधन की खरीद	89.96	0.00
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	51.79	2.46
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	45.75	0.27
सीएमपीडीआईएल	परामर्श	3.93	4.86
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	बिजली की बिक्री और सब्सक्रिप्शन शुल्क	33.42	0.02
नेकॉन लिमिटेड	सिविल अवसंरचना कार्य	20.40	0.00
वैप्कॉस लिमिटेड	परामर्श	3.46	1.55
बॉन्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	टिकट बुकिंग	1.12	1.01
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनआरएलडीसी प्रभार	1.05	1.37
अन्य संबंधित पक्षकार	विविध	14.35	5.94

(ग) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय/(संदेय) राशि**		
	–एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी)	(27.72)	(31.74)
	–सहायक कंपनियां	शून्य	शून्य
ख	**वसूलनीय राशि**		
	–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.48	0.19
	–सहायक कंपनी	12.55	9.21
	–अन्य	0.00	1.32
ग	**संदेय राशि**		
	–रोजगारोपरांत हितलाभ योजनाएं	11.17	30.20
	–एनटीपीसी लिमिटेड (लाभांश)	0.00	201.14

(घ) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

क. सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

ख. कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 110 – समेकित वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष 2021–22 के दौरान, दिनांक 12.09.2020 को यूपीनेडा के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मैसर्स टुस्को लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें टीएचडीसी के पास 74% और यूपीनेडा के पास 26% के रूप में 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, दिनांक 25.03.2023 को आरआरईसीएल के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मेसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड का निगमन किया गया है, जिसमें इक्विटी भागीदारी 74:26 के अनुपात में है, जिसमें 74% इक्विटी की धारक टीएचडीसी और 26% इक्विटी की धारक आरआरईसीएल की है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, दिनांक 01.12.2023 को यूजेवीएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मेसर्स टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड का निगमन किया गया है, जिसमें इक्विटी भागीदारी 74:26 के अनुपात में है, जिसमें 74% इक्विटी की धारक टीएचडीसी और 26% इक्विटी की धारक यूजेवीएनएल है।

इंड–एएस 110 और कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए, टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) का अनुपालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित तुलन पत्र; लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण; इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण; और लेखाओं के संबंध में टिप्पणी शामिल हैं।

16. इंड एएस 112 – अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण – के अनुसार प्रकटीकरण

क) i) मैसर्स टुस्को लिमिटेड, टीएचडीसी की एक सहायक कंपनी है, जिसे यूपीएनईडीए के साथ 74:26 (कंपनी: यूपीएनईडीए) के इक्विटी अनुपात में प्रमोट किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसके मुख्य व्यवसाय का स्थान है।

- **महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे**

  जब तक यूपीएनईडीए के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी को कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयर धारिता 51% से कम हो जाए।

ii) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को आरआरईसीएल के साथ निगमित किया गया है, जिसमें कंपनी और आरआरईसीएल के बीच 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसका मुख्य व्यवसाय स्थान है।

- **महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे**

  जब तक आरआरईसीएल के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी को कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

iii) मेसर्स टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, जो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, को यूजेवीएनएल के साथ निगमित किया गया है, जिसमें कंपनी और यूजेवीएनएल के बीच 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसका मुख्य व्यवसाय स्थान है।

- **महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे**

जब तक यूजेवीएनएल के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी को कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

ख) गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई)

सहायक कंपनियों के लिए वित्तीय सूचना, जिसमें गैर–नियंत्रणीय हित शामिल है, का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। मैसर्स दुस्को लिमिटेड, मेसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड और मेसर्स टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के लिए प्रकट की गई राशियां अंतर–कंपनी निर्मूलन से पहले है:

संक्षिप्त तुलनपत्र

(रु करोड़ में)

विवरण	दुस्को लिमिटेड		ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड		टीएचडीसी यूजेवीएन एनर्जी कंपनी लिमिटेड	
	31.03.2025 अनुसार	31.03.2024 अनुसार	31.03.2025 अनुसार	31.03.2024 अनुसार	31.03.2025 अनुसार	31.03.2024 अनुसार
चालू परिसंपत्तियां	87.27	16.91	5.13	0.59	5.24	10.00
चालू देयताएं	37.07	19.09	8.02	6.42	3.14	2.52
निवल चालू परिसंपत्तियां / (देयताएं)	50.20	(2.18)	(2.89)	(5.83)	2.10	7.48
गैर–चालू परिसंपत्तियां	336.46	225.73	15.57	9.80	7.21	2.02
गैर–चालू देयताएं	340.93	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल परिसंपत्तियां	45.74	37.88	12.69	3.98	9.31	9.50
संचयी एनसीआई	11.89	9.85	3.30	1.03	2.42	2.47

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	दुस्को लिमिटेड		ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड		टीएचडीसी यूजेवीएन एनर्जी कंपनी लिमिटेड	
	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
कुल आय	0.52	0.53	0.00	0.00	0.55	0.00
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(0.47)	(0.58)	(1.29)	(1.02)	(0.20)	(0.50)
अन्य विस्तृत आय / (व्यय)	–	–	–	–	–	–
एनसीआई को आबंटित लाभ / (हानि)	(0.12)	(0.15)	(0.34)	(0.27)	(0.05)	(0.13)
एनसीआई को संदत्त लाभांश	–	–	–	–	–	–

निम्नलिखित को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का संक्षिप्त विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	दुस्को लिमिटेड		ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड		टीएचडीसी यूजेवीएन एनर्जी कंपनी लिमिटेड	
	वित्त वर्ष 2024–25*	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
प्रचालन गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	13.64	35.20	(0.36)	5.02	(0.27)	1.88
निवेश गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	(33.89)	(48.09)	(5.37)	(9.44)	(4.54)	(1.88)
वित्तपोषण गतिवधियों से / (में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	20.29	12.90	10.00	5.00	0.00	10.00
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	0.04	0.01	4.27	0.58	(4.81)	10.00

* यह वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा प्रमाणित और अलेखापरीक्षित हैं और इन्हें समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए विचार किया गया है। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़े, लेखापरीक्षा पूरी होने पर परिवर्तित हो सकते हैं।

(ग) सहायक कंपनी में मूल कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन –

(रु करोड़ में)

विवरण	स्वामित्व हित		माइनोरिटी हित		कुल	
	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	40.70	(2.69)	14.30	(0.95)	55.00	(3.64)
अवधि के दौरान इक्विटी निवेश	14.43		3.90		18.33	
अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में शेयर		(1.45)		(0.51)		(1.96)
स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव						
31 मार्च, 2025 के अनुसार	55.13	(4.14)	18.20	(1.46)	73.33	(5.60)

17. इंडएएस 33 – प्रति शेयर आय (ईपीएस) – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

(रु करोड़ में)

विवरण	2024–25	2023–24
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रु)	550.72	680.55
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रु)	731.46	597.52
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817
प्रति शेयर आय बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं।		
रु बेसिक	150.23	185.65
रु तनुकृत	150.23	185.65
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है		
रु बेसिक	199.53	163.00
रु तनुकृत	199.53	163.00
प्रति शेयर अंकित मूल्य रु में	रु 1000	रु 1000

18. (क) आय कर व्यय

लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(रु करोड़ में)

विवरण	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	148.97	103.62
विगत वर्षों के लिए समायोजन	–	–
विनियामक आस्थगित लेख शेष से संबंधित (क)	38.27	(17.58)
कुल चालू कर व्यय (ख)	**187.24**	**86.04**
आस्थिगत कर व्यय		
स्थायी अंतर की उत्पत्ति और रिवर्सल	116.30	13.40
मैट क्रेडिट पात्रता	32.17	(199.44)
कुल आस्थगित कर व्यय (ग)	**148.47**	**(186.04)**
आय कर व्यय (घ = ख+ग–क)	**297.44**	**(82.42)**

विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित	38.27	(17.58)
घटाएं: अन्य व्यापक आय पर कर	1.69	(2.52)
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	**334.02**	**(97.48)**

(ख) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 आयकर के अनुसरण में आस्थगित कर परिसंपत्ति में रु148.47 करोड़ की निवल कमी को लाभ हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	आस्थगित कर संपत्ति (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	525.30	657.92
(ii)	प्रारंभिक इंड एएस समायोजन	4.87	4.87
(iii)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	68.37	68.37
(iv)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	48.56	48.56
(v)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	67.78	52.08
(vi)	एमएटी क्रेडिट पात्रता	167.27	199.44
(vii)	भविष्य में कटौती योग्य प्रारंभिक व्यय	0.10	0.42
(viii)	भविष्य में अनुमेय अनवशोषित हानियाँ	1.74	0.80
	उप योग – क	**883.99**	**1,032.46**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	35.72	35.72
(ii)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(4.72)	(4.72)
(iii)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	(0.01)	(0.01)
(iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	(1.24)	(1.24)
	उप योग – ख	**29.75**	**29.75**
	निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियां (क–ख)	**854.24**	**1,002.71**

(ग) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु 255.96 करोड़ (आयकर विभाग द्वारा आयकर मांग के सापेक्ष समायोजित रु104.57 करोड़ का निवल योग) को मैट क्रेडिट पात्रता के रूप में मान्यता दी गई। उपलब्ध कुल मैट क्रेडिट में से, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु56.52 करोड़ का उपयोग किया गया और चालू वित्त वर्ष के दौरान रु 32.17 करोड़ का उपयोग किया गया है। 31.03.2025 तक उपलब्ध निवल मैट क्रेडिट रु167.27 करोड़ (31.03.2024 : रु199.44 करोड़) है।

19. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

20. क. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 के समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 के समाप्त वर्ष के लिए
क.	वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि		
i	सकल राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार औसत निवल लाभ का 2%)	17.62	22.35
ii	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	–	–
iii	पिछले वर्ष से उपलब्ध सेट–ऑफ	10.40	0.45

(रु करोड़ में)

विवरण		समाप्त अवधि के लिए	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
iv	वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(i)+(ii)+(iii)]	7.22	21.90
ख	वर्ष के दौरान व्यय के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	17.62	22.35
ग.	वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय राशि		
	क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–
	ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	21.91	34.27
	कुल	**21.91**	**34.27**
घ.	आगामी वर्षों के लिए अनुपलब्ध सेट–ऑफ	3.45	1.97
ङ.	आगामी वर्षों के लिए उपलब्ध सेट ऑफ	11.24	10.40
च.	वर्ष के दौरान अव्ययित राशि	–	–
छ.	चालू परियोजना के सापेक्ष अंतिम अव्ययित राशि	0.07	0.07

टिप्पणी:– आगामी वर्षों में उपलब्ध सेट ऑफ को वर्ष के दौरान एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है और टिप्पणी संख्या 17– "अन्य चालू परिसंपत्तियां" के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

i) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

(रु करोड़ में)

विवरण	नकद में	अभी नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–	–
ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	20.82	1.09	21.91

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

(रु करोड़ में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–	–
ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	34.27	–	34.27

ii) सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी न्यास को अंशदान का ब्यौरा

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा टीएचडीसी को दिया गया अंशदान	16.33	22.66

iii) मुख्य शीर्ष के तहत सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
1. स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	3.57	5.34
2. शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.12	12.39
3. महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.10	0.20
4. वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	1.58	1.24
5. कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	3.17	10.28
6. सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के हितलाभ के लिए उपाय	–	
7. खेलकूद का संवर्धन	1.80	1.94
8. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	–	0.00
9. अनुसूचित जाति का कल्याण	–	

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
10. ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.99	1.86
11. आपदाएं	–	
12. सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.58	1.02
कुल	**21.91**	**34.27**

iv) व्यय की गई अतिरिक्त राशि और अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रणीत राशि:

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अथशेष	10.40	0.45
वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि	17.62	22.35
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	21.91	34.27
निम्नलिखित में मान्य की गई राशि:		
तुलनपत्र	11.24	–
लाभ एवं हानि विवरण	10.67	34.27
कुल	**21.91**	**34.27**
अंतशेष	**11.24**	**10.40**

ख. अनुसंधान और विकास व्यय:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर रु16.23 करोड़ (पूंजी – रु 6.37 करोड़ और राजस्व – रु9.86 करोड़) खर्चा पिछला वर्ष रु5.97 करोड़ (पूंजी – रु 2.24 करोड़ और राजस्व – रु3.73 करोड़), व्यय किए हैं।

21. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2025 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(रु करोड़ में)

		2024–25	2023–24
क.	किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i)	मूल धन	2.43	4.14
ii)	उस पर ब्याज	–	–
ख	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	–	–
ग	देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	–	–
घ	प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	–	–
ङ.	अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	–	–

22. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
1	नीति संख्या 14 सम्मिलित की गई है। **फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि** राख/राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय और अधिशेष निधि के निवेश से प्राप्त आय को "फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि" में स्थानांतरित किया जाता है। इस निधि का	चालू वित्त वर्ष के दौरान राख/राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त 5.05 करोड़ रुपये की राशि फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दी गई है।

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
	उपयोग फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु अवसंरचना/सुविधाओं के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों पर व्यय के लिए किया जाता है।	
2	नीति संख्या 20.6 सम्मिलित की गई है। फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, आईटी और अन्य संचार उपकरण, जहाँ किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीवन काल अलग से परिभाषित किया गया है, वहाँ परिसंपत्ति के जीवन काल पर मूल्यह्रास लगाया जाएगा।	नीति बेहतर प्रकटीकरण के लिए सम्मिलित की गई है। इस नीति के कारण, वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

23. भारतीय लेखांकन मानक 8 – "लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के अनुसार प्रकटीकरण

हालिया लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। नीचे नए मानकों और प्रमुख संशोधनों का सारांश दिया गया है जो 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए पहली बार प्रभावी होंगे:

(i) बिक्री और लीजबैक में पट्टा देयता – भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)में संशोधन

9 सितंबर 2024 को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानक 116 में बिक्री और लीजबैक लेनदेन की आवश्यकताओं में संकीर्ण–दायरे वाले संशोधनों को अधिसूचित किया, जिनमें इंगित किया गया है कि कोई संस्था लेनदेन की तिथि के बाद बिक्री और लीजबैक का लेखांकन कैसे करती है। संशोधनों में यह स्पष्ट किया गया है कि बिक्री और लीजबैक के बाद पट्टा देयता को मापने में, विक्रेता–पट्टेदार ऐसा भुगतानश और "संशोधित पट्टा भुगतान" का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि विक्रेता–पट्टेदार को अपने पास रखे उपयोग के अधिकार से संबंधित लाभ या हानि की कोई राशि न मिले। यह विशेष रूप से उन बिक्री और लीजबैक लेनदेन को प्रभावित कर सकता है जहाँ पट्टा भुगतान में ऐसे परिवर्तनीय भुगतान शामिल होते हैं जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते।

(ii) बीमा संविदा – भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 117

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 12 अगस्त 2024 को इंड एएस 104, "बीमा संविदा" के स्थान पर नए लेखांकन मानक इंड एएस 117, "बीमा संविदा" को अधिसूचित किया। नए मानक के अनुसार, किसी इकाई को 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए इंड एएस 117 लागू करना आवश्यक है।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया है और ये कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है।

24. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटीकरण

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्त वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें परस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रैंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की वहन राशियां हैं:

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आरम्भिक शेष	156.57	132.93
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	19.51	26.08
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	13.35	12.42
–पट्टा देयताओं का भुगतान	19.03	14.87
अंत शेष	**170.40**	**156.57**
चालू	13.46	14.97
गैर–चालू	156.94	141.60

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(रु करोड़ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
3 माह या कम	3.47	3.92
3–12 माह	12.78	11.75
1–2 वर्ष	16.28	19.25
2–5 वर्ष	40.52	46.31
5 वर्ष से अधिक	379.25	270.87
पट्टा देयताएं	**452.30**	**352.11**

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है :

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	39.94	30.64
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	13.35	12.42
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	3.33	2.11

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है :

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	19.03	14.87
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	3.33	2.11

25. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(I) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल

सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से रु 28.47 करोड़ (पिछले वर्ष रु 6.69 करोड़) अधिक है तथा इसे बहियों में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वस्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथा अभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से रु13.18 करोड़ (विगत वर्ष रु11.61 करोड़) अधिक है और इसे बही में दर्ज किया गया है।

(v) अन्य (असबाब / एलएसए / एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2025 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार "कर्मचारियों के हित" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
छूट की दर	6.81%	7.10%	7.40%	7.00%	6.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%

जोखिम अनावरण (एक्सपोज़र) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से कम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता हैं।

(ङ) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	173.36 [174.76]	95.08 [85.27]	115.46 [117.13]	117.39 [105.80]	14.68 [14.33]
ब्याज लागत	12.31 [12.93]	6.75 [6.31]	8.20 [8.67]	8.33 [7.83]	1.04 [1.06]
विगत सेवा लागत	16.53 [0.00]				7.02 [0.00]
वर्तमान सेवा लागत	4.73 [3.62]	20.30 [19.86]	5.98 [6.55]	3.44 [3.10]	4.24 [2.36]
लाभ का भुगतान	(25.43) [(19.08)]	(24.55) [(19.27)]	(9.89) [(7.47)]	(7.31) [(7.80)]	(2.22) [(1.90)]
बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.32 [(1.12)]	4.69 [2.90]	(8.80) [(9.43)]	9.68 [8.46]	(1.38) [(1.17)]
वर्ष के अंत में पीवीओ	181.82 [173.36]	102.26 [95.08]	110.94 [115.46]	131.53 [117.39]	26.15 [14.68]

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / लंबी सेवा एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	181.82 [173.36]	102.26 [95.08]	110.94 [115.46]	131.53 [117.39]	26.15 [14.68]
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	118.36 [105.78]	उपलब्ध नहीं
वित्त पोषित देयता / प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	118.36 [105.78]	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता / प्रावधान	181.82 [173.36]	102.26 [95.08]	110.94 [115.46]	13.18 [11.61]	26.15 [14.68]
अमान्य बीमांकिक लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	181.82 [173.36]	102.26 [95.08]	110.94 [115.46]	13.18 [11.61]	26.15 [14.68]

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	4.73 [3.62]	20.30 [19.86]	5.98 [6.55]	3.44 [3.10]	4.24 [2.36]
विगत सेवा लागत	16.53 [0.00]	–	–	–	7.02 [0.00]
ब्याज लागत	12.31 [12.93]	6.75 [6.31]	8.20 [8.67]	– [0.00]	1.04 [1.06]

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.32 {1.12}	4.69 {2.90}	(8.80) {(9.43)}	9.78 {8.50}	1.38 {(1.17)}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	33.57 {16.55}	31.74 {29.07}	5.37 {5.79}	3.44 {3.10}	12.30 {3.42}

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)		पीआरएमबी		अन्य	
	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.04)	(3.86)	(2.91)	(2.58)	(2.45)	(2.56)	(16.34)	(14.58)	(0.85)	(0.34)
0.50% की वृद्धि	4.28	4.08	3.13	2.75	2.58	2.68	17.53	15.65	0.93	0.35
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.03	0.76	3.12	2.76	2.58	2.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की वृद्धि	(1.09)	(0.83)	(2.92)	(2.60)	(2.46)	(2.58)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत / समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	17.86	15.94	0.97	0.13
0.50% की घटौतरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(17.04)	(15.21)	(0.84)	(0.13)

अन्य प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

उपदान	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	181.82	173.36	174.76	183.38	189.99
बीमांकिक (लाभ / हानि)	0.32	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)
बीमांकिक (लाभ / हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	0.32	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	33.57	16.55	16.13	16.77	17.97

अर्जित अवकाश (ईएल)	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	102.26	95.08	85.27	76.88	66.18
बीमांकिक (लाभ / हानि)	4.69	2.90	5.34	8.15	6.26
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31.74	29.07	28.72	26.28	23.42

अरचस्थता (एचपीएल) अवकाश	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	110.94	115.46	117.13	118.64	116.13
बीमांकिक (लाभ / हानि)	(8.80)	(9.43)	(8.36)	(3.21)	(0.88)
वर्ष के लिए लाभएवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5.37	5.79	4.46	8.85	11.18

सेवा उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	131.53	117.39	105.80	95.51	87.30
मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	9.78	8.50	7.01	3.29	1.34
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.44	3.10	2.64	2.61	2.95

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	26.15	14.68	14.33	14.26	14.29
बीमांकिक (लाभ/हानि)	1.38	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	1.38	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	12.30	3.42	2.20	2.09	3.19

26. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतरु पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 (संशोधित) बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

27. **लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)**

(रु करोड़ में)

क.सं.	विवरण	2024–25	2023–24
i.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.21	0.21
ii.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
iii.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		
iV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.13	0.12
Vi.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में रु शून्य (पिछले वर्ष से संबंधित रु शून्य) शामिल हैं।

28. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2025	31.03.2024
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	158.32	106.21
घटायें: ओवर ड्राफ्ट शेष एसटीएल को छोड़कर	26	1,731.38	777.04
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(1,573.06)	(670.83)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे । ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटीकरण का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–

पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(रु करोड़ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2024–25	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	–	3665.88	–	
गैर–चालू उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	14608.21	–	18792.51	4184.30	**वृद्धि–बांड** – रु2050.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु1000.00 करोड़, सावधि ऋण (केनरा बैंक) रु4500.00 करोड़, सावधि ऋण (बीओबी बैंक) रु50.00 करोड़, सावधि ऋण (आरईसी) रु35.13 करोड़, विश्व बैंक (निवल) रु1167.44 करोड़, **चुकौती** – सावधि ऋण (बीओबी)– रु250.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु197.22 करोड़, विश्व बैंक रु121.05 करोड़
उधारियां– चालू	1331.56	–	1585.33	253.77	वृद्धि– सावधि ऋण (बीओबी) रु 125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु 77.78 करोड़, विश्व बैंक (निवल) रु 50.99 करोड़।
पट्टा देयताएं	–	(19.03)	–	(19.03)	पट्टा देयता का भुगतान
ब्याज एवं वित्त प्रभार	–	(1513.87)	–	(1513.87)	ब्याज एवं वित्त प्रभारों का भुगतान
गैर–नियंत्रण हित से पूंजी अंशदान	–	3.39	–	3.39	
संदत्त लाभांश	–	(527.34)	–	(527.34)	लाभांश
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				2,381.22	

29. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

समूह में शामिल संस्था का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति– कुल देयताएं		समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	रु करोड़ में	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	रु करोड़ में	समेकित अन्य विस्तृत आय के % के रूप में	रु करोड़ में	समेकित कुल विस्तृत आय के % केरूप में	रु करोड़ में
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड								
31 मार्च, 2025	99.85%	11,045.20	100.07%	731.46	100%	(7.96)	100.07%	723.50
31 मार्च, 2024	99.87%	10,543.99	100.09%	597.52	100%	(9.74)	100.09%	587.78
सहायक कंपनियां								
टुस्को लिमिटेड								
31 मार्च, 2025	0.10%	11.02	(0.02%)	(0.12)	–	–	(0.02%)	(0.12)
31 मार्च, 2024	0.09%	9.85	(0.03%)	(0.15)	–	–	(0.03%)	(0.15)
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड								
31 मार्च, 2025	0.03%	3.30	(0.05%)	(0.34)	–	–	(0.05%)	(0.34)
31 मार्च, 2024	0.01%	1.03	(0.05%)	(0.27)	–	–	(0.05%)	(0.27)

(रु करोड़ में)

समूह में शामिल संस्था का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति– कुल देयताएं		समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	रु करोड़ में	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	रु करोड़ में	समेकित अन्य विस्तृत आय के % के रूप में	रु करोड़ में	समेकित कुल विस्तृत आय के % केरूप में	रु करोड़ में
टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड								
31 मार्च, 2025	0.02%	2.42	(0.01%)	(0.05)	–	–	(0.01%)	(0.05)
31 मार्च, 2024	0.02%	2.47	(0.02%)	(0.13)	–	–	(0.02%)	(0.13)
कुल								
31 मार्च, 2025	100%	11,061.94	100%	730.95	100%	(7.96)	100%	722.99
31 मार्च, 2024	100%	10557.34	100%	596.97	100%	(9.74)	100%	587.23

30. इंड एएस 108 'प्रचालनात्मक खंड' के अनुसार प्रकटीकरण

क) प्रचालनात्मक खंडों को उद्यम के उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके लिए वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है और जिसका प्रबंधन द्वारा संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन के आकलन के तरीके तय करने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है। अन्य संचालन, जैसे परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्य, "खंड रिपोर्टिंग" पर भारतीय लेखांतन मानक (इंड एएस)–108 के अनुसार रिपोर्ट योग्य खंड नहीं बनाते हैं।

ग) कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत संयंत्र देश के भीतर स्थित हैं।

घ) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी:

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक से राजस्व (रु करोड़ में)		प्रचालनों से कुल राजस्व के प्रतिशत (%) के रूप में ग्राहक से राजस्व	
		वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
1	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1136.07	767.64	42.35 %	39.02 %

ङ) बाहरी ग्राहकों से राजस्व: कंपनी भारत में स्थित है। बाहरी ग्राहकों से इसकी आय शून्य है।

31. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/– (रश्मि शर्मा) कंपनी सचिव	ह0/– (सिपन कुमार गर्ग) निदेशक (वित्त) डीआईएनः 10746205	ह0/– (आर.के. विश्नोई) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

फॉर्म एओसी–1

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग "क": सहायक कंपनियां

(राशि रु में)

1.	सहायक कंपनी का नाम	टुस्को लिमिटेड	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड	टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
2.	सहायक कंपनी के अधिग्रहण करने की तारीख	12.09.2020*	25.03.2023*	01.12.2023*
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2024 – 31.03.2025) के समान	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2024 – 31.03.2025) के समान	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2024 – 31.03.2025) के समान
4.	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	45.00	15.00	10.00
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	(2.59)	(2.31)	(0.69)
7.	कुल परिसंपत्तियां	423.73	20.70	12.45
8.	कुल देयताएं	377.99	8.02	3.14
9.	निवेश	0.00	0.00	0.00
10.	टर्नओवर / अन्य आय	0.52	0.00	0.55
11.	कुल व्यय	1.10	1.70	0.84
12.	कराधान पूर्व लाभ / (हानि)	(0.57)	(1.70)	(0.29)
13.	कराधान के लिए प्रावधान	(0.10)	(0.41)	(0.09)
14.	कराधान पश्चात् लाभ / (हानि)	(0.47)	(1.29)	(0.20)
15.	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00
16.	शेयरधारिता का %	74%	74%	74%

(* निगमन की तारीख)

भाग "ख" सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम

– शून्य–

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / –
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0 / –
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10746205

ह0 / –
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0 / –
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्या:– 074084

दिनांक:– 19.05.2025
स्थान:– ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ इसमें इसके बाद **"समूह"** कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (जिन्हें इसमें इसके बाद **"समेकित वित्तीय विवरण"** कहा गया है) सहित लेखाओं के लिए संमेकित टिप्पणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरुप, दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, समूह के कार्यो की समेकित स्थिति, इसके समेकित लाभ और कुल व्यापक आय और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणओं की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। नीचे दिए गए लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्वपूर्ण मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटक के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में लेखा परीक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है:

क्रम सं.	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के समाधान के
1	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड एएस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों (यदि कोई हों) की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 16 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर

		ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखांकन का सत्यापन किया है। • समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया गया। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।
2	**आकस्मिक देयताएँ** कंपनी के विरुद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। इन मामलों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए, किसी लंबित दावे के सफल होने या उससे कोई देयता उत्पन्न होने की संभावना के आकलन के अनुमानों और संभावित वित्तीय समाधान की सीमाओं के परिमाणीकरण सहित अंतर्निहित जटिलताओं को देखते हुए, प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमने इसे चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अभिचिह्नित किया है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं:– • लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके प्रावधानों और आकस्मिक देयता से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया है। • लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता का मूल्यांकन और परीक्षण किया है। • प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। • विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। • प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। • जिन मामलों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। • समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की पर्याप्तता का आकलन किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से धारक कंपनी की वीपीएचईपी परियोजना के पूरा होने में विलंब से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संविदाकार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

ख) टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 2426.34 हेक्टेयर भूमि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(iii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपरोक्त उल्लिखित अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष प्रदान करते हैं और न करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी ऊपर अभिचिह्नित अन्य सूचनाओं, जब भी उपलब्ध हों, को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों और हमारी लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त वर्णित अन्य सूचना पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौंपा गया है और, यदि आवश्यक हो, तो लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई का वर्णन करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ अधिनियम के तहत जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हमने:

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अभिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या

कंपनी में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए जारी संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई व्यापार संस्थाओं, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य व्यापार संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

  हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

  हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

  सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य मामले

हमने समेकित वित्तीय विवरण में शामिल तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 तक कुल ₹456.88 करोड़ की परिसंपत्ति; ₹1.07 करोड़ का कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.50 करोड़ का निवल नकदी बहिर्वाह दर्शाया गया है, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। दो सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें 17 मई, 2025 तक प्रस्तुत की गई है और विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं महत्व सहित "अन्य लेखा परीक्षक के कार्य का उपयोग" पर लेखा परीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर विचार करने के बाद ऊपर लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी खंड में यथावर्णित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहायक कंपनी मेसर्स टुस्को लिमिटेड भी शामिल है, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2025 तक ₹423.73 करोड़ की कुल परिसंपत्ति; उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.52 करोड़ का कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.04 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, किंतु उनके लेखा परीक्षकों द्वारा इनकी लेखा–परीक्षा नहीं की गई है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं हमें धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है और उपरोक्त सहायक कंपनी के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी उपरोक्त राय, तथा अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी नीचे दी गई रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (यथादेश) के पैराग्राफ 3(xxi) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में सीएआरओ रिपोर्ट, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हैं, में कोई ऐसा आक्षेप या प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है। भारत में निगमित सहायक कंपनियों के संबंध में जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा की जा चुकी है, हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) के संदर्भ में रिपोर्टों में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा कोई आक्षेप या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अन्य मामलों संबंधी पैराग्राफ में निर्दिष्ट सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत लेखा–बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ङ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान धारक कंपनी और साथ ही इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं।

(च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक "1" पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त की गई है।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ङ) के संदर्भ में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नही होते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसरण में रिपोर्टिंग, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचारण तथा 'अन्य मामले' संबंधी पैरग्राफ में यथावर्णित सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं के अनुसार:

i.		समेकित वित्तीय विवरणों में इसके समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।
ii.		समेकित वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।
iii.		ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।
iv.	क.	कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनी हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, ने हमारे और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से

		प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;
	ख.	कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनी हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, ने हमारे और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;
	ग.	हमारे और सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ड) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी है।
v.		जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –
	क.	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और संदत्त पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।
	ख.	कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।
vi.		हमारे और सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपनी लेखाबहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, अभिलेख बनाए रखने की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल का अभिरक्षण किया गया है।

कृते वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.006568C

ह0/–
वीरेंद्र कालरा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 074084

स्थान: ऋषिकेश
दिनांक: 19.05.2025
यूडीआईएन: 25074084BIEMKEQYUELKE6424

अनुलग्नक "क"

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित अनुलग्नक–क)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में, हमने उसी तारीख को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (इसमें आगे "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (इसमें आगे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है), जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसमें अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (मार्गदर्शी टिप्पणी) और लेखांकन मानकों, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। हमारे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों पर प्राधिकार के अनुसरण में आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (प्रपप) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों अथवा

प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2025 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

अन्य मामले

धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह सहायक कंपनियों से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों, जहां तक यह किसी सहायक कंपनी से संबंधित है, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं अलेखापरीक्षित हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि समूह का निवल लाभ/हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का हिस्सा और इन समेकित वित्तीय विवरणों में इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल प्रकटीकरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृते वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.006568C

ह0/–
वीरेंद्र कालरा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 074084

स्थान: ऋषिकेश
दिनांक: 19.05.2025
यूडीआईएन: 25074084Bिएनकेक्यूएलके6424

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 02-05-25

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय:- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 2024-25 के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नक:- यथोपरी ।

तनुजा मित्तल

(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक (ऊर्जा)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213, 23239211, Email : pdaenergydl@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य दिनांक 19 मई, 2025 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की, लेकिन उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड और टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की, जबकि उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अभी निष्पादित की जानी थी। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यत: सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसके अनुपूरक के रूप में आवश्यक है।

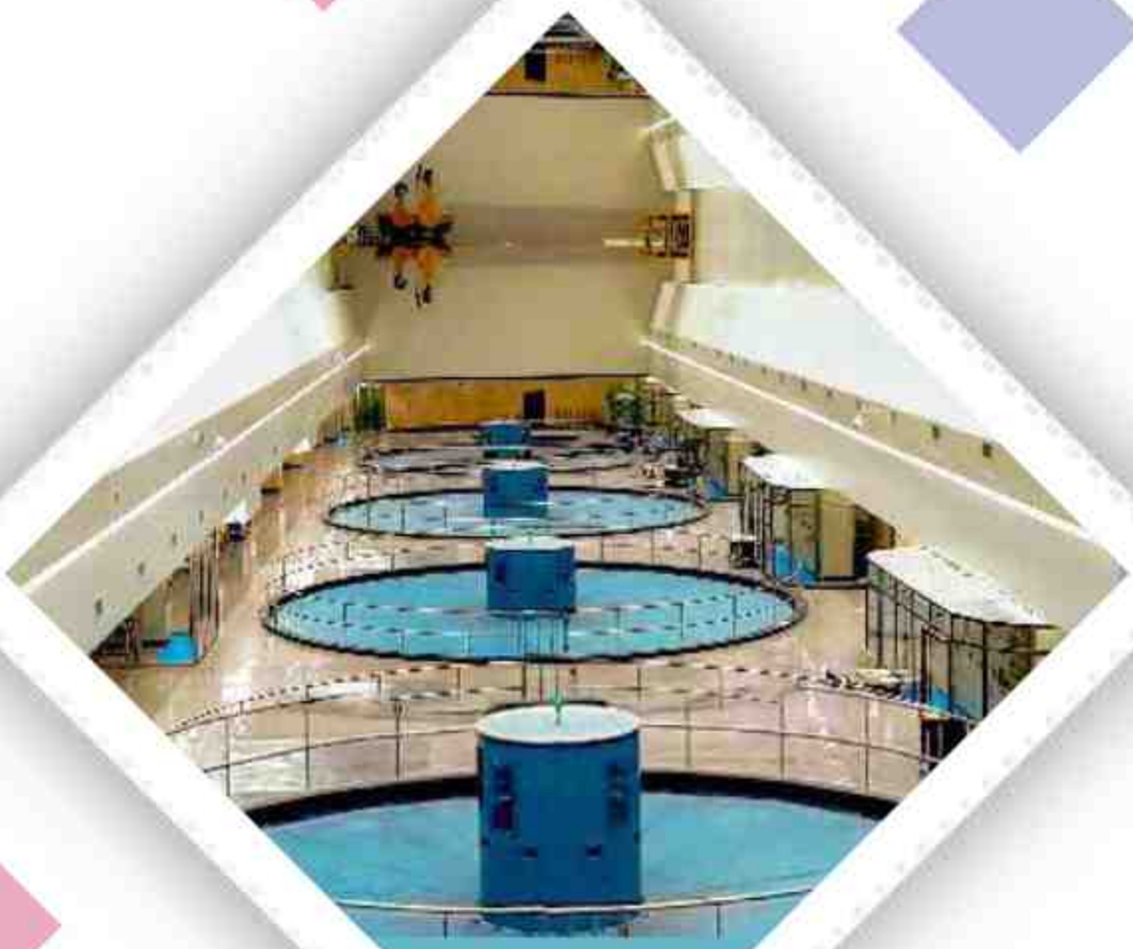
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
(तनुजा मित्तल)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.08.2025



1320 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

Schedule-A Mini Ratna PSU
CIN: U45203UR1988GOI009822

कारपोरेट कार्यालय: गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201
Corporate Office : Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bypass Road, Rishikesh-249201
वेबसाईट / Website : www.thdc.co.in

@THDCIL24x7 @thdc_india_limited @THDC India Limited-Official @THDC India Limited-Official @THDCIL_MOP

speedways46@gmail.com